द्वादश माला, खंड 8, अंक 10

मंगलवार, 9 मार्च, 1999
18 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

चौथा सत्र
(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 8 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद (हिन्दी संस्करण)
मंगलवार, 9 मार्च, 1999/18 फाल्गुन, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
240	अंत में	"(गड़बड़ी) नहीं उठता।"	जोड़िए
513	अंतिम	अध्यक्ष महोदय	सभापति महोदय,

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा. अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री सुरेन्द्र कौशिक
निदेशक
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्रीं रिछपाल सिंह वर्मा
वरिष्ठ सम्पादक

श्री जे.एस. वत्स
सम्पादक

श्री वेद प्रकाश शर्मा
सम्पादक

श्रीमती अरूणा वशिष्ठ
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 8, चौथा सत्र, 1999/1920 (शक)]

अंक 10, मंगलवार, 9 मार्च, 1999/18 फाल्गुन, 1920 (शक)

विषय	कालम
निधन संबंधी उल्लेख	1–2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 182 और 184 से 186	2–29
के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 181, 183 और 187 से 200	29–70
अतारांकित प्रश्न संख्या 1924 से 2155	71–450
पटल पर रखे गए पत्र	451–458
नौसेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी और उनके द्वारा रक्षा मंत्री पर लगाये गये आरोपों के बारे में	460–479
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	502–513
जम्मू क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा कुछ व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति	502–513
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी	502, 504–510
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	502–504, 510–513
कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	513–514
नियम 377 के अधीन मामले	514–521
(एक) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय सं. 79, विवेक विहार, दिल्ली में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं पुन: शुरू किये जाने की आवश्यकता	
श्री लाल बिहारी तिवारी	514
(दो) बिहार में नीमीयाघाट और पारसनाथ रेलवे स्टेशन के बीच रेल समपार संख्या 14-ए के स्थान पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता	
श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय	515
(तीन) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा "दीप काम्पलैक्स" को अधिग्रहीत करने के निर्णय की समीक्षा किये जाने की आवश्यकता	
श्री सत्य पाल जैन	515
(चार) उत्तरांचल में "बेनाम भूमि" की अधिसूचना को रद्द करके उसे वन भूमि के रूप में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निर्देश दिये जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	516

*तारे से चिह्नित प्रश्न वह है जिस पर मौखिक उत्तर की इच्छा प्रकट की गई है।

विषय		कालम
(पांच)	प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लाभ के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव बैंक को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए ''नाबार्ड'' को निदेश दिये जाने की आवश्यकता	
	डा. बी.एन. रेड्डी	517
(छह)	महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की राहुड़ी और संगमनेर तहसीलों में डाकघरों के लिए नये भवनों का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे	518
(सात)	उत्तर प्रदेश के बलिया में बिल्थरा रोड पर प्रस्तावित विद्युत परियोजना की शीघ्र स्थापना के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री हरि केवल प्रसाद	518
(आठ)	कलकत्ता के नेताजी सुभाष विमानपत्तन पर अत्याधुनिक विमानों की संख्या में वृद्धि किये जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती कृष्णा बोस	519
(नौ)	घरेलू अखबारी कागज उद्योग के हितों की रक्षा के लिए अपारम्परिक कच्चे माल से बने उत्पादों पर शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सी. कुप्पुसामी	519
(दस)	कन्याकुमारी और एर्नाकुलम के बीच आंध्र विक्टोरिया मार्तण्ड कैनाल के पुनरुद्धार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री एन. डेनिस	520
(ग्यारह)	ईसाई पर्सनल कानूनों में सुधार करने और इससे संबंधित विधेयकों को संसद के वर्तमान सत्र में लाये जाने की आवश्यकता	
	डा. बीट्रिक्स डिसूजा	521
पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और पेटेंट (संशोधन) विधेयक.		**522–596**
विचार करने के लिए प्रस्ताव		523
	श्री वी.वी. राघवन	523
	श्री वारकला राधाकृष्णन	532
	श्री सिकन्दर बख्त	538
	श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण	539
	श्री खारबेल स्वाईं	553
	श्री रूपचन्द पाल	566
	डा. सुब्रहमण्यम स्वामी	582
	श्री शैलेन्द्र कुमार	587
	श्रीमती गीता मुखर्जी	589
	श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	595

लोक सभा

मंगलवार, 9 मार्च, 1999/18 फाल्गुन, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न 11 बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

निधन संबंधी उल्लेख

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को अपने एक पूर्व सहयोगी श्री जार्ज जोसेफ मुण्डाकल के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री मुण्डाकल सातवीं और आठवीं लोक सभा के सदस्य थे। उन्होंने 1980 से 1989 तक केरल के मुवत्तपुजा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्री मुण्डाकल एक योग्य सांसद थे। वे 1982 से 1985 तक सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के, 1987 और 1988 में प्राक्कलन समिति के तथा 1989 और 1990 में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्य रहे। वे सभा की कार्यवाहियों में गहरी रुचि लेते थे और सभा में गरीब और दलित लोगों की समस्याओं को उजागर करने का कोई मौका नहीं चूकते थे।

श्री मुण्डाकल एक वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने स्वतंत्रता आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था।

व्यवसाय से कृषक श्री मुण्डाकल एक सुविख्यात राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। वे विभिन्न हैसियत से अनेक संगठनों से संबद्ध रहे। उनकी कृषि और कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में गहरी रुचि रही। वे भारतीय नारियल परिषद के सदस्य तथा केरल कृषि विद्यालय के विजिटिंग फार्म प्रोफेसर भी रहे।

श्री मुण्डाकल का 69 वर्ष की आयु में 2 मार्च, 1999 को कोठामंगलम, केरल में देहान्त हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं और मुझे विश्वास है कि यह सभा उनके शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करने में मेरे साथ है।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े होंगे।

पूर्वाह्न 11.02 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्दी]

उपनगरीय शहर

***182. डा. अशोक पटेल:**
श्री चेतन चौहान:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानगरों में जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु महानगरों के आसपास नए उपनगरीय शहरों का विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना को नौवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं?

[अनुवाद]

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में नई नगर बस्ती विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि के नियतन के लिए योजना आयोग को एक स्कीम पेश की गई थी।

(ख) इस स्कीम का उद्देश्य राजधानी नगरों/महानगरों में आबादी की भरमार कम करने के लिए, 9वीं व 10वीं योजना में 100 नए माडल टाउन विकसित करना तथा उप गृहनगर कायम करने का है ताकि वे आर्थिक वृद्धि का वाहक बन सकें।

(ग) योजना आयोग ने धन की कमी के कारण स्कीम को अभी मंजूर नहीं किया है। इसलिए फिलहाल ऐसी कोई स्कीम अमल में नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

डा. अशोक पटेल: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग-ग में उल्लेख किया है कि योजना आयोग ने धन के अभाव में इस योजना को अभी मंजूरी नहीं दी है। इस योजना के महत्व को देखते हुए मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि अन्य योजनाओं के लिए आबंटित धनराशि जो समय पर उपयोग न होने के कारण लैप्स हो जाती है तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त धनराशि को इस योजना के लिए आबंटित कर इस योजना को मंजूरी दिलवाने में क्या कठिनाई है?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: मैं माननीय सदस्यों को तथा सम्पूर्ण सभा को केवल यह आश्वासन दे सकता हूँ कि सरकार हर प्रकार से यह सुनिश्चित करने की कोशिश करेगी कि योजना आयोग के पास धनराशि उपलब्ध हो अथवा हम धन के वैकल्पिक स्रोत ढूंढ़ेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि काफी निकट भविष्य में यह योजना चालू हो जाये, लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि यह वास्तव में कब चालू होगी हमें विश्वास है कि इस योजना से शहरी क्षेत्रों में हो रही खतरनाक भोड़-भाड़ कम होगी।

[हिन्दी]

डा. अशोक पटेल: अध्यक्ष महोदय, इस महत्वपूर्ण योजना को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री महोदय, योजना आयोग से इस योजना को मंजूरी देने के लिए पुन: अनुरोध करेंगे?

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: हाँ महोदय। मैंने पहले ही यह आश्वासन दिया है कि हम अपने स्तर पर पूरा प्रयास करेंगे। हम न केवल योजना आयोग को मनाएंगे बल्कि हम धनराशि के वैकल्पिक स्रोत भी तलाश रहे हैं और शायद मैं सफल हो जाऊँगा। उस स्थिति में, योजना को जल्द-से-जल्द चालू कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: अध्यक्ष जी, जैसा माननीय मंत्री जी ने बताया है लगभग 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता थी और योजना आयोग द्वारा धन का आबंटन न होने के कारण पूरे नैशनल कैपीटल रीजन (एन.सी.आर.) में कोई काम शुरू नहीं हो सका, उसके कारण जो समस्या है वह यह है कि हम सांसद जो भारत की राजधानी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से चुनकर आए हैं, उन्हें बहुत परेशानी है क्योंकि वहां न तो अच्छे स्कूल हैं, न अच्छी सड़कें हैं और न वहां पर अच्छे अस्पताल हैं जिसके कारण हमारा एक आदमी मात्र अस्पतालों में मेरे क्षेत्र के लोगों की भर्ती के काम पर लगा हुआ है और यह मेरी अपनी बात नहीं है यह ऐसे सभी सांसदों की समस्या है जो राजधानी के आसपास के क्षेत्रों से चुनकर आते हैं। वहां कोई सुविधा नहीं है, न वहाँ रेलगाड़ियां है और न अच्छी बस सेवाएँ हैं। सिगल ट्रैक रोड्स हैं और अच्छी प्लानिंग नहीं की गई हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चौहान, कृपया अपने अनुपूरक प्रश्न पूछें।

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: मैंने इस बारे में माननीय मंत्री जी को एक पत्र भी लिखा था कि सैटेलाइट टाऊन की समस्याओं पर चर्चा करने और उन्हें हल करने के लिए आप उन क्षेत्रों के सांसदों की एक बैठक बुलाएँ और महज अधिकारियों पर ही निर्भर न रहें। यदि आप जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे तो कम से कम हम सांसद, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना के ज़रिए भी कुछ सहयोग कर सकते हैं, सरकार की कुछ मदद कर सकते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या यह सुझाव है या अनुपूरक?

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला बहुत गंभीर है। आने वाले समय में 50 प्रतिशत लोगों के पास पानी नहीं होगा और आधी जनता के पास बिजली नहीं होगी। राजधानी के आसपास के क्षेत्र डैवलप नहीं हो रहे हैं।

[अनुवाद]

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय की नजदीकी सैटेलाइट शहरों के सांसदों को बुलाकर हमारे सुझाव पर भी विचार करने की कोई योजना है ताकि इन सैटेलाइट शहरों को विकसित करने की दिशा में कुछ किया जा सके।

श्री राम जेठमलानी: मैं उन सभी सांसदों से लगातार सम्पर्क में हूँ जो इस विषय में रुचि लेते हैं। लेकिन, महोदय, माननीय सदस्य को काफी कम जानकारी है। वे सोचते हैं कि कुछ करोड़ रुपयों की समस्या है। यदि यह समस्या एक सौ करोड़ रुपयों की होती तो मैं देश भर में धूमकर भीख मांगकर और कर्ज लेकर यह सौ करोड़ रुपये जुटा लाता। यह सौ करोड़, हजार करोड़ या लाख करोड़ की समस्या नहीं है, बल्कि यह प्रश्न 150 लाख करोड़ रुपयों की है जिसकी इस योजना के लिए आवश्यकता है। क्या आप यह सोचते हैं कि संसद के पांच या छह सदस्य मिलकर 150 करोड़ रुपये जुटा सकते हैं? *...(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान: हम इस पर कम से कम योजना तो बना सकते हैं *...(व्यवधान)* हम आपसे केवल इस समस्या के समाधान के लिए संसद सदस्यों की बैठक बुलाने का अनुरोध कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

श्री राम जेठमलानी: माननीय सदस्यों को कम से कम समस्या की गहनता के संबंध में कुछ अंदाज होना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, योजना को धीरे-धीरे अमल में लाया जाना है। इसलिए उसके लिए एकदम इतने ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है जितना मंत्री जी बता रहे हैं। धीरे-धीरे हम उसको बना सकते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: मैं उन प्रत्येक संसद सदस्यों को, जो बैठक के लिए इच्छुक हैं, आमंत्रित करता हूं।

श्री बलराम जाखड़: इस प्रश्न से कई विचार प्रकाश में आए हैं और मैं समझता हूं कि सभा इस पर पूरी तरह उत्तेजित है। माननीय मंत्री जी उत्तर जानते हैं। हम जो भी योजना बना लें या कर लें जब तक की हम समस्या का जड़ से समाधान नहीं करते, जो जनसंख्या विस्फोट है, इसका समाधान नहीं हो सकता है। हमने इस पर पहले भी चर्चा की थी। प्रतिवर्ष इस देश की जनसंख्या में लगभग दो करोड़ की वृद्धि होती है। हम इस तरह कब तक चलेंगे? यह एक राष्ट्रीय समस्या है जो हम सबों के हित का मामला है।

हमने अपने देश के लिए कभी कुछ सकारात्मक करने की कोशिश नहीं की है। जब तक यह सरकार या यह सभा मिलकर इस जनसंख्या विस्फोट के लिए उपाय करने का निर्णय नहीं लेती है, कुछ भी नहीं होगा। आपने मुझसे यह वादा किया था कि आप इस विकट समस्या पर सभी दलों की एक बैठक बुलाएंगे। अत:, मैं आपसे इसका सकारात्मक उत्तर देने के लिए आग्रह करता हूँ कि आप कब यह करने जा रहे हैं। हम सभी—सभी राजनीतिक दल—एक साथ बैठकर कुछ सकारात्मक कार्य करें जिससे कि यह देश एक नये युग में प्रवेश करे। अन्यथा, हम किसी भी समस्या का चाहे यह आवास, सैटेलाइट शहर या और कोई अन्य हो, समाधान नहीं ढूंढ़ पाएंगे। सैकड़ों और करोड़ों लोग गाँवों में बेरोजगार हो रहे हैं। वे कहाँ जाएंगे? वे यहाँ आएँगे, गंदी बस्तियाँ बसाएंगे और हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न करेंगे। इसके अलावा, कई प्रकार की आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी। आप समस्या के बारे में जानते हैं। आपको इसका समाधान सकारात्मक तरीके से करना है।

श्री राम जेठमलानी: महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा कही गई एक भी बात से असहमत नहीं हूँ। उन्होंने जो कुछ भी कहा मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूं। जब तक हम इस मूलभूत तथा मुख्य समस्या का समाधान नहीं करते तब तक हम यदि आर्थिक विकास अथवा भीड़भाड़ को कम करने अथवा अन्य आर्थिक कदम उठाते हैं तो वे विफल ही हैं। मुझे हमेशा याद रहता है।

[हिन्दी]

तेज हवा ने मुझसे पूछा कि यह रेत पर क्या लिखते रहते हो।

[अनुवाद]

हम हर समय रेत पर लिख रहे हैं और कुछ भी नहीं होगा। जितनी जल्दी आप चाहें मैं बैठक बुलाने के लिए तैयार हूं। लेकिन पहले स्वयं को तैयार करो कि सभी राजनीतिक पार्टियों के पास इसका समर्थन करने के लिए नैतिक साहस हो। पिछली बार, आपने अपने भाषण में जनसंख्या नियंत्रण के बारे में कहा था। उसी भाषण में आपने शहरी भूमि सीमा अधिनियम को निरस्त करने की बात कही थी। लेकिन कल आपकी पूरी पार्टी सभा से बाहर चली गई और मेरा समर्थन नहीं किया *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, यह कोई जवाब नहीं है। ...*(व्यवधान)* आप जवाब दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री राम जेठमलानी: महोदय, यह समस्या है ...*(व्यवधान)* मैं, भावी कार्यवाही के लिए कुछ संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हूं।

महोदय, मैं अपने मित्र को आश्वस्त करता हूं कि हम इस तरह की बैठक करेंगे। मेरे मित्र की अपेक्षा से पहले यह बैठक होगी।

श्री अजित कुमार पांजा: महोदय, बहुत पहले डा. बी.सी. रॉय ने कलकत्ता के आसपास कल्याणी नामक सेटेलाइट शहर तथा सॉल्ट लेक जिसे अब विधान नगर कहा जाता है, के बारे में सोचा था। अब, मौजूदा सरकार ने कलकत्ता के पूर्वी महानगर बाईपाल की तरफ राजरहाट नामक सेटेलाइट शहर के बारे में सोचना शुरू किया है। मैं माननीय मंत्री से पूछ रहा हूं कि क्या कलकत्ता शहर के लिए कोई विशिष्ट योजना है और कल्याणी तथा सॉल्ट लेक जैसे पहले से ही मौजूदा सेटेलाइट शहरों को विकसित करने के लिए क्या योजना है ताकि कलकत्ता में जनसंख्या विस्फोट को निपटा जा सके? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या नौवीं योजना में इस विषय अर्थात् कलकत्ता शहर में समाधान के रूप म
सेटेलाइट शहरों और जनसंख्या विस्फोट के संबंध में कोई उल्लेख है?

श्री राम जेठमलानी: महोदय, जो योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत की गई है और जिसे अब तक आयोग से स्वीकृति नहीं मिली है, उसमें भारत के सभी महानगर तथा शहर शामिल हैं। इसमें कलकत्ता, मुम्बई तथा राजधानी दिल्ली शामिल हैं। इसमें प्रत्येक शहर शामिल है। परन्तु फिर भी समस्या बनी हुई है कि हमें धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। अपेक्षित धनराशि के आंकड़े चौकाने वाले हैं जिसका मैंने अभी-अभी उल्लेख किया है। जैसे ही धनराशि उपलब्ध होती है तो आश्वस्त रहिए कि कलकत्ता को नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि कलकत्ता एक महत्वपूर्ण शहर है जिसके कल्याण के बारे में हम विशेष रूप से चिंतित है।

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, श्री पांजा का प्रश्न बहुत विशिष्ट है। प्रश्न यह था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने राजरहाट में सेटेलाइट शहर की योजना तैयार की है।

इसे नया कलकत्ता का नाम दिया गया है। मैं समझता हूं कि यह प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास पहले ही आ चुका है और भारत सरकार को यह प्रस्ताव प्राप्त हो गया है। क्या मैं मंत्री जी से जान सकता हूं कि राजरहाट में नया कलकत्ता विकसित करने हेतु पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भेजे गए विशिष्ट प्रस्ताव के संबंध में भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है? यह बहुत विशिष्ट प्रश्न है। इसलिए मैं मंत्री जी से बहुत विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

श्री राम जेठमलानी: प्रश्न बहुत विशिष्ट है और इसलिए इसमें विशिष्ट उत्तर दिए जाने की आवश्यकता है। लेकिन इस तरह के प्रश्न में विशिष्ट सूचना की भी आवश्यकता है ...*(व्यवधान)* मेरे पास उत्तर नहीं है मैं वचन देता हूं कि मैं कल ही माननीय सदस्य को लिखूंगा।

श्री एन. जनार्दन रेड्डी: महोदय, मंत्री जी एक प्रतिष्ठित वकील है और इसलिए वे वास्तविक उत्तर दिए बिना हर चीज को इंकार कर सकते हैं। जो लिखित उत्तर उन्होंने दिया उसमें लिखा है:

> "नौवीं योजना में प्रारंभिक धनराशि के रूप में 100 करोड़ रुपये के आबंटन के लिए नई उपनगर विकास योजना, योजना आयोग को प्रस्तुत की गई थी।"

लेकिन अब वे कहते हैं कि यह 150 लाख करोड़ रुपये हैं। क्या 100 करोड़ रुपये में से 150 लाख करोड़ की राशि पैदा होगी अथवा इस संबंध में वास्तविक योजना क्या है? सेटेलाइट नगर शुरू करते समय भारत सरकार कहां तक इसमें शामिल है? आपकी समग्र योजना क्या है? मुझे उस संक्षिप्त योजना के बारे में भी बताएं जो माननीय मंत्री जी के विचार में है। उत्तर देते समय आप सभा को विश्वास में ले सकते हैं।

श्री राम जेठमलानी: मैं आपको योजना की मोटी-मोटी बातें बता दूं कि नवीन सरकारी निजी साझेदारी अपनाकर महानगरों के आसपास नए उपनगरों का नियोजित विकास होना चाहिए। अनुभव ने दिखाया है कि द्रुतगामी रेलगाड़ियों तथा सक्षम सरकारी परिवहन के साथ बड़े शहरों से उचित दूरी पर लगभग 40-60 कि.मी. की दूरी जिसका हम आकलन करते हैं—आत्मनिर्भर उपनगर से बिगड़ती हुई नागरिक संबंधी स्थिति का समाधान निकाला जा सकता है। वस्तुत:, मैंने योजना आयोग को बताया है कि छह-लेन वाली सड़क होनी चाहिए ताकि लोग कम से कम समय गंवाये बिना अपने कार्यस्थल तक पहुंच सके और महानगरों में रोजगार के स्थानों तक उनकी पहुंच होनी चाहिए। तदनुसार नौवीं योजना में

आर्थिक विकास के इंजन के रूप में नए उपनगरों के विकास तथा मौजूदा शहरों की भीड़भाड़ को कम करने के लिए प्रारंभिक धनराशि के प्रावधान पर विचार किया गया था। अब 100 करोड़ रुपये प्रारंभिक धनराशि है। प्रारंभिक धनराशि वह धनराशि नहीं है जिसे आप जमीन में डाल दें और उसमें से 150 लाख करोड़ रुपये उग आएं। यह, इतनी बेतुकी बात है कि मैं नहीं कह सकता। यह 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के लिए है और योजना तैयार की जानी है। यह इंजीनियरिंग कार्य है और देशभर में 100 उपनगर हैं और 100 परियोजनाएं तैयार की जानी हैं जिसके लिए उचित सर्वेक्षण किया जाना है और सभी तरह के संसाधनों का पता लगाया जाना है। इसमें लगने वाले श्रम के बारे में भी आपको पता है। इस प्रयोजन के लिए प्रारंभिक धनराशि के रूप में 100 करोड़ रुपये की धनराशि की आवश्यकता है। अत:, हम कह सकते हैं कि 100 करोड़ रुपये की प्रारंभिक धनराशि केवल परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए है और परियोजना क्रियान्वित करने हेतु 150 लाख रुपये की लागत आएगी। इतनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। निश्चित कर लेना कि मैं धनराशि की प्रतीक्षा कर रहा हूं और अकस्मात् यदि मैं सफल होता हूं तो यह योजना आपकी अपेक्षा से कहीं पहले शुरू हो जाएगी।

डा. सरोजा वी.: महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहती हूं कि क्या वे महानगरों के आसपास नए उपनगरों की योजना बनाने तथा विकसित करने हेतु 150 लाख करोड़ रुपये के व्यय को व्यवस्था करने हेतु अप्रवासी भारतीयों को योगदान देने के लिए आमंत्रित करेंगे।

श्री राम जेठमलानी: बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु बहुत पहले 1992 में अप्रवासी भारतीयों को आमंत्रित किया गया था। अप्रवासी भारतीयों द्वारा सीधे विदेश निवेश तथा उन कम्पनियों जिनमें भारतीय मूल के लोग हैं तथा उन्हें इसमें पर्याप्त रुचि है, को यहाँ आने की अनुमति दी गई थी तथा इस तरह की परियोजनाओं में शत प्रतिशत निवेश करने दिया गया था। उन्हें रियायत दी गई थी। उन्हें बताया गया कि उनके लाभ तत्काल उनके देश भेज दिए जाएंगे और उनकी पूंजी लगभग तीन वर्ष की अ. धे के लिए रोकने के अलावा कोई प्रतिबंध नहीं होगा। परंतु, दुर्भाग्य से इस योजना की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहवर्धक नहीं रही है। वर्ष 1993 से 1999 से हमें केवल 550 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है *...(व्यवधान)*

श्री इन्द्रजीत गुप्त: उन्हें यहां आने में हिचकिचाहट क्यों हो रही है?

श्री राम जेठमलानी: घटिया प्रचार के कारण शायद उन्हें हिचकिचाहट हुई थी। दूसरा, उन्होंने इस देश में अपरिवर्तनीय रूप से तीन समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया था और ये तीन समस्याएं निम्नलिखित हैं। जहां कहीं भी मैं वहां गया मेरे सामने यह समस्याएं आईं। पिछले महीने मैं बीस दिन के लिए बाहर गया हुआ था। मैंने कनाडा, अमरीका तथा यूरोप का दौरा किया। मैंने अप्रवासी भारतीयों और दिलचस्पी लेने वाली सभी कम्पनियों से बात की। उन्होंने बताया कि मार्ग में तीन बड़ी कठिन बाधाएं हैं। पहला यह है कि वे हमारे कानूनों की अधिकता तथा जटिलता से घबराए हुए हैं। दूसरा वे हमारी परियोजनाएं स्वीकृत होने के बाद भी उन्हें पारित कराने में हमारी प्रक्रिया की जटिलता से घबराए हुए हैं। और तीसरा अप्रवासी काउंटर पर उनसे जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, अशिष्टता बरती जाती है और भारत में जिन लोगों के साथ उन्हें परस्पर मिलना अथवा सामंजस्य स्थापित करना होता है, उन लोगों के लगभग उदासीन रवैये की वे गंभीरतापूर्वक शिकायत करते रहे हैं। हम उन्हें आश्वस्त करते रहे हैं ये तीनों बाधाएं बिलकुल दूर कर दी गई हैं और हम उनके साथ शाही व्यवहार करेंगे। बीस दिन के मेरे दौरे के बाद अप्रवासी भारतीय यहां चुके हैं। निर्माण कम्पनियां यहां हैं। मैं उनके साथ बैठ कर बातचीत कर रहा हूं। मैं परियोजनाओं का पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। एक अकेला अप्रवासी भारतीय अपने साथ हजारों करोड़ रुपये लेकर यहां आया है। वह कहता है कि वह यहां निवेश करना चाहता है। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस परियोजना में उन्हें लगवाऊँ। यह बात नोट करने लायक है कि गत पांच वर्षों में केवल 550 करोड़ रुपये ह। आये हैं। मेरी 20 दिन की यात्रा और अप्रवासी भारतीयों को मेरे आश्वासन के कारण अनेक अप्रवासी भारतीय तैयार हो गए हैं जो मेरे कार्यालय में बैठे हैं। मैं उनसे बातचीत की कोशिश कर रहा हूं। मैं अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा हूँ।

सिर पर मैला ढोने वालों के लिए पुनर्वास

***184. प्रो. जोगेन्द्र कवाड़े:**
श्री बूटा सिंह:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1998-99 के दौरान सिर पर मैला ढोने वालों की मुक्ति और पुनर्वास के लिए बनाए गए कार्यक्रमों के वित्त-पोषण के लिए बजट आकलन में कितनी धनराशि नियत की गयी;

(ख) इस राशि में से अब तक कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) क्या शेष धनराशि वित्त मंत्रालय को वापस लौटा दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) इस योजना के लिए वर्ष 1998-99 के बजट आकलन में 90.00 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

(ख) 5.90 करोड़ रुपये की राशि का उपयोग किया गया है।

(ग) 90.00 करोड़ रुपये के कुल आबंटन में से 35.00 करोड़ रुपये की राशि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के प्रति पुनर्विनियोजित की गई है। तथापि, वर्ष 1998-99 के संशोधित अनुमान के तहत इस योजना के अंतर्गत 20.00 करोड़ रुपये का आबंटन निर्धारित किया गया है जिसमें से कोई राशि वापस लौटायी नहीं गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) राज्य सरकारों को उक्त योजना के अंतर्गत उनके पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि व्यय करने के लिए समय-समय पर सलाह दी जाती है।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने 1998-99 के बजट में 90 करोड़ रुपये का प्रावधान होने की बात कही है, लेकिन उसमें से केवल 5.90 करोड़ रुपये का ही इस्तेमाल किया गया है। 90 करोड़ रुपये में से 35 करोड़ रुपये भंगी मुक्ति योजना के अलावा पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए विनियोग किए गए। मैं आपके जरिए सरकार से पूछना चाहता हूं कि जहां जानवरों के लिए, गऊशालाओं के लिए 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाता है, लेकिन भंगी मुक्ति योजना के लिए, सफाई मजदूरों की भलाई के लिए जो 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, उसे खर्च नहीं किया गया, बल्कि उसमें से भी केवल छः करोड़ रुपये के करीब इस्तेमाल किया जाता है

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा. असीम बाला: यह अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला है। अब इस बजट का अन्य धनराशि के लिए उपयोग किया गया है। इस प्रकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा सिर पर मैला ढोने वालों के साथ अन्याय किया गया है। यह सरकार के लिए शर्म की बात है।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: गोशालाओं के लिए, जानवरों के लिए आप इतना प्रावधान करते हैं, उसकी हमें खुशी है. लेकिन जो हमारे सफाई मजदूर हैं, क्या वे उनसे भी गए-बीते हैं। सफाई मजदूर जो सिर पर मैला ढोते हैं, उससे मुक्ति दिलाने के लिए आपने 90 करोड़ रुपए दिए, उसमें से 35 करोड़ रुपए किस कारण पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप के लिए आबंटित किए गए?

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें, भाषण न दें।

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कवाडे, आप केवल अपना प्रश्न पूछें। अन्यथा मैं आपका प्रश्न स्वीकार नहीं करूंगा। कृपया इस बात को समझो। आप भाषण कैसे दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: 90 करोड़ रुपये में से 35 करोड़ रुपये उधर दे दिये और सफाई मजदूरों के लिए केवल 5 करोड़ 90 लाख रुपये खर्च किए गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको पुनः बता रहा हूँ कि आप केवल अपना प्रश्न पूछें। अन्यथा मैं आपका प्रश्न स्वीकार नहीं करूंगा। यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे: मेरा प्रश्न यह है कि ये 35 करोड़ रुपये क्यों डाइवर्ट किए गए?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, इस योजना को इस तरीके से चलाया जाता है कि प्रत्येक राज्य का राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम चैनालाइजिंग एजेन्सी हैं और उन्हें केन्द्र से धन मांगना पड़ता है। अब इस विशेष योजना के लिए वर्ष 1998-99 के लिए वे 86.19 करोड़ रुपये मांग रहे थे। तथापि उनके पास 139.38 करोड़ रुपए की पिछली खर्च न की गई राशि शेष थी। दो राज्यों के पास खर्च न की गई राशि शेष थी जो उस राशि से कम थी जिसकी उन्होंने मांग की थी। वे असम और महाराष्ट्र राज्य थे। लेकिन उनके विशेष आंकड़ों में कुछ विसंगतियां थी। अन्य किसी भी एक राज्य के खाते में खर्च न की गई राशि उस राशि से अधिक नहीं है, जिसकी उन्होंने मांग की थी।

मैं आपको एक उदाहरण दूंगी। आंध्र प्रदेश ने 2.64 करोड़ रुपये की मांग की थी। उनके पास 5.5 करोड़ रुपये की खर्च न की गई राशि शेष थी। बिहार ने 11 करोड़ रुपए की मांग की थी और उनके खाते में पहले ही 11 करोड़ रुपये की खर्च न की गई राशि पड़ी थी। केरल ने 13 करोड़ रुपए मांगे थे। उनके पास पहले ही 34 करोड़ रुपए की खर्च न की गई राशि शेष थी।

महाराष्ट्र ने 9 करोड़ रुपए की मांग की थी। जैसा कि मैंने कहा उनके पास 4 करोड़ रु. की खर्च न की गई राशि पहले ही पड़ी थी। तथापि उनके खातों में कुछ विसंगति थी। इसलिए, हमने कोई राशि नहीं दी क्योंकि राज्य अनुसूचित जाति निगम ने राशि को दूसरे काम में लगाकर उसका दुरुपयोग किया है।

मध्य प्रदेश ने 12 करोड़ रुपये मांगे थे। उनके खाते में पहले ही 28 करोड़ रुपये पड़े हैं। उड़ीसा ने 12 करोड़ रुपये की मांग की थी। उनके खाते में 6 करोड़ रुपये पड़े थे। हमने उन्हें धनराशि दे दी। अगर बची हुई राशि उनके द्वारा मांगी हुई राशि से कम है तो हमने राशि दे दी है। राजस्थान ने 9 करोड़ रुपए की मांग की थी। उनके खाते में 17 करोड़ रुपए पड़े हैं। उत्तर प्रदेश ने 22 करोड़ रुपये मांगे थे। उनके खाते में 53 करोड़ रुपए पड़े हैं ...*(व्यवधान)*

आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति के लिए इस धनराशि का प्रयोग क्यों किया गया?

हमने राशि जारी की क्योंकि हमारे पास 65 करोड़ रुपए थे। परन्तु राज्यों से और राशि की मांग की गई थी। अनसूचित जातियों के लिए शिक्षा का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मुझे और मेरे मंत्रालय को गहन रुचि है। हमारे पास जो 65 करोड़ रुपये थे इसके विपरीत राज्यों ने 125 करोड़ रुपये की मांग की थी। इसलिए, हमने इस ओर 35 करोड़ रुपए और लगा दिए। अत: हमने 35 करोड़ रुपए और मिला दिए जिसको मिलाकर 100 करोड़ रुपए हो गए।

[हिन्दी]

प्रो. जोगेन्द्र कवाडे : अध्यक्ष महोदय, सोशल जस्टिस मंत्रालय की तरफ से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बच्चों को पोस्ट मैट्रिक स्कौलरशिप के लिए जो प्रावधान होता है, अगर वह प्रावधान कम हो तो उसे बजट में बढ़ाया जा सकता है। लेकिन सफाई मजदूरों के लिए जो प्रावधान किया गया, उसमें से पोस्ट मैट्रिक स्कौलरशिप के लिए पैसा दिया गया, यह ठीक नहीं है। जवाब में कहा गया कि राज्य सरकारों को इस योजना के अंतर्गत उनके पास खर्च नहीं की गई शेष राशि को व्यय करने के लिए समय-समय पर सलाह दी गई लेकिन केन्द्र सरकार द्वारा सलाह देने के बाद भी राज्य सरकारों ने उस सलाह को नहीं माना, उस सलाह के अनुसार काम नहीं किया और सफाई मजदूरों की भलाई के लिए काम नहीं किया। क्या मंत्री महोदय ने या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से इस बात का जवाब मांगा है कि उन्होंने उसके अनुसार काम क्यों नहीं किया। अगर राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार की सलाह अनुसार काम नहीं किया तो उन राज्य सरकारों के खिलाफ मंत्री महोदय ने क्या कार्रवाई की, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, जैसाकि मैंने कहा है हमने राज्यों को बार बार लिखा है। हमने यह पूछने के लिए कि उस राशि को खर्च क्यों नहीं किया गया। राज्यों से मंत्रियों और अधिकारियों के निम्नलिखित दलों को बुलाया है और मैंने यह कार्यवाही की है कि जब तक वह राशि खर्च नहीं की जाती मैं और अधिक राशि नहीं दूंगी। इस देश की राशि को मैं बरबाद नहीं करना चाहती।

श्री यू.वी. कृष्णमराजु: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदया ने आंध्र प्रदेश के बारे में कुछ कहा था। मुझे माफ कीजिए मैं उसे सुन नहीं सका। क्या आंध्र प्रदेश राज्य के पास व्यय न की गई कोई राशि है?

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

...(व्यवधान)

श्री यू.वी. कृष्णमराजु: महोदय, आंध्र प्रदेश राज्य में भी बड़ी संख्या में अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां रहती हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे स्थानीय विधायकों और संसद सदस्यों को शामिल करके समुचित निगरानी तन्त्र के साथ आबंटित धनराशि को पूर्णत: खर्च करने के लिए राज्य सरकार से आग्रह करेंगी।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, जहां तक आंध्र प्रदेश की बात है, उन्होंने 264.82 लाख रुपयों की सहायता की मांग की थी और उनके पास व्यय न की गई शेष राशि 5,05,44,000 रुपए है।

माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया गया है। वहाँ पहले ही निगरानी और मूल्यांकन तंत्र उपलब्ध है। तन्त्र यह है कि एक केन्द्रीय निगरानी समिति है जिसमें हमारे अधिकारी पूरे भारत में यह देखने के लिए जाते हैं कि क्या किया जा रहा है, एक राज्य स्तरीय निगरानी समिति है, एक जिला स्तरीय निगरानी समिति है और वहां स्थानीय निकाय स्तरीय निगरानी समितियां भी हैं उदाहरणार्थ केन्द्रीय निगरानी समिति का अध्यक्ष सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का सचिव होता है और इसके सदस्य निम्नलिखित से होते हैं–शहरी कार्य मंत्रालय, लघु उद्योग, ग्रामीण विकास, शिक्षा, बैंकिंग विभाग और योजना आयोग और राज्य सरकारों के चार सचिव। अब माननीय सदस्य का यह सुझाव कि संसद सदस्यों को शामिल किया जाना चाहिए बहुत अच्छा है। मैं इस पर विचार करूंगी।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे सदन के सम्मानित सदस्यों की जिज्ञासा भी है कि इस पर हम सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछें। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी पूछना चाहूंगा कि जो धन खर्च नहीं किया गया है उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? आपने सभी निगरानी तंत्रों की बात कही है, इसकी मॉनिटरिंग तमाम विभाग के अधिकारी या इंस्पेक्टर करते हैं और इसका पूरा पैसा कई राज्यों में खर्च नहीं हुआ है, क्या आप ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी? दूसरी बात यह है कि पूरे बजट का सदुपयोग कैसे हो, क्या इसके लिए मंत्री जी कोई प्रावधान करेंगे?

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि हमने अतिरिक्त राशि न देने की कार्यवाही की है। आप जानते हैं कि प्रत्येक राज्य के राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के लोग शामिल हैं। अब प्रत्येक निगम को अलग-अलग बुलाया जा रहा है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार : मेरा कहना है कि क्या आप उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री शैलेन्द्र कुमार, यह क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदया को बोलने दीजिए और बाधा मत डालिए।

श्रीमती मेनका गांधी: विशेष मामलों में, जैसाकि महाराष्ट्र में जहां हमने विसंगतियां पाई हैं, हमने विशेष अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने का आदेश दिया है।

अन्य मामलों में, हमने कार्यवाही करने और प्रक्रिया को तेज करने के लिए मुख्यमंत्रियों को लिखा है। अब, सभी योजनाएं राज्य निगमों द्वारा तैयार की जा रही हैं। हम हमेशा उनके साथ निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं।

डा. असीम बाला: महोदय, जहां तक सामाजिक प्रणाली की बात है यह बहुत महत्वपूर्ण है और गंभीर प्रश्न है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: महोदय, सभी माननीय सदस्यों की जिज्ञासा है इसलिए इस पर आधे घंटे की चर्चा कराई जाए।

[अनुवाद]

डा. **असीम बाला:** मैं एक विशेष प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या सरकार उन चूकों के मामलों की जांच करने के लिए किसी समिति का गठन करेगी?

दूसरे, क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ, जो राज्य के प्रति उत्तरदायी हैं और जिनकी ओर से चूक की गयी है, कोई कार्यवाही करेगी? स्वयं राज्य सरकार ने क्या कार्यवाही की है? इस परियोजना में तेजी लाने के लिए उन्होंने क्या प्रक्रिया अपनाई है?

मैं मंत्री से बजट के अन्यत्र उपयोग के बारे में भी जानना चाहूंगा। इसे संसद द्वारा पारित किया गया है। किस प्राधिकारी ने इस धनराशि का उपयोग अन्य क्षेत्रों अथवा अन्य परियोजनाओं के लिए किया है।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदया, क्या आप उत्तर देना चाहेंगी?

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, प्रश्न धनराशि के अन्यत्र उपयोग का नहीं है। प्रश्न यह है कि इसे अधिक व्यापक बनाने के लिए हमने इस योजना में संशोधन किया है जैसा कि मैंने कहा है इस वर्ष 20 करोड़ रुपए की राशि है ...*(व्यवधान)* आपने मुझसे पुन: यह प्रश्न पूछा है कि अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है अब इस स्थिति में अधिक से अधिक मैं केवल यही कार्यवाही कर सकती हूं कि हमने निरन्तर उनके पास अपने पत्र भेजे हैं।

डा. असीम बाला: महोदया नहीं, मैं इसे पुन: स्पष्ट कर सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय: डा. असीम बाला, यह अच्छा नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

***185. श्री विट्ठल तुपे:**
श्री ए. वेंकटेश नायक:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हुए गांवों को राज्यवार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इस कार्यक्रम की उपलब्धियां संतोषजनक रही हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त कार्यक्रम के लिए महाराष्ट्र और कर्नाटक को कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम देश के सभी गांवों में कार्यान्वित किया जा रहा है। वास्तव में कवर किए गए गांवों की राज्यवार विशिष्ट संख्या मानीटर नहीं की जाती है।

(ख) और (ग) कार्यक्रम की उपलब्धि कुल मिलाकर संतोषजनक रही है। विगत कुछ वर्षों में प्रति परिवार निवेश और ऋण जुटाने तथा सब्सिडी ऋण-अनुपात में पर्याप्त वृद्धि हुई है। समवर्ती मूल्यांकन और विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्यक्रम की निरंतर समीक्षा की जाती है। इनके आधार पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सुधार लाने के लिए अनेक पहलें की गई हैं–जैसे प्रति परिवार निवेश के उच्च स्तर पर बल देना, परिवार ऋण योजना का विस्तार, सामूहिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, प्रतिभूति मुक्त ऋणों की अधिकतम सीमा को बढ़ाना, नकद वितरण योजना का विस्तार तथा कार्योत्तर सब्सिडी प्रणाली का कार्यान्वयन।

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान महाराष्ट्र तथा कर्नाटक सरकार को जारी निधियों का केन्द्रीय अंश निम्नानुसार है:

(रुपए लाख में)

वर्ष	महाराष्ट्र	कर्नाटक
1995-96	3991.26	2883.11
1996-97	4717.02	2285.61
1997-98	4566.80	2542.58

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे: जो निधि केन्द्र सरकार से महाराष्ट्र सरकार को जारी की गई, उसका कितना प्रतिशत यूटिलाइजेशन 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के तीन सालों में हुआ?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1995-96 के दौरान 3996 लाख रुपए, 1996-97 के दौरान 4717 लाख रुपये तथा 1997-98 के दौरान 4566 लाख रुपये जारी किए गए थे। अतएव, ध्यान गुणवत्ता पर दिया गया है न कि शशि पर।

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे: अभी आप प्रतिशत नहीं बता रहे हैं, लेकिन इतना तो बता दीजिए कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले तीन सालों में कितना खर्च किया है?

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी: महोदय, उनकी नजर मुख्य उत्तर पर है। अनुपूरक प्रश्न तो अलग है।

श्री बाबागौड़ा पाटील: वर्ष 1996-97 के दौरान महाराष्ट्र में 1,61,018 परिवारों को सहायता दी गई, जिसमें राजसहायता की मात्रा 94 करोड़ रुपये थी तथा ऋण की मात्रा 174 करोड़ रुपये थी।

श्री ए.सी. जोस: मंत्री महोदय उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे: मैंने आपसे एक स्पैसिफिक प्रश्न पूछा है कि जितना पैसा केन्द्र सरकार की तरफ से गया है उतना महाराष्ट्र में खर्च नहीं हुआ है, आप उसके बारे में बताएं।

[अनुवाद]

श्री अजीत जोगी: महोदय, कृपया सदस्य को संरक्षण दें। वे कुछ और पूछ रहे हैं तथा मंत्री कुछ और उत्तर दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य ने एक विशिष्ट प्रश्न पूछा है तथा माननीय मंत्री एक विशिष्ट उत्तर दे रहे हैं।

श्री अजीत जोगी: नहीं महोदय, कृपया माननीय सदस्य को संरक्षण दें। वे एक अनुपूरक प्रश्न पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको भी संरक्षण दे रहा हूं।

श्री ए.सी. जोस: उन्होंने पूछा था कि कितना पैसा आबंटित किया गया था तथा कितना पैसा खर्च किया गया था। माननीय मंत्री का उत्तर भिन्न है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, मैं उसके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। महाराष्ट्र के लिए वर्ष 1996-97 के दौरान राजसहायता मद पर जारी की गई राशि 94 करोड़ रुपये थी, वर्ष 1997-98 में राजसहायता मद में जारी की गई राशि 93 करोड़ रुपये थी तथा ऋण की मात्रा 188 करोड़ रुपये थी, तथा वर्ष 1998-99 में राजसहायता मद में जारी की गई धनराशि 63 करोड़ रुपये थी तथा जारी की गई ऋण की मात्रा 124 करोड़ रुपये थी।

[हिन्दी]

श्री विट्ठल तुपे: अध्यक्ष महोदय, पूरे देश में जितना एलोकेशन होता है उतना यूटिलाइजेशन नहीं होता। वर्ष 1997 में 1133.51 करोड़ रुपये का एलोकेशन हुआ था और 1086.59 करोड़ रुपये खर्च हुआ, तथा 47 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ। जो स्टेट्स एलोकेशन होने के बाद खर्च नहीं करते हैं उनके बारे में सरकार क्या कदम उठाती है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य अच्छी तरह जानते हैं कि बैंकर्स लाभार्थियों को ऋण देने में झिझकते हैं। हमने हाल ही में इसका समाधान सुझाने हेतु एक समिति का गठन किया है।

श्री सी. गोपाल: माननीय अध्यक्ष महोदय, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम विशेषरूप से राज्यों में प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों के माध्यम से लागू किया जाता रहा है। गत समय माननीय मंत्री ने बताया कि इस योजना के लिए एक समिति गठित की जाएगी तथा इन समितियों की अध्यक्षता संसद सदस्यों द्वारा की जायेगी। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूँगा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के माध्यम से योजना स्वीकार करने के लिए क्या कोई समिति बनाई जायेगी या सरकार संसद सदस्यों की अध्यक्षता में किसी समिति का गठन करने के लिए आगे आएगी।

अध्यक्ष महोदय: श्री गोपाल, इसका पहले ही उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सी. गोपाल: नहीं महोदय *...(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, 40 जिलों को छोड़कर सभी जिलों ने हाल में समितियों का गठन किया है। मैंने इस संबंध में सभी राज्यों से पत्र प्राप्त किये हैं *...(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल: महोदय, विशेषरूप से तमिलनाडु में संसद सदस्यों का अनादर होता है। इसलिए, मैं संसद सदस्यों की अध्यक्षता में समिति का गठन कराने की मांग कर रहा हूं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, मैंने राज्य सरकारों से पत्र प्राप्त किए हैं। *...(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल: और उन्होंने उत्तर दिया है कि अब तक ऐसी कोई समिति नहीं है। तमिलनाडु सरकार द्वारा संसद सदस्यों को अपमानित किया जा रहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय मंत्री, कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय 40 जिलों को छोड़कर 516 जिलों में से सभी के जिला ग्रामीण विकास अधिकारियों ने माननीय सदस्यों को शामिल करके एक निगरानी समिति का गठन किया है *...(व्यवधान)*

श्री सी. गोपाल: संसद सदस्यों के बारे में क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, समिति में संसद सदस्य तथा राज्य विधान सभा के सदस्य शामिल हैं।

श्री ए. वेंकटेश नायक: महोदय, सरकार समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करके देश के उन गरीब लोगों के स्तर को ऊपर उठा रही है जिनकी वार्षिक आय 11,000 रुपए है। वर्ष 1980 से, सरकार ने योजना के कार्यान्वयन पर राजसहायता के रूप में लगभग 11,000 करोड़ रुपये खर्च किये हैं। लेकिन लाभार्थियों की स्थिति 1980 के पूर्व की तरह यथावत है क्योंकि अधिकांश पैसा बिचौलिए द्वारा हड़प लिया गया है।

मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने केन्द्रीय निधि के उचित वितरण का कोई सर्वेक्षण कराया है; और दूसरे, क्या सरकार इसके क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देश में कोई परिवर्तन पर विचार कर रही है।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, सरकार योजना का समय-समय पर मूल्यांकन करती है, निगरानी करती है तथा धनराशि के दुरुपयोग के खिलाफ कार्यवाही करती है।

जहाँ तक माननीय सदस्य के प्रश्न के दूसरे भाग का संबंध है, हम कार्यक्रम का पुनर्गठन करने जा रहे हैं क्योंकि कुछ लोग ऋण प्राप्त कर रहे हैं लेकिन वे प्रशिक्षण नहीं पा रहे हैं तथा कार्यक्रमों के बीच बाजार संबंध भी नहीं है। अतएव, स्वरोजगार कार्यक्रम की सुविधा प्रदान करने तथा क्रियान्वयन प्राधिकरण को और ज्यादा लचीला बनाने के लिए हम कार्यक्रम का पुनर्गठन कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न यह था कि देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वित हुए गांवों की राज्यवार कितनी संख्या है? माननीय मंत्री जी ने उनकी राज्यवार संख्या नहीं बताई है, परन्तु महाराष्ट्र और कर्नाटक को कितना केन्द्रीय अंशदान मिला है, केवल उसका जिक्र है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि इसकी मध्य प्रदेश में क्या स्थिति है, उसे कितना केन्द्रीय अंशदान मिला और उसका कितना उपयोग हुआ? दिक्कत यह है कि योजनाएं केन्द्र सरकार की हैं और खर्च करने की जवाबदेही राज्य सरकारों की है लेकिन राज्य सरकारें पैसा खर्च नहीं कर रही है। जिस मद के लिए पैसा जाता

है, उसे वहां खर्च न कर दूसरी मदों पर खर्च किया जाता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में इस मद के तहत कितनी राशि दी गई और उसका कितना उपयोग हुआ?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उनका अनुपूरक प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, उनका अनुपूरक प्रश्न मध्य प्रदेश से संबंधित है। अतएव, मैं इसके लिए अलग से नोटिस चाहता हूं।

डा. रवि मल्लू: महोदय, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन में प्रशासन लगातार लाभार्थियों को दी जाने वाली समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की धनराशियों के वितरण पर ध्यान केन्द्रित कर रहा है। तथाकथित समितियाँ, जो जिला स्तर पर गठित की गई हैं तथा जिनके संसद सदस्य तथा विधायक भी सदस्य हैं, वे केवल यह देखती हैं कि धन किस प्रकार वितरित होता है लेकिन कोई भी समिति नहीं है जो यह देखे कि वितरित धन का लाभार्थियों द्वारा उचित क्रियान्वयन तथा उपयोग हो। इसलिए, 1980 से सभी राज्यों में क्रियान्वित समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का अच्छा परिणाम नहीं आ रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या समिति बनाने की कोई ऐसी योजना या प्रस्ताव है जो यह देखे कि वितरित धन का लाभार्थियों द्वारा उचित उपयोग किया जाता है।

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, मैं माननीय सदस्य की भावना को समझता हूं। हम समितियों का गठन करने जा रहे हैं। राज्य सरकारों ने पहले ही लिखा है कि उन्होंने संसद सदस्यों तथा विधायकों को शामिल करके पहले ही समितियों का गठन किया है। *...(व्यवधान)*

डा. रवि मल्लू: अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रत्येक चीज स्पष्ट की है। केवल आई.आर.डी.पी. की धनराशि के वितरण के लिए समितियां हैं*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रवि मल्लू, वे केवल समितियों के बारे में स्पष्ट कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री बाबागौड़ा पाटील: हमने सभी राज्य सरकारों से कहा है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं आपको हमेशा अध्यक्षपीठ, न कि सदस्य को सम्बोधन करने के लिए कह रहा हूं। यह समस्या है।

...(व्यवधान)

श्री बाबागौड़ा पाटील: सभी राज्य सरकारों ने उत्तर दे दिये हैं *...(व्यवधान)*

श्री अब्दुल हमीद: महोदय, यह गंभीर मामला है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: डा. रवि मल्लू, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आपने अपना अनुपूरक प्रश्न पूछ लिया है। अब आप यहां क्यों खड़े हैं। आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री यहां उपस्थित हैं।

श्री बाबागौड़ा पाटील: उन्होंने हमें पत्र लिखा है कि उन्होंने संसद सदस्यों और विधायकों को शामिल करके समितियों का गठन किया है *...(व्यवधान)*

डा. रवि मल्लू: महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: समितियां गठित की जा रही हैं और संसद सदस्य उनके सदस्य हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के हाल ही में किये गये दौरे के दौरान यह देखा है कि ग्रामीण निर्धन व्यक्ति और निर्धन किसान भी बैंकों द्वारा समय पर उनके ऋण के आवेदन पत्रों को स्वीकृति प्रदान न करने के कारण मेरे समक्ष रो रहे थे और चिल्ला रहे थे। महोदय, खंड विकास अधिकारी और पंचायत अधिकारी उनके आवेदन पत्रों को छांटकर उनके बारे में सिफारिश करते हैं। वे बैंकों को आवेदन पत्र भेज रहे हैं लेकिन बैंक समय पर ऋण सुविधा देने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री बाबागौड़ा पाटील: यह आम शिकायत है। इसलिए हमने इस उद्देश्य के प्रयोजनार्थ पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सुझाव देने हेतु डा. जयंत माधव की अध्यक्षता में हाल ही में समिति का गठन किया है।

अध्यक्ष महोदय: श्री महेश्वर सिंह

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, राज्य सरकार की इन समितियों के बावजूद वे आगे नहीं आ रहे हैं। आप इसमें क्या करने जा रहे हैं। इसके लिए आपके पास क्या तंत्र है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, आज सरकार की नीति के अनुसार देश के ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास कार्य ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों के माध्यम से करवाये जा रहे हैं लेकिन ग्रामीण विकास विभाग स्तर पर.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री टी.आर. बालू कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, राज्य सरकार राज सहायता दे रही हैं इसलिए उन्हें उत्तर देना चाहिए। मैं मंत्री महोदय से एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि वे क्या कर रहे हैं। महोदय ग्रामीण निर्धन व्यक्ति और गरीब किसान चिल्ला रहे हैं। आई.आर.डी.पी. क्रियान्वित करने का क्या लाभ है। *...(व्यवधान)*

श्री बाबागौड़ा पाटील: महोदय, समिति से रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात हम कार्यवाही करेंगे।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि आज सरकार की नीति के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश विकास कार्य ग्रामीण विकास विभाग और पंचायतों के माध्यम से करवाये जा रहे हैं लेकिन ग्रामीण विकास विभाग स्तर पर तकनीकी स्टाफ और सुपरवाइजरी स्टाफ के अभाव के फलस्वरूप ये योजनायें समय पर कार्यान्वित नहीं होती हैं। इसमें चाहे जवाहर रोजगार योजना हो या ग्रामीण विकास विभाग की अन्य योजनायें हों।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपका अनुपूरक प्रश्न क्या है। समय नहीं है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री महेश्वर सिंह: इसके अतिरिक्त सांसद स्थानीय निधि योजना और प्रदेश की अन्य योजनायें भी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि विकास विभाग स्तर पर समुचित स्टाफ की व्यवस्था की जाये ताकि सरकार की जितनी भी योजनायें हैं, वे समय रहते कार्यान्वित हो सकें, इसके लिए सरकार क्या कर रही है?

[अनुवाद]

श्री बाबागौड़ा पाटील: उसके लिए एक अलग कार्यक्रम है। निपुणता उन्नयन के लिए हमारे पास एक 'ट्राइसेम' नामक कार्यक्रम है। वे आई.आर.डी.पी. लाभार्थियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं।

विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ करार

***186. श्री बालासाहिब विखे पाटील:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष अनेक शिक्षण संस्थानों ने अपने तरीके से विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो संस्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इनके कार्यकलापों पर सरकार का कोई नियंत्रण रहता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) विदेशी विश्वविद्यालयों का संचालन कार्य अभी हाल ही में शुरू हुआ है। इस संबंध में विशिष्ट ब्यौरे सरकार के पास उपलब्ध नहीं हैं। हां, सरकार को इस तथ्य की जानकारी है और अन्य बातों के साथ-साथ इस प्रकार की पैदा होने वाली स्थिति से निपटने के लिए विश्वविद्यालय नियमन के पहलुओं की जांच करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है। टास्क-फोर्स ने सरकार की जांच हेतु अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो टास्क फोर्स आपने बनाई थी, उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं? तीन साल से यह मामला चल रहा है। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी जापान की सोफिया यूनिवर्सिटी के साथ ऐग्रीमेंट किया है और कुछ निजी संस्थाएं भी अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस की यूनिवर्सिटीज से ऐग्रीमेंट कर रही हैं। क्या आपके यहां इनका कोई रजिस्ट्रेशन होता है? जो विदेशों से सहायता लेता है, क्या मानव संसाधन विकास विभाग में

[अनुवाद]

पंजीकरण की एक प्रणाली है। क्या आप पंजीकरण प्रणाली शुद्ध करने जा रहे हैं? इसके अतिरिक्त कार्यक्रम समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं?

[हिन्दी]

डा. मुरली मनोहर जोशी: अध्यक्ष जी, विश्वविद्यालयों के बाहरी विश्वविद्यालयों से आपसी समझौते के अनुसार जो संबंध होते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं होता क्योंकि विश्वविद्यालय राज्य सरकारों द्वारा चलते हैं। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा यदि ऐसे कोई समझौते होते हैं तो उसकी जानकारी हमें मिलती है। लेकिन जहां ऐक्ट के मुताबिक, विश्वविद्यालयों के कानून के मुताबिक कोई समझौता होता है, वह समझौता जायद है। कठिनाई तब आती है जब कुछ बाहरी विश्वविद्यालय यहां निजी एजेन्ट्स के द्वारा अपने कोर्सेज चलाते हैं। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी शक्ति नहीं थी कि हम उनको प्रतिबंधित कर सकें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए हमने जो टास्क फोर्स बनाई, वह इसीलिए बनायी कि वह हमें बताएं कि हम किस प्रकार से ऐसी शक्ति संपादित कर सकें कि इन विश्वविद्यालयों की अनियमित कार्यवाहियों पर रोक लगाएं। उनकी सिफारिशों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम में उचित संशोधन सुझाए गए हैं जिन पर हम विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस बारे में हम एक कानून लाएंगे।

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता था कि टास्क फोर्स की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जब दुनिया में पूरी शिक्षा में परिवर्तन हो रहा है, हिन्दुस्तान में एग्रीमेंट के तहत परिवर्तन हो जाता है, उसमें यह नियंत्रण हटाने के लिए क्या सरकार सोच रही है? अगर नहीं तो उसका कारण क्या हैं?

डॉ. मुरली मनोहर जोशी: सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया है कि शिक्षा का व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। दूसरा पहलू यह भी है कि बहुत से लोग बाहर से आएं और यहां एक संस्था या विश्वविद्यालय चलाएं और फिर दो-चार महीने या साल बाद चले जाएं। हमें 'फलाई-बाई-नाईट आपरेटरस' को रोकने की व्यवस्था करनी है और यह भी देखना है कि हमारे यहां के छात्रों को उन विश्वविद्यालयों से ही संबंध करने का अवसर मिले जिनका हमारे साथ कोई परस्पर संबंध है। अर्थात्, हमें यह भी देखना है कि उन विश्वविद्यालयों की डिग्रियां हमारे यहां मान्य हो सकती हैं या नहीं और उन देशों में हमारे देश की डिग्रियां मान्य हैं या नहीं। इन सब बातों के लिए सिफारिशें हैं जो विस्तार में हैं और हमें इन बातों को ध्यान में रखना है कि एक तरफ शिक्षा में होने वाले विस्तार से हमारे छात्र वंचित न रह जाएं और जिसे 'ट्रेनिंग आफ यूनिवर्सिटी' छात्र कहते हैं जिसमें परस्पर विश्वविद्यालयों का संबंध होता है, हम उसकी व्यवस्था भी करें और साथ ही इन बात का भी ध्यान रखें कि हमारे छात्रों को अनावश्यक रूप से कष्ट न उठाना पड़े, पैसा अधिक न देना पड़े और शिक्षा में हमारा पैसा अनावश्यक रूप से विदेशों में न जाए। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि 2000 करोड़ रुपये की राशि हमारे देश से विदेशों में इस कारण जा रही है। उन सब बातों पर गौर करते हुए हम उस टास्क फोर्स की सिफारिशों पर विचार कर रहे हैं और शीघ्र ही इस पर नियंत्रण और पाबंदी लगाएंगे।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री दत्ता मेघे: अध्यक्ष महोदय, जो सिफारिशें आई हैं, आप उन पर कितने दिनों में डिसीजन ले रहे हैं। चूंकि बड़े पैमाने पर दोनों बातें हैं, व्यावसायीकरण नहीं होना चाहिए, इस मत के सब लोग हैं लेकिन जो अच्छी संस्थाएं आती हैं, क्या उसमें आपकी कोई टाइम लिमिट है या नहीं, छः महीने, साल भर या आने वाले सैशन में जिसमें कि आप कुछ डिसीजन तो ले सकें। क्या इस बारे में आपने कोई टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाया है?

डा. मुरली मनोहर जोशी: टास्क फोर्स की रिपोर्ट हमें अभी हाल ही में मिली है और उसका परीक्षण किया जा रहा है, उसके आधार पर हमें अधिनियम बनाने के लिए विधि विभाग से सलाह-मशविरा करना पड़ता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी सलाह-मशविरा करना पड़ता है, जो विदेशी संस्थाएं यहां काम कर रही हैं, उनसे भी सम्पर्क करना पड़ता है और विश्वविद्यालयों के कानूनों का भी अध्ययन करना पड़ रहा है।

श्री दत्ता मेघे: इसके लिए छः महीने या साल भर का कोई समय तो बताइये।

डा. मुरली मनोहर जोशी: हम इसको शीघ्रातिशीघ्र करना चाहते हैं। इसलिए हमारी इच्छा यह है कि इन सब कामों को हम जल्दी करके इस पर प्रतिबंध लगाये।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

लाटरियों की बिक्री

***181. श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तम दास पटेल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित लाटरियां बड़े पैमाने पर चल रही है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का ऐसे संगठनों द्वारा संचालित लाटरियों की बिक्री बन्द करने हेतु क्या ठोस कदम उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) लाटरियों को मुख्य: निम्नलिखित दो वर्गों में बांटा जा सकता है:

(1) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की संघ सूची की सूची-1 की प्रविष्टि 40 के तहत भारत सरकार द्वारा अथवा राज्य सरकार द्वारा आयोजित लाटरियां; और

(2) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की सूची-2 की प्रविष्टि 34-दाव और धूत के तहत आयोजित लाटरियां।

2. जहां तक प्रथम वर्ग की लाटरियों का संबंध है, केन्द्र सरकार ने पहले ही लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 अधिनियमित कर दिया है। प्राईवेट तौर पर व्यक्तियों संस्थानों, संगठनों इत्यादि द्वारा आयोजित लाटरियाँ दूसरे वर्ग के अधीन आती है। राज्य सरकारें ऐसी लाटरियों को प्राधिकृत करने के लिए सक्षम है। तथापि, देश में लाटरी व्यवसाय पर व्यापक प्रतिबंध लगाने संबंधी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

उल्फा द्वारा कच्चे तेल को बाहर भेजे जाने पर प्रतिबन्ध

***183. श्री आरिफ मोहम्मद खां:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 5 फरवरी, 1999 के "एशियन एज" में "उल्फा बैन्स क्रूड ऑयल आउटफ्लो" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान्। उल्फा, एक प्रतिबंधित गुट, ने असम में न्यू आयल फिल्ड की खोज को बंद करने की मांग की है और 4 सूत्री तेल नाकाबंदी कार्यक्रम, अर्थात् नए आयल फिल्डो की खुदाई को रोकने, तेल को निकाल कर असम से बाहर के स्थानों को भेजने का विरोध करने निजी या सार्वजनिक भूमि पर पाईपलाइनों के निर्माण कार्य या खुदाई करने के कार्य को प्रतिबंध लगाने और जबरदस्ती खुदाई करने के किसी कार्य का प्रतिरोध करने की घोषणा की है।

(ग) राज्य सरकार और तेल उद्योग को, सुरक्षा को मजबूत करने और आवश्यक एहतियाती उपाय करने की सलाह दी गई है।

विकलांगों की शिक्षा के लिए सहायता

***187. श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विकलांग व्यक्तियों के लाभ के लिए कौन सी योजनाएं चल रही हैं;

(ख) क्या विकलांग बालक-बालिकाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए कोई विशेष योजनाएं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को राज्य सरकारों से इस संबंध में विशेष धनराशि के नियतन हेतु कोई विशेष प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार ने उन पर क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(क) विकलांगों के लाभार्थ इस मंत्रालय के अंतर्गत निम्नलिखित योजनाएं चल रही हैं: (1) सहायक यंत्रों तथा उपकरणों की खरीद/लगाने के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता, (2) विकलांगों के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता; (3) विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता; (4) कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता, तथा (5) प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में जनशक्ति विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता। तथापि, दिनांक 20.1.1999 से (2) से (5) तक की योजनाओं को विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए एक ही व्यापक योजना के अंतर्गत लाया गया है। इसके अतिरिक्त, शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत) विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत और शिक्षा नामक केन्द्रीय प्रायोजित योजना को कार्यान्वित करता रहा है।

(ख) और (ग) विशेष स्कूलों की स्थापना तथा विकास के लिए इस मंत्रालय के अंतर्गत केन्द्रीय क्षेत्र योजना में चार मुख्य विकलांगता क्षेत्रों में-अस्थि, वाणी तथा श्रवण, सृष्टि एवं मानसिक रूप से मंद बच्चों के लिए, विशेष स्कूलों की स्थापना के लिए स्वैच्छिक संगठनों को 90 प्रतिशत की सीमा तक वित्तीय सहायता परिकल्पित है। इस योजना के अंतर्गत आवर्ती तथा अनावर्ती दोनों व्ययों का समर्थन प्रदान किया जाता है। वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान, इस प्रयोजन के लिए 26 तथा 38 संगठनों को क्रमश: 0.78 करोड़ रुपए तथा 1.33 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई है।

शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत) विकलांग बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा की योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता विकलांग बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदान की जाती है जिसमें पुस्तकें, लेखन सामग्री, वर्दी, परिवहन भत्ता आदि के लिए सहायता शामिल हैं। सहायक यंत्रों तथा उपकरणों से संसाधन कक्षों को स्थापित तथा सुसज्जित करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्तमान में, यह योजना लगभग 15,000 स्कूलों के माध्यम से 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है।

[हिन्दी]

दालों की कीमतें

***188. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 फरवरी, 1999 के "इकॉनामिक टाइम्स" में "पल्स सेट टू गो ओनियन वे, एज फारमर्स स्विच क्राप्स: चैम्बर" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) मूल्य वृद्धि को रोकने तथा उपभोक्ताओं को उचित कीमत पर दालें आसानी से उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, हां।

(ख) फसल वर्ष 1996-97, 1997-98 और 1998-99 में हुए दालों के राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण संलग्न किया गया है।

(ग) दालों के उत्पादन में वृद्धि करने और किसानों को समर्थन मुहैया करने के लिए राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना क्रियान्वित की जा रही है। योजना के अधीन प्रमाणित बीज, बीज मिनिकिट्स, राइजोबियम खेती, अणुपोष (माइक्रोन्यूट्रेंट्स), छिड़काव सैट, उन्नत कृषि यंत्र, पौध संरक्षण उपकरण आदि जैसे विभिन्न आदानों के उत्पादन और वितरण पर विभिन्न राज्यों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके अलावा दाल उत्पादन की समुन्नत प्रौद्योगिकी के प्रभावी अंतरण के लिए फील्ड प्रदर्शन और किसानों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किये जा रहे हैं।

(घ) देश में दालों की उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु दालों के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए दीर्घकालीन उपाय करने के

अलावा दालों के आयात को शून्य आयात शुल्क के साथ खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन रखा गया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप दालों के मूल्य में भारी वृद्धि पर अंकुश लगने की संभावना है।

विवरण

दालों का उत्पादन

(हजार टन में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99 (संभावित)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	838.0	575.1	691.0
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.7	6.6	उ.न.
3.	असम	68.4	64.5	73.0
4.	बिहार	745.4	646.4	666.0
5.	गोवा	7.9	7.6	उ.न.
6.	गुजरात	663.8	613.3	739.0
7.	हरियाणा	345.0	374.7	500.0
8.	हिमाचल प्रदेश	11.4	12.6	30.0
9.	जम्मू व कश्मीर	17.0	17.0	22.0
10.	कर्नाटक	722.2	480.3	662.0
11.	केरल	14.6	14.6	19.0
12.	मध्य प्रदेश	3544.0	3254.0	3135.0
13.	महाराष्ट्र	2036.8	1244.1	1974.0
14.	मेघालय	2.5	8.0	उ.न.
15.	मिजोरम	6.8	1.5	उ.न.
16.	नागालैंड	13.6	12.6	उ.न.
17.	उड़ीसा	225.9	282.12	350.0
18.	पंजाब	80.1	59.5	53.0
19.	राजस्थान	1844.6	2634.9	2477.0
20.	सिक्किम	6.0	5.9	उ.न.
21.	तमिलनाडु	232.8	271.2	445.0
22.	त्रिपुरा	5.6	5.3	उ.न.
23.	उत्तर प्रदेश	2625.4	2317.6	2725.0
24.	पश्चिम बंगाल	171.5	149.7	171.0
25.	अंडमान व निकोबार	1.0	1.7	उ.न.
26.	दादर व नगर हवेली	2.7	2.7	उ.न.
27.	दमन व दीव	1.0	1.0	उ.न.
28.	दिल्ली	0.1	0.1	उ.न.
29.	पांडिचेरी	3.1	3.1	उ.न.
30.	अन्य	–	–	56.0
	जोड़	14243.9	13068.3	14788.0

उ.न. : उपलब्ध नहीं।

[अनुवाद]

नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा

***189. श्री सी. कुप्पुसामी:**
श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में प्राथमिक शिक्षा को नि:शुल्क और अनिवार्य बनाने के लिए कोई विधान लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसा कोई विधान कब तक लाए जाने और क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) 6-14 वर्ष के आयु-वर्ग के बच्चों को नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाने के लिए 28 जुलाई, 1997 को राज्य सभा में संविधान (तिरासीवां संशोधन) विधेयक, 1997 पहले ही पेश किया गया था।

नयी औषध नीति

***190. श्री हरिभाई चौधरी:**
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधि निर्माता कंपनियों द्वारा किए जाने वाले अनुचित मुनाफे को रोकने और जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन बढ़ाने और उन्हें कम मूल्य पर उपलब्ध कराने हेतु औषध नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता जानने के लिए कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो औषध नीति और मूल्य नियंत्रण प्रणाली के कार्यान्वयन और उसकी खामियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

गैर-सरकारी संगठनों द्वारा अनुदानों का दुरुपयोग

***191. प्रो. पी.जे. कुरियन:**
डॉ. टी. सुब्बारामी रेड्डी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1998 के दौरान गैर-सरकारी संगठनों के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि नियत की गई;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कम से कम 40 गैर-सरकारी संगठन राज्य सरकारों को उच्च अधिकारियों के जाली हस्ताक्षर करने सहित धोखाधड़ी के अनेक तरीके अपनाकर सरकार से अनुदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो उन संगठनों का ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में राज्य-वार कितनी धनराशि अन्तर्ग्रस्त है; और

(घ) सरकार ने उन संगठनों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) विवरण I संलग्न है।

(ख) से (घ) उदाहरण ध्यान में आये हैं, जहां कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने इस मंत्रालय द्वारा निर्मुक्त निधियों का दुरुपयोग किया है अथवा राज्य सरकारों के जाली सिफारिश पत्र भेजे हैं। इन मामलों में उचित जांच के बाद अनुदान की अगली निर्मुक्ति रोक दी जाती है और गैर-सरकारी संगठन के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकारों से कहा जाता है। उन संगठनों के नामों को दर्शाने वाला विवरण II संलग्न है, जिनके मामले में सहायता अनुदान के लिए अनुरोधों को अस्वीकृत कर दिया गया है अथवा विभिन्न आधारों पर अगली निर्मुक्तियाँ रोक दी गई हैं।

विवरण I

वर्ष 1997-98 और 1998-99 (फरवरी, 1999 तक) के दौरान गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राज्यवार निधियों को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गैर-सरकारी संगठनों को निर्मुक्त राशि	
		1997-98	1998-99 (फरवरी, 99 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	994.47	1066.68
2.	अरूणाचल प्रदेश	112.05	138.15
3.	असम	27.84	66.94
4.	बिहार	332.31	222.45
5.	चंडीगढ़	8.94	9.97
6.	दादर और नगर हवेली	15.96	7.50
7.	दिल्ली	572.30	1165.98
8.	गोवा	16.87	9.31
9.	गुजरात	159.34	182.03
10.	हरियाणा	241.51	252.68
11.	हिमाचल प्रदेश	12.25	20.34
12.	जम्मू व कश्मीर	19.28	76.35
13.	कर्नाटक	466.44	354.98
14.	केरल	363.61	325.43
15.	मणिपुर	143.76	330.05
16.	मध्य प्रदेश	187.36	254.39
17.	महाराष्ट्र	255.01	344.65
18.	मिजोरम	49.55	65.36
19.	मेघालय	127.62	114.29
20.	नागालैंड	22.18	44.15
21.	उड़ीसा	442.39	680.83
22.	पांडिचेरी	10.82	14.84
23.	पंजाब	119.62	242.85
24.	राजस्थान	353.73	424.94
25.	सिक्किम	2.06	-
26.	तमिलनाडु	365.41	301.23
27.	त्रिपुरा	28.68	43.14
28.	उत्तर प्रदेश	847.41	1349.74
29.	पश्चिम बंगाल	627.05	776.55

विवरण II

संगठनों के नाम जिनके मामले में सहायता अनुदान के लिए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया अथवा विभिन्न आधारों पर अगली निर्मुक्तियाँ रोक दी गई हैं

क्र.सं.	संगठन का नाम	कारण/टिप्पणियां
1	2	3
	आंध्र प्रदेश	
1.	मास एज्यूकेशनल डेवलपमेंट सोसायटी पुंगानरु, जिला-चित्तुर	जाली हस्ताक्षर। राज्य सरकार मामले की जांच कर रही है।
2.	मल्लिकार्जुन सेवा समिति जिला-चित्तूर	-वही
3.	विजयपुरम प्रजा सेवा समिति विजयपुरम, जिला-चित्तूर	-वही-
4.	वास्वया महिला समिति विजयवाड़ा	निधियों का दुरुपयोग। मामले की जांच की जा रही है।
5.	प्रगति यूथ संगम गुन्टूर	कॉपार्ट द्वारा काली-सूचीबद्ध
6.	इंदिरा प्रियदर्शनी महिला मंडल गुण्टूर	-वही-
7.	श्री सुब्रह्मनेश्वरी महिला मंडल गुन्टूर	-वही- शिकायत की जांच की जा रही है।
8.	प्रजा अभ्युदय सेवा समिति चित्तूर	-वही-
	बिहार	
1.	इंदिरा गांधी समाज सेवाश्रम, पटना	कापार्ट द्वारा काली-सूचीबद्ध

1	2	3
2.	इन्सटीट्यूट फॉर नेशनल डेवलपमेंट, इन्टीग्रेशन एंड एवेयरनश, कंकरबाग, पटना	राज्य सरकार का जाली अनुशंसात्मक पत्र।
3.	ग्रामीण बाल वनीता विकास निकेतन कोरावान, जिला-नालन्दा	-वही-
4.	दि वीमेन्स रिलीफ एंड वेलफेयर सोसायटी विद्यापुरी, लोहियानगर, पटना।	-वही-
नागालैंड		
1.	नागालैंड प्रोग्रेसिव सोसाइटी दीमापुर	जाली अनुसंशात्मक पत्र। काली सूचीबद्ध।
2.	ट्राइवल वैलफेयर सोसाइटी, दीफू पार्क दीमापुर	-वही-
उड़ीसा		
1.	एसोसियेशन ऑफ मॉरल गाइड एण्ड सर्विस टू वुअर, पोस्ट/जिला-नयागढ़	निधियों का दुरुपयोग/तथ्यों का मिथ्या-निरुपण। राज्य सरकारों से निर्मुक्त अनुदान की वसूली करने तथा संपत्ति जब्त करने के लिए कहा गया।
राजस्थान		
1.	आशा बाल मंदिर शिक्षा समिति बी. कृष्णापुरी, जयपुर	-वही-
2.	एस.एल. आदर्श विद्यालय समिति, राजस्थान	कापार्ट द्वारा काली सूचीबद्ध।
सिक्किम		
1.	श्रद्धा, पाक्यंग ईस्ट सिक्किम	तथ्यों का मिथ्या निरूपण/निधियों का दुरुपयोग। राज्य सरकार से निर्मुक्त अनुदान वसूली करने तथा संपत्ति जब्त करने के लिए कहा गया।
तमिलनाडु		
1.	शोसल वैलफेयर सोसाइटी, तित्तागुड़ी, साउथ आरकॉट	-वही-

1	2	3
उत्तर प्रदेश		
1.	अखिल भारतीय समाज कल्याण प्रतिष्ठान स्वयपुरी, देवरिया	निधियों का दुरुपयोग/तथ्यों का मिथ्या-निरुपण। राज्य सरकार से निर्मुक्त अनुदान की वसूली करने तथा संपत्ति जब्त करने के लिए कहा गया।
2.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान मिलत, रामपुर	–वही–
3.	अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक समिति निचलौल, महाराजगंज	जाली अनुशंसात्मक पत्र। काली सूचीबद्ध
5.	वनांचल विकास सेवाश्रम साहेब गंज	राज्य सरकार का जाली अनुशंसात्मक पत्र।
6.	नवीन भारतीय प्रतिष्ठान, बालूघाट मुजफ्फरपुर।	–वही–
7.	इंदिरा गांधी समाज सेवाश्रम पटना।	–वही–
8.	पंडित बचन पांडे महिला विकास संस्थान गोपालगंज।	निधियों का दुरुपयोग/तथ्यों का गलत रखना राज्य सरकार से निर्मुक्त अनुदान की वसूली करने तथा सम्पत्तियों को कब्जे में लेने के लिए कहा गया।
9.	गुलाब सिंह महिला एवम बाल कल्याण संघ, रुकुंदिपुर, दराठंडा, सिवान	–वही–
10.	आल-इंडिया संथाल वेलफेयर एंड कल्चरल सोसायटी, साहेब गंज (पंजीकृत कार्यालय: नई दिल्ली)।	राज्य सरकार का जाली अनुशंसात्मक पत्र।
दिल्ली		
1.	सुषमा शिक्षा समिति	विपरीत जांच निरीक्षण रिपोर्ट
2.	कमला महिला एवं बाल कल्याण समिति, हरियाणा।	हरियाणा पुलिस द्वारा दर्ज किए गए आपराधिक मामले। रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

1	2	3
	हिमाचल प्रदेश	
1.	मानव कल्याण केन्द्र, सालोगोरा, सोलान	विपरीत जांच निरीक्षण रिपोर्ट
	कर्नाटक	
1.	भानु एज्यूकेशनल सोसायटी	विपरीत जांच निरीक्षण रिपोर्ट
	मध्य प्रदेश	
1.	महिला परिषद मुरैना	शिकायत प्राप्त हुई। राज्य सरकार से जांच के लिए आग्रह किया जा रहा है।
	महाराष्ट्र	
1.	पदमश्री अन्नासाहेब जाधव, भारतीय समाज उन्नई मंडल, थाणे।	निधियों का दुरुपयोग। राज्य सरकार से जांच के लिए अनुरोध किया गया।
2.	शहीद अब्दुल हमीद एजुकेशन इन्सटिट्युट धेरवा, खातीपुरा, युवतमल	निधियों का दुरुपयोग/तथ्यों का मिथ्या-निरुपण। राज्य सरकार से अनुदान की वसूली करने तथा संपत्ति जब्त करने के लिए कहा गया।
3.	तारा देवी शिक्षा समिति, देवरिया	कपार्ट द्वारा काली सूचीबद्ध
4.	जनजागरण परिषद्, इलाहाबाद	-वही-
5.	भारतीय समाजोत्थान सेवा संस्थान देवरिया	राज्य सरकार की प्रतिकूल रिपोर्ट
6.	ंजारा विकास परिषद्, अलीगढ़	कपार्ट द्वारा काली सूचीबद्ध
7.	संस्कृत भाषा विकास परिषद्, देवरिया	राज्य सरकार की प्रतिकूल रिपोर्ट
8.	ग्राम सेवा संस्थान देवरिया	-वही-
9.	आदर्श जनता शिक्षा समिति, इलाहाबाद	-वही-
10.	उर्मिला समाज कल्याण, हरदोई	-वही-

1	2	3
11.	इण्टरनेशनल बुद्ध एर्ज्युकेशन इंस्टिट्यूट, हापुड़	शिकायत और प्रतिकूल रिपोर्ट
12.	समाज कल्याण सेवा समिति, महाराजगंज	जाली अनुसंशात्मक पत्र की शिकायत
13.	कपिल बाल एवं महिला सेवा संस्थान, बस्ती	–वही–
14.	समाज कल्याण शिक्षा समिति, देवरिया	संगठन के विरुद्ध शिकायत
15.	न्यू पब्लिक स्कूल समिति, डालीगंज लखनऊ	निधियों के दुरुपयोग की शिकायत राज्य सरकार से जांच करने के लिए कहा गया
16.	समाज कल्याण सेवा समिति, फैजाबाद रोड, लखनऊ	राज्य सरकार का जाली अनुसंशात्मक पत्र
17.	ग्रामीण समाजोत्थान सेवा संस्थान लखनऊ	–वही–
18.	अखिल भारतीय समाज कल्याण एवं महिला विकास सेवा संस्थान, जिला–महाराजगंज	–वही–
19.	श्री माँ दुर्गाजी ग्रामीण सेवा संस्थान संत कबीर नगर	–वही–
20.	मानव कल्याण सेवा संस्थान, लखनऊ	–वही–
पश्चिम बंगाल		
1.	हल्दिया समाज कल्याण परिषद् मिदनापुर	शिकायत प्राप्त हुई। जांच चल रही है।
2.	सियूलीपुर उदयान क्लब, भगवानपुर मिदनापुर	–वही–
3.	सत्य भारती, पोस्ट–नवग्राम, हुगली	–वही–
4.	भागड़ा डायमण्ड क्लब	प्रतिकूल निरीक्षण रिपोर्ट
5.	शिशुमंजिल, कलकत्ता	–वही–

[हिन्दी]

प्याज का निर्यात

*192. **डा. सुशील इन्दौरा:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में प्याज का निर्यात करने की अनुमति दी है।

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन अभिकरणों को प्याज का कितनी-कितनी मात्रा में निर्यात करने की अनुमति प्रदान की गई है;

(घ) क्या प्याज के निर्यात के बारे में निर्णय करने से पहले प्याज की कीमत के बारे में कोई आकलन किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस समय देश में प्याज का मूल्य कितना है और प्याज के निर्यात की अनुमति देने के बाद इसकी कीमत कितनी है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) से (ग) बंगलौर रोज प्याज और कृष्णापुरम प्याज के निर्यात और साथ ही श्रीलंका को सरकार से सरकार के आधार पर 3000 मी. टन प्याज के निर्यात की अनुमति देकर प्याज के निर्यात पर से प्रतिबंध आंशिक रूप से 21.1.1999 को उठा लिया गया था। बाद में सरकार ने 9.2.99 को महाराष्ट्र सरकार द्वारा पदनामित की जाने वाली एजेंसियों अथवा ऐसी एजेंसियों के पास पंजीकृत एसोसिएट नौभारवाहकों के जरिए अगले तीन महीनों में प्रति महीने 25,000 मी. टन प्याज की निर्यात करने की अनुमति देने का निर्णय किया।

(घ) प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को अधिकतम मात्रा की शर्त के अध्यधीन यह सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया कि प्याज के उत्पादकों को उनके उत्पादों के लाभकारी मूल्य प्राप्त हों और साथ ही भारी मात्रा में निर्यात को रोका जाए, ताकि देश में उसके मूल्यों और उसकी उपलब्धता को उचित स्तरों पर बनाए रखा जा सके।

(ङ) प्याज के प्रमुख उत्पादन केन्द्र नासिक में प्याज के थोक मूल्य 1.2.99 को 251 रु. से लेकर 411 रु. प्रति क्विंटल के बीच थे जो 1.3.99 को गिरकर 150 रु. से लेकर 331 रु. प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। प्याज के निर्यात पर से रोक हटाए जाने के बाद भी मूल्यों में कमी उत्पाद केन्द्रों से बाजार में भारी मात्रा में प्याज की नई फसल के आवक के कारण हो सकती है।

[अनुवाद]

महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन

*193. **श्री सी.डी. गामीत:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दहेज प्रतिषेध अधिनियम सहित महिलाओं से संबंधित विभिन्न कानूनों को और कठोर और कारगर बनाने हेतु इनमें संशोधन करने के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) महिलाओं की विशेषत: दहेज संबंधी मामलों में सुरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) महिलाओं से संबंधित कानूनों में संशोधन के बारे में राष्ट्रीय महिला आयोग की सिफारिशों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के परामर्श से कार्रवाई की जा रही है।

(ग) भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था', जिसमें महिलाओं के साथ अपराध भी शामिल हैं, मूलरूप से राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का दायित्व है। भारत सरकार ने राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दहेज निषेध अधिकारियों की नियुक्ति और पुलिस स्टेशनों में महिला कक्ष स्थापित करने के बारे में अनुदेश जारी किये हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में, जिनमें दहेज की बुराई भी शामिल है, जन-जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना और जनशिक्षा का एक कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहा है। महिलाओं से संबंधित विभिन्न मुद्दों, जिसमें दहेज कुप्रथा भी शामिल है, के बारे में ग्रामीण और निर्धन महिलाओं में जानकारी पैदा करने के लिए शिविर आयोजित करने हेतु स्वैच्छिक संगठनों को भी सहायता प्रदान की जा रही है।

ग्रामीण पुस्तकालय

*194. **श्री विलास मुत्तेमवार: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्रामीण प्रलेखन केन्द्र (सेन्टर फॉर रूरल डॉक्यूमेंटेशन) ने राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एन.आई.आर.डी.) हैदराबाद में पंचायती राज के अंतर्गत ग्रामीण पुस्तकालयों और सूचना केन्द्रों के संबंध में कोई राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की थी;

(ख) यदि हां, तो इसमें चर्चा की गई कार्य सूची और विचारार्थ चयन की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ग्रामीण सूचना प्रणाली का कायाकल्प करने, ग्रामीण पुस्तकालयों के नेटवर्क को मजबूत बनाने और उसके विस्तार हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ग) पुस्तकालय राज्य का विषय है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद, जो इस मंत्रालय का एक स्वायत्तशासी निकाय है, ने पहल की और सितम्बर, 1998 में ग्रामीण पुस्तकालयों एवं सूचना केन्द्रों पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की। इसमें जिस कार्यसूची पर विचार-विमर्श किया गया और सिफारिशें की गई उनके ब्यौरे क्रमश: विवरण I और II में हैं। राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशों की प्रकृति मात्र सिफारिशी है। सिफारिशों के कार्यान्वयन को राज्य सरकारों के विवेक पर छोड़ दिया गया है।

विवरण I

ग्रामीण पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय कार्यशाला में विचारित कार्यसूची के ब्यौरे

1. सूचना प्रौद्योगिकी एवं ग्राम विकास।
2. ग्रामीण सूचना अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए एक नए प्रतिमान की ओर।
3. ग्रामीण पुस्तकालय एवं सूचना केन्द्र-वर्तमान परिदृश्य।
4. पंचायती राज-साक्षरता एवं सूचना अपेक्षाओं के संदर्भ में भूमिका, कार्य।
5. पंचायतों का वित्त-सूचना केन्द्रों के लिए निधियां किस तरह से समायोजित की जा सकती हैं।
6. ग्रामीण पुस्तकालय-विषय अध्ययन-विचार-विमर्श।
7. समन्वित ग्रामीण पुस्तकालय विकास।
8. राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र और ग्रामीण स्तर पर सूचना के प्रसार में इसकी भूमिका।
9. कार्यशाला की सिफारिशें तथा मसौदा विचार विमर्श पत्र को अंतिम रूप देना।

विवरण II

ग्रामीण पुस्तकालयों पर राष्ट्रीय कार्यशाला की सिफारिशें

1. ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यमान सूचना संग्रहण एवं प्रसार तंत्रों जैसे ग्रामीण पुस्तकालयों, वाचनालयों या सामुदायिक केन्द्र की वृद्धि या सहायता देने के लिए एक योजना तैयार करने की नितान्त आवश्यकता है।
2. चूंकि अब तक मात्र 10 राज्यों ने पुस्तकालय कानून बनाये हैं, इसलिए पंचायती राज कर्मियों, अन्य राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के जन प्रतिनिधियों को स्थानीय गैर सरकारी संगठनों, पुस्तकालय व्यावसायिकों एवं अन्य लोगों द्वारा देश में पुस्तकालय प्रणाली के योजनाबद्ध विकास हेतु पुस्तकालय कानून बनाने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
3. कानून के तहत विभिन्न राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा वसूल किये गये पुस्तकालय उपकर को पुस्तकालयों के विकास के लिए बिना विलम्ब किए स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकारियों को जारी किया जाना चाहिए।
4. भारत सरकार द्वारा "एक्शन प्लान आफ नेशनल टास्क फोर्स आन आई.टी." की राजपत्र अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में, ग्रामीण प्रशासन के उपयुक्त स्तर पर कम्प्यूटरीकृत सामुदायिक सूचना संसाधन केन्द्रों को तत्काल शुरू करने की आवश्यकता है। संसाधन केन्द्र मौलिक आंकड़े एकत्र नहीं करता है परन्तु विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं/संगठनों से पहले से ही प्राप्त जानकारी को संग्रहित करता है तथा निर्णय लेने योग्य बनाने हेतु सूचना प्रसार/प्रदायी तंत्र के रूप में कार्य करने के लिए आसानी से पुन: प्राप्त किये जाने योग्य प्रारूपों में आंकड़ा आधारों को विकसित करता है।

5. शुरू में वरीयत मण्डल स्तर पर सूचना संसाधन केन्द्र स्थापित किया जा सकता है, जिससे यह संस्था के लिए लाभप्रद होने के साथ-साथ भवन, कार्मिक, बिजली एवं अन्य सेवाओं जैसे आवश्यक ढांचे भी उपलब्ध हों।

6. जहां भी संभव हो, मण्डल स्तर पर विद्यमान सार्वजनिक पुस्तकालय प्रणाली का स्तर ऊंचा करके भी सूचना संसाधन केन्द्रों को विकसित किया जा सकता है। फिर भी ढांचे को विकसित करना तथा इसके कार्मिकों को प्रशिक्षण देना आवश्यक होगा।

7. आई.टी. से संबंधित गतिविधियों को विकास के बजट का 3 प्रतिशत आबंटित करने हेतु आई.टी. कार्य बल की सिफारिश के परिप्रेक्ष्य में इन सूचना केन्द्रों, जिन्हें मूलत: चुने गए प्रतिनिधियों तथा ग्रामीण जनता के हित के लिए निधियां देकर सरलता से कार्य कर पाने के लिए केन्द्र और राज्य स्तर पर संबंधित मंत्रालयों द्वारा विशिष्ट निर्देश तथा योजना आयोग द्वारा सामान्य निर्देश जारी करने होंगे जिसमें इसके लिए पृथक बजट का आबंटन किया गया हो।

8. ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय भी अपनी विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के दिशा-निर्देशों में ''स्वतंत्र निधियों'' के रूप में मंडल स्तर पर सूचना केन्द्रों के विकास के लिए प्रशिक्षण के अंतर्गत 3 प्रतिशत अनुदान का आबंटन शामिल कर सकता है।

9. राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउण्डेशन को विद्यमान ''नान-मैचिंग स्कीम'' के अंतर्गत कम्प्यूटर उपकरणों, सहायक सामान, परिसरों एवं सी डी-रोम जैसे सूचना संसाधनों तथा अन्य हल्की प्रतियों की आपूर्ति कर बड़े पैमाने पर सूचना केन्द्रों की सहायता कर सकता है।

10. आई.टी. टास्क फोर्स की कार्य योजना के अनुसार, देश में वर्ष 2002 तक आई.टी. क्रान्ति होगी। अत: शुरू में प्रयोग के तौर पर प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में कम-से-कम एक सामुदायिक सूचना संसाधन केन्द्र स्थापित करना आवश्यक है। जिससे आई.टी. का प्रयोग करते हुए ऐसे केन्द्रों को चलाने में आने वाली समस्याओं एवं कमियों को समझने के साथ-साथ मंडल या निचले स्तरों पर सूचना प्रबंध तथा आवश्यकताओं के तंत्रों को भी समझा जा सके। फैक्स, एस.टी.डी./आई.एस.डी. जैसी सुविधाओं के अतिरिक्त उनके पास इन्टरनेट सम्पर्क भी होना चाहिए।

11. सेन्टर आन रूरल डाक्युमेन्टेशन (कोर्ड) के पर्यवेक्षण एवं मार्ग-दर्शन में प्रयोगात्मक आधार पर कम-से-कम दो ऐसे केन्द्रों की स्थापना करने में अग्रणी बनने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान से अनुरोध किया गया है।

12. राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों, जिनका सम्पर्क राष्ट्रीय ग्रामीण विकास केन्द्र से है, के पर्यवेक्षण में विभिन्न राज्यों में अन्य केन्द्रों को स्थापित किया जा सकता है। इससे राज्य ग्रामीण विकास संस्थान और राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को इन केन्द्रों को एक जैसी पद्धति पर विकसित करने में सुविधा होगी! जहां ऐसा राज्य ग्रामीण विकास संस्थान नहीं है, वहां किसी कार्यरत स्थानीय अनुसंधान या प्रशिक्षण संस्था की सहायता ली जा सकती है। यह काम अगले बारह महीनों में पूर्ण हो जाना चाहिए। उपयुक्त स्तर पर अगली आवश्यक कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा एक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार की जाय।

13. केन्द्रों के लिए कर्मचारी (प्रति केन्द्र कम-से-कम एक) उसी स्थान पर ढूंढे जाने चाहिए और उपयुक्त स्तरों पर राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जैसे संगठनों द्वारा नई संचार सुविधाओं का संचालन करने में प्रशिक्षित किए जाने चाहिए। इन सूचना केन्द्रों के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा एक कार्य नियमावली तैयार की जानी चाहिए। इसे मण्डल स्तर पर प्रयोग के लिए स्थानीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

14. सूचना और प्रसारण मंत्रालय, मुद्रित सामग्री के अतिरिक्त, प्रयोग हेतु तैयार प्रपत्र में सूचना तथा सी.डी.-रोम आदि जैसे कम्प्यूटर ग्राह्य फार्म में अपने समस्त प्रकाशनों को भी उपलब्ध कराएगा। यह ग्रामीण पुस्तकालयों तथा सूचना केन्द्रों के प्रयोग के लिए या तो मुफ्त होगा या अति अल्प लागत वाला होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने वेबसाइट पर भी इस सूचना को उपलब्ध करायेगा।

15. क्षेत्र के विश्वविद्यालयों तथा राज्य स्तर की संस्थाओं के साथ सम्पर्कों के अतिरिक्त नेशनल बुक ट्रस्ट, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय, प्रकाशन विभाग, डी.पी.ई.पी., युवक केन्द्रों, महिला संगठनों जैसे साहित्य प्रदान करने वाले संगठनों के संसाधनों की सहायता से स्थानीय भाषाओं में साहित्य हासिल करने में सूचना संसाधन केन्द्रों को अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी

*195. **श्री मोहन सिंह:**
श्री आदित्यनाथ:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तारीख के अनुसार देश भर में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत कार्डधारी लाभार्थियों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार द्वारा खाद्यान्नों पर राज्यवार कितनी राजसहायता उपलब्ध कराई जा रही है?

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सम्पूर्ण देश में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों की संख्या, जिन्हें कार्ड जारी किए जा चुके हैं, के ब्यौरे (माह और वर्ष सहित) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) भारत सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सब्सिडी की राशि के राज्यवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

विवरण

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के राशन कार्ड (ग.रे.नी. कार्ड) की संख्या बताने वाला विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राशन कार्ड (गरीबी रेखा से नीचे) (लाख में)	निम्न माह को सूचित
1	2	3
आंध्र प्रदेश	113.02	नवंबर 98
अरूणाचल प्रदेश	0.78	सितंबर 98
असम	18.72	दिसंबर 98
बिहार	84.26	नवंबर 97
गोवा	0.07	दिसंबर 98
गुजरात	33.62	जून 98
हरियाणा	5.62	दिसंबर 98
हिमाचल प्रदेश	2.84	मई 98
जम्मू और कश्मीर	4.96	फरवरी 99
कर्नाटक	62.55	दिसंबर 98
केरल	20.60	दिसंबर 98
मध्य प्रदेश	42.68	दिसंबर 98
महाराष्ट्र	57.70	अगस्त 98
मणिपुर	1.13	जून 97
मेघालय	0.97	मार्च 97
मिजोरम	उ.न.	फरवरी 97
नागालैंड	0.96	नवम्बर 97
उड़ीसा	42.21	अगस्त 98

1	2	3
पंजाब	4.88	जुलाई 98
राजस्थान	21.16	सितम्बर 98
सिक्किम	उ.न.	अक्तूबर 97
तमिलनाडु	55.00	दिसंबर 98
त्रिपुरा	2.31	मई 98
उत्तर प्रदेश	95.48	जुलाई 98
पश्चिम बंगाल	47.07	अप्रैल 98
अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.12	अक्तूबर 98
चंडीगढ़	0.00	नवंबर 98
दादर और नगर हवेली	0.17	दिसंबर 98
दमन और दीव	0.02	फरवरी 98
दिल्ली*	–	दिसंबर 96
लक्षद्वीप*	–	नवंबर 98
पांडिचेरी	0.89	नवंम्बर 98
जोड़	719.79	

उ.न.-उपलब्ध नहीं।

*दिल्ली और लक्षद्वीप ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्रियान्वित नहीं की है क्योंकि गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की पहचान करने और उन्हें विशेष कार्ड जारी करने का कार्य पूरा नहीं हुआ है

[अनुवाद]

अनौपचारिक शिक्षा

***196. श्री भर्तृहरि मेहताब:**
श्री जयसिंहजी चौहान:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष, केन्द्र सरकार द्वारा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा, गुजरात तथा अन्य राज्यों को किन-किन परियोजनाओं के लिए सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(ख) इस पर कितनी धनराशि खर्च हुई और पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे केन्द्रों के माध्यम से वर्षवार और राज्यवार कितने लोगों को साक्षर बनाया गया; और

(ग) इस संबंध में तथा इन केन्द्रों द्वारा निधियों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) अनौपचारिक शिक्षा की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत, उड़ीसा सहित शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों को स्कूली शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अन्य राज्यों जिनमें गुजरात भी शामिल है, को शहरी मलिन बस्तियों, पर्वतीय, रेगिस्तानी तथा जनजातीय क्षेत्रों और कामकाजी बाहुल्य क्षेत्रों में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वैच्छिक एजेंसियों को भी सहायता प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत की गई अनुदान की राशि तथा सम्मिलित किए गए बच्चों की संख्या का एक राज्यवार विवरण संलग्न है।

इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों तथा स्वैच्छिक एजेंसियों को दी गई निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी तिमाही प्रगति रिपोर्टों, परीक्षित लेखाओं, उपयोगिता प्रमाण-पत्रों, समीक्षाओं और दौरों के माध्यम से की जाती है। निधियां जारी करने की कार्रवाई पहले से प्रदान की गई निधियों के उपयोग पर निर्भर करती है।

विवरण

अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम

वर्ष 1995-96 से 1997-98 के दौरान शिक्षार्थियों की संख्या तथा जारी की गई अनुदान की राशि

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वर्ष					
		1995-96		1996-97		1997-98	
		शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (रुपये लाखों में)	शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (रुपये लाखों में)	शामिल किए गए शिक्षार्थियों की संख्या	जारी की गई अनुदान की राशि (रुपये लाखों में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	10,40,750	690.07	10,31,125	546.25	10,79,250	3,128.96
2.	अरूणाचल प्रदेश	2,500	7.84	–	–	–	–
3.	असम	3,55,325	753.03	3,56,575	1,012.15	3,59,075	528.53
4.	बिहार	13,13,750	2,007.59	13,38,250	2,790.74	13,41,000	3,793.24
5.	गुजरात	37,000	59.24	37,000	83.84	37,000	66.04
6.	जम्मू व कश्मीर	69,275	99.86	69,275	21.99	73,025	75.35
7.	मध्य प्रदेश	8,99,625	2,453.67	8,99,000	2,819.28	9,33,500	2,554.21
8.	मणिपुर	64,625	138.29	1,00,300	295.09	1,00,300	311.26
9.	मेघालय	–	–	–	–	12,500	17.35
10.	मिजोरम	5,000	6.55	5,000	8.70	5,000	8.70

1	2	3	4	5	6	7	8
11.	उड़ीसा	8,04,450	1,256.23	8,27,600	1,912.84	8,83,350	1,205.48
12.	राजस्थान	4,79,925	703.64	4,81,150	1,423.47	4,89,275	1,544.01
13.	तमिलनाडु	79,000	108.99	81,500	212.49	1,00,875	254.94
14.	त्रिपुरा	–	–	–	–	7,500	13.49
15.	उत्तर प्रदेश	16,30,775	3,895.81	16,29,525	4,303.46	16,56,400	4,252.50
16.	चण्डीगढ़	2,625	3.52	2,625	5.65	2,625	0.14
17.	दादरा और नागर हवेली	2,500	3.17	2,500	4.55	2,500	5.06
18.	हरियाणा	18,750	36.89	16,000	48.01	15,375	54.69
19.	हिमाचल प्रदेश	11,250	6,.70	8,750	12.00	8,750	22.16
20.	कर्नाटक	42,750	5.62	20,675	33.76	39,925	46.43
21.	महाराष्ट्र	47,500	57.38	54,125	153.84	78,400	163.38
22.	पश्चिम बंगाल	22,750	13.39	25,250	103.36	25,250	140.46
23.	दिल्ली	6,250	12.32	6,250	23.38	6,250	105.09
24.	केरल	–	–	–	–	1,250	3.28
	कुल	69,36,375	12,319.80	69,92,475	15,814.85	72,58,425	18,294.75

[हिन्दी]

स्कूल के बस्तों का भार

*197. **श्री रामदास उदावंत:**
श्री महेश कनोडिया:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल जाने वाले बच्चों के बस्ते के भार को कम करने के संबंध में प्रो. यशपाल समिति द्वारा की गई सिफारिशों को सभी राज्यों द्वारा लागू कर दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो किन-किन राज्यों ने अभी तक इन सिफारिशों का क्रियान्वयन नहीं किया है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को निदेश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (केब) की 50वीं बैठक में राज्य सरकारों ने मोटे तौर पर यशपाल समिति की सिफारिशों पर अपनी सहमति जताई है। अधिकांश राज्य और केन्द्रीय एजेंसियों ने इन सिफारिशों को लागू करना शुरू कर दिया है।

(ग) और (घ) जी, हाँ। सरकार समिति की सिफारिशों को जल्दी से कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों को प्रेरित करती रही है। सरकार ने हाल ही में सिफारिशों के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यकता को दुहराया है।

[अनुवाद]

भारतीय जेल कानून

*198. **श्री मदन पाटील:**
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1884 में बनाए गए भारतीय जेल कानून पुराने हो चुके हैं और इनका स्वरूप औपनिवेशिक है;

(ख) यदि हां तो क्या सरकार का विचार इनमें संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो इनमें कब तक संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि 4 के अनुसार, "जेल" राज्य का विषय है। जेल अधिनियम में ऐसे संशोधन करना जिन्हें वे आवश्यक समझती हो, अनिवार्यता राज्य सरकारों का काम है। तथापि, राज्य सरकारों को मोडल जेल विधेयक के लिए दिशा-निर्देश परिचालित किए गए हैं।

[हिन्दी]

समान शिक्षा प्रणाली

*199. **श्री विजय कुमार खंडेलवाल:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखने हेतु पूरे देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा अनुमोदित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का प्रावधान है जिसका अर्थ है एक स्तर तक सभी विद्यार्थियों को जाति, नस्ल, स्थान या लिंग के आधार पर भेद किए बगैर तुलनीय गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ हो।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल लक्ष्य सामान्य ढांचे और कोर सहित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तैयार करना है। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की अवधारणा का

अर्थ प्रत्येक पहलू में पूरी तरह एकरूपता कदापि नहीं है। मोटे तौर पर कार्य ढांचे के अन्तर्गत स्थानीय स्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तन करने का प्रावधान है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा ढांचे में स्कूली पाठ्यचर्चा के मुख्य लक्ष्य के रूप में राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन देने पर बल दिया गया है और साथ ही ऐसे अन्य संघटकों पर भी बल दिया गया है जो लचीले हैं तथा जिन्हें भारत के सामान्य सांस्कृतिक विरासत, समतावाद, प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता, स्त्री-पुरुषों के बीच समानता, सामाजिक बाधाओं के निवारण आदि मूल्यों को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से तैयार किए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (और कुल पहलुओं में वर्ष 1992 में संशोधित) में स्कूली पाठ्यचर्या के ऐसे सामान्य कोर वाले तत्वों का पता लगाया गया जिन्हें राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्रोत्साहन देने के लिए तैयार किया गया है। इन सामान्य कोर वाले तत्वों पर राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे में बल दिया गया है।

(1) सभी स्कूलों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रकाशित प्रारम्भिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर तैयार पाठ्यक्रमों/पाठ्यपुस्तकों की मोटे तौर पर एक रूप प्रणाली प्रदान करते हुए, तथा (2) बोर्ड परीक्षा के लिए अपने विद्यार्थियों को भेजने वाले सभी स्कूलों के लिए संबंधित राज्य बोर्डों, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा परिषद से, जैसा भी मामला हो, संवर्द्धन प्राप्त करना और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर संबंधित बोर्ड द्वारा तैयार और विहित पाठ्यक्रमों/पाठ्य-पुस्तकों को अपनाना अनिवार्य बनाते हुए देश के सभी स्कूलों में मोटे तौर पर एकरूपता बनाए रखने की आवश्यकता बताई गई है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् ने सभी विश्वविद्यालयों, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदों तथा अन्य एजेन्सियों के पास गुणवत्ता युक्त शिक्षक शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम ढांचे को कार्यान्वयन के लिए तथा एकरूपता लाने के लिए भेज दिया है। नीति में अपेक्षित योग्यता वाले प्रत्येक भारतीय को उनके मूल पर ध्यान दिए बगैर समान अवसर प्रदान करते हुए सामान्य रूप से उच्च शिक्षा में तथा विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा में अन्तर-क्षेत्रीय संघटक की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

नवोदय विद्यालय

***200. श्री सुशील कुमार शिंदे:**
डा. उल्हास वासुदेव पाटील:

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नवोदय विद्यालय योजना की शुरुआत वर्ष 1984-85 में देश के प्रत्येक जिले में एक ऐसा विद्यालय खोलने के लक्ष्य के साथ शुरू की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं तथा कितने जिलों में अभी तक ऐसा विद्यालय नहीं है;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को अब तक क्रियान्वित नहीं किया है;

(घ) यदि हां, ता इसके क्या कारण हैं;

(ङ) नवोदय विद्यालय खोले जाने संबंधी कितने प्रस्ताव लंबित हैं; और

(च) देश के प्रत्येक जिले में नवोदय विद्यालय खोलने हेतु क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) यह योजना 1985-86 में शुरू हुई।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने अभी नवोदय विद्यालय योजना स्वीकार नहीं की है। उनका मानना है कि नवोदय विद्यालयों में अपनाया गया भाषा सूत्र उस भाषा सूत्र से भिन्न है जिसके प्रति वे प्रतिबद्ध हैं और यह कि नवोदय विद्यालय योजना केवल समाज के श्रेष्ठ जन गण का हित साधन करती है।

(ङ) और (च) 8वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में अधिसूचित, शामिल न किये गये जिलों के संबंध में समिति की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय समिति के पास लम्बित नहीं है। संबंधित राज्य सरकारों से शेष जिलों के लिए समिति की आवश्यकताओं को पूरा करने संबंधी प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जा रहा है।

विवरण

संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों/शामिल न किए गए जिलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	8वीं योजना के प्रारंभ में जिलों की कुल संख्या	स्वीकृत ज.न.वि.	शेष जिले	सहभागिता प्रतिशतता कॉलम (3) के संदर्भ में
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	23	22	01	96%
2.	अरूणाचल प्रदेश	11	08	03	73%
3.	बिहार	50	48**	03	96%
4.	गुजरात	19	12	07	63%
5.	हरियाणा	16	15	01	94%
6.	हिमाचल प्रदेश	12	10	02	83%
7.	केरल	14	12	02	86%
8.	महाराष्ट्र	33*	28	05	85%
9.	सिक्किम	04	03	01	75%
10.	नागालैण्ड	07	04	03	57%
11.	उत्तर प्रदेश	63	52	11	83%
12.	दिल्ली	04*	02	02	50%
13.	असम	23	18	05	78%

1	2	3	4	5	6
(100% कवरेज मेड)					
1.	उड़ीसा	13	16**	–	100%
2.	गोवा	02	02	–	100%
3.	जम्मू और कश्मीर	14	14	–	100%
4.	कर्नाटक	20	21**	–	100%
5.	मणिपुर	08	08	–	100%
6.	मिजोरम	03	03	–	100%
7.	अंडमान और निकोबार	02	02	–	100%
8.	दादरा व नगर हवेली	01	01	–	100%
9.	दमन और दीव	02	02	–	100%
10.	लक्षद्वीप	01	01	–	100%
11.	पांण्डिचेरी	04	04	–	100%
12.	मध्य प्रदेश	45	45	–	100%
13.	चंडीगढ़	01	01	–	100%
14.	मेघालय	06	06	–	100%
15.	त्रिपुरा	03	03	–	100%
16.	पंजाब	12	12	–	100%
17.	राजस्थान	28	29**	–	100%
	कुल	444*	404	46	

*नवसृजित जिलों और पं. बंगाल तथा तमिलनाडु के जिलों को छोड़कर।

*दिल्ली, कलकत्ता तथा मम्बई के लिए तीन अतिरिक्त स्कूलों और चेन्नई के लिए दो स्कूलों को लिया गया है।

**विशेष मामले के रूप में नवपाद, धेनकनाल तथा उड़ीसा में केन्द्रापाड़ा, कोटा (राजस्थान), मुंगेर (बिहार)) तथा गंडग (कर्नाटक) में प्रत्येक में एक-एक जवाहर नवोदय विद्यालय संस्वीकृत किया गया है।

समुद्री खनिज

1924. **श्री कृष्ण लाल शर्मा:** क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सागर में खनिजों तेल और प्राकृतिक गैस के अथाह संसाधन हैं;

(ख) यदि हाँ, तो इस संबंध में भारत की स्थिति क्या है; और

(ग) इन संसाधनों के दोहन के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) 200 मीटर आइसोबाथ तक के भारतीय महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र में 117 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन संसाधन का पूर्वानुमान लगाया गया है। इसके अतिरिक्त, 200 मीटर आइसोबाथ के आगे गहरे अपतट क्षेत्रों में लगभग 5-9 बिलियन टन संसाधन पूर्वानुमानित है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) द्वारा भारत के अनन्य आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया समुद्र संस्तर सर्वेक्षण इल्मेनाइट, सिलिमेनाइट, जिरकान, रुटाइल, गारनेट, मैग्नेटाईट, मोनाजाइट, सूक्ष्म-मैग्नीज पिण्डिकाएं, फेरो-मैग्नीज पर्पटी, चूनापंक एवं फास्फेटित संग्रथन से युक्त भारी खनिज बालू की उपस्थिति दर्शाता है।

9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, ओएनजीसी जिसकी, अपने प्रचालनात्मक नियंत्रण के अंतर्गत देश के अपतट क्षेत्रों में 147 अन्वेषक कूपों की ड्रिल सहित कुल 4,24,000 मीटर का मीटरेज प्राप्त करने की योजना है, के अतिरिक्त निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के पास भी पन्ना मुक्ता, ताप्ती एवं राव्वा क्षेत्र के लिए अतिरिक्त विकास योजनाएं हैं।

9वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपतट क्षेत्रों से कुल लगभग 113 मिलियन मिट्रिक टन तेल एवं लगभग 104 बिलियन क्यूबिक मीटर प्राकृतिक गैस उत्पादित होने की योजना है। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत 12 गहरे जल खण्डों सहित 38 अपतट खण्डों को निजी एवं सरकारी क्षेत्र की कंपनियों को अन्वेषण हेतु दिया गया है।

भूवैज्ञानिक सूचना को विभिन्न विधियों से समुन्नत बनाने की योजना है। बहुधात्विक पिण्डिकाओं हेतु गहरा समुद्र खनन प्रणाली के विभिन्न घटकों के लिए प्रौद्योगिकी का भी विकास किया जा रहा है। जबकि निकट भविष्य में इन पिण्डिकाओं के वाणिज्यिक खनन की कोई संभावना नहीं है।

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954

1925. **डा. विजय सोनकर शास्त्री:**
श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भूमि की खरीद और अंतरण पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, 1954 की धारा 74(4) के अंतर्गत वितरित और बेची गई भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ग) राजस्व अभिलेखों में ऐसी भूमि का स्वामित्व किस प्रकार से परिवर्तित किया गया है;

(घ) क्या राजस्व विभाग द्वारा भूमि के स्वामित्व अधिकार/भूमि को अंतरित करते समय पंचायत विभाग को कोई सूचना दी गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस प्रतिबंध का सख्ती से अनुपालन किये जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (च) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अवैध अतिक्रमण

1926. **श्री अमर राय प्रधान:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 31.12.96 की स्थिति के अनुसार क्षेत्र-वार सरकारी कालोनियों में अवैध अतिक्रमण के कितने मामले पकड़े गये:

(ख) इस संबंध में 14.8.98 और 17.11.97 को सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों को पूरा करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने, अतिक्रमणों को हटाने के लिए लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के प्रावधानों के तहत बेदखली की कार्रवाई आरम्भ की है।

विवरण

दिल्ली में सरकारी भूमि पर अतिक्रमणों का विवरण

क्र.सं.	कालोनी	वाणिज्यिक (जैसे दुकानें, स्टाल) सं.	धार्मिक (जैसे मंदिर, मस्जिदें) (सं.)	रिहायशी (जैसी झुग्गियां, सेड्स) (सं.)	अन्य (जैसे टैक्सी स्टैंड, कोयला डिपो) (सं)
1	2	3	4	5	6
1.	तीन मूर्ति एरिया	5	–	30	–
2.	मेरेडियन होटल के पीछे	–	–	38	–
3.	विलिग्डन क्रीसेंट	–	–	4	–
4.	जैसलमेर हाउस	1	–	–	–
5.	जाम नगर हाउस	1	2	–	–
6.	के.जी. मार्ग	3	–	–	–
7.	भारती नगर	1	1	–	1
8.	गोल मार्किट	–	5	–	1
9.	मिंटो रोड एरिया	96	21	–	–
10.	डी.आई.जेड. एरिया	–	–	221	–

1	2	3	4	5	6
11.	सरोजिनी नगर	3	–	42	–
12.	आर.के.पुरम	63	1	1667	–
13.	नौरोजी नगर	1	3	–	1
14.	देव नगर	–	–	52	1
15.	तिमारपुर	–	1	578	–
16.	लक्ष्मीबाई नगर	–	1	6	–
17.	मायापुरी	–	–	74	1
18.	किदवई नगर	4	6	–	–
19.	अलीगंज	1	–	–	–
20.	मालरोड	–	–	1	–
21.	एन्ड्रयूगंज	3	–	83	–
22.	सादिक नगर	1	1	65	–
23.	श्री निवासपुरी	2	2	–	2
24.	कस्तूरबा नगर	–	8	322	–
25.	त्यागराज नगर	1	8	19	–
26.	जे.एन.यू. कैम्पस	1	–	–	–
27.	पुष्प विहार	249	5	75	–
28.	हडको कैम्पस खेलगांव मार्ग	–	1	1	–
	योग	436	66	4078	10

जातिवाद और धर्मवाद में वृद्धि

1927. श्री चेंगारा सुरेन्द्रन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पूरे देश में जातिवाद और धर्मवाद में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी अवांछित सामाजिक बुराई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

अल्पसंख्यक समुदायों पर अत्याचार

1928. श्री टी. गोविन्दन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस समय देश में अल्पसंख्यक समुदाय पर अत्याचार बढ़ रहा है जिसके कारण कुछेक पश्चिम देश भारत के साथ व्यापार और सहयोग करने के लिए अनिच्छुक हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) वर्ष 1998 और जनवरी/फरवरी, 1999 के दौरान देश के कुछ भागों में ईसाईयों और उनके संस्थानों पर हमले की कुछ घटनाएं हुई थी। तथापि, इन घटनाओं के परिणामस्वरूप, भारत के साथ व्यापार और सहयोग करने में कुछ पश्चिमी देशों की तरफ से विमुखता बरतने के बारे में कोई सूचना नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी और विद्रोही गतिविधियां

1929. श्री नृपेन गोस्वामी:
श्री वैको:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खुफिया रिपोर्टों में यह टिप्पणी की गई है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों को तस्करी और बागियों के बीच कोई सम्पर्क है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण देने अथवा नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले लोगों की सहायता कर रहा है; और

(घ) यदि हां, तो राज्य सरकार और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कौन से निवारक कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

विकलांगों के पुनर्वास हेतु निधि

1930. श्री विजय गोयल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में देश के विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कितनी निधि नियत की गई है;

(ख) इसमें से अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च हुई है; और

(ग) इस समय कुल कितना धन अप्रयुक्त है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकलांग व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के लिए 954.33 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया है।

(ख) दिनांक 26.2.99 तक 140.04 करोड़ रुपए की राशि व्यय की गई है।

(ग) शेष राशि का उपयोग नौवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान किया जाना है।

हुडको द्वारा लोगों को आवास ऋण

1931. **श्रीमती शीला गौतम:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गृह और शहरी विकास निगम (हुडको) ने रियायती दर के ब्याज पर लोगों को उदार आवास ऋण प्रदान करने के लिए नीतिगत निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्यक्रम संबंधी कार्य आरम्भ कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह कब तक आरम्भ कर दिया जाएगा;

(ङ) क्या हुडको ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवास/वाणिज्यिक काम्पलेक्स बनाने का कार्य आरम्भ कर दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आज की तारीख तक परियोजना-वार उसमें कितनी प्रगति हुई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी हां। हडको, प्रतिस्पर्द्धात्मक ब्याज दरों पर व्यक्तिगत आवासीय ऋण मुहैया कराने के लिए एक स्कीम शुरू कर रहा है; जिसमें ऋण-ब्याज की स्लैब इस प्रकार है:

ऋण राशि (रुपये)	ब्याज दर वार्षिक (%)
0-25,000	11.50
25,001-70,000	12.00
70,001-1,50,000	13.50
1,50,001-3,00,000	14.00
3,00,001-5,00,000	14.50
5,00,001-8,00,000	15.00
8,00,001-15,00,000	15.50

(ग) और (घ) स्कीम 8.3.99 को शुरू हो गई है।

(ङ) और (च) हडको ने अब तक 34.97 करोड़ रु. की ऋण राशि वाली 43 आवासीय परियोजनों तथा 13.16 करोड़ रु. की ऋण राशि वाली 4 वाणिज्यिक परियोजनाओं का वित्तपोषण किया है, जिसका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम का नाम	परियोजना लागत	ऋण राशि	रिहायशी मकान
1	2	3	4	5
1.	सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों के लिए डी डी ए स्कीम	132.62	103.00	538
2.	डी डी ए परियोजना दिल्ली	374.77	300.00	3500
3.	कठवाड़िया सराय, मादीपुर, बजीरपुर तथा मालवीय नगर, नई दिल्ली में फ्लैटों का निर्माण	648.85	564.72	2853

1	2	3	4	5
4.	हडको की प्रत्यक्ष कार्यान्वयन परियोजना, बोडेला, नई दिल्ली	92.80	92.80	1180
5.	प्रेस एसोसिएशन ग्रुप हाउसिंग, एच आई जी, नई दिल्ली	28.26	19.60	52
6.	प्रेस एसोसिएशन ग्रुप हाउसिंग, एच आई जी, नई दिल्ली	106.97	71.60	128
7.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तारा सहकारी आवासीय स्कीम, एम आई जी, नई दिल्ली	41.08	26.73	68
8.	सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तारा सहकारी आवासीय स्कीम, एच आई जी, नई दिल्ली	49.24	32.08	68
9.	नवकेतन को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग स्कीम, महरौली रोड, नई दिल्ली	166.77	106.00	200
10.	यमुना को-आपरेटिव हाउसिंग सोसायटी के लिए एच आई जी फ्लैट	107.40	51.11	135
11.	कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम बोडेला, नई दिल्ली	123.17	91.04	623
12.	एल आई जी हाउसिंग स्कीम, प्रीतमपुरा पाकेट, जी और जे	105.01	6.40	984
13.	एल आई जी हाउसिंग स्कीम, प्रीतमपुरा दिल्ली	80.61	61.90	480
14.	बोडेला कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम दिल्ली	327.30	82.85	1470
15.	प्रीतमपुरा कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम दिल्ली	198.02	41.25	972

1	2	3	4	5
16.	राजौरी गार्डन कम्पोजिट हाउसिंग स्कीम दिल्ली	114.42	23.24	696
17.	वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, फ्रैन्डस कालोनी, नई दिल्ली के लिए स्टाफ रेंटल हाउसिंग स्कीम	85.91	60.11	113
18.	एच आईजी को ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग स्कीम एच आई जी, पश्चिम बिहार, दिल्ली	72.38	27.98	52
19.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, शाहदरा	179.87	95.14	168
20.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, रोहिणी, दिल्ली	162.28	90.84	164
21.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, रोहिणी, दिल्ली	194.14	114.43	179
22.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, रोहिणी, फैज-1	300.13	152.19	121
23.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, रोहिणी, फेज-2	118.99	59.47	65
24.	सैन्ट्रल गवर्नमैंट एम्पलाईज ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम, बोडेला फेज-2 दिल्ली	86.52	65.51	61
25.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पालईज ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम, पटपड़ गंज, प्लाट नं, दिल्ली	175.33	120.56	79
26.	एल आई जी II को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग स्कीम	96.09	81.68	262
27.	एच आई जी को-ओपरेटिव हाउसिंग स्कीम पटपड़गंज	20.13	11.11	11
28.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज ग्रुप इश्योरेंस हाउसिंग स्कीम बोडेला फेज-1 दिल्ली	72.06	58.75	47

1	2	3	4	5
29.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम गैलेक्सी को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसायटी	63.52	50.43	41
30.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम अरुणोदय को-ओपरेटिव ग्रुप हाउसिंग स्कीम	157.40	97.35	97
31.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज ग्रुप हाउसिंग स्कीम, मयूर विहार, दिल्ली	170.72	123.90	96
32.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, प्लाट नं. 67, पटपड़ गंज, दिल्ली	156.85	89.38	74
33.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम रोहिणी, सैक्टर-14 प्लाट नं. 8 दिल्ली	158.25	95.03	84
34.	एच आई जी को-ओपरेटिव हाउसिंग स्कीम, पीतमपुरा, दिल्ली	29.95	17.95	16
35.	सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज ग्रुप इंश्योरेंस हाउसिंग स्कीम, पीतमपुरा, नई दिल्ली	31.92	19.30	16
36.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, मंडावली, पटपड़ गंज, दिल्ली	162.16	94.15	65
37.	विधवाओं के लिए आई वाई एस एच नेशनल साइट शैल्टर शाहदरा	206.70	187.55	341
38.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, प्लाट नं. 7, बोडेला	90.33	53.68	61
39.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, मयूर विहार, फेज-2 दिल्ली	29.59	17.37	16

1	2	3	4	5
40.	एच आई जी हाउसिंग स्कीम, बोडेला, दिल्ली	7.49	3.90	5
41.	एच आई जी यूनिट, सैन्ट्रल गवर्नमेंट एम्प्लाईज फेज-2	40.18	24.50	17
42.	गैर सी जी ई एस के लिए मकान, मयूर विहार, फेज-2	16.57	9.92	7
43.	लक्ष्मी नगर, दिल्ली में वाणिज्यिक भूमि का अधिगृहण तथा भूमि विकास परियोजना	760.25	300.00	–
44.	लक्ष्मी नगर दिल्ली में बहुमंजिल दुकान व कार्यालय परिसर का निर्माण	774.22	500.00	–
45.	नारायणा, दिल्ली में बहुमंजिल सामुदायिक केन्द्र की भू अधिगृहण स्कीम	336.00	–	–
46.	मैजेस्टिक टावर, विकासपुरी, दिल्ली में दुकान व कार्यालय परिसर का निर्माण	1212.63	350.50	–

खाद्यान्नों को उठाया जाना

1932. श्री सुधीर गिरि: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों को उठाये जाने के संबंध में अनियमितता हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कम परिवारों की संख्या वाले राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अधिक परिवारों की संख्या वाले राज्यों की अपेक्षा अधिक खाद्यान्न प्राप्त करते हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) फिलहाल जून, 1997 में लागू की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन आंशिक रूप से 10 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्य में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के अनुपात में और आंशिक रूप से विगत में किए गए औसत वार्षिक उठान के आधार पर किया जाता है। केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता और खाद्य सब्सिडी संबंधी बाधाओं की

शर्त के अध्यधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अतिरिक्त आवंटन भी किया जा रहा है। जून, 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने से पहले पूर्व की सम्पुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्नों का आवंटन मांग, उठान प्रवत्ति, केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की उपलब्धता, खुले बाजार में मूल्यों आदि पर आधारित था।

[हिन्दी]

बिहार में केन्द्र प्रायोजित योजना

1933. श्री राजो सिंह: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत निजी शौचालयों के निर्माण के लिए बिहार को अपनी धनराशि का अंश दे दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) शेयर की शेष राशि के कब तक जारी होने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) 1994-95 से राज्य सरकार ने किसी व्यय की सूचना नहीं दी है। 441.163 लाख रुपए की राशि अभी भी राज्य सरकार के पास अप्रयुक्त पड़ी है। इसके अलावा, विद्यमान कार्यविधि के अनुसार राज्य सरकारों को रिलीज किए जाने पर तभी विचार किया जा सकता है जबकि राज्य ने उपलब्ध निधियों के कम से कम 60 प्रतिशत हिस्से को खर्च कर लिया हो। राज्य द्वारा अद्यतन प्रगति रिपोर्ट/उपयोग प्रमाण पत्र/लेखा परीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जाने के बाद राशि जारी की जायेगी।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद्

1934. श्री सुशील खां: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी.एस.आई.आर.) के कार्यकलाप विकसित करने का है;

(ख) पश्चिम बंगाल में अविकसित बांकुरा जिले के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(ग) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् बांकुरा परियोजना की लेखा परीक्षा रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद की पश्चिम बंगाल में तीन राष्ट्रीय प्रयोगशालाएं केन्द्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएमईआरआई) दुर्गापुर, केन्द्रीय कांच एवं सिरामिक अनुसंधान संस्थान (सीजीसीआरआई) कलकत्ता तथा भारतीय रासायनिक जीवविज्ञान संस्थान (आईआईसीबी) कलकत्ता स्थित हैं। कलकत्ता में सीएसआईआर बहुप्रौद्योगिकी हस्तान्तरण केन्द्र के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के विस्तार केन्द्र भी हैं:

	प्रयोगशालाओं/संस्थानों के नाम	केन्द्र स्थल
1.	केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान (सीएफआरआई), धनबाद	रानीगंज
2.	राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं विकास अध्ययन संस्थान (निस्टेड्स), नई दिल्ली	बांकुरा
3.	राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एनएमएल), जमशेदपुर	हावड़ा, मिदनापुर तथा कलकत्ता
4.	केन्द्रीय भवन अनुसंधान संस्थान (सीबीआरआई), रुड़की	कलकत्ता
5.	केन्द्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चेन्नई	कलकत्ता
6.	भारतीय राष्ट्रीय वैज्ञानिक प्रलेख पोषण केन्द्र (इंस्डॉक), नई दिल्ली	कलकत्ता
7.	भारतीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), नागपुर	कलकत्ता

ये सभी संस्थान एवं विस्तार केन्द्र प्रासंगिक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्य करते हैं और उद्योगों को सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

(ख) पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां शुरू करने के लिए रुपए 7.5 लाख की राशि आवंटित की गई है। ये गतिविधियां शिल्पियों, हथकरघा बुनाई के डिजाइन को आधुनिक बनाने, बालूचरी साड़ी के लिए सीएडी प्रणाली का विकास करने, उड़न राख के उपयोग से टेराकोटा उत्पादों के लिए पचमूरा मिट्टी का मूल्यांकन करने तथा रानी बाग, बांकुरा की सामान्य मिट्टी के मृदभाण्ड के उन्नयनीकरण से संबंधित हैं।

(ग) जहां तक बांकुरा स्थित सीएसआईआर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केन्द्र का सवाल है, कोई संदर्भ नहीं है।

[हिन्दी]

पासों का दुरुपयोग

1935. श्री मोतीलाल वोरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 5 जनवरी 1999 के ''राष्ट्रीय सहारा'' में ''मंत्रालयों में प्रवेश के पासों का दुरुपयोग'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्राइवेट व्यक्तियों को ये विशेष पास जारी करने के लिए कौन कौन व्यक्ति उत्तरदायी पाए गए और इन्हें जारी करने के क्या उद्देश्य थे;

(ग) क्या सरकार ने विशेष पासों के दुरुपयोग की कोई जांच कराई है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का इस बात का पता लगाने के लिए जांच कराने का प्रस्ताव है कि क्या इन पासों का उपयोग गोपनीय सूचना एकत्र करने के लिए किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (च) प्रकाशित समाचार में कई आरोप निश्चित हैं जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। गैर-सरकारी व्यक्तियों को पास जारी करने में अनियमितताओं अथवा इन पासों का अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा गोपनीय सूचना एकत्र करने के लिए दुरुपयोग किये जाने की कोई भी घटना सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

[अनुवाद]

आदिवासियों में अविवाहित माताऐं

1936. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का केरल के वायनाड और अन्य क्षेत्रों के आदिवासियों में अविवाहित माताओं के पुनर्वास और रक्षा हेतु कोई परियोजना/योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस संबंध में कोई आवेदन लंबित है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1980

1937. श्री जंग बहादुर सिंह पटेल:
श्री निखिलानन्द सर:
श्री जी. गंगा रेड्डी:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री जिन्सों की कालाबाजारी/जमाखोरी के बारे में 15 दिसम्बर, 1998 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2509 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चोरी बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम, 1980 के अन्य उपबंधों का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत राज्य सरकारें आवश्यक वस्तुओं की चोर बाजारी में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकती है;

(ख) क्या इन अधिनियमों में अपराध की गंभीरता निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) आवश्यक वस्तु (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1981 में कब तक संशोधन किये जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदान अधिनियम, 1980 की धारा 3(1) के तहत राज्य और केन्द्र सरकारें उन व्यक्तियों के विरुद्ध नजर बन्दी के आदेश जारी कर सकती हैं। जिनकी गतिविधियां समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति को बनाए रखने में बाधक पायी जाएं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1881 की अवधि 31.8.97 को समाप्त हो गई है। आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1999 संसद के चालू सत्र में पुर:स्थापित किया गया है। इस विधेयक में पूर्व के आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1981 के कुछ महत्वपूर्ण उपबंधों को शामिल किया गया है।

नई औषधि का परीक्षण

1938. **श्री रंजीब बिस्वाल:** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान (सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टिट्यूट), लखनऊ के वैज्ञानिकों ने मलेरिया के उपचार हेतु एक नई औषधि का परीक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस नई औषधि का मलेरिया के उन्मूलन हेतु उपयोग किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हां, केन्द्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, लखनऊ ने केन्द्रीय औषधीय एवं सगंध पौधा संस्थान, लखनऊ के सहयोग से क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी प्लाज्मोडियम फैल्सिपैरम मलेरिया के निदान हेतु एक नई औषधि का विकास व परीक्षण किया है। आर्टिथर नामक यह औषधि आर्टिमिसिया ऐन्नुआ पादप से प्राप्त सक्रिय घटक आर्टिमिसिनीन का अर्ध-संश्लेषित व्युत्पन्न है। इस औषधि के प्रमस्तिष्क मलेरिया सहित गंभीर मलेरिया तथा केवल अस्पतालों में आपूर्ति किये जाने के लिए क्लोरोक्वीन प्रतिरोधी मलेरिया मामलों में विकल्प के रूप में उपयोगार्थ विपणन की अनुमति प्रदान की गई है और फुटकर दुकानों पर इसकी बिक्री पर प्रतिबंध है।

(ग) 6 राज्यों के चिकित्सों से प्राप्त 300 रोगियों के पश्च-विपणन संनिरीक्षण आंकड़े दर्शाते हैं कि यह औषधि सुरक्षित व प्रभावी हैं। पश्च-विपणन संनिरीक्षण जारी है।

[हिन्दी]

नवोदय विद्यालय

1939. **श्री चन्द्रशेखर साहू:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नवोदय विद्यालयों के भवन निर्माण के लिए सरकार की क्या योजना है;

(ख) मध्य प्रदेश में कितने नवोदय विद्यालय बिना भवनों के चल रहे हैं; और

(ग) क्या राज्य में विशेषत: महासमुन्द में ऐसे विद्यालयों के लिए भवन निर्माण के लिए यह कदम उठाए गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जवाहर नवोदय विद्यालयों के भवनों के निर्माण कार्य को राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की विभिन्न निर्माण एजेन्सियों/ सरकारी उद्यमों को विभिन्न चरणों में सौंपा जा रहा है।

(ख) और (ग) राज्य में नौ विद्यालयों को अपने अपने भवनों के बिना चलाया जा रहा है। छिंदवाड़ा के अलावा जहाँ भूमि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है इन स्कूलों के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है। समिति ने महासमुन्द के लिए किसी विद्यालय की संस्वीकृति प्रदान नहीं की है। स्कूल भवनों के निर्माण को शीघ्र पूरा करने के लिए संबंधित निर्माण एजेन्सियों को अपेक्षित निधियाँ प्रदान की गई है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में ए.डी.ए.आर.एन.ए. योजना

1940. श्रीमती लक्ष्मी पनवाक: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने पिछड़े वर्गों की महिला विद्यार्थियों तथा बेरोजगार युवाओं के उत्थान के लिए ए.डी.ए.आर.एन.ए. योजना तथा अन्य कार्यक्रमों हेतु सहायता उपलब्ध कराने का केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने कुल कितनी मांग की है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने मांग मंजूर कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो ए.डी.ए.आर.एन.ए. योजना को सफल बनाने के लिए आंध्र प्रदेश को कुल कितनी राशि स्वीकृत की जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, कारीगर सहायता परियोजना के अंतर्गत योजनाओं के वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम में एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस राष्ट्रीय निगम ने आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्ग निगम से दिशा निर्देशों के अनुसार तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निधियों के आबंटन को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है।

सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को लाभ

1941. श्री ए. गणेशमूर्ति: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सेवानिवृत्ति सरकारी कर्मचारियों को दिये गये आर्थिक एवं गैर-आर्थिक लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) बुजुर्ग व्यक्तियों की स्थिति में सुधार के लिए कौन-कौन से कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या वर्तमान मूल्य वृद्धि को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आयकर छूट की सीमा में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वरिष्ठ नागरिकों को चिकित्सा हेतु सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मुम्बई महानगर का विस्तार

1942. श्री रामशेठ ठाकुर: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मुम्बई महानगर के सीमाक्षेत्र का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने मुम्बई के आस-पास के क्षेत्र का विकास करने के लिए निधियों का आबंटन किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, नहीं।

(ख) उक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मेगा-शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्रीय स्कीम के अंतर्गत, मुम्बई शहरी बस्ती क्षेत्र में अवस्थापना विकास के लिए वर्ष 1993-94 से अब तक 102.48 करोड़ रु. की सहायता मुम्बई मेट्रोपालिटन प्राधिकरण को दी जा चुकी है, मुम्बई मेगा शहर कार्यक्रम में, बृहत्तर मुम्बई नगर निगम, नवी मुम्बई नगर निगम, थाने नगर निगम और कल्याण डोमबिली नगर निगम शामिल हैं।

[अनुवाद]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कृतिक बल

1943. श्री सी.पी.एम. गिरियप्पा: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर-मंत्रालयीय रिपोर्ट "स्वतंत्र भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी कृतिक बल" में नौवीं योजना के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत का आवंटन करने की सिफारिश की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए नीति एवं अवधारणा पर 9वीं पंचवर्षीय योजना के लिए एक अन्तर मंत्रालयीय उप समूह ने 9वीं योजना अवधि में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 2 प्रतिशत के आवंटन की सिफारिश की।

(ख) उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पाद के एक प्रतिशत के इर्द-गिर्द रहा है। इन आंकड़ों में व्यावसायिक घरानों एवं कम्पनियों सहित उन स्रोतों द्वारा किए गए व्यय को शामिल नहीं किया गया है, जिन्होंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन नहीं किया है। एक आकलन के अनुसार यदि ऐसे स्रोतों, व्यावसायिक घरानों तथा कम्पनियों के योगदान को शामिल कर लिया जाए, तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में भारत का अनुसंधान एवं विकास व्यय लगभग 2 प्रतिशत होगा। समग्र रूप में, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों तथा संस्थानों द्वारा किया गया व्यय, जिसकी सूचना विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को दी गई है, द्रुत गति से बढ़ रहा है और इस रुझान के 9वीं योजना अवधि में भी जारी रहने की आशा है।

आदिवासियों में असंतोष

1944. श्री गिरिधर गमांग: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदिवासी लोगों में असंतोष के कारणों तथा आदिवासी क्षेत्रों, विशेषरूप से देश के पांचवें तथा छठे अनुसूचित क्षेत्रों में अशांति के कारणों की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण और कारक क्या हैं तथा उस पर नियंत्रण करने के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्यों द्वारा क्या उपाय किये गये हैं;

(ग) क्या अनुसूचित क्षेत्रों में शान्ति और अच्छी सरकार की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार की है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा अभी तक क्या कानूनी और संवैधानिक उपाय शुरू किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

तेल उद्योग

1945. श्री समर चौधरी: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल उद्योग के लिए लाइसेंस समाप्त करने के बाद कितने तेल उद्योग स्थापित किए गए हैं और उनकी तिलहन की पेराई करने, तेल निकालने, उसका शोधन करने और वनस्पति घी तैयार करने की क्षमता कितनी है;

(ख) उदारीकरण के बाद विदेशी कम्पनियों द्वारा स्वतंत्र रूप से और विदेशी इक्विटी से स्थापित तेल उद्योग इकाइयों की संख्या क्या है; और

(ग) जनवरी, 1999 में स्वदेशी इकाइयों तथा भारतीयों के सहयोग से स्थापित इकाइयों सहित विदेशी इकाइयों द्वारा कुल कितना निवेश किया गया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) 25 जुलाई, 1991 से वनस्पति तेल उद्योग को लाइसेंसमुक्त करने के पश्चात, 1778 औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन, जिनमें कुल 14172 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित था और 14 आशय-पत्र, जिनमें 75 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित था, औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग के अधीन औद्योगिक सहायता सचिवालय को प्रस्तुत किये गए थे। वनस्पति और विलायक निष्कर्षण यूनिटों को छोड़कर, उपर्युक्त औद्योगिक उद्यमी ज्ञापनों तथा आशय-पत्रों के अनुसरण में वास्तव में स्थापित किये गए तेल उद्योगों की संख्या और क्षमता के संबंध में कोई प्रामाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है। वनस्पति और विलायक निष्कर्षण यूनिटों के संबंध में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 1991 से दिसम्बर, 1998 तक की अवधि के दौरान वनस्पति तेल और वनस्पति उद्योग के क्षेत्र में विदेशी सहयोग के निम्नलिखित मामलों को स्वीकृति

दी गई थी:

कुल	तकनीकी	वित्तीय	स्वीकृत कुल धनराशि
35	3	32	193.93 करोड़ रुपये

इनमें से केवल दो प्रस्ताव 100% विदेशी इक्विटी से संबंधित हैं। जनवरी, 1999 में किए गए निवेश के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

विवरण

तेल उद्योगों की संख्या और क्षमता

	लाइसेंसमुक्त होने से पहले		लाइसेंसमुक्त होने के बाद	
	यूनिटों की संख्या	लगभग वार्षिक क्षमता	यूनिटों की संख्या	लगभग वार्षिक क्षमता
वनस्पति यूनिट	106	17.6 लाख टन	195	31.5 लाख टन
विलायक निष्कर्षण यूनिट	453	184 लाख टन (तेलीय सामग्री के संदर्भ में)	850	345 लाख टन (तेलीय सामग्री के संदर्भ में)

[हिन्दी]

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों की मान्यता समाप्त करना

1946. श्री श्रीराम चौहान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का दिल्ली में और दिल्ली के आस-पास के क्षेत्रों के केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध उन विद्यालयों की मान्यता समाप्त करने का विचार है जो उप-नियमों में निर्धारित विभिन्न शर्तों को पूरा नहीं करते हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या नीति है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) स्कूलों को मान्यता देना या उनकी मान्यता समाप्त करना केन्द्र सरकार के कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। इन मामलों में संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के शिक्षा अधिनियम में अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार स्कूल विनियमित होते हैं।

[अनुवाद]

उल्फा द्वारा सहायता

1947. श्री सुरेश चरपुडकर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 दिसम्बर, 1998 के "द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "उल्फा प्लेइंग होस्ट टू किड्स ऑफ म्यांमार मिलीटेन्ट्स सिन्स 1990" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) हाल ही में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि उल्फा, म्यांमार के उग्रवादियों के बच्चों की मेजबानी कर रही है।

सिपाहियों और सहायक उपनिरीक्षकों के चयन के विरुद्ध शिकायतें

1948. **श्री सत्यपाल जैन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हाल ही में चंडीगढ़ पुलिस द्वारा सिपाहियों और सहायक उप-निरीक्षकों के चयन के विरुद्ध दर्ज शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है या की जाने वाली है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान्। चण्डीगढ़ प्रशासन के अधीन, कान्स्टेबल के ग्रेड में अभ्यार्थियों के चयन को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (चंडीगढ़ पीठ) ने इस आधार पर रद्द कर दिया है कि सफल अभ्यर्थियों की सूची के अंतिम रूप देने में अनेक अनियमितताएं हुई हैं। प्रश्नगत निर्णय, हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन को प्राप्त हुआ है तथा उनका प्रस्ताव किसी भी ऐसे अपराध के लिए दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का है।

इसी प्रकार, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक के ग्रेड की नियुक्ति के मामले में उत्तीर्ण हुए उम्मीदवारों में से एक ने चंडीगढ़ प्रशासन के पास औपचारिक रूप से शिकायत की है तथा इस मामले में सतर्कता जांच के आदेश दे दिये गये हैं। इस बीच, उपर्युक्त उम्मीदवार ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (चण्डीगढ़ पीठ) में भी एक याचिका दायर कर दी है तथा मामला विचारणाधीन है।

भारतीय खाद्य निगम के मजदूरों द्वारा आन्दोलन

1949. **श्री वैको:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के मजदूर 18 जनवरी, 1999 से आन्दोलन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य पर इसका संभावित प्रभाव क्या है;

(घ) क्या प्रबंधन और मजदूर यूनियन के बीच कोई वार्ता चल रही है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और

(च) भविष्य में ऐसे आन्दोलन/हड़ताल रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

1950. **श्री तपन सिकदर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का सम्मान पेंशन को मूल्य सूचकांक से जोड़ने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार को उस पर कितनी अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ेगी; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का इस संबंध में राज्यों को सलाह देने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने पहले ही सम्मान पेंशन को मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ दिया है। विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों के लिए पेंशन की 7% की दर से महंगाई राहत की पहली किस्त 1.8.1998 से जारी कर दी गई है। इस संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1998-99 के दौरान करीब 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय वहन करने का अनुमान है।

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के व्यय को केन्द्र सरकार के राजस्व से पूरा नहीं किया जाता है।

उचित और निःशुल्क शिक्षा

1951. श्री फ्रांसिस्को सारदीना: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 फरवरी, 1999 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'राइट एण्ड फ्री एजुकेशन इन कन्स्टिट्यूशन सून' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस हेतु सरकार का एक कृतक बल के गठन का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) अक्तूबर, 1998 में हुए शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में की गई सिफारिशों के अनुसरण में इस विभाग द्वारा एक मिशन के रूप में प्रारंभिक शिक्षा का सार्वजनिक लक्ष्य प्राप्त करने संबंधी उपायों पर विचार करने के लिए राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की एक राष्ट्रीय समिति गठित की गई है।

दिनांक 11 फरवरी, 1999 को हुई उक्त समिति की पहली बैठक में संविधान (तिरासीवें संशोधन) विधेयक, प्रारंभिक शिक्षा को सार्वजनिक करने की वित्तीय आवश्यकताओं से संबंधित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट और विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रमों के अन्तर्गत जारी की गई निधियों पर निगरानी रखने के लिए शैक्षिक तंत्रों की जरूरत संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था।

उपभोक्ता न्यायालयों को निधियाँ

1952. श्री रामचन्द्र मलिक: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष उपभोक्ता न्यायालयों को केन्द्र सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी निधियाँ जारी की गई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): गत तीन वर्षों में उपभोक्ता न्यायालयों के आधार ढांचे को मजबूत बनाने के लिए राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रयासों को संबल प्रदान करने के लिए एक बारगी अनुदान स्कीम के तहत केन्द्र सरकार द्वारा दी गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	दी गई राशि (लाख रु. में)		
	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4
आंध्र प्रदेश	130.60	139.40	-
अरूणाचल प्रदेश	82.60	87.40	-
असम	135.40	144.60	-
बिहार	212.20	227.80	-
गोवा	34.60	35.40	-
गुजरात	121.00	129.00	-
हरियाणा	101.80	108.20	-
हिमाचल प्रदेश	82.60	87.40	-
जम्मू और कश्मीर	34.60	17.90	-
कर्नाटक	121.00	129.00	-
केरल	92.20	97.80	-
मध्य प्रदेश	241.00	9.00	125.00

1	2	3	4
महाराष्ट्र	173.80	186.20	–
मणिपुर	63.40	66.60	–
मेघालय	58.60	61.40	–
मिजोरम	39.40	40.60	–
नागालैण्ड	58.60	61.40	–
उड़ीसा	87.40	92.60	–
पंजाब	87.40	92.60	–
राजस्थान	169.00	181.00	–
सिक्किम	44.20	45.80	–
तमिलनाडु	130.60	139.40	–
त्रिपुरा	39.40	40.60	–
उत्तर प्रदेश	327.40	12.60	170.00
पश्चिम बंगाल	106.60	3.40	55.00
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	34.60	35.40	–
चंडीगढ़	29.80	30.20	–
दादर और नागर हवेली	29.80	30.20	–
दमन और दीव	34.60	35.40	–
दिल्ली	34.60	35.40	–
लक्षद्वीप	29.80	30.20	–
पांडिचेरी	29.80	30.20	–
जोड़	2998.40	2464.10	350.00

भारतीय उर्वरक उद्योग

1953. श्री सत्यनाम सिंह भैंस: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारतीय उर्वरक उद्योग के कार्यकरण को सुचारू और सरल तैयार करने के लिए विस्तृत विधेयक को लाने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

आतंकवाद के कारण लोगों का उत्प्रवास

1954. श्री सुशील कुमार सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में लगातार बढ़ते हुए आतंकवाद के कारण व्यक्तिगत सुरक्षा के लिए लोग अभी भी अन्य राज्यों के लिए उत्प्रवास कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे लोगों के कल्याण के लिए एक अलग विभाग/मंत्रालय गठित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) आतंकवाद/ उपद्रवों के कारण जम्मू और कश्मीर तथा कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में कुछ लोगों का उत्प्रवास हुआ है।

(ख) से (घ) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

गैरेजों को किराये पर दिया जाना

1955. श्री एस. अजय कुमार: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** 13.9.97 के अतारांकित प्रश्न सं. 3353 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंदिर मार्ग, नई दिल्ली के सेक्टर-डी के उन आवंटियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई, जिन्होंने अपने आवंटित गैरेजों का दुरुपयोग किया है:

(ख) क्या बाद में उन 6 गैरेजों का निरीक्षण किया गया जो बन्द पाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंदिर मार्ग क्षेत्र में सरकारी क्वार्टरों का दुरुपयोग किये जाने/किराये पर दिये जाने के मामलों में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इस संबंध में क्या कार्यवाही किये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) कितने मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) क्वाटर के अलाटी को सैक्टर-डी, मन्दिर मार्ग, नई दिल्ली में गैरेज के दुरुपयोग करने के संदेह में ''कारण बताओ नोटिस'' दिया गया था। नोटिस के उत्तर में अलाटी ने बताया कि उसने गैरेज में घरेलू सामान रखा था। गैरेज का पुन:निरीक्षण किया गया और दुरुपयोग नहीं पाया गया।

(ख) जी, हां।

(ग) छह गैरेजों में से कोई भी गैरेज किराये पर नहीं दी गई थी।

(घ) से (च) वर्ष 1998 से आज तक केवल तीन मामलों (क्वार्टर नं. डी-460, डी-627 एवं डी-689) में गैरेजों को किराये पर दिये जाने की सूचना मिली थी। तीनों अलाटियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। क्वार्टर नं. डी-627, मन्दिर मार्ग के, अलाटी ने क्वार्टर खाली कर दिया है। उसे पांच वर्षों के लिए आबंटन से वर्जित कर दिया गया है। अन्य दो मामलों में आबंटन नियमावली के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

केन्द्रीय विद्यालय संगठन में भर्ती

1956. श्री अजय कुमार एस. सरनायक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने अभी हाल ही में विद्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय के सभी पदों की भर्ती को केन्द्रीकृत करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सरकार की समूह ''ग'' और समूह ''घ'' के कर्मचारियों की भर्ती के विकेन्द्रीकरण की नीति के समरूप है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, हाँ। समूह ''घ'' कर्मचारियों की भर्ती के अलावा सभी शिक्षण तथा शिक्षणेतर पदों पर नियमित भर्ती अब मुख्यत: केन्द्रीकृत रूप से उद्देश्यपरकता, पारदर्शिता, मानकों में एकरूपता तथा एकरूप तथा मानकीकृत मानदण्ड के अनुसार अखिल भारतीय आधार पर अपनायी जाने वाली सिद्ध योग्यता के आधार पर शिक्षकों का चयन सुनिश्चित करने के लिए की जाएगी। तथापि, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के क्षेत्रीय कार्यालयों के सहायक

आयुक्त नियोक्ता प्राधिकारी होंगे। इस परिवर्तन से क्षेत्रीय कार्यालय शैक्षिक निरीक्षण पर अधिक ध्यान दे सकेंगे और उससे शैक्षिक स्तरों में कोटिपरक सुधार आयेगा।

[हिन्दी]

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती हेतु नीति

1957. श्री जगत वीर सिंह द्रोण: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के सभी राज्यों में विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक समान नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो मसौदा प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक बनाये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 12(घ) के अनुसार, परिषद विद्यालयों अथवा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति की न्यूनतम अर्हताओं से संबंधित दिशा-निर्देश निर्धारित कर सकती है। तदनुसार, परिषद ने विद्यालयों में अध्यापकों/प्रधानाध्यापकों/प्रिंसिपलों की नियुक्ति के पात्रता मानदंड संबंधी सुझाव देने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था।

टास्क फोर्स ने चयन प्रक्रियाओं और स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विभिन्न श्रेणियों के अध्यापकों की भर्ती पद्धति व न्यूनतम शैक्षिक और व्यावसायिक अर्हताओं के संबंध में सिफारिशें की हैं। अभी हाल ही में टास्क फोर्स की रिपोर्ट राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा शिक्षा क्षेत्र से जुड़े कुछ विशेषज्ञों को उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए परिचालित की गई है।

[अनुवाद]

हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन

1958. डा. सरोजा वी. : क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान वेजीटेबल आयल कारपोरेशन ने दिल्ली में पामोलीन तेल की पैकिंग करने के लिए निविदा दी है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए एजेंसियों के चयन/उन्हें यह कार्य सौंपने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को अभी तक कोई शिकायतें प्राप्त हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है या किये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड दिल्ली सरकार की ओर से पामोलीन की पैकिंग करती है। दिल्ली में हाल में खाद्य तेल की कमी के कारण, उपभोक्ता पैकों में आपूर्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार के अनुरोध पर हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड ने प्राइवेट पैकिंगकर्त्ताओं के साथ करार किया था। चूंकि हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन की क्षमता सीमित थी, इसलिए उनसे प्राइवेट पैकिंगकर्त्ताओं के साथ प्रबंधों में तेजी लाने के लिए कहा गया था। इस कार्य को सौंपने के लिए पैकिंगकर्ताओं की उपलब्धता और उनकी क्षमता मुख्य मानदण्ड थे।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन कर्मचारी महासंघ (पंजीकृत) और हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन श्रमिक यूनियन (पंजीकृत) ने हिन्दुस्तान वेजिटेबल आयल्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा मैसर्स सूरज वनस्पति लिमिटेड को ठेका देने में कथित अनियमितताओं के बारे में सरकार को शिकायत की थी।

(ङ) चूंकि यह व्यवस्था दिल्ली सरकार, जिसकी ओर से पामोलीन तेल की पैकिंग की जा रही है, द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में की गई थी, इसलिए स्वयमेव ऐसा करार करने के लिए आगे कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

अवैध अप्रवासी

1959. श्री के.डी. सुल्तानपुरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दस माह के दौरान कितने विदेशी नागरिकों ने बगैर पासपोर्ट के अवैध रूप से प्रवेश किया तथा कितने विदेशी नागरिक पकड़े गए; और

(ख) इन व्यक्तियों के खिलाफ किन-किन अदालतों में मामले दायर किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 के अधीन, देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, उनका पता लगाने और वापस भेजने की केन्द्र सरकार की शक्तियां, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और ऐसे आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। तथापि, सरकार, पड़ौसी देशों से चोरी-छिपे भारत में घुसकर देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध रूप से रहने वाले विदेशी राष्ट्रिकों से संबंधित समस्या से अवगत है। देश में अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की शिनाख्त करने और उन्हें वापस भेजने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निर्देश जारी किये गए हैं/दोहराए गए हैं।

अन्डरवाटर कल्चरल हेरीटेज

1960. श्री माधवराव पाटील:
श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:

क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत को समृद्धतम जलमग्न सांस्कृतिक विरासत का अद्वितीय गौरव प्राप्त है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई समुद्री पुरातात्विक गतिविधियों का ब्यौरा तथा इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या उक्तावधि के दौरान इन जलगत अनुसंधान गतिविधियों में धीमापन आया है;

(घ) यदि हाँ तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) किए गए अध्ययन और अनुसंधान के अनुसार भारत के पास एक समृद्ध अन्तर्जल सांस्कृतिक विरासत है। यद्यपि यह निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता है कि भारत की अन्तर्जल सांस्कृतिक विरासत विश्व में सबसे समृद्ध है।

(ख) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले तीन वर्षों के दौरान नीचे लिखी प्रमुख समुद्री पुरातत्व गतिविधियाँ हुई।

(1) तमिलनाडु तट पर पुमपुहार में समुद्री पुरातत्व अन्वेषण।

(2) सोमनाथ, बेट द्वारका और द्वारका अपतट में समुद्री पुरातत्व अन्वेषण।

(3) भारत के पश्चिमी तट पर पोतअवशेषों का समुद्री पुरातत्व अन्वेषण और उत्खनन।

उपरोक्त अन्वेषणों से संबंधित सूचित निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

पुमपुहार परियोजना: ईसाई संवत् प्रारम्भ होने के समय पुमपुहार एक बंदरगाह शहर के रूप में विद्यमान था। इसकी जानकारी पुरातन साहित्य में बहुत जगह पर दी गई है। प्रारम्भिक ऐतिहासिक काल में (300 ई.पू. से 300 ईस्वी तक) अलंकृत इमारती पत्थर, ठीकरों की विभिन्न शिल्पकृतियाँ सागर में से प्राप्त हुई। भूभौतिकीय अन्वेषण के दौरान पुमपुहार के उत्तर में कावेरी नदी के जलमग्न पुरा जलमार्ग की जानकारी मिली, इस जलमार्ग की चौड़ाई 300 मीटर से 500 मीटर की विभिन्नता लिए हुए है और समुद्र तल के 20 मीटर नीचे दबे हैं। पुमपुहार अन्तर्जल अन्वेषण की एक विशेष उपलब्धि यह है कि खोज में एक बड़ा पोत अवशेष मिला, जिस पर बहुत बड़ी मात्रा में 1791 और 1792 ईस्वी की सीशा की सिल्लियाँ पड़ी हुई है और उस पर डब्ल्यू ब्लैकेट खुदा हुआ है जो कि सीसा की सिल्लियाँ बनाने वाली या इसका व्यापार करने वाली कम्पनी का नाम हो सकता है।

द्वारका अन्वेषण: वर्ष 1983 से 3 से 12 मीटर गहरे जल में कुल लगभग 9,80,000 वर्ग मीटर तटीय क्षेत्र का अन्वेषण द्वारका में किया गया। इसमें से अनेक इमारती पत्थर (भवन निर्माण) दीवारों, खम्भों और बुर्जों के बचे-खुचे टुकड़े विभिन्न प्रकार के (तीन छिद्र वाले, प्रिज्मीय और तिकोने) प्रस्तर आधार प्राप्त हुए। भूभौतिकीय सर्वेक्षण से लगभग 500 मीटर अपतट तक गोमती नदी के जलमग्न जलमार्ग का पता चलता है।

पास के ही बेट द्वारका क्षेत्र के तट पर अन्वेषण से, 3 सिर वाले जानवरों की पुरानी सिन्धु मोहरें, लगभग 1500 ई.पू. के संक्रमण काल के सिन्धु ब्राह्मी चरित्रों वाले मिट्टी के बर्तन और चमकदार लाल मिट्टी के गोलाकार बर्तन और लाल मिट्टी की तश्तरियाँ, तश्तरियाँ रखने वाला स्टैण्ड, छेद वाला मर्तबान और वक्राकार गोल बर्तनों सहित बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन वहाँ मिले हैं।

हाल के अन्वेषणों के दौरान द्वारका, बेट द्वारका और अर्मदा क्षेत्र में प्रस्तर आधार बड़ी मात्रा में पाए गए जिससे स्पष्ट होता है कि इस क्षेत्र में प्राचीन हड़प्पा काल के दौरान बहुत अधिक नौवहन होता था।

भारत के पश्चिमी तट में पोत अवशेष-गोवा के सागर

(1) मर्मगाव बन्दरगाह से लगभग 2 किलोमीटर दूर अभी शोल के समीप संचिरीफ में समुद्री पुरातत्व अन्वेषण के दौरान 3 से 9 मीटर गहरे जल में अवशेषों का पता चला है। अवशेष से प्राप्त वस्तुओं में, अलंकृत ग्रेनाइट पत्थर, दो-दो मीटर लम्बी 4 तोपें, लोहे का एक तोपगोला, शीशे की बोतलों के टुकड़े, चीनी मिट्टी के बर्तन, प्रमुख है। सभी तोपें चट्टानी ग्रेनाइट पत्थरों पर पड़ी हुई थी, और ये तोपे समुद्री जीवों से ढकी हुई पड़ी थी।

(2) प्रसिद्ध ग्रांड द्वीप के बहुत समीप सेंट जॉर्ज रीफ की पूर्व दिशा में अन्तर्जल अन्वेषण के दौरान 10 से 15 मीटर गहरे जल में एक पोत अवशेष का पता चला है, जिसमें बहुत सा घरेलु सजावटी सामान और ईंटों, छतों, दीवार पर लगाने वाली तथा फर्श की टाइलों जैसी पकी मिट्टी की शिल्पकृत्तियाँ भी मिली है और उस पर "बेसलमिशन टाइल वर्क्स 1865" खुदा हुआ है। चट्टानों के बीच में जहाज की लकड़ी भी देखी गई है। अन्तर्जल धातु संसूचक सर्वेक्षण के दौरान एक पहाड़ी पर स्थित सेमिनरी के सामने इस 6 मीटर गहरे जल में जलयान के स्टील के खोल के अवशेष भी मिले हैं। यह अवशेष तलछट में दबे हुए हैं और उसका एक छोटा सा हिस्सा भी दिखाई देता है।

उपयुक्त समुद्री पुरातत्व अन्वेषण और उत्खनन गतिविधियाँ राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान द्वारा की गई और महासागर विकास विभाग व सी एस आई आर तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तपोषित है।

(ग) से (ङ) नहीं, श्रीमान। तथापि, अन्तर्जल पुरातत्व अन्वेषण और उत्खनन संबंधी गतिविधियाँ काफी खर्चीली तथा समय लेने वाली हैं। विभिन्न विभागों तथा एजेंसियों द्वारा परियोजना के लिए अपेक्षित निधिकरण की व्यवस्था की जाती है।

[हिन्दी]

उर्वरक नीति

1961. श्री प्रभुदयाल कठेरिया: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नए उर्वरक संयंत्रों को स्थापित करने के संबंध में अपनी वर्तमान नीति में परिवर्तन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) उच्चाधिकार प्राप्त उर्वरक मूल्य निर्धारण नीति पुनरीक्षा समिति (एच.पी.सी.) ने अन्य बातों के साथ-साथ नये उर्वरक एककों की स्थापना करने के बारे में सिफारिश की गई नीति को शामिल करके एक नई उर्वरक नीति के संबंध में सिफारिशें की हैं। उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में उद्योग के साथ अन्तर्मंत्रालीय परामर्श और वार्ता की गई है। इस कार्य के पूर्ण होने के पश्चात् नई उर्वरक नीति की घोषणा की जाएगी।

[अनुवाद]

समुद्रीय प्रदूषण

1962. श्री रवि सीताराम नायक:
श्री के. पेरुमलयादू:
श्री फ्रांसिस्को सारदीना:

क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तटीय प्रदूषण को रोकने के वास्ते समुद्री जल पर निगरानी रखने के लिए अनेक नई परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए राज्यवार कितना धन स्वीकृत किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) देश के तटीय और अपतट जल में विभिन्न समुद्री प्रदूषकों के स्तर की निगरानी तथा हमारे सागरों की स्वच्छता का मूल्यांकन करने के लिए 1991 से तटीय समुद्र मानीटरन और पूर्वानुमान प्रणालियाँ नामक एक बहुसंस्थागत कार्यक्रम क्रियान्वयनाधीन है। सरकार द्वारा अभिनिर्धारित 11 संस्थाओं द्वारा 1991 के बाद से 25 प्राचलों के तहत 82 स्थानों पर प्रदूषकों का गहन मानीटरन किया जा रहा है।

इन प्रेक्षणों से प्राप्त निष्कर्षों को समय समय पर उपचारात्मक कार्रवाई हेतु संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के ध्यान में लाया जाता है। नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार समुद्री प्रदूषण के स्रोतों की सूची तैयार करने के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को धनराशि प्रदान करने का प्रस्ताव है:

(रुपए लाख में)

बोर्ड का नाम	राशि
गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.0
महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.0
गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	0.5
कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1.0
केरल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1.0
तमिलनाडु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.0
पाण्डिचेरी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	0.5
आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	2.0
उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1.0
पश्चिम बंगाल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	1.0
कुल योग	13.00

तटीय प्रदूषण की निगरानी के लिए नई परियोजनाएं शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

खलीलाबाद चीनी मिल, उत्तर प्रदेश

1963. श्री इन्द्रजीत मिश्र: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय चीनी निगम ने संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में खलीलाबाद चीनी मिल को कितनी धनराशि प्रदान की;

(ख) उक्त धनराशि में से अब तक कितनी की वसूली की गई है;

(ग) क्या उक्त मिल बन्द हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो बकाया राशि की वसूली हेतु सरकार क्या कदम उठा रही है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) भारतीय चीनी निगम नामक कोई संगठन सरकार के अधीन नहीं है। तथापि, कुछ निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए चीनी मिलों को चीनी विकास निधि से ऋण दिए जाते हैं। खलीलाबाद शुगर मिल को निम्नानुसार ऋण दिए गए हैं:

(1) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए ऋण

ऋण की राशि	वितरण की तारीख
471.00 लाख रुपये	30.11.94
471.00 लाख रुपये	24.2.95
124.00 लाख रुपये	12.4.96

(2) अल्पकालिक ऋण

ऋण की राशि	वितरण की तारीख
50.00 लाख रुपये	4.8.98

(ख) शून्य।

(ग) इस चीनी मिल ने 1997-98 के पिछले मौसम के दौरान कार्य किया था लेकिन वर्तमान चीनी मौसम 1998-99 के दौरान मिल ने अपना पेराई कार्य अभी तक शुरू नहीं किया है।

(घ) भाग (क) के उत्तर में (1) पर उल्लिखित ऋण की वापसी अभी देय नहीं हुई है। भाग (क) के उत्तर में (2) पर उल्लिखित ऋण की पहली किस्त की वापसी के संबंध में, जो 7.2.99 को देय थी, मिल से अपनी अतिदेय धनराशि का भुगतान करने के लिए कहा गया है और भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) से अनुरोध किया गया है कि वे ऋण को वापस करने का मामला उक्त चीनी यूनिट के साथ उठाएं।

[हिन्दी]

राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन

1964. श्री छत्रपाल सिंह: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) क्या स्वयंसेवी संगठनों को भी इस योजना के अंतर्गत अनुदान दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय द्वारा मिशन के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों के साथ धनराशि आबंटन के मामले में भेदभाव किया जा रहा है; और

(ङ) उत्तर प्रदेश के कितने स्वयंसेवी संगठनों ने उक्त मिशन के अंतर्गत धनराशि के लिए आवेदन किया है और ऐसे संगठनों के प्रस्तावों पर क्या कार्यवाही की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन द्वारा राज्यों को आबंटित राशि संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) मिशन जल आपूर्ति के लिए स्वैच्छिक संगठनों को कोई निधि जारी नहीं करता है। तथापि लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद (कापार्ट) को इस उद्देश्य हेतु स्वैच्छिक संगठनों को सहायता प्रदान करने के लिए निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपए)		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66.180	79.640	99.205
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.000	14.440	36.230
3.	असम	20.260	24.380	61.200
4.	बिहार	77.950	93.800	117.685

1	2	3	4	5
5.	गोवा	1.890	2.270	2.838
6.	गुजरात	41.970	49.870	58.605
7.	हरियाणा	24.410	27.360	21.909
8.	हिमाचल प्रदेश	13.310	15.960	19.671
9.	जम्मू व कश्मीर	36.880	44.310	55.146
10.	कर्नाटक	60.870	73.250	91.774
11.	केरल	30.950	37.240	46.735
12.	मध्य प्रदेश	73.270	88.170	110.631
13.	महाराष्ट्र	88.100	106.020	133.015
14.	मणिपुर	4.400	5.290	13.300
15.	मेघालय	4.720	5.680	14.250
16.	मिजोरम	3.370	4.060	10.180
17.	नागालैंड	4.220	4.220	10.580
18.	उड़ीसा	34.680	41.730	52.365

1	2	3	4	5
19.	पंजाब	11.050	13.300	16.686
20.	राजस्थान	103.870	118.630	109.545
21.	सिक्किम	3.720	3.720	4.340
22.	तमिलनाडु	52.470	63.140	79.225
23.	त्रिपुरा	4.180	5.030	12.620
24.	उत्तर प्रदेश	122.780	147.750	185.379
25.	पश्चिम बंगाल	47.400	57.040	71.696
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.250	0.125	0.125
27.	दादरा व नगर हवेली	0.150	0.125	0.125
28.	दिल्ली	0.300	0.050	0.050
29.	लक्षद्वीप	0.000	0.125	0.125
30.	पांडिचेरी	0.200	0.050	0.050
31.	दमन व दीव	0.100	0.125	0.125
	कुल	945.900	1126.900	1435.410

[अनुवाद]

सुरक्षा संबंधी उपकरण

1965. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका से सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी मात्रा में संवेदनशील उपकरण खरीदे जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार आसूचना ब्यूरो और अनुसंधान और विश्लेषण स्कंध द्वारा इनका उपयोग करने से पहले मंत्रालयों/विभागों से स्वीकृति लेने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) कुछ सुरक्षा एजेंसियों ने यू.एस. निर्माताओं के भारत में प्राधिकृत वितरकों से संचार उपकरण प्राप्त किए हैं।

(ख) यदि आवश्यक होता है, तो किसी मद को खरीदने से पहले, तकनीकी मूल्यांकन अवस्था पर विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल किया जाता है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

धर्मांतरण के लिए विदेशी मदद

1966. श्री एम. राजैया:
डा. संजय सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन राज्यों में जबरदस्ती धर्मांतरण संबंधी अधिनियम लागू किया गया है;

(ख) क्या सरकार का धर्मांतरण के लिए विदेशी मदद की जांच करने का विचार है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सभी संगठनों को मिलने वाली विदेशी मदद में अधिक पारदर्शिता बरतने तथा जिस उद्देश्य के लिए उनको खर्च किया गया है, उनका पता लगाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उड़ीसा, मध्य प्रदेश और अरूणाचल प्रदेश।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत, जो एसोसिएशनें इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं, उन्हें उनके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित सूचना, वार्षिक आधार पर गृह मंत्रालय को भेजनी होती है। विदेशी अभिदाय का प्रबोधन, ऐसी एसोसिएशनों द्वारा प्रस्तुत विवरणियों के माध्यम से किया जाता है। गृह मंत्रालय द्वारा ब्यौरों का संकलन, वार्षिक रिपोर्ट के रूप में किया जाता है। इन रिपोर्टों (1996-97 तक) की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार को, ऐसी एसोसिएशनों के लेखों या रिकार्ड या लेखों की आडिट पुस्तकों का निरीक्षण करने का आदेश देने की शक्तियां भी प्राप्त हैं।

डी.आर.डी.ए.

1967. श्री मुकुल वासनिक: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार डी.आर.डी.ए. के अंतर्गत योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए जिला समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला परिषदों के अध्यक्षों को नामित करने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश जारी करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) इस मंत्रालय ने नवम्बर, 1995 में सभी राज्यों को यह सुझाव देते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि जिला परिषद के अध्यक्ष को जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय का अध्यक्ष बनाया जाए।

(ख) दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला परिषद का अध्यक्ष/सभापति/प्रमुख जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय का पदेन अध्यक्ष होगा। वह जिला ग्रामीण विकास एजेंसी के शासी निकाय की बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

अवैध उत्प्रवासी

1968. श्री जी.एम. बनातवाला:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री रवि सीताराम नायक:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलादेश की सरकार ने भारत में अवैध उत्प्रवासियों के मुद्दे का समाधान वार्ता के माध्यम से करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या बंगलादेश की सरकार ने भारत में अवैध बंगलादेशियों के होने के दावे को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बंगलादेश की सरकार ने ऐसे अवैध उत्प्रवासियों के किसी निर्वासन को रोकने के लिए भारत-बंगलादेश की सीमाओं पर अपनी सेनाओं को सतर्क कर दिया है; और

(ङ) यदि हां, जो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) हालांकि बंगलादेश सरकार का सरकारी रुख यह है कि भारत में कोई अवैध बंगला देशी अप्रवासी नहीं है, उन्होंने यह आश्वासन दिया है कि अवैध रूप से सीमा पार करने को रोकने के लिए सुरक्षा को सुदृढ़ करने संबंधी उपाय किए गए हैं।

(घ) जी नहीं, श्रीमान।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

जम्मू और कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज

1969. श्री चमन लाल गुप्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1996-97 के दौरान जम्मू और कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी जिसमें जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान भी शामिल था;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा जम्मू और कश्मीर में आर्थिक पैकेज को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए;

(ग) क्या जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय को स्थापित करने में विलम्ब है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) तत्कालीन प्रधान मंत्री ने जम्मू व कश्मीर के लिए संसद के दोनों सदनों में जुलाई/अगस्त, 1996 में एक आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी। तथापि, इस पैकेज में जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय स्थापित करना शामिल नहीं था। प्रधान मंत्री द्वारा घोषित आर्थिक पैकेज के क्रियान्वयन हेतु अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

तदोपरान्त, जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा अगस्त, 1996 में किए गए अनुरोध पर भारतीय अनुसंधान द्वारा भेजी गई एक उच्चस्तरीय टीम के संदर्भ में, तत्कालीन प्रधान मंत्री ने 13-14 फरवरी, 1997 को जम्मू में कहा था कि राज्य सरकार के साथ परामर्श करके अगले वर्ष से, जम्मू में कृषि विश्वविद्यालय शुरू करने पर निर्णय लिया जाएगा।

योजना आयोग ने दिनांक 22.7.98 को हुई एक बैठक में निधि सहायता के प्रश्न पर चर्चा की गई थी तथा यह निर्णय किया गया था कि नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 40 करोड़ (केन्द्र द्वारा भा.कृ.अ.प. के माध्यम से 25 करोड़ तथा राज्य प्लान में 15 करोड़ के द्वारा) के साथ मौजूदा सुविधाओं का उन्नयन करके और उन्हें सुदृढ़ करके कृषि विश्वविद्यालय का काम चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। राज्य सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी की जानी है और उप कुलपति की नियुक्ति की जानी है।

अतिथि गृह

1970. श्री ई. अहमद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि अतिथि गृहों का प्रयोग आतंकवादियों के छिपने के अड्डों के रूप में हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अभी तक ऐसे कितने मामलों की रिपोर्ट मिली है, तथा कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सरकार द्वारा इस तरह की अवैधानिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों से पता चलता है कि जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों द्वारा छिपने और बैठकें करने के लिए लॉज/होटलों को प्रयोग किया जा रहा है।

(ग) 1997 से 15.2.1999 तक मूल कानूनों के तहत जम्मू और कश्मीर में 772 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया और उनके विरुद्ध मामले दर्ज किए गए।

(घ) स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने एक समन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन को मजबूत करना, भीतरी क्षेत्र में उनके खिलाफ प्रतिकारक कार्रवाई करके उग्रवादियों के इरादों को विफल करना, सुरक्षा बलों की चौकियां स्थापित करना तथा ग्राम सुरक्षा समितियाँ बनाना, आसूचना तन्त्र को सक्रिय करना, पुलिस और सुरक्षा बलों का अत्याधुनिक/संवेदनशील हथियारों और संचार प्रणाली के साथ आधुनिकीकरण और उन्नयन करना, प्रशिक्षण, इत्यादि शामिल हैं।

कोचीन में मैट्रो रेल प्रणाली

1971. श्री जॉर्ज ईडन: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने मैट्रो रेल परिवहन प्रणाली के संबंध में कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) केरल सरकार से कोचीन में मध्यम दर्जे की एम आर टी एस प्रणाली हेतु व्यवहार्यता अध्ययन के लिए केन्द्रीय सहायता यावत एक प्रस्ताव फरवरी, 1998 में प्राप्त हुआ था। मंत्रालय में प्रस्ताव की जांच की गई और राज्य सरकार को अध्ययन लागत संबंधी और विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत करने की सलाह दी गई। राज्य सरकार से इस बारे में अभी ब्यौरा प्राप्त नहीं हुआ है।

चीनी का आयात

1972. श्री तथागत सत्पथी:
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:
श्री विकास चौधरी:
श्री अनन्त कुमार हेगड़े:
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री रवि सीताराम नायक:
श्री मदन पाटील:
श्री ए. वेंकटेश नायक:
श्री अजय मुखोपाध्याय:
श्री महबूब जहेदी:
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष में कितनी चीनी आयात की गई तथा इसे किन देशों से तथा किन दरों पर आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई;

(ख) देश में चीनी का वर्तमान स्टॉक कितना है;

(ग) क्या यह स्टॉक देश की आवश्यकता पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो पाकिस्तान से चीनी आयात करने के क्या कारण हैं;

(ङ) उन विदेशी देशों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने भारत में अपनी चीनी खपाई है;

(च) क्या चीनी का विश्व मूल्य गिरता जा रहा है, जिससे भारत में इसकी कीमत बढ़ी है;

(छ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में चीनी की कीमतों में कमी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ज) क्या इस आयात से घरेलू चीनी उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा चीनी उद्योग के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ञ) महाजन-समिति की सिफारिशों को कब तक लागू किया जाएगा?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) एक विवरण-I संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष (नवम्बर, 1998 तक) के दौरान चीनी के लिए किए गए आयात और करोड़ रुपये में उनके मूल्य का देशवार ब्यौरा दिया गया है।

(ख) और (ग) 30.9.1998 को समाप्त हुए चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) 1997-98 के अन्त में 53.7 लाख टन इतिशेष स्टाक था। चीनी मौसम 1998-99 दिनांक 1.10.1998 से आरम्भ हो गया है और वर्तमान चीनी मौसम के पहले पांच महीनों में चीनी के हुए उत्पादन से, 31.1.1999 को स्थिति के अनुसार अनंतिम तौर पर 79.43 लाख टन चीनी का स्टाक होने का अनुमान लगाया गया है। चीनी मौसम 1998-99 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान अनंतिम तौर पर 150 लाख टन चीनी का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और 30.9.99 को स्थिति के अनुसार 58.9 लाख टन चीनी का इतिशेष स्टाक होने का अनुमान लगाया गया है। चूंकि चीनी मौसम 1998-99 के दौरान 144 लाख टन चीनी की अंतरिम खपत होने का अनुमान लगाया गया है, इसलिए 1998-99 के दौरान चीनी की उपलब्धता घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त समझी जाती है।

(घ) पिछले वित्तीय वर्ष अथवा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान सरकारी खाते पर न तो पाकिस्तान से अथवा किसी अन्य देश से चीनी का कोई आयात किया गया है। निजी पार्टियां वाणिज्यिक दृष्टि से अपने लाभकारी निर्णयों के आधार पर चीनी का आयात कर रही हैं।

(ङ) एंटी-डम्पिंग निदेशालय घरेलू उद्योग से लिखित याचिका, जिसमें प्रथम दृष्टि में डम्प करने, घरेलू उद्योग को हानि होने और डम्पिंग तथा हानि के बीच आकस्मिक संबंध होने का साक्ष्य होना अनिवार्य है, प्राप्त होने पर ही एंटी-डम्पिंग अन्वेषण आरम्भ करता है। चीनी के मामले में एंटी-डम्पिंग निदेशालय को कोई याचिका प्रस्तुत नहीं की गई है जिसमें चीनी की डम्पिंग के बारे में कार्रवाई आरम्भ करने का अनुरोध किया गया हो।

(च) और (छ) जनवरी, 1998 से फरवरी, 1999 (9.2.99 तक) के दौरान विश्व में चीनी के मूल्यों का ब्यौरा विवरण II पर दिए गए विवरण में दिया गया है। विश्व में चीनी के मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखायी दी है हालांकि मूल्यों में प्रत्येक मास उतार-चढ़ाव होता रहा है। जहां तक चीनी के घरेलू मूल्यों का संबंध है, देश की 4 प्रमुख मंडियों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता और चेन्नई में एस. 30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्यों की रेंज दर्शाने वाला विवरण III में दिया गया है। घरेलू मूल्यों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी है हालांकि इनमें उतार-चढ़ाव होता रहा है। देश की उपर्युक्त प्रमुख मंडियों में चीनी के खुदरा मूल्य 14.50 रुपये से 17.00 रुपये प्रति किलोग्राम की रेंज में रहे हैं। अत: कुल मिलाकर, चीनी के मूल्य स्थिर रहे हैं।

(ज) और (झ) चीनी उद्योग के दो शीर्ष संगठनों नामत: इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) और नेशनल फेडरेशन आफ को-आपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एन.एफ.सी.एस.एफ.) ने सरकार को अभ्यावेदन दिया था जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया था कि आयातित चीनी की अत्यधिक आमद हो रही है और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी के मूल्य गिर रहे हैं तथा उन्होंने चीनी के आयात पर सीमा शुल्क में वृद्धि करने की मांग की थी। सरकार ने चीनी उद्योग की मांग पर विचार किया और चीनी के आयात पर सीमा शुल्क 5% से बढ़ा कर 14.1.99 से 20% कर दिया। तथापि, वित्तीय वर्ष 1999-2000 के लिए बजट प्रस्तावों में सीमा शुल्क दर ढांचे में परिवर्तन करने के साथ, 28.2.1999 से चीनी के आयात पर सीमा शुल्क में संशोधन हो गया है और यह 10% के अधिभार के साथ 25% हो गया है।

(ञ) राज्य सरकारों, योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार के अन्य विभागों के परामर्श से महाजन समिति की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। समिति की सिफारिशों के दूरगामी प्रभाव होंगे। अत: समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समय-सीमा निश्चित करना संभव नहीं है।

विवरण I

1995-96 से 1998-99 (नवम्बर, 1998 तक) के वित्तीय वर्षों के दौरान आयातित चीनी की मात्रा और उसका करोड़ रुपयों में मूल्य बताने वाला विवरण

क्र.सं.	देश का नाम	1995-96		1996-97		1997-98*		1998-99 नवम्बर, 1998 तक	
		मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)	मात्रा (टन)	मूल्य (करोड़ रु.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आस्ट्रेलिया	224	0.34	–	–	97	0.17	–	–
2.	बेल्जियम	–	–	215	0.34	2193	3.38	2561	3.63
3.	ब्राजील	145080	209.71	–	–	164243	217.05	44206	52.28
4.	फ्रांस	–	–	228	0.32	31970	41.58	32370	44.78
5.	जर्मन जन गणराज्य	215	0.34	903	1.39	7104	10.19	11736	15.26
6.	पाकिस्तान	3982	5.12	–	–	20672	29.03	403387	513.67
7.	सिंगापुर	124	0.21	–	–	5215	7.22	1500	1.93
8.	द. अफ्रीका	–	–	483	0.70	15971	22.41	234	0.35
9.	संयुक्त अरब अमीरात	105	0.17	86	0.12	22973	32.66	31251	30.97
10.	यू.के.	–	–	216	0.31	2763	3.26	5519	8.55
11.	संयुक्त राज्य अमेरिका	2	0.003	–	–	16838	22.03	–	–
12.	हांगकांग	–	–	–	–	7000	9.70	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13.	ईंडोनेशिया	–	–	–	–	64	0.28	18	0.14
14.	जापान	–	–	–	–	2700	3.53	–	–
15.	कोरिया आर.पी.	–	–	–	–	–	–	30	0.05
16.	मयांमार	–	–		–	2099	2.62	–	–
17.	मैक्सिको	–	–	–	–	6250	8.35	34427	40.28
18.	फिलीपीन	–	–	–	–	476	0.41	–	–
19.	सऊदी अरब	–	–	–	–	948	1.29	–	–
20.	थाइलैण्ड	–	–	–	–	20600	27.42	11167	13.44
21.	कनाडा	–	–	–	–	72	0.18	19	0.05
22.	चीन ताइपे	–	–	–	–	एन.ए.	0.61	215	0.29
23.	चीन पी.आर.पी.	–	–	–	–	–	एन.ए.	8666	10.95
24.	ईरान	–	–	–	–	–	–	430	0.49
25.	नीदरलैंड	–	–	–	–	–	–	539	0.69
26.	सुडान	–	–	–	–	–	–	8500	12.37
	जोड़	150632	215.893	2131	3.18	330248	443.37	596775	768.17

स्रोत: डी.जी.सी.आई.एस.–कलकत्ता, वाणिज्य मंत्रालय

*अनंतिम

विवरण II

श्वेत चीनी के लंदन दैनिक मूल्यों का जहाज तक निष्प्रभार मूल्य (मूल्य अमरीकी डालर प्रति टन)

1.	जनवरी, 1998	298.00
2.	फरवरी, 1998	281.84
3.	मार्च, 1998	269.52
4.	अप्रैल, 1998	256.30
5.	मई, 1998	264.53
6.	जून, 1998	260.08
7.	जुलाई, 1998	256.90
8.	अगस्त, 1998	256.10
9.	सितम्बर, 1998	221.99
10.	अक्तूबर, 1998	220.45
11.	नवम्बर, 1998	237.13
12.	दिसम्बर, 1998	241.86
13.	जनवरी, 1999	242.29
14.	फरवरी, 1999 (19.2.99 तक)	230.61

विवरण III

वित्तीय वर्ष 1998-99 (फरवरी, 99 तक) में देश की चार प्रमुख मंडियों में एस.-30 ग्रेड की चीनी के थोक मूल्यों की रेंज

(रुपये प्रति क्विंटल)

मास	रेंज (सभी 4 केन्द्र)
अप्रैल, 1998	1425-1590
मई, 1998	1470-1615
जून, 1998	1413-1610
जुलाई, 1998	1423-1600
अगस्त, 1998	1368-1625
सितम्बर, 1998	1328-1620
अक्तूबर, 1998	1384-1600
नवम्बर, 1998	1366-1570
दिसम्बर, 1998	1368-1600
जनवरी, 1999	1378-1600
फरवरी, 1999	1383-1600

[हिन्दी]

दिल्ली के निकटस्थ शहरों को एक्सप्रेस राजमार्गों से जोड़ना

1973. श्री पंकज चौधरी:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राजधानी में बढ़ते प्रदूषण और यातायात समस्या पर नियंत्रण लगाने के लिए दिल्ली के समीपस्थ शहरों को एक्सप्रेस राजमार्गों से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) जी, हां। प्रथम चरण में निम्नलिखित 4 एक्सप्रेस मार्गों को हाथ में लेने का प्रस्ताव है:

(1) फरीदाबाद-नोयडा-गाजियाबाद एक्सप्रेस मार्ग (56 कि.मी.)

(2) गाजियाबाद-मेरठ एक्सप्रेस मार्ग (60 कि.मी.)

(3) सोनीपत-पानीपत एक्सप्रेस मार्ग (70 कि.मी.)

(4) एक एक्सप्रेस मार्ग, लोनी से अलीगढ़ तक वाया नोयडा-ग्रेटर नोयडा-खुर्जा (150 कि.मी.)

उपर्युक्त के अलावा, दिल्ली सरकार का बनाओ-अपनाओ-चलवाओं-सौंपी (बूट) आधार पर एक परिधीय एक्सप्रेस मार्ग के निर्माण का भी प्रस्ताव है, जो हरियाणा में कोंडली से आरम्भ होकर करीब 85 कि.मी. की लम्बाई का होगा जो टीकरी कलां के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग-10 तथा रजोकरी के समीप रा. राजमार्ग-8 को पार करेगा तथा गांव शाहपुर खुर्द के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के साथ जुड़ेगा।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव/परियोजनाएं कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

[अनुवाद]

शीतागार

1974. **श्री अशोक नामदेवराव मोहोल:**
श्री माधवराव पाटील:
श्री विठ्ठल तुपे:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान समय में प्रत्येक राज्य में कितने शीतागार कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या मौजूदा शीतागारों की भंडारण क्षमता बहुत कम है;

(ग) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान सरकार को अनुमानित वार्षिक नुकसान कितना हुआ;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने देश में फलों और सब्जियों के लिए नया भंडारण मूलभूत ढांचा तैयार करने के लिए अगले पांच वर्षों तक आसान ऋण और अनुदान के रूप में 230 करोड़ रुपये प्रदान करने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किन-किन राज्यों की पहचान की गई है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (ङ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

ईसाइयों के संबंध में सर्वेक्षण

1975. **श्री अजय मुखोपाध्याय:**
डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य सरकारों ने इसाइयों के आपराधिक रिकार्डों की धनराशियों, वाहनों तथा उनके स्रोतों के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए राज्यवार सर्वेक्षण आरंभ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस निर्णय से भारत के ईसाई समुदाय में अत्याधिक रोष पैदा हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) गुजरात सरकार ने सूचित किया है कि कानून और व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सद्भावना बनाए रखने की दृष्टि से राज्य पुलिस ने कुछ समुदायों के संबंध में नैमित्तिक स्वरूप की सूचना एकत्र करने के लिए अनुदेश जारी किए। तथापि, राज्य पुलिस ने, तदोपरांत,

सभी संबंधित अधिकारियों को निदेश जारी किए कि इस संबंध में आगे कोई कार्रवाई न करें। इस बारे में यह भी कहना होगा कि ये मामले गुजरात उच्च न्यायालय में लंबित पड़े हैं और विचारणाधीन हैं।

अन्य किसी राज्य सरकार द्वारा इसी प्रकार का कोई सर्वेक्षण कराने के संबंध में कोई रिपोर्ट नहीं है।

[हिन्दी]

युवा राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी का गठन

1976. श्री ब्रजमोहन राम: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्र के पुनर्निर्माण कार्य में युवाओं की भागीदारी निभाने के लिए 18 से 35 वर्ष के उम्र के लोगों को शामिल करने के लिए एक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी का गठन किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उन उद्देश्यों का ब्यौरा क्या है, जिनके लिए उक्त सह-वाहिनी का गठन किया जा रहा है;

(ग) इस योजना के कब तक आरंभ किये जाने की संभावना है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में ऐसे कौन-कौन से जिले हैं जहां इस पर पहले अमल किया जाना है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए युवाओं को अवसर प्रदान करके मानव विकास तथा राष्ट्र निर्माण के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने की दृष्टि से राष्ट्रीय पुनर्निर्माण वाहिनी योजना तैयार की गई है। यह योजना उन सभी युवाओं को अवसर प्रदान करेगी जो पूर्णकालिक आधार पर समुदाय की सेवा करने के लिए अभिप्रेरित महसूस करते हैं। गरीबी, निरक्षरता, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, सामाजिक बुराईयाँ तथा पर्यावरण संरक्षण आदि से संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिन पर युवाओं द्वारा ध्यान दिया जाएगा।

(ग) योजना का आदिरूप उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले की मलीहाबाद तहसील में स्थित मिश्री बाग, मल्लाही टोला में दिनांक 12.1.99 को, जो स्वामी विवेकानंद की जन्म शती है, 21 स्वयंसेवकों के साथ प्रायोगिक आधार पर आरंभ किया गया है।

(घ) प्रत्येक राज्य में उन जिलों के नामों का अभी निर्णय किया जाना है जिनको इस योजना में शामिल किए जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

नए राज्यों का गठन

1977. श्री हरि केवल प्रसाद:
श्री दादा बाबूराव परांजपे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और वनांचल के गठन की मांग के साथ-साथ देश के अन्य भागों में नए राज्यों के गठन की मांगें उठ रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो देश के किन-किन भागों से नए राज्यों की मांगे उठ रही हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) उत्तरांचल, छत्तीसगढ़ और वनांचल के सृजन की मांगों के अलावा असम में बोडोलैंड, पश्चिम बंगाल में गोरखालैंड, उत्तर प्रदेश/मध्य प्रदेश में बुन्देलखंड उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल, महाराष्ट्र में विदर्भ, गुजरात में सौराष्ट्र, उड़ीसा में कौशल, पांडिचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इत्यादि पृथक राज्यों के सृजन की मांगें भी प्राप्त हुई हैं।

[अनुवाद]

कच्छ में नहर का निर्माण

1978. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत की कच्छ सीमा पर नहर के निर्माण का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस समय मामला किस चरण में है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सुरक्षा उपायों के रूप में भारत की कच्छ सीमा के साथ-साथ नहर के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इस मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल चौकियों को आगे बढ़ाकर अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप करने के उद्देश्य से इनमें सीमा बुर्ज सं. 921 से 951 तक लूनी नदी बेसिन क्षेत्र में सीमा चौकियों पर बाढ़ लगाने/तेज रोशनी की व्यवस्था करने/सीमा चौकियां बनाने के लिए रन सीमा के साथ-साथ एक पुश्ते के निर्माण की स्वीकृति दी है।

[हिन्दी]

मेट्रो रेल ट्रांजिट सिस्टम

1979. श्री रामपाल सिंह: क्या **शहरी कार्य और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली मेट्रो कारपोरेशन ने वन संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के मैट्रो नेटवर्क के निर्माण कार्य के लिए स्वीकृति प्राप्त कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने उक्त परियोजना के कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (ग) दिल्ली एम आर टी एस परियोजना को रेल कारीडोर के शाहदरा-प्रताप नगर खंड के निर्माण के लिए 5199 वृक्ष गिराने पड़ेंगे। दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि. ने उन वृक्षों को गिराने के लिए दिल्ली वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत अनुमति मांगी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अब तक केवल 140 वृक्ष गिराने की अनुमति प्रदान की है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के वन विभाग का कहना है कि भूमि के जिस भाग पर ये वृक्ष हैं, वह भूमि वन-भूमि है अत: उन्होंने वन (संरक्षण) अधिनियम, 1976 के तहत यह मामला पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के साथ उठाया है।

(घ) विभिन्न मुद्दों, जिनमें यह मुद्दा भी शामिल है, के समाधान के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन लि., राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ बार-बार तथा समय-समय पर बैठकें की जाती हैं।

सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण

1980. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उत्तर प्रदेश में बनाए गए नये जिलों में खासकर कौसानी जिले में वहां के ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए सांस्कृतिक केन्द्र का निर्माण किए जाने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) राज्यों में बहुद्देशीय सांस्कृतिक परिसरों, जिनमें बालकों के लिए परिसर शामिल हैं, की स्थापना की स्कीम के अंतर्गत, सांस्कृतिक परिसर के निर्माण के लिए राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी स्वायत्त निकाय को 1 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले में किसी सांस्कृतिक परिसर के लिए अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

क्रेचों की कमी

1981. श्री अजीत जोगी: क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई दिल्ली क्षेत्र की कामकाजी महिलाओं की समस्याओं से अवगत है जिनके आसपास के क्षेत्र में कोई क्रेच नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हां, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार संसाधनों की कमी के कारण इन दिनों दिल्ली में 277 शिशुगृहों को सहायता प्रदान कर पा रही है।

भोपाल गैस विभीषिका

1982. **श्री माधवराव सिंधिया:**
श्री सुशील कुमार शिंदे:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भोपाल गैस पीड़ितों को राहत प्रदान करने और क्षति के लिए मुआवजा प्रदान करने में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार ने इन गैस पीड़ितों की राहत और उनके साथ न्याय के लिए भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन सुनिश्चित किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) कल्याण आयुक्त के कार्यालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार 7,30,901 दावों पर अधिनिर्णय करने के बाद 31.12.1998 तक मुआवजे के रूप में कुल लगभग 996 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल गैस पीड़ितों के लिए तैयार की गई कार्रवाई योजना के अंतर्गत विभिन्न पुनर्वास योजनाओं के लिए कुल 258 करोड़ रु. का परिव्यय मंजूर किया गया था। इस व्यय को केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन किया जाना है। मध्य प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इन स्कीमों पर 31.12.1998 तक 202.18 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इस धन राशि में से केन्द्र सरकार ने लगभग 166 करोड़ रु. दिए हैं।

(ख) और (ग) भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, किन्तु भारत सरकार का यह प्रयास है कि भोपाल गैस रिसाव पीड़ितों को राहत एवं न्याय दिलाया जाए।

[हिन्दी]

आयातित वस्तुओं का मूल्य

1983. **श्री राम नारायण मीणा:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी प्रशासनिक और अन्य खर्च जोड़कर आयातित गेहूं, चावल, दालों और खाद्य तेलों आदि का मूल्य किसानों के लिए निर्धारित इन वस्तुओं के खरीद मूल्य से अधिक है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) आयातित कृषि उत्पादों की लागत और किसानों के लिए निर्धारित उनके घरेलू/वसूली मूल्यों की सही-सही तुलना करना संभव नहीं हैं क्योंकि ये मांग और आपूर्ति स्थिति, उपभोक्ता तरजीह, विभिन्न किस्मों और व्यापार की अन्य शर्तों पर निर्भर होते हैं।

[अनुवाद]

भारतीय विज्ञान का स्तर

1984. **श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारतीय विज्ञान के गिरते स्तर की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गए विज्ञान संबंधी प्रमुख नीति निर्णय वर्किंग बेंच लेबल के वैज्ञानिकों को नहीं बताए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विभिन्न मंचों पर व्यक्त विचारों से यह संकेत मिलता है कि विगत पांच वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मूलभूत अनुसंधान में गिरावट आई है। फिर भी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, भारत ने विगत पांच वर्षों में अनेक क्षेत्रों जैसे-कृषि, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी, महासागर विकास, औद्योगिक अनुसंधान, जैव-चिकित्सा अनुसंधान, कम्प्यूटर विज्ञान आदि में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं।

(ग) और (घ) नीतिगत निर्णय लेने वाली अनेक उच्च स्तरीय बैठकों में राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं, विश्वविद्यालयों एवं उच्च शिक्षा

संस्थाओं से वर्किंग बेंच स्तर के वैज्ञानिक/शिक्षाविद्/प्रौद्योगिकविद् शामिल हैं। उद्योगोन्मुख अनुसंधान और विकास के क्षेत्रों जैसे-जैव प्रौद्योगिकी, औषधि एवं फार्मास्यूटिकलों, प्रौद्योगिकी विकास, उपस्कर विकास आदि में संबंधित औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधि भी निर्णयगत कार्यक्रम में भाग लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान अकादमियों, इंजीनियरी अकादमी और इसी तरह की अन्य सक्रिय विज्ञान और प्रौद्योगिकी व्यावसायिक निकाय भी वर्किंग बेंच स्तर के वैज्ञानिकों के नीतिगत निर्णय के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसके अलावा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित मुद्दों के संप्रेषण में वैज्ञानिक पत्रिकाएं भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं।

[हिन्दी]

बिहार में चीनी मिल

1985. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में इस समय चीनी निगम के अंतर्गत चल रही चीनी मिलों की स्थिति क्या है;

(ख) राज्य में कितनी चीनी मिलें बन्द होने के कगार पर हैं;

(ग) उनके बन्द होने के क्या कारण हैं;

(घ) इन रुग्ण चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए क्या कदम उठाए गए/प्रस्तावित हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछेक चीनी मिलों का आधुनिकीकरण करने का है;

(च) यदि हां, तो मिलवार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस योजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार, बिहार राज्य चीनी निगम लि. के अधीन 15 चीनी मिलें थीं। 1998-99 चीनी मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान इन सभी 15 चीनी मिलों ने कार्य नहीं किया है।

(ग) से (छ) चीनी मिलें कई कारणों से बन्द हो सकती हैं, जैसे-गन्ने की अपर्याप्त उपलब्धता, अव्यवहार्य आकार, पुराने प्लांट तथा मशीनरी, तकनीकी तथा प्रबंध संबंधी अक्षमता, अत्यधिक गन्ना मूल्य जो बिक्री से प्राप्त राशि के अनुरुप नहीं हो, वित्तीय संकट तथा अन्य कई कारण। चीनी मिलों को पुन: आरम्भ करने/पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण की योजनाएं स्वयं ही तैयार करनी होती है तथा उन्हें वित्तीय संस्थानों से स्वीकृत कराना होता है।

गन्ना विकास तथा पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए रियायती ब्याज दर पर चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध है, बशर्ते वे निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती हों।

सर्कस में जानवर

1986. श्री गजेन्द्र सिंह राजूखेड़ी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिसम्बर 1998 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के बाद शेरों, बाघों, भालुओं और अन्य जानवरों से सर्कस में काम नहीं लिया जा सकता;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के परिणामस्वरूप सर्कसों में काम करने वाली 400 से अधिक जानवर भूखों मरने के कगार पर हैं;

(ग) यदि हाँ, तो क्या केन्द्रीय प्रणाली संग्रहालय प्राधिकरण ने भी इन जानवरों को अपने संरक्षण में लेने से इन्कार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इन जानवरों को भुखमरी से बचाने हेतु सरकार क्या कार्रवाई कर रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी) (क) से (घ) उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 16 दिसम्बर, 1998 के आदेश द्वारा भालुओं, बन्दरों, बाघों, तेन्दुओं तथा शेरों के करतब करने वाले जानवरों के रूप में प्रदर्शन अथवा प्रशिक्षण पर रोक लगाने संबंधी भारत सरकार की दिनांक 14.10.98 को अधिसूचना के लागू होने के स्थगन संबंधी प्रार्थना से संबंधित भारतीय सर्कस फेडरेशन के उच्च न्यायालय, दिल्ली में सी.डब्ल्यू.पी. 890/91 में सिविल विविध याचिका संख्या 12015/98 के तहत आवेदन को खारिज कर दिया गया है। उपर्युक्त आदेश में उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार, भारत सरकार ने भारतीय सर्कस फेडरेशन के सदस्य सर्कसों में जानवरों की दो महीने की

देखभाल के लिए भुगतान पहले ही कर दिया है। इन सर्कसों द्वारा पशुओं को वापस लौटाने के प्रश्न पर उच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा अभी निर्णय किया जाना है।

सात अलग-अलग सर्कसों के कर्मचारियों ने उपर्युक्त दिनांक 14.10.98 की अधिसूचना के लागू होने के संबंध में केरल उच्च न्यायालय से अन्तरिम स्थगन प्राप्त कर लिया है। जैसे ही दिल्ली उच्च न्यायालय और केरल उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश दिए जाते हैं, भारत सरकार इन सर्कसों से जानवर प्राप्त करने और उनका पुनर्वास करने की कार्रवाई शुरू कर देगी।

[अनुवाद]

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए में संशोधन

1987. कर्नल सोनाराम चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-ए के तहत आने वाले अपराधों को गैर-जमानती बनाकर, उन्हें संशोधित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे संशोधन को किस तारीख तक सभा में ले जाया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी नहीं, श्रीमान। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498-क के तहत आने वाला अपराध पहले ही गैर-जमानती है।

एफ.सी.आई. तिरुअनंतपुरम में डा. अम्बेडकर की मूर्ति की प्रतिस्थापना

1988. श्री वारकला राधाकृष्णन: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम को तिरुअनंतपुरम स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में डा. अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिस्थापित किए जाने के संबंध में अनुमति दिए जाने हेतु कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालय त्रिवेन्द्रम में डा. अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित करने की अनुमति लेने हेतु भारतीय खाद्य निगम को तीन ज्ञापन प्राप्त हुए हैं:

(1) एफ.सी.आई. शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एम्पलायज वेलफेयर एसोसिएशन रीजनल कमेटी (केरल) त्रिवेन्द्रम का दिनांक 24.3.1997 का ज्ञापन।

(2) एफ.सी.आई. एम्पलायज यूनियन रीजनल कमेटी (केरल) त्रिवेन्द्रम का दिनांक 30.8.1997 का ज्ञापन।

(3) एफ.सी.आई. शेडयूल कास्ट एंड शेडयूल ट्राइब्स एम्पलायज वेलफेयर एसोसिएशन रीजनल कमेटी (केरल) त्रिवेन्द्रम का दिनांक 18.8.1998 का ज्ञापन।

(ग) चूंकि यह मामला स्थानीय निकाय/संबंधित राज्य सरकार से संबंधित है इसलिए दिल्ली से बाहर मूर्ति स्थापित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कोई मार्गदर्शी सिद्धांत निर्दिष्ट नहीं किए गए हैं।

आई.एस.आई./आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि

1989. श्री गुरुदास कामत:
श्री तारिक अनवर:
श्री जंगबहादुर सिंह पटेल:
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्री कृष्ण लाल शर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आई.एस.आई. और आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों की इसी अवधि की तुलना में वर्ष 1998 तथा 1999 के दौरान अब तक माह-वार और स्थान-वार आई.एस.आई. और आतंकवादी गतिविधियों के कारण कितने व्यक्ति मारे गए/घायल हुए;

(ग) क्या इन घटनाओं के शिकार हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 1998 के दौरान आई.एस.आई. के एजेन्टों से कितनी मात्रा में आर.डी.एक्स. जब्त किया गया और इस संबंध में कितने लोगों को गिरफ्तार/दंडित किया गया;

(च) आई.एस.आई. के कितने एजेन्ट और आतंकवादी गिरफ्तार किए गए/मारे गए/पूछताछ की गई और कितने अभी जेलों में बंद हैं;

(छ) कितने मामलों में मुकदमा चल रहा है और आई.एस.आई. के कितने एजेन्ट/आतंकवादियों को दंड दिया गया और ऐसे एजेन्टों के विरुद्ध किस प्रकार की कार्यवाही की गई; और

(ज) आई.एस.आई. एजेन्टों का देश में प्रवेश रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ज) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

सल्फ्यूरिक एसिड

1990. **श्री अमर कुमार नागरा:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरावकादु, ऊटी, तमिलनाडु में सल्फ्यूरिक एसिड विपणन करने की बजाए इसे कारडाइट प्लारखाने द्वारा बहाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, नहीं। रक्षा मंत्रालय, जो कि प्रशासनिक मंत्रालय है, द्वारा दी गई सूचना के अनुसार तनु गंधक के अम्ल (डिल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड) को सान्द्र किया जाता है और इसका यथा संभव पुन: प्रयोग किया जाता है। फैक्ट्री के अम्ल खंड से निस्राव, जिसे बाहर निकालना जरूरी होता है, का तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की विनिर्दिष्टताओं के अनुरूप उपयुक्त उपचार (निपटान) किया जाता है।

(ख) उपरोक्त (क) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

जम्मू और कश्मीर को वित्तीय सहायता

1991. **वैद्य विष्णु दत्त:**
श्री रवि सीता राम नायक:
श्री फ्रांसिस्को सारदीना:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर को वर्षवार तथा योजनावार कितना आबंटन किया गया है;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उक्त अवधि के दौरान कितनी अतिरिक्त सहायता मांगी गई है;

(ग) क्या राज्य सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान मांगी गई सहायता जारी कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ङ) गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक जम्मू और कश्मीर सरकार को वित्त मंत्रालय द्वारा दिए गए विभिन्न अनुदानों का आवंटन और रिलीज दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(करोड़ों रुपयों में)

	1995-96		1996-97		1997-98		1998-99	
	आबंटित	जारी किया गया	आबंटित	जारी किया गया	आबंटित	जारी किया गया	आबंटित	जारी किया गया
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. सामरूप केन्द्रीय सहायता	961.00	995.58	1119.78	960.00	961.00	961.00	986.08	902.37
2. मूल न्यूनतम सेवाएं	–	–	156.52	156.52	156.52	156.52	164.80	150.57
3. स्लम विकास स्कीमें	–	–	3.26	3.26	4.18	3.74	6.59	5.90
4. विशेष केन्द्रीय सहायता	378.50	383.50	663.00	663.00	850.00	850.00	850.00	763.86
5. विशेष योजना सहायता/ऋण	44.00	44.00	100.00	100.00	200.00	200.00	250.00	250.00
6. बाहर से सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	10.00	6.50	10.00	12.42	4.99	10.51	11.00	8.42
7. सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	20.68	20.68	20.68	20.68	10.34	10.34	21.38	10.69
8. गैर-योजना राजस्व घाटा अनुदान	535.32	535.39	419.05	419.05	170.85	170.85	58.84	53.94
9. विपदा राहत कोष	13.95	13.95	14.78	14.78	15.59	15.59	16.39	16.39
10. विपदा राहत के लिए राष्ट्रीय कोष	–	18.17	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. संसाधनों में अन्तर को पूरा करने के लिए अन्य गैर-योजना अनुदान	–	–	4.80	–	–	–	–	
12. अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	–	–	–	67.00	67.00	112.00	100.00	
13. रेलवे यात्री भाड़े सहित केन्द्रीय करों में हिस्सा	609.69	832.91	832.91	1102.00	1102.00	1155.32	945.87	
14. त्वरित सिंचाई सुविधा कार्यक्रम	–	–	–	50.00	–	50.00	–	
15. विशेष समस्या अनुदान	–	9.40	5.55	11.75	–	14.10	5.50	
16. उन्नयन अनुदान	–	11.75	2.77	14.69	2.94	17.63	5.40	
17. स्थानीय निकायों के लिए अनुदान	–	12.42	12.42	12.42	3.10	12.42	–	

उधार पर चीनी की खरीद

1992. **श्री के.एस. राव:**
डा शकील अहमद:
श्री नरेश पुगलीया:
डा. रवि मल्लू:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चीनी की मांग को पूरा करने हेतु विभिन्न चीनी मिलों से उधार पर चीनी की खरीद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितनी मात्रा में उधार पर चीनी की खरीद किए जाने की संभावना है तथा यह खरीद किन-किन चीनी मिलों से कितनी-कितनी मात्रा में की जायेगी;

(घ) सरकार के पास वर्तमान में चीनी का कितना भंडार है;

(ङ) क्या उपायों की सिफारिश किए जाने से पूर्व राज्य सरकारों के विचार को जानने हेतु किसी विशेषज्ञ दल से अध्ययन करने हेतु कहा गया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेतु समुचित चीनी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) गत दो लगातार मौसमों के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी के मद्देनजर लेवी खाते में घाटा हुआ है। अत: अक्तूबर माह, 1998 के लिए एक स्वीकृत मूल्य निर्धारण फार्मूले के अनुसरण में उद्योग के खुली

बिक्री हिस्से में से 3 लाख टन चीनी खरीदी गई थी। इसके अतिरिक्त अक्तूबर-नवम्बर, 1997 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन उपयोग के लिए उद्योग के खुली बिक्री हिस्से में उधार ली गई 5 लाख टन चीनी को भी खरीद में परिवर्तित कर दिया गया था।

(ग) से (छ) नवम्बर माह, 1998 के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकता को पूरा करने के लिए चीनी फैक्ट्रियों के खुली बिक्री हिस्से में से 2 लाख टन चीनी उधार ली गई थी। फैक्ट्रियों के नाम तथा उधार की मात्रा दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादित चीनी का भंडारण स्वयं फैक्ट्रियों द्वारा ही किया जाता है न कि सरकार द्वारा। 31.1.1999 की स्थिति के अनुसार, फैक्ट्रियों के पास चीनी का भंडार 79.43 लाख टन (अनंतिम) था। विगत मौसम के पूर्वाविशिष्ट स्टॉक तथा चालू मौसम 1998-99 के दौरान 150 लाख टन के संभावित उत्पादन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली सहित देश में चीनी की आवश्यकता पूरी हो जायेगी।

विवरण

खुली बिक्री से लेवी में ली गई उधार की मात्रा में मिल-वार हिस्सा

(1997-98 मौसम के उत्पादन में से)

(आंकड़े टन में)

क्र. सं.	प्लांट कोड	प्लांट का नाम	आवंटन
1	2	3	4
राज्य पंजाब			
1.	00101	गुरदासपुर	553.3
2.	00102	जीरा	555.4
3.	00201	बटाला	354.8
4.	00301	फाजिल्का	393.1
5.	00401	मोरिन्डा	694.1
6.	00501	भोगपुर	250.3
7.	00601	नवांशहर	990.7
8.	00701	पटियाला	179.9
9.	00801	बुडवाल	499.3
10.	01001	फगवाड़ा	1080.3
11.	31601	सेरोन	306.4
12.	31901	नाकोदर	318.3
उपजोड़			6205.9
राज्य हरियाणा			
13.	01101	रोहतक	519.6
14.	01201	पानीपत	236.0
15.	01301	करनाल	681.8
16.	01401	सोनीपत	512.0
17.	01501	शाहबाद	964.1
18.	01601	पलवल	577.5
19.	01701	जीन्द	639.3
20.	01801	यमुनानगर	3407.6
उपजोड़			7537.9

1	2	3	4
राज्य राजस्थान			
21.	01901	श्रीगंगानगर	81.5
22.	02001	केशोरायपाटन	53.2
23.	02101	भूपालसागर	53.1
उपजोड़			187.8
राज्य उत्तर प्रदेश			
24.	02201	मोहियूद्दीनपुर	172.3
25.	02202	सखोली टांडा	101.8
26.	02203	मेरठ	36.4
27.	02201	बुलंद शहर	53.3
28.	02206	रोहाना कलां	93.4
29.	02208	बिजनौर	198.9
30.	02209	अमरोहा	148.2
31	02210	रामपुर	52.3
	02211	बरेली	12.5
33.	02212	माहोली	15.5
34.	02213	हरदोई	21.3
35.	02214	बाराबंकी	17.3
36.	02215	बुरवल	24.6
37.	02217	पिपराइच	16.1
38.	02218	घुघली	31.4
39.	02220	खड्डा	97.0
40.	02221	लक्ष्मीगंज	42.3
41.	02222	रामकोला (कोरय)	19.1
42.	02223	भटनी	25.9
43.	02224	छितौनी	41.0
44.	02225	मुन्डेरवा	24.3
45.	02301	बागवत	151.7
46.	02501	रमाला	80.9
47.	02601	अनूपशहर	211.6
48.	2601	सरसावां	138.3
49.	02701		ननौता
106.8			

1	2	3	4
50.	02801	मोरना	124.1
51.	02901	दोराला	284.2
52.	02902	मवाना	342.4
53.	03001	देवबंद	269.7
54.	03002	रामकोला	103.7
55.	03101	इक्बालपुर	94.2
56.	03201	लक्सर	179.1
57.	03301	खतौली	368.9
58.	03401	मनसूरपुर	153.2
59.	03501	शामली	283.7
60.	03601	मोदीनगर	79.2
61.	03701	सिम्भावली	245.5
62.	03801	छाता	60.1
63.	03901	चांदपुर	131.1
64.	04001	किछा	174.8
65.	04201	गजरौला	51.7
66.	04301	बिलासपुर	86.3
67.	04401	बाजपुर	208.6
68.	04501	नदेही	146.7
69.	04601	सीतारगंज	150.8
70.	04701	गदरपुर	172.6
71.	04801	हरदुआगंज	64.1
72.	04901	बिसलपुर	110.8
73.	05001	मझोला	82.0
74.	05101	पूरनपुर	57.0
75.	05201	कायमगंज	25.4
76.	05301	बदायुं	57.4
77.	05401	तिलहर	69.9
78.	05501	बेलरायन	202.5
79.	05601	सम्पूर्णनगर	200.1
80.	05701	सेमीखेड़ा	100.4
81.	05801	धामपुर	131.8

1	2	3	4
82.	05901	सेवहारा	378.6
83.	06101	काशीपुर	79.3
84.	06102	पीलीभीत	168.5
85.	06301	गोला	396.6
86.	06401	ऐरा	171.8
87.	06601	बहेड़ी	265.7
88.	06701	नियोली	35.3
89.	06801	हरगांव	211.8
90.	06901	नंदगंज	10.3
91.	06902	दरियापुर	54.7
92.	07001	नानपारा	73.3
93.	07101	काशी	20.1
94.	07201	रसरा	22.9
95.	07301	सेधियां	43.4
96.	07401	घोसी	31.6
97.	07501	सुल्तानपुर	32.3
98.	07601	महमूदाबाद	124.8
99.	07801	सरदारनगर	58.9
100.	07901	कैप्टनगंज	86.5
101.	08001	पडरौना	49.1
102.	08002	कठकुईयां	14.5
103.	08201	बैतालपुर	39.5
104.	08301	देवरिया	27.7
105.	08401	प्रतापपुर	123.6
106.	08501	वाल्टरगंज	21.8
107.	08701	रतना	32.2
108.	08801	के.एम. शुगर	91.4
109.	08901	बलरामपुर	128.4
110.	09001	तुलसीपुर	105.1
111.	09101	नवाबगंज	17.4

1	2	3	4
112.	31701	पोवायन	36.1
113.	31801	घाटमपुर	23.0
114.	32901	नजीबाबाद	119.6
**उपजोड़			40118.0
राज्य मध्य प्रदेश			
115.	09301	मोरेना	198.6
116.	09401	बरलाई	118.9
117.	09501	नवलनगर	370.8
118.	09601	डाबर	380.2
119.	10001	जावरा	117.9
उपजोड़			1186.4
राज्य गुजरात			
120.	10101	बारदोली	3804.8
121.	10201	माढ़ी	3265.8
122.	10301	चालथन	2131.1
123.	10401	सायन	2915.8
124.	10501	महुवा	1150.9
125.	10601	धनियारी	245.9
126.	10701	गणदेवी	2230.3
127.	10801	मरोली	581.7
128.	10901	वलसाड	1480.6
129.	11001	कोडीनार	1549.9
130.	11201	ऊना	430.8
131.	11301	तलाला	703.0
132.	11501	पलाज	297.3
133.	32101	वटारिया	1445.4
**उपजोड़*			21933.3
राज्य महाराष्ट्र			
134.	11801	निफड	1813.4
135.	11901	कर्मवीरी	646.8

1	2	3	4
136.	12001	मतेरवाडी	558.3
137.	12101	पाल्सी	173.1
138.	12201	विथवाडी	1326.5
139.	12301	संजीवनी	1468.8
140.	12401	कोपरगांव	1625.0
141.	12501	गणेशनगर	640.7
142.	12601	अशोकनगर	902.0
143.	12701	परवारनगर	2340.5
144.	12801	राहुरी	1233.1
145.	12901	श्रीगोंडा	1155.6
146.	13001	संगमनेर	2204.9
147.	13101	भींड	1953.6
148.	13401	सोनाई	2050.1
149.	13601	नीरा	1379.7
150.	13701	मालेगांव	1675.4
151.	13801	भवानीनगर	1581.6
152.	13901	बेचूर	1726.6
153.	14001	पटास	2137.2
154.	14101	जून्नार	1480.5
155.	14201	अकलुज	2138.4
156.	14301	सदाशिवनगर	1333.8
157.	14401	कुमाथे	1917.9
158.	14501	गुरसाले	2236.5
159.	14601	वैराग	580.0
160.	14701	भीमा	952.8
161.	14801	श्रीराम	347.2
162.	14901	कृष्णा	3383.8
163.	15001	धुंज	1196.6
164.	15101	मराली	754.9
165.	15201	सहयाद्री	2465.7
166.	15301	शेन्द्रे	1320.5
167.	15401	सांगली	2294.9

1	2	3	4
168.	15501	वाल्वा	3099.2
169.	15601	विश्वास	854.8
170.	15701	हुतात्मा	3317.4
171.	15801	अटपाड़ी	407.8
172.	15901	नागेवाड़ी	656.3
173.	16001	महाकाली	884.9
174	16101	वारना	2767.8
175.	16201	आईचलकरंजी	1314.1
176	16301	कुम्भीकेसरी	1750.3
177.	16401	बिदरी	1742.1
178.	16501	भोगावती	2020.8
179.	16601	शिरोल	2532.6
180.	16701	दौलत	907.3
181.	16801	गाधीगलज	1007.0
182.	16901	कागल	1594.9
183.	17001	असरुले	276.5
184.	17901	फाल्टन	560.0
185.	18001	कोल्हापुर	1001.6
186.	18301	कन्नड़	305.9
187.	18601	टेरना	1731.0
188.	18701	नालदुर्ग	572.3
189.	18801	कालम्बर	130.2
190.	18901	शंकर नगर	186.7
191.	19101	सतपुड़ा	763.3
192.	19301	पुसाद	845.0
193.	19501	पाथरी	127.7
194.	19601	बास्मथनगर	773.4
195.	19701	अम्बाजोगाई	852.6
196.	19801	गेवराय	541.7
197.	20201	फैजपुर	853.2
198.	20301	भोरस	124.1
199.	20501	शिरपुर	599.9

1	2	3	4
200.	20601	समर्थ	612.6
201.	20801	नालेगांव	739.7
202.	20901	मंजारा	1599.2
203.	21001	किल्लारी	958.3
204.	21301	जामानी	280.5
205.	32301	गोलेगांव	355.2
206.	33101	इदापुर	1297.2
**उपजोड़*			90571.8
राज्य बिहार			
207.	21501	हसनपुर	191.0
208.	21701	हरीनगर	1568.1
209.	21901	मझौला	622.1
210.	22101	मोतीहारी	267.0
211.	22301	गोपालगंज	739.5
212.	22501	रीघा	412.0
**उपजोड़*			3800.0

1	2	3	4
राज्य असम			
213.	22701	चारगोला	41.6
214.	22901	नौगाँग	251.7
**उपजोड़*			293.3
राज्य उड़ीसा			
215.	23001	अस्का	227.2
216.	23101	बारगड	572.8
**उपजोड़*			800.0
राज्य आंध्र प्रदेश			
217.	23601	साकरनगर	1616.0
218.	23602	जहीराबाद	1134.9
219.	23605	मेटापल्ली	596.4
220.	23608	मेडक	39.7
221.	23701	निजामाबाद	520.0
222.	23801	अमादलवालसा	216.0
223.	23901	चोडवरम	1969.0

1	2	3	4
224.	24001	अनाकपल्ली	400.8
225.	24101	इटीकोप्पका	1125.8
226.	24201	थोडवा	1165.5
227.	24301	विजयरामा	627.7
228.	24501	भीमडोले	195.3
229.	24601	हनुमान	267.9
230.	24701	पलयार	644.3
231.	25101	तैनाली	232.7
232.	25201	कोवुर	1038.4
233.	25301	चित्तूर	990.0
234.	25401	तिरूपति	772.5
235.	25501	चागल्लू	3609.2
236.	25601	तानुकु	2855.8
237.	25701	किरिलामपुडी	149.7
238.	25801	सामलकोट	1095.0
239.	25901	चेल्लूरू	2152.0
240.	26001	व्यूरू	4595.4
**उपजोड़*			28310.0

1	2	3	4
राज्य कर्नाटक			
241.	17203	समीरवाडी	1646.8
242.	26201	मांडवा	405.9
243.	26301	गंगावती	128.6
244.	26401	भद्रावती	45.8
245.	26501	पांडवपूरा	10.1
246.	26601	निपानी	149.9
247.	26701	संकेश्वर	1032.3
248.	26801	मालप्रभा	566.6
249.	26901	चिकोडी	556.7
250.	27001	रैबाग	95.1
251.	27101	गोकक	213.5
252.	27301	गोरीबिदनूर	107.1
253.	27401	बीदर	374.6
254.	27501	वाणीविलास	57.8
255.	27601	भुद्रा	63.4

1	2	3	4
256.	27701	के.आर. नगर	49.5
257.	27801	हवेरी	137.2
258.	27901	हेमावती	90.9
259.	28001	ह्रह्मावर	20.7
260.	28101	चामुडेश्वरी	789.1
261.	28401	उग्राखुर्द	1031.9
262.	28501	हॉस्पेट	252.3
263.	28601	तिरुगुप्पा	89.0
264.	28701	देवनगरे	101.7
265.	32501	अलांद	127.8
**उपजोड़*			8144.3
राज्य तमिलनाडू			
266.	25802	पुगलूर	1105.7
267.	28602	लालगुडी	572.9
268.	28901	थंजावुर	582.9
269.	28902	पेराम्बलूर	698.1
270.	28903	मदुरा	179.6
271.		272.	29101

1	2	3	4
अम्बर	293.7		
273.	29201	वेल्लोर	581.6
274.	29301	तिरुपत्तूर	277.7
275.	29401	कल्लाकुरुची	434.4
276.	29402	काचिरायपलयम	298.6
277.	29501	उलंडरपेट	518.0
278.	29601	मदुराटकम	123.9
279.	29701	तिरुत्तानी	351.3
280.	29801	सेलम	397.5
281.	29901	धर्मपूरी	523.9
282.	30001	अमरावथी	367.6
283.	30101	अंलग्नल्लूर	297.2
284.	30201	थिरू अरूरन	182.4
285.	30202	थिरुमांडकुडी	805.2
286.	30401	नेल्लीकूप्यम	860.0
287.	30501	चिल्लुपुरम	570.5
288.	30601	अम्बिका	621.4
289.	30701	पोन्नी	509.3

1	2	3	4
290.	30801	सावथी	767.9
291.	30802	शिवगंगा	316.7
292.	30901	बन्नारी अम्मान	576.3
293.	32601	धरनी	183.4
294.	32801	राजश्री	954.5
295.	330001	सेथियाथोप	752.5
**उपजोड़*			15028.5
राज्य पांडिचेरी			
296.	31001	पांडिचेरी	207.3
297.	31101	न्यू हॉरीजन	154.2
उपजोड़			361.5
राज्य केरल			
298.	31301	चित्तूर	39.8
**उपजोड़*			39.8
राज्य गोवा			
299.	31501	तिस्का	508.0
**उपजोड़*			508.0
कुल			195356.5

गुजरात में स्वयंसेवी संगठन

1993. श्री रतीलाल कालीदास वर्मा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में सरकार से अनुदान प्राप्त करने वाले स्वयंसेवी संगठनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन स्वयंसेवी संगठनों द्वारा कितनी प्रगति की गई है; और

(ग) राज्य में गैर-सरकारी संगठनों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) गुजरात राज्य में उन स्वयंसेवी संगठनों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है, जो विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

(ख) जिन योजनाओं के लिए इन संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है उनके कार्यान्वयन की प्रगति संतोषजनक होने की सूचना है।

(ग) कार्यान्वित की जा रही सभी योजनाओं की समीक्षा मूल्य सूचकांक में परिवर्तनों तथा लाभग्राहियों के बेहतर लक्ष्य को प्राप्त करने के अनुरूप उन्हें उपयोगकर्त्ताओं के प्रति अनुकूल, लचीली बनाने, उनकी कवरेज तथा उपयोगिता में वृद्धि करने तथा वित्तीय मानदंडों को शोधित करने के उद्देश्य से की गई है।

विवरण

(1) नशीली दवा दुरुपयोग निवारण

क्र.सं.	गैर सरकारी संगठनों का नाम
1	2
1.	गुजरात कलवानी ट्रस्ट, मिर्जापुर, अहमदाबाद
2.	भारतीय समाज कल्याण परिषद्, पाल्दी अहमदाबाद
3.	नधबंधी मंडल, भाद्रा, अहमदाबाद

1	2
4.	रचनात्मक अभिगम न्यास अहमदाबाद
5.	एस.सी. पटेल न्यास, बड़ौदा
(2) विकलांग कल्याण	
1.	वी-वन सोसाइटी, वड़ोदरा
2.	श्री डी.एस. पारिख बधिर तथा मूक स्कूल, सुरेन्द्रनगर
3.	अन्धजन विविध लक्षी तालिम केन्द्र, जामनगर
4.	के.एल. बधिर संस्था, भावनगर
5.	रचनात्मक अभिगम न्यास, अहमदाबाद
6.	अंध अपंग कल्याण केन्द्र, अहमदाबाद
7.	एम.आर. सोसाइटी राजकोट
8.	चिकित्सा देखभाल केन्द्र, बड़ौदा
9.	दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए लाइट होम, अहमदाबाद
10.	दृष्टिहीन व्यक्ति संघ, अहमदाबाद
(3) अनुसूचित जाति कल्याण	
1.	हरिजन सेवक संघ दिल्ली द्वारा संचालित, परिक्षितलाल आश्रमशाला, गांधीआश्रम, अहमदाबाद
2.	श्री संतोक कृपा शिक्षा न्यास, परमजीत, जिला-सबारकांठा
(4) बेसहारा बच्चों का कल्याण	
1.	अंखड ज्योति प्रतिष्ठान अहमदाबाद (गुजरात)
2.	बड़ौदा नागरिक परिषद, बड़ौदा (गुजरात)
3.	विकास ज्योति न्यास, बड़ौदा, गुजरात

1	2
4.	भारतीय समाज कल्याण परिषद, अहमदाबाद, गुजरात
5.	रचनात्मक अभिगम न्यास, अहमदाबाद, गुजरात।
6.	अंध अपंग कल्याण केन्द्र अहमदाबाद, गुजरात
7.	के.एच. जानी धर्मार्थ न्यास, अहमदाबाद, गुजरात
8.	पटनी शेरी सेवा संघ, गुजरात
9.	शिशु मिलाप, बड़ौदा, गुजरात
10.	नवसृजन जेवियर सेल फार ह्यूमन डेवलपमेंट, सूरत, गुजरात।
(5) वृद्धों का कल्याण	
1.	रचनात्मक अभिगम न्यास (हार्दिक प्रेम पार्क सोसायटी एल.जी. अस्पताल के सामने), मणिनगर, अहमदाबाद।
2.	गुजरात कलवानी न्यास, मंगलप्रभात भवन, सेंटजेवियर उच्च विद्यालय के सामने मिर्जापुर, अहमदाबाद, गुजरात।
(6) अल्पसंख्यकों का कल्याण	
1.	अंजुमनई, तालिमी धर्मार्थ न्याय भरूच
2.	मखदूम शिक्षा सोसाइटी, सूरत
3.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय वी.वी. नगर
4.	गुजरात विश्वविद्यालय, पाटन
(7) अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	
1.	भारत सेवाश्रम संघ आश्रम रोड, अहमदाबाद
2.	जरपान नसरपुर विभाग केलावानी मंडल ग्रा.पो. वाडी, जिला सूरत, गुजरात

1	2
3.	श्री सर्वोदय केन्द्र, अमीगढ़, जिला बनासकांठा
4.	ग्राम स्वराज संघ, जिला कच्छ
5.	श्रीमती सुशिलाबेन स्मारक न्यास, जिला कच्छ
6.	श्री मणिलाल गंगादास पटेल सर्वोदय, केन्द्र, पाननपुर ताल्लुक, बनासकांठा
7.	लोक निकेतन रतनपुर, पालमपुर, जिला बनासकांठा
8.	श्री सर्वोदय आश्रम, सनाली जिला-बनासकांठा

पेयजल की आपूर्ति

1994. **श्री अशोक प्रधान:**
श्री चमन लाल गुप्त:
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री फ्रांसिस्को सारदीना:
कर्नल सोना राम चौधरी:
श्री राजो सिंह:
श्री पी.एस. गढ़वी:
श्री विक्रम केशरी देव:
श्री सुशील चन्द्र वर्मा:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा आज की तारीख तक देश में पेयजल की आपूर्ति हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है अथवा आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार के पास इस समय पेयजल तथा मल व्ययन निपटान योजनाओं से संबंधित योजनाएं लंबित अथवा विचाराधीन हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसमें विलंब के राज्यवार क्या कारण हैं;

(घ) किन-किन राज्यों को पेयजल की आपूर्ति जल शोधन तथा मल व्ययन परियोजनाओं हेत विदेशी/हुडको की सहायता प्राप्त हो रही है;

(ङ) दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है तथा प्रत्येक परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(च) सरकार द्वारा देश में पेयजल समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) बीस हजार (20,000) (1991 की जनगणना के अनुसार) वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम नामक एक केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है। इस कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य को जारी राशि का ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) और (ग) इस कार्यक्रम की जिन स्कीमों को अभी तक केन्द्र सरकार का अनुमोदन नहीं मिला है, उनके राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में हैं।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत न किये जाने तथा पेश परियोजनाओं में तकनीकी कमी, और धनाभाव के कारण इस मंत्रालय का तकनीकी विंग, सी पी एच ई ई ओ परियोजनाओं का अनुमोदन नहीं कर सका।

(घ) और (ङ) विदेशी सहायता पाने वाले राज्यों का ब्यौरा विवरण III में हैं। हडको से प्राप्त सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण IV में है। स्कीमें कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

(च) जल आपूर्ति और स्वच्छता चूंकि राज्य का विषय है इसलिए अपने राज्यों में इन स्कीमों की योजना बनाना, उन्हें चलाना, और उन्हें कायम रखना मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। इन दायित्वों को पूरा करने में राज्य सरकारों को सहायता देने के लिए 20,000 से कम जनसंख्या, 1991 की जनगणना अनुसार, वाले कस्बों में स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत सहायता और विदेशी सहायता के जरिए सहायता मुहैया कराई जा रही है।

विवरण I

केन्द्र प्रवर्तित त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

3.3.1999 की स्थिति अनुसार राज्यों को जारी राशियों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	*आंध्र प्रदेश	–	–	–
2.	अरूणाचल प्रदेश	0.00	83.29	21.10
3.	असम	0.00	168.05	140.00
4.	बिहार	94.50	0.00	0.00
5.	गोवा	0.00	9.20	0.00
6.	गुजरात	27.30	70.00	0.00
7.	हरियाणा	77.65	86.20	87.03
8.	हिमाचल प्रदेश	82.83	16.60	44.95
9.	जम्मू और कश्मीर	28.45	10.20	41.61
10.	कर्नाटक	0.00	47.58	179.96
11.	केरल	25.00	48.00	64.39

1	2	3	4	5
12.	मध्य प्रदेश	380.53	156.12	417.98
13.	महाराष्ट्र	36.30	172.75	271.80
14.	मणिपुर	39.00	76.04	90.99
15.	मेघालय	48.90	10.00	38.92
16.	मिजोरम	7.10	11.88	51.68
17.	नागालैण्ड	0.00	52.33	34.36
18.	उड़ीसा	0.90	187.47	156.62
19.	पंजाब	77.76	44.00	0.00
20.	राजस्थान	237.00	306.75	171.52
21.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00
22.	तमिलनाडु	0.00	104.12	205.46
23.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00
24.	उत्तर प्रदेश	764.87	352.42	776.57
25.	पं. बंगाल	71.56	0.00	0.00
	कुल	1999.65	2013.00	2795.00

विवरण II

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम—अब तक बिना अनुमोदन की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

(3.3.99 तक की स्थिति)
(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	अब तक बिना अनुमोदन की विकास परि. रिपोर्ट की संख्या	अनुमानित लागत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	1933.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	–	–
3.	असम	1	309.98
4.	बिहार	28	4029.47
5.	गोवा	–	–
6.	गुजरात	–	–
7.	हरियाणा	–	–
8.	हिमाचल प्रदेश	10	1703.32
9.	जम्मू और कश्मीर	11	2570.82
10.	कर्नाटक	3	1044.00
11.	केरल	–	–
12.	मध्य प्रदेश	41	3435.95

1	2	3	4
13.	महाराष्ट्र	16	6028.01
14.	मणिपुर	2	109.59
15.	मेघालय	–	–
16.	मिजोरम	2	240.41
17.	नागालैण्ड	3	1618.95
18.	उड़ीसा	5	1091.28
19.	पंजाब	1	103.79
20.	राजस्थान	3	281.47
21.	सिक्किम	–	–
22.	तमिलनाडु*	3	66.20
23.	त्रिपुरा	10	1485.49
24.	उत्तर प्रदेश	–	–
25.	पं. बंगाल	–	–
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप	–	–
27.	चंडीगढ़	–	–
28.	दादर एवं नगर हवेली	–	–
29.	दमन और द्वीप	–	–
30.	दिल्ली	–	–
31.	लक्षद्वीप	–	–
32.	पांडिचेरी	–	–
	कुल	152	26051.73

*दो विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के शहरी घटक लागत अब उपलब्ध नहीं है।

विवरण III

विश्व बैंक/ओईसीएफ, जापान सहायता प्राप्त जल आपूर्ति और स्वच्छता परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	लागत (करोड़ रु.)	ऋण सहायता (यूएस डालर/येन मिलियन)		शुरू होने की तारीख	परियोजना क्षेत्रफल	उद्देश्य	किया गया संचयी खर्च (करोड़ रु. में)	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	11 चेन्नई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	546.31	$86.5		20.11.95	चेन्नई	शहरी जल वितरण का सुधार पहली परियोजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करना, जल संरक्षण और तकनीकी सहायता	162.13	30.6.2002
2.	मुम्बई सीवेज डिस्पोजल	1098.01	$192.0		22.3.96	मुम्बई	सुरंग के जरिए सीवेज का समुद्र में सुरक्षित निपटान (मरीन आउटफाल) मौजूदा सीवरेज प्रणाली का सुदृढ़ीकरण और उप नगर सुविधाओं का सुधार, स्लमों में स्वच्छता सुधार	309.47	30.6.2002
3.	चेन्नई जल आपूर्ति एवं स्वच्छता प्रणाली में कार्यात्मक सुधार	598.49	येन	17,098	28.2.95	चेन्नई	जल आपूर्ति और सीवेज परिवहन में सुधार, घरेलू उपयोग हेतु स्वच्छ जल के संरक्षण के लिए औद्योगिक उपयोग के लिए उपचारित सीवर का पुनर्उपयोग	20.64	30.6.2000
4.	बंगलूर जल आपूर्ति एवं सीवरेज	1342.00	येन	28,452	25.1.96	बंगलौर	बंगलूर शहर में 270 मिलियन मीटर प्रतिदिन की अतिरिक्त आपूर्ति से जल आपूर्ति बढ़ाना, जल वितरण और सीवेज [illegible] सुदृढ़ीकरण, [illegible] सीवेज उपचार सुविधाएं मुहैया करना	15.47	30.12.2002
5.	केरल जल आपूर्ति	1787.45	येन	11,997	25.2.97	तिरुअनंतपुरम, कोझीकोड, पटुवम, मीनाड, चेरथला एवं निकटवर्ती गांव	पांच नगरों और समीपवर्ती गांवों में जल आपूर्ति सुविधाएं सुधारना।	20.492	31.12.2003

विवरण IV

शहरी अवस्थापना वित्त विंग/हडको

रन डेट: 31.01.99

स्कीम नाम ब्यौरा : 10.1.70 से 31.1.99 तक

स्कीम टाइप : जल आपूर्ति

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य नाम	स्कीमों की संख्या	परियोजना लागत	ऋण राशि	जारी ऋण	पूरी की गई स्कीमें
1.	आंध्र प्रदेश	42	54041.64	34567.87	16965.14	1
2.	असम	13	10747.78	7366.45	5324.51	2
3.	बिहार	2	2318.83	1599.00	825.00	–
4.	गुजरात	11	26496.69	14208.80	6789.57	1
5.	हिमाचल प्रदेश	3	1002.14	464.90	464.90	3
6.	कर्नाटक	31	64445.80	28658.95	18156.62	12
7.	केरल	15	17853.77	11106.26	7677.39	9
8.	मध्य प्रदेश	7	20149.66	12436.61	1302.00	–
9.	महाराष्ट्र	10	142166.37	36430.70	17343.44	5
10.	नागालैण्ड	2	1184.98	829.48	260.61	–
11.	उड़ीसा	11	19710.53	13449.92	7513.30	1
12.	पंजाब	67	9154.02	5457.26	3059.33	36
13.	राजस्थान	40	20975.53	14562.26	5733.98	5
14.	तमिलनाडु	17	63347.77	33064.71	9428.15	10
15.	पं. बंगाल	11	22694.84	10609.00	8537.00	5
	स्कीम टाइप कुल	282	476289.84	224812.17	109380.94	90

नि:शक्त व्यक्ति

1995. डा. असीम बाला: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार नि:शक्त व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(ख) विभिन्न राज्यों और केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए हाल के नमूना सर्वेक्षण के अनुसार, देश में लगभग 16.15 मिलियन व्यक्ति दृष्टि, श्रवण, वाणी तथा चलन संबंधी विकलांगता से पीड़ित हैं। 1-14 आयु वर्ग के बीच विलम्बित मानसिक विकास वाले व्यक्तियों के लिए वर्ष 1991 में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए अन्य नमूना सर्वेक्षण का अनुमान है कि कुल जनसंख्या के लगभग 3% का विलम्बित मानसिक विकास है।

(ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा विकलांगों के लाभार्थ अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। इन विभिन्न योजनाओं के ब्यौरे विवरण के रूप में संलग्न हैं।

(ग), जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

***1. विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता**

इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के लिए पुनर्वास कार्यक्रमों को चलाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता दी जाती है। आवर्ती मदों जैसे कर्मचारियों का वेतन, अनुरक्षण व्यय, आकस्मिक व्यय और गैर-आवर्ती मदों जैसे भवन निर्माण, उपकरण, फर्नीचर के लिए कुल परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों विशेष स्कूलों, परामर्श केन्द्रों, होस्टलों, कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्रों, स्थापन सेवाओं आदि जैसी परियोजनाओं के लिए भी वित्तीय सहायता दी जाती है।

***2. विशेष विद्यालयों की स्थापना और विकास**

इस योजना में चार प्रमुख विकलांगता के क्षेत्रों अस्थि, वाणी तथा श्रवण, दृष्टि और मानसिक मंदता में विशेष विद्यालयों की स्थापना और स्तर में सुधार के लिए गैर सरकारी संगठनों को 90% तक की सीमा तक सहायता देने की परिकल्पना की गई है। इस योजना के अंतर्गत उन जिलों में विद्यालय स्थापित करने की प्राथमिकता दी जाती है जहां इस समय विशेष विद्यालय नहीं हैं। इस मंत्रालय द्वारा आवर्ती और अनावर्ती दोनों कार्यों के लिए सहायता दी जाती है।

***3. प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता वाले व्यक्तियों के लिए जनशक्ति विकास हेतु संगठनों को सहायता**

इस योजना के अंतर्गत प्रमस्तिष्क अंगघात तथा मानसिक मंदता के क्षेत्र में अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों को 100% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है।

***4. कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए संगठनों को सहायता**

इस योजना के अंतर्गत, कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को 90% तक की सीमा तक सहायता दी जाती है।

5. राष्ट्रीय संस्थान

विकलांग जनसंख्या की बहुआयामी समस्याओं को कारगर ढंग से निपटने के उद्देश्य से निम्नलिखित चार संस्थानों की स्थापना की गई है। ये संस्थान प्रशिक्षण, व्यावसायिक मार्गदर्शन, परामर्श, अनुसंधान, पुनर्वास, उपयुक्त सेवा मानदंडों के विकास के क्षेत्र में शीर्ष स्तरीय संगठन हैं। वे संस्थान अपनी विकलांगता के क्षेत्र में प्रमुख प्रलेखन और सूचना केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं:

(1) राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्य संस्थान, देहरादून

(2) राष्ट्रीय अस्थि विकलांग संस्थान, कलकत्ता

(3) अली यावर जंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुम्बई।

*ये योजनाएं 20.1.1999 से विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की योजना नामक एक व्यापक योजना में शामिल कर ली गई है।

*ये योजनाएं 20.1.1999 से विकलांगताग्रस्त व्यक्तियों के लिए स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की योजना नामक एक व्यापक योजना में शामिल कर ली गई है।

(4) राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, सिकन्दराबाद

इनके अतिरिक्त, विकलांग व्यक्तियों के लिए सामान्य सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित दो संस्थाओं की स्थापना मुख्यत: सेवा संस्थाओं के रूप में की गई है:

(1) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।

(2) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संस्थान, ओलटपुर, उडीसा।

6. रोजगार

(1) नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा 33 में एक प्रावधान है कि उपयुक्त सरकार प्रत्येक स्थापना में विकलांग व्यक्तियों की नियुक्ति 3% से कम नहीं करेगी जिसमें से प्रत्येक विकलांगता के लिए पहचान किए गए पदों में (क) दृष्टिहीनता अथवा कम दृष्टि, (ख) श्रवण विकलांगता, और (ग) चलन संबंधी विकलांगता या प्रमस्तिष्क अंगघात प्रत्येक से पीड़ित व्यक्तियों के लिए 1% आरक्षित होगा। कानून के लागू होने के पहले से ही विकलांग व्यक्तियों के लिए समूह ''ग'' और समूह ''घ'' में पहले से ही 3% का आरक्षण था। इस प्रावधान के अनुसरण में भारत सरकार के अधीन समूह ''क'' और ''ख'' के पदों में विकलांग व्यक्तियों के लिए 3% का आरक्षण दृष्टि, श्रवण और अस्थि विकलांग प्रत्येक के लिए 1% का विस्तार कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र संख्या 36035/16/91-स्था. (एस.सी.टी.) दिनांक 18.2.97 द्वारा किया गया है।

2. लाभप्रद रोजगार की प्राप्ति में विकलांग व्यक्तियों की मदद के लिए अलग से विकलांग व्यक्तियों के लिए 51 विशेष रोजगार केन्द्रों और 39 विशेष सैलों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त, सामान्य रोजगार केन्द्र भी उपयुक्त रोजगार प्राप्त करने में विकलांग व्यक्तियों की मदद करता है।

(3) विकलांग व्यक्तियों की अवशिष्ट क्षमता के मूल्यांकन के लिए, उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था और उन्हें रोजगार में लगाने के लिए 17 व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की गई है।

(4) निम्नलिखित के माध्यम से स्वरोजगार का बढ़ावा दिया जाता है:

(क) कुछ राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बैंडिंग स्टालों, कियोस्कों और दुकानों के आबंटन;

(ख) राष्ट्रीयकृत बैंकों से रियायती ब्याज दर पर ऋण,

(ग) पब्लिक टेलीफोन बुथों के आवंटन में तरजीह,

(घ) पेट्रोल पम्प, केरोसिन डिपो आदि के वितरण में आरक्षण।

(7) सहायक यंत्र/उपकरण की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता

इस योजना का मुख्य उद्देश्य टिकाऊ, परिष्कृत तथा वैज्ञानिक ढंग से निर्मित सहायक यंत्रों एवं उपकरणों की खरीद करने के लिए जरूरतमंद विकलांग व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना है जिससे उनका शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पुनर्वास को बढ़ावा मिल सके। यह योजना कम्पनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कम्पनियों द्वारा चलाए जा रहे केन्द्रों, पंजीकृत सोसायटियों, न्यासों अथवा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस प्रकार इस योजना के कार्यान्वयन में सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों एजेंसियों को लगाया जाता है।

इस योजना के अंतर्गत 5000/- रुपए तक मासिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों को 50 रुपए से 6000 रुपये तक की लागत के सहायक यंत्र तथा उपकरण नि:शुल्क प्रदान किये जाते हैं और 5001 रुपये से 8000 रुपये के बीच मासिक आय वाले विकलांग व्यक्तियों को लागत के 50% पर उपलब्ध कराये जाते हैं।

8. नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995

भारत सरकार ने हाल ही में ''नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण तथा पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में मानसिक विकलांग सहित विकलांग व्यक्तियों के लिए विकलांगता का शीघ्र पता लगाने और इसकी रोकथाम, शिक्षा, रोजगार आदि की व्यवस्था है।

9. राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम

स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना के लिए विकलांग व्यक्तियों को आसान शर्तों पर ऋण सहायता और कौशल विकास के लिए अवसर प्रदान के उद्देश्य से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के अंतर्गत दिनांक 24.1.1997 को एक राष्ट्रीय विकलांग वित्त एवं विकास निगम पंजीकृत किया गया है।

10. भारतीय पुनर्वास परिषद्

भारतीय पुनर्वास परिषद एक राष्ट्र स्तरीय सांविधिक निकाय है, जिसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के क्षेत्र में व्यावसायिकों/कार्मिकों के प्रशिक्षण में एक समान मानकों को लागू करने, केन्द्रीय पुनर्वास रजिस्टर के रखरखाव करने एवं अन्य संबंधित मामलों के लिए की गई। परिषद का पुनर्गठन जून, 1998 में किया गया।

परिषद द्वारा कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित तीन मुख्य कार्यक्रम मंजूर किए गए हैं:

(1) राष्ट्रीय ब्रिज कोर्स कार्यक्रम

(2) राष्ट्रीय चिकित्साधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम

(3) जनशक्ति विकास के लिए संगठनों को सहायता।

11. जिला पुनर्वास केन्द्र योजना

ग्रामीण विकलांग व्यक्तियों को काफी नजदीक से व्यापक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष 1985 के दौरान जिला पुनर्वास केन्द्र योजना शुरू की गई। ये केन्द्र व्यापक सेवाएं प्रदान करते हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं-(1) निवारण तथा शीघ्र पता लगाना, (2) चिकित्सा हस्तक्षेप तथा शल्य क्रिया से ठीक करना, (3) कृत्रिम सहायक यंत्र तथा उपकरण लगाना, (4) येराप्युटिकल सेवाएं अर्थात भौतिक चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, वाणी चिकित्सा, (5) व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण का प्रावधान, (6) स्थानीय उद्योगों में रोजगार दिलाना। ये केन्द्र 11 जिलों में कार्य कर रहे हैं।

12. भारतीय मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त केन्द्र, नई दिल्ली

मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त रोगियों को व्यापक उपचार, पुनर्वास सेवाएं तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन देने के लिए इटली सरकार के सहयोग से भारतीय मेरुदण्ड क्षतिग्रस्त केन्द्र की स्थापना की गई है। यह एशिया में अपनी किस्म का पहला केन्द्र है। यह केन्द्र ऐसे रोगियों के पुनर्वास के बहुआयामी पहलुओं में अनुसंधान भी करेगा। भारत-इटली सहयोग के अंतर्गत इस केन्द्र को इटली से मशीनें तथा तकनीकी सुविज्ञता उपलब्ध कराए गए। भारत सरकार ने अवसंरचना संबंधी विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है तथा यह प्रतिवर्ष 30 निःशुल्क बिस्तर भी प्रायोजित कर रही है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान

1996. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्रीमती गीता मुखर्जी:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के संशोधित वेतनमान लागू कर दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भा.कृ.अनु.प. के वैज्ञानिकों के वेतनमान संशोधित कर दिए हैं। संशोधित वेतनमानों और अन्य सेवा शर्तों का विवरण भा.कृ.अनु.प. पत्र सं. 1(15)/98-पी.ई.आर.-4 दिनांक 27 फरवरी, 1999 में दिया गया है। संशोधित वेतनमानों को अंतिम रूप देते समय, भा.कृ.अनु.प. और भारत सरकार ने विश्वविद्यालय और कालेज अध्यापकों के वेतनमानों में संशोधन के लिए पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग) की पांचवें केन्द्रीय वेतन अधिसूचना और इस उद्देश्य हेतु गठित भा.कृ.अनु.प. समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखा है।

[हिन्दी]

बिहार में गोंड जनजाति

1997. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिहार राज्य में देश के अन्य राज्यों के आधार पर गोंड जनजाति को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हाँ, तो ये आदिवासी कब तक इस श्रेणी में शामिल कर दिये जायेंगे?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) गौंड समुदाय को बिहार राज्य में पहले ही अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997

1998. श्री एन.जे. राठवा: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली किराया (संशोधन), विधेयक 1997 संसद के दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित होने के बाद भी लागू नहीं किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) दिल्ली किराया (संशोधन) विधेयक, 1997 राज्य सभा में 28.7.97 को पेश किया गया था, विधेयक को जांच और रिपोर्ट के लिए शहरी और ग्रामीण विकास संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेज दिया गया है। विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय की राय में विधेयक पेश करने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा पूर्ववर्ती सरकार के निर्णय का पृष्ठांकन भी आवश्यक है। इस पृष्ठांकन के बाद यह मामला पुन: स्थायी समिति के पास जाएगा। चूंकि विधेयक संसद द्वारा पारित होना है, इसलिए विधेयक के प्रावधानों के कार्यान्वयन का अभी प्रश्न ही नहीं उठता।

सीमा पर कंटीले तार लगाया जाना

1999. श्री चंदू लाल अजमीरा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने बंगलादेश के साथ 900 किलोमीटर के घुसपैठ की संभावना वाले सीमा पर घुसपैठ को रोकने हेतु कंटीले तार लगाए जाने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, सीमा पर आई.एस.आई. की इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु केन्द्र द्वारा धनराशि दिए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) केन्द्र सरकार द्वारा पश्चिम बंगाल-बंगलादेश सीमा पर 507 कि.मी. में बाड़ लगाने को मंजूरी दी गई है जिसमें से दिसम्बर, 1998 के अंत तक 463 कि.मी. में बाड़ लगाई जा चुकी है। पश्चिम बंगाल-बंगलादेशी सीमा पर अतिरिक्त 889 कि.मी. में बाड़ लगाने को भी सिद्धान्त रूप में मंजूरी दे दी गई है।

पश्चिम बंगाल सीमा पर सीमा सड़कों का निर्माण करने/सीमा पर बाड़ लगाने के काम पर केन्द्र सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 1998 तक 430.40 करोड़ रुपये खर्च किये जा चुके हैं।

जनता को आधार-भूत सुविधाएं उपलब्ध करवा कर तथा उसमें सुरक्षा की भावना बढ़ाकर संवेदनशील क्षेत्रों के संतुलित विकास की दृष्टि से 1993-94 से आठवीं योजना के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम का विस्तार पश्चिम बंगाल तक किया गया है इस कार्यक्रम के तहत योजना आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल को 1998-99 तक 123.42 करोड़ रुपये आबंटित किये गये हैं।

पट्टे वाली भूमि का परिवर्तन

2000. श्री के. येरनायडू: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पट्टे वाली भूमि और मुख्तारनामे की भूमि को परिवर्तित करने के संबंध में लोगों की प्रतिक्रिया संतोषप्रद नहीं है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिल्ली में संपत्ति को अंतरित करने के लिए एक बेहतर प्रणाली शुरू करने के लिए क्या उपाय करने का प्रस्ताव है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि 31.10.98 तक पट्टा-संपत्ति को पट्टामुक्त संपत्ति में अन्तरण के 51,308 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 42,963 मामलों में अनुमति दे दी गई है, और शेष मामले आवेदकों से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होते ही निपटा दिये जायेंगे।

(ग) दिल्ली में संपत्ति के हस्तांतरण के लिए इस समय कोई वैकल्पिक उपाय तय नहीं किए गए हैं।

[हिन्दी]

हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता

2001. **श्री सुरेश चंदेल:**
श्री के.डी. सुल्तानपुरी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार से राज्य में सभी लड़कियों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान करने और दूर-दराज के क्षेत्रों में सभी स्तरों पर शिक्षा का विस्तार करने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्य द्वारा कितनी धनराशि की मांग की गई है; और

(ग) सरकार द्वारा उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी, हाँ। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बालिकाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के संबंध में खर्च को पूरा करने के लिए चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 651.00 लाख रु. की वित्तीय सहायता की मांग की है।

(ग) शिक्षा विभाग, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों समेत कालेज स्तर तक बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा देने के लिए एक नई योजना तैयार कर रहा है। योजना को अंतिम रूप देने पर हिमाचल प्रदेश के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

[अनुवाद]

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2002. **श्री वी.वी. राघवन:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन अनेक राज्यों में धीमी गति से हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना को विभिन्न राज्यों में किस सीमा तक क्रियान्वित किया जा चुका है; और

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाने हेतु सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं अथवा किये जाने का विचार है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) केन्द्रीय और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के अधीन सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित की जाती है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार कुछेक आवश्यक जिन्सों अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल की वसूली करती है और राज्यों को उन्हें राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर उपलब्ध कराती है और उचित दर की दुकानों के नेटवर्क के जरिए उपभोक्ताओं को वितरित करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों की होती है। लाभभोगियों की पहचान करने कार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों का निरीक्षण करने जैसे मामले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में आते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली कार्यान्वित कर दी गई है।

(ग) लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से यह कहा गया है कि वे विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियां गठित करें कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट से लेकर आपूर्ति निरीक्षक तक निरीक्षण अनुसूची तैयार करें और इस प्रणाली के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता शुरू करने के उपाय करें। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी उपाय करने की आवश्यकता है कि कार्डधारी विशेष तौर से गरीबी रेखा से नीचे के कार्डधारी बिना किसी रुकावट के सार्वजनिक वितरण प्रणाली की जिन्सें प्राप्त करते हैं। इनके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर जोर डाला गया है। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए एक माडल सिटीजन चार्टर भी तैयार किया गया है और इसे अपनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किया गया है।

[हिन्दी]

तार बाड़ लगाना

2003. **श्री शान्तिलाल चपलोत:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के कुल सीमा क्षेत्र में राजस्थान की भूमि का क्षेत्र कितना है;

(ख) क्या सभी सीमा क्षेत्रों में कांटेदार तार लगाने का कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) देश की कुल 20871 किलोमीटर के सीमा क्षेत्र (6100 किलोमीटर तटीय और 14771 किलोमीटर भू-सीमा) में से 1035 किलोमीटर भू-सीमा राजस्थान की है।

(ख) से (घ) भारत-पाक और भारत बंगलादेश सीमाओं पर क्रमश: कुल 1469 कि.मी. और 975 कि.मी. सीमा में बाड़ लगायी जा चुकी है। सीमा के केवल संवेदनशील टुकड़ों पर ही बाड़ लगायी जानी है न कि भारत की सम्पूर्ण सीमा पर, क्योंकि यह न तो संभव है और नहीं वांछित है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

2004. श्री के. पैरीमोहन:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अनुकंपा के आधार पर वर्ग-वार कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गई,

(ख) इस समय नियुक्ति हेतु कितने व्यक्ति प्रतीक्षारत हैं;

(ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु क्या मानदंड निर्धारित हैं और

(घ) प्रतीक्षा सूची को कब तक निपटा दिये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में गत तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा आधार पर नियुक्त व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

	1996	1997	1998
समूह ग	29	1	15
समूह घ	38	31	28

(ख) अनुकंपा आधार पर नियुक्ति इस बाबत कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है।

(ग) समूह "ग" व "घ" में क्रमश: 101 और 285 व्यक्ति नियुक्ति की प्रतीक्षा में हैं।

(घ) प्रतीक्षा सूची के सभी व्यक्तियों को रोजगार दे दिये जाने की अवधि बताना संभव नहीं है, क्योंकि यह "अनुकंपा-नियुक्ति कोटा" के अंतर्गत रिक्तियां सुलभ होने पर निर्भर करता है, जो सीधे भर्ती की कुल रिक्तियों का 5% होता है।

[हिन्दी]

वाहनों की चोरी

2005. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:
श्री नरेश पुगलीया:
श्री मणीभाई रामजीभाई चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में वाहन चोरी के अनेक मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली और उत्तर प्रदेश में इस तरह की वारदातों में तेजी आई है;

(ग) यदि हां, तो क्या इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जाने का विचार है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) वर्ष 1997 की अपेक्षा वर्ष 1998 के दौरान दिल्ली में वाहन चोरी की संख्या में वृद्धि हुई है। तथापि, चालू वर्ष के प्रथम दो महीनों में इससे पिछले वर्ष के अंतिम दो महीनों की तुलना में ऐसे मामलों की संख्या में कमी आई है। ऐसी चोरियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त गहन करना, व्यस्त व्यापारिक परिसरों आदि में सादे कपड़ों में पुलिस कार्मिकों को तैनात करना तथा ज्ञात वाहन चोर गिरोहों पर नजर रखना शामिल है।

जहां तक उत्तर प्रदेश का संबंध है, ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय होने के कारण ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उपाय करना उस राज्य सरकार का काम है।

[अनुवाद]

टीम में शामिल न किया जाना

2006. श्री के.एच. मुनियप्पा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि एशियाड स्वर्ण पदक विजेता टीम सहित आधे दर्जन हाकी खिलाड़ियों को कोच सहित टीम में शामिल नहीं किया गया है जबकि उन्हें पाकिस्तान के विरुद्ध हाकी मैच श्रृंखलाएं खेलनी हैं;

(ख) यदि हां, तो उस टीम में अचानक बदलाव किए जाने के क्या कारण हैं जिसे आस्ट्रेलियाई ओलंपिक्स के लिए तैयारी करनी है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जैसे कि भारतीय हाकी परिसंघ ने सूचित किया है, एशियाड स्वर्ण पदक विजेता टीम के 6 खिलाड़ियों को अलग नहीं किया गया है बल्कि सिडनी में आयोजित होने वाले ओलंपिक 2000 के लिए युवा खिलाड़ियों को अच्छा प्रदर्शन करने हेतु अवसर प्रदान करने तथा एक मजबूत टीम तैयार करने की दृष्टि से उन्हें आराम दिया गया है। प्रशिक्षक को बदल दिया गया है क्योंकि नये प्रशिक्षक श्री वी. भास्करन का युवा खिलाड़ियों के साथ काफी समय से पारस्परिक सम्पर्क रहा है और आशा है कि वे इन युवा खिलाड़ियों से बेहतर परिणाम प्राप्त करने में सक्षम हैं।

(ग) इस मामले में टीम के चयन एवं अन्य सम्बद्ध मामलों की पूरी जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एन.एस.एफ.) अर्थात् भारतीय हाकी परिसंघ की है। सभी राष्ट्रीय खेल परिसंघ अपनी कार्यपद्धति में स्वायत्तशासी हैं और सरकार उनकी कार्यपद्धति में हस्तक्षेप नहीं करती है।

विद्रोही समूहों को वित्तीय सहायता

2007. मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी (ए.वी.एस.एम.): श्री विक्रम केशरी देव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर के कुछ विद्रोही समूहों को कुछ अंतर्राष्ट्रीय चर्च संगठनों से वित्तीय सहायता मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो पैसे भेजने वाले देश कौन-कौन से हैं;

(ग) क्या पूर्वोत्तर के कुछ विद्रोही समूहों द्वारा इस तरह की वित्तीय सहायता का इस्तेमाल हथियारों के खरीदने के लिए किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की सहायता पर रोक लगाने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) यू.के., यू.एस.ए., नीदरलैण्ड और जर्मनी स्थित गिरजाघरों समेत अंतर्राष्ट्रीय चर्च ग्रुपों द्वारा मानवीयता के आधार पर, पूर्वोत्तर के विद्रोही ग्रुपों को कुछ वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने संबंधी रिपोर्ट हैं।

(ग) इस संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उपर्युक्त (ग) भाग को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

इंटरनेट पर सी.बी.एस.ई. पाठ्यक्रम

2008. **श्री आनन्द रत्न मौर्य:**
श्री प्रभू दयाल कठेरिया:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) के पाठ्यक्रमों को इंटरनेट पर उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक क्रियान्वित कर दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

गृह निर्माण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देना

2009. **श्री गिनगी एन. रामचन्द्रन:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से देश में निर्माण कार्य को उद्योग का दर्जा देने का कोई सुझाव/निवेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार निर्माण कार्य से संबंधित विभिन्न सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली को चुस्त बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निर्माण के लिए पृथक मंत्रालय का सृजन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (ग) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया से ऐसा कोई सुझाव/अनुरोध नहीं प्राप्त हुआ है। तथापि, निर्माण क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने के लिए भूतपूर्व सांसद श्री गोमेश्वर से एक प्रस्ताव मिला था। इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की समीक्षा

2010. **श्री रामदास आठवले:**
श्री तारिक अनवर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कार्यकरण की समीक्षा करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में किसी समिति का भी गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ङ) जी, हां। सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के कार्य की प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक समीक्षा समिति नियुक्त की है जिसमें श्री ए.के. राय, डा. एम. एन. देश पांडे और डा. सुभाष सी. कश्यप शामिल है। प्रारम्भ से इसका लक्ष्य परिषद के कार्य की जांच करना और रिपोर्ट करना/सिफारिशें करना है।

परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में विसंगतियां

2011. **श्री शकील अहमद:**
श्री नरेश पुगलीया:
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी.बी.एस.ई.) की परीक्षा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच में बड़े पैमाने पर विसंगतियों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) भविष्य में ऐसी अनियमितताएं न होने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई नीति का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार मार्च/अप्रैल, 1998, में बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं से संबंधित विभिन्न विषयों की लगभग 31.58 लाख उत्तर पुस्तिकाओं में से 2146 मामलों में गलतियों का पता लगाया गया जो कि 0.068 प्रतिशत है।

(ग) और (घ) श्री पी.आर. चौहान, पूर्व आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने मूल्यांकन पद्धति के सुधार और संशोधन के लिए 1999 की परीक्षाओं से निम्नलिखित मुख्य उपाय शुरू किए हैं:-

1. उत्तर पुस्तिका के फार्मेट में प्राप्त अंकों को लिखने के लिए विद्यमान चार स्तम्भों की अपेक्षा दो खड़े स्तंभ बनाकर संशोधित किया गया है।

2. परीक्षक द्वारा उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पृष्ठ पर अंक लिखने की बजाय अंकों को लिखने के लिए एक अलग से शीट दी गई है। उसके पश्चात यह शीट परीक्षक द्वारा मुख्य परीक्षक को सुरक्षा से रखने के लिए दे दी जाएगी।

3. प्रथम समन्वयक उत्तर पुस्तिका के शीर्ष पृष्ठ पर इन अंकों को लिखेगा और कुल जोड़ की गणना करेगा और उसे शीर्ष पृष्ठ और उत्तर पुस्तिका के अन्दर उम्मीदवार द्वारा किए गए अंतिम प्रश्न के अन्त में लिखेगा।

4. दूसरा समन्वयक अब उस शीट को मुख्य परीक्षक से प्राप्त करेगा जिस पर परीक्षक ने अंक लिखे हैं और इन अंकों को उत्तर पुस्तिका में लिखे अंकों से मिलाएगा और उसके बाद उपयुक्त जांच के पश्चात् परिणाम-सूची तैयार करेगा।

5. उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए दरें संशोधित की गई हैं।

6. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मूल्यांकन प्रणाली में विभिन्न स्तरों पर जांच और सन्तुलन की प्रक्रिया का प्रयोग हो।

केन्द्रीय दल का बिहार दौरा

2012. **श्री तारिक अनवर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1999 के "द स्टेट्समेन" में "सेन्ट्रल टीम इज नॉट रूल आउट रिपीटीशन ऑफ बिहार वायलेंस" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या निवारक कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) और (ग) शंकरबीघा टोला, पुलिस स्टेशन मेहनदिआ, जिला जहानाबाद, में 22 लोगों के नरसंहार के बाद स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 1 से 3 फरवरी, 1999 तक बिहार का दौरा किया। इस दल ने यह महसूस किया कि स्थिति अभी तनावपूर्ण है और यदि जारी हिंसा से निपटने के लिए कोई बहुविध उपाय नहीं किए गए तो ऐसे नरसंहार होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य म कानून और व्यवस्था की स्थिति का मूल्यांकन करने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों को लागू कर बिहार राज्य में दिनांक 12.2.1999 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। विभिन्न सेनाओं/उग्रवादी गिरोहों, इत्यादि की गतिविधियों के कारण व्याप्त स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

इंदिरा महिला योजना

2013. श्री राजवंशी महतो: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा महिला योजना बिहार में शुरू कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी जिलावार अद्यतन स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त योजना को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (ग) यह स्कीम 1995 में बिहार में शुरू की गई थी और यह राज्य के निम्नलिखित खण्डों में कार्यान्वित की जा रही है:

जिला	परियोजना/खण्ड
1	2
रोहतास	चिन्नारी
भभुवा	भगवानपुर
	अदुरा
	डाल्टनगंज
	हरिहरगंज
	लंटेहर
पलामू	मडुआदार (टी)
	चार्दवा (टी)
गढ़वा	रंका
	भंडरिया
	दुर्की
रांची	हुन्टी
	खिजरी
	नमकुम
गुमला	डुमरी
	घाघरा
पश्चिम सिंहभूम	आदित्यपुर
	चन्दिल
	निमदीह
सन्थाल परगना	रानेश्वर
	जमात्रा

भारत सरकार ने राज्य के 7 व्यक्तियों को प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया है और अन्य प्रशिक्षण गतिविधियाँ शुरू हो चुकी हैं।

[हिन्दी]

बाल सुधार गृहों का निर्माण

2014. श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है, जिनके प्रस्ताव बाल सुधार गृहों/निगरानी (ऑबजर्व) गृहों का निर्माण की मंजूरी हेतु सरकार के पास राज्यवार लंबित हैं;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को भेजा है; और

(ग) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दी जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) सरकार के पास लंबित

किशोर गृहों/प्रेक्षण गृहों/विशेष गृहों के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों के राज्यवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	राज्य	वर्ष जिसके दौरान सरकार को प्रस्ताव प्राप्त हुए	गृहों की सं.
1.	मध्य प्रदेश	वर्ष 1997-98 और 1998-99	प्रेक्षण-गृह-8 किशोर गृह-2 विशेष गृह-1
2.	गोवा	वर्ष 1998-99	प्रेक्षण गृह-2 किशोर गृह-2 विशेष गृह-2
3.	हिमाचल प्रदेश	वर्ष 1998-99	प्रेक्षण गृह-1 किशोर गृह-1
4.	उत्तर प्रदेश	वर्ष 1998-99	प्रेक्षण गृह-3
5.	गुजरात	वर्ष 1998-99	प्रेक्षण गृह-1

(ग) राज्य सरकारों से अपेक्षित दस्तावेजों/स्पष्टीकरणों के प्राप्त होने पर तथा संसाधनों की उपलब्धता के अधीन ये प्रस्ताव स्वीकार किये जाएंगे।

[अनुवाद]

निरक्षरता पर "यूनिसेफ" की रिपोर्ट

2015. **श्री सुरेश कुरूपः**
श्री सुरेश वरपुडकरः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 9 दिसम्बर, 1998 के 'द हिन्दुस्तान टाइम्स" में "इंडिया विल बी द मोस्ट इलीट्रेट नेशन बाई 2000, सेज यूनीसेफ" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें की गई टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) भारत से निरक्षरता को यथासंभव शीघ्र पूरी तरह से समाप्त करने के लिए नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान क्या नए कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, हाँ।

(ख) विश्व में बच्चों की स्थिति 1999 पर यूनिसेफ की रिपोर्ट बाल-शिक्षा के अधिकार के संबंध में एक पुस्तक है। दस्तावेज में साक्षरता का संदर्भ प्रासंगिक है और रिपोर्ट में दर्शायी गई प्रौढ़ साक्षरता दर वर्ष 1991 की जनगणना के आंकड़े पर आधारित है जिसके अनुसार भारत में साक्षरता दर 52.21% थी। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षम संगठन, जिसने हाल ही में 53वें दौर के आंकड़ों का प्रकाशन किया है, के अनुसार वर्ष 1997 के अंत तक देश में साक्षरता दर 62% थी।

(ग) निरक्षरता के पूर्व उन्मूलन के लक्ष्य को हासिल करने की दृष्टि से नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रौढ़ साक्षरता कार्यक्रम के पुनर्गठन और उसे नए सिरे से आरंभ करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं जिसमें महिला साक्षरता पर अधिक

ध्यान देना, पंचायती राज संस्थाओं और गैर-सरकारी संगठनों को अधिक संख्या में सम्मिलित करना, राज्य संसाधन केन्द्रों को मजबूत करना, अधिक संख्या में विद्यापीठ खोलना, राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरणों मे वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों को विकेन्द्रित करना; सतत शिक्षा और उत्तर साक्षरता कार्यक्रमों के विस्तार से बेहतर कार्रवाई तथा समेकन सुनिश्चित करना आदि शामिल है।

अनाथ/नि:सहाय बच्चे

2016. श्री पी. शंकरन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में 1998 तक कितने अनाथ/नि:सहाय बच्चों की गणना की गई;

(ख) सरकार द्वारा 1998 तक भारतीय और विदेशियों के दंपतियों को कितने बच्चों को गोद लेने की अनुमति दी गई;

(ग) क्या यह सच है कि देश में केवल हिन्दुओं को गोद लेने की अनुमति दी गई है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार वर्तमान कानून में संशोधन करने का है ताकि अन्य धार्मिक समुदायों के संबंधित लोगों द्वारा नि:सहायों को गोद लेने में समर्थ बनाया जा सके;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा देश में अनाथ/निराश्रित बच्चों की संख्या और भारतीय दंपतियों द्वारा गोद लिए गए बच्चों की कुल संख्या से संबंधित सूचना का रखरखाव नहीं किया जाता। मान्यता प्राप्त भारतीय सामाजिक/बाल कल्याण एजेंसियों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1995 से 1998 तक विदेशी दत्तक ग्रहण के लिए 4658 बच्चे दिए गए।

(ग) जैनियों, सिखों तथा बौद्धों सहित हिन्दुओं द्वारा दत्तक ग्रहण हिन्दू दत्तक और भरण-पोषण अधिनियम 1956 द्वारा अधिशासित किया जाता है। अन्य धर्मावलम्बियों को अभिभावकत्व की अनुमति संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम, 1890 के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

(घ) से (च) कानूनों की समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। इस समय प्रश्न के भाग (ग) में संदर्भित दो कानूनों के संशोधन का कोई विशेष प्रस्ताव नहीं है।

बिन्दापुर में फ्लैटों का कब्जा लेना

2017. श्री भगवान शंकर रावत: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "एक्सपंडेबल हाउसिंग स्कीम, 1996" के अंतर्गत श्रेणीवार कितने आबंटियों ने बिन्दापुर (द्वारका) में दिल्ली विकास प्राधिकरण फ्लैटों का कब्जा लिया है; और

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वहां कब तक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) विस्तारणीय आवास स्कीम 1996 के अंतर्गत, जिन आबंटियों ने बिन्दापुर (द्वारका) में डीडीए फ्लैटों का कब्जा ले लिया है, उनकी टाइप-वार संख्या इस प्रकार है:

टाइप ए मकान	टाइप बी मकान
498	6

(ख) बिन्दापुर (द्वारका) में डीडीए फ्लैटों के लिए दिल्ली विद्युत बोर्ड ने विद्युत सेवा पहले ही दे दी है। पथ प्रकाश कार्य पूरा हो गया है किन्तु बड़ी संख्या में फ्लैटों के खाली रहने से उनमें चोरी के भय से जुड़नार (फिक्स्चर्स) नहीं लगाए गए हैं। दिल्ली जल बोर्ड से जल और मल जल निपटान व्यवस्था सुलभ न होने से, डीडीए ने क्रमश: नलकूपों तथा खुले तालाबों के जरिए अंतरिम व्यवस्था भी की है। सड़कें और बरसाती नालियां पहले ही बनायी जा चुकी हैं।

संयुक्त तटीय गश्त

2018. श्री दिलीप संघाणी:
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलीया:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संयुक्त तटीय गश्त के लिए तेज रफ्तार वाली नावों की खरीद के लिए गुजरात सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए किये जाने वाले व्यय का गुजरात सरकार को पुन: भुगतान किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) यह निर्णय लिया गया था कि तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 14 के अधीन उथले जल समेत समुद्री तट की गश्त लगाना तटरक्षक की जिम्मेदारी है। तथापि, तटवर्ती क्षेत्र की गश्त लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा मछली पकड़ने के जलपोतों को भाड़े पर लेने के संबंध में किए गए खर्चे की प्रतिपूर्ति करके केन्द्र सरकार द्वारा गुजरात राज्य सरकार की वित्तीय सहायता की जाती है। राज्य सरकार को यह सलाह भी दी गई थी कि वह अधिक प्रभावकारी गश्त लगाने के लिए तीव्र गति से चलने वाली कुछ नावों को भाड़े पर लेने की संभावना पर विचार कर सकती है क्योंकि भाड़े के प्रभार की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार द्वारा की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) गुजरात राज्य सरकार को तटीय क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए मछली पकड़ने के जलपोतों को भाड़े पर लेने के संबंध में अब तक 970.48 लाख रुपये के व्यय की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना

2019. श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मौलाना आजाद उर्दू विश्वविद्यालय की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह विश्वविद्यालय कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय अधिनियम, 1996 के प्रवर्तन के साथ ही मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय पहले ही 9.1.98 से स्थापित हो चुका है। विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उर्दू भाषा को प्रोन्नत करना तथा उर्दू भाषा का विकास करना और पारंपरिक शिक्षण तथा दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से उर्दू माध्यम में व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा प्रदान करना है। विश्वविद्यालय ने वर्ष 1998-99 के शैक्षणिक वर्ष से अपने शैक्षणिक कार्यकलाप भी प्रारंभ कर दिए हैं।

[अनुवाद]

पेट्रोल पम्पों के लिए स्थलों का आबंटन

2020. डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोल पम्पों के 65 से अधिक आबंटिती दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उन्हें स्थलों के आबंटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी.डी.ए. द्वारा प्रस्तुत स्थान को तेल कंपनियों ने स्वीकार नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं; और

(च) पेट्रोल पम्प आबंटितियों की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने सूचित किया है कि 58 आशय पत्र धारक पेट्रोल पम्प स्थलों के आबंटन की प्रतीक्षा में हैं।

(ग) और (घ) तेल कम्पनियां सभी भूखंड 30 × 36 मीटर आकार के चाहती हैं, जबकि डीडीए ने योजना प्रतिबंधों तथा भूमि की कमी के कारण 30 × 17 मीटर आकार के भूखंडों की पेशकश की है।

(ङ) और (च) डीडीए ने तेल कम्पनियों से बातचीत की है तथा जहाँ भूखण्ड आकार बढ़ाने में अड़चन है, छोटे आकार के सुलभ भूखंडों का लाटरी के जरिए आबंटन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए नई योजनाएं

2021. श्री रामशकल: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1998 में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास के लिए कोई नई योजना शुरू की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इससे कम-से-कम कितने व्यक्तियों को लाभ होगा;

(घ) क्या सरकार का, इन वर्गों के शैक्षिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए ब्लॉक स्तर पर छात्रावास खोलने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) ब्यौरा निम्नलिखित हैं:

अनुसूचित जनजातियां

आदिम जनजाति समूहों के विकास की केन्द्रीय क्षेत्र की एक नई योजना 1998 में शुरू की गई है। इस योजना में वे कार्य शामिल हैं जो सामान्यतौर पर किसी वर्तमान योजना में शामिल नहीं है। इस योजना से 75 आदिम जनजाति समूहों को लाभ मिलने की आशा है।

अन्य पिछड़े वर्ग

5 नई योजनाओं को निम्नलिखित के अनुसार अनुमोदित किया गया है:

(1) अन्य पिछड़े वर्गों के लिए परीक्षा-पूर्व कोचिंग

(2) मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति

(3) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(4) अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के तथा लड़कियों के लिए होस्टल

(5) स्वैच्छिक संगठनों को सहायता।

चूंकि इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक कोई धनराशि निर्मुक्त नहीं की गई, इसलिए प्रत्येक योजना के अंतर्गत लाभग्राहियों की संख्या अभी उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लड़के तथा लड़कियों के लिए होस्टल की योजनाओं के अंतर्गत होस्टल का निर्माण करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लागू पैटर्न पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

2022. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत करने के लिए संसद सदस्यों की ओर से कोई पत्र प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सिफारिश वाले कितने पत्रों के आधार पर स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत किए गए हैं और कितने मामले अस्वीकृत किए गए हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत करने के मामलों को तेजी से निपटाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) इस बारे में संसद सदस्यों से प्राप्त पत्रों की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	प्राप्त हुए पत्रों की संख्या
1996	2866
1997	3195
1998	1306

(ग) सम्मान पेंशन केवल उन्हीं मामलों में मंजूर की जाती है जो पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हैं तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप होते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन मामलों में सम्मान पेंशन मंजूर की गई उनकी संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	मंजूर किए गए मामलों की संख्या
1996	427
1997	443
1998	684

इन मामलों में वे मामले भी शामिल हैं जिनमें संसद सदस्यों से सिफारिशें प्राप्त हुई थी। इस संबंध में संसद सदस्यों द्वारा संस्तुत मामलों की अलग से सूचना नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) सम्मान पेंशन की मंजूरी हेतु आवेदन पत्रों की प्राप्ति और निपटाने एक सतत् प्रक्रिया है। मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाने के प्रयास किये जाते हैं।

तिहाड़ जेल

2023. **श्री प्रदीप कुमार यादव:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तिहाड़ जेल से "ख" श्रेणी की सुविधा हटा दी गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार तिहाड़ जेल में "ख" श्रेणी की सुविधा पुन: बहाल करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने न्यायमूर्ति श्रीमती संतोष दुग्गल की अध्यक्षता वाली कैदियों के वर्गीकरण को युक्तिसंगत बनाने संबंधी समिति" की सिफारिशों पर दिल्ली जेल मैन्युल में यथा उपबंधित कैदियों के "ख" और "ग" श्रेणियों में वर्गीकरण करने संबंधी प्रणाली को समाप्त कर दिया है, क्योंकि ऐसे वर्गीकरणों को संवैधानिक और मानवाधिकार आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) वर्गीकरण प्रणाली को समाप्त करने के आधार सतत् वैध बने हुए है।

[अनुवाद]

होगेनकल पेयजल परियोजना

2024. **श्री के.पी. मुनूसामी:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु की होगेनकल पेयजल परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस परियोजना की लागत क्या है;

(घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस परियोजना को कुल कितनी सहायता दी जाएगी;

(ङ) क्या कृष्णगिरि संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के होसुर और घाली क्षेत्रों को भी इस परियोजना के अंतर्गत लाये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रस्तुत 788 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की "होगेनकल पेयजल आपूर्ति तथा स्वच्छता परियोजना" नामक एक परियोजना प्रस्ताव को राजीव गांधी राष्ट्रीय मिशन ने संभावित विश्व बैंक सहायता के लिए मंजूरी दी है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) तमिलनाडु राज्य सरकार ने फ्लोराइड प्रभावित आबादी को ध्यान में रखते हुए परियोजना क्षेत्र निर्धारित किया था।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

2025. श्री मित्रसेन यादव:
श्री जगतवीर सिंह द्रोण:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में राज्यवार बंजर भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कितने क्षेत्रफल भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है;

(ग) 1997-98 के दौरान उत्तर प्रदेश में बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वीकृत/अनुमोदित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) अभी तक स्वीकृत/अनुमोदित नहीं की गयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) लंबित परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत/अनुमोदित किये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी, हैदराबाद द्वारा सूचित किए गए अनुसार देश में अनुर्वर चट्टानी/पथरीली बंजर भूमि/शीट रॉक क्षेत्र सहित बंजर भूमि का कुल क्षेत्रफल 6.25 मिलियन हैक्टेयर है। इस समय देश में बंजर भूमि का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) कृषि मंत्रालय के नौ स्तरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण की परिभाषा के अनुसार बंजर (बैरन) भूमि में पर्वतीय, रेगिस्तानी आदि जैसी ऐसी भूमि आती है जिसे काफी अधिक लागत के बिना कृषि योग्य नहीं बनाया जा सकता है। बंजरभूमि को उपजाऊ बनाने के लिए अभी तक कोई योजना तैयार नहीं की गई है अत: पिछले तीन वर्षों के दौरान कृषि योग्य बनाई गई बंजर भमि के क्षेत्रफल के संबंध में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

देश में राज्यवार बंजर भूमि क्षेत्र

(क्षेत्र हेक्टेयर में)

क्र.सं.	राज्य	कुल भौगोलिक क्षेत्र	अनुर्वर चट्टानी/पथरीली बंजर भूमि/शीत रॉक क्षेत्र
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	27506800	391944
2.	अरुणाचल प्रदेश	8374300	97059

1	2	3	4
3.	असम	7843800	0
4.	बिहार	17387700	108219
5.	गोवा	370200	1121
6.	गुजरात	19602400	426165
7.	हरियाणा	4421200	9646
8.	हिमाचल प्रदेश	5567300	453081
9.	जम्मू और कश्मीर	13894200	2672819
10.	कर्नाटक	19179100	261725
11.	केरल	3886300	14169
12.	मध्य प्रदेश	44344600	765905
13.	महाराष्ट्र	30769000	246380
14.	मणिपुर	2232700	0
15.	मेघालय	2242900	0

1	2	3	4
16.	मिजोरम	2108100	0
17.	नागालैंड	1657900	0
18.	उड़ीसा	15570700	46642
19.	पंजाब	5036200	0
20.	राजस्थान	34223900	424975
21.	सिक्किम	709600	82978
22.	तमिलनाडु	13005800	76730
23.	त्रिपुरा	1048600	0
24.	उत्तर प्रदेश	29441100	156003
25.	पश्चिम बंगाल	8875200	15812
26.	संघ राज्य क्षेत्र	1097300	104
27.	सर्वेक्षण न किया गया क्षेत्र	8329400	0
	कुल योग	328726300	6251477

[अनुवाद]

विदेशी नागरिक

2026. **श्री लाल बिहारी तिवारी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में रह रहे विदेशी नागरिकों की संख्या क्या है; और

(ख) उनके नाम मतदाता सूचियों से कब तक हटा दिये जायेंगे?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) 28 फरवरी, 1999 को दिल्ली में 48805 विदेशी नागरिक पंजीकृत थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, इन विदेशी नागरिकों में से किसी को भी मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

खाद्य सामग्री की उपलब्धता

2027. **श्री एच.पी. सिंह:**
श्री टी. गोविन्दन:
डा. विजय सोनकर शास्त्री:
श्री शैलेन्द्र कुमार:
श्री ए.सी. जोस:
श्री रंजीब बिस्वाल:
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशिष्ट खाद्य सामग्री सामान्यतया ग्रामीण क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों के लोगों और गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे लोगों को राशन की दुकानों पर उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली/नवीनकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत इन वस्तुओं की उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) गत वर्ष के दौरान इस संबंध में आम जनता से राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, माहवार और वस्तुवार कितनी शिकायतें प्राप्त हुई?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) से (घ) यद्यपि केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की खरीददारी करती है और इन्हें सब्सिडी प्राप्त मूल्यों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराती है। तथापि, उचित दर दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से उपभोक्ताओं को इनका वितरण करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। इस संबंध में जनता से प्राप्त शिकायतों को आवश्यक कार्रवाई करने हेतु संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को भेजा जाता है। विशिष्ट खाद्य पदार्थों अथवा उनकी गुणवत्ता की अनुपलब्धता के बारे में पिछले एक वर्ष के दौरान कोई प्रमुख शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों अर्थात् चावल, गेहूं, चीनी और खाद्य तेल का आवंटन एक माह से अधिक पहले किया जाता है ताकि उपभोक्ताओं के लिए इनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। जहां तक गुणवत्ता का संबंध है, वे ही खाद्यान्न खरीदे जाते हैं जो कड़ाई से एक सम्मान विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होते हैं। भंडारण के दौरान इन वस्तुओं की गुणवत्ता की निरंतर मानीटरिंग की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए वे खाद्यान्न जारी किये जाते हैं जो खाद्य अपमिश्रण निवारण मानकों के अनुरूप और कीट-जन्तुबाधा से मुक्त होते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरित किये जाने वाले खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय भी किये जाते हैं:

(1) राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए गोदामों से स्टाक का उठान करने से पूर्व खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने की अनुमति दी जाती है।

(2) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए उचित दर दुकानों पर जारी किये जा रहे लॉट से खाद्यान्नों के सीलबन्द नमूने प्रदर्शित किये जाते हैं।

(3) खाद्यान्नों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए उचित दर दुकानों की अचानक जांच की जाती है।

प्रतिभा पलायन

2028. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन उत्कृष्ट प्रतिभासम्पन्न व्यक्तियों के पलायन से अवगत हैं जिन्होंने देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं से शिक्षा प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं; और

(ग) प्रतिभाओं को स्वदेश वापस लाने तथा उन्हें देश के विकास कार्यों में लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) कुछ भारतीय वैज्ञानिक, इंजीनियर अवश्य ही उच्चतर अध्ययन/विदेशों में कार्य करने के लिए अन्य देशों में प्रवास के लिए चले जाते हैं। ऐसे कार्मिकों को देश की ओर आकर्षित करने के उद्देश्य से, सरकार ने कदम उठाए हैं जिनमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कुल परिव्यय में वृद्धि, नये वैज्ञानिक विभागों/संगठनों का सृजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थाओं को और अधिक प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन, वैज्ञानिकों के पूल के अंतर्गत वैज्ञानिकों तथा प्रौद्योगिकीविदों का अस्थायी स्थानन शामिल हैं।

[अनुवाद]

चीनी की खपत

2029. श्री टी.आर. बालू:
श्री राम नारायण मीणा:
श्री सुशील कुमार शिन्दे:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1997-98 तथा चालू वर्ष के दौरान चीनी का कुल उत्पादन और खपत क्या है;

(ख) गत वर्ष से चीनी की कुल कितनी मात्रा इसके अतिरिक्त भंडार में शामिल की गई;

(ग) क्या देश में चीनी के उत्पादन तथा इसकी खपत के तरीकों में कोई भिन्नता है;

(घ) यदि हां, तो विशेषत: राजस्थान और म.प्र. में राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार राजस्थान तथा मध्य प्रदेश राज्यों में इस अंतर को कम करने हेतु इनकी रुग्ण मिलों के पुनरुद्धार पर विचार कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या इन राज्यों की सहकारी चीनी मिलें अच्छी तरह कार्य कर रही हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) यदि नहीं, तो इसके कारण तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) चीनी मौसमों 1997-98 तथा 1998-99 (31.1.1999 तक) के दौरान चीनी का कुल उत्पादन तथा खपत निम्नवत था:

(मात्रा लाख टनों में)

चीनी मौसम	उत्पादन	घरेलू खपत
1997-98	128.27 (पी)	139.80 (पी)
1998-99 (31.1.1999 तक)	67.71 (पी)	45.52 (पी)

(पी) - अनंतिम

(ख) गत चीनी मौसम (1.10.98 की स्थिति के अनुसार) से कुल 53.7 लाख टन (अनंतिम) चीनी इसके अतिरिक्त भंडार में शामिल की गई।

(ग) और (घ) देश में चीनी का उत्पादन एक चक्रीय रुख दर्शाता रहा है अर्थात् 2-3 वर्षों से अधिक उत्पादन के बाद 2-3 वर्षों तक कम उत्पादन होना। चीनी मौसम 1995-96 के

दौरान 164.29 लाख टन के आज तक के सर्वाधिक उत्पादन स्तर तक पहुँचने के बाद, चीनी मौसम 1996-97 के दौरान 129.05 लाख टन तथा चीनी मौसम 1997-98 के दौरान 128.27 लाख टन (अनंतिम) के उत्पादन के साथ चीनी उत्पादन में गिरावट का रुख आरम्भ हो गया। वर्तमान चीनी मौसम 1998-99 के दौरान लगभग 150 लाख टन चीनी के उत्पादन का अनुमान किया गया है। चीनी मौसमों 1995-96 से 1997-98 के दौरान राज्यवार चीनी के उत्पादन का रुख संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

घरेलू खपत के लिए चीनी की उपलब्धता घरेलू उत्पादन तथा आयात से दोनों से होती है। यह परिमाणित करना सम्भव नहीं है कि आयातित चीनी की कितनी खपत हुई क्योंकि खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के अधीन आयात की गई चीनी के लिए कोई रिलीज व्यवस्था नहीं है। जबकि राज्यवार लेवी चीनी कोटा नियत होता है तथा इसकी खपत केवल राज्य में ही होनी चाहिए, परन्तु एक राज्य में स्थित चीनी मिल के सापेक्ष रिलीज किए गए खुली बिक्री कोटे की खपत दूसरे राज्य (राज्यों) द्वारा की जा सकती है क्योंकि खुली बिक्री चीनी के अन्तर्राज्यीय आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। अत: चीनी के खपत का राज्यवार ब्यौरा देना सम्भव नहीं है।

(ङ) और (च) चीनी मिलों को पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण पुन: आरम्भ करने संबंधी योजनाएं स्वयं ही तैयार करनी होती हैं तथा वित्तीय संस्थानों से उन्हें स्वीकृत करना होता है। चीनी विकास निधि से भी गन्ना विकास एवं पुनर्स्थापन/आधुनिकीकरण योजनाओं के लिए ब्याज की रियायती दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध है, बशर्ते वे कुछ निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों। वित्तीय एवं औद्योगिक पुनर्संरचना बोर्ड की सूचना के अनुसार, रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशिष्ट प्रावधान) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत राजस्थान की भुपालसागर चीनी मिल तथा मध्य प्रदेश की दलौदा, सिहोर एवं खालबुजुर्ग चीनी मिलें बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत है। इनमें से दलौदा चीनी मिल को बी.आई.एफ.आर. द्वारा बन्द करने की अनुशंसा की गई है तथा सिहोर एवं खालबुजुर्ग के मामलों की जांच की जा रही है। भुपालसागर के मामले में बी.आई.एफ.आर. ने पुनर्स्थापन योजना की मंजूरी दे दी है।

(छ) से (झ) मध्य प्रदेश में तीन सहकारी चीनी मिलें हैं तथा राजस्थान में एक सहकारी चीनी मिल है और 1998-99 चीनी मौसम के दौरान ये सभी कार्यरत हैं। 31.1.99 तक उनके द्वारा उत्पादित चीनी की मात्रा निम्नवत है:

चीनी मिल	चीनी उत्पादन (मात्रा लाख टनों में)
मध्य प्रदेश	
मोरेना	0.03
बारलाई	0.04
नवलनगर	0.07
राजस्थान	
केशोरायपाटन	0.02

विवरण

राज्य-वार चीनी का उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

(मात्रा लाख टनों में)

क्र. सं.	राज्य	चीनी मौसम 1995-96	चीनी मौसम 1996-97	चीनी मौसम 1997-98	1995-96 की तुलना में 1996-97 में वृद्धि(+) या कमी (-)	1996-97 की तुलना में 1997-98 में वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7
1.	पंजाब	6.32	6.13	3.07	(-)0.19	(-)3.24
2.	हरियाणा	4.54	4.90	3.81	(+)0.36	(+)1.09

1	2	3	4	5	6	7
3.	राजस्थान	0.31	0.23	0.23	(-)0.08	0.00
4.	उत्तर प्रदेश	43.60	40.84	39.04	(-)2.76	(-)1.8
5.	मध्य प्रदेश	1.29	0.87	0.71	(-)0.42	(-)0.16
6.	गुजरात	11.26	9.67	8.84	(-)1.59	(-)0.83
7.	महाराष्ट्र	53.76	34.46	38.55	(-)19.30	(+)4.09
8.	बिहार	3.79	3.62	3.08	(-)0.17	(-)0.54
9.	असम	0.07	0.01	0.03	(-)0.02	(-)0.02
10.	उड़ीसा	0.82	0.78	0.57	(-)0.04	(-)0.21
11.	पश्चिम बंगाल	0.08	0.05	0.03	(-)0.03	(-)0.02
12.	नागालैंड	0.01				
13.	आंध्र प्रदेश	8.66	7.72	7.76	(-)0.94	(+)0.04
14.	कर्नाटक	12.67	8.70	9.70	(-)3.97	(+)1.00
15.	तमिलनाडु	16.22	10.50	12.32	(-)5.72	(+)1.82
16.	पांडिचेरी	0.57	0.33	0.37	(-)0.24	(+)0.04
17.	केरल	0.13	0.05	0.06	(-)0.08	(+)0.01
18.	गोवा	0.19	0.15	0.10	(-)0.04	(-)0.05
	समस्त भारत	164.29	129.05	128.27		

लेवी चीनी का मूल्य

2030. श्री एस.एस. ओवेसी:
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय कटाई और परिवहन प्रभार नहीं जोड़ती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार वर्ष 1999-2000 और वर्ष 2002-2003 के लिए लेवी चीनी का मूल्य निर्धारित करते समय इन प्रभारों को जोड़ने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) लेवी चीनी के मूल्य औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो जैसे विशेषज्ञ निकाय द्वारा मुहैया की गई लागत अनुसूचियों के आधार पर होते हैं। 1993-94 से 1995-96 और 1996-97 से 1998-99 के चीनी मौसमों के लिए लागत का अन्वेषण करने के लिए औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो से एक ऐसी प्रणाली तैयार करने के लिए कहा गया था जिससे सांविधिक न्यूनतम मूल्य में कटाई और ढुलाई लागत का घटक और चीनी फैक्ट्रियों द्वारा कटाई और ढुलाई पर किए गए वास्तविक खर्चों की निर्धारित किया जाएगा ताकि इन दोनों में जो अन्तर हो वह लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित करने में रूपान्तरण लागत का एक हिस्सा बन सके। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिशों पर 1993-94 से 1997-98 मौसमों के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों की गणना की गई थी और ये निर्धारित किए गए थे। 1998-99 मौसम के लिए लेवी चीनी के निकासी मूल्यों की गणना भी औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की सिफारिश के आधार पर की जा रही है।

(ग) और (घ) 1999-2000 से 2001-2002 के आगामी चीनी मौसमों के लिए चीनी उद्योग का लागत अन्वेषण का मामला वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा को भेजा गया है। एक प्रणाली, जिसमें सांविधिक न्यूनतम मूल्य में कटाई और ढुलाई लागत का घटक और फैक्ट्रियों द्वारा कटाई और ढुलाई पर किए गए वास्तविक खर्चों को निर्धारित किया जाएगा ताकि इन दोनों में जो अन्तर हो वह लेवी चीनी के निकासी मूल्य निर्धारित करने में रूपान्तरण लागत का एक हिस्सा बन सके, तैयार करने से संबंधित मामला भी उन्हें भेजा गया है। वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए 1999-2000 से 2001-2002 के मौसमों के लिए लेवी चीनी के मूल्य निर्धारित किए जाएंगे।

अवैध होटल

2031. **श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जैसलमेर के प्रसिद्ध "गोल्डन फोर्ट" के अन्दर अनेक अवैध होटल चल रहे हैं जिससे इस किले की ढांचागत स्थिरता को खतरा हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इस किले की सुरक्षा के बारे में गंभीर चिन्ता प्रकट की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) जी, हाँ। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, जैसलमेर के जिला प्राधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई से अवगत करा दिया है। एक मामले में, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक होटल के मालिक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई शुरू की है तथा यह मामला निर्णयाधीन है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि

2032. **श्री राम टहल चौधरी:** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल कितने भूमि क्षेत्र का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिगृहीत भूमि के कितने क्षेत्र का उपयोग किया गया है;

(ग) कुल कितने क्षेत्र की भूमि पर अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है और

(घ) इस संबंध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जमीन को खाली कराने हेतु क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उसने अब तक लगभग 70,377 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। जिसमें से लगभग 62,384 एकड़ भूमि का उपयोग कर लिया गया है।

(ग) और (घ) दिसम्बर 1998 तक लगभग 1600 एकड़ भूमि पर अतिक्रमण था। अवैध ढांचों को गिराने के कार्यक्रम निर्धारित किये जाते हैं। गत तीन वर्ष के दौरान 15837 अवैध ढांचे गिराए गए और 246 एकड़ भूमि अवैध कब्जों से मुक्त की गई।

[हिन्दी]

राजभाषा नीति

2033. श्री अमर पाल सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजभाषा नियमों और राजभाषा नीति के कार्यान्वयन का दायित्व गृह मंत्रालय का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी विभागों/कार्यालयों को अपने प्रकाशनों/पुस्तकों में कुछ पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना होता है;

(ग) मंत्रालय ने इनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रबंध किए हैं;

(घ) क्या सरकार को राजभाषा नीति के उल्लंघन की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) नियमानुसार प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियमों के उपबंधों तथा राजभाषा नीति संबंधी निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करे।

(ख) जी, हां।

(ग) राजभाषा नीति संबंधी दिशा-निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु सभी मंत्रालयों/विभागों में राजभाषा कार्यान्वयन समितियों का गठन किया गया है, जिनकी वर्ष में 4 बैठकें होनी आवश्यक हैं। इसी प्रकार राजभाषा नीति संबंधी दिशा-निदेशों के कार्यान्वयन तथा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के बारे में सलाह देने हेतु विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है जिनके अध्यक्ष संबंधित मंत्री होते हैं तथा 6 संसद सदस्यों के साथ उस विभाग के सचिव तथा विभाग के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ तथा सम्बद्ध कार्यालयों के प्रशासनिक प्रधान भी इसके सदस्य।

(घ) और (ङ) राजभाषा विभाग के पास इस संदर्भ में जब भी कोई शिकायत आती है तो उसे समुचित कार्रवाई हेतु संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रधान को आवश्यक कार्रवाई हेतु भिजवा दिया जाता है। सरकार की राजभाषा नीति के उल्लंघन के विषय में प्राप्त शिकायत वैसी ही है जैसी कि मंत्रालयों/विभागों में उनके प्रशासनिक दायित्व संबंधी अन्य कार्यकलापों के कार्यान्वयन में नियमों में उल्लंघन की। इन शिकायतों की जांच कर उचित कार्रवाई करने का दायित्व संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक प्रधान का है।

भारत और ऐस्टोनिया के बीच सहयोग समझौता

2034. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री: क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भारत और ऐस्टोनिया के बीच कोई सहयोग/समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग पर भारत-ऐस्टोनिया के बीच 5 फरवरी, 1999 को एक समझौता हुआ है। इस समझौते में वैज्ञानिकों के आदान-प्रदान, वैज्ञानिक एवं तकनीकी सूचनाओं, प्रकाशनों तथा अन्य वैज्ञानिक प्रलेखीकरण का आदान-प्रदान, द्विपक्षीय वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेमिनारों का आयोजन करने, वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय प्रदर्शनियों का आयोजन, संयुक्त अनुसंधान कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं के उपयोग की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की सिफारिशें

2035. श्री जी.एम. बनातवाला: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने अपने गठन के बाद राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(1) (ग) के अंतर्गत कोई सांविधिक सिफारिशें की हैं;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस अधिनियम की धारा 9(2) के संबंध में प्रत्येक अनुशंसा पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(घ) क्या अधिनियम की धारा 9(3) के अंतर्गत राज्य सरकारों से संबंधित सांविधिक अनुशंसाओं को संबंधित राज्य सरकारों को भेजा गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो राज्य सरकारों ने इस पर क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(1)(ग) के अंतर्गत वर्ष 1995-96 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से 13 सांविधिक सिफारिशें की हैं। यह रिपोर्ट 5 जून, 1997 को प्राप्त हुई। सरकार ने संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके 12 सिफारिशों पर कार्रवाई पूरी कर ली है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 9(2) के अनुसार सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में रखनी अपेक्षित होती है। 13 सांविधिक सिफारिशों वाली रिपोर्ट संसद में अभी तक नहीं रखी गई है।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा राज्य सरकारों से संबंधित सांविधिक सिफारिशों को राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई ज्ञापन के साथ राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सीधे संबंधित राज्यों को भेजा जाता है, जैसा कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 9(3) के अंतर्गत अपेक्षित है।

पंचायत चुनाव

2036. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रत्येक राज्य में पंचायत/स्थानीय निकायों के चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो क्या जम्मू और कश्मीर में पिछले 25-30 सालों से पंचायत चुनाव नहीं कराए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंचायतों के अंतर्गत ग्रामीण विकास हेतु निर्धारित की गई केन्द्रीय निधियों का जम्मू और कश्मीर में दुरुपयोग किया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) जी हां, जिन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में जहां 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 लागू है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 (1)(ख)(2) के लागू होने की वजह से जम्मू व कश्मीर राज्य पर 1992 का अधिनियम लागू नहीं होता है। राज्य विधानमंडल की सहमति से अनुच्छेद 370(1)(ख)(2) के तहत राष्ट्रपति के आदेश से ही जम्मू व कश्मीर राज्य पर 73वां संशोधन अधिनियम लागू किया जा सकता है। जम्मू व कश्मीर सरकार ने राज्य पर 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के उपबंधों को लागू करने के लिए राज्य विधानमंडल की सहमति प्राप्त नहीं की है।

(ग) और (घ) ग्रामीण विकास के लिए निर्धारित केन्द्रीय निधियों के दुरुपयोग/अन्यत्र उपयोग की कोई रिपोर्ट नहीं है। राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों के मंजूरी आदेश में केवल उसी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल की जानी चाहिए जिसके लिए वे मंजूर की गयी हैं। राज्य सरकारों को विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर यह भी परामर्श दिया जाता है कि आबंटित निधियां का किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

पांच औषधियों का मूल्य नियंत्रण

2037. श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी:
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पांच "बल्क" औषधियों को अनारक्षित और लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने विटामिन बी-1, विटामिन बी 2 टट्रासाइक्लिन, आक्सीटेट्रासाइक्लिन और फोलिक एसिड के उत्पादन को अनारक्षित और लाइसेंस मुक्त करने का निर्णय किया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

खुला बाजार मूल्य

2038. श्री सनत कुमार मंडल:
श्री के.एच. मुनियप्पा:

क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि किए जाने से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है, और

(ख) यदि हां, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि से खुले बाजार में खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार द्वारा कदम उठाने का ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) गेहूं और धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य/वसूली मूल्य में वृद्धि को निष्क्रिय करने के लिए सरकार समय-समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्य में संशोधन करती है। इसी प्रकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन वितरण करने के लिए लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में भी समय-समय पर वृद्धि की जाती है। लेवी चीनी के खुदरा निर्गम मूल्य में हाल ही में की गई वृद्धि केवल 5.26% है जोकि सीमांत है।

29.1.1999 से गेहूं और चावल के केन्द्रीय निर्गम मूल्यों में किए गए संशोधन के बाद खुले बाजार के खुदरा मूल्यों में किसी महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचना प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक चीनी का संबंध है, खुले बाजार में इसके खुदरा मूल्यों में किसी वृद्धि की सूचना प्राप्त नहीं हुई।

खुले बाजार मूल्य विभिन्न घटकों जैसे मांग और आपूर्ति, मुद्रास्फीति की सामान्य प्रवृत्ति, मौसमी विपणन व्यवहार आदि पर निर्भर करते हैं।

सरकार आवश्यक जिन्सों के खुले बाजार मूल्यों की निरंतर मानीटरिंग और समीक्षा करती है और जब कभी आवश्यक होता है, सभी संभव उपाय किये जाते हैं। यदि खुले बाजार में खाद्यान्नों के मूल्यों में वृद्धि होती है तो सरकारी स्टाक से खाद्यान्नों की खुले बाजार में बिक्री का सहारा लिया जाता है।

अनुसंधान परियोजनाओं हेतु व्यय

2039. श्री अनंत कुमार हेगड़े: क्या **महासागर विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अंटार्कटिक अनुसंधान केन्द्र की क्या उपलब्धियाँ रहीं; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान आरंभिक अभियानों और अनुसंधान परियोजनाओं में कितना व्यय हुआ?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) वर्ष 1995-96, 1996-97 एवं 1997-98 के दौरान अंटार्कटिक के लिए पन्द्रहवाँ, सोलहवाँ एवं सत्रहवाँ अभियान भेजा गया। क्रिल जैसे अंटार्कटिक समुद्री सजीव संसाधनों के मूल्यांकन हेतु 1995-96 के दौरान अंटार्कटिक जल के लिए एक विशेष समुद्री यात्रा भी आयोजित की गई।

अंटार्कटिक अनुसंधान कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ प्रमुख वैज्ञानिक एवं संभार उपलब्धियाँ:

- अंटार्कटिक वायुमंडल का ओजोन ट्रेस गैसों एवं एरोसोल पर अध्ययन किये गये।
- मौसम वैज्ञानिक प्राचल जिन्हें जलवायु प्रतिरूपण एवं भविष्यकथन के लिए लगाया जा सकता है; अभिलेखित किए गए।
- मध्य ड्रोनिंग मॉडलैंड का स्वस्थाने भूवैज्ञानिक एवं वायुवाहित भूभौतिक जांच पड़ताल तथा स्थायी भूकंपीय केन्द्र की स्थापना पर कार्य प्रारम्भ किया गया।

- प्रकाशिक ध्रुवीय ज्योति, भू चुंबकीय क्षोभ, ध्रुवीय सीमा परत जैसे सौर स्थलीय भौतिकी प्रयोग जारी रहे।

- बहुत कम बारंबारता विह्स्लर प्रबोधन एवं प्रवर्धन अध्ययन प्रारम्भ किये गये।

ध्रुवीय भूगणीतीय अध्ययन हेतु स्थायी जीपीएस वेधशाला की स्थापना संबंधी कार्य पूरा हुआ।

- अंटार्कटिक के चल रहे जैव विविधता अध्ययन के एक भाग के रूप में जीवों की पहचान एवं विभाजन संबंधी वर्गीकरण किया गया।

- अंटार्कटिक एल्बिडो एवं स्नोड्रिफ्ट प्रतिमानों पर प्रयोग प्रारम्भ किए गए।

- विषम परिस्थितियों में मानव अनुकूल तकनीकों पर अध्ययन जारी रहे।

- अन्टार्कटिक में वायु और ईंधन कोशिकाओं जैसी स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का अनुप्रयोग व उपयोग नियोजित और पूरा किया गया।

- निकट वास्तविक समय चित्र पारेषण के माध्यम से संचार सुविधाओं का उन्नयन स्थापित किया गया।

- अपशिष्ट स्राव व हस्तन सुविधाओं को पुनःअभिमुख किया गया।

- मैत्री में चिकित्सा जाँच कक्ष का निर्माण पूरा किया गया।

- ध्रुवीय विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जर्मनी, फ्रांस, इटली संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना और पेरू के साथ अन्तर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय सहयोग शुरू किए गए।

- चार तकनीकी रिपोर्टें प्रकाशित की गईं तथा एक भारतीय राष्ट्रीय अंटार्कटिक आंकड़ा आधार निर्मित किया गया।

- जल स्तंभों में व्याप्त भौतिकीय-रासायनिक तथा जैव प्राचलों के संबंध में हिन्द महासागर क्षेत्र के एफएओ मत्स्यन क्षेत्र संख्या 58 में क्रिल, सीफेलोपोड के वितरण व प्रचुरता का आरंभिक मूल्यांकन किया गया।

- उन्नतोत्तर प्रौद्योगिकी और विपणन मूल्य संवर्धित उत्पादों के विकास के माध्यम से क्रिल के वाणिज्यिक दोहन का मूल्यांकन किया गया।

अंन्टार्कटिक अध्ययन केन्द्र (एएससी)

- अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र गोवा के चरण-I में शामिल संभार, प्रशासनिक, सेवा और आवास खण्डों का निर्माण पूरा किया गया तथा अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र ने अपने इस नए भवन से कार्य करना आरम्भ किया।

- 17वां अभियान, दिसम्बर, 1997 को केन्द्र से रवाना किया गया।

- अंटार्कटिक अध्ययन केन्द्र में बुनियादी कम्प्यूटर सुविधाएं और पुस्तकालय स्थापित किए गए।

(ख) अंटार्कटिक अभियान और संबद्ध अनुसंधान परियोजनाओं पर वर्षवार कुल व्यय नीचे दिया गया है:

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	व्यय
1995-96	19.51
1996-97	20.85
1997-98	21.51

लाटरी पर प्रतिबंध

2040. **श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लाटरी पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो लाटरी पर प्रतिबंध लगाए जाने पर राजस्व में एवं रोजगार संभावनाओं की हानि को पूरा किए जाने के लिए आरम्भ किये जाने संबंधी प्रस्तावित वैकल्पिक उपाय क्या हैं;

(ग) क्या राज्य सरकारों द्वारा लाटरी के संचालन संबंधी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन की जानकारी सरकार के समक्ष लाई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने केरल सहित अन्य राज्य सरकारों को नियमों के तहत लाटरी के संचालन की अनुमति दी है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (च) देश में लाटरी व्यवसाय पर एक व्यापक प्रतिबंध लगाए जाने के एक प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। इस प्रस्ताव में केरल सहित सारे देश को शामिल किया गया है। इस मामले पर अंतिम निर्णय लेते समय राजस्व के घाटे और रोजगार के अवसरों में कमी जैसे मुद्दों पर विधिवत विचार किया जाएगा।

यह उल्लेख किया जाता है कि गृह मंत्रालय से संबद्ध संसदीय समिति, जिसने लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 पर विचार किया था, में अत्यधिक दृष्टिकोण सभी प्रकार की लाटरियों पर व्यापक प्रतिबन्ध लगाने के संबंध में भारी मत था। उक्त विधेयक का उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ, एक अंक वाली लाटरियों पर प्रतिबन्ध लगाना था। बाद में, सदन में लगभग सर्वसम्मति से यह मांग भी थी कि कानूनी प्रतिबंध केवल एक अंक वाली लाटरियों तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी प्रकार की लाटरियों पर लगाया जाना चाहिए। इसी प्रकार, नवम्बर, 1998 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में अधिकांश मुख्यमंत्री सभी प्रकार की लाटरियों पर व्यापक प्रतिबंध के पक्षधर थे।

राज्य सरकारों द्वारा लाटरी संचालन में उच्चतम न्यायालय के निदेशों के उल्लंघन की कोई विशिष्ट घटना ध्यान में नहीं आई है। तथापि, उच्चतम न्यायालय के निदेश लाटरी व्यवसाय पर रोक लगाने को निपिद्ध नहीं करते हैं।

युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियां

2041. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रति वर्ष 18-35 वर्ष की आयु वर्ग के कितने युवा कलाकारों को संगीत, कला, नृत्य, चित्रकारी, मूर्तिकला, नाटक और लोकगीत के क्षेत्र में छात्रवृत्तियाँ दी गई;

(ख) उनको दी गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भविष्य में इन कलाकारों को दी जाने वाली सहायता में वृद्धि की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान शिक्षावृत्तियां प्रदान किये गए युवा कलाकारों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष	प्राप्तकर्ताओं की संख्या
1995-96	200
1996-97	200
1997-98	250

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अध्येताओं को निर्मुक्त की गई राशि निम्नानुसार है:

1995-96	44.66 लाख रुपये
1996-97	45.68 लाख रुपये
1997-98	98.63 लाख रुपये

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

"हांस आयल" के उपयोग के संबंध में प्रयोग

2042. श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि टाटा इंस्टीट्यूट, बंगलौर ने कारों को चलाने हेतु डीजल में "हांस आयल" के उपयोग के संबंध में प्रयोग किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल अर्थक्षम तथा उपयुक्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर में किए जा रहे कुछ अनुसंधान कार्यों की जानकारी है।

(ख) भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर द्वारा ''सस्टेनेबल ट्रांसफर्मेशन ऑफ रूरल एरियाज, (सूत्रा)'' नामक एक परियोजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसे अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय (एम एन ई एस), भारत सरकार तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है। इस परियोजना के एक भाग के रूप में संस्थान ने पांच गांवों में उगने वाले स्थानीय वृक्षों, विशेष कर होंग (पोंगामिया पिन्नाटा-करंज) से सीड ऑयल के उपयोग पर परीक्षण किया है, ताकि ग्रामीण घरों में रोशनी उपलब्ध हो सके तथा पेय जल की पम्पिंग हो सके। सूत्रा की मॉनीटरिंग के लिए एम एन ई एस द्वारा गठित राष्ट्रीय समिति को इसकी सूचना दी गई तथा समिति ने चालू परियोजना में डीजल के स्थान पर इन ऑयल्स के उपयोग को अनुमोदित कर दिया है।

(ग) और (घ) होंग ऑयल को साफ करने के बाद, ऑयल केक के गुणों तथा अन्य अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसका उपयोग 5 डीजल जेनरेटर्स में किया गया जिनकी क्षमता 3.5 से 10 किलोवाट तक थी। लगभग 3500 लीटर होंग ऑयल का उपयोग किया गया है तथा 4500 के डब्ल्यू एच (इकाइयां) बिजली का उत्पादन किया गया है। इस ऑयल की कैलोरिफिक वैल्यू डीजल की तुलना में थोड़ी कम है। होंग ऑयल इंजिनों में अच्छी तरह जलता है और विजुअल निरीक्षण के दौरान अपेक्षाकृत स्वच्छ रेचन देता है। इसमें कम आर्द्रता होने के कारण यह ऑयल ड्रापलेट्स के बेहतर वियोजन के कारण सीमान्त रूप से बेहतर थेरमोडाइनामिक एफिसियेंसी विकसित करता है।

केन्द्रीय सुरक्षा बल के विरुद्ध अभियोजन

2043. श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा राज्य में 1992 से तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों के विरुद्ध अभियोजन की मंजूरी हेतु कितने मामले प्रस्तुत किए; और

(ख) उन मामलों का ब्यौरा क्या है जिनमें आज तक अभियोजन की मंजूरी दे दी गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

रजक धोबी समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा

2044. दादा बाबूराव परांजपे: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मध्य प्रदेश में रजक धोबी समुदाय को केवल तीन जिलों में ही अनुसूचित जाति के रूप में मान्यता मिली हुई है और शेष जिलों में उन्हें पिछड़े वर्गों के रूप में मान्यता मिली हुई है;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों की क्षेत्रीय सीमाबद्धताएं समाप्त करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हाँ तो इसे कब तक समाप्त किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन तथा सिहोर जिलों में ''रजक धोबी'' को नहीं ''धोबी'' को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है। उल्लिखित तीन जिलों को छोड़कर मध्य प्रदेश में धोबी समुदाय को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

(ङ) भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अनुसार क्षेत्रवार विनिर्देशन किया गया है।

[अनुवाद]

चौहत्तरवां संशोधन

2045. श्री जी. गंगा रेड्डी: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने चौहत्तरवें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत जल-प्रदाय, सफाई आदि के लिए अपने कर्त्तव्यों का निर्वाह करने के मार्ग में संसाधनों की कमी बताया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

पुनर्वास खण्ड को वापस लेना

2046. **श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने सरकार से भारतीय पुनर्वास परिसर अधिनियम, 1993 के कुछ अव्यवहार्य खण्डों को वापस लेने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पुनर्वास क्षेत्र में व्यवसायिकों द्वारा पुनर्वास प्रशिक्षण का मानकीकरण किये जाने के कारण इसके कार्य में बाधा आ रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया जिसमें प्रमुख गैर-सरकारी संगठन तथा पुनर्वास विशेषज्ञ शामिल है। इस विशेषज्ञ समिति ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं और इस पर आगे कार्रवाई की जा रही है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कमजोर वर्गों की आर्थिक कठिनाइयाँ

2047. **डा. प्रभा ठाकुर:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कई विधवाएं, तलाकशुदा, कमजोर और वृद्ध पुरुषों और महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और वे दयनीय जीवन जीने को मजबूत हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या सरकार का विचार मूल्यवृद्धि को देखते हुए उपरोक्त कमजोर, गरीब और उपेक्षित लोगों के लिए वित्तीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत पेंशन उपलब्ध कराने, पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाने और पेंशन में वृद्धि करने का है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) सरकार उन विधवाओं, तलाकशुदा तथा दुर्बल वृद्ध व्यक्तियों तथा महिलाओं सहित वयोवृद्ध व्यक्तियों की संवेदनशील दशा तथा आय सुरक्षा की जरूरतों को समझते हुए राष्ट्रीय समाज सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत निराश्रित वृद्ध व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करती है। जरूरतमंद व्यक्तियों को राज्य सरकारों द्वारा भी वृद्धावस्था पेंशन प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा लाभार्थी लक्ष्य समूहों की दशा में सुधार लाने के उद्देश्य से पेंशन प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ-साथ देय राशि की वृद्धि पर भी विचार किया जाता है।

पौधों की जीन में सुधार

2048. **श्री मोहन रावले:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने औषधीय गुणों और परम्परागत टीके की दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की जीन्स में सुधार लाने के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जी हाँ। कुछ केन्द्रीय मंत्रालय/विभाग/

संस्थान (बायोटेकनोलॉजी विभाग, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और विश्वविद्यालय) औषधीय दृष्टि से महत्वपूर्ण पादपों के आनुवंशिक सुधार के संबंध में कई अनुसंधान और विकास योजनाएं लागू कर रहे हैं। इनमें ये शामिल हैं: पारम्परिक प्रजनन, सूक्ष्म-प्रवर्धन, सोमाक्लोनल विभिन्नता, महत्वपूर्ण औषधीय पादपों के वांछनीय क्लोनों/किस्मों के विकास के लिए आण्विक लक्षण-वर्णन एवं आनुवंशिकता रूपान्तरण। बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने खाद्य टीका संबंधी परियोजनाएं भी शुरू की हैं-जैसे कॉलरा (टमाटर और तम्बाकू में) और रेबीज़ (पत्ता गोभी में) के लिए फसल पादपों से टीकों का उत्पादन। ये परियोजनाएं विकास के प्रारंभिक चरण में हैं।

[अनुवाद]

मानवाधिकार विभाग

2049. डा. वल्लभ भाई कथीरिया: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का एक पृथक मानवाधिकार विभाग स्थापित करने का विचार है, जैसा कि ''टाइम्स आफ इंडिया'' में 17 दिसम्बर, 1998 को अहमदाबाद में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों के शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकान

2050. श्री दत्ता मेघे: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा श्रेणीवार कितने मकानों का निर्माण और आवंटन किया गया; और

(ख) 1999-2000 के दौरान कितने मकानों का निर्माण और आवंटन करने का लक्ष्य तय किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) डीडीए द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में निर्मित और आबंटित मकानों की श्रेणीवार संख्या निम्नलिखित अनुसार है:

पूर्ण किए गए मकान

	1995-96	1996-97	1997-98
एस एफ एस	173	3665	178
एम आई जी.	1665	3372	116
एल आई जी	460	705	890
जनता	–	–	848
कुल	2298	7743	3635
आबंटित मकान			
एस एफ एस	676	3022	525
एम आई जी	1864	4668	793
एल आई जी	2602	1731	164
जनता	791	3667	1097
ई एच एस	–	8405	413
कुल	5933	21493	2992

(ख) डीडीए ने सूचित किया है कि 1999-2000 के दौरान 5379 मकान पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। तथापि मकानों का आबंटन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और विद्युत और पानी की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग

2051. श्री रामविलास पासवान: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनु.जा./अनु.जनजाति वर्ग के बहुत से लोग अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हैं;

(ख) यदि हाँ, तो क्या अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह में अनु. जाति और अनु. जनजाति वर्ग के इन लोगों की कोई सूची अभी तक तैयार नहीं की गई है और इन वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा अ.जा. और अ.ज.जा. वर्गों के लोगों की सूची कब तक तैयार करने और इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ पहुँचाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 26,770 है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या शून्य है।

(ख) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अनुसूचित जाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है और अनुसूचित जनजातियों के संबंध में छः समुदायों को सूचीबद्ध किया गया है। सरकार की नीति के अनुसार अनुसूचित जनजातियों को सरकार में आरक्षण का लाभ दिया जाता है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

आदर्श गांव

2052. श्री चाडा सुरेश रेड्डी: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांव के रूप में विकसित किए गए गांवों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा सरकार को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई विशिष्ट परियोजनाएं धनराशि जारी करने और अनुमोदन के लिए भेजी गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) से (घ) केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत 104 गांवों को आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। राज्यवार ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:

आंध्र प्रदेश	–	18
असम	–	3
बिहार	–	11
हिमाचल प्रदेश	–	1
कर्नाटक	–	8
केरल	–	19
मध्य प्रदेश	–	3
महाराष्ट्र	–	10
उड़ीसा	–	3
राजस्थान	–	8
तमिलनाडु	–	7
उत्तर प्रदेश	–	13

केन्द्रीय प्रायोजित स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत इन घटक के लिए अलग से निधियां निर्धारित नहीं की गई हैं और राज्य सरकारों को परियोजनाओं के अंतर्गत कार्य की प्रगति के आधार पर अनुमोदन और तत्पश्चात् निधियों की रिलीज के लिए परियोजनाएं तैयार करनी होती है।

केन्द्र प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत आदर्श गांवों के विकास के लिए आंध्र प्रदेश ने अभी तक 18 प्रस्ताव भेजे हैं। परियोजना की 108.416 लाख रुपये की कुल लागत की तुलना में अभी तक 68.397 लाख रुपये रिलीज किये जा चुके हैं, जिसमें से राज्य सरकार ने 20.580 लाख रुपए के खर्च की सूचना दी है। बाद की किस्त इसलिए रिलीज नहीं की जा सकी क्योंकि राशि का निर्धारित स्तर तक उपयोग नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

सिंदरी और नामरूप संयंत्रों का पुनरुद्धार

2053. श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सिंदरी और नामरूप उर्वरक संयंत्रों को पुन: चालू करने हेतु सरकार द्वारा नियुक्त समिति ने एक पैकेज तैयार करने और कार्यान्वित करने का सुझाव दिया था;

(ख) यदि हां, तो नामरुप उर्वरक संयंत्र के मामले में उक्त पैकेज को कार्यान्वित करने और इसे सिंदरी उर्वरक संयंत्र के मामले में क्रियान्वित न करने का औचित्य है; और

(ग) सिंदरी उर्वरक संयंत्र के मामले में उक्त पैकेज को किस तारीख तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के बरौनी, दुर्गापुर और नामरूप एककों तथा फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि. के सिंदरी, रामागुण्डम तथा तालचर एककों के लिए पुनरुद्धार पैकेज भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम लि. (आईसीआईसीआई) जो औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा नियुक्त नामित प्रचालन एजेन्सी है, के नेतृत्व वाले विशेषज्ञ दल की सिफारिशों के आधार पर पुन: तैयार किये गये थे। संशोधित पुनरुद्धार पैकेज पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1.10.1997 को विचार किया गया जिसमें केवल नामरूप एककों के पुनरुद्धार के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया। एचएफसी और एफसीआई के अन्य एककों के संबंध में निर्णय अभी किया जाना है।

[अनुवाद]

ईसाई समुदाय पर हमला

2054. श्री मनोरंजन भक्त: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात और उड़ीसा में ईसाई समुदाय पर हमला कर समस्याएं उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) लोक व्यवस्था राज्य का विषय है। नजरबंदी संबंधी आदेश लोक व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के प्रतिकूल गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध निरुद्धि आदेश सामान्यतया राज्य सरकारों और उनके अधीन निरुद्धि अधिकारियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत पास किए जाते हैं। इस मामले में मत बनाना संबंधित राज्य सरकारों का काम है।

[हिन्दी]

नालंदा में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय

2055. श्री जगदम्बी प्रसाद यादव:
श्री नादेन्दला भास्कर राव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जापान से उसकी अपनी लागत से नालंदा में एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है?

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पुलिस का व्यवहार

2056. श्री बीर सिंह महतो: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साम्प्रदायिक दंगों के दौरान पुलिस के व्यवहार के बारे में कोई अध्ययन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पुलिस बल और त्वरित कार्यबल में अल्पसंख्यकों विशेषरूप से मुसलमानों की प्रतिशतता कितनी है;

(घ) क्या पुलिस बल और त्वरित कार्यबल में अल्पसंख्यकों की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए कोई प्रयास किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) इस मंत्रालय द्वारा दिसम्बर, 1992 और जनवरी, 1993 के दौरान अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) और भिवन्डी (महाराष्ट्र) में "साम्प्रदायिक शांति" पर एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन से पता चलता है कि खासतौर से साम्प्रदायिक रूप से संवेदनशील स्थितियों में लोगों का पूरा-पूरा विश्वास प्राप्त करने के लिए पुलिस बलों को कार्यकरण में आगे और सुधार करने की गुंजाइश है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य पुलिस बलों में 6.4% और द्रुत कार्रवाई बल में 10.93% मुसलमान हैं।

(घ) और (ङ) द्रुत कार्रवाई बल में सीधे भर्ती नहीं की जाती है। तथापि, के.रि.पु. बल के अल्पसंख्यक समुदाय के कार्मिकों को द्रुत कार्रवाई बल में नियुक्त किया जाता है। 'पुलिस' राज्य का विषय होने के कारण राज्य सरकारों के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि उनके पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। केन्द्रीय सरकार इस आशय से राज्य सरकारों को सलाहकार भेज रही है।

जीनों का प्रत्यारोपण

2057. **श्री आर.एस. गवई:** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने पेटेंट करने के लिए जीन्स की पहचान की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पर्यावरण विकास विभाग के मंत्री (डॉ. मुरली मनोहर जोशी): (क) हां और (ख) भारत में सार्वजनिक वित्त संस्थानों से [illegible] में आविष्कारों के संरक्षण में आविष्कारकर्ताओं [illegible] विभाग सहायता करता है। विभाग को दो आवेदन प्राप्त हुए हैं। पहला, अमारांथस बीजों से विलगित और उत्पन्न बीज संग्रह प्रोटीन जीन पर अपने आविष्कार के संरक्षण के लिए प्रो. आशीष दत्ता, उपकुलपति जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली से और दूसरा अमीकोलैटोप्सिस मेडिटेरेनेई के लिए एक प्रभावी क्लोनिंग वेक्टर और रुपांतरण प्रणाली के सृजन के लिए डा. रूप लाल, जीव विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय से। यू एस पेटेन्ट के माध्यम से इन दोनों आविष्कारों का संरक्षण किया गया है।

विकलांग बच्चे

2058. **श्री नादेन्दला भास्कर राव:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों के शैक्षिक स्तर का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश में, विशेषकर महाराष्ट्र में 1998 के दौरान विकलांग बच्चों के कल्याण के लिए कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) विकलांग बच्चों को विद्यालय जाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) वर्ष 1998-99 के दौरान विकलांग बच्चों के लिए विशेष स्कूल योजना के अंतर्गत देशभर में गैर-सरकारी संगठनों को 217.59 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है। महाराष्ट्र में कार्यरत एक गैर सरकारी संगठनों को 1.56 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई है।

शिक्षा विभाग द्वारा कार्यान्वित विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा की केन्द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लगभग 15000 समेकित स्कूल चलाए जा रहे हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान महाराष्ट्र राज्य सरकार को 14.52 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई।

(ग) निम्नलिखित वे प्रमुख योजनाएं हैं जिनके अंतर्गत विकलांग बच्चों को स्कूलों में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है:

(1) विकलांग व्यक्तियों के लिए संगठनों को सहायता।

(2) विशेष स्कूलों की स्थापना और विकास तथा

(3) विकलांग बच्चों के लिए समेकित शिक्षा।

विवरण

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा 1991 में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विकलांग बच्चों का शैक्षिक स्तर इस प्रकार है:

(प्रति हजार जनसंख्या)

	निरक्षर	प्राइमरी स्तर तक	मिडिल स्तर	सेकेण्ड्री स्तर और इससे ऊपर
ग्रामीण	701	203	53	35
शहरी	462	298	110	123

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित 1995-96 के चुनिन्दा शैक्षिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 1994-95 के लिए सकल नामांकन अनुपात इस प्रकार थे:

प्राइमरी	(1 से 5)	104.3
अपर प्राइमरी	(5 से 8)	67.6

नोट: सकल नामांकन अनुपात को संगत आयु समूहों में अनुमानित बाल जनसंख्या के प्रति संबंधित कक्षाओं में नामांकन के प्रतिशत अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है।

[हिन्दी]

पनिका जाति को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करना

2059. **श्री फग्गन सिंह कुलस्ते:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश की ओर से पनिका जाति के समूचे राज्य में अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न जातियों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त जाति को कब तक अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जी, हां। चूंकि यह एक सतत प्रक्रिया है इसलिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[अनुवाद]

सरकारी गृहों का निर्माण

2060. **श्रीमती जयन्ती पटनायक:**
श्री अजीत जोगी:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए दिल्ली में वर्षवार तथा श्रेणीवार कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया;

(ख) क्या इन आवासों को विशेष पूल आवास के तहत आबंटित किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है तथा इनके लिए क्या मानदंड निर्धारित है;

(घ) क्या सरकार का विचार वर्ष 1999-2000 के दौरान सरकारी कर्मचारियों के लिए और अधिक आवासों का निर्माण करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना में 247 मकान बनाने

गये। ब्यौरे इस प्रकार है:

वर्ष	टाइप III	श्रेणी IV
1994-95	135	-
1995-96	-	112

(ख) टाईप-IV स्पेशल के केवल 4 क्वार्टर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल विभागीय पूल को सुपुर्द किये गये हैं।

(ग) ऐसी सुपुर्दगी के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं हैं। सुपुर्दगी केस-दर-केस गुण-दोष के आधार पर की जाती है।

(घ) और (ङ) 1999-2000 के दौरान 274 रिहायशी इकाइयों के निर्माण की पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 88 टाइप IV, 60 टाइप III, 98 टाइप-V, और 28 टाइप-VI श्रेणी के होंगे।

गहन-समुद्री खनन प्रणाली

2061. श्री रामेश्वर पाटीदार: क्या महासागर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1 सितम्बर, 1998 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "जर्मनी टू टेस्ट डीप सी माइनिंग सिस्टम" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्य क्या हैं;

(ग) इस दिशा में अभी तक सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इसमें कितना खर्च होने की संभावना है और उससे, धनराशि के रूप में कितना मूल्य प्राप्त होने का अनुमान है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हाँ, श्रीमान।

(ख) और (ग) समुद्र संस्तर खनन प्रणाली का विकास, विभाग के बहुधात्विक पिण्डिका कार्यक्रम (पी.एम.एन.) का एक प्रमुख घटक है। ये पिण्डिकाएं लगभग 6000 मी. जल की गहराई में समुद्र संस्तर में पड़ी हुई हैं। भारत पंजीकृत अग्रणी निवेशकों में से एक है जिसे संयुक्त राष्ट्र प्राधिकारियों द्वारा 1987 में मध्य हिन्द महासागर बेसिन (सीआईओबी) में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आवंटित किया गया है। भारत को चरणबद्ध रूप से कुल क्षेत्र का 50 प्रतिशत भाग प्राधिकारियों को लौटाना पड़ेगा। भारत ने यथाआवश्यक 30 प्रतिशत क्षेत्र पहले ही छोड़ दिया है। विभाग ने एक लम्बी अवधि का विकास कार्यक्रम तैयार किया है। उथला संस्तर खनन प्रणाली की अभिकल्पना, विकास एवं परीक्षण पर महासागर विकास विभाग के स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान, चेन्नई एवं इंस्टीट्यूट फॉर कंसट्रक्शन, (आई के एस) सीजेन विश्वविद्यालय, जर्मनी के बीच संयुक्त सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत विचार किया गया है। यह संयुक्त विकास 500 मी. गहरे जल में कार्य करने की क्षमता रखने वाली उथला संस्तर खनन प्रणाली प्रदर्शन करने में पहला कदम है। इस संयुक्त प्रौद्योगिकी विकास समझौता को पूरा करने के एक भाग के रूप में, आईकेएस में विद्यमान क्रालर को संयुक्त दलों द्वारा एक मैनीपुलेटर, कदर्म पंप, कटिंग प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, दलों द्वारा एक मैनीपुलेटर, कदर्म पंप, कटिंग प्रणाली, नियंत्रण प्रणाली, आवश्यक यंत्रीकरण प्रणालियों एवं उपांगों के साथ सुसज्जित संशोधित एवं संवर्द्धित किया गया है। जर्मनी में इस खनन प्रणाली का मूल्यांकन पूरा होने के पश्चात इसे भारतीय जल में परीक्षण के लिए भारत लाया गया। इसके प्रचालन, युक्तिचालन, पुन:प्राप्ति इत्यादि हेतु प्रारम्भिक परीक्षण गोवा के पास मालवन तट से दूर लगभग 60 मी. की गहराई में किए गए। टूटीकोरीन तट से दूर भारतीय समुद्र में बालू खनन प्रदर्शन के और परीक्षण मार्च/अप्रैल 1999 में प्रस्तावित हैं। सभी उपप्रणालियों के निष्पादन एवं बालू खनन प्रदर्शन के परीक्षण के दौरान एकीकृत खनन प्रणाली का मूल्यांकन किया जाएगा। भारतीय जल में प्रदर्शन के सफल निष्पादन के पश्चात, गहरा समुद्र खनन हेतु एक संयुक्त अभिकल्पना रिपोर्ट तैयार की जाएगी। आधारभूत इंजीनियारिंग एवं प्रतिवर्ष 25,000 टन पिण्डिकाओं की खनन क्षमता के साथ 6000 मी. गहराई में प्रचालन योग्य खनन परिसर माडयूल का विनिर्देशन भी इस संयुक्त सहयोग के अंतर्गत प्रारम्भ किया गया है।

(घ) इस कार्यक्रम के प्रथम चरण के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 16.09 करोड़ रुपये है। गहरा समुद्र संस्तर खनन प्रणाली का विकास एवं 6000 मी. तक की गहराई में परीक्षण अनुवर्ती चरणों में प्रारम्भ किया जाएगा, जिस पर सरकार का आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाना है। बहुधात्विक पिण्डिकाओं में कापर, निकल, कोबाल्ट एवं मैंगनीज होता है। विभाग ने इन मूल्यवान धातुओं के निष्कर्षण हेतु अनुसंधान एवं विकास तथा प्रारम्भिक स्तर की परियोजनाएं

प्रारम्भ की हैं। वाणिज्यिक धातुकर्मी संयंत्र की यथार्थ प्रौद्योगिकी आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के लिए आने वाले वर्ष में प्रक्रिया प्राचल स्थापित करने की योजना है। जैसाकि देखा गया है ये प्रयास अभी मूलरूप से अनुसंधान एवं विकास तथा प्रारम्भिक स्तर प्रदर्शन रूप में हैं। इसलिए इससे धन प्राप्ति के संदर्भ में मूल्य निर्धारित करना अभी असामयिक होगा।

स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय

2062. श्री ए.सी. जोस: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय द्वारा गठित विशेष कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हाँ, तो व्यापक सिफारिशों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालय स्थापित करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) जाली विश्वविद्यालयों के पनपने की घटनाओं को रोकने के लिए उपयुक्त रक्षोपाय प्रदान करने और विश्वास के साथ उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए आयोग को सशक्त बनाने और आयोग को सुदृढ़ करने तथा पुनर्गठित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 में संशोधन सुझाने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक कार्यदल का गठन किया था जिसने 15 फरवरी, 1999 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

कार्यदल की महत्वपूर्ण सिफारिशों में निम्नलिकित शामिल हैं:-(क) अध्यक्ष के अलावा आयोग में पांच पूर्णकालिक सदस्यों का प्रावधान, (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 22 तथा 23 के प्रावधानों के उल्लंघन में एक से तीन वर्ष के बीच कारावास का दण्ड और/या एक लाख रु. से 10 लाख रु. तक का जुर्माना, (ग) देश में निजी या स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए अवसर देने का प्रावधान बशर्ते कि ऐसे विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए निर्धारित नियमों का पालन हो, और (घ) भारत में किन्हीं कार्यक्रमों के संबंध में विदेशी विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के कार्यकरण के नियमन के लिए प्रावधान और उन विश्वविद्यालयों या संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना जो डिग्रियाँ/डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र प्रदान करते हैं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा सामना किये जा रहे संसाधन अभाव के संदर्भ में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कहा गया था कि वह स्ववित्तपोषित विश्वविद्यालयों की स्थापना के लिए दिशा-निर्देश तैयार करें। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्तुत दिशा-निर्देशों पर संबंधित मंत्रालयों/एजेंसियों के परामर्श से सरकार द्वारा विचार किया गया था और सरकार ने देश में स्ववित्तपोषित निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की व्यवस्था करने और इस विषय पर समर्थनकारी विधान पारित करके उनके कार्यकरण को विनियमित करने के लिए राज्य सभा में "निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 1995" पेश किया।

उर्वरक परियोजनाएं

2063. श्री अरविंद काम्बले: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैर सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों की वर्तमान चल रही उर्वरक परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक परियोजना की पूरे होने की निर्धारित तिथि सहित वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) परियोजना की प्रारंभिक लागत अनुमान और इनके पूरे होने पर अनुमानित लागत कितनी है; और

(घ) प्रत्येक संयंत्र की वार्षिक उर्वरक उत्पादन क्षमता कितनी होगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (घ) इस समय देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। कांडला, गुजरात और नामरूप, असम में सार्वजनिक/सहकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कार्यान्वयनाधीन परियोजनाएं समय-सारणी के अनुसार आगे बढ़ रही हैं और उन्होंने अधिक समय अथवा लागत होने की सूचना नहीं दी है। निजी क्षेत्र की उर्वरक परियोजनाओं के संबंध में ब्यौरे परियोजना प्राधिकारियों द्वारा दी गई सूचना पर आधारित हैं।

विवरण

देश में कार्यान्वयनाधीन प्रमुख उर्वरक परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र. सं.	परियोजना का नाम, स्थान और कंपनी/सहकारी समिति	अनुमानित पूंजी लागत (रु. करोड़)	परि-कल्पित अति-रिक्त उत्पादन	क्षमता (लाख मी. टन प्रतिवर्ष)	शून्य तारीख	आरम्भण की अनुमोदित/ वास्तविक तिथि	स्थिति
1.	इफ्को क़ाण्डला विस्तार परियोजना, गुजरात (चरण-II)	212.20	एनपीके डीएपी	3.70 2.27	22.1.97	22.10.99	जनवरी, 99 के अंत तक समग्र वास्तविक प्रगति 87.73% के लक्ष्य की तुलना में 87.76% थी।
2.	चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि., गड़ेपन विस्तार परियोजना (चरण-II) राजस्थान	1256.00	यूरिया	7.75	25.12.96	31.12.99	समय सारणी के अनुसार कार्यान्वयन
3	ऑसवाल केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि. (न्यू), पारादीप, उड़ीसा	1832.00	डीएपी एनपीके एनपी	15.00 3.20 1.00	सित., 97	सित. 99	समय सारणी के अनुसार कार्यान्वयन
4.	डंकन इण्डस्ट्रीज लि. (विस्तार) कानपुर, उ.प्र.	636.38	यूरिया	1.63	1.1.98	मई, 2003	समय सारणी के अनुसार कार्यान्वयन
5.	गोदावरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लि. (जीएफसील) काकीनाड़ा, आंध्र प्रदेश	99.13	डीएपी	2.8	5.1.98	31.12.01	समय सारणी के अनुसार कार्यान्वयन
6.	हिन्द लीवर केमिकल्स लि. हल्दिया, पं. बंगाल	88.31	डीएपी/ एन.पी.के.	4.00	23.2.98	अप्रैल, 99	समय सारणी के अनुसार कार्यान्वयन
7.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी), नामरूप, आसाम के नामरूप संयंत्र का पुनरुद्धार	350.00	यूरिया	3.28	2.11.98	1.5.2001	जनवरी, 99 तक समेकित वास्तविक प्रगति 1% है।

महाराष्ट्र में राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना का कार्यान्वयन

2064. श्री माणिकराव होडल्या गावीत: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ तथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन योजनाओं को सफलतापूर्वक क्रियान्वित किए जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत जारी की गई तथा उपयोग की गई राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 28 जुलाई, 1995 को घोषित राष्ट्रीय सामाजिक स्वयत्ता कार्यक्रम के घटक हैं। ये योजनाएं 1995 से लागू हुई। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत मुख्य जीविकोपार्जन की मृत्यु होने पर शोक संतप्त परिवार को 10,000 रुपए की राशि दी जाती है। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत पहले दो जीवित बच्चों के जन्म तक प्रति गर्भधारण 500/- रुपए का लाभ प्रदान किया जाता है। आवंटन और व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदम ये हैं:

(1) योजना की प्रगति की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आवधिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं। हाल ही में इस विभाग ने योजना की प्रगति की निगरानी करने के लिए वीडियो कांफ्रेंस की सुविधा शुरू की है।

(2) मंत्रालय द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र अधिकारी अपने-अपने लिए निर्धारित राज्यों का दौरा करते हैं और योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन करते हैं तथा जहां जरूरी होता है उपयुक्त उपाय सुझाते हैं। लाभार्थियों का मौके पर सत्यापन करने के लिए अधिकारी अक्सर राज्यों का दौरा करते रहते हैं।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दियां गया है।

विवरण I

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम वर्ष 1998-99

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना	
		आबंटन	रिलीज	आबंटन	रिलीज
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	3823.04	3718.91	1969.19	1915.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	22.88	1.06	19.34	0.78
3.	असम	646.36	281.85	292.34	68.15

1	2	3	4	5	6
4.	बिहार	1766.00	982.41	940.37	421.02
5.	गोवा	13.00	6.50	0.78	0.00
6.	गुजरात	156.00	33.91	104.00	24.66
7.	हरियाणा	31.20	27.69	52.00	29.33
8.	हिमाचल प्रदेश	40.04	17.73	15.60	5.69
9.	जम्मू व कश्मीर	62.40	36.90	36.40	23.94
10.	कर्नाटक	143.52	69.08	78.00	38.10
11.	केरल	530.40	347.14	156.00	83.08
12.	मध्य प्रदेश	5106.40	3847.43	1040.00	565.29
13.	महाराष्ट्र	1026.74	693.05	312.00	227.31
14.	मणिपुर	28.60	6.15	40.56	0.99
15.	मेघालय	34.32	12.28	39.31	17.43
16.	मिजोरम	11.44	9.73	15.91	7.96
17.	नागालैंड	17.16	1.29	27.77	3.95
18.	उड़ीसा	1744.60	1006.90	780.00	462.80
19.	पंजाब	142.48	74.51	52.00	21.39

1	2	3	4	5	6
20.	राजस्थान	468.16	359.13	312.00	130.48
21.	सिक्किम	5.72	0.00	2.60	0.00
22.	तमिलनाडु	1904.76	1407.45	906.38	266.32
23.	त्रिपुरा	93.60	47.30	101.40	64.53
24.	उत्तर प्रदेश	3120.00	1846.55	1300.00	511.79
25.	पश्चिम बंगाल	1047.70	216.70	616.15	166.26
26.	अ. निको. द्वीप समूह	2.86	0.00	1.09	0.00
27.	चंडीगढ़	2.86	0.00	2.65	0.00
28.	दादरा व नगर हवेली	2.86	1.43	0.47	0.00
29.	दमन व द्वीव	2.86	1.44	0.31	0.00
30.	दिल्ली	31.46	15.73	36.97	0.00
31.	लक्षद्वीप	2.86	0.00	0.16	0.00
32.	पांडिचेरी	2.86	2.86	7.54	7.54
	कुल	22037.14	15105.11	9259.27	5064.50

विवरण II

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना						राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना					
		1995-96		1996-97		1997-98		1995-96		1996-97		1997-98	
		रिलीज	उपयोग	रिलीज	उपयोग	रिलीज	उपयोग	रिलीज	उपयोग	रिलीज	उपयोग	रिलीज	उपयोग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1334.93	262.03	2238.12	1782.43	2211.43	2689.57	746.75	588.78	1205.32	830.29	1191.39	1169.20
2.	अरूणाचल प्रदेश	1.71	0.00	2.03	1.63	5.52	3.03	1.95	0.00	0.06	0.61	1.72	2.19
3.	असम	188.21	51.13	212.30	178.30	309.62	222.87	87.79	35.41	145.47	75.21	99.54	58.60
4.	बिहार	1090.36	257.48	583.17	771.92	1114.26	1159.51	572.00	211.34	679.55	617.30	490.54	635.92
5.	गोवा	3.37	1.10	10.19	12.78	5.72	8.20	2.60	0.00	0.08	0.14	0.00	0.26
6.	गुजरात	222.33	6.81	7.26	11.35	0.00	55.69	118.25	0.00	3.74	8.03	3.48	23.94
7.	हरियाणा	45.72	1.70	36.52	43.78	53.92	65.17	35.72	24.25	64.14	48.05	61.33	40.36
8.	हिमाचल प्रदेश	11.95	3.55	11.57	12.17	20.67	13.67	13.42	1.87	8.00	12.96	23.36	10.15
9.	जम्मू व कश्मीर	27.30	22.17	62.48	40.27	26.74	38.35	30.80	20.46	36.05	26.83	26.02	24.87
10.	कर्नाटक	383.69	209.67	12.49	111.55	18.91	102.54	237.96	196.04	7.54	22.72	162.90	84.20
11.	केरल	90.57	10.29	205.51	185.72	198.89	253.76	64.88	13.42	86.35	55.40	64.18	96.53
12.	मध्य प्रदेश	823.85	233.08	2246.62	1835.32	2595.08	2828.77	457.60	17.79	400.74	431.53	386.55	554.54
13.	महाराष्ट्र	606.69	0.75	36.74	222.83	653.57	567.35	361.76	0.07	11.44	360.34	299.81	273.43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14.	मणिपुर	3.42	3.38	14.41	10.17	9.85	9.69	4.07	3.87	20.41	11.79	14.09	13.80
15.	मेघालय	3.27	2.31	2.61	2.61	9.78	14.86	3.74	2.50	3.17	4.19	11.36	14.00
16.	मिजोरम	1.70	1.66	5.78	5.66	6.64	0.97	1.58	1.58	8.01	8.01	7.96	1.41
17.	नागालैंड	3.53	2.03	8.64	8.11	5.01	3.67	5.59	3.15	19.99	13.78	12.05	8.46
18.	उड़ीसा	510.69	1.85	224.11	425.74	699.34	681.87	240.08	4.91	435.53	261.94	286.06	415.74
19.	पंजाब	37.38	28.91	124.62	104.58	62.92	72.10	25.48	9.36	28.11	21.64	9.13	25.99
20.	राजस्थान	266.89	0.00	24.97	30.00	252.66	424.90	202.67	0.00	6.51	2.76	83.57	157.72
21.	सिक्किम	1.67	एन.आर.	2.26	2.83	2.23	2.28	0.94	एन.आर.	1.53	0.63	2.34	2.34
22.	तमिलनाडु	1130.00	540.94	1357.93	1329.93	1758.69	1349.52	563.60	155.80	571.21	569.28	368.65	502.60
23.	त्रिपुरा	10.40	2.12	25.90	16.23	39.63	33.81	12.34	3.77	30.62	24.41	35.95	32.64
24.	उत्तर प्रदेश	3147.28	2062.93	2221.30	1973.62	1452.17	1740.87	1777.92	1264.47	2416.16	1879.16	1111.56	967.08
25.	पश्चिम बंगाल	531.09	72.96	966.50	332.05	206.88	452.28	274.49	35.23	529.17	320.23	199.23	262.60
26.	अ. निको. द्वीप समूह	1.69	एन.आर.	0.06	0.35	0.00	एन.आर.	0.69	एन.आर.	0.02	0.02	0.00	एन.आर.
27.	चंडीगढ़	0.00	0.00	1.36	0.35	0.00	1.30	0.00	0.00	0.05	एन.आर.	0.00	एन.आर.
28.	दादर ग नगर हवेली	1.65	एन.आर.	2.92	2.76	4.29	एन.आर.	0.29	एन.आर.	0.48	0.44	0.71	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29.	दमन व द्वीप	1.48	1.27	2.92	3.08	2.86	2.05	0.18	0.09	0.24	0.18	0.04	0.06
30.	दिल्ली	0.00	0.00	32.06	9.75	31.46	53.10	0.00	0.00	37.68	4.89	0.00	9.27
31.	लक्षद्वीप	1.62	0.00	2.81	1.15	0.00	2.55	0.22	0.00	0.01	0.03	0.00	0.07
32.	पांडिचेरी	1.68	0.00	0.06	1.75	1.42	1.42	1.78	0.00	0.06	1.64	4.44	4.44
	जोड़	10486.11	3730.10	10686.22	9270.76	11760.21	12855.72	5847.13	2594.15	6757.44	5614.43	4957.96	5392.41

भारत महोत्सव

2065. श्री के. कृष्णमूर्ति: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विदेशों में ''भारत महोत्सव'' आयोजित करने का विचार है;

(ख) यदि हाँ, तो विदेश और भारत में पिछला ''भारत महोत्सव'' कहां आयोजित किया गया था; और

(ग) अगले ''भारत महोत्सव'' के किस स्थान पर और कब आयोजित किये जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हाँ।

(ख) पिछला भारत महोत्सव वर्ष 1995-97 के दौरान थाईलैंड में आयोजित किया गया था। भारत में थाइलैंड महोत्सव अगस्त-सितम्बर, 1997 के दौरान आयोजित किया गया।

(ग) अगले भारत महोत्सव के लिए सही समय व स्थान के संबंध में अभी निर्णय लिया जाना है।

कार्य परमिट जारी करना

2066. श्रीमती कृष्णा बोस: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने बंगलादेश के नागरिकों को अस्थायी नौकरियों के लिए कार्य परमिट जारी करने के लिए मंजूरी दे दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में गोवरी जाति

2067. श्री पुन्नू लाल मोहले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश में गरीबी की रेखा से नीचे रह रही गोवरी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो अन्य राज्यों में गोवरी जाति को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) जी, नहीं। हमें ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

2068. डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1996-97 और 1998 के दौरान मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों हेतु स्वयंसेवी संगठनों को प्रदान सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से प्राप्त कुछ प्रस्ताव अनुमोदन हेतु लंबित हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में कब तक अनुमति मिलने की संभावना है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में खरीद केन्द्र

2069. श्री कांतिलाल भूरिया: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश में धान, चावल और गेहूं की खरीद का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने खरीद केन्द्र खोले गए तथा उन पर स्थानवार कितना व्यय हुआ;

(ग) वर्तमान में राज्य में उपलब्ध खाद्यान्नों की अधिशेष मात्रा कितनी है;

(घ) क्या भविष्य में खाद्यान्नों की खरीद के लिए राज्य स्तर पर कोई योजना बनाई गई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) सूचना निम्नानुसार है:

(लाख टन में)

विपणन मौसम	गेहूं	धान	चावल
1997-98	1.07	6.23	6.06
1998-99 (5.3.99 की स्थिति के अनुसार)	5.31	2.34	2.53

(ख) विपणन मौसम 1997-98 और 1998-99 के दौरान खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या बताने वाला विवरण संलग्न है।

धान और गेहूं की वसूली विभिन्न जिलों में अलग-अलग वसूली एजेंसियों द्वारा किसानों से सीधे की जाती है। वसूली के लिए भारतीय खाद्य निगम अपने मौजूदा स्टाफ में से कर्मचारी तैनात करता है। इन एजेंसियों के लिए खर्च के केन्द्रवार ब्यौरे अभी उपलब्ध नहीं है।

(ग) खाद्यान्नों में मध्य प्रदेश अधिशेष वाला राज्य नहीं है क्योंकि राज्य को केन्द्रीय पूल से खाद्यान्नों का आवंटन करना होता है।

(घ) और (ङ) हाल ही में भारत सरकार ने रबी और खरीफ विपणन मौसम 1999-2000 से मध्य प्रदेश में खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत वसूली योजना लागू करने का निर्णय लिया है। इस प्रणाली के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार खाद्यान्नों की वसूली करेगी और राजसहायता भारतीय खाद्य निगम की बजाय राज्य सरकार को दी जाएगी।

विवरण

मध्य प्रदेश में 1997-98 और 1998-99 के दौरान खोले गए क्रय केन्द्रों की संख्या

वर्ष	जिंस	म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति निगम/मार्कफेड	भा.खा. नि.	योग
1997-98	धान	2287	–	2287
1997-98	चावल	–	65	65
1997-98	गेहूं	767	69	836
1998-99	धान	2186	–	2186
1998-99	चावल	–	61	61
1998-99	गेहूं	739	155	894

[अनुवाद]

सेवा-निवृत्ति की आयु में वृद्धि

2070. श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्री जोगेन्द्र कवाडे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति की आयु को बढ़ाने के प्रस्ताव को रद्द कर दिया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) सेवा-निवृत्ति हेतु 62 वर्ष तक बढ़ाई गई आयु-सीमा का लाभ विश्वविद्यालय/कालेजों में केवल शिक्षण स्टाफ पर लागू है तथा ऐसे गैर-शिक्षण स्टाफ पर भी लागू है जो वेतन और अन्य सेवा शर्तों के मामले में शिक्षकों के समकक्ष हैं तथा संशोधन से पहले जिनकी सेवा-निवृत्ति संबंधी आयु-सीमा 60 वर्ष थी।

एच.एफ.सी. की हल्दिया इकाई

2071. श्री लक्ष्मण चन्द्र सेठ: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एच.एफ.सी. की हल्दिया इकाई को बन्द करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) और (ख) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि. (एचएफसी) के लिए एक पुनरुद्धार पैकेज को शुरू में वर्ष 1995 में तैयार किया गया था जिसमें इसके कार्यशील एककों के सीमित पुनरुद्धार पर विचार किया गया था। हल्दिया परियोजना के पुनरुद्धार को प्रौद्यो-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया है। तद्नुसार, एचएफसी की हल्दिया परियोजना को बंद करने/अलग करने का निर्णय लिया गया है। इसके कार्यान्वयन की रूपरेखा को सरकार में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड जो न्यायिक कल्प है की अंतिम मंजूरी के लिए प्रस्तुत किया जाना है।

काली फिल्मों को हटाया जाना

2072. श्री तसलीमुद्दीन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस ने चार पहिये वाहनों जैसे कारों, बसों आदि के शीशों से काली फिल्मों को हटाने के आदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली यातायात पुलिस ने कितने वाहनों से काली फिल्में हटाई हैं;

(ग) क्या दिल्ली की सड़कों पर कारों के शीशों पर काली फिल्म वाले बहुत से वाहन दौड़ रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दिल्ली यातायात के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 100 में निहित उपबंधों का उल्लंघन करते हुए वाहनों के विंड स्क्रीन पर और शीशों पर इस प्रकार की फिल्मों के प्रयोग के विरुद्ध अभियान चलाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अप्रैल, 1998 में एक प्रैस विज्ञप्ति जारी की थी।

(ख) मई 1998 से फरवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान, इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए दिल्ली में 445,356 वाहनों का चालान किया गया और उल्लंघनकर्ताओं से कम्पाउन्डिंग प्रभार के रूप में 44 लाख रु. की राशि वसूली गई थी।

(ग) जी हाँ, श्रीमान्।

(घ) सांविधिक उपबन्धों का उल्लंघन करते हुए काली फिल्मों के प्रयोग के खिलाफ अभियान चलाना एक सतत प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

विद्यालयों के लिए अनुदान

2073. श्री राजवीर सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ''सघन क्षेत्रीय विकास योजना'' के अंतर्गत नए विद्यालय स्थापित करने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों को अनुदान उपलब्ध कराती है;

(ख) यदि हां, तो किन राज्यों ने अनुदान हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) वर्ष 1997-98 के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को कितनी निधियां उपलब्ध कराई गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) मानव संसाधन विकास मंत्रालय ''गहन क्षेत्रीय विकास योजना'' के नाम के अंतर्गत कोई भी योजना नहीं चला रहा है। तथापि, ''शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम'' के अंतर्गत बुनियादी आधारभूत ढाँचे और सुविधाएं प्रदान करने तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों की बहुलता वाले क्षेत्रों में नए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्कूलों की स्थापना के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसी तरह, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत चुनिन्दा जिलों में प्राथमिक शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने और नए स्कूलों की स्थापना के घटक के उद्देश्य से विभिन्न कार्यकलापों के लिए राज्य कार्यान्वयन सोसाइटियों को निधियाँ जारी की जाती हैं। उक्त योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर वर्ष 1997-98 के दौरान उन्हें जारी की गई राशि की स्थिति विवरण में दर्शाई गई है।

विवरण

वर्ष 1997-98 के दौरान शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम योजना और जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकारों को आबंटित राशि को दर्शाने वाला विवरण

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	वर्ष 1997-98 के दौरान जारी की गई राशि	
		जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम	शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्र गहन कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3419.00	42.91
2.	असम	3037.00	37.50

1	2	3	4
3.	बिहार	1802.00	0.00
4.	गुजरात	1056.00	0.00
5.	हरियाणा	3667.00	15.08
6.	हिमाचल प्रदेश	1874.00	योजना चल नहीं रही है
7.	कर्नाटक	6018.00	76.76
8.	केरल	3013.00	117.98
9.	मध्य प्रदेश	11783.00	9.30
10.	महाराष्ट्र	5000.00	0.00
11.	उड़ीसा	2115.00	योजना चल नहीं रही है
12.	राजस्थान	50.00	55.60
13.	तमिलनाडु	4340.00	0.00
14.	उत्तर प्रदेश	5450.00	597.87
15.	पश्चिम बंगाल	1900.00	146.00
	कुल	54524.00	1099.00

टिप्पणी: (1) उपर्युक्त 14 राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है और राजस्थान में इस कार्यक्रम को शुरू करने पर कार्रवाई की जा रही है।

(2) 13 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्षेत्र गहन योजना चल रही है।

[अनुवाद]

जाली नोट

2074. **डा. उल्हास वासुदेव पाटील:**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1999 के ''इंडियन एक्सप्रैस'' में ''फैक नोट रैकेट फ्लोरिशस इन मंगलौर'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) जाली करेंसी नोटों के इस परिचालन को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) भारत के संविधान के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्य के विषय हैं। अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना तथा उनका पता लगाना और अपराधों की रोकथाम करना निश्चित रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

जनता को असली और जाली नोटों के बीच अन्तर करने में समर्थ बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, समय-समय पर, प्रैस विज्ञप्तियां जारी करता है। जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने की दृष्टि से नोट अब अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ छापे जा रहे हैं। केन्द्रीय जाँच ब्यूरो ने केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित की है। सीमा सुरक्षा बल ने अपनी अग्रिम टुकड़ियों को अधिक चौकस रहने के लिए सतर्क कर दिया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसे मुद्रा नोटों की तस्करी करके देश में न लाया जा सके।

बुलेट प्रूफ जैकेटें

2075. **डा. विजय सोनकर शास्त्री:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 नवम्बर, 1998 के ''दिल्ली टाइम्स'' में ''रिकवरी ऑफ बुलेट प्रूफ जैकेट्स बैफल्स पोलिस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली में महरौली स्थित फार्म हाउस से कुछ जैकेटें बरामद हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) 1998 के दौरान दर्ज किए गए चार अलग-अलग मामलों में दिल्ली पुलिस ने सात बुलेट प्रूफ जैकेट बरामद किए।

(ग) और (घ) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, 1998 के दौरान बरामद की गई सात बुलेट प्रूफ जैकेटों में से तीन सी-30, मेफेयर गार्डन्स हौज खास, नई दिल्ली से बरामद की गई। इस मामले में जांच पड़ताल का कार्य केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हस्तांतरित किया गया है।

युवा शक्ति का सही उपयोग

2076. **डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार आंध्र प्रदेश की सरकार के साथ राष्ट्र निर्माण के लिए युवा शक्ति के सही उपयोग के लिए जनवरी में आरंभ होने वाली नयी योजना की कार्यविधियों को अंतिम रूप दे रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र और राज्य सरकारों, दोनों ने कार्य योजना का कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) किस सीमा तक कार्यविधियों को अंतिम रूप दे दिया गया है; और

(ङ) इस योजना को लागू करने में कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) ये प्रश्न नहीं उठते।

कीटनाशक तकनीक का निर्माण

2077. श्रीमती शीला गौतम: क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक पर्यावरण-अनुकूल कीटनाशकों की उन निर्माण तकनीकी का नाम और ब्यौरा क्या है जिन्हें कीटनाशी निर्माण तकनीक संस्थान, गुड़गांव ने विकसित किया है;

(ख) क्या विकसित तकनीकों का व्यापारीकरण कर दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अन्तरण के पार्टी-वार उत्पाद-वार मानदंड क्या हैं;

(घ) क्या संस्थान ने देश के लघु उद्योगों में ऐसे कीटनाशकों के निर्माण के लिए उन्नत एवं अत्याधुनिक संयंत्र एवं मशीनरी की पहचान कर ली है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निर्माताओं और अनंतिम लागत का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि हां, तो इन यंत्रों तथा इनके आपूर्तिकर्ता और अनंतिम लागत का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) संस्थान द्वारा विकसित की गई अनेक पर्यावरणानुकूल पेस्टिसाइड सूत्रयोग प्रौद्योगिकी निम्न प्रकार हैं:

(क) सस्पेंशन कन्सेन्ट्रेट्स (एस सी)

(ख) कन्सेंट्रेट इमल्सन (इ.डब्ल्यू.) और माइक्रो इमल्सन।

(ग) सस्पो इमल्सन (एस.ई.)

(घ) वाटरडिसपर्सबल ग्रैन्युल्स (डब्ल्यू जी)

(ङ) कन्ट्रोल रिलीज फार्मूलेशन (सी एस)

यह सूत्रयोग प्रौद्योगिकी धूलकण-रहित, रखरखाव में आसान, न्यून फाइटो टाक्सिसटी, गैर-ज्वलनशील और सुरक्षित रखरखाव वाले हैं।

(ख) अनेक सूत्रयोग प्रौद्योगिकी जिसका संस्थान द्वारा वाणिज्यिकरण किया गया है, निम्न प्रकार हैं:

कारबेन्डेजिन 85 डबल्यू जी (फफूंदनाशी)

सल्फर 52 एस सी (फफूंदनाथी)

आइसोप्रोटूरान 75 डब्ल्यू जी (खरपतवार नाशी)

मोनोक्रोटोफोस 36 एस एम/एम ई (कीटनाशी)

इन्डोसुल्फान 50 ई सी (कीटनाशी)

मालाथियोन 50 डब्ल्यू पी (कीटनाशी)

क्लोरपायरिफोस 40 एस सी (कीटनाशी)

कैप्टन 83 डब्ल्यू जी (फफूंदनाशी)

साइपरमेथ्रीन 40 डब्ल्यू जी (कीटनाशी)

आइसोप्रोटुरान/डिक्लोफोमिथाइल 25 : 25 डब्ल्यू जी (खरपतवारनाशी)

आइसोप्रोटूरान 80/75 डब्ल्यू जी (खरपतवार नाशी)

प्रौद्योगिकी ट्रान्सफर की शर्तें प्रौद्योगिकी ट्रान्सफर के समय आई जी एफ टी के अनुमोदित प्रचलित प्रशुल्क दर पर आधारित है। प्रौद्योगिकी ट्रान्सफर के क्षेत्र में प्रायोजक को प्रक्रिया का प्रदर्शन करना, उत्पादन के नमूनों की सप्लाई, उत्पादन के प्रकार को सुनिश्चित करना शामिल है।

(ग) से (च) संस्थान ने सस्पेंशन कन्सेंट्रेट और वाटर डिस्परसिबल ग्रैनयुल्स फार्मूलेशन के निर्माण के लिए उन्नत विशिष्ट प्लांट और मशीनरी का पता लगाया है। इसने विश्व बाजार में अपेक्षित प्लांट और मशीनरी के निर्माण का भी पता लगाया है अपेक्षित प्लांट और मशीनरी का निर्माण देश में नहीं किया जा है।

चीनी की खपत

2078. श्री सुधीर गिरि: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलो के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीनी की प्रति व्यक्ति अलग-अलग खपत कितनी थी; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान मांग/पूर्ति की स्थिति क्या थी और सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खुले बाजार में बढ़ी वृद्धि दर क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि की समाप्ति पर खुले सामान्य लाइसेंस (ओ.जी.एल.) के तहत आयात की गई चीनी को निकालकर प्रति व्यक्ति चीनी की खपत क्रमश: 12.30 कि. ग्राम प्रति वर्ष और 14.60 कि. ग्राम प्रतिवर्ष थी।

(ख) चूँकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) का कोटा निर्धारित है, इसलिए स्टॉक, चालू कीमतें, अन्य मीठे पदार्थों इत्यादि की उपलब्धता को देखते हुए खुली बिक्री कोटा की मांग पूर्ति को निर्धारित किया गया है और तदनुसार रिलीज किया गया है। सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के आखिरी वर्ष में 105.09 और 136.40 लाख टन चीनी को रिलीज किया गया।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली और मुक्त बाजार के लिए सातवीं और आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधियों के आखिरी वर्ष में चीनी की दरें निम्नवत दी गई हैं:

(रुपये प्रति कि.ग्राम)

	सार्वजनिक वितरण प्रणाली	मुक्त बाजार
सातवीं योजना अवधि का आखिरी वर्ष	5.25	8.10 से 9.20
आठवीं योजना अवधि का आखिरी वर्ष	10.50	13.00 से 15.00

[हिन्दी]

बिहार में शहरी बुनियादी परियोजनाएं

2079. **श्री राजो सिंह:** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को शहरी बुनियादी परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता उपलब्ध कराये जाने के संबंध में बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी नहीं, प्राप्त सूचना के अनुसार शहरी अवस्थापना परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक सहायता हेतु बिहार सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

कम्प्यूटर की खरीद

2080. **श्री चेंगारा सुरेन्द्रन:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने नागरिक आपूर्ति आयुक्त कार्यालय में कम्प्यूटर और इसके अतिरिक्त उपकरणों को लगाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत उनकी खरीद करने हेतु धन जारी करने का अनुरोध किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) केरल सरकार ने राष्ट्रीय आसूचना केन्द्र के साथ केरल के नागरिक आपूर्ति आयुक्त के कार्यालय के नेटवर्क के लिए कम्प्यूटर और इसके सहायक उपकरणों की खरीदारी करने के लिए "प्रशिक्षण, अनुसंधान और मानीटरिंग" संबंधी केन्द्रीय योजना स्कीम के अधीन 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता की मांग की थी। इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया है और सहायता अनुदान की पहली किस्त के रूप में 1.35 लाख रुपये की राशि रिलीज करने के लिए हाल ही में मंजूरी पत्र जारी कर दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोचिंग योजना

2081. श्री विलास मुत्तेमवार: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोचिंग योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ख) क्या यह योजना पिछड़े वर्गों और कमजोर वर्गों पर लागू होती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) वर्ष 1997 और 1998 के दौरान परीक्षावार कोचिंग दिये गये विद्यार्थियों की संख्या क्या है और कितना वित्तीय आबंटन किया गया और उक्त अवधि के दौरान विद्यालयवार किया गया वास्तविक खर्च क्या था?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा (क) शैक्षिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यकों में से कमजोर वर्गों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के वास्ते कोचिंग कक्षाओं की योजना और (ख) समाज के कमजोर वर्गों विशेष रूप से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लाभार्थ उपचारी कोचिंग योजना चलाई जा रही है। चुनिंदा विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को तैयार करने के लिए कोचिंग कक्षाओं का आयोजन करते हैं ताकि वे विभिन्न सेवाओं में भर्ती के लिए और विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोचिंग योजना में शैक्षिक कौशलों और भाषागत दक्षता में सुधार लाने और अपनी सूझबूझ के स्तर को बढ़ाने तथा अपनी असफलता एवं स्कूल बीच में छोड़ जाने वाली दर को कम करने के लिए उपचारी शिक्षण की व्यवस्था है।

(घ) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कोचिंग कक्षाओं संबंधी योजना का एक विवरण संलग्न है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोचिंग योजना के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह व्यवस्था है कि योजना के अंतर्गत उपलब्ध सहायता के आधार पर कम से कम 100 छात्र शामिल किये जाने चाहिएं और जहां तक संभव हो सभी विषय शामिल किये जाने चाहिएं। विश्वविद्यालयों/कॉलेजों को वर्ष 1996-97 और 1997-98 के दौरान क्रमश: 78.00 लाख रुपये और 107.00 लाख रुपये की सहायता दी गई है।

विवरण

शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदायों के वास्ते कोचिंग कक्षाओं संबंधी योजना

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	वर्ष के दौरान उन छात्रों की संख्या जिन्हें कोचिंग दी गई		वित्तीय आबंटन	विश्वविद्यालयों द्वारा किया गया वास्तविक व्यय	
		1996-97 और 1997-98		1996-97 और 199798	1996-97	1997-98
1	2	3		4	5	
1.	अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़-202002 (उ.प्र.)	390	–	2.50 लाख वार्षिक	2,00,000	–
2.	इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद 211001 (उ.प्र.)	82	136	–वही–	1,71,478	2,00,000

1	2	3	4	5	
3.	बरकतुल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.)	152	–	2.50 लाख वार्षिक	2,08,434	–
4.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर (म.प्र.)	101	43	–वही–	2,50,000	2,30,000
5.	डा. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (उ.प्र.)	36	29	–वही–	2,00,000	2,00,000
6.	गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी (असम)	03	–	–वही–	1,00,000	–
7.	गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.)	355	372	–वही–	2,50,000	2,50,000
8.	जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली	27	116	–वही–	2,43,400	2,30,000
9.	जम्मू विश्वविद्यालय, जम्मू	27	–	–वही–	2,28,047	2,36,559
10.	लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ (उ.प्र.)	107	86	–वही–	2,50,000	2,00,000
11.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय, सूरत (गुजरात)	94	–	–वही–	–	–
12.	काकातिया विश्वविद्यालय, विद्यारणयापुरी, वारंगल (आं.प्र.)	102	142	–वही–	1,50,000	2,50,000
13.	कालीकट विश्वविद्यालय, कालीकट	298	–	–वही–	–	–
14.	नागपुर विश्वविद्यालय, नागपुर	24	–	–वही–	–	–
15.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय, कामेश्वरनगर, दरभंगा	46	45	–वही–	–	1,51,954
16.	कश्मीर विश्वविद्यालय, श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर)	–	115	–वही–	–	–

अनधिकृत अतिक्रमण

2082. श्री अमर राय प्रधान: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन सरकारी कालोनियों में सरकारी भूमि पर अनधिकृत धार्मिक ढांचे खड़े कर लिए गए हैं; और

(ख) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अनेक मामलों में नोटिस जारी किए गए हैं। तथापि नियमों में अपेक्षित कानूनी औपचारिकताएं पूरी न होने, मुकदमेबाजी और पुलिस बल सुलभ न हो पाने के कारण अतिक्रमणों को नहीं हटाया जा सका।

विवरण

उन कालोनियों के नाम जहाँ अनधिकृत धार्मिक ढांचे मौजूद हैं

नगर	कालोनियों के नाम
1	2
दिल्ली	1. बाबा खडक सिंह मार्ग
	2. कानपुर रोड
	3. डीआईजेड क्षेत्र
	4. आराम बाग
	5. रोज ऐवन्यू क्षेत्र
	6. प्रेस रोड और प्रेस लेन
	7. अहिल्या बाई रोड
	8. तुर्कमान रोड
	9. मिंटो रोड
	10. जहाँगीर रोड
	11. बैटन रोड
	12. टैगोर रोड
	13. महावत खां रोड
	14. कालीबाड़ी मार्ग
	15. भारती नगर
	16. कस्तूरबा गांधी मार्ग
	17. जाम नगर हाउस
	18. मोहम्मद पुर
	19. आर.के. पुरम
	20. वसंत विहार
	21. नानक पुरा
	22. आई.बी. कालोनी, एस.पी. मार्ग
	23. चाणक्यपुरी
	24. नेताजी नगर
	25. सरोजिनी नगर
	26. नौरोजी नगर
	27. किदवई नगर
	28. लक्ष्मीबाई नगर
	29. तिमारपुर

1	2
	30. देव नगर
	31. सादिक नगर
	32. श्रीनिवास पुरी
	33. कस्तूरबा नगर
	34. पुष्प विहार
	35. त्यागराज नगर
	36. हडको काम्पलेक्स, खेलगाँव मार्ग
गाजियाबाद	1. कमला नेहरू नगर
मुम्बई	1. एंटोप हिल
	2. सेहर कालोनी
नागपुर	1. सेमिनरी हिल्स
कलकत्ता	1. सांत्रागाची
	2. टॉलीगंज
	3. सिंधी पार्क
	4. डोवर लेन एकल टेंशन
	5. के.वी. ब्लाक और के.सी. ब्लॉक, साल्ट लेक।

सुरक्षित भंडार

2083. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन: क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न वार वितरण हेतु 1998 के अंत में प्रत्येक राज्य के पास कितना सुरक्षित भंडार था;

(ख) क्या केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खाद्यान्न के वितरण के लिए अतिरिक्त आपूर्ति प्राप्त हुई है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य अतिरिक्त आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) खाद्यान्नों का राज्यवार बफर स्टाक नहीं रखा जाता है। तथापि, पहली जनवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम द्वारा पहली जनवरी, 1999 के लिए निर्धारित बफर स्टाक के न्यूनतम स्तर की तुलना में केन्द्रीय पूल में रखे गए गेहूं और चावल की स्टाक स्थिति निम्नानुसार है:

(मिलियन टन में)

	चावल	गेहूं	जोड़
1.1.99 को स्थिति के अनुसार स्टाक	11.7	12.7	24.4
1.1.99 को स्थिति के अनुसार बफर स्टाक रखने के मानदंड	8.4	8.4	16.8

(ख) जी, हां।

(ग) केरल राज्य को हाल में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उनके सामान्य कोटे के अतिरिक्त गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए लागू मूल्य पर 20,000 टन चावल और 15,000 टन गेहूं की अतिरिक्त मात्रा आवंटित की जा रही है।

सरकारी मुद्रणालय

2084. श्री रंजीब बिस्वाल: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में सरकारी मुद्रणालयों की स्थान-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछेक मुद्रणालयों का विस्तार/आधुनिकीकरण करने तथा कुछ नए मुद्रणालयों को खोलने का भी है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उसके लिए राज्य-वार किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) भारत सरकार के 21 मुद्रणालय हैं जिनकी स्थानवार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) से (घ) नए मुद्रणालय खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, 1.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से फरीदाबाद, हरियाणा में भारत सरकार के मुद्रणालय (लैटर प्रेस यूनिट) के आंशिक आधुनिकीकरण को मंजूरी दी गई है।

विवरण

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के अधीन भारत सरकार के मुद्रणालयों की (स्थानवार) सूची

1.	भारत सरकार मुद्रणालय (फोटोलियो यूनिट)	मिंटो रोड, नई दिल्ली
2.	भारत सरकार मुद्रणालय (लैटर प्रेस यूनिट)	मिंटो रोड, नई दिल्ली
3.	भारत सरकार मुद्रणालय	मायापुरी, नई दिल्ली
4.	-वही-	राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली
5.	भारत सरकार मुद्रणालय (लैटर प्रेस यूनिट)	फरीदाबाद
6.	भारत सरकार मुद्रणालय (फोटोलियो यूनिट)	फरीदाबाद
7.	भारत सरकार मुद्रणालय	अलीगढ़
8.	वही	नीलोखेड़ी
9.	वही	शिमला
10.	भारत सरकार टेक्सट बुक मुद्रणालय	चंडीगढ़
11.	भारत सरकार मुद्रणालय (पब्लिकेशन यूनिट)	सन्तरांगाची, हावड़ा
12.	भारत सरकार मुद्रणालय (फार्मस् यूनिट)	वही
13.	भारत सरकार मुद्रणालय	टेम्पल स्ट्रीट, कलकत्ता
14.	वही	भुवनेश्वर
15.	वही	कोयम्बटूर
16.	वही	कोस्ती
17.	भारत सरकार टेक्सट बुक मुद्रणालय	मैसूर
18.	भारत सरकार स्टाफ कालेज	वेलिंगटन
19.	भारत सरकार मुद्रणालय	नासिक
20.	भारत सरकार पेटेन्ट प्रिंटिंग प्रेस	मुम्बई
21.	भारत सरकार मुद्रणालय	गंगटोक

अध्ययन दल का बिहार दौरा

2085. श्री टी. गोविन्दन: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने बिहार में कानून और व्यवस्था की समस्या का जायजा लेने के लिए राज्य में हाल ही में कोई अध्ययन दल भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अध्ययन दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) शंकरबीघा टोला, पुलिस स्टेशन मेहनदिआ, जिला जहानाबाद में 22 लोगों के नरसंहार के बाद स्थिति का मौके पर आकलन करने के लिए एक केन्द्रीय दल ने 1 से 3 फरवरी, 1999 तक बिहार का दौरा किया था। इस दल ने यह महसूस किया कि स्थिति अभी तनावपूर्ण है और यदि जारी हिंसा से निपटने के लिए कोई बहुविध उपाय नहीं किए गए तो ऐसे नरसंहार होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अन्य बातों के साथ-साथ राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति का आकलन करने के बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत बिहार में 12.2.1999 से राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है। विभिन्न सेनाओं/उग्रवादी गुटों आदि की गतिविधियों के कारण व्याप्त स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों के लिए पुनर्वास पैकेज

2086. श्री कृष्ण लाल शर्मा:
श्री समर चौधरी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूर्वोत्तर राज्यों के आत्मसमर्पण कर चुके उग्रवादियों के लिए किसी पुनर्वास पैकेज पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पुनर्वास पैकेज को कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवम पुनर्वास के लिए एक योजना पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। इस योजना को जल्दी ही लागू किए जाने का प्रस्ताव है।

अनुसूचित क्षेत्रों में नगरपालिका

2087. श्री गिरिधर गमांग: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 74वें संशोधन अधिनियम के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में लागू करने के लिए कानून तैयार कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने अपनी टिप्पणी अभी तक नहीं दी है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, नहीं।

(ख) अनुसूचित क्षेत्रों में 74वां संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए कानून बनाने में विलंब का कारण शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा इस मामले में गठित समिति की रिपोर्ट पर अनुसूचित क्षेत्रों वाले कुछ राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त न होना है।

(ग) और (घ) आठ राज्य ऐसे हैं जिनमें अनुसूचित क्षेत्र हैं। अनुसूचित क्षेत्रों में संविधान (74वां संशोधन) अधिनियम के प्रावधान लागू करने के लिए शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट की एक प्रति इन राज्यों को टिप्पणियों के लिए भेजी गई थी। पांच राज्यों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं जबकि शेष तीन राज्यों बिहार, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान से उत्तर मिलना अभी बाकी है। इन तीन राज्यों द्वारा टिप्पणियां शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए यह मामला मुख्य मंत्री स्तर पर उठाया गया है।

पूर्वोत्तर राज्यों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

2088. श्री समर चौधरी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम को छोड़कर सभी पूर्वोत्तर राज्यों में विश्व बैंक द्वारा चलाये जा रहे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को लागू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं; और

(ग) उक्त राज्यों में इस परियोजना को लागू करने हेतु धन मुहैया कराने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का कार्यान्वयन पूर्वोत्तर राज्यों में केवल असम में किया गया है।

(ख) और (ग) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बाह्य सहायता द्वारा वित्तपोषित हैं। बाह्य वित्तपोषित एजेन्सियों ने इन राज्यों में कार्यक्रम के लिए निधि प्रदान करने में कोई रुचि नहीं दर्शाई है। पर्याप्त संसाधन की अनुपलब्धता के कारण इस कार्यक्रम का घरेलू संसाधनों के साथ विस्तार नहीं किया जा सका। निधियों के उपलब्ध होने पर कार्यक्रम का विस्तार करने पर विचार करते समय पूर्वोत्तर राज्यों के अनुरोध को ध्यान में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

गृह निर्माण क्षेत्र के लिए विदेशी सहायता

2089. श्री महेश कनोडिया: क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में वर्ष 1996-97 और 1997-98 और 1998-99 के दौरान विदेशी सहायता से गृह निर्माण परियोजनाओं को आरम्भ किया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) किन-किन देशों ने सहायता उपलब्ध करायी है; और

(घ) इस सहायता का उपयोग किस प्रकार किया गया?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) से (घ) जी, हाँ। कमजोर वर्गों के आवास तथा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए हडको, राष्ट्रीय आवास बैंक, तथा आवास विकास वित्त निगम को जर्मनी के मैसर्स के.एफ.डब्ल्यू. तथा मनीला स्थित एशियाई विकास बैंक, विदेश सहायता/ऋण की प्राप्ति हुई है। उक्त दोनों की सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिए गए हैं।

विवरण I

आवास निर्माण हेतु के.एफ.डब्ल्यू. की मार्फत जर्मन सरकार से प्राप्त विदेशी सहायता

आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको)

हडको-के.एफ. डब्ल्यू-IV

इस परियोजना के तहत 35 मिलियन जर्मन करेंसी की अनुदान सहायता से शहरी तथा ग्रामीण कमजोर वर्गों के लिए आवास निर्माण तथा 1993 के लातूर (महाराष्ट्र) भूकंप से प्रभावित लोगों के पुनर्वास के कार्यक्रम आरंभ किए गए हैं। इस परियोजना के तहत भूकंप प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए 1319 मकानों के निर्माण के अलावा 75667 मकानों के निर्माण हेतु धन भी दिया गया। यह परियोजना पूरी हो चुकी है।

हडको-के.एफ.डब्ल्यू.-V

इस परियोजना के तहत 35.34 मिलियन जर्मन करेंसी (जिसमें हडको के.एफ.डब्ल्यू. से अंतरित बकाया 0.34 मिलियन जर्मन करेंसी शामिल है) की अनुदान सहायता गैर सरकारी संगठनों के जरिए शहरी तथा ग्रामीण कमजोर वर्गों के लिए आवास तथा कम लागत के सफाई प्रबंध व स्लम सुधार का समन्वित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। अब तक इस परियोजना के अंतर्गत 35.54 मिलियन जर्मन करेंसी प्राप्त हुए हैं। तथा कार्यक्रम में 99731 मकानों का निर्माण शामिल है।

हडको-के.एफ.डब्ल्यू.-VI

50 मिलियन जर्मन करेंसी (30 मिलियन जर्मन करेंसी अनुदान के रूप में तथा 20 मिलियन जर्मन करेंसी ऋण के रूप में (की अनुदान/ऋण सहायता से शहरी तथा ग्रामीण कमजोर वर्गों के लिए आवास तथा आंध्र प्रदेश के तूफान प्रभावित लोगों के पुनर्वास के

उपाय आरंभ किए गए हैं। अब तक 16.24 मिलियन जर्मन करेंसी की सहायता मिली है। इसमें से 8.24 जर्मन करेसी का उपयोग कमजोर वर्ग के लिए 40,000 मकान बनाने तथा 8.24 मिलियन जर्मन करेंसी का उपयोग तूफान से प्रभावित लोगों के पुनर्वास हेतु 13425 मकानों के निर्माण सहायता के लिए किया गया है।

विवरण II

आवास निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक से प्राप्त सहायता

I. एशियाई विकास बैंक, मनीला ने वर्ष 1996-97 में भारतीय आवास वित्त परियोजना के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित में से प्रत्येक संगठन को 100 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान किया है। इस संबंध में एशियाई विकास बैंक तथा संबंधित संगठनों के बीच नवम्बर, 1997 में समझौता हुआ है। भारत सरकार द्वारा मूलधन तथा ब्याज के प्रति ऋण की गारंटी दी गई है।

(1) आवास एवं नगर विकास निगम लि. (हडको)

100 मिलियन अमेरिकी डालर के कुल स्वीकृत ऋण में से 50 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त हुए हैं। ऋण का उपयोग राज्य आवास बोर्डों तथा स्थानीय निकायों की योजनाओं, वर्कशेड एवं आवास योजनाओं, स्लम सुधार योजनाओं तथा सहकारी आवास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए किया जाना है।

(2) राष्ट्रीय आवास बैंक (एन.एच.बी.)

100 मिलियन अमेरिकी डालर के कुल स्वीकृत ऋण में से 50 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त हुए हैं। इस परियोजना का उद्देश्य योग्य उद्यमों जैसे आवास वित्त संस्थानों, समुदाय आधारित वित्तीय संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों आदि को वित्तीय सहायता (उप ऋण) प्रदान करना है जहाँ ऋण से मिलने वाली कम से 50% आय का उपयोग 4500 रु. प्रतिमाह तक के आय स्तर वाले परिवारों के वित्तपोषण के लिए किया जाना है।

(3) आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.)

100 मिलियन अमेरिकी डालर के कुल स्वीकृत ऋण में से 60 मिलियन अमेरिकी डालर प्राप्त किए गए हैं। इस ऋण का उपयोग सरकारी सहकारिताओं, नैगमिक संस्थानों तथा व्यक्तियों को वित्तीय सहायता देने के लिए किया जाएगा।

आवास विकास वित्त निगम (एच.डी.एफ.सी.)

एच.डी.एफ.सी.-के.एफ.डब्ल्यू-II तथा एच.डी.एफ.सी.-के.एफ.डब्ल्यू.-III

एच.डी.एफ.सी.के.एफ.डब्ल्यू. II के अंतर्गत आवास विकास वित्त निगम को कमजोर वर्गों के आवास कार्यक्रमों के वित्तपोषण तथा सरकारी व गैर-सरकारी संगठनों की अनुपूरक अवस्थापना के सुधार के लिए 30 मिलियन जर्मन करेंसी की अनुदान सहायता प्रदान की गई है।

एच.डी.एफ.सी.-के.एफ.डब्ल्यू.-III के अंतर्गत कुल वित्तीय अंशदान में से 28 मिलियन जर्मन करेंसी का उपयोग सारे देश में सरकारी व गैर-सरकारी आवास एजेंसियों को निगम द्वारा प्रदान किए जाने वाले ऋणों (उप-ऋणों) के पुनर्वित्तपोषण के लिए किया जाएगा जिसका उद्देश्य अनुपूरक अवस्थापना उपायों सहित कमजोर वर्गों के लिए कम लागत आवास कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना है। एच.डी.एफ.सी. द्वारा शेष 2 मिलियन जर्मन करेंसी का उपयोग गैर-सरकारी संगठनों के जरिये कमजोर वर्गों के लिए आय सृजन ऋणों के पुनर्वित्तपोषण हेतु किया जा सकता है।

उपर्युक्त अनुदान सहायता का उपयोग केरल, असम, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा महाराष्ट्र राज्यों में कमजोर वर्गों के लाभार्थियों को ऋण मुहैया कराने हेतु किया गया है। 1996-97 के दौरान 11,232 मकानों को शामिल करते हुए 11 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई थी। वर्ष 1997-98 में 47,892 टेनामेंटों को शामिल करते हुए 16.00 करोड़ रु. की राशि स्वीकृत की गई।

II. एशियाई विकास बैंक, मलीना ने वर्ष 1996-97 के दौरान आवास विकास वित्त निगम को कर्नाटक राज्य में योग्य व्यक्तियों को उप ऋण देने के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण प्रदान किया है। इस ऋण का 50% भाग निम्न आय वर्ग श्रेणी के व्यक्तियों के लिए है। इस परियोजना के अंतर्गत आवास विकास वित्त निगम द्वारा पूरी राशि का उपयोग कर लिया गया है।

बिहार के अनाथों हेतु कल्याण योजनाएं

2090. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद): क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बिहार में अनाथों हेतु कोई कल्याण योजना कार्यान्वित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के कार्यान्वयन हेतु सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जा रही है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा बिहार में अनाथों के कल्याण के लिए किसी योजना का कार्यान्वयन नहीं किया जा रहा है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

अखिल भारतीय स्कूल क्रिकेट टीम संबंधी शिकायतें

2091. श्री शांतिलाल पुरूषोत्तमदास पटेल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जूनियर अखिल भारतीय स्कूल टीम ने 1996 और 1998 में अनौपचारिक/जूनियर क्रिकेट टेस्ट खेलने के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या खिलाड़ियों द्वारा इंग्लैण्ड और अन्य स्थानों से प्राप्त की गयी धनराशि/पुरस्कारों की अदायगी न किये जाने से संबंधित कुछ शिकायतें मिली हैं;

(ग) यदि हां, तो वर्ष-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग के राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) 1996 तथा 1998 के दौरों के लिए सरकार को कुछ व्यक्तियों से शिकायतें मिली हैं जो मुख्य रूप से इंग्लैण्ड तथा अन्य स्थानों से प्राप्त की गई धनराशि/पुरस्कारों की अदायगी खिलाड़ियों को न किए जाने से संबंधित हैं।

(घ) परिसंघ से ब्यौरा भेजने के लिए कहा गया था तथा परिसंघ ने बताया है कि 1996 में खिलाड़ियों के लिए इंग्लैण्ड में कोई धनराशि/पुरस्कार प्राप्त नहीं किए गए थे। तथापि, लंदन स्थित भारतीय उच्च आयोग ने पूरी टीम को उच्च आयोग में निमंत्रित किया था और टीम के प्रत्येक सदस्य को एक-एक घड़ी तथा शेफियर्स पेन का एक सैट देने के अलावा, प्रत्येक सदस्य को 300 पौण्ड की धनराशि दी थी। आबूधाबी (यू.ए.ई.) में जहां एक प्रदर्शनी मैच खेला गया था, भारतीय समुदाय के सदस्यों ने भारतीय स्कूल टीम को भी पुरस्कार प्रदान किए थे। ये पुरस्कार/ईनाम उनके द्वारा आयोजित एक समारोह के दौरान टीम के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत रूप से दिए गए थे। वर्ष 1998 के दौरान, किसी ने भी भारतीय टीम के किसी भी सदस्य को धनराशि/पुरस्कार प्रदान नहीं किए।

केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांगें

2092. श्री अजय कुमार एस. सरनायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री दिनांक 23.2.99 के अतारांकित प्रश्न संख्या 105 के दिये गये उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय के शिक्षकों की मांगों को निपटाने के लिए चेयरमैन सह मंत्री स्तर की कोई द्विपक्षीय वार्ता हुई है;

(ख) यदि हां, तो अब तक निकले निष्कर्ष का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या शीघ्र कोई ऐसी उच्चस्तरीय द्विपक्षीय बैठक होने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो यह बैठक कब तक होगी और बैठक में आमंत्रित व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय केन्द्रीय विद्यालय अध्यापक संघ (जगत) की ओर से केन्द्रीय विद्यालयों के शिक्षकों की मांगों के समाधान के लिए अध्यक्ष तथा मंत्री स्तर पर द्विपक्षीय बातचीत हेतु कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, मानव संसाधन विकास मंत्री को संबोधित श्री जयसिंह एम. चौहान, संसद-सदस्य का दिनांक 22.2.99 का एक पत्र दिनांक 26.2.99 को अध्यापक संघ की रैली के पश्चात् प्राप्त हुआ है।

(ग) और (घ) अध्यापक संघ को यह परामर्श दिया जा रहा है कि भविष्य में मंत्री स्तर पर किसी प्रकार की बातचीत पर

विचार किये जाने से पूर्व वे अपनी मांगों के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अधिकारियों से चर्चा करें और संयुक्त परामर्शी तंत्र के मंच का भी उपयोग करें।

गोवा में विदेशी लोग

2093. श्री रवि सीताराम नायक: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में कितने विदेशी गत तीन वर्षों से रह रहे हैं;

(ख) उन विदेशी लोगों की संख्या कितनी है जिन्होंने गोवावासियों और अन्य भारतीयों से विवाह किया;

(ग) क्या इन विदेशियों ने विवाह के बाद अपनी राष्ट्रीयता नहीं बदली है;

(घ) भारत में उनके ठहरने की अधिकतम समय-सीमा कितनी है;

(ङ) क्या सरकार द्वारा उन विदेशियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो निर्धारित समय-सीमा के बाद भी देश में रह रहे हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 दिसम्बर, 1998 की स्थिति के अनुसार गोवा में 2053 पंजीकृत विदेशी राष्ट्रिक रह रहे थे।

(ख) और (ग) केन्द्र सरकार द्वारा भारतीयों से विवाह करने वाले विदेशियों के बारे में आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उन 9 विदेशी राष्ट्रिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किए जिन्होंने भारतीयों से विवाह किए हैं और गोवा में रह रहे हैं। इनमें से, अभी तक तीन आवेदनों को स्वीकार किया गया है और शेष छ: के मामले प्रक्रियाधीन है।

(घ) नीति के अनुसार भारतीयों से विवाह करने वाले विदेशी आम तौर पर दीर्घकालीन आधार पर भारत में रह सकते हैं और राज्य सरकारों को यह अधिकार प्राप्त है कि वे उन्हें एक बार में पांच वर्ष तक ठहरने की अनुमति प्रदान कर सकती है।

(ङ) से (छ) देश में गैर-कानूनी रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने, ढूंढ़ निकालने और उन्हें वापस भेजने की केन्द्र सरकार की शक्तियां राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को प्रदत्त की गई हैं और इसके बारे में आंकड़े केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखे जाते हैं। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, समय-समय पर, अवैध रूप से रह रहे विदेशी राष्ट्रिकों की पहचान करने और उन्हें स्वदेश लौटाने के प्रयासों को तेज करने के अनुदेश जारी किए गए हैं/दोहराए गए हैं।

आदतन अपराधियों का कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक

2094. श्री जयराम आई.एम. शेट्टी:
श्री मोती लाल वोरा:
श्री यू.वी. कृष्णमराजू:
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक:
श्री विजय गोयल:
श्री शान्तिलाल चपलोत:
श्री सोहनवीर सिंह:
श्री मगन्ती बाबू:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आदतन अपराधियों का एक कम्प्यूटरीकृत डाटा बैंक तैयार करने की एक नवीन परियोजना संबंधी प्रयोग किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अपराधियों का कोई एल्बम सभी राज्यों को उपलब्ध कराया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) पिछले वर्ष से आज तक ट्रेनों में हुई डकैतियों, लूट, हत्याओं, चोरियों और अन्य अपराधों का राज्यवार और अपराधवार ब्यौरा क्या हैं;

(ङ) कितने मामलों को हल कर लिया गया है और कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार/दण्डित किया गया;

(च) क्या सरकार पीड़ित व्यक्तियों को मुआवजा दे रही है;

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ज) क्या राज्य सरकारें ऐसी घटनाएं रोकने के लिए सहायता उपलब्ध करा रही है;

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ञ) ऐसे अपराधों को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) वर्ष 1994 से अपराध अपराधी सूचना प्रणाली (सी.सी.आई.एस.) के अधीन मुख्य अपराधियों से संबंधित डाटा का कम्प्यूटरीकरण किया गया है। इस प्रयोजनार्थ, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो एक नोडल एजेन्सी है। आदतन अपराध करने वालों का डाटा तैयार करना भी इस समग्र योजना का एक भाग है। वर्तमान साफ्टवेयर में फोटो की व्यवस्था नहीं है। तथापि, राज्यों के परामर्श हेतु अपराधियों का अन्य सभी डाटा, राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो में उपलब्ध है।

(घ) से (ङ) रेलगाड़ियों में वर्ष 1998 के दौरान हुई डकैती, लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं। इसी अवधि के दौरान रेलगाड़ियों में डकैती, लूटपाट और सेंधमारी के संबंध में चार्ज-शीट किए गए मामलों की संख्या निम्न प्रकार है:

वर्ष	डकैती	लूटपाट	सेंधमारी
1998	30	66	1

वर्ष 1998 के दौरान इन अपराधों के संबंध में गिरफ्तार/दण्डित किए गए व्यक्तियों की सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

(च) और (छ) रेल दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों को ही रेलवे द्वारा मुआवजा दिया जाता है।

(ज) से (ञ) चलती रेलों में हुए अपराधों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना तथा पता लगाना और उनकी रोकथाम करना राजकीय रेलवे पुलिस (जी.आर.पी.) की जिम्मेदारी है, जो संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रणाधीन कार्य करती है। केन्द्रीय सरकार समय-समय पर, राज्य सरकारों को रेल यात्राओं के दौरान यात्रियों और उनके सामान की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने की सलाह देती आई है। केन्द्रीय सरकार द्वारा सुझाए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, जी.आर.पी. और रेलवे सुरक्षा बल (आर.पी.एफ.) के बीच नियमित रूप से बैठकें करना, चलती रेलों में चल-पुलिस बल तैनात करना, पुलिस एस्कोर्ट और रेलवे स्टाफ के बीच बेहतर तालमेल बनाना, अनधिकृत फेरी वालों, शरारती तत्वों तथा अन्य अवांछित तत्वों को हटाना, इत्यादि शामिल है।

विवरण

वर्ष 1998 के दौरान-रेलगाड़ियों में डकैती, लूटपाट और सेंधमारी की घटनाएं

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	डकैती	लूटपाट	सेंधमारी	टिप्पणी (आंकड़े निम्नलिखित माह तक हैं)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5	12	0	नवम्बर
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	अक्तूबर
3.	असम	5	10	20	अक्तूबर
4.	बिहार	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	0	0	0	
6.	गुजरात	4	21	0	
7.	हरियाणा	1	1	0	
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	
9.	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	अक्तूबर
10.	कनाटक	2	4	0	
11.	केरल	1	4	0	
12.	मध्य प्रदेश	3	15	0	नवम्बर
13.	महाराष्ट्र	16	63	0	
14.	मणिपुर	0	0	0	नवम्बर
15.	मेघालय	0	0	0	अगस्त
16.	मिजोरम	0	0	0	नवम्बर
17.	नागालैंड	0	0	0	
18.	उड़ीसा	2	9	2	सितम्बर
19.	पंजाब	0	1	0	
20.	राजस्थान	1	5	0	नवम्बर

1	2	3	4	5	6
21.	*सिक्किम*	*0*	*0*	*0*	नवम्बर
22.	तमिलनाडु	0	6	1	
23.	त्रिपुरा	0	0	0	
24.	उत्तर प्रदेश	32	55	0	नवम्बर
25.	पश्चिम बंगाल	36	48	0	नवम्बर
	कुल (राज्य)	108	254	23	
26.	अ. और नि. द्वीपसमूह	0	0	0	
27	चंडीगढ़	0	0	0	
28.	दा. और न. हवेली	0	0	0	
29.	दमण और द्वीव	0	0	0	नवम्बर
30.	दिल्ली	1	0	0	
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	
32.	पाण्डिचेरी	0	0	0	
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	1	0	0	
	कुल (समस्त भारत)	109	254	23	

स्रोत: मासिक अपराध आंकड़े।

नोट: 1. आंकड़े अनंतिम है।

2. उ.न. का अर्थ है-उपलब्ध नहीं।

3. दमण और दीव का डाटा शामिल नहीं है।

4. पाण्डिचेरी के आंकड़ों में नवम्बर का डाटा शामिल नहीं है।

*** अनुच्छेद 356**

2095. श्री सत्यव्रत सिंह कैंथ: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को संविधान के अनुच्छेद 356 के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए अंतर-राज्यीय परिषद की उप-समिति में पंजाब को शामिल करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 पर चर्चा करने के लिए पंजाब को, अन्तर राज्य परिषद की उप-समिति में शामिल करने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

जैनेटिकली-मोडिफाइड क्राप

2096. श्री बालासाहिब विखे पाटिल: क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "आनुवंशिक रूप से तैयार फसलें" कम संसाधनों से अधिक उपज दे सकती हैं और हानिकारक कीटनाशकों के छिड़काव की आवश्यकता को कम कर सकती हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान आनुवंशिक रूप से संशोधित फसलों को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और ऐसी कौन सी फसलें हैं जिनकी पैदावार पहले ही की जा रही है; और

(ग) इन फसलों की खेती के लाभ क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी हाँ। आनुवंशिक इंजीनियरिंग तकनीकें सस्य-विज्ञान संबंधी उपयोग हेतु अनूठी विशेषताएं युक्त नवीन प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए उपाय उपलब्ध कराती हैं। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फसलों में कीटों और रोगाणुओं के आण्विक प्रतिरोध का विकास हुआ है। बी टी जीन के साथ रुपान्तरित पादप कीटों के व्यापक आक्रमण में प्रतिरोध प्रदान करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की सीमा को न बढ़ाते हुए उच्च उपज प्राप्त की जा सकती है।

(ख) उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए पिछले 3-4 वर्षों के दौरान बी टी जीन के समावेशन द्वारा विभिन्न पादप प्रजातियों को उत्पन्न करने के लिए संगठित प्रयास किए गए हैं। इस समय वाणिज्यीकरण के लिए आनुवंशिक रूप से संशोधित किसी भी फसल को स्वीकृति नहीं दी गई है। तथापि, पर्यावरणीय सुरक्षा आंकड़ों को बनाने के लिए टमाटर, चावल, कपास, सरसों, आलू, बैंगन और फूलगोभी जैसी कई फसलों का खेत परिस्थितियों में मूल्यांकन किया जा रहा है।

(ग) ऐसी फसलों से मिट्टी उर्वरता, गैर-लक्ष्यगत प्रजातियों पर प्रभाव, उच्च उपज, कीटनाशियों के छिड़काव में बचत और गुणता वृद्धि के संबंध में पारिस्थितिक और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है।

[हिन्दी]

मुख्य सचिवों की बैठक

2097. श्री ब्रजमोहन राम: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर चर्चा करने हेतु मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है तथा इस पर हुई चर्चा के क्या परिणाम रहे; और

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा 7.11.98 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की एक बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मूल्य वृद्धि के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और कतिपय निर्णय किए गए। बैठक में किए गए निर्णयों का सार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण में करने तथा उन्हें स्थिर करने के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी हुई है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि के लिए कुछ दीर्घकालिक उपायों के अलावा, दालों और प्याज जैसी कम आपूर्ति वाली वस्तुओं के आयात को शून्य प्रतिशत आयात शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के तहत रखा गया है और खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को 25% से घटाकर 15% कर दिया गया है ताकि इन वस्तुओं की कुल उपलब्धता में वृद्धि हो सके। प्याज के निर्यात पर 14.10.98 से रोक लगा दी गई थी। यह प्रतिबंध अगले तीन महीनों के लिए प्रति माह 25,000 मी. टन की अधिकतम मात्रा की शर्त के साथ 9.2.98 को उठा लिया गया है। कुछ आवश्यक वस्तुएं जैसे चावल, गेहूं, चीनी, पामोलीन और मिट्टी के तेल को बाजार मूल्य से कम मूल्य पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए भी सप्लाई किया जाता है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा जमाखोरों, कालाबाजारियों और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों में लिप्त अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जा रही है।

विवरण

मंत्रिमण्डल सचिव द्वारा 7.11.1998 को नई दिल्ली में ली गई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की बैठक

प्रधानमंत्री जी की मंत्रियों के दल के साथ हुई एक बैठक में हाल में लिए गए निर्णय के अनुसरण में मंत्रिमण्डल सचिव ने कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा करने के लिए राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों के साथ एक बैठक की। बैठक में मूल्यों में असामान्य वृद्धि को नोट किया गया और मूल्यों को कम करने तथा समस्या की पुनरावृत्ति को टालने के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रकार के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। स्थिति की विस्तार से समीक्षा करने के बाद बैठक में निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले गए:

(1) प्याज की विलम्बित खरीफ फसल की पौध को हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए यह महसूस किया गया कि उसके निर्यात पर रोक, जो इस समय 30 नवम्बर, 1998 तक वैध है, को बढ़ाकर 31 जनवरी, 1999 तक कर दिया जाए।

(2) आवश्यक वस्तुओं के लाने-ले-जाने पर प्रतिबंध, जिसमें अनौपचारिक प्रतिबंध शामिल हैं, को उन्हें सारे देश में निर्बाध रूप से लाने-ले-जाने के हित में उठा लिए जाने की आवश्यकता है।

(3) जमाखोरों तथा कालाबाजारियों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम के उपबंधों के तहत कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। यह नोट किया गया कि इस संबंध में आवश्यक शक्तियां राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही प्रत्यायोजित हैं और उन्हें आवश्यक होने पर इन शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

(4) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा बाजार दखल कार्रवाइयां अंतिम उपाय के रूप में पारदर्शी रूप में करनी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समाज के दुर्बल तथा कमजोर वर्गों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो। जहां आवश्यक हो वहां केन्द्रीय सरकार इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को बराबरी के आधार पर वित्तीय सहायता देने पर विचार करने हेतु तैयार होंगे।

(5) उपर्युक्त तात्कालिक उपायों के अतिरिक्त बैठक में महसूस किया गया कि फसल पूर्वानुमान की प्रणाली में सुधार करने के लिए कार्रवाई की जाए, ताकि फसल उत्पादन पूर्वानुमान जितना संभव हो, सही हो। इस संबंध में राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को फसल पूर्वानुमानों के लिए सूचना उपलब्ध कराने के जरिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है अत: यह आवश्यक है कि वे इस बारे में तत्काल कार्रवाई करें। अधिशेष और कमियों का यथार्थपरक आकलन करने और उसके लिए योजना बनाने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच एक संयुक्त मानीटरिंग तंत्र स्थापित किया जाएगा। इस दिशा में सरकार एक कृषि उत्पाद राष्ट्रीय उत्पादन पूर्वानुमान केन्द्र स्थापित करेगी।

(6) मांग और आपूर्ति के बीच अनुमानित अंतर को पूरा करने के लिए आयात करने से संबंधित निर्णय, बुवाई किए गए क्षेत्र के आधार पर तैयार किए गए पूर्वानुमानों

के स्तर से लिया जाना चाहिए। कहने का अभिप्राय यह है कि ऐसे निर्णय फसल कटाई से 3-4 महीने पहले ले लिए जाने चाहिए। यह भी महसूस किया गया कि ऐसे आयात केन्द्रीय सरकार की एजेंसियों द्वारा केन्द्रीयकृत आधार पर किए जाने चाहिए और किसी भी राज्य एजेंसी द्वारा अलग से ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

(7) इस समय भण्डारण सुविधाएं अपर्याप्त हैं और यह देश भर में समान रूप से भी उपलब्ध नहीं है। अत: देश के विभिन्न भागों में भंडारण क्षमता का निर्माण नितांत आवश्यक है और इस संबंध में क्षमताओं में वृद्धि के लिए तत्काल एक कार्यवाही योजना तैयार की जानी चाहिए। शीत भण्डारों पर नियंत्रण रखने वाले राज्यों को अपने शीत भण्डार आदेशों को समाप्त कर देना चाहिए। कृषि-जन्य उत्पादों के लिए देश की भण्डारण प्रौद्योगिकी में सुधार करने की दृष्टि से कृषि मंत्रालय आवश्यक नीतिगत उपायों का पता लगाने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञदल गठित करेगा।

(8) खाद्य प्रसंस्करण सुविधाओं को भी बड़े पैमाने पर मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इससे न केवल इस समय सब्जियों आदि की बरबादी से होने वाली हानि को टाला जा सकेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित हो सकेगा कि ऐसी वस्तुएं कमी के समय संसाधित रूप में उपलब्ध हों।

(9) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में वितरण तंत्र को कसने की जरूरत है, ताकि स्टॉक में होने वाले किसी भी प्रकार के डायवर्सन की संभावना को न्यूनतम किया जा सके। इसके साथ-साथ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में मूल्य मानीटरिंग तंत्र को ग्रामीण क्षेत्रों को भी कवर करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर मजबूत किए जाने की आवश्यकता है।

(10) कुछ राज्य सरकारों के चावल, गेहूं तथा पामोलीन में अतिरिक्त आवंटन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया गया।

(11) राज्य सरकारों को किसी भी खाद्य तेल को अनिवार्य पैकेजिंग आदेश के उपबंधों से छूट देने का अधिकार दिया गया है ताकि उपभोक्ताओं को कोई अनुचित परेशानी न हो।

(12) पूर्वोत्तर राज्यों तथा द्वीप समूह क्षेत्रों की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित उपायों का पता लगाने के लिए एक विशेष अध्ययन दल गठित किया जाएगा।

[अनुवाद]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

2098. श्री मुकुल वासनिक: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 9 फरवरी, 1999 के ''टाइम्स आफ इंडिया'' नई दिल्ली में ''पी.डी.एस. अर्जन्ट वर्क अगेन्स्ट पॉवर्टी, सेज वर्ल्ड बैंक'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो प्रकाशित तथ्यात्मक ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार के पास, डिलीवरी-प्रणाली में सुधार करने और प्रशासनिक मशीनरी पर खर्च हो रही लागतों को कम करने के लिए कोई योजनाएं हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। समाचार के अनुसार भारी लागत पर गरीबों को अल्प लाभ पहुंचाने वाली व्यापक सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के बजाय जरूरतमंद व्यक्तियों को खाद्य राजसहायता उपलब्ध करवाए जाने का पुख्ता मामला बनता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विशाल नेटवर्क अधिक सार्थक भूमिका निभा सकता है यदि यह गरीब परिवारों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करें। गरीबों पर केन्द्रित लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली इस दिशा में एक कदम है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली जरूरतमंद व्यक्तियों के लिए सार्थक हो सकती है यदि गरीब इतर लोगों को इसके दायरे से दूर रखा जाए। समाज के धनाढ्य वर्ग तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पहुंच को रोकने के प्रस्ताव पर मूलभूत न्यूनतम सेवाओं के संबंध में 4-5 जुलाई, 1996 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में चर्चा की गई थी। तथापि, सम्मेलन में महसूस किया गया कि चूंकि फिलहाल जनसंख्या

का बड़ा भाग, जो गरीबी रेखा से ऊपर हो सकता है, भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ प्राप्त कर रहा है, इसलिए इस वर्ग के लिए उचित मूल्यों पर आवश्यक जिन्सों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त उपाय किये जाने चाहिए। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए 30.9.1997 को आयोजित मुख्य मंत्रियों और राज्य खाद्य मंत्रियों के सम्मलेन में आम राय थी कि गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के आवंटन में कमी नहीं होनी चाहिए। इस मामले पर आम राय नहीं होने के कारण गरीब-इतर लोगों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के दायरे से दूर रखना संभव नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाने हेतु भारत सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी "माडल सिटीजन चार्टर" निकाला है जिसका उद्देश्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन सेवाओं को अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से उपलब्ध कराना है।

प्रशासनिक तंत्र सहित सुपुर्दगी प्रणाली पर वहन लागत को कम करने की दृष्टि में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वहन खर्च की निरंतर समीक्षा की जा रही है। खर्च में कमी के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं:

(1) भंडारण लागत में कमी के लिए भारतीय खाद्य निगम 75% की औसत क्षमता उपयोगिता हासिल करने के प्रयास कर रहा है। यद्यपि अनाज की वसूली मौसमी होती है।

(2) भाड़े पर खर्च में कमी के लिए वसूली और संचलन अनुपात को 1:1:35 के मानदंड पर बनाए रखा जा रहा है।

(3) खाद्यान्नों की हैंडलिंग संबंधी हानियों को कम करने के निरन्तर प्रयास किए जा रहे हैं।

(4) रेलवे के विलम्ब प्रभारों के भार में कमी लाने के लिए भी निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

(5) अधिशेष स्टाक केन्द्रीय निर्गम मूल्य से अधिक मूल्य पर खुले बाजार में रिलीज किया जा रहा है।

(6) पुराना स्टाक जारी करना, "ग" और "घ" श्रेणी के स्टाक का निपटान करना और मार्गस्थ तथा भंडारण हानियों पर नियंत्रण रखने के लिए खाद्यान्नों के संचलन का सीधा पर्यवेक्षण शुरू करना।

(7) भंडारण और मार्गस्थ हानियों को कम करने के लिए बोरियों की मशीन से सिलाई और 50 किलोग्राम की बोरियों में खाद्यान्नों की हैंडलिंग।

(8) वसूली/भंडारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी कठोर नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करना।

(9) प्रचालनों के आकार में वृद्धि होने के बावजूद प्रवेश स्तर के परिणामी पद की न्यूनतम भर्ती करके भारतीय खाद्य निगम द्वारा प्रशासनिक लागत पर नियंत्रण रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

विदेशी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार

2099. डा. अशोक पटेल:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:
श्री प्रभूदयाल कठेरिया:
डा. विजय सोनकर शास्त्री:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाई अड्डों पर पर्यटकों के साथ पुलिस कर्मी और दलाल सभ्य व्यवहार नहीं करते जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में भारतीयों और भारत की छवि धूमिल होती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार के ध्यान में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की कितनी घटनाएं आई हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में दोषी पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) क्या इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने हेतु कोई कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (घ) हवाई अड्डों पर तैनात पुलिस और आप्रवासन अधिकारियों द्वारा विदेशी पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार की कुछ घटनाएं ध्यान में आई हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पांच अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, दिल्ली, मुम्बई, कलकत्ता, चैन्नई और थिरुवन्तापुरम में सूचित इस प्रकार के 152 मामलों में आप्रवासन अधिकारियों के संलिप्त होने की सूचना है। इस संबंध में 14 अधिकारियों को निलम्बित किया

गया। इसके अतिरिक्त चार अधिकारियों के खिलाफ पुलिस मामले दर्ज किए गए।

हवाई अड्डों पर तैनात पुलिस कार्मिक, संबंधित राज्य सरकारों के अनुशासन के दायरे के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार के कार्मिकों के खिलाफ अभद्र व्यवहार के आरोपों से संबंधित सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर विदेशी पर्यटकों को होने वाली असुविधा को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ सम्मिलित हैं: उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां पर कदाचार होता है, जांच काऊन्टरों पर पर्यटकों की निकासी में होने वाले विलम्ब को दूर करने के लिए कदम उठाना, हॉट लाईन की व्यवस्था ताकि पर्यटक वरिष्ठतम अधिकारी से सम्पर्क कर सके और संबंधित अधिकारियों को व्यावहारिक प्रबंध पर विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना।

[अनुवाद]

खाद्य तेल उद्योग

2100. **श्री पी.एस. गढ़वी:** क्या **खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने खाद्य तेल उद्योग पर वनस्पति तेल उत्पाद (विनियमन) आदेश, 1998 के प्रभाव की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खाद्य तेल उद्योग द्वारा प्रयुक्त क्षमता संस्थापित क्षमता से कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) खाद्य तेल उद्योग की क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) नियंत्रण क्षेत्रों और प्राधिकरणों की बहुतायत में कमी करने के अतिरिक्त, इस नए आदेश से वनस्पति तेल उत्पादों, विशेषकर वनस्पति की कीमत में अत्यधिक कमी लाने में मदद मिली है।

(ग) जी, हां।

(घ) खाद्य तेल उद्योग की स्थापित क्षमता से कम क्षमता का उपयोग होने का मूल कारण कच्चे माल की कमी होना है।

(ङ) खाद्य तेल उद्योग के क्षमता उपयोग में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार से हैं:

(1) दो केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना (एन.ओ.डी.पी.) तथा तिलहन उत्पादन थ्रस्ट परियोजना (ओ.पी.टी.पी.) का, जो 1989-90 तक प्रचालन में थीं, 1990-91 के दौरान एकमात्र स्कीम अर्थात् तिलहन उत्पादन कार्यक्रम (ओ.पी.पी.) में विलय कर दिया गया था। इस स्कीम के अधीन सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी के विशेष संदर्भ में राज्यों को गुणसम्पन्न बीजों के उत्पादन और वितरण, पौधों को सुरक्षित रखने के उपाय करने, जिनमें पौधों की सुरक्षा के लिए रसायनों तथा उपकरणों की आपूर्ति करना शामिल है, और उन्नत प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करके आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है।

(2) उत्पादन, प्रसंस्करण और प्रबंधन प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने के लिए मई, 1986 में तिलहन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना की गई थी।

(3) तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अनुसंधान प्रयासों को तेज करना।

(4) गैर-परम्परागत तिलहनों की फसलों, जैसे सोयाबीन तथा सूरजमुखी के अधीन क्षेत्र में वृद्धि करना और वृक्ष तथा वन मूल के तिलहनों, चावल की भूसी, आदि का उपयोग करना।

(5) तिलहनों के उत्पादन कार्यक्रम के साथ गति बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रसंस्करण और ढांचागत सुविधाओं की स्थापना करना।

(6) पाम तेल विकास के लिए सहायता देना।

(7) प्रमुख तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करके उत्पादकों को अच्छा लाभ देना।

(8) प्रसंस्करण यूनिटों के आधुनिकीकरण के लिए उपकरणो की पहचान करना, कुछ उपकरणों के आयात पर सीमा शुल्क में रियायतें देना।

चण्डीगढ़ के लिए केन्द्रीय सहायता

2101. श्री सत्य पाल जैन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान चण्डीगढ़ संघ राज्य-क्षेत्र को उसके वार्षिक बजट में हुए घाटे को पूरा करने के लिए कोई सहायता प्रदान की; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) संघ शासित क्षेत्रों (बिना विधान मंडलों के) को उनके वार्षिक बजट घाटे को पूरा करने के लिए और सहायता देने की आवश्यकता नहीं है।

केन्द्र शासित क्षेत्र चण्डीगढ़ के संबंध में 1996-97, 1997-98 का वास्तविक व्यय और 1998-99 और 1999-2000 का बजट प्रावधान, संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

(रुपये करोड़ों में)

	वास्तविक 1996-97	वास्तविक 1997-98	बजट अनुमान 1998-99	संशोधित अनुमान 1998-99	बजट अनुमान 1999-2000
गैर योजना	367.02	484.86	485.74	583.56	589.00
योजना	100.20	121.17	130.58	137.76	143.64
जोड़	467.22	606.03	616.32	721.32	732.64

[हिन्दी]

तिलहन पिराई उद्योग

2102. डा. सुशील इन्दौरा: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तिलहन पिराई उद्योग की अधिष्ठापित क्षमता का अधिकतम उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान उक्त अधिष्ठापित क्षमता का कितना प्रतिशत उपयोग हुआ है; और

(ग) उक्त उद्योग के प्रोत्साहन हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) और (ख) जी, हां। तिलहन पिराई उद्योग की स्थापित क्षमता का पूरी तरह से उपयोग न होने का मुख्य कारण कच्चे माल की कमी होना है। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष में तिलहन पिराई उद्योग की वार्षिक क्षमता का कुल उपयोग 30-35% की रेंज में रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार विशेषकर तिलहन पिराई उद्योग के लिए कोई प्रोत्साहन प्रदान नहीं करती है।

[अनुवाद]

जाली अंक

2103. श्री माधवराव पाटिल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि मुम्बई विश्वविद्यालय में एक अभियांत्रिक विद्यार्थी को उस विषय में असफल होने पर जाली अंक पत्र दिया गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

बल्क औषधियों का उत्पादन

2104. श्री मोहन सिंह:
डा. अशोक पटेल:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुछ बल्क औषधियों का उत्पादन निजी क्षेत्र को सौंपने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) एलोमेथेरीन की मुख्य दवाइयां कौन-कौन सी हैं और इन औषधियों के घटते उत्पादन के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या केबिनेट समिति ने इस संबंध में प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) सरकार ने पांच प्रपुंज औषधों यथा विटामीन बी-1, विटामीन बी-2, टेट्रासाइक्लिन, आक्सीटेट्रासाइक्लिन और फोलिक एसिड के उत्पादन को अनारक्षित और लाइसेंस मुक्त कर दिया है जो कि अब तक केवल सरकारी क्षेत्र की यूनिटों द्वारा उत्पादन के लिए आरक्षित थीं। इन औषधों के उत्पादन में गिरावट आई डी पी एल द्वारा उत्पादन बन्द कर देने के कारण आई थी।

(घ) जी, हां।

[अनुवाद]

मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूकता

2105. श्री आरिफ मोहम्मद खां:
श्री आनन्द रत्न मौर्य:
श्री अमर पाल सिंह:
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश के नागरिकों को मूल कर्त्तव्यों की शिक्षा देने संबंधी जे.एस. वर्मा समिति की अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या नागरिकों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए शैक्षणिक पाठ्यक्रम के सभी स्तरों में मुख्य परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति ने भारत सरकार को सौंपी गई अपनी अंतरिम रिपोर्ट में स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थाओं में मौलिक कर्त्तव्यों के शिक्षण हेतु पाठ्यचर्या के लिए निर्देश एवं दृष्टिकोण में मूलभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया है। समिति की अंतरिम सिफारिशों पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, ख्याति प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, स्वशासी निकायों आदि से विचार एवं टिप्पणियां मांगी गई हैं।

छात्राओं के लिए आवासीय विद्यालय

2106. श्री बूटा सिंह: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की छात्राओं हेतु आवासीय विद्यालय स्थापित करने के लिए 1997-98 और 1998-99 के दौरान धनराशि उपलब्ध कराई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) पर्याप्त पूर्ण प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण निधियों का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया है।

(घ) सभी संबंधित राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन एजेंसियों से पूर्ण प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।

आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश

2107. श्री विट्ठल तुपे:
श्री डी.एस. अहिरे:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेश यात्रा के दौरान आवास क्षेत्र में विदेशी निवेश का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये प्रस्ताव स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल के समक्ष रख दिए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इन प्रस्तावों को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) से (घ) हाल ही की शहरी कार्य और रोजगार मंत्री की यू.एस.ए., कनाडा और यूरोप की यात्रा के दौरान विदेशी निवेशकों ने आवास और स्थावर-सम्पदा क्षेत्र में पूंजी निवेश में विशेष रुचि दिखायी। चूंकि आवास क्षेत्र में अभी प्रत्यक्ष पूंजी निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति नहीं है इसलिए किसी प्रकार की सकारात्मक प्रतिक्रिया करना संभव नहीं था।

[हिन्दी]

कम्पनियों द्वारा अधिक कीमत वसूल करना

2108. प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा:
डा. सुशील इन्दौरा:

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उन कुछ औषधि उत्पादन करने वाली कम्पनियों से जिन्होंने निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत वसूली थी, अधिक वसूल की गई कीमत को वसूल करने का है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कम्पनियों के नाम क्या-क्या हैं तथा ऐसी प्रत्येक कम्पनी से वसूल की जाने वाली कीमत का अलग-अलग ब्यौरा क्या है; और

(ग) अधिक वसूल की गई कीमत की वसूली के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जब कभी अधिक मूल्य वसूल करने के मामले सरकार की जानकारी में आते हैं, तो डीपीसीओ, 95 के उपबंधों के अधीन अधिक वसूल की गई राशि को वसूल करने के लिए त्रुटिकर्ताओं के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत परियोजनाएं

2109. श्री सी. कुप्पुसामी:
डा. शकील अहमद:
श्री नरेश पुगलीया:

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फरवरी, 1999 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में "अरबन पेनल प्लेस डी.डी.ए. फार वायलेटिंग अरबन रेगुलेशंस" नामक शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शहरी विनियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि रेडिसन होटल की भवन योजना उसके भवन अनुभाग में कभी प्रस्तुत नहीं की गई इसलिए होटल की भवन योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दिल्ली नगर कला आयोग को भेजने का प्रश्न ही नहीं है। एन.सी.यू.आई. की भवन योजना को फरवरी, 1976 में मंजूर किया गया था। संशोधित भवन योजना 5.8.96 को प्रस्तुत की गई थी जिसे दिल्ली विकास प्राधिकरण के भवन विभाग ने दिल्ली नगर कला आयोग को भेज दिया था। दिल्ली नगर कला आयोग ने अपने 13.6.97 के पत्र द्वारा स्कीम पर कार्रवाई करने में असमर्थता व्यक्त की थी चूंकि वह कार्य पूरा हो गया था और कहा कि स्थानीय निकाय इस मामले में जो भी उचित समझे वह कार्रवाई करे। संशोधित भवन योजना को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा मंजूर नहीं किया गया।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्रियों की बैठक

2110. प्रो. पी.जे. कुरियन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तरी राज्यों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा करने हेतु इस क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों की कोई बैठक बुलाई गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन राज्यों में अराजकता दूर करने के लिए अंतिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए इन राज्यों द्वारा की जा रही कार्रवाई की समीक्षा करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री ने दिनांक 14.10.1998 को दिल्ली, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य मंत्रियों की एक बैठक बुलाई थी। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर-राज्य अपराधियों के विरुद्ध समन्वित आपरेशनों के लिए आतंकवादियों और अपराधी गिरोहों द्वारा पैदा की जा रही समस्याओं को पहचानने और उनसे निपटने के लिए कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वित करने, आसूचना और रणनीति का व्यापक समन्वय करने, अपराधियों द्वारा अपनाई गई चालों का कारगरता के साथ मुकाबला करने हेतु पुराने कानूनों में संशोधन करने और राज्य पुलिस बल आदि को सुदृढ़ करने के लिए एक विशेष कार्य बल गठित करने की सिफारिश की गई। इस बैठक में लिए गए निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए तुरन्त कदम उठाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है।

(ग) "लोक व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण, राज्यों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए विभिन्न तरीके निकालना और ठोस कदम उठाना, संबंधित राज्य सरकारों का कार्य है। केन्द्रीय स्तर पर, विभिन्न राज्यों के आतंकवाद-विरोधी अभियानों को समन्वित करने तथा राज्य में आतंकवादियों की गतिविधियों पर काबू पाने के लिए सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए कदम उठाए जाते हैं। इसके अलावा, पुलिस आधुनिकीकरण के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता, बेहतर शस्त्रों की आपूर्ति तथा अर्ध-सैनिक बलों की तैनाती इत्यादि करके राज्य सरकारों की और मदद भी की जा रही है। कतिपय विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ प्रभावित राज्यों को पुलिस आधुनिकीकरण और शस्त्रों की आपूर्ति के लिए चालू आबंटन के अलावा वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई गई है।

[हिन्दी]

घुसपैठ

2111. श्री सी.डी. गामीत:
श्री एम. राजैया:
डा. संजय सिंह:
श्री विजय गोयल:
श्री विजय संकेश्वर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में बंगला देशी घुसपैठियों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा दोगुनी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में कितने बंगलादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं;

(घ) इस पर कितना खर्च किया गया है;

(ङ) क्या सरकार ने इस बात की कोई जांच की है कि क्या ये घुसपैठिए सामाजिक संरचना पर विपरीत असर डाल रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार सीमा पर बाड़ लगाने पर विचार कर रही है; और

(ज) यदि हां, तो उक्त सीमा क्षेत्र में बाड़ कब तक लगाए जाने का संभावना है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) जी नहीं, श्रीमान्। तथापि, बंगलादेश के घुसपैठियों की ठीक-ठीक संख्या का अनुमान लगाना कठिन हैं क्योंकि वे चोरी-छिपे घुसते हैं तथा जातीय व भाषाई समानताओं के कारण स्थानीय जनता में सरलता से घुलमिल जाते हैं।

(घ) भारत में बंगलादेशी घुसपैठियों पर सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय का सही-सही अनुमान लगाना कठिन है।

(ङ) और (च) सरकार को इस बात की जानकारी है कि बंगलादेशी राष्ट्रिकों के अवैध आप्रवासन का बंगलादेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के स्वरूप को बदलने में बड़ा हाथ है। सीमित आर्थिक अवसरों की वजह से सामाजिक तनाव का यह एक कारण भी है। रिपोर्टों से यह सभी पता चला है कि आतंकवादी इन क्षेत्रों का प्रयोग नकारात्मक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं।

(छ) और (ज) भारत-बंगलादेश सीमा पर 896 कि.मी. में बाड़ लगाने की मंजूरी दे दी गई है तथा 31.12.98 तक, 795.52 कि.मी. में, बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो चुका है। मार्च 2001 तक इस कार्य को पूरा करने का लक्ष्य है।

[अनुवाद]

पेयजल योजना

2112. श्री भर्तृहरि मेहताब:
श्री भगवान शंकर रावत:
श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (जहानाबाद):
श्री राम टहल चौधरी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केन्द्र सरकार के पास राज्यवार कितनी पेयजल योजनाएं लम्बित हैं;

(ख) इनकी स्वीकृति हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने पेयजल योजनाओं हेतु राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, नहीं, जल आपूर्ति राज्य का विषय है। केन्द्र सरकार त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके केवल उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान करती है। जल आपूर्ति योजनाओं को स्वीकृत करने के लिए शक्तियां 1995 में राज्य सरकारों को प्रत्यायोजित कर दी गई हैं और उप-मिशन योजनाओं को अनुमोदित करने की शक्तियां भी 1998 में प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत निधियों का राज्यवार आबंटन

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आबंटन (करोड़ रुपए)		
		1996-97	1997-98	1998-99
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	66.180	79.640	99.205
2.	अरूणाचल प्रदेश	12.000	14.440	36.230
3.	असम	20.260	24.380	61.200
4.	बिहार	77.950	93.800	117.685
5.	गोवा	1.890	2.270	2.838
6.	गुजरात	41.970	49.870	58.605
7.	हरियाणा	24.410	27.360	21.909
8.	हिमाचल प्रदेश	13.310	15.960	19.671
9.	जम्मू व कश्मीर	36.880	44.310	55.146
10.	कर्नाटक	60.870	73.250	91.774
11.	केरल	30.950	37.240	46.735
12.	मध्य प्रदेश	73.270	88.170	110.631
13.	महाराष्ट्र	88.100	106.020	133.015
14.	मणिपुर	4.400	5.290	13.300
15.	मेघालय	4.720	5.680	14.250
16.	मिजोरम	3.370	4.060	10.180

1	2	3	4	5
17.	नागालैंड	4.220	4.220	10.580
18.	उड़ीसा	34.680	41.730	52.365
19.	पंजाब	11.050	13.300	16.686
20.	राजस्थान	103.870	118.630	109.545
21.	सिक्किम	3.720	3.720	4.340
22.	तमिलनाडु	52.470	63.140	79.225
23.	त्रिपुरा	4.180	5.030	12.620
24.	उत्तर प्रदेश	122.780	147.750	185.379
25.	पश्चिम बंगाल	47.400	57.040	71.696
26.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	0.250	0.125	0.125
27.	दादरा व नगर हवेली	0.150	0.125	0.125
28.	दिल्ली	0.300	0.050	0.050
29.	लक्षद्वीप	0.000	0.125	0.125
30.	पांडिचेरी	0.200	0.050	0.050
31.	दमन व दीव	0.100	0.125	0.125
	कुल	945.900	1126.900	1435.410

[हिन्दी]

प्राइवेट स्कूलों को डोनेशन दिये जाने पर प्रतिबंध

2113. **श्री रामपाल उपाध्याय:**
श्री महेश कनोडिया:
श्री टी. गोविन्दन:
श्री शकुनी चौधरी:
श्री सी.डी. गामीत:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा बच्चों के प्रवेश के समय दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही अत्यधिक राशि में डोनेशन पर प्रतिबंध लगाने और माता-पिता का साक्षात्कार लेने की प्रथा को समाप्त करने हेतु कोई कदम उठाए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य को पूरा करने को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियमों, 1973 के उपबंधों में किसी स्कूल/सोसायटी की प्रबंध समिति पर स्वैच्छिक दान स्वीकार करने के लिए रोक नहीं लगाई है। परन्तु शिक्षा निदेशालय ने पहले ही दिशानिर्देश जारी किये हैं कि इन स्वैच्छिक दानों को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए बच्चों के प्रवेश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। बच्चों के प्रवेश के समय माता-पिता के साक्षात्कार का दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम और नियम, 1973 में कोई प्रावधान नहीं है और इसलिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार ने इस मामले में कोई दिशानिर्देश जारी नहीं किया है।

(ग) 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग में बच्चों के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाने के लिए सरकार ने जुलाई, 1997 में राज्य सभा में संविधान (83वां संशोधन) विधेयक, 1997 पेश किया है।

प्राथमिक शिक्षा प्रणाली को फिर से सबल बनाने और प्राथमिक शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का 1994 में शुभारंभ किया गया है जिसमें विशेष रूप से लड़कियों की शिक्षा, सामाजिक रूप से वंचित लोगों, कामकाजी बच्चों और विकलांग बच्चों की शिक्षा पर ध्यान केन्द्रित किया गया है। इस समय इस कार्यक्रम में 14 राज्यों में स्थित शैक्षिक रूप से पिछड़े 163 जिलों को शामिल किया गया है। लगभग 50 जिलों में कार्यक्रम का और आगे प्रसार जारी है।

सभी को शिक्षा प्रदान करने के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार प्राथमिक स्तर के सभी छात्रों को नि:शुल्क पाठ्यपुस्तकें और उन छात्रों को नकद सस्ती वर्दी के रूप में प्रदान कर रही है जिनके माता-पिता की आय दिल्ली के न्यूनतम पारिश्रमिक अधिनियम के अनुसार निम्न है। ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं को मिडिल कक्षा तथा माध्यमिक कक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद वजीफे के अतिरिक्त नि:शुल्क परिवहन सुविधा प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

मातृ सुरक्षा योजना

2114. **श्री अमन कुमार नागरा:** क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मातृ सुरक्षा योजना के अंतर्गत मंजूर की गई 500 रुपए की राशि माताओं को प्रसव की अवधि के दौरान समुचित रूप से मिल रही है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1998 के दौरान राज्यवार कितनी माताओं को यह लाभ मिला;

(ग) प्रत्येक राज्य द्वारा उपयोग की गई और मंजूर की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने यह राशि उचित समय पर माताओं को उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) जी, हां।

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना, जो कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का एक घटक है, के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे बसर

करने वाले परिवारों से संबंधित आकांक्षी माताओं को पहले दो जीवित बच्चों के जन्म तक 500 रु. की राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि वे 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की हों। जिला स्तरीय कार्यान्वयन प्राधिकारियों से यह अपेक्षित है कि वे सुनिश्चित करें कि मातृत्व लाभ एक किस्त में प्रसव के 12-8 सप्ताह पूर्व वितरित किया जाए। हालांकि समय-बद्ध वितरण सुनिश्चित किया जाना है, तथापि मातृत्व लाभ का वितरण लाभार्थी को बच्चे के जन्म के बाद भी किया जा सकता है।

(ख) राज्यों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के नवीनतम संकलन से पता चलता है कि 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना से कुल 999411 माताएं पहले ही लाभान्वित हो चुकी हैं। इस संबंध में राज्यवार स्थिति विवरण में दी गई है।

(ग) 1998-99 के दौरान राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के अंतर्गत निधियों का आबंटन, रिलीज और उपयोग की राज्यवार स्थिति अनुबंध में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना सहित राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में सुधार करने के उद्देश्य से मंत्रालय ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के वर्तमान दिशा-निर्देशों में परिवर्तन करने का प्रस्ताव किया था। सरकार ने हाल ही में इन बदलावों को अनुमोदित किया है। संशोधित दिशा-निर्देशों के अंतर्गत विलम्ब को रोकने के उद्देश्य से लाभों की मंजूरी और वितरण के लिए ग्राम सभाओं और पंचायतों को अधिक भूमिका प्रदान की गई है। भारत सरकार ने सभी पंजीकृत मैडिकल प्रैक्टिशनर्स और नर्सिंग कार्मिकों (संबंधित राज्य नर्सिंग परिषद से पंजीकृत) को राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना के लिए प्रसव प्रमाणपत्र जारी करने की अनुमति प्रदान कर दी है।

विवरण

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना - 1998-99

(अनंतिम)

(लाख रु. में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1.4.98 को अवशेष	नया आबंटन	कुल रिलीज	सूचित खर्च	लाभार्थियों की कुल संख्या
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	505.92	1969.19	1915.71	1562.94	316920
2.	अरूणाचल प्रदेश	2.02	19.34	0.78	0.29	59
3.	असम	152.48	292.34	68.15	67.44	15372
4.	बिहार	604.61	940.37	421.02	571.23	162196
5.	गोवा	2.28	0.78	0.00	0.11	33

1	2	3	4	5	6	7
6.	गुजरात	49.77	104.00	21.04	30.37	1064
7.	हरियाणा	42.70	52.00	29.33	34.54	9596
8.	हिमाचल प्रदेश	25.07	15.60	5.69	8.91	एन.आर.
9.	जम्मू व कश्मीर	19.43	36.40	23.94	14.94	3148
10.	कर्नाटक	160.35	78.00	38.10	141.87	37403
11.	केरल	74.18	156.00	83.08	77.39	17894
12.	मध्य प्रदेश	214.12	1040.00	565.29	389.49	107333
13.	महाराष्ट्र	287.90	312.00	227.31	375.72	104704
14.	मणिपुर	7.49	40.56	0.99	4.18	1393
15.	मेघालय	1.13	39.31	17.43	6.72	1429
16.	मिजोरम	0.64	15.91	7.96	5.98	एन.आर.
17.	नागालैंड	8.45	27.77	3.95	5.96	एन.आर.
18.	उड़ीसा	222.81	780.00	462.80	330.90	92626
19.	पंजाब	12.17	52.00	21.39	11.39	4499
20.	राजस्थान	135.70	312.00	130.48	136.91	एन.आर.

1	2	3	4	5	6	7
21.	सिक्किम	0.00	2.60	0.00	एन.आर.	एन.आर.
22.	तमिलनाडु	197.70	906.36	266.32	55.23	0
23.	त्रिपुरा	18.32	101.40	64.53	16.88	4082
24.	उत्तर प्रदेश	1092.50	1300.00	511.79	312.92	73829
25.	पश्चिम बंगाल	459.89	616.15	166.26	166.13	45825
26.	अ. निको. द्वीप समूह	0.00	1.09	0.00	एन.आर.	एन.आर.
27.	चंडीगढ़	0.00	2.65	0.00	एन.आर.	एन.आर.
28.	दादरा व नगर हवेली	0.81	0.47	0.00	एन.आर.	एन.आर.
29.	दमन व द्वीव	0.11	0.31	0.00	0.06	6
30.	दिल्ली	22.81	36.97	0.00	0.00	एन.आर.
31.	लक्षद्वीप	0.14	0.16	0.00	0.00	एन.आर.
32.	पांडिचेरी	0.25	7.54	7.54	1.42	एन.आर.
	जोड़	4321.75	9259.27	5060.88	4329.92	999411

एन.आर. : सूचित नहीं किया गया।

नवीं योजना हेतु अम्बेडकर विश्वविद्यालय को आवंटन

2115. श्री सुशील कुमार शिंदे: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय को निर्माण और विकास कार्यों हेतु नवीं पंचवर्षीय योजना में उक्त विश्वविद्यालय की मांग से कम आवंटन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय ने अपर्याप्त योजना आवंटन के विरुद्ध अभ्यावेदन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (ग) नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय द्वारा 219.53 करोड़ रु. की मांग की गई थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालय को सिर्फ 18.00 करोड़ रु. की राशि आवंटित की है। विश्वविद्यालय ने इसके विरुद्ध अभ्यावेदन दिया। विश्वविद्यालय की मांग पर विचार किया गया है लेकिन वित्तीय मजबूरियों के कारण विश्वविद्यालय को और अधिक निधियों का आवंटन करना संभव नहीं है।

इफको में नियुक्तियां

2116. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान इफको में श्रेणी-वार कितनी नियुक्तियां की गई;

(ख) इनमें से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों की श्रेणी-वार नियुक्ति की गई; और

(ग) निकट भविष्य में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की बकाया रिक्तियों में से कितनी रिक्तियां भरे जाने की संभावना है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. ए.के. पटेल): (क) से (ग) इफको में गत 3 वर्ष अर्थात जनवरी, 1996 से दिसम्बर 1998 तक की अवधि के दौरान की गई नियुक्तियों में नियुक्त किये गये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की श्रेणीवार संख्या तथा भरी जाने वाली उनकी पिछली बकाया रिक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

श्रेणी	की गई नियुक्तियों की संख्या	नियुक्त किये गये अ.जा./अ.ज.जा. की संख्या		भरा जाने वाला पिछला बकाया	
		अ.जा.	अ.ज.जा.	अनु.जाति	अनु.जनजाति
क	118	19	2	4	4
ख	–	–	–	–	–
ग	190	38	5	3	1
घ	07	1	1	–	–
योग	315	58	8	7	5

नेहरू युवा केन्द्र

2117. श्री अशोक प्रधान:
श्री रामानन्द सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार काम कर रहे नेहरू युवा केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन केन्द्रों में राज्यवार कौन-कौन सी गतिविधियां आयोजित की जाती हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन केन्द्रों पर आज तक राज्यवार कुल कितनी राशि खर्च की गई; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक केन्द्र के लिए राज्यवार कितनी राशि मंजूर की गई है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समिति

2118. श्री चमन लाल गुप्त: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू-कश्मीर में ग्राम रक्षा समितियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक समिति को किस प्रकार के हथियार/गोलाबारूद और कितनी धनराशि दी गई;

(ग) क्या इन समितियों को और अधिक मात्रा में हथियार/गोलाबारूद और संचार प्रणाली देकर और सशक्त बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार मानदेय की राशि को बढ़ाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, जम्मू एवं कश्मीर में, इस समय 1455 ग्राम सुरक्षा समितियां (वी.डी.सी.) स्वीकृत और कार्यरत हैं। राज्य पुलिस, कुछ और ग्राम सुरक्षा समितियां बनाने के लिए स्वयं सेवकों को प्रेरित कर रखी हैं।

(ख) से (ङ) ग्राम सुरक्षा समितियों को .303 राइफलें और गोला-बारूद प्रदान किया जाता है। राज्य पुलिस ने चुनिंदा ग्राम सुरक्षा समितियों को कुछ संचार उपकरण प्रदान करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। ग्राम सुरक्षा समिति को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्य स्वयंसेवक होते हैं, जिन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और हथियारों और गोला-बारूद की आपूर्ति की जाती है। उनके प्रयासों में एस.पी.ओ. द्वारा सहायता की जाती है। प्रत्येक एस.पी.ओ. राज्य सरकार से मानदेय प्राप्त करता है। केन्द्र सरकार फिलहाल, राज्य सरकार को, एस.पी.ओ. की निश्चित संख्या के लिए, प्रतिपूर्ति कर रही है। इस संबंध में प्रतिपूर्ति संबंधी मानदण्ड हाल ही में निर्धारित किए गए हैं।

गुजरात में बेरोजगारी

2119. श्री एम. जे. राठवा: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में, विशेषत: गुजरात में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सन् 2002 तक बेरोजगारी उन्मूलन का लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत अतिरिक्त रोजगार सृजित किए जाने की आवश्यकता है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) नौकरी तलाश करने वालों की संख्या जिनमें से सभी अनिवार्य रूप से बेरोजगार नहीं हैं, तथा जो गुजरात में रोजगार कार्यालय के अद्यतन रजिस्टर में दर्ज है, 31.3.97 की स्थिति के अनुसार 9,27,000 हैं। वर्ष 1997-98 के दौरान, गुजरात में रोजगार कार्यालयों द्वारा किए गए नियोजनों की संख्या 67,700 थी। प्रमुख गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार प्रदान करते हैं, वे हैं-एकीकृत ग्रामीण

विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगारे योजना तथा रोजगार आश्वासन योजना। शहरी क्षेत्रों में, स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई है तथा 1.12.1997 से लागू है। इस योजना में स्वरोजगार उद्यमों की स्थापना अथवा दिहाड़ी रोजगार के प्रावधान को प्रोत्साहित करके शहरी बेरोजगारों अथवा अल्प नियोजित निर्धनों को लाभदायक रोजगार प्रदान करने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना को ग्रामीण तथा शहरी दोनों क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार अवसर प्रदान करने के लिए केन्द्रीय योजना स्कीम के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है। पंडित दीनदयाल संकलित स्वावलम्बन योजना नामक योजना को बेरोजगारों के लिए स्व रोजगार के अवसर सृजित करने के विचार से गुजरात सरकार द्वारा प्रायोजित किया गया है।

नौवीं योजना में पर्याप्त उत्पादक रोजगार सृजित करने तथा गरीबी उन्मूलन को ध्यान में रखकर कृषि तथा ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। अति उत्पादक रोजगार उन क्षेत्रों, उप क्षेत्रों तथा प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देकर स्वयं द्वारा वृद्धि प्रक्रिया द्वारा सृजित किया जाएगा जो बेरोजगार तथा अल्प रोजगार की ऊंची दरों द्वारा बताए गए क्षेत्रों में श्रम सघन हैं।

यह अनुमान लगाया गया है कि यदि वर्ष 2007 तक पूर्ण रोजगार प्राप्त किया जाना है तो रोजगार की वार्षिक वृद्धि 28% हो।

भारतीय चीनी उद्योग का उन्नयन

2120. **श्री एस.एस. ओवेसी:**
श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने भारतीय चीनी उद्योगों के उन्नयन की दृष्टि से चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों में ''मिशन मोड प्रोजेक्ट'' के अंतर्गत अनेक अनुसंधान परियोजनाएं शुरू की हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) महाराष्ट्र में इस प्रयोजन हेतु कितनी मिलों का चयन किया गया है;

(घ) उनके क्या परिणाम रहे और इन प्रौद्योगिकियों की क्या उपलब्धियां रहीं;

(ङ) क्या महाराष्ट्र में उन्नयन हेतु और चीनी मिलें शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) चीनी उत्पादन प्रौद्योगिकियों में मिशन मोड परियोजना के अंतर्गत 15 परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जो निम्नलिखित हैं:

(1) वैक्यूम फिल्ट्रेट्स का पृथक शुद्धिकरण (2) डिकेन्टर सेन्ट्रीफ्यूज (3) केन पृथक्करण प्रणाली (4) एकीकृत शुद्धिकरण नियंत्रण प्रणाली (5) फिल्म टाइप सल्फर बर्नर (6) ब्लैको डारेक्टो प्रक्रिया (7) निम्न दाब निष्कर्षण प्रणाली (8) सॉर्ट रिटेन्शन परिशोधक (9) एन आई आर तकनीक (10) इवैपोरेटर्स में स्केलिंग रोकने के लिए पी टी एच प्रणाली (11) पैन ब्वायलिंग के लिए ऑटोमेशन नियंत्रण (12) ज्यूस ट्रीटमेंट के लिए मेम्ब्रेन का उपयोग (13) मैसेक्यूट फिल्टर (14) डी आर पी प्रक्रिया (15) रासायनिक रूप से परिष्कृत बैगेसे।

(ग) दो परियोजनाओं नामत: ''वैक्यूम फिल्ट्रेटस का पृथक शुद्धिकरण'' तथा ''निम्न दाब निष्कर्षण'' को महाराष्ट्र में क्रमश: अजिंक्यातारा एस एस के लिमिटेड, सतारा तथा श्री विघ्नहार एस एस के लिमिटेड, जुन्नार, पुणे में कार्यान्वित किया गया है।

(घ) (1) वैक्यूम फिल्ट्रेटस के पृथक शुद्धिकरण का परीक्षण अजिंक्यातारा एस एस के लिमिटेड, महाराष्ट्र में किया गया तथा उसे सफल घोषित किया गया। इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप चीनी की क्षति में गिरावट तथा बेहतर रस की क्वालिटी प्राप्त हुई है। यह प्रौद्योगिकी देश के अन्य चीनी कारखानों में पुनर्प्रयोगाधीन है।

(2) निम्न दाब निष्कर्षण प्रणाली का श्री विघ्नहार एस एस के लिमिटेड, जुन्नार, महाराष्ट्र में परीक्षण चल रहा है।

(ङ) जी, हां।

(च) संयंत्र के आधुनिकीकरण एवं क्षमता में वृद्धि के लिए एक कारखाना नामत: पदमश्री डा. विट्ठल राव विखे पाटिल एस एस के लिमिटेड, पत्रा.-प्रवरनगर-413712, तालुका श्रीरामपुर, जि. अहमद नगर, महाराष्ट्र से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

सीमा निगरानी उपकरण

2121. श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीमा सुरक्षा बल ने केन्द्र सरकार से जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में आतंकवादियों के अवैध प्रवेश का पता लगाने हेतु इजराइल निर्मित ''बार्डर सर्विलियेंस'' उपकरण की खरीद किये जाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस उपकरण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है; और

(ग) क्या इन उपकरणों की खरीद नहीं किये जाने का एकमात्र कारण वित्तीय बाधाएं हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

भारतीय हॉकी संघ द्वारा धन की पावती

2122. श्री सदाशिव राव दादोबा मंडलिक: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय के साथ हुए समझौते के अनुसार भारतीय हाकी संघ को दूरदर्शन से भारत में प्रत्येक हाकी मैच के प्रसारण के लिए 5 लाख रुपये प्रति मैच मिल रहा है।

(ख) यदि हां, तो क्या इस भारतीय हाकी संघ ने प्रतियोगिता समिति को प्रसारण हेतु 1.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि देने की भी योजना शुरू की है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना की शुरुआत से आज तक दूरदर्शन से प्रतियोगिता वार और वर्षवार संगृहीत की गयी राशि तथा प्रतियोगिता समिति को उपलब्ध कराई गई राशि का ब्यौरा क्या है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) जी, हां। भारतीय हाकी परिसंघ, ए ग्रेड के टूर्नामेंटों और अंतर्राष्ट्रीय मैचों के लिए दूरदर्शन से 5.00 लाख रुपये की राशि प्राप्त कर रहा है।

(ख) भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा यह सूचना दी गई है कि टूर्नामेंट समिति को भुगतान करने संबंधी योजना को अंतिम रूप दे दिया गया था, परंतु बाद में 12.9.98 से इसे वापिस ले लिया गया था।

(ग) भारतीय हाकी परिसंघ द्वारा दूरदर्शन से प्राप्त धनराशि के वर्षवार ब्यौरे निम्नानुसार है:

1996-97	1,55,00,000 रुपये
1997-98	72,50,000 रुपये
1998-99	69,12,500 रुपये
आज की तारीख तक	2,96,62,500 रुपये

[हिन्दी]

जाली डिग्रियां

2123. श्री शान्तिलाल चपलोत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कुछ लोग जाली डिग्रियां बनाने और जारी करने के धंधे में संलग्न हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जानी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

न्यायिक हिरासत में मौत

2124. श्री के. पैरी मोहन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायिक हिरासत में 79 प्रतिशत मौतें तपेदिक संक्रमण के कारण हुई थीं;

(ख) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सभी जेल बंदियों को अपने निदेशों के अनुपालन में चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "जेल" राज्य का विषय है। न्यायिक हिरासत में मौतों के विशिष्ट कारणों से संबंधित सूचना केन्द्र सरकार द्वारा नहीं रखी जाती।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.) ने राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है कि सभी जेलों के सहवासियों की सावधिक जांच की जाए ताकि यह पता चल सके कि वे संक्रामक रोग से पीड़ित तो नहीं है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जेलों में रह रहे सभी कैदियों की विस्तृत चिकित्सा जाँच की आवश्यकता पर भी जोर दिया है।

बच्चों पर अत्याचार

2125. श्री जनार्दन प्रसाद मिश्र:
श्री मणीभाई रामजी भाई चौधरी:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान बच्चों पर अत्याचार के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार बच्चों पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (घ) यद्यपि सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान बच्चों पर अत्याचार (बाल दुरुपयोग) के प्रभाव-क्षेत्र का निर्धारण करने के लिए राष्ट्रव्यापी मूल्यांकन नहीं किया गया है, तथापि बच्चों पर अत्याचार को रोकने संबंधी प्रावधान विभिन्न अधिनियमों में पहले ही विद्यमान हैं। यह महसूस करते हुए कि वयस्कों के लिए उपलब्ध न्याय प्रणाली बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं है, किशोर न्याय अधिनियम, 1986 में अधिनियमित किया गया जो जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त देश में लागू है। इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के प्रति क्रूरता, बच्चों को भीख मांगने के कार्य में लगाने, किसी बच्चे को नशीला द्रव्य या स्वापक औषधि या मनप्रभावी पदार्थ देने तथा किशोर कर्मचारियों का शोषण करने के लिए सजा व जुर्माने सहित किशोरों से संबंधित अपराधों के लिए एक अलग अध्याय है। सरकार द्वारा बच्चों की देखभाल, संरक्षण, उपचार, विकास और पुनर्वास करने तथा बाल दुरुपयोग को रोकने के लिए सतत् आधार पर प्रयास किये जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को ऋण

2126. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त निगम द्वारा राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले लोगों को दिए गए ऋण पर लगने वाली ब्याज बढ़ा दी गई है और फिलहाल अलग-अलग मामलों में ऋण की धनराशि की मात्रा कम कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में अपराध

2127. श्री ई. अहमद: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में अपराधों में तीव्र वृद्धि का एक कारण दिल्ली पुलिस द्वारा लोगों को अपनी रक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस देने में लगाए गए प्रतिबंध भी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा इन प्रतिबंधों में ढील देने और कम से कम करदाताओं को आसानी से शस्त्र लाइसेंस देने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली में सरकार को रिवाल्वर और पिस्तौल के लाइसेंस के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए और 31 जनवरी, 1999 तक कितने लाइसेंस जारी किए गए हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) आवेदक को आत्मरक्षा के लिए शस्त्रों के लाईसेंस, उनके चरित्र और पूर्ववृत्त तथा दावे की वास्तविकता के सत्यापन के बाद, प्रदान किए जाते है। वर्तमान प्रक्रिया को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत शस्त्र लाईसेंसों की संख्या
1996	1620	537
1997	1850	707
1998	1839	887
1999 (31.1.99 तक)	314	45

पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी प्रशिक्षण

2128. श्री तारिक अनवर:
श्री रामकृष्ण बाबा पाटील:
श्री आदित्यनाथ:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त लोगों को पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पाक युवाओं को भी सिख आतंकवादियों के रूप में कार्य करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) पाकिस्तानी आसूचना एजेंसियों ने पाकिस्तान/पाक अधिकृत कश्मीर में उग्रवादियों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कई प्रशिक्षण कैम्प स्थापित किए हैं।

(ग) और (घ) ऐसे कुछ दृष्टांत ध्यान में आए हैं।

(ङ) सरकार ने लगातार यह मांग की है कि पाकिस्तान को वहां पर आतंकवादियों के प्रशिक्षण के लिए मौजूदा आधारभूत ढांचे को विघटित करना चाहिए, आतंकवादी शिविरों को बन्द करना चाहिए और ऐसे आतंकवादियों और कानून से भगौड़ों को सौंपना चाहिए जिन्हें पाकिस्तान में आश्रय दिया गया है।

सरकार ने भारत के विरुद्ध आतंकवाद को उकसाने और प्रायोजन में पाकिस्तान की सक्रिय संलिप्तता की तरफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान भी आकर्षित किया है। सरकार आई.एस.आई. की गतिविधियों से परिचित है और स्थिति पर निकट से और लगातार नजर रख रही है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि ऐसे इरादों को सफल न होने दिया जाए, आतंकवादियों विघटनकारी तत्वों के विरुद्ध लगातार अभियानों सहित सभी आवश्यक उपाय कर रही है।

संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत खेल

2129. श्री तथागत सत्पथी:
श्री टी. गोविन्दन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खेल को संविधान की समवर्ती सूची में लाने का कोई प्रस्ताव लम्बे समय से सरकार के पास लंबित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) इस पर राज्य सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी धनराशि आबंटित की है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

युवा कार्य और खेल विभाग तथा महिला और बाल विकास विभाग की राज्य मंत्री (कुमारी उमा भारती): (क) और (ख) जी, हां। "खेल" विषय को राज्य सूची से संविधान की समवर्ती सूची में लाने से संबंधित मामला वर्ष 1988 से विचाराधीन है। खेलों को समवर्ती सूची के अंतर्गत लाने की प्रक्रिया चल रही है और इस विषय पर चर्चा करने के लिए माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा एक सर्वदलीय बैठक शीघ्र ही बुलाई जाएगी।

(ग) आज की तारीख तक, जबकि 16 राज्यों अर्थात् अरूणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैण्ड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति दे दी है, 10 राज्य सरकारों नामत: आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने इस प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति नहीं दी है।

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्रमश: संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ङ) सरकार यह मामला उन राज्य सरकारों के साथ उठा रही है जिन्होंने "खेल" विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने संबंधी प्रस्ताव के बारे में अपनी सहमति नहीं दी है। इस विषय पर एक सर्वदलीय बैठक शीघ्र ही बुलाए जाने की संभावना है।

विवरण I

पिछले तीन वर्षों के दौरान खेलों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटित की गयी धनराशि

वर्ष	(रकम करोड़ रुपये में)
1995-96	64.13
1996-97	80.79
1997-98	81.64

विवरण II

वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान जारी किए गए अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(सभी रकमें रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1995-96	1996-97	1997-98
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	12,50,000	21,50,000	45,00,000
2.	अरूणाचल प्रदेश	20,65,000	शून्य	शून्य
3.	असम	46,20,000	8,00,000	33,00,000

1	2	3	4	5
4.	बिहार	25,92,400	शून्य	शून्य
5.	गोवा	शून्य	शून्य	शून्य
6.	गुजरात	5,17,242	2,16,613	7,12,000
7.	हरियाणा	38,88,000	98,33,400	51,94,500
8.	हिमाचल प्रदेश	1,86,000	89,10,400	95,05,275
9.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	शून्य	38,90,000
10.	कर्नाटक	64,34,300	837,94,558	73,24,850
11.	केरल	6,00,100	31,26,132	40,99,170
12.	मध्य प्रदेश	70,00,000	शून्य	21,60,000
13.	महाराष्ट्र	1,17,90,500	18,00,000	15,80,000
14.	मणिपुर	शून्य	43,50,000	10,00,000
15.	मेघालय	शून्य	शून्य	शून्य
16.	मिजोरम	1,07,74,500	86,19,600	शून्य
17.	नागालैण्ड	25,00,000	शून्य	30,00,000

1	2	3	4	5
18.	उड़ीसा	4,95,000	90,00,000	शून्य
19.	पंजाब	शून्य	2,50,000	शून्य
20.	राजस्थान	8,25,000	13,30,000	8,21,200
21.	सिक्किम	शून्य	9,68,454	8,10,000
22.	तमिलनाडु	3,32,925	35,15,575	25,52,400
23.	त्रिपुरा	शून्य	14,50,000	123,67,500
24.	उत्तर प्रदेश	54,39,488	8,00,000	21,50,000
25.	पश्चिम बंगाल	5,86,490	35,00,000	शून्य
संघ शासित				
1.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	शून्य	शून्य	शून्य
2.	चण्डीगढ़	1,75,500	1,75,500	17,50,000
3.	दादर व नगर हवेली	शून्य	शून्य	शून्य

[हिन्दी]

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

2130. श्री गौरी शंकर चतुर्भुज बिसेन: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के लिए लक्ष्य निर्धारण हेतु क्या मानदंड हैं;

(ख) क्या केन्द्र सरकार निर्धारित समय सीमा में मृत्युदर के वास्तविक आंकड़ों के आधार पर राज्यों को सहायता प्रदान करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या जिला पंचायतों को उनकी मांग के अनुसार राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु निधियों का आबंटन किया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु जिला-वार कितनी राशि मांगी गई तथा आबंटित की गई?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ङ) राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

केरल को मध्याह्न भोजन के लिए आवंटित चावल

2131. श्री सुरेश कुरूप: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के दौरान दोपहर के भोजन के लिए केरल को आवंटित चावल की मात्रा वर्ष 1997-98 के दौरान आवंटित मात्रा से कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्राथमिक विद्यालयों के पात्र बच्चों के नामांकन संबंधी आंकड़ों के आधार पर खाद्यान्नों का आवंटन किया जाता है। केरल राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1998-99 में केरल में प्राथमिक विद्यालयों के पात्र बच्चों की संख्या पिछले वर्ष से कम है।

अवैध साप्ताहिक बाजार

2132. श्री जंगबहादुर सिंह पटेल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से विदित है कि दिल्ली में अनधिकृत/अवैध साप्ताहिक बाजारों के लगने तथा सड़कों पर शादी के तम्बू लगाने के कारण यातायात का निर्बाध आवागमन बाधित होता है जिससे दिल्ली वासियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो 1998-99 के दौरान तथा आज तक दिल्ली में उक्त अवैध साप्ताहिक बाजारों/शादी के तम्बू लगाने के कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ग) मामले में पुलिस तथा निगम के अधिकारियों की निष्क्रियता के क्या कारण हैं; और

(घ) ड्यूटी में ढील बरतने के लिए जिम्मेदार पुलिस/निगम कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या सख्त कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हाँ, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली नगर निगम और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद से प्राप्त सूचना के अनुसार, दिसम्बर 1998 की स्थिति के अनुसार, उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 67 अवैध साप्ताहिक बाजार चल रहे थे। शादी के अवैध टेन्टों के बारे में सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) इस प्रकार के अतिक्रमण को हटाने और इस प्रकार के विक्रेताओं के वस्तुओं/सामान को जब्त करने के लिए, निगम प्राधिकारी, पुलिस की सहायता से नियमित रूप से कार्रवाई करते हैं।

भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति

2133. श्री पी. शंकरन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति तथा केन्द्र में उनकी कार्यावधि की सीमा हेतु कोई मानदण्ड तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इन दिशानिर्देशों की उपेक्षा कर रही है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार प्रतिनियुक्ति की अवधि की समाप्ति के बाद भारतीय पुलिस सेवा के उन अधिकारियों को वापस भेजती है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) और (ख) भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति "कार्यकाल नीति" द्वारा शासित की जाती है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कार्यकाल की अवधि इस प्रकार है:

पुलिस अधीक्षक स्तर	4 वर्ष
उप महानिरीक्षक स्तर	5 वर्ष
हानिरीक्षक स्तर	5 वर्ष

यदि कोई भा.पु. सेवा अधिकारी, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर उपमहानिरीक्षक के रूप में पहले ही कार्य कर रहा है और उसकी पदोन्नति महानिरीक्षक के पद पर हो जाती है तो उप महानिरीक्षक एवम् महानिरीक्षक दोनों का कार्यकाल मिलाकर 5 वर्ष से कम नहीं होगा लेकिन उनका कार्यकाल इस से प्रकार से बढाया जाएगा कि अधिकारी को महानिरीक्षक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्यकाल मिल जाये। आसूचना ब्यूरो, केन्द्रीय जांच ब्यूरो और आर. एण्ड ए. डब्ल्यू. जैसे संवेदनशील संगठनों में कार्य कर रहे भा.पु. सेवा अधिकारियों को, संगठनों की विशेष अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घावधि के कार्यकाल की अनुमति दी जाती है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान। तथापि, संबंधित संगठनों के हित में, यदि आवश्यक होता है तो, छूट दी जाती है।

(घ) और (ङ) भा.पु. सेवा अधिकारियों को अपनी प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा कर लेने के बाद अपने मूल संवर्ग में वापस जाना पड़ता है।

[हिन्दी]

स्मारकों का संरक्षण

2134. श्री भगवान शंकर रावत: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश, विशेषरूप से लखनऊ और आगरा में स्थित स्मारकों के संरक्षण के लिए कोई कदम उठाए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष इन स्मारकों पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) और (ख) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन उत्तर प्रदेश में 785 केन्द्रीय संरक्षित स्मारक हैं, जिनमें आगरा तथा लखनऊ मंडलों के क्रमश: 323 और 362 स्मारक सम्मिलित हैं।

(ग) आगरा तथा लखनऊ मंडलों सहित उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान स्मारकों पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया गया कुल व्यय इस प्रकार है:

1995-96	148,70,964 रुपए
1996-97	1,70,18,058 रुपए
1997-98	2,83,57,890 रुपए

[अनुवाद]

गोआ में परियोजनाएं

2135. श्री फ्रांसिस्को सारदीना:
श्री वासवराज पाटील सेडाम:
श्री राजो सिंह:

क्या **ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोआ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने हेतु कौन-कौन सी परियोजनाएं आरम्भ की गई हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत कितने लोगों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इन परियोजनाओं को कितनी सहायता प्रदान की गई?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करता है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले

परिवारों को स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करना है। लक्षित समूह में अ.जा./अ.ज.जा. को भी शामिल किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष	सहायता प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या	अ.जा.	अ.ज.जा.
1995-96	1486	18	-
1996-97	1982	6	-
1997-98	897	11	-

(ग) वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गोआ राज्य में क्रमश: 50.97 लाख रु., 49.03 लाख रुपये और 53.97 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्ति

2136. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्यवार कुल कितने व्यक्ति बेरोजगार हैं;

(ख) इनमें से कृषि मजदूरों की संख्या क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) और (ख) रोजगार तथा बेरोजगारी के संबंध में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें दौर के सर्वेक्षण (1993-94) से प्राप्त अद्यतन अनुमानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। औद्योगिक क्षेत्र द्वारा बेरोजगारों की संख्या का निर्धारण नहीं किया जाता है।

(ग) उत्पादक स्वरूप के पर्याप्त रोजगार के सृजन तथा गरीबी उन्मूलन की दृष्टि से नौवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देने की परिकल्पना की गई है। ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय ने जवाहर रोजगार योजना, सुनिश्चित रोजगार योजना, दस लाख कुओं की योजना, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण महिला एवं बाल विकास (डवाकरा) तथा ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी अनेक योजनाएं बनाई हैं, जो राज्य सरकारों द्वारा बेरोजगारी उन्मूलन के लिए देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यान्वित की जाती हैं।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

राज्य	बेरोजगार लोगों की संख्या (हजार में)
1	2
1. आंध्र प्रदेश	196
2. अरूणाचल प्रदेश	4
3. असम	502
4. बिहार	511
5. गोआ	33
6. गुजरात	134
7. हरियाणा	97
8. हिमाचल प्रदेश	110
9. जम्मू व कश्मीर	27

1		2
10.	कर्नाटक	157
11.	केरल	747
12.	मध्य प्रदेश	132
13.	महाराष्ट्र	287
14.	मणिपुर	8
15.	मेघालय	2
16.	मिजोरम	2
17.	नागालैंड	5
18.	उड़ीसा	260
19.	पंजाब	82
20.	राजस्थान	48
21.	सिक्किम	2
22.	तमिलनाडु	405
23.	त्रिपुरा	22
24.	उत्तर प्रदेश	410
25.	पश्चिम बंगाल	517
	अखिल भारत	4712

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के 50वें दौर के सर्वेक्षण (1993-94) के आधार पर यूजुअल, प्रिंसिपल स्टेटस आधार।

[अनुवाद]

गुजरात में ऐतिहासिक स्मारक

2137. श्री दिलीप संघाणी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात के उन ऐतिहासिक स्मारकों, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय विरासत स्थल के रूप में पहचान की गयी है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उनमें से कुछ उपेक्षित दशा में हैं और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उन्हें आवश्यक संरक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हाँ, तो ऐसे स्मारकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने गुजरात में ऐसी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) गुजरात में स्थित स्मारक, जिन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है, विवरण में दिए गए हैं। गुजरात में यूनेस्को द्वारा विश्वदाय स्थल के रूप में अभिनिर्धारित कोई स्थल नहीं है।

(ख) से (घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधीन राष्ट्रीय स्तर पर संरक्षित स्मारक संरक्षण की दृष्टि से उपेक्षित नहीं है और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप उनका रखरखाव एवं संरक्षण किया जाता है।

विवरण

गुजरात राज्य

अहमदाबाद जिला

1.	तीन द्वार	–	भद्रकाली मंदिर के किनारे
2.	भद्रा मीनार	–	वही
3.	सीदी सैयद की मस्जिद	–	सरदार बारा के सामने
4.	अहमद शाह की मस्जिद	–	सिविल कोर्ट के सामने स्थित लाल दरवाजा
5.	तीन दरवाजा अथवा त्रिपोलिया गेट	–	करंज पुलिस थाना के सामने, भद्रा
6.	शाह खुब सैयद मस्जिद	–	करायन खास बाजार
7.	जामी मस्जिद	–	ना मानक चौक
8.	अहमद शाह की पत्नी की कब्र	–	वही
9.	अहमद शाह का मकबरा	–	वही
10.	पंचकुआ गेट	–	खादिया
11.	रानी (मलिका सारंग) का मकबरा	–	सारंगपुर खादिया चार रास्ता
12.	मकबरा	–	सारंगपुर खादिया चार रास्ता नूर की मस्जिद
13.	ईंटों की मीनार	–	अहमदाबाद रेलवे स्टेशन
14.	सीदी बशीर की मीनारें एवं कब्रें (शाकिंरा)	–	सारंगपुर दरवाजा के सामने
15.	दिल्ली गेट	–	दिल्ली चाकला
16.	कुतुबदीन शाह की मस्जिद	–	वही
17.	दादा हरीर की मस्जिद एवं मकबरा	–	अस ..
18.	दादा (बाई) हरीर का सीढ़ीदार कुआ	–	वही

19.	कालूपुर गेट	–	पुराने रेलवे स्टेशन के निकट
20.	सारंगपुर गेट	–	सारंगपुर
21.	दरियापुर गेट	–	दरियापुर
22.	प्रेमाभाई गेट	–	वादीराम के समीप
23.	माता भवानी का कुआ	–	असर्वा
24.	अच्चुत (कूका) बीबी की मस्जिद एवं मकबरा	–	दूधेश्वर
25.	दरियाखान का मकबरा	–	दूधेश्वर के पीछे
26.	मुहाफिज खान की मस्जिद	–	पीतलिया बंबा घी कान्ता
27.	रानी रूपवती की मस्जिद	–	मीरजापुर
28.	काजी मुहम्मद चिश्ती की मस्जिद (शेख हसन)	–	शाहपुर
29.	सैयद उस्माक की मस्जिद एवं मकबरा	–	उस्मानपुरा
30.	शाह आलम का मकबरा, समस्त प्राचीन भवनों सहित	–	शाह आलम दरवाजा
31.	छोटी प्रस्तर मस्जिद	–	पालदी कोचाराब
32.	आजम खान तथा मुअज्जम खान का रोजा	–	बसना आन सरखेज
33.	दस्तूर खान की मस्जिद	–	असतोदिया चाकला
34.	रानी सप सीपरी की मस्जिद एवं मकबरा	–	असतोदिया दरवाजा
35.	असतोदिया गेट	–	असतोदिया
36.	मलिक आलम की मस्जिद	–	टोला चाका दामी लिमदा
37.	रायपुर गेट	–	रायपुर
38.	हैवतखान की मस्जिद	–	कंकरिया

39.	बीबी जी की मस्जिद	–	राजपुर/हीरापुर
40.	हैबतखान की मस्जिद	–	जमालपुर गेट
41.	बाबा लौली की मस्जिद	–	बहरामपुर सप्तऋषि आश्रम
42.	सर्वेक्षण सं. 6814 में स्थित नवाब सफदरखान की मस्जिद एवं गेटवे	–	जमालपुर पराथिया
43.	सर्वेक्षण सं. 6811 में स्थित नवाब सफदरखान का रोजा एवं इसका अहाता	–	जमालपुर गेट
44.	मीर अबू तुरब का मकबरा	–	कैलिको मिल, जमालपुर के पीछे
45.	जेठाभाई का सीढ़ीदार कुआ	–	आन वाटवा जीआईडीसीआरडी
46.	छोटी प्रस्टर मस्जिद (गुमटी मस्जिद)	–	वही
47.	मकबरे (कुतुब-ई आलम)	–	गांव में
48.	बड़ी मस्जिद	–	सांताराम के निकट
49.	बड़ा हौज, महल एवं हरम	–	वही
50.	सरागार	–	गंज बक्श के मकबरे के सामने
51.	बाबा अलीसैग तथा बाबा गंज बक्श का रोजा	–	वही
52.	बीबी (रानी) राजबार्ग का मकबरा	–	वही
53.	महमूद बेगराह का मकबरा	–	वही
54.	शेख अहमद खटायू गंज बक्श का मकबरा	–	वही
55.	जामी मस्जिद	–	ढ़ोलका के बीच
56.	मालवा हौज	–	स्टेशन के निकट
57.	खान मस्जिद	–	वही
58.	बहलोल खान गाजी की मस्जिद	–	साधना सिनेमा के निकट
59.	ध्वस्त भवन	–	खान हौज के समीप

60.	राघुशा पीर की मस्जिद	–	3 कि.मी. फाउडलेंक चुकू, धाधूका रा
61.	जामी मस्जिद	–	पुनः बसे गांव में
62.	गाजी मस्जिद	–	वही
63.	सैयद मस्जिद	–	वही
64.	मंसर तालाब एवं वेदिकाएं	–	सिटी गेट के समीप
		अमरेली जिला	
65.	प्राचीन स्थल गोहिकवाड़ टीला	–	रेगील्लावे के बाहर स्थित ओल्ड बेड रिवर
66.	काशी विश्वनाथ मंदिर की दीवाल वर्णित प्रेस्को	-	डैम नरार गांव होते हुए अमरेली धारी रोड
67.	प्राचीन स्थल		मोटा ककड़िया गांव के निकट
68.	राँछोड़ रायाजी मंदिर, महादेव मंदिर के चौक के आसपास की बेकार भूमि सहित	–	5 कि.मी. समुद्री किनारे पर
		भावनगर जिला	
69.	प्राचीन स्थल	–	बृहमा कुंड से आधा मील पर स्थित
70.	दरबारगढ़	–	कस्बा में
71.	प्राचीन स्थल	–	उ. पश्चिम से आधा कि.मी. दूर
72.	जैन मंदिर	–	भावनगर-तलाजा रोड
73.	तथाजा गुफाएं	–	वही
		भड़ौच जिला	
74.	जामी मस्जिद	–	पर्सीबाद
		पंचमहल जिला	
75.	सिकन्दर शाह का मकबरा	–	एस.टी. डिपो के समीप
76.	एक्स-मीनार-की मस्जिद	–	खुंद पीर के समीप

77.	पाँच-महूदा-की-मस्जिद	–	पावागढ़ को जाने का रास्ता
78.	मकबरा	–	पांच महूदा की मस्जिद के समीप
79.	होलीकल सीढ़ीदार कुआ (निकटवर्ती रोड के वे मार्ग 10 के आस-पास 50 जगह सहित)	–	पावाराढ़ बस स्टैण्ड के पीछे
80.	साकर खान की दरगाह	–	सिटी गेट के समीप
81.	सिटी गेट	–	कासिब तालाब के समीप
82.	किला दीवालें	–	घिरा हुआ गांव
83.	पहाड़ी की ओर जाने वाले किला किला के दक्षिण पूर्व किनारे पर स्थित शहर की दीवालें	–	राज्य परिवहन स्टैण्ड के पीछे
84.	पूर्व एवं दक्षिण भद्रा द्वार	–	खानों की ओर
85.	सहर-की-मस्जिद (बोहरानी)	–	हलोल गेट के अन्दर
86.	तीन कोठरियां	–	साहब-की-मस्जिद के निकट स्थित किला छीवालों के भीतर
87.	मांडवी अथवा कस्टम हाउस	–	उप कार्यालय के निकट
88.	जामी मस्जिद	–	गोधरा गेट के बाहर
89.	सीढ़ीदार कुआ	–	जामी मस्जिद के उत्तर में
90.	केवड़ा मस्जिद	–	दिल्ली गेट के बाहर
91.	छोटे कोनों वाले गुंबजों के बीच में स्थित ईंटों वाला गुंबज	–	बड़ा तालाब के समीप
92.	केवड़ा मस्जिद का स्मारक	–	केवड़ा मस्जिद के समीप
93.	नगीना मस्जिद	–	केवड़ा मस्जिद के पीछे
94.	नगीना मस्जिद का स्मारक	–	नगीना मस्जिद के समीप
95.	लीला गुंबज	–	पावाशध रेलवे स्टेशन के निकट
96.	कबूतरखाना पैविलियन	–	बड़ा तालाब का उत्तरी किनारा

97.	कमानी मस्जिद	–	पावाराध रेलवे स्टेशन के समीप
98.	बाबा मान की मस्जिद	–	पहाड़ी पर
99.	गेट सं. 1 आटक गेट (दो द्वार वाला)	–	वही
100.	गेट सं. 2, बुथिया गेट (तीन द्वार वाला)	–	वही
101.	गेट सं. 3, मोती गेट सदनशाह गेट	–	वही
102.	गेट सं. 4, के भीतर स्थित कोठरियों वाली बड़ी बस्तियां	–	गेट सं. 4 एवं 5 के बीच स्थित माची के समीप
103.	बस्तियों के दाहिनी ओर स्थित सीढ़ीदार सात मंजिल	–	गेट सं. 4 एवं 5 के बीच स्थित माची के समीप
104.	गेट सं. 4 के ऊपर स्थित मिन्र		प्वाइंट के निकट
105.	गेट सं. 5, गूलन, सूलन गेट	–	माची के समीप
106.	गेट सं. 6, बुलंद दरवाजा	–	मकाई कोठार के निकट
107.	मकाई खोटार	–	गेट सं. 6 के समीप
108.	हौजों वाला पटाई रावल का महल	–	मकाई कोठार के पूर्व में
109.	गेट सं. 7 मकाई गेट	–	लौह पथ के समीप
110	गेट सं. 7, तरापोर गेट	–	जैन मंदिर के निकट
111	पावाराध का किला एवं पहाड़ी पर स्थित ध्वस्त हिन्दू मंदिर एवं जैन मंदि	–	तारापोर गेट के निकट
112	नौलखा कोठार	–	गेट सं. 9 के पश्चिम में
113	शिखर पर स्थित किले की दीवालें	–	वही
114.	रुद्र महालया मंदिर	–	तालाब के समीप
115.	कंकेश्वर महादेव मंदिर	–	गांव के बीच में
116.	मूर्तियां युक्त परदों वाला रत्नेश्वर का पुराना मंदिर	–	नहर के समीप
117.	महादेव का पुराना ध्वस्त मंदिर		बावका

गाँधी नगर जिला

118.	दादाबाई का सीढ़ीदार कुआ	–	पुलिस चौकी के सामने स्थित गांव के प्रदेश के समीप स्थित ए बाद-कलोल रोड

जामनगर जिला

119.	दुर्वासा ऋषि का आश्रम एवं इसका स्थान	–	गांव से 1/2 कि.मी.
120.	कालिका माता मंदिर	–	गांव में
121.	गोकेश्वर महादेव मंदिर	–	वही
122.	(गढ़ी किला) तथा मांदर, सर्वेक्षण सं. 106	–	द्वारका के पूर्व में
123.	राम मंदिर	–	समुद्र के किनारे
24	सर्वेक्षण सं. 1607, 1608 एवं 1609 में स्थित द्वारकाधीश मंदिर समूह एवं इसका बाहरी अहाता	–	कस्बा में
125.	क्षत्रप अभिलेख	–	उपकार्यालय अहाते में
126.	रुकमणी मंदिर	–	रुपेन पार्ट रोड
127.	धारापून वेल मंदिर	–	गांव से बाहर 1 कि.मी.
128.	गुवादिव्य मंदिर सर्वे सं. 655	–	द्वारका
129.	जूना गढ़ (जैन) मंदिर	–	गांव में द्वारका बसाई रोड
130.	कंकेश्वर महादेव मंदिर	–	वही
131.	गोप (सूर्य) मंदिर	–	गांव जिमनावली होते हुए जामनगर, पोरबंदर जोधपुर रोड

जूनागढ़ जिला

132.	अशोक शिला (अभिलेख)	–	गिरनार तलेटी को जाने वाले रोड के पूर्व में 2 कि.मी.
133.	बौद्ध गुफा	–	ऊपर कोटा के भीतर

134.	बाबा प्यारे, खप्रा कोड़िया गुफाएं	–	वही
135.	प्राचीन टीला	–	पहाड़ी के पूर्व में
136.	महात्मा गांधी का जन्म महल मकान	–	राजकोट पोरबंदर रोड एन.एच. सं. 8
137.	जामी मस्जिद	–	कस्बा से बाहर
138.	बीबी मस्जिद	–	वही
139.	रावेली मस्जिद	–	कस्बा के अन्दर
140.	पुराना पापूर्वनाथ मंदिर	–	पोरबंदर वेरावल रोड
		खेड़ा जिला	
141.	सीढ़ीदार कुआ	–	बढ़ौदरा बरसाड़ रोड
142.	बीठलभाई हवेली	–	कस्बा में, नोडिआड, पेटलैड रोड
143.	जामी मस्जिद	–	बसाड़ होकर बढ़ौदरा खम्भात रोड
144.	भमराइया कुआ	–	रोड के भीतर की ओर रेलवे स्टेशन के निकट
145.	गल्तेस्वर का मंदिर	–	डकोर के निकट
146.	सैफुद्दीन एवं निजामुद्दीन का मकबरा	–	वटराक नदी के समीप स्थित गांव के बाहर
147.	मुबारक सैयद का मकबरा	–	जी.ई.बी. कार्यालय
		कच्छ जिला	
148.	सिच नखा छतरी	–	हमीरसार तालाब के समीप
149.	शिव मंदिर	–	शिनाय के किनारे
150.	उत्खनित स्थल	–	मूलसुरकोटड़ा
		मेहसाना जिला	
151.	चीन सरोवर का गेटवे	–	मौधेरा होकर जाने वाला जकात नाका में
152.	रानी वाण	–	पुराना कालिका मंदिर
153.	सहस्रलिंग तालाब (उत्खनित)	–	सामलपति पुराना कालिका मंदिर

154.	शेख फरीद का मकबरा	–	सहस्रलिंग तालाब के उत्तर में
155.	जामा मस्जिद	–	शहर में सरस्वती नदी के किनारे
156.	रुद्र महालया मंदिर के खंडहर	–	वही
157.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	–	ग्राम हौज के निकट पाटन ऊंजा रोड
158.	सिवानी माता मंदिर	–	वही
159.	नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर	–	पाटन ऊंजा मेहसाना रोड
160.	संवेरी माता मंदिर	–	पाटन होकर जाने वाला सानक रोड मेहर
161.	मलाई माता मंदिर	–	मनीदार होकर जाने वाला मेहसान उमा
162.	सीतलामाता मंदिर	–	मेहसाना बिजनगर रोड
163.	सूर्य प्रतिमा वाला तोरण	–	मेहसान तोरण रेलवे स्टेशन, मेहसाना
164.	हिंगलाज माता मंदिर	–	ऊंजा बिजनगर रोड
165.	रामा मंडप (दो वेदिकाएं)	–	हौज पर
166.	लिम्बाजो माता मंदिर	–	कनास्मा हरीज रोड, गांव में
167.	जसमाल मठ महादेव मंदिर	–	बिजनगर कुकरवाडा रोड, गांव में
168.	अजापक कुंड	–	विशा नगर खेरालू मार्ग
169.	अभिलेख एवं अर्जुन बारी गेट	–	बिश नगर-खेरालू रोड
170.	तोरण	–	वही
	कुंड	–	बिजनगर-बीजापुर रोड
172.	मंदिरों एवं टूटी हुई मूर्तियों से लगा हुआ सूर्य मंदिर, सूआया कुंड	–	कनास्मा-बचूचराजी रोड
		राजकोट जिला	
172	गुफाएं	–	अपलेटा-जाम जोधपुर रोड, धानकपुर गांव के निकट स्थित खर्चिया स्टाप से तीन कि.मी.

		साबरकंथा जिला	
173.	सिकन्दरशाह का मकबरा	–	बाजार में
174.	मंदिर समूह एवं खेड रोड	–	हिमात नगर-खेड़ चाँदनी रोड, गांव रायतसुधपुरा
		सूरत जिला	
175.	ख्वाजा दामा साहिब के रोजे के नाम से प्रसिद्ध दरगाह	–	बड़ेखाना चाकला
176.	पुराने अंग्रेजी मकबरे	–	आदमवीदी
177.	ख्वाजा सफर सुलेमानी का मकबरा	–	मुल्लावाद चाकला बाजार
178.	पुरानी डच तथा अमरीकन कब्रें एवं कब्रिस्तान	–	गार्डन मिल के पीछे
179.	सर्वेक्षण प्लाट सं. 535 का प्राचीन स्थल	–	गांव के बाहर रासी नदी पर
180.	फतेह बुर्ज	–	हौज पर स्थित नांकुवाड़ा
		सुरेन्द्रनगर जिल	
181.	रानक देवी मंदिर	–	भोगारो नदी के दक्षिणी किनारे पर
182.	प्राचीन टीला	–	धाँधूका-लिमदी रोड
183.	सूर्य मंदिर	–	चोटिला थान रोड
184.	वाव लखा मंदिर	–	चोटिला सयाला
185.	प्राचीन स्थल (गणेश मंदिर)	–	वही
186.	दरवारगढ़	–	धानाराधा हलवाड रोड
187.	अनंतेश्वर मंदिर	–	बाजार में
		बड़ौदरा जिला	
188.	भाऊ धरबेकर के वाडा	–	रामपुर रोड
189.	ऐतिहासिक स्थल	–	विश्वामित्री रोड पर स्थित अकोटा
190.	हजीरा अथवा कुतुबुद्दीन महमूद खान का मकबरा	–	माकरपुरा रोड

191.	प्राचीन स्थल (उत्खनित)		रेलवे स्टेशन के निकट
192.	तोरण का गेटवे	–	बाजार में
193.	सांध्यपुरा का प्राचीन स्थल	–	कोराज, बड़ोदरा
194.	बड़ौदरा गेट एवं इसके साथ के भवन	–	हीरा भागोल
95	सर्वेक्षण सं. 38, 41, 45, 47 का हीरा गेट एवं सं. 102 एवं 103 का टिक्का	–	बड़ौदरा भागोल
196.	महूदी (चरपानेरी) गेट एवं इसका भवन	–	नंदोदी भागोल
197.	नदोदी गेट एवं इससे लगा भवन	–	वही
198.	सप्तमुखी वाव	–	हौज के दक्षिण में
199.	नवपाषाण कालीन स्थल, सर्वे. सं. 311, 12, 13 एवं 298	–	अमरपुरा

[हिन्दी]

जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद

2138. श्री राम इकबाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवादी संगठनों के कारण स्थिति बिगड़ गई है;

(ख) यदि हां, तो कश्मीर में आतंकवादी कार्यों में लिप्त आतंकवादी संगठनों के नाम क्या हैं;

(ग) मार्च, 1998 से जनवरी, 1999 के बीच सरकार ने इन संगठनों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(घ) इस अवधि के दौरान इन संगठनों के कितने लोगों को हिरासत से लिया गया है और कितने हथियार जब्त किए गए; और

(ङ) क्या सरकार इन हथियारों को सेना को सौंपने पर विचार कर रही है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) उग्रवादियों द्वारा जम्मू और कश्मीर में हिंसा बढ़ाने के भरसक प्रयासों के बावजूद कानून और व्यवस्था की स्थिति नियंत्रण में है।

(ख) जम्मू और कश्मीर में निम्नलिखित प्रमुख आतंकवादी संगठन सक्रिय हैं:

1) हिज्ब-उल-मुजाहिद्दीन
(2) हरकत-उल-मुजाहिद्दीन
(3) लस्कर-ए-तोएबा
(4) जम्मू एवं कश्मीर लिबरेशन फ्रंट
(5) अल-बुर्क
(6) तेहरीक-उल-मुजाहिद्दीन
(7) अल-जेहाद
(8) अल-उमर-मुजाहिद्दीन
(9) हिजबुल्लाह
(10) दुखत्रान-ए-मिलात

(ग) उग्रवादियों और उग्रवादी गुटों की योजनाओं/गतिविधियों के बारे में सरकार को प्राप्त आसूचना का राज्य सरकार और सुरक्षा बल के साथ आदान-प्रदान किया जाता है ताकि उग्रवादियों के इरादों को निष्फल करने में उनकी सहायता की जा सके। मार्च, 1998 से जनवरी, 1999 की अवधि के दौरान, 938 उग्रवादी मारे गए।

(घ) मार्च, 1998 से जनवरी, 1999 तक की अवधि के दौरान, मूल कानूनों के अंतर्गत 453 संदिग्ध व्यक्तियों/उग्रवादियों को गिरफ्तार किया गया। इस अवधि के दौरान जम्मू और कश्मीर में बड़ी मात्रा में मिले जुले शस्त्रों, गोला-बारूद, उपकरणों इत्यादि सहित 1392 ए.के. श्रेणी की राइफलें, 474 पिस्तौल/रिवाल्वर, 60 यू.एम.जी., 2 एल.एम.जी., 24 स्नीफर राइफलें, 3 एस.एल. आर. 8 (.303) राइफलें, 14 12-बोर गन, 87 आर.पी.जी. और 116 राकेट लाऊन्चर बरामद किये गए।

(ङ) जब्त किए गए/पकड़े गए हथियारों का निपटान कानून के अनुसार किया जाता है।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यकों/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम

2139. श्रीमती कमल रानी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित कल्याणकारी-कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देने के लिए जुलाई, 1996 में राज्य सरकारों को कतिपय निदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के उक्त निदेशों पर अमल करना आरंभ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में कल्याण संबंधी राज्य सरकारों के कार्य की समीक्षा की है या करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (च) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा समाज के अन्य अलाभान्वित तथा संवेदनशील वर्गों के कल्याण तथा विकास के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों तथा अल्पसंख्यकों के लिए उपलब्ध संवैधानिक तथा अन्य कानून रक्षोपाय लागू किये जाते हैं। केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों के अलावा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय केन्द्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से लक्षित समूहों के शैक्षिक, आर्थिक तथा सामाजिक उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित कर रहा है तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा मंत्रालय की वर्ष 1997-98 की वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध है, जिसकी प्रति संसद पुस्तकालय में उपलब्ध है।

योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से आवधिक रिपोर्टें प्राप्त करने के अलावा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं और जहां वास्तविक और वित्तीय दोनों प्रकार की कमियां दिखायी देती हैं उन्हें सुधार के लिए प्रकाश में लाया जाता है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए अपना सहयोग दिया जाता रहा है कि लक्षित समूहों के कल्याण और विकास संबंधी योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित किया जाता है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय वित्तीय निगम द्वारा वित्तीय सहायता

2140. श्री प्रकाश यशवन्त अम्बेडकर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1997-98 और 1998-99 के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को राष्ट्रीय वित्तीय निगम द्वारा दी गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) महाराष्ट्र को यह वित्तीय सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) राज्य-वार ब्यौरे विवरण-I (1997-98) तथा विवरण II (1998-99 जनवरी, 1999 तक) में दिए गए हैं।

(ख) महाराष्ट्र राज्य को सहायता भी प्रदान की गई है जैसा कि विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण I

14.97 से 31.3.98 तक राज्य-वार स्वीकृति एवं संवितरण के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कोड	राज्य	योजनाओं की संख्या	लागत	एनएसएफ डीसी सेपर	लाभग्राही			निवल संवितरण
						अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ए. एंड एन.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	ए.पी.	आंध्र प्रदेश	29	2066.85	1458.32	1531	262	1793	1007.37
3.	ए.आर.पी.	अरुणाचल प्रदेश	11	33.82	26.30	0	14	14	21.30
4.	ए.एस.एम.	असम	7	176.11	146.77	85	0	85	0.00
5.	बी.एच.आर.	बिहार	8	1418.50	1109.25	1675	0	1675	146.07
6.	सी.एच.डी.	चंडीगढ़	4	116.50	91.05	70	0	70	56.92
7.	डी.एल.एच.	दिल्ली	4	117.05	78.75	56	0	56	138.20
8.	डी.एन.डी.	दादर और नगर हवेली	3	67.61	55.31	0	36	36	4.25
9.	जी.ओ.ए.	गोवा	4	88.17	73.12	29	0	29	36.55
10.	जी.यू.जे.	गुजरात	15	1577.44	1123.31	290	217	507	1178.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11.	एच.पी.	हिमाचल प्रदेश	15	240.27	185.03	72	29	101	153.40
12.	एच.आर.वाई.	हरियाणा	6	585.90	432.70	225	0	225	281.10
13.	जे. एंड के.	जम्मू और कश्मीर	2	75.00	62.40	8	12	20	7.33
14.	के.ई.आर.	केरल	21	346.08	267.14	559	85	644	57.31
15.	के.टी.के.	कर्नाटक	26	1174.18	765.91	2073	514	2587	572.21
16.	एल.के.	लक्षद्वीप	3	43.67	35.76	0	3	3	9.76
17.	एम.ए.एच.	महाराष्ट्र	34	1593.92	1157.66	883	150	1033	1379.51
18.	एम.ए.एन.	मणिपुर	4	156.50	132.40	6	156	162	8.51
19.	एम.ई.जी.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
20.	एम.आई.जैड	मिजोरम	14	160.23	134.55	0	290	290	160.72
21.	एम.पी.	मध्य प्रदेश	18	2332.12	1812.12	408	718	1126	1793.49
22.	एन.ए.जी.	नागालैंड	18	178.09	150.11	0	111	111	150.52
23.	ओ.आर.एस.	उड़ीसा	3	60.05	50.90	30	41	71	441.44
24.	पी.ओ.एन.	पांडिचेरी	2	85.43	62.40	27	0	27	69.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25.	पी.यू.एन.	पंजाब	7	586.25	491.25	575	0	575	126.64
26.	आर.ए.जे.	राजस्थान	10	1032.75	842.50	367	233	600	100.00
27.	एस.के.एम.	सिक्किम	6	103.10	85.16	15	47	62	85.46
28.	टी.एन.	तमिलनाडु	13	1455.05	972.10	499	43	542	810.36
29.	टी.आर.आई	त्रिपुरा	7	280.86	237.08	61	220	281	313.81
30.	यू.पी.	उत्तर प्रदेश	3	425.00	296.00	200	0	200	2.50
31.	डब्ल्यू.बी.	पश्चिम बंगाल	34	1723.17	1400.66	1023	216	1239	311.98
		जोड़	331	18320.15	13736.39	10767	3397	14164	9428.27

विवरण II

14.98 से 313.99 तक राज्य-वार स्वीकृति एवं संवितरण के ब्यौरे

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	कोड	राज्य	योजनाओं की संख्या	लागत	एनएसएफ डीसी शेयर	लाभग्राही			निवल संवितरण
						अ.जा.	अ.ज.जा.	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	ए. एंड एन.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
2.	ए.पी.	आंध्र प्रदेश	16	1773.30	1233.80	1870	294	2164	671.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ए.आर.पी.	अरुणाचल प्रदेश	3	14.88	11.80	0	3	3	8.90
4.	ए.एस.एम.	असम	1	65.25	52.50	15	0	15	129.98
5.	बी.एच.आर.	बिहार	2	365.24	299.80	238	0	238	493.75
6.	सी.एचडी.	चंडीगढ़	3	77.00	63.40	25	0	25	34.86
7.	डी.एल.एच.	दिल्ली	1	53.50	36.60	10	0	10	72.90
8.	डी.न.डी.	दादर और नगर हवेली	2	54.97	45.95	2	10	12	83.94
9.	जी.ओ.ए.	गोवा	0	0.00	0.00	0	0	0	21.62
10.	जी.यू.जे.	गुजरात	12	1399.05	952.25	1835	111	1946	915.98
11.	एच.पी.	हिमाचल प्रदेश	6	136.26	113.90	21	13	34	102.65
12.	एच.आर.वाई.	हरियाणा	1	66.00	66.00	40	0	40	60.60
13.	जे. एंड के.	जम्मू और कश्मीर	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
14.	के.ई.आर.	केरल	9	286.72	214.40	292	39	331	5.80
15.	के.टी.के.	कर्नाटक	29	956.84	708.32	340	80	420	117.33
16.	एल.ए.के.	लक्षद्वीप	1	1.05	0.85	1	0	1	26.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17.	एम.ए.एच.	महाराष्ट्र	7	133.56	99.77	38	70	108	29.85
18.	एम.ए.एन.	मणिपुर	8	99.85	84.47	6	82	88	118.91
19.	एम.ई.जी.	मेघालय	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
20.	ए.आई.जैड.	मिजोरम	5	116.75	100.42	0	214	214	165.43
21.	एम.पी.	मध्य प्रदेश	6	757.50	593.61	152	195	347	437.56
22.	एन.ए.जी.	नागालैंड	13	92.76	54.75	0	56	56	82.46
23.	ओ.आर.एस.	उड़ीसा	9	488.93	411.72	84	80	164	23.38
24.	पी.ओ.एन.	पांडिचेरी	5	96.89	96.92	44	9	44	4.49
25.	पी.यू.एन.	पंजाब	3	156.50	116.00	25	0	25	1.11
26.	आर.ए.जे.	राजस्थान	5	366.75	291.00	190	60	250	114.41
27.	एस.के.एम.	सिक्किम	3	189.00	157.20	28	117	145	79.00
28.	टी.एन.	तमिलनाडु	30	370.45	245.08	151	69	220	289.47
29.	टी.आर.आई.	त्रिपुरा	8	583.91	495.11	95	118	213	40.05
30.	यू.पी.	उत्तर प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0	0	0.00
31.	डब्ल्यू.बी.	पश्चिम बंगाल	11	904.60	729.07	1113	276	1389	1.77
		जोड़	199	9630.71	7289.89	6611	1887	8498	4129.52

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति

2141. श्री नेपाल चन्द्र दास: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले आठ महीनों के दौरान 31 जनवरी, 1999 तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं। तथापि, इस अवधि के दौरान सभी पूर्व योजनाओं की समीक्षा की गई थी, और संशोधित की गई थी तथा इन्हें प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

राज्य के अनुसूचित जाति के विकास के लिए शेयर पूंजी

2142. श्री अर्जुन सेठी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1998-99 के दौरान राज्यों के अनुसूचित जातियों के विकास निगम के लिए शेयर पूंजी के निधियों के आबंटन में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित मात्रा के अनुसार सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के अनुसूचित जाति विकास निगम द्वारा प्राप्त निधियों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 1995-96, 1996-97 और 1997-98 के दौरान बालासोर एवं भद्रक जिला अधिकारियों द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों को उड़ीसा अनुसूचित जाति विकास निगम, भुवनेश्वर ने कोई भी ऋण प्रदान नहीं किया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) वर्ष 1995-96 और 1996-97 के दौरान भद्रक जिले के एक लाभग्राही को ऋण प्रदान किया गया।

(घ) इस अवधि के दौरान लाभग्राहियों को कम शामिल किए जाने का कारण उड़ीसा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के लिए धनराशि प्रदान करने में बैंकों द्वारा सहयोग की कमी है।

(ङ) वर्ष 1997-98 से प्रत्यक्ष ऋण प्रदान करने संबंधी प्रणाली का सहारा लेकर इस निगम ने वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान बालासोर जिले में 30 लाभग्राहियों और भद्रक जिले में 10 यूनिटों को वित्त पोषित करने के उपाय किये हैं।

विवरण

क्र.सं	राज्य	राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम का नाम	निर्मुक्त धनराशि (रुपए लाख में)
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम लिमिटेड	970.39
2.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम	1101.47

1	2	3	4
3.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम	741.15
4.	केरल	केरल राज्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम	153.02
5.	पंजाब	पंजाब अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं वित्त निगम	175.17
6.	तमिलनाडु	तमिलनाडु आदि द्रविड़ आवास एवं विकास निगम	318.50
7.	हरियाणा	हरियाणा हरिजन कल्याण निगम लिमिटेड	41.15
8.	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम	143.22
9.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम	4.77
10.	चंडीगढ़	चंडीगढ़ अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम	24.60

ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करना

2143. श्री पी.सी. थामस: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार इस मामले से अवगत है तथा कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

परती भूमि

2144. श्री संदीपान थोरात:
श्री भगवान शंकर रावत:
श्री पी.एस. गड़वी:
श्री ए.सी. जोस:
कर्नल सोनाराम चौधरी:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य की तुलना में योजनावार देश में परती भूमि के विकास के लिए वर्ष-वार एवं राज्य-वार कार्य की क्या प्रगति हुई;

(ख) परती भूमि के विकास के लिए व्यक्तियों/सहकारी समितियों/गैर-सरकारी संगठनों को केन्द्र सरकार एवं विश्व बैंक द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के पैमाना/मानदंड एवं शर्तों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष के दौरान प्राप्त/मंजूर किए गए तथा लंबित प्रस्तावों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं की परियोजना-वार, राज्य-वार प्रगति क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) बंजरभूमि विकास विभाग कोई केन्द्र प्रायोजित योजनाएं कार्यान्वित नहीं कर रहा है। तथापि, विभाग वाटरशेड आधार पर वनेतर बंजरभूमि के विकास हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की एक समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत कोई राज्यवार वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किये जाते हैं। बंजरभूमि के विकास

के लिए परियोजनाएं, परियोजना-दर-परियोजना आधार पर स्वीकृत की जाती हैं। समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान भूमि को विकसित करने के लिए जारी की गई निधियां नीचे दी गई हैं:

वर्ष	जारी की गई निधियां (करोड़ रुपये में)	विकसित किया जाने वाला क्षेत्र (हैक्टेयर में)
1995-96	51.00	58,000
1996-97	50.80	84,000
1997-98	53.95	90,000
कुल	155.75	2,32,000

(ख) समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत परियोजनाएं जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों को परियोजना-दर-परियोजना आधार पर स्वीकृत की जाती हैं बशर्ते कि ये परियोजनायें 4000 रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से वनेतर बंजरभूमि को विकसित करने संबंधी "वाटरशेड विकास हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्तों" के अनुरूप हों। जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों द्वारा गैर-सरकारी संगठनों और सहकारी समितियों को भी परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। इसके अलावा, विभाग "गैर-सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी एजेंसियों को सहायता" नामक केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना भी कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वनरोपण को बढ़ावा देने और बंजरभूमि को विकसित करने का कार्य शुरू करने के लिए पंजीकृत स्वयंसेवी एजेंसियों, सहकारी समितियों को केन्द्रीय अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के अंतर्गत विश्व बैंक द्वारा कोई भी परियोजना वित्तपोषित नहीं की गई है।

(ग) ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(घ) वर्तमान वर्ष के दौरान चालू परियोजनाओं की प्रगति विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

समेकित बंजरभूमि विकास परियोजना स्कीम

क्र. सं.	राज्य	1998-99 के दौरान प्राप्त प्रस्ताव	अनुमोदित/स्वीकृत प्रस्ताव	वापस भेजे गए प्रस्ताव	विचाराधीन प्रस्ताव	जिन प्रस्तावों पर जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों/जिला परिषदों से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा की जा रही है
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	8	2	–	3	3
2.	अरूणाचल प्रदेश	2	–	–	–	2
3.	असम	7	–	3	1	3
4.	बिहार	5	–	1	1	3

1	2	3	4	5	6	7
5.	गुजरात	6	2	1	2	1
6.	हिमाचल प्रदेश	3	–	–	–	3
7.	हरियाणा	2	–	1	–	1
8.	जम्मू और कश्मीर	2	1	–	–	1
9.	कर्नाटक	8	1	–	7	–
10.	महाराष्ट्र	34	1	1	10	22
11.	मणिपुर	5	1	–	1	3
12.	मिजोरम	1	–	–	–	1
13.	मध्य प्रदेश	3	–	–	2	1
14.	उड़ीसा	14	1	1	4	8
15.	राजस्थान	5	1	2	2	–
16.	सिक्किम	3	–	–	–	3
17.	तमिलनाडु	3	1	1	–	1
18.	उत्तर प्रदेश	21	1	8	11	1
19.	पश्चिम बंगाल	1	–	1	–	–
	कुल	133	12	20	44	57

विवरण II

वर्ष 1998-99 की अवधि के दौरान जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण

जिले का नाम	परियोजना अवधि	कुल क्षेत्र (हैक्टेयर में)	कुल लागत (लाख रुपये में)	जारी 1998-99 (लाख रुपये में)
1	2	3	4	5
राज्य : आंध्र प्रदेश				
नालगोंडा	92-93 से 95-96	4059	302.09	50.07
नेल्लोर-2	94-95 से 97-98	9320	416.59	64.15
निजामाबाद	93-94 से 97-98	8570	357.56	90.78
प्रकासम-2	94-95 से 98-99	4200	335.51	103.50
चित्तूर-1	96-97 से 99-00	8085	323.40	64.68
कुर्नूल	95-96 से 98-99	7330	293.20	50.00
चित्तूर-2	96-97 से 99-00	8280	331.20	114.79
नेल्लोर-3	98-99 से 01-02	12500	500.00	75.00
खम्मम	98-99 से 01-02	12500	500.00	75.00
मेडक-2	98-99 से 01-02	12500	500.00	75.00
खम्मम-2	98-99 से 01-02	12500	500.00	75.00
उप योग		99844	4359.55	837.97

1	2	3	4	5
राज्य : गुजरात				
पंचमहल	93-94 से 97-98	3370	287.89	71.87
अमरेली	94-95 से 98-99	5500	359.45	60.96
जामनगर	94-95 से 98-99	2480	245.89	49.46
खेड़ा	96-97 से 99-00	812	32.48	3.08
बड़ोदरा	98-99 से 01-02	11275	451.00	67.65
भावनगर	98-99 से 01-02	11002	440.00	66.00
साबरकांठा	98-99 से 01-02	12000	480.00	72.00
जूनागढ़-2	98-99 से 01-02	12340	493.00	73.95
पंचमहल-2	98-99 से 01-02	12200	488.00	73.20
उप योग		70979	3277.71	538.17
राज्य : हिमाचल प्रदेश				
मंडी	98-99 से 01-02	12567	499.00	74.85
चम्बा-2	98-99 से 01-02	12351	494.00	74.10
उप योग		24918	993.00	148.95

1	2	3	4	5
राज्य : जम्मू और कश्मीर				
जम्मू	98-99 से 00-01	5730	230.00	34.50
कठुआ	98-99 से 01-02	8650	346.00	51.90
उप योग		14380	576.00	86.40
राज्य : कर्नाटक				
गुलबर्गा	97-98 से 00-01	11847	474.00	142.22
बेलगांव	98-99 से 01-02	12481	499.24	74.88
बेल्लरी-2	98-99 से 01-02	12400	490.00	73.50
कोलार	98-99 से 01-02	12239	489.56	74.43
टुमकुर-3	98-99 से 01-02	12412	496.48	74.47
बीदर	98-99 से 01-02	12485	499.40	74.91
उप योग		73864	2948.68	513.41
राज्य : महाराष्ट्र				
सिंधुदुर्ग	98-99 से 01-02	11320	4452.80	67.92
अमरावती	98-99 से 01-02	11424	456.96	68.54
उप योग		22744	909.76	136.46

1	2	3	4	5
राज्य : मणिपुर				
इंफाल (प.)	97-98 से 00-01	6675	267.00	53.40
सेनापति	97-98 से 00-01	1393	55.72	16.72
तमेंगलोन	98-99 से 00-01	12500	500.00	75.00
इंफाल (प.)-2	98-99 से 01-02	11000	440.00	66.00
उप योग		31568	1262.72	211.12
राज्य : मध्य प्रदेश				
दुर्ग	94-95 से 97-98	3680	215.94	48.10
नरसिंहपुर	97-98 से 00-01	7000	280.00	83.13
सिहोर	98-99 से 01-02	12000	427.18	64.07
शाहडोल	98-99 से 01-02	10555	422.22	63.33
उप योग		33235	1345.34	258.63
राज्य : नागालैंड				
मोकोचुंग	97-98 से 00-01	12000	480.00	48.00
त्यूनसैंग	98-99 से 01-02	12500	500.00	75.00
मोन	98-99 से 01-02	12500	500.00	75.00
उप योग		37000	1480.00	198.00

1	2	3	4	5
राज्य : उड़ीसा				
ढेनकनाल-1	94-95 से 98-99	691	45.97	7.15
ढेनकनाल-2	96-97 से 99-00	2515	100.60	30.18
झासुरगुड़ा	97-98 से 00-01	7216	288.64	28.86
किंझोझर	98-99 से 01-02	5145	205.74	30.86
अंगुल	98-99 से 01-02	6037	241.50	36.22
उप योग		21604	882.45	133.27
राज्य : पंजाब				
पटियाला	96-97 से 99-00	550	22.00	6.60
उप योग		550	22.00	6.60
राज्य : राजस्थान				
जयपुर-1	93-94 से 96-97	3381	329.40	22.00
जयपुर-3	93-94 से 96-97	4748	414.05	50.00
पाली	94-95 से 98-99	5049	320.85	80.00
बूंदी	96-97 से 99-00	686	27.30	8.19
उप योग		13864	1091.60	160.19

1	2	3	4	5
राज्य : तमिलनाडु				
पसुमपोन	94-95 से 98-99	3073	284.73	100.00
कोयंबटूर	96-97 से 99-00	480	19.20	1.91
डिंडीगुल	97-98 से 00-01	5090	200.00	20.00
कोयंबटूर-2	98-99 से 01-02	9058	362.32	54.34
उप योग		17701	866.25	176.25
राज्य : उत्तर प्रदेश				
फतेहपुर	96-97 से 99-00	9880	395.20	117.80
आगरा	96-97 से 99-00	12295	491.80	96.52
जौनपुर	96-97 से 99-00	11718	468.72	92.80
वाराणसी	96-97 से 99-00	9645	385.80	177.93
कानपुर (शहर)	96-97 से 99-00	5510	220.40	65.44
उन्नाव	97-98 से 00-01	12041	481.64	144.48
सोनभद्र	97-98 से 00-01	10106	404.26	121.29
रायबरेली-2	97-98 से 00-01	12100	484.00	100.00
सीतापुर	98-99 से 01-02	12058	482.32	72.35
चंदौली	98-99 से 01-02	11000	444.00	66.60
लखीमपुर	98-99 से 01-02	12240	489.60	73.44
कानपुर (देहात)	98-99 से 01-02	12039	481.56	72.23
उप योग		130632	5229.30	1200.88
कुल		592883	25244.36	4606.30

कर्नाटक में केन्द्रीय विद्यालय

2145. **श्री के.सी. कोंडय्या:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक तथा अन्य राज्यों के केन्द्रीय विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों के लिए नियमित पाठ्यक्रम के साथ-साथ व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी आरम्भ किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो आरम्भ किये गये/प्रस्तावित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रोजगार गारंटी योजना

2146. **डा. मदन प्रसाद जायसवाल:**
श्री दरोगा प्रसाद सरोज:

क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 में देश में ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को रोजगार देने के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त अवधि के दौरान रोजगार प्रदान करने के लिए वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और इस योजना के अंतर्गत अब तक कितने युवाओं को रोजगार दिया गया?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बाबागौड़ा पाटील): (क) गांवों में रहने वाले शारीरिक रूप से समर्थ वयस्कों जिन्हें काम की जरूरत है और जो इसकी तलाश में हैं, को गैर-कृषि मौसम में 100 दिनों का शारीरिक श्रम वाला लाभप्रद रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने वर्ष 1993-94 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना शुरू की थी।

(ख) और (ग) चूंकि सुनिश्चित रोजगार योजना एक मांग-आधारित योजना है इसलिए इसके अंतर्गत कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। यह योजना युवकों सहित सभी ग्रामीण गरीबों के लिए खुली है। योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए व्यक्तियों की संख्या की निगरानी नहीं की जाती है। केवल सृजित श्रम दिनों की निगरानी की जाती है।

[अनुवाद]

तिहाड़ जेल की सुरक्षा व्यवस्था

2147. **श्री देवेन्द्र बहादुर राय:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 15 जनवरी, 1999 को "टाइम्स ऑफ इंडिया" में "जेल ब्रेक शाक्ड तिहाड़ आफिशीयल्स प्लान सिक्योरिटी रिवैम्प" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जेल में साम्प्रदायिक आधार पर गैंगवार दंगे भी होते रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) यह रिपोर्ट कि खाकी कपड़े पहने व्यक्तियों के एक ग्रुप ने जेल की दीवार फांदने की कोशिश की, तथ्यात्मक रूप से ठीक नहीं है। तथापि, हिंसा की एक छोटी मोटी घटना उस समय हुई जब बैरकों में से एक बैरक के कैदियों ने अपने निर्धारित दैनिक कार्य करने से मना कर दिया।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

केन्द्रीय सूची में जाति/समुदाय को शामिल करना

2148. श्री विक्रम केशरी देव: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की राज्य सूची में शामिल जातियों/समुदायों की सूची को केन्द्रीय सूची में शामिल करने की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस सूची की समीक्षा कब तक कर ली जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के आधार पर किए जाते हैं। कोई समय सीमा विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती है।

कुछ राज्यों में जनगणना में हेराफेरी

2149. श्री के. येरननायडू: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त की 30वें प्रतिवेदन में कुछ राज्यों में जनगणना में हेराफेरी किये जाने की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनगणना आंकड़ों में गड़बड़ी को ठीक करने के लिए क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) और (ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त की 30वीं रिपोर्ट जनगणना संबंधी कोई गड़बड़ी प्रकट नहीं करती है।

तथापि, रिपोर्ट के अनुबंध-4 के अंतर्गत श्री शरद कुलकर्णी द्वारा लिखा गया लेख विविध कागजातों के रूप में संलग्न है। "अनुसूचित जनजातियों से संबंधित जनगणना आंकड़ों में तोड़-मरोड़" शीर्षक के रूप में यह लेख बताता है कि 1971 की जनगणना के मुकाबले जैसा कि 1981 की जनगणना में दर्शाया गया है आदिवासी जनसंख्या में वृद्धि के दो कारण * अर्थात्

(1) "क्षेत्र प्रतिबंध निराकरण (संशोधन) अधिनियम, 1976" ने राज्य के सभी क्षेत्रों के लिए सूचियों (अनुसूचित जनजातियों की) को लागू किया जबकि वर्ष 1971 में यह किसी विशिष्ट जनजाति के सदस्यों, यदि वे उक्त जनजाति के लिए विनिर्दिष्ट क्षेत्र में रह रहे हों, तक सीमित था।

(2) गैर आदिवासी परिवारों द्वारा जनगणना के गणनाकारों को जानबूझकर दिए गए कपटपूर्ण प्रत्युत्तर।

तथापि, इस लेख की विषय वस्तु जनगणना प्रक्रिया में किसी गड़बड़ी को प्रतिबिम्बित नहीं करती है।

(ग) जनगणना अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में जनगणना के दौरान व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाता है जिसके अनुसार उत्तर देने वालों को सही-सही सूचना देनी पड़ती है और सत्यतापूर्वक सूचना रिकार्ड करना गणनाकारों के लिए भी अनिवार्य है।

प्रत्येक जनगणना में आंकड़ों को सुप्रशिक्षित गणनाकारों द्वारा उचित सावधानी से तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची के अनुसार, जैसा कि समय-समय पर यथा संशोधित "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956" में है, एकत्रित किया जाता है।

लावारिस जानवर

2150. श्री प्रकाश यशवंत अम्बेडकर: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998-99 के लिए आवंटित राशि का उपयोग लावारिस जानवरों की देखभाल में किया गया;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी धनराशि आवंटित और प्रयुक्त की गई; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के संशोधित अनुमान 1998-99 में 5.00 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और इसे पशु कल्याण की नई योजनाओं के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अनुमति दी गई है। इस राशि में से अब तक 238.34 लाख रुपए आवारा पशुओं की देखभाल की दो नई योजनाओं के अंतर्गत उपयोग किए गए हैं। इस वित्त वर्ष के अंत तक शेष राशि का पूरी तरह उपयोग कर लिए जाने की आशा है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना

2151. श्री अर्जुन सेठी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 की अपेक्षा वर्ष 1998-99 के बजट में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व तथा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राशि में कटौती की गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान देश के प्रत्येक राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों को अलग-अलग कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) इस राशि में कमी के कारण क्या हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): (क) इन योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1996-97 के लिए बजट राशि की तुलना वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 के साथ नहीं की जा सकती क्योंकि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त में अर्थात् 1996-97 स्तर पर व्यय राज्य बजट के प्रति प्रतिबद्ध है। वर्ष 1997-98 की तुलना में 1998-99 के लिए आबंटन को बढ़ाया गया है।

(ख) वर्ष 1996-97, 1997-98 तथा 1998-99 के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-क्षेत्रवार केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाले विवरण I और II संलग्न हैं।

(ग) वर्ष 1997-98 की तुलना में 1998-99 में कोई कमी नहीं की गई है।

विवरण I

अस्वच्छ व्यवसायों में लगे हुए लोगों के बच्चों को मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

वर्ष 1996-97 से निर्मुक्त केन्द्रीय सहाय

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99 (28.2.99 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	49.66387	2.61442	14.50
2.	बिहार	16.08	शून्य	2.75
3.	गुजरात	377.34425	83.77803	76.48949
4.	हरियाणा	58.14456	शून्य	62.83581

1	2	3	4	5
5.	हिमाचल प्रदेश	शून्य	शून्य	0.04
6.	जम्मू व कश्मीर	शून्य	1.2145	0.69
7.	कर्नाटक	12.33637	27.3395	9.47
8.	केरल	शून्य	शून्य	0.70
9.	मध्य प्रदेश	340.16	9.73225	90.22125
10.	महाराष्ट्र	67.644	21.2514	90.9805
11.	उड़ीसा	11.64912	शून्य	शून्य
12.	पंजाब	64.22409	शून्य	शून्य
13.	राजस्थान	115.1875	शून्य	शून्य
14.	सिक्किम	0.50	शून्य	0.07375
15.	तमिलनाडु	74.133	27.926	34.4335
16.	त्रिपुरा	14.656	1.6863	2.9082
17.	उत्तर प्रदेश	201.33626	24.4575	8.55
18.	पश्चिम बंगाल	1.37908	शून्य	शून्य
19.	गोवा	शून्य	शून्य	0.3575
	कुल	1404.43	200.00	395.00

विवरण II

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1996-97 से निर्मुक्त केन्द्रीय सहायता

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1996-97	1997-98	1998-99 (28.2.99 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	3124.637	3197.288	2639.458
2.	असम	52.038	0	285.98652
3.	बिहार	0	0	797.152
4.	गोवा	0	0	शून्य
5.	गुजरात	494.89	0	50.254
6.	हरियाणा	2.26	0	57.57
7.	हिमाचल प्रदेश	24.73	0	19.832
8.	जम्मू व कश्मीर	78.07	14.9	44.85
9.	कर्नाटक	1374.526	0	शून्य
10.	केरल	634.495		शून्य
11.	मध्य प्रदेश	1982.79	0	शून्य
12.	महाराष्ट्र	2371.8	967.78	471.24

1	2	3	4	5
13.	मणिपुर	374.5	0	507.8
14.	मेघालय	371.843	0	749.058
15.	मिजोरम	144.5	0	521.008
16.	नागालैंड	404.9	0	1084.26
17.	उड़ीसा	531.43	47.16	57.35
18.	पंजाब	0	0	551.2841
19.	राजस्थान	934.75	84.7	450.53
20.	सिक्किम	0	0	0.3729
21.	तमिलनाडु	1817.74	396.78	958.86
22.	त्रिपुरा	29.346	0	113.48488
23.	उत्तर प्रदेश	2070.823	705.392	621.65
24.	पं. बंगाल	1146.122	0	शून्य
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.85	0	शून्य
26.	दमन व दीव	2.089	0	1.0613
27.	दादरा और नगर हवेली	0	0	1.83
28.	दिल्ली	0	0	शून्य
29.	गोवाहटी प्रोजेक्ट	3	3	–
30.	पांडिचेरी	20	0	शून्य
	कुल	17993.129	5417	9986.0429

अतिविशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्र में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा किया गया कार्य

2152. श्री गोरधनभाई जादवभाई जावीया: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साउथ ऐवन्यू, नोर्थ ऐवन्यू जैसे अति विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा किये गये कार्य संतोषजनक नहीं है।

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या अति विशिष्ट व्यक्तियों के क्षेत्रों (वीवीआईपी) एरियाज के केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समूची प्रणाली का निजीकरण किये जाने की कोई योजना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि वी.आई.पी. क्षेत्रों में कार्य संतोषजनक किया जा रहा है, यद्यपि यहाँ हमेशा ही सुधार की गुंजाइश रहती है।

(ग) और (घ) ऐसी कोई योजना नहीं है। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में अपने कार्यार्थियों को संतुष्ट करने की कार्य प्रणाली बनाये रखने की क्षमता है।

पटरियों पर रहने वाले लोग

2153. श्री ए. गणेश मूर्ति: क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि देश में अनेक गरीब और दलित लोग पटरियों पर रहकर गुजारा करते हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या सरकार ने उनके पुनर्वास के लिए कोई योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्री राम जेठमलानी): (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) नितांत बेघर परिवारों की जीवन दशाओं और आश्रय समस्याओं के तब तक समाधान हेतु जब तक कि वे स्वयं अपनी समस्याओं को हल करने तथा किफायती आवास हासिल करने की स्थिति में नहीं हो जाते, भारत सरकार ने केन्द्रीय सेक्टर के तहत शहरी फुटपाथ वासियों के लिए रैन बसेरा और स्वच्छता नाम स्कीम तैयार की है। इस स्कीम के निम्नलिखित दो घटक हैं:

1. सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों सहित सामुदायिक रैन बसेरों का निर्माण: इस घटक के तहत लाभार्थी 1000 रुपये राशि की केन्द्रीय सब्सिडी और 4000 रुपये हडको ऋण मुहैया कराया जा रहा है।

2. बेघरों के लिए सामुदायिक "पैसा दो प्रयोग करो" शौचालयों/स्नानघरों का निर्माण: इस घटक के तहत 350 रुपए प्रति प्रयोक्ता प्रति सीट की केन्द्रीय सब्सिडी दी जा रही है।

यह स्कीम मूलत: राज्य सरकार और ऋण लेने वाली एजेंसियों द्वारा यथा आकलित शहरी फुटपाथ निवासियों की जरूरतों को पूरा करती है।

स्कीम को नगर निकायों या राज्य सरकार द्वारा अभिनामित एजेंसियों द्वारा तैयार, निर्मित और प्रचालित किया जाता है। राज्य या स्थानीय एजेंसियों के अलावा राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों द्वारा संस्तुत विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों सहित निजी एजेंसियों को स्कीम के कार्यान्वयन और प्रबंध में शामिल किया जा सकता है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम के गोदाम

2154. श्री सुरेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर):
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:

क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) "बिहार में" क्षमतावार कितने गोदामों का निर्माण किया गया और कितने गोदाम निर्माणाधीन हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में और गोदामों का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न राज्यों में गोदामों का निर्माण करने का है; और

(च) यदि हां, तो स्थानवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) 31.12.1998 की स्थिति के अनुसार बिहार में भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों की क्षमतावार संख्या बताने वाला ब्यौरा विवरण I में दिया गया है।

(ख) से (घ) फिलहाल सरकार का बिहार में और गोदामों का निर्माण करने का प्रस्ताव नहीं है क्योंकि बिहार में भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध मौजूदा भंडारण क्षमता पर्याप्त समझी जाती है।

(ङ) और (च) गोदामों का निर्माण एक सतत् गतिविधि है। निर्माण कार्यक्रम राज्यों की विशिष्ट जरूरतों और निधियों की उपलब्धता को देखते हुए तैयार किया जाता है।

तथापि, नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले दो वर्षों (1997-99) के दौरान भारतीय खाद्य निगम् ने विवरण II में दिए गए केन्द्रों पर गोदामों का निर्माण शुरू किया है।

विवरण I

बिहार में निर्मित/निर्माणाधीन गोदामों की क्षमतावार संख्या बताने वाला विवरण

(आंकड़े हजार टन में)

क्र.सं.	केन्द्र का नाम	ढकी हुई (क्षमता वार) (अपनी)
1	2	3
क.	निर्मित गोदाम	
1	जासीदीह	12.50
2.	दरभंगा	5.74
3.	जय नगर	9.67
4.	गया (एफएसडी)	64.72
5.	गया (सिलो बिन)	32.00
6.	धनबाद	13.74
7.	चनपतिया	6.28
8.	मुजफ्फरपुर	7.60
9.	नारायणपुर अनंत	36.67
10.	बक्सर	25.00
11.	दीघाघात	32.44
12.	मोकामा	57.63
13.	फुलवारी शरीफ	56.97
14.	बेलोरी (पूर्णिया)	8.98
15.	कटिहार	10.84
16.	सहरसा	14.64
17.	डाल्टेन गंज	14.64
18.	जमशेदपुर	10.84
19.	रांची	11.67
	जोड़	432.57
ख.	निर्माणाधीन गोदाम	
1.	गुमला	5.00

विवरण II

उन केन्द्रों की सूची जहाँ नौवीं पंचवर्षीय योजना के पहले और दूसरे वर्ष के दौरान निर्माण कार्य शुरू किया गया

वर्ष	राज्यों के नाम	केन्द्रों के नाम	क्षमता (टन में)
1997-98	जम्मू एवं कश्मीर	श्रीनगर	3330
		बारामुला	3340
	हिमाचल प्रदेश	कुल्लू	1670
	कर्नाटक	उडुपि	10000
		कुशाल नगर	2500
		तुमकुर	5000
	उत्तर प्रदेश	धमोरा	20000
		रोजा	10000
	मध्य प्रदेश	धमतरी	10000
	महाराष्ट्र	शोलापुर	5000
1998-99	उत्तर प्रदेश	धमोरा	5000
	महाराष्ट्र	शोलापुर	10000
	बिहार	गुमला	5000
	उड़ीसा	झारसुगदा	10000
	केरल	मोनानगढ़ी	5000
		आराकुलम	5000
	अंडमान निकोबार	पोर्ट ब्लेयर	2500
	पंजाब	राजपुरा	10000
		तंडा उरमार	10000
	हरियाणा	तारूरी	10000
	जोड़		143340

बिहार के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को खाद्यान्न

2155. श्री राजो सिंह: क्या खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के बाढ़ और सूखा प्रभावित क्षेत्रों को केन्द्रीय पूल से पिछले तीन वर्षों के दौरान कितना खाद्यान्न आवंटित किया गया;

(ख) क्या राज्य ने भविष्य में बाढ़ की तबाही का सामना करने के लिए हाल ही में कोई मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 1995-96 और इससे आगे केन्द्रीय पूल से सार्वजनिक वितरण प्रणाली/लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए चावल और गेहूं के सामान्य आवंटन के अलावा बाढ़ राहत के लिए गेहूं की निम्नलिखित मात्रा आवंटित की गई थी:

वर्ष	आवंटन
1995-96	शून्य
1996-97	15,461 टन गेहूं
1997-98	40,000 टन गेहूं
1998-99	70,000 टन गेहूं

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

अपराह्न 12.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत अधिसूचना

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 की धारा 30 की उपधारा (3) के अंतर्गत विदेशी अभिदाय (उपहार अथवा भेंट की स्वीकृति अथवा प्रतिधारण) संशोधन विनियम, 1999 जो 27 जनवरी, 1999 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 37(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2500/99]

(2) राज्यपाल (उपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) अधिनियम, 1982 की धारा 12 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वित्त वर्ष 1995-96 के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को अनुसूची दो के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां स्वीकृत करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1999 को दिया गया विशेष आदेश।

(दो) वित्त वर्ष 1996-97 के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल को अनुसूची दो के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां स्वीकृत करने हेतु राष्ट्रपति द्वारा 22 जनवरी, 1999 को दिया गया विशेष आदेश।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2501/99]

(3) राष्ट्रीय सुरक्षक अधिनियम, 1986 की धारा 139 की उपधारा (3) के अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षक (समूह 'ग' पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1998 जो दिनांक 26 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 254 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2502/99]

(4)(एक) नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल फाउंडेशन फार कम्यूनल हार्मोनी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा संबंधी विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2503/99]

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत अधिसूचना और केन्द्रीय भाण्डागार निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन और उसके कार्यकरण की समीक्षा, आदि

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत वनस्पति तेल उत्पाद (विनियमन) आदेश 1998 जो 16 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 741(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2504/99]

(2)(एक) केन्द्रीय भांडागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय भांडागार निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2505/99]

औरोविले फाउन्डेशन का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे और इसके कार्यकरण की समीक्षा

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के मंत्री (डा. मुरली मनोहर जोशी): अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1)(एक) औरोविले फाउन्डेशन, औरोविले के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) औरोविले फाउन्डेशन, औरोविले के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) औरोविले फाउन्डेशन, औरोविले के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल.टी. 2506/99]

(3)(एक) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2507/99]

(5)(एक) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, कालीकट के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2508/99]

(7)(एक) बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बोर्ड आफ अप्रेन्टिसशिप ट्रेनिंग, चेन्नई के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2509/99]

(9)(एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल.टी. 2510/99]

(11)(एक) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) टेक्नीकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कलकत्ता के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2511/99]

(13)(एक) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, गुजरात के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, गुजरात के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल.टी. 2512/99]

(15)(एक) अगहरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अग्रजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) अगहरकर अनुसंधान संस्थान, पुणे के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपुर्यक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2513/99]

(17)(एक) बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पैलिप्योबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बीरबल साहनी इन्स्टीट्यूट आफ पैलियोबोटनी, लखनऊ के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(18) उपर्युक्त (17) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2514/99]

(19)(एक) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(20) उपर्युक्त (19) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2515/99]

(21)(एक) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लोक जुम्बिश परिषद, जयपुर के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 2516/99]

(23)(एक) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2517/99]

(25) यूनिवर्सिटी आफ हैदराबाद, हैदराबाद के वर्ष 1997-98 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2518/99]

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उसके कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती मेनका गांधी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूँ:

(1) कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 1997-98 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2519/99]

(3) संविधान के अनुच्छेद 338(6) के अंतर्गत निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्ष 1994-95 और 1995-96 का तीसरा प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के वर्ष 1994-95 और 1995-96 के तीसरे प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही संबंधी ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल.टी. 2520/99]

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): मैं भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 की धारा 39 के अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो (प्रशासन में भर्ती) वित्त और अन्य पद (संशोधन) विनियम, 1998 जो दिनांक 21 दिसम्बर, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 757(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूँ।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल.टी. 2521/99]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी।

...(व्यवधान)

श्री कमलनाथ (छिन्दवाड़ा): मैंने एक सूचना दी है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब हम 'शून्य काल' शुरू करेंगे और बाद में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अब 'शून्य काल' है

श्री मित्रसेन यादव

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मित्रसेन यादव का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मित्रसेन यादव जो कुछ भी कहते हैं उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा।

श्री मित्रसेन यादव

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बात को समझिए। अड़तालीस माननीय सदस्यों ने 'शून्य काल' में विशेष उल्लेख के लिए सूचना दी है।

कृपया बात को समझिए। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): यह राष्ट्रीय महत्व का मामला है। हम सभी ने सूचना दी है।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। अयोध्या नगर परिषद ने एक प्रस्ताव पास करके नगर क्षेत्र के अंदर शवों के निस्तारण पर प्रतिबंध लगा दिया है। उसका परिणाम यह हुआ है कि एक सम्प्रदाय विशेष के लोग जो कब्रिस्तान में मुर्दों का निस्तारण करते हैं, उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं एक-एक करके नाम पुकारूंगा। मैंने श्री मित्रसेन यादव का नाम पुकारा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं उनका नाम पुकार चुका हूं इसके बाद मैं आपका नाम पुकारूंगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा है, इसलिए वे बोल रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह किसी अन्य मामले के बारे में कह रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अयोध्या में जो कब्रिस्तान हैं, उन पर ट्रैक्टर चलाकर मुर्दों की हड्डियां बाहर निकाली गई हैं जिससे अयोध्या में साम्प्रदायिक सौहार्द समाप्त हो गया है वहां की शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। इससे पूर्व तक वहां शांति व्यवस्था बनी थी और काफी समय के बाद साम्प्रदायिक सौहार्द बना था, लेकिन अयोध्या की नगर परिषद के इस कृत्य और वहां के कुछेक साम्प्रदायिक संगठनों की इन हरकतों के कारण और नगर परिषद द्वारा कब्रिस्तानों की खुदाई के कारण वहां शांति व्यवस्था को खतरा उत्पन्न हो गया है। *...(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि अयोध्या में कब्रिस्तानों की भूमि की डिमार्केशन हो जिससे हमेशा के लिए साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ने से बचाया जाए और संघर्ष को रोका जा सके। यही मेरा निवेदन है। *...(व्यवधान)*

अपराह्न 12.06 बजे

पूर्व नौसेनाध्यक्ष की बर्खास्तगी और उनके द्वारा रक्षा मंत्री पर लगाए गए आरोपों के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब मैं सभा के वरिष्ठ सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त का नाम पुकार रहा हूं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, हमने एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी के मामले को सदन में उठाने का नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): महोदय, जो कुछ मैं कह रहा हूं, कृपया उसे ध्यान से सुनें। यह बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा विश्वास है कि अनेक माननीय सदस्यों ने सरकार द्वारा नौसेना अध्यक्ष, एडमिरल विष्णु भागवत की बर्खास्तगी के संबंध में सूचनाएं दी है। यह बहुत गंभीर मामला है जिसे हम सभा में उठाना चाहते हैं क्योंकि उनके द्वारा सेवा छोड़े तीन माह हो चुके हैं। अब तक इस मामले में चर्चा करने अथवा सरकार की कार्यवाही के कारणों का स्पष्टीकरण सुनने का अवसर नहीं मिला। यह अभूतपूर्व कार्यवाही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में इस तरह की बात कभी नहीं हुई।

अत:, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप कृपया इस मामले पर व्यापक चर्चा के लिए अनुच्छेद 239 के अंतर्गत हमारी सूचना स्वीकार करें। इससे पूरे देश में रोष है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमल नाथ

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि कृपया अपने स्थानों पर बैठ जाएं। कृपया बात को समझिए कि मैंने कोई व्यवस्था नहीं दी है। मैंने श्री कमलनाथ का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा): आप उत्तेजित क्यों हैं? ...*(व्यवधान)* उत्तेजित होने का कोई कारण नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री कमलनाथ का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ द्वारा कही गई बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कमल नाथ: महोदय, आपको इन पर नियंत्रण रखना होगा। ये नहीं चाहते कि मामला सभा में उठाया जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री खण्डूरी, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

एक माननीय सदस्य: महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: शून्यकाल के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं होता। श्री कमल नाथ, आपका क्या कहना है।

...*(व्यवधान)*

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं नहीं जानता कि वे इस मामले पर इतने उत्तेजित क्यों हैं। पिछले तीन महीनों से राष्ट्र रक्षा प्रतिष्ठान अर्थात् रक्षा सचिव आदि तथा सशस्त्र बलों दोनों में घिनौना नाटक देख रहा है जोकि देश के इतिहास में बेजोड़ है। नौसेना अध्यक्ष को न केवल बर्खास्त किया गया है अपितु आवृत और मलिन तरीके से बर्खास्त किया गया...*(व्यवधान)* महोदय, वे चिंतित क्यों हैं? मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमल नाथ, आपको क्या कहना है?

श्री कमल नाथ: महोदय, मेरा निवेदन है कि ऐसी घटना घटी है जो देश के इतिहास में बेजोड़ है ...*(व्यवधान)* महोदय, क्या आप इन्हें बोलने की अनुमति दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डाले। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या निवेदन करना चाहते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कमल नाथ: महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस देश के इतिहास में एक अनोखी घटना घटी है। यह मात्र नौसेना के अध्यक्ष को बर्खास्त करना नहीं है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री अजीत जोगी (रायगढ़): महोदय, यह मामला बहुत गंभीर है। इसका संबंध राष्ट्र की सुरक्षा से है ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमल नाथ, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं?

श्री कमल नाथ: महोदय, यदि आप मुझे बोलने देना चाहते हैं तो आपको उन्हें नियंत्रित करना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा नहीं है, आप बैठ जाइए

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री कमल नाथ, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं?

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं तभी निवेदन कर सकता हूं जब आप उन्हें नियंत्रित कर दें।

श्री चेतन चौहान (अमरोहा): महोदय, मुझे एक निवेदन करना है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपना स्थान ग्रहण करें मैंने श्री कमल नाथ को अनुमति दी है, न कि आपको

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कमल नाथ कहते हैं उसके सिवाय कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रभुनाथ सिंह, आप बैठिए श्री चौबे, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें। श्री कमल नाथ, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनका नाम पुकारा है। मैं आपका नाम बाद में पुकारूंगा। कृपया प्रक्रिया को समझें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें कि मैंने श्री कमल नाथ का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री चौबे अपना स्थान ग्रहण करें, मैंने श्री कमल नाथ का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमल नाथ, आप क्या निवेदन करना चाहते हैं?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री कमल नाथ को बुलाया है, आप बैठिए, आप बाद में बोल सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभू नाथ सिंह, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: महोदय यह *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम उनके बाद पुकारूंगा। श्री कमल नाथ।

श्री कमल नाथ: महोदय, इन सभी घटनाओं से *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया इस बात को समझें कि मैं पहले ही उनका नाम पुकार चुका हूं। अब आप कैसे बोल सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा नहीं है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि कृपया आप अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभूनाथ सिंह, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदय, इन सभी घटनाओं से इस मामले में केवल एक ही उद्देश्य प्रतीत होती है, अर्थात सैन्य बलों में शिष्ट नौकरशाह और शिष्ट अधिकारियों को कैसे रखा जाये। संपूर्ण मामला संदेहास्पद है चाहे वह मालवाहक विमान से संबंधित है अथवा युद्धपोत से, चाहे वह पनडुब्बियों से संबंधित है अथवा युद्धपोत और चाहे वह तारपीडो से संबंधित है या मिसाइल से। संपूर्ण मामले में भ्रष्टाचार व्याप्त है। महोदय इस राष्ट्र के लिए यह जानना आवश्यक है कि इस मामले में क्या हुआ है?

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हमारी पास नौसेना के भूतपूर्व अध्यक्ष का वक्तव्य मौजूद था।

हमारे पास वायु सेना के भूतपूर्व अध्यक्ष का भी वक्तव्य मौजूद है। इस संबध में मैंने संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त करने के लिए एक सूचना दी है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आप एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने के लिए हमारे और कई अन्यों द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि भारत की संसद एक अभूतपूर्व घटना पर चर्चा नहीं कर सकती *...(व्यवधान)*

कुछ माननीय सदस्य: नहीं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी: क्या नौसेना के अध्यक्ष की बर्खास्तगी एक सामान्य और मामूली मामला है। क्या इस पर संसद चर्चा नहीं कर सकती है। रक्षा मंत्री दूरदर्शन पर जाने की बात कर रहे हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह अच्छा नहीं है। कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप बैठिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यदि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का यह विचार है कि वे संपूर्ण विपक्ष को दबा सकते हैं तो वे सरासर गलत हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभूनाथ सिंह, यह क्या है। यह अच्छा नहीं है। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम पुकारा है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। उनके पश्चात मैं आपको बोलने की अनुमति दूँगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दिग्विजय सिंह (बांका): अध्यक्ष जी, आपने कहा था कि उनके बाद मुझे बुलायेंगे *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं करें। आप बाद में बोल लो।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, वरिष्ठ मंत्री और नेता यहाँ बैठे हैं। क्या वे उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है? यहां क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: यह क्या है? हम जो कहना चाहते हैं, वे उसे सुनना नहीं चाहते? उन्हें इसका विरोध करने दीजिए मुझे विश्वास है सत्ता पक्ष में कई प्रमुख व्यक्ति हैं। अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी उचित अथवा अनुचित कहा जाये यह एक अभूतपूर्व घटना है। 50 वर्षों में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से पहली बार एक ...अध्यक्ष को *...(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम): "शून्यकाल में माननीय अध्यक्ष को सूचना दिए बिना वे इसे नहीं उठा सकते। जब तक वे सूचना न दे, उन्हें अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने उन्हें अनुमति दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। यह क्या है?

श्री वी. सत्यमूर्ति: इस पर "शून्यकाल" के दौरान चर्चा नहीं की जा सकती है। शून्यकाल में केवल वर्तमान मामले ही उठाए जा सकते हैं अन्यथा इससे सभा की कार्यवाही के लिए गलत उदाहरण पेश होगा। क्योंकि सभा में उठाया गया यह विषय वर्तमान विषय नहीं है। उसे संसदीय कार्यवाही के किसी भी अन्य नियम के द्वारा उठाया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री वी. सत्यमूर्ति: यह एक प्रक्रिया है। यह शून्यकाल के दौरान उठाया जाने वाला कोई मामला नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री ए.सी. जोस (मुकुन्दपुरम): एक वरिष्ठ नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा है। हम उन्हें ऐसा करने नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने उन्हें पहले ही अनुमति दे दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): यह बहुत बुरी बात है, इन्होंने चोरी की है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

श्री राम दास अठावले, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गोपाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

श्री अजित कुमार पांजा: महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: शून्य काल के दौरान कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, हमने अखबारों में कई बयान देखे हैं। कई वक्तव्य दिए गए हैं। माननीय रक्षा मंत्री ने टेलीविजन

पर अपना बयान दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, मैं आप लोगों से अपना अपना स्थान ग्रहण करने की अपील करता हूं। यह ठीक नहीं है। मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी का नाम लिया है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज): गनी खां चौधरी जी के बोगस वोट का क्या हुआ ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): सोमनाथ जी को बोलना ही है तो सदन में जो वोट की चोरी हुई उस पर बोलें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, कृपया समझने की कोशिश करें कि मुझे आपके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी: महोदय, यदि मैं कुछ अनुचित अथवा असंसदीय कहूँ तो आप इस पर फैसला देंगे तथा निर्णय लेंगे।

मैं यह कह रहा हूं कि 30 दिसम्बर को नौसेना प्रमुख की बर्खास्तगी के बाद प्रेस में कई बयान दिए गए हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसमें हाईकोर्ट का निर्णय हो चुका है, फिर क्यों यहाँ उठा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, आप अनावश्यक रूप से सभा में व्यवधान डाल रहे हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वह कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

माननीय रक्षा मंत्री ने वक्तव्य दिया है जो सभा के बाहर प्रेस में छपा है। उन्होंने टेलीविजन पर एक साक्षात्कार भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री ने सभा के बाहर इस बर्खास्तगी का उल्लेख किया है। मैं मानता हूं कि भारतीय संसद अपने कर्त्तव्य से चूकेगी यदि उसने इस मामले का उल्लेख नहीं किया, ध्यान न दिया तथा इस मामले पर पूरी गंभीरता के साथ विचार न किया। यह काफी चिंता का विषय है। हम संसदीय प्रजातंत्र की बात करते हैं। सरकार भी संसदीय प्रजातंत्र की बात करती है। लेकिन न तो, प्रधान मंत्री और न ही रक्षा मंत्री इस देश के प्रजातंत्र के सर्वोच्च मंच पर आकर सभा को विश्वास में लेते हैं। दोनों में से किसी ने यहाँ पर वक्तव्य नहीं दिया है। हमें इस बात के लिए पूर्णरूप से अंधकार में रखा जाता है कि इसका वास्तविक कारण क्या है, यदि इसका कोई कारण था।

[हिन्दी]

श्री शकुनी चौधरी (खगड़िया): तीन महीने पहले क्यों नहीं रेज किया ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम समाचार पत्रों के माध्यम से ही जान पाते हैं कि भूतपूर्व नौसेना प्रमुख ने एक प्रेस सम्मेलन भी किया है जिसमें लिए गए निर्णय की प्रक्रिया पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने अनौचित्य संबंधी आरोप लगाए हैं। उन्होंने रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। क्या सरकार सभा के समक्ष आकर तथा सभा को विश्वास में लेकर इसके माध्यम से देश को यह नहीं बता सकती कि क्या हुआ है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? रक्षा मंत्री द्वारा काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि भूतपूर्व नौसेना प्रमुख एक सुरक्षा खतरा बन गए थे। यह सेना के अफसर या नौसेना के अफसर के खिलाफ लगाए जाने वाला सबसे गंभीर आरोप था।

महोदय, इस संबंध में एक भी प्रतिक्रिया नहीं है। सरकार या रक्षा मंत्री ने श्री भागवत के प्रेस सम्मेलन पर क्या उत्तर दिया है? मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

महोदय, इस देश में यह एक अजीब गरीब घटना है जो घटित हो रही है। क्या कोई सरकार है? जिस खास अधिकारी ने खास व्यक्ति के धर्म के नाम पर सांप्रदायिक आधार पर आरोप लगाया है उसे तैनात करने के प्रयत्न का उद्देश्य रक्षा मंत्रालय के रिकार्ड में है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री चेतन चौहान।

...*(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: ऐसे अधिकारी को पदोन्नति देने के बाद, ऐसी कार्यवाही की गई है। ऐसी टिप्पणी की गई है कि खुद रक्षा मंत्री ने प्रतिकूल टिप्पणी रद्द की है, तथा यह सभा इसके बारे में कुछ नहीं जानती है। हमें समाचार पत्रों में विरोधात्मक रिपोर्टों पर विश्वास करना पड़ता है।

अतएव, महोदय, हम मांग करते हैं कि इस मामले पर तुरंत चर्चा हो कि कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गई है। अन्यथा कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: अब श्री चेतन चौहान।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, आप उन्हें अनुमति देते हैं जिन्होंने नोटिस दिया है। ...*(व्यवधान)* हमने नोटिस दिया है। आप हमें पहले अनुमति दें ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): अध्यक्ष जी, हम लोगों की बात भी सुनिए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कई नोटिस प्राप्त किए हैं। मैं एक एक करके बुला रहा हूँ।

...*(व्यवधान)*

, प्रो. पी.जे. कुरियन (मवेलीकारा): आपने हमारे पक्ष को बोलने का मौका नहीं दिया है ...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान: महोदय, ऐसा लगता है कि उन्होंने केवल सोमनाथ दादा को अनुमति दी है ...*(व्यवधान)* हमने उन्हें बोलने दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम जरूर सुनेंगे, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हाँ, श्री चेतन चौहान, आप क्या कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: अध्यक्ष जी, मैं सिर्फ तीन बातें कहना चाहता हूं। बात यह है कि यह मामला बहुत संवेदनशील है। इस तरीके से जितने अधिकारी निकाले जायेंगे या जितने अधिकारी पचास साल में निकाले गए हैं, उन सबकी चर्चा यहाँ होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रत्येक अधिकारी जो भारत सरकार के लिए कार्य करता है वह भारत के राष्ट्रपति की ईच्छा पर कार्य करता है। सरकार को किसी भी व्यक्ति को हटाने का पूरा अधिकार है और खासकर ऐसे संवेदनशील मामलों में।

यदि ऐसे मामले संसद में उठाए जायेंगे तो कोई सरकार कार्य नहीं कर सकती है। आज हमारी सरकार है। कल उनकी सरकार हो सकती है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब श्री मोहन सिंह।

...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान: महोदय, मैंने अभी तक अपनी बात पूरी नहीं की है। मैं दो और बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मोहन सिंह ने भी नोटिस दिया है।

...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम): हम प्रमुख विपक्षी दल हैं। आपको हमारी ओर से भी बुलाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री चेतन चौहान: महोदय, मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं कि यह अभूतपूर्व है। लेकिन यह भी अभूतपूर्व है कि जो लोग बरखास्त किए गए हैं, उनके मामलों को यहां उठाया जा रहा है। अगर इस प्रकार के मामलों को यहां उठाया जाएगा तो यह संसद सिर्फ बरखास्त लोगों का ही स्थान बन जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी की उपस्थिति में राज्य सभा के सभी नेताओं को इस प्रकरण पर बुलाकर माननीय डिफेंस मिनिस्टर ने ब्रीफ किया और उन्हें विश्वास में लिया। क्या यही प्रक्रिया लोक सभा के नेताओं के साथ नहीं अपनाई जा सकती थी? यह भारत की सीमाओं की सुरक्षा के साथ जुड़ा हआ एक संवेदनशील मामला है और इस मामले को अखबारों के जरिए पूरे देश में गलत ढंग से या सही ढंग से उछालने की कोशिश हो रही है। यदि सरकार राज्य सभा के नेताओं को अवगत करा सकती है तो लोक सभा के नेताओं को अवगत कराने में क्या दिक्कत थी? इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर भारत सरकार को वक्तव्य देना चाहिए और इस गंभीर सवाल को, जो आरोप नेवल चीफ ने भारत सरकार पर लगाए हैं और जिस तरह के मामले को उन्होंने खड़ा किया है, उस पर इस देश में सरकार द्वारा सफाई दिए जाने की जरूरत है।

रक्षा सेनाओं का मनोबल गिरा है और देश की जनता में इस प्रकार की ईमानदारी के प्रति संदेह पैदा हुआ है। इसलिए इस गंभीर सवाल पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और सारे तथ्य सदन के सामने लाए जाने चाहिए। ...*(व्यवधान)*

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): अध्यक्ष जी, अभी मोहन सिंह जी ने जो बात कही, उसमें बहुत वजन है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एच.डी. देवगौड़ा (हसन): महोदय हम यहां पर ऐसे संवेदनशील प्रश्न को उठाकर देश की रक्षा को हानि नहीं पहुंचाना चाहते। मैं इस सदन में विभिन्न सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों से सहमत हूँ। परन्तु मेरी प्राथमिक चिन्ता यह है कि बरखास्तगी के बाद जब माननीय रक्षा मंत्री ने इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम और समाचार पत्रों द्वारा पूरे देश को विश्वास दिलाने की कोशिश की, वह हमारी गलती नहीं है। मित्रों, मैं अपने दोनों हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि इस देश के लोगों के प्रतिनिधि होने के नाते, सम्प्रभुता सम्पन्न निकाय होने के नाते इस शीर्ष संस्थान को रक्षा मंत्री से जिन्होंने इस मामले के लिए इलैक्ट्रोनिक प्रचार माध्यम और समाचार पत्रों का प्रयोग किया, जानने का पूरा अधिकार है। अभी मैं उनके द्वारा लगाए गए आरोपों पर चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे अपनी बात स्पष्ट करने दें। मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता और न ही उन आरोपों को दोहराना चाहता हूँ जो कि माननीय रक्षा मंत्री ने अपनी कार्यवाही का बचाव करते हुए और नौसेना अध्यक्ष की बरखास्तगी की अपनी कार्यवाही को उचित ठहराते हुए और समाचार पत्रों के माध्यम से लगाये थे। क्या इस सभा को सरकार से यह जानने का अधिकार नहीं है कि किन परिस्थितियों में इतना कठोर कदम उठाया गया? जब मैं सरकार का नेतृत्व कर रहा था, तो मैंने इस व्यक्ति को नौसेना अध्यक्ष नियुक्त किया था। गत दो वर्षों में जब मैं और मेरे उत्तराधिकारी श्री आई.के. गुजराल सरकार में थे न तो हमने उनकी तरफ से किसी सुरक्षा आशंका के बारे में सुना अथवा न ही 'रा' अथवा 'आई.बी.', जो नौसेना अध्यक्ष की ओर से किसी सुरक्षा खतरे के बारे में अपने तरीके से जानकारी एकत्र करते हैं, से कोई रिपोर्ट प्राप्त की। उन्होंने मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं दी। मुझे यह नहीं पता कि क्या उन्होंने ऐसी कोई जानकारी मेरे उत्तराधिकारी को दी है। मुझे उसके बारे में पता नहीं है। हमने एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। अगर उसकी सत्यनिष्ठता और देशभक्ति पर सवाल उठाया जाता है तो मुझे उसके लिए राष्ट्र से अवश्य क्षमा मांगनी चाहिए। मैं इस मामले में झुकने को तैयार नहीं हूँ। हम इस मामले की इस प्रकार उपेक्षा नहीं कर सकते। हमने केवल नौसेना अध्यक्ष की बरखास्तगी के मामले को उठाया है। हम दलाली के अन्य पहलु पर नहीं गए हैं। हम उस मुद्दे को अभी नहीं उठाना चाहते।

मैंने नियम 193 के अंतर्गत पहले ही नोटिस भेज दिया है। मेरे मित्र ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि शून्यकाल में ऐसा गंभीर मामला नहीं उठाया जाना चाहिए। यह उसका तर्क है। हमने नियम 193 और 184 के अंतर्गत नोटिस भेजा है। यह आपकी कृपा पर है। आपने हमें आपको यकीन दिलाने के लिए कहा। आपने यह प्रश्न पूछा कि "आपको यह यकीन दिलाया जाए कि क्या यह चर्चा शामिल की जाए"। अपनी पूरी ईमानदारी से मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर विचार किया जाए क्योंकि इस देश के लोगों द्वारा निर्वाचित 545 सदस्यों को यह जानने का अधिकार है कि किन परिस्थितियों के अंतर्गत नौसेना अध्यक्ष को बरखास्त किया गया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कमलनाथ, अब यह स्पष्ट हो गया।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदय, मैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री द्वारा कही गई बात को उठा रहा हूँ।

मैं दूसरे पक्ष के अपने मित्र द्वारा कही गई बात को भी उठा रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: महोदय, कृपया मुझे पूरा कर लेने दीजिए। *...(व्यवधान)* वे बाधा उत्पन्न कर रहे हैं ऐसे में मैं कैसे बोल सकता हूँ *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम (गढ़वाल): क्या अध्यक्षपीठ को इस प्रकार संबोधित किया जाता है? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री एच.पी. सिंह (आरा): अध्यक्ष जी, आप जरा सा हमें भी सुनिये। जो लोग बड़े-बड़े आदमी हैं वही बोलते हैं। *...(व्यवधान)* हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कमल नाथ: मैं श्री एच.डी. देवगौड़ा द्वारा कही गई बात को उठा रहा हूँ। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान: ये कांग्रेस पार्टी के हैं, उसी कांग्रेस पार्टी के जिसने बोफोर्स घोटाला किया है। *...(व्यवधान)* पूरी पार्टी घोटाले वाली है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप बोफोर्स और यूरिया घोटाले पर बोलिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री कमल नाथ: यह केवल नौसेना अध्यक्ष की बरखास्तगी का प्रश्न नहीं है। मैं उस तरह की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं सीविलियन की सर्वोच्चता पर सवाल उठाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं किन्हीं नियुक्तियों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ; मैं किन्ही न्यायालय के मुकदमों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं गोपनीय रिपोर्टों के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ अथवा न ही यह बात कर रहा हूँ कि उस पर क्या टिप्पणी की गई।

इस पूरे मामले से भ्रष्टाचार की बू आ रही है। हमारे पास भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष का बयान है; हमारे पास भूतपूर्व वायुसेना अध्यक्ष का बयान है। चाहे वह पनडुब्बी हो अथवा विमानवाहक हो, चाहे वह युद्धपोत हों अथवा टॉरपीडोस हों अथवा मिसाइल्स हों अथवा अतिरिक्त पुर्जे हों अथवा हवाई जहाज हों, इन सब में रिश्वत शामिल है। यह एक ऐसा मामला है जिस पर सभा में चर्चा करने की आवश्यकता है। इसलिए मैंने नियम 184 के अंतर्गत चर्चा के लिए प्रस्ताव रखा है। इस मामले में कम से कम सभा को संयुक्त संसदीय समिति का गठन करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): ये जार्ज फर्नान्डीज पर आरोप लगा रहे हैं, इन्हें शर्म आनी चाहिए। *...(व्यवधान)* संसद और इस देश को जार्ज फर्नान्डीज पर गर्व है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामानन्द सिंह, कृपया बैठ जाइए।

श्री कमल नाथ: इस बरखास्तगी का संबंध हथियार लॉबी और दलाली से है। यह इस बरखास्तगी का कारण है लेकिन अब अन्य कारण, जो इससे संबद्ध नहीं है, को बताकर इसे दबाया और छिपाया जा रहा है। *...(व्यवधान)* हम मांग करते हैं कि एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। मैंने एक संयुक्त संसदीय समिति के गठन का प्रस्ताव आपके विचार हेतु रखा है। मैं जानना चाहता हूँ कि संयुक्त संसदीय समिति के मेरे नोटिस पर आपका क्या निर्णय है और इस बारे में आप क्या कर रहे हैं? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष जी, इन्होंने नैचुरल जस्टिस का गला काट कर नेवल-चीफ को चपरासी की तरह हटा दिया। इस तरह के सुरक्षा मंत्री को हटाया जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं विपक्ष की ओर से बोलने वाले सभी माननीय सदस्यों से पूर्णत: सहमत हूं। जब उन्होंने कहा था कि यदि देश में कोई महत्वपूर्ण घटना घटती है तो इस सभा को उस पर चर्चा से वंचित नहीं किया जा सकता। यदि सभा में आज तक इस प्रकार के और इस स्वरूप के मामलों को नहीं उठाया गया तो इसका कारण यह नहीं कि हम इसे उठा नहीं सकते बल्कि इसलिए कि हम अपने उपर रोक सिर्फ इसलिए लगाते हैं ताकि देश का सशस्त्र बल पूर्णत: गैर-राजनीतिक रह सके। *...(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी: लेकिन आप इसे दूरदर्शन पर उठा सकते हैं *...(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे विश्वास है कि भारत में लोकतंत्र वैसा ही है जैसा इसे होना चाहिए हमारी शक्ति का एक आवश्यक अवयव यह है कि यहां अन्य देशों की तरह नहीं है जहाँ सैन्य बलों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच आंतरिक आपसी संबंध होते हैं और उससे कई स्थितियां उत्पन्न होती हैं। यह इस संदर्भ में है कि जब यह घटना हुई तो विपक्ष के कुछ नेताओं और सरकार के बीच परस्पर अनौपचारिक विचार विमर्श हुआ था।

इसलिए आज तक, यद्यपि कई महीने बीत गये हैं-इस बीच कई अवसर आये थे और सामान्यतया हमने इस मामले को नहीं उठाया था। *...(व्यवधान)* महोदय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दो। श्री बसुदेव आचार्य, कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: श्री मोहन सिंह ने एक बहुत ही उपयुक्त तथ्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया था। श्री सिकंदर बख्त जो दूसरी सभा के नेता हैं, यहां उपस्थित है, उन्होंने भी मुझे बताया कि दूसरी सभा में क्या हुआ था अर्थात सभी पार्टियों के नेता, सभापति और प्रधानमंत्री के साथ सहमत थे *...(व्यवधान)* महोदय मैं अपनी बात पूरी करूँगा *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दो। यह क्या है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: वह समय बीत गया। अब इसमें बिना बहस के कोई गुंजाइश नहीं है। इस मामले की जांच होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम आपका आदेश मानते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: दूसरी सभा में नेता इस बात पर सहमत हुए हैं कि इस मामले को सभा में नहीं उठाया जायेगा और उसे केवल चर्चा तक ही सीमित रखा जायेगा।

जहां तक एक सभा का संबंध है, महोदय, आप संरक्षक हैं। अभी श्री एच.डी. देवगौड़ा ने यह उल्लेख किया था कि उन्होंने प्रस्ताव की अनौपचारिक सूचना दी है।

कुछ माननीय सदस्य: हमने भी दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ठीक है, यहां यह आपत्ति उठाई जा रही है कि इस मामले पर शून्यकाल के दौरान चर्चा की जा रही है। यह आपत्ति थी। लेकिन जहां तक हमारा और सरकार का संबंध है, महोदय, सरकार इस मामले को आपको सौंपती है और आप जिस तरीके से इसे निपटायेगें, हमें वह स्वीकार होगा।

श्री अजित कुमार पांजा: मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं। आपका निवेदन क्या है? आप केवल निवेदन कर सकते हैं।

श्री अजित कुमार पांजा: मैं यह बात कहूंगा। मैं श्री एच.डी. देवगौड़ा का समर्थन करता हूं जब उन्होंने यह कहा था कि न केवल सदस्यों को बल्कि इस देश को जानने का अधिकार है। मेरी आपत्ति यही है। हमने अर्थात् इस सभा के सदस्यों ने आपके आशीर्वाद से नियम बनाये हैं। नियमों में विशेष रूप से तात्कालिक सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने की व्यवस्था की गई है। ऐसा एक प्रस्ताव लाकर किया जा सकता है अथवा यदि यह बहुत ही तात्कालिक हो तो हम अल्प सूचना प्रश्न भी कर सकते हैं। जब नियम 184 अथवा नियम 193 के अंतर्गत आपको कोई सूचना दी जाती है तो इस पर आपको निर्णय करना होता है। मैं पूर्ण विनम्रता से निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यक्षपीठ द्वारा निर्णय लिए जाने से पहले आप यहां इस पर चर्चा किए जाने की अनुमति नहीं दे सकते। लेकिन यदि आप उन सदस्यों की बात सुनना चाहते हैं जिन्होंने आपके निर्णय से पहले सूचना दी है तब आप उनकी बात सुन सकते हैं और नियम 184 और नियम 193 के अंतर्गत चर्चा किए जाने की अनुमति देने के बारे में निर्णय कर सकते हैं *...(व्यवधान)* महोदय, क्या मैं अपनी बात पूरी कर सकता हूं।

अन्यथा यह एक बहुत ही संवेदनशील मामला है। हमारी रक्षा प्रणाली विवादास्पद हो गई है। इसलिए विश्वास जरूरी है। लोक सभा को रक्षा प्रणाली में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। इसलिए कृपया इस बात को ध्यान में रखकर इस पर निर्णय करें। लेकिन हमें और लोगों को यह जानने का अधिकार है।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से संपूर्ण सभा से केवल एक ही अनुरोध करना चाहता हूं। प्राय: जो हम सामान्य वाद-विवाद में नहीं कह सकते। मेरे विचार से उसे असूचीबद्ध कार्य में प्रक्रिया के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। अनिवार्यत: हम संगत नियमों का पालन करने के अतिरिक्त मंत्रियों अथवा सदस्यों के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते। न केवल इस मामले में बल्कि सामान्यतया भी जब कभी हम किसी सदस्य अथवा मंत्री के खिलाफ कोई आरोप लगाते हैं तो संगत नियमों का पालन किया जाना चाहिए। इसलिए हम ऐसा सामान्य प्रक्रिया में नहीं कर सकते।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): आपने सुखराम के मामले में क्या किया है? आपने 18 दिन तक कार्यवाही नहीं चलने दी थी *...(व्यवधान)*

श्री शरद पवार (बारामती): महोदय, आपका निर्णय क्या है?

अध्यक्ष महोदय: मैं अपना निर्णय दूंगा।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: महोदय, मेरी बात भी सुनी जाए। यहाँ अनेक व्यक्ति सेवाओं और इसके मनोबल के प्रायोजक बन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि मेरी बात सुनी जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री खण्डूरी, आपका क्या निवेदन है?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: यहां कई चीजें हो रही हैं। मैं आपको केवल अनुरोध कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब हम मामले पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप केवल निवेदन कर सकते हैं।

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: प्रत्येक ने अपनी बात कही है। हमने केवल इस पर चर्चा करने के लिए इतना अधिक समय लगा दिया है।

अध्यक्ष महोदय: आपका निवेदन क्या है?

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: यहां मैं केवल यह बताना चाहता हूं और सभा से अनुरोध करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

मैंने सेना में 38 साल बिताये हैं *...(व्यवधान)* जो कुछ यहां हो रहा है वह बहुत दुखद है। सेवाओं और सेवा संगठनों की लागत पर राजनीतिक लाभ प्राप्त किये जाने की अपेक्षा है। *...(व्यवधान)* यह मेरी राय है। हमने आपके विचार सुने हैं। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि जब हम विपक्ष में थे तो मैंने बार बार रक्षा सेवाओं का मामला उठाया था। हर बार यही उत्तर मिलता था कि यह हमसे मत पूछो। यह पवित्र गाय है। बजटीय प्रस्तावों से संबंधी प्रश्नों का भी यही उत्तर दिया गया था। इस बात पर सहमति हुई थी कि जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। मैं पूर्णरूप से सहमत हूं कि सभा को जानकारी मिलनी चाहिए। लेकिन पद्धति क्या है? यदि आप कोई आरोप उठाना चाहते हैं तो उस आरोप को उठाने की पद्धति है और फिर सभा आरोप के मामले पर चर्चा कर सकती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. पी.जे. कुरियन, कृपया बैठ जाइए। आप दोनों मुख्य सचेतक हैं।

...(व्यवधान)

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: मैं केवल यह कह रहा हूं कि चर्चा की चाहे कोई भी पद्धति हो कृपया यह सुनिश्चित किया जाये कि इससे रक्षा सेवाओं की पवित्रता और वहाँ व्याप्त किसी भी प्रकार के माहौल पर किसी भी तरीके से कोई प्रभाव न पड़े। यह मेरा भूतपूर्व सैनिक के रूप में अनुरोध है, न कि एक राजनीतिज्ञ के रूप में ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया मेरी बात सुनो। मुझे अन्य बातों के साथ साथ भूतपूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत द्वारा माननीय रक्षा मंत्री के खिलाफ लगाये गये आरोपों के संबंध में प्रस्तावों, अल्पकालिक चर्चा, ध्यानाकर्षण, शून्यकाल की सूचनायें प्राप्त हुई हैं। यह मामला संवेदनशील होने के कारण मंत्रालय को तथ्य भेजने के लिए कहा गया है। यह समझा गया है कि मुम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों में 3 जनहित रिट याचिकायें दायर की गई हैं। इस संबंध में उनकी स्थिति का पता लगाना पड़ेगा। यह सूचनायें मेरे विचाराधीन हैं। मेरा भी इस मामले पर आज ही नेताओं से परामर्श करने का विचार है। कृपया मेरे साथ सहयोग करें।

स्थगन प्रस्ताव के बारे में श्री मोहन सिंह की स्थगन प्रस्ताव की सूचना के संबंध में मैं यह कहना चाहूँगा कि यह आज 10 म.पू. के पश्चात प्राप्त हुई है और यह आज के लिए अमान्य है।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के सतना जिले में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिला उद्योग केन्द्र एवं राष्ट्रीयकृत बैंकों की लालफीताशाही, धीमामस्ती व भ्रष्टाचार के कारण निष्प्रभावी हो रही है। गत वर्ष 1997-98 में इस योजना की करोड़ों रुपये की राशि लैप्स हो गई है किन्तु शिक्षित बेरोजगारों को ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया।

अपराह्न 12.54 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस वर्ष जनवरी, 1999 तक मात्र सात प्रतिशत राशि ऋण के रूप में शिक्षित बेरोजगारों को प्रदान की गई हैं व 31 मार्च, 1999 तक 15-20 प्रतिशत से ज्यादा राशि बेरोजगारों को ऋण के रूप में नहीं दी जा सकेगी।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवस्था बनाए रखें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या मैं माननीय सदस्यों से अपना अपना स्थान ग्रहण करने का अनुरोध कर सकता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह: अत: भारत सरकार से अनुरोध है कि मध्य प्रदेश शासन व राष्ट्रीय बैंकों को निर्देश दें कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की राशि सतना जिले में शिक्षित बेरोजगारों को प्रदान करने की लापरवाही न बरतें ताकि शिक्षित बेरोजगार इस योजना का लाभ उठा सकें।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरीडीह): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र के चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन में व्याप्त अनियमितताओं और दामोदर नदी में व्याप्त प्रदूषण के संबंध में आकृष्ट कराना चाहता हूं। वहां थर्मल पावर स्टेशन का ऐश दामोदर नदी में फेंका जा रहा है जिसके कारण नदी में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है। दो साल से उसका ऐश पॉण्ड भरा हुआ है और अभी तक उसकी निकासी नहीं हुई है। मैं मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि अपने स्तर से इसकी उचित जांच कराएं और वहां जो भाई-भतीजावाद फैला हुआ है, नियमों के विरुद्ध काम हो रहा है और अराजकता फैली हुई है। वहां के अधिकारी और विजिलेन्स डिपार्टमेंट अप्रभावी हैं और खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: पाण्डे जी, आप क्या पढ़ रहे हैं?

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: चंद्रपुर थर्मल पावर स्टेशन में ऐश पॉण्ड के संबंध में।

उपाध्यक्ष महोदय: यह जीरो आवर है। इसमें पढ़ नहीं सकते हैं। आपको सरकार से क्या कहना है वह बोलिये।

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय: मेरा सरकार से आग्रह है कि चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन से दामोदर नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए जांच कराई जाए और वहां जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसके खिलाफ अविलम्ब कार्रवाई हो।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, दिसम्बर, 1996 में पुरुलिया जिले में बड़ी मात्रा में शस्त्र गिराए गए थे। यह मामला कलकत्ता में विशेष न्यायालय में लंबित हैं। अब चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं और यह मामला ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, यह 'शून्यकाल' है। आप इसे 'शून्यकाल' में नहीं पढ़ सकते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य: मैं पढ़ नहीं रहा हूं। मैं केवल कल प्रकाशित हुए समाचार का उल्लेख कर रहा हूं। यह मामला ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में उठाया गया था। यह कहा गया था कि दस्तावेज का संबद्ध अंश, जिसे विशेष न्यायालय में भेजा गया था, का लोप कर दिया गया है और परिवर्तन अथवा हेरफेर किया गया है। इसके परिणामस्वरूप न्यायालय अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है। ऐसा कैसे हो सका और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सर टेडी टेलर ने आरोप लगाया है कि ब्रिटेन की सरकार ने दिसम्बर, 1995 में मुख्य संदिग्ध व्यक्तियों पीटर ब्लीच तथा नार्थ [illegible], पुलिस, के बीच हुई बैठक के एक हस्तलिखित टिप्पण का महत्वपूर्ण सबूत जानबूझकर बदल दिया और हेरफेर किया। [illegible] न्यायालय को दिए गए दस्तावेज के विशिष्ट अंश आरंभ तथा अंत में हटा दिए गए हैं। यह आरोप लगाया गया है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको वक्तव्य नहीं देना है। आपको केवल सरकार का ध्यान आकर्षित करना है। मैं आपको आगे बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आप केवल यह कह सकते हैं कि आप सरकार से क्या करवाना चाहते हैं।

श्री वसुदेव आचार्य: भारत सरकार को इस मामले पर ब्रिटिश सरकार के साथ चर्चा करनी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि दस्तावेज में हेरफेर किसने किया और केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला? भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है? चूंकि यह एक गंभीर मामला है इसलिए मैं भारत सरकार से स्पष्टीकरण देने की मांग करता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

[हिन्दी]

मेजर जनरल भुवन चन्द्र खण्डूड़ी, एवीएसएम: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान पृथक उत्तरांचल प्रदेश के निर्माण की ओर दिलाना चाहता हूं। पिछले सत्र में उत्तरांचल प्रदेश का प्रस्ताव इस हाउस में लाया गया था, लेकिन तब से अब तक इस पर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं संसदीय कार्य मंत्री और माननीय गृह मंत्री से आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तरांचल के पृथक प्रदेश के निर्माण का प्रस्ताव इसी सत्र में लाया जाए और उसे पारित किया जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, मैं इस सभा का ध्यान अत्यधिक गंभीर मामले की ओर दिलाना चाहता हूं ...*(व्यवधान)* महोदय, इस सरकार के अधीन न केवल ईमानदार अधिकारियों को धमकी दी जाती है वरन् एक न्यायाधीश, जिसे मंत्री पसंद नहीं करते हैं, को बर्खास्त कर दिया जाता है। चेन्नई उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शिवप्पा की अनौपचारिक बर्खास्तगी राजनीतिक प्रतिशोध की चेष्टा है। अज्ञात शिकायत के आधार पर एक जांच की गई थी ...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): महोदय, वह खुद राष्ट्रपति के आचरण पर ही प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री आर. मुथैया: महोदय, किसी सदस्य को खुद राष्ट्रपति के आचरण की जांच करने की अनुमति किस तरह दी जा सकती है?

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, तथ्यों की जांच-पड़ताल किए बिना जांच करवाई गई थी जोकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या करवाना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आप सभी से सभा में शांति बनाए रखने का अनुरोध कर रहा हूं ताकि सभी को बोलने का मौका मिल सके। अन्यथा, मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा। कृपया मेरा साथ दें।

...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप: महोदय, विधि मंत्री ने स्वयं फैक्स संदेश भेजा है और फैक्स का संदेश न्यायाधीश को दे दिया गया था ...*(व्यवधान)* न्यायमूर्ति शिवप्पा तमिलनाडु के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा भूतपूर्व मंत्रियों के भ्रष्टाचार के मामलों की जांच कर रहे थे। मैं सरकार की इस कार्यवाही की निंदा करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री वी. सत्यमूर्ति (रामनाथपुरम): महोदय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उसे केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): मंत्री महोदय को यह शक्ति किसने प्रदान की है? ...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन् (चिरायिंकिल): महोदय, मैंने खुद इस विषय के बारे में ही सूचना दी है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं श्री त्रिपाठी का नाम पुकार चुका हूं। मैं वापस आपका नाम पुकारूंगा।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रीवा के विकास खंड पड़िया के सरपंच श्री बाबूलाल कोरी ने दि. 7.2.1999 को कलक्टर रीवा को नोटिस दिया कि अगर उसके क्षेत्र के विकास कार्य जिसमें मेरे द्वारा प्रस्तावित कार्य भी हैं और निराश्रित पेंशन योजना का यदि निराकरण नहीं किया गया तो वह आत्मदाह कर लेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, कलैक्टर ने मना किया और समझा-बुझाकर उसको कहा कि 15 दिन के अन्दर काम कर देंगे, लेकिन काम नहीं किया और 22.2.99 को उस सरपंच ने आत्महत्या कर ली। उस सरपंच के पिता ने कलैक्टर को फिर लिखा कि यदि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, तो मैं भी आत्मदाह कर लूंगा, लेकिन महोदय कलैक्टर ने कार्रवाई करनी तो दूर रही सरपंच के पिता को ही गिरफ्तार कर लिया। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वहां पंचायतीराज की जो उपेक्षा हो रही है और चुने हुए जनप्रतिनिधियों को आत्मदाह करना पड़ रहा है, इस स्थिति को गंभीरता से लिया जाए। ग्राम पंचायत पड़िया के सरपंच श्री बाबू लाल कोरी ने कलैक्टर की नादिरशाही के खिलाफ आत्मदाह किया क्योंकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि से जिस कार्य को करने के लिए मैंने धन दिया, उसको करना भी कलैक्टर ने मान्य नहीं किया। रीवा के कलैक्टर जनप्रतिनिधि और स्वयं मेरे द्वारा उनको लिखे पत्रों के उत्तर भी नहीं देते। सरपंच को आत्महत्या करनी पड़ी। मैं चाहूंगा कि इस दिशा में कार्रवाई की जाए और अपराधियों को दंडित किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री गोपाल

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न 'शून्य काल' के दौरान किस तरह उठाया जा सकता है?

उपाध्यक्ष महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कोई भी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जाना चाहिए।

..*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे निवेदन कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, इन्होंने सूचना नहीं दी है।

श्री सी. गोपाल (अर्कोनम): जी, नहीं, महोदय, मैं सूचना दे चुका है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या अध्यक्ष पीठ 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति देंगे ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय अध्यक्ष ने आज बार-बार कहा था कि 'शून्य काल' के दौरान व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। जैसाकि मैं समझता हूं, श्री गोपाल निवेदन कर रहे हैं। श्री गोपाल, कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें।

श्री सी. गोपाल: महोदय, कम्युनिस्ट पार्टी के मेरे मित्र ने प्रश्न उठाया है। मैं कहना चाहता हूं कि यह केवल राष्ट्रपति का ही आदेश था जिसे मंत्री जी ने सूचित किया था। राष्ट्रपति के आदेश पर यहां चर्चा नहीं की जा सकती है। अतः, इसे कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बाधा उत्पन्न न करें।

श्री सी. गोपाल: यह पत्र केवल राष्ट्रपति का आदेश था। मंत्री महोदय द्वारा केवल पत्र भेजा गया है। अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस मामले को कार्यवाही वृत्तांत से हटा दिया जाए क्योंकि इसे कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं होना चाहिए। महोदय, इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मसले की ओर आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि उत्तर प्रदेश के जनपद खीरी में केन्द्रीय विद्यालय न होने से जो वहां के प्रतिभाशाली छात्र हैं चाहे वे ग्रामीण क्षेत्रों के हैं और चाहे शहरी क्षेत्रों के उन्हें बहुत बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। राज्य कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा में भी अवरोध पैदा हो जाता है जिसके कारण उनका मन राजकाज में नहीं लगता है और वे स्थानांतरण पर भी वहां आने में आनाकानी करते हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश के जनपद खीरी में बहुत जल्दी एक केन्द्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव): माननीय उपाध्यक्ष जी, प्रधान मंत्री जी के संसदीय क्षेत्र लखनऊ में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह समाप्त हो गई है। लखनऊ जेल में कैदियों के पास मोबाइल फोन हैं और उनके द्वारा मोबाइल फोनों के माध्यम से लखनऊ के सब लोगों से संपर्क किया जा रहा है। लखनऊ जेल में कैदियों के से आपत्तिजनक हथियार और उसी के साथ-साथ आपत्तिजनक सामग्रियां बरामद हुई हैं। अभी हाल में 5 फरवरी के दिन लखनऊ विधान सभा के सामने गोलीबारी हुई जिसमें एक रिक्शाचालक की मृत्यु हो गई।

माननीय उपाध्यक्ष जी, लखनऊ की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है जिसके कारण एक राज्य मंत्री को कहना पड़ा कि डाकुओं को वहां सरकार संरक्षण दे रही है। इतना ही नहीं अभी पश्चिम बंगाल की पांच लड़कियों को वहां ले जाकर बेचा गया। आज ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो प्रधान मंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है वहां कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है। प्रधान मंत्री जी उसको देखें।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): माननीय सदस्य ज्येष्ठतम सदस्यों में से हैं और सारी बात सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यह राज्य सरकार का सवाल है। अगर ज्येष्ठ सदस्य राज्य सरकार का सवाल इस प्रकार से यहां खड़ा करेंगे तो यह विधान सभा ही बन जायेगी। ...*(व्यवधान)*

मैं एक ही अनुरोध करना चाहूंगा कि भविष्य में राज्य की लॉ एंड आर्डर की जो सिचुएशन्स है ...*(व्यवधान)* उसे आप सदन में इस प्रकार से उपस्थित न करे।

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे लोक सभा क्षेत्र में पांच तारीख को एक रेल दुर्घटना हुई थी। ई.एम.यू. गाड़ी खुर्जा से चली। जब वह घनकोर रेलवे स्टेशन के आगे चली तो स्टेशन के ऊपर कुछ पत्थर पड़े हुए थे। जब स्टेशन से गाड़ी निकली तो उन पत्थरों से बहुत जबरदस्त चिंगारी निकली और धुआं उठा। ड्राईवर ने समझा कि आग लग गई। उसने मौके पर ही गाड़ी रोक दी। जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही पैसेंजर्स ने समझा कि आग लग गयी और इस अफरा-तफरी में वह गाड़ी से कूद गये। कूदने के पश्चात् उधर से गोमती एक्सप्रैस आ रही थी जिसमें चार-पांच लोग घटनास्थल पर ही बुरी तरह से घायल हो गये। बाद में उनकी मृत्यु हो गई। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि जो लोग मरे हैं, वे निर्दोष हैं। अगर कोई गलती हुई है तो वह ड्राईवर से हुई है, रेलवे की हुई है। इसलिए उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: जो मरे हैं, क्या वे निर्दोष हैं?

श्री अशोक प्रधान: वे बेगुनाह हैं। उनको दोषी क्यों बनाया जाये? मेरी उनसे बात हुई थी। वे गाड़ी से कूदे, यह उनकी गलती है लेकिन वे कहते हैं कि ड्राईवर ने धुंआ देखकर गाड़ी रोक दी जिससे उन्होंने समझा कि आग लग गयी है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वे निर्दोष हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उनको कम्पैनसेशन मिलना चाहिए तथा मृतकों के परिवार के जो आश्रित हैं, उनको नौकरी दी जाये। माननीय रेल राज्य मंत्री जी यहां बैठे हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे इस विषय पर कुछ कहें।

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, यह ऐसा एक्सीडैंट है, जिसको विचित्र एक्सीडैंट कह सकते हैं क्योंकि उसके पहले कुछ ब्लास्ट नीचे गिराया गया था। उधर से दूसरी गाड़ी के आने से यह एक्सीडैंट हुआ है। माननीय सदस्य ने यहां पर जो बात रखी है, वह मौटे तौर पर सही है इसलिए मृतकों के परिवार वालों को किस प्रकार से हम सहायता दे सकते हैं, उस पर हम जरूर विचार करेंगे।

[अनुवाद]

श्री के. येरननायडू (श्रीकाकुलम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मानव संसाधन मंत्री यहां बैठे हैं। मैं 1978-79 में आंध्र प्रदेश में शुरू की गई अनौपचारिक शिक्षा के संबंध में एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहा हूं।

मुद्दा यह है कि पर्यवेक्षक और अनुदेशक बढ़े हुए वेतन पाने के संबंध में केन्द्र सरकार को कई अभ्यावेदन दे चुके हैं। हम अनुदेशक को 250 रुपये तथा पर्यवेक्षक को 500 रुपये अदा कर रहे हैं। प्रत्येक पर्यवेक्षक को 25 विद्यालयों की जिम्मेदारी दी गई है। उनके लिए कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं है। वर्तमान सरकार अपनी शिक्षा नीति में ही रुचि रखती है। इसके अलावा, सरकार की शिक्षा नीति राष्ट्रीय एजेंडा में पहले से ही शामिल है। यहाँ तक कि वर्तमान बजट में भी वे प्राथमिक शिक्षा पर बहुत ज्यादा जोर डाल रहे हैं। यह पूरी तरह से बेरोजगार बच्चों तथा बीच में स्कूल छोड़ने वाले अशिक्षितों के लिए है। हम अपने राज्य में अनौपचारिक शिक्षा प्रदान कर रहे हैं।

इस संबंध में, मैं यह कहना चाहूंगा कि वे बढ़े हुए वेतन तथा यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते की अदायगी की मांग कर रहे हैं। दूसरा मुद्दा यह है। यह मानकर चलिए कि वे बीस साल से काम कर रहे हैं तो उनके पास बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई अन्य अवसर नहीं है। राज्य सरकार के स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के संबंध में उनकी सेवा के पाँच या छह वर्ष बाद उन्हें बी.एड. शिक्षक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। अतएव, पर्यवेक्षक तथा अनुदेशकों ने माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री के पास अपनी मांग रखी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से विनम्रतापूर्वक यह निवेदन करूँगा कि वे इन मांगों को देखें तथा उन पर विचार करें।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, काफी चिंतापूर्वक मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र में एच.टी.एल. लिमिटेड की संभावित बिक्री की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। पूर्व में, यह हिन्दुस्तान टेलीप्रिंटर्स लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। अब इसका नाम एच.टी.एल. कर दिया गया है। यह कम्पनी दूरसंचार तथा सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग में आने वाले उत्पादों का उत्पादन कर रही है। यह लगातार दो दशकों से भी लंबे समय से लाभ कमा रही है। यह 'मिनी रत्नों' में से एक है। यह 2000 लोगों को प्रत्यक्ष रूप से तथा 300 लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार के अवसर प्रदान कर रही है।

14.2.1999 को तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री ने स्थिति के संबंध में माननीय प्रधानमंत्री का भी ध्यान आकृष्ट किया था।

उन्होंने उनसे यह भी आग्रह किया कि कम्पनी हस्तांतरित न की जाये या इसका 100 प्रतिशत विनिवेश न किया जाय ताकि मजदूर संघ के हित सुरक्षित रहें। मैं इस सरकार को 'विदेशी' के पक्ष में शाही स्वागत न करने का आग्रह करूँगा क्योंकि यह सरकार 'विदेशी' अवधारणा के पक्ष में नहीं है। मैं इस सरकार से 100 प्रतिशत विनिवेश न करने का आग्रह करूंगा। यदि वे विनिवेश करना चाहें तो इसे 49 प्रतिशत तक सीमित रखें। श्रमिकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामनारायण मीणा (कोटा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जो बात कहना चाहता हूं उसके बारे में सरकार को जानकारी है। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो राजस्थान में थी, ने सितम्बर के महीने में केन्द्र सरकार से 1500 करोड़ रुपये मांगे थे। राजस्थान में 20,000 गांव अभावग्रस्त घोषित किये जा चुके हैं, 5,000 गांव ऐसे हैं जिनको अभी अभावग्रस्त घोषित किया जाना है। इसके बावजूद केन्द्र सरकार द्वारा पशुधन, मनुष्य के जल के लिए और रख-रखाव के लिए अभी तक कोई राशि नहीं दी गई है जिससे वहां के लोगों को रोजगार और चारे आदि की गंभीर समस्या से छुटकारा दिलाया जा सके। राजस्थान सरकार के पास पहले के मात्र 112 करोड़ रुपये शेष हैं तथा इस वर्ष 198 करोड़ रुपये दिये जाने हैं। उसमें से 217 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो चुके हैं तथा मात्र 193 करोड़ रुपये शेष हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: भाषण मत दीजिए, क्या करना है वह बताइए।

श्री रामनारायण मीणा: उपाध्यक्ष महोदय, 1147 करोड़ रुपये चाहिए। हमने केन्द्रीय टोली से 950 करोड़ रुपये की मांग की है। मेरा निवेदन है कि रेगिस्तानी इलाके को देखते हुए इम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए केन्द्र सरकार ईमानदारी से राजस्थान सरकार की मदद करें और अविलंब सहायता प्रदान करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती कृष्णा बोस।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: श्री चमन लाल गुप्त, मैं सभी को एक साथ कैसे समायोजित कर सकता हूं? मैं प्रत्येक व्यक्ति पर आ रहा हूँ। धैर्य न खोएं। आपको भी अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग करना चाहिए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, यह व्यवहार करने का तरीका नहीं है। मैं इसे बढ़ावा नहीं देता हूं।

...(व्यवधान)

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में कलकत्ता 'मेडिकल कॉलेज' के संबंध में छपे काफी चिंतापूर्ण समाचार की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश कर रही थी।

जैसाकि हम सभी जानते हैं, कलकत्ता मेडिकल कालेज देश का सबसे पुराना मेडिकल कालेज है तथा एशिया की प्रमुख संस्था रही है। आज के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में यह छपा है कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने एम बी बी एस पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या 155 से घटाकर 100 कर दी है। मैं अपनी पूरी जिंदगी में शिक्षाविद् रही हूं। मैं आपसे कह सकती हूँ कि यह पश्चिम बंगाल, पूर्वी राज्यों तथा अन्य उत्तर-पूर्व के राज्यों के चिकित्सा विद्यार्थियों के लिए गहरा धक्का होगा। यह क्यों हुआ है? मैं वास्तव में भारतीय चिकित्सा परिषद को दोष नहीं देती हूं। उन्होंने राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा राज्य शिक्षा विभाग को 1993, 1997 तथा 1998 में तीन चेतावनियाँ दी हैं कि यदि वे कुछ नहीं करते या कमियों को दूर नहीं करते हैं, तो वे कठोर कार्यवाही करेंगे। चिकित्सा महाविद्यालय का स्तर गिर रहा था, भवन ढह रहे हैं, कोई अवसंरचनात्मक नहीं थी, कोई उपाकर तथा कोई अध्यापन नहीं हो पा रहा था।

मैं आपके माध्यम से सभा का ध्यान आकृष्ट करने के लिए खड़ी हुई हूं कि शिक्षा समवर्ती सूची में है। मानव संसाधन विकास मंत्री सभा में उपस्थित हैं। मैं उनसे पश्चिम बंगाल सरकार, राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण तथा राज्य शिक्षा प्राधिकरण को कुछ करने की सलाह देने को कहूँगी ताकि कलकत्ता का चिकित्सा महाविद्यालय अपनी पुरानी प्रतिष्ठा प्राप्त कर सके।

मैं भारतीय चिकित्सा परिषद से भी हमें पहले से प्राप्त एम बी बी एस की 150 सीटें बहाल करने का आग्रह करूँगी। मेरा यही कहना है।

प्रो. ए.के. प्रेमाजम (बडागरा): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं इस पवित्र सभा का ध्यान एक काफी गंभीर मामले की ओर आकृष्ट करना चाहूँगा। भारतीय खाद्य निगम केरल को घटिया तथा क्षतिग्रस्त खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहा है जो वास्तव में आवश्यक गुणवत्ता वाला नहीं है। यह घटिया है तथा मानव द्वारा उपभोग हेतु अनुपयुक्त है।

महोदय, यह सामान्य ज्ञान की बात है कि आंध्र प्रदेश तथा पंजाब में प्राकृतिक आपदाओं के कारण बड़ी मात्रा में खाद्यान्न क्षतिग्रस्त हुआ है। ये खाद्यान्न भारतीय खाद्य निगम द्वारा खरीदे जा रहे हैं तथा केरल भेजे जा रहे हैं तथा गत जनवरी से क्षतिग्रस्त चावल जो मानव उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं है, केरल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से आबंटित किया जा रहा है। यह उस समय किया जा रहा है जब भारत सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न के निर्गम मूल्य में बढ़ोत्तरी की है। केरल के राशन डीलर इस प्रकार के खाद्यान्न की सुपर्दगी वास्तव में नहीं ले रहे हैं क्योंकि उन्हें भय है कि केरल के लोग, जो अपने उपभोक्ता अधिकार के प्रति काफी सजग हैं इसे नहीं खरीदेंगे। ऐसे खाद्यान्नों की आपूर्ति नहीं रोकी गई है और यह अभी जारी है।

महोदय, मुझे आशंका है कि इस आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्न की मांग में कमी आयेगी जिसके आधार पर भारत सरकार द्वारा खाद्यान्न के आबंटन में कमी की जायेगी। अतएव, मैं भारत सरकार से इस मामले की जाँच करने का आग्रह करूँगा तथा यह भी आग्रह करूँगा कि इस मामले पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति दी जाय।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि विकास कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है, जिसमें एम.पीज. और एम.एल.एज. की ग्रांट को भी शामिल किया जा सकता है, उसका 10 प्रतिशत पैसा भी विकास कार्यों पर नहीं लग पाता है। उसे बिचौलिये हजम कर जाते हैं।

यदि कोई काम सही ढंग से नहीं होता, देर से होता है या फिर उसमें विकास कार्यों पर सामान सही और उचित क्वालिटी का नहीं लग पाता है तो उसके लिए पब्लिक जनप्रतिनिधियों से आकर कहती है। उसके लिए जवाबदेह जनप्रतिनिधि हैं, जबकि

सारी वित्तीय, कार्यकारी एवं प्रशासकीय शक्तियां ब्यूरोक्रेट्स के पास हैं। यदि कोई डिप्टी कमिश्नर किसी एम.पी. के कहने से जनहित के जायज कामों में भी रोड़ा अटकाता है और बार-बार कहने के बावजूद भी काम नहीं करता है तो किसी एम.पी. के पास उसके खिलाफ क्या पावर्स हैं, वह उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? सरकार यह बताये कि एम.पी. की ये शक्तियां हैं, वह यह कर सकता है।

मैं दो मिनट में एक बात और कहना चाहती हूं। एम.पी. केवल शिकायत कर सकता है, लेकिन उस शिकायत पर कार्रवाई होने में महीनों लग जाते हैं। इससे इन ब्यूरोक्रेट्स का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनके हौसले बुलन्द हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को वित्तीय, प्रशासकीय और कार्यकारी अधिकार न मिल पाने के कारण उनके हाथ-पांव कटे होते हैं। संविधान में संशोधन करके यह कानून बनाया जाये कि एम.एल.ए. या एम.पी. की ये शक्तियां हैं, ये पावर्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: भारत सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, आप वह बताइये।

श्रीमती कैलाशो देवी: भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एम.पीज. की ये पावर्स हैं। जब तक पावर्स निश्चित नहीं की जाएगी, तब तक प्रजातंत्र के ऊपर ब्यूरोक्रेसी इसी प्रकार हावी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई हूं, मुझे एक मिनट का समय और दे दें। प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह कहा था कि ब्यूरोक्रेसी कार्यों में अड़चन डालती है, उस संबंध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं? प्रधान मंत्री जी ने क्या कोई सकारात्मक कदम उठाये हैं? प्रधान मंत्री जी का एक बयान भी अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि स्विस प्रधान मंत्री ने फोन पर उनसे कहा है कि हिन्दुस्तान के भ्रष्ट लोगों का बेइंतहा पैसा स्विस बैंकों में जमा पड़ा है। क्या सरकार ने उस पैसे को भारत में लाने के लिए कोई पहल की है, कोई सकारात्मक कदम उठाया है, ताकि बड़ी-बड़ी विकास की परियोजनाएं, बड़े-बड़े डैम्स, पावर प्लांट्स, रिफाइनरीज, जो लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं, उनको पूरा किया जा सके। हिन्दुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। सरकार इस बारे में पहल क्यों नहीं कर रही है?

श्री के.डी. सुल्तानपुरी (शिमला): उपाध्यक्ष महोदय, मैं हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। हिमाचल प्रदेश में शिमला के अंदर एक सरकारी डेंटल कालेज है। उसके छात्रों ने 3 फरवरी, 1999 से हड़ताल की हुई है। मैं उसकी मान्यता के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उस कालेज को भारत सरकार ने मान्यता दी हुई है, डेंटल कौंशिल आफ इंडिया ने भी रिकमंड किया है और अब तक हर वर्ष करती रही, लेकिन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने मान्यता के बारे में शर्त लगा दी है कि इस वर्ष की मान्यता नहीं है किस कारण शिक्षण तथा प्रवेश नहीं हो पा रहा है। मैं चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश और शिमला के वातावरण को जो अब हड़ताल की वजह से दूषित हो रहा है खराब होने से बचाया जाए। डेंटल कालेज के विद्यार्थी हड़ताल पर हैं। कालेज को मान्यता देने के मामले में छात्रों के प्रवेश और परीक्षा में बाधा डाली जाती है इसलिए उसको दूर किया जाना चाहिए। राज्य सरकार ने उस कालेज के भवन निर्माण के लिए आठ करोड़ रुपए भी दिए हैं। सवाल यह नहीं है कि वहां किस पार्टी की सरकार है, सवाल है वहां के छात्रों के लिए शिक्षा का इंतजाम करना। उस कालेज को 1984 से मान्यता मिली हुई है, लेकिन हर साल उसकी मान्यता रिन्यू की जाती है। इस मुद्दे को लेकर मेरे पास आज सुबह वहां के छात्र आये थे। इसलिए मैं सदन में यह मामला उठा रहा हूं कि सरकार हर साल उसको मान्यता देती है, डेंटल कौंशिल आफ इंडिया से भी रिपोर्ट दी जाती है, दूसरा कालेज जिला मंडी में है उसकी मान्यता भी हर वर्ष रिव्यू होती है, परन्तु इस वर्ष मान्यता दी गई है परन्तु प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। सुंदर नगर और शिमला में ये कालेज हैं, मेरा अनुरोध है कि डेंटल कालेज को मान्यता की अनुमति प्रदान की जाए और वहां के छात्रों की परीक्षा ली जाए।

[अनुवाद]

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर): माननीय उपाध्यक्ष, महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। हम यहाँ नौ बजे तक आ जाते हैं तथा अपने नोटिस देते हैं। इस पूरे सत्र में, हम अपने मुंह नहीं खोल सके हैं। हमें यह अवसर नहीं मिला है क्योंकि कुछ न कुछ रास्ते में आ जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय: बिहार जैसा।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: हाँ। हम अपने निर्वाचन क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं के बारे में सभा पटल पर अपनी शिकायतें नहीं रख सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप जानते हैं कि सामान्यतया 'शून्य काल' के दौरान राष्ट्रीय महत्व वाले मुद्दे ही उठाये जा सकते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: यह ठीक है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप नियम 377 के अंतर्गत अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठा सकते हैं।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित राष्ट्रीय मुद्दा उठा रहा हूँ। मैं राज्य से संबंधित विषयों को नहीं उठा रहा हूँ। मैं केवल उन मामलों को उठा रहा हूँ जो कि अत्यधिक राष्ट्रीय महत्व के हैं और हाल ही के हैं।

बंगलौर-कोलार-शिमोगा वाला एक राष्ट्रीय राजमार्ग है। 30 किलोमीटर तक यह दोहरी सड़क है। 40 किलोमीटर की शेष लम्बाई को दोहरा किया जाना चाहिए। यह काफी समय से लंबित है।

दसवीं लोक सभा के दौरान भूमि के अधिग्रहण के लिए 3 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई थी। भूमि का अधिग्रहण अभी पूरा नहीं हुआ है। प्रतिदिन कम से कम दो या तीन दुर्घटनाएं हो रही हैं। न्यायालयों में मुकदमे लंबित पड़े हैं। हम लम्बे समय से सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वह इस पर कार्यवाही करे। लेकिन दुर्भाग्यवश सरकार इस पर किसी तरह की भी कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। यह राज्य का विषय नहीं है। यह एक राष्ट्रीय विषय है। केन्द्र सरकार ने भी इसकी घोषणा की है। इन सब बातों के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रतिदिन लोग मारे जाते हैं। सड़क बहुत संकीर्ण है। वहां भारी यातायात है। प्रत्येक मिनट में एक ट्रक वहां से गुजरता है।

श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर): जी, महोदय।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: श्री रामचन्द्रन को कटु अनुभव हुआ है। यह आश्चर्यजनक है। यह एक महत्वपूर्ण मामला है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह तत्काल कार्यवाही करे। वे लोगों की जान से नहीं खेल सकते।

उपाध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि सरकार की ओर से कुछ लोग इसे नोट कर रहे होंगे।

श्री राम नाईक: मैं इसका उत्तर दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: आप इसका नकारात्मक उत्तर देंगे। जबकि मैं सकारात्मक उत्तर चाहता हूँ।

श्री राम नाईक: हाँ।

श्री आर. मुथैया (पेरियाकुलम): महोदय, कृपया सकारात्मक उत्तर दीजिए।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: बहुत से ट्रक चालक दुर्घटना के शिकार हो गए हैं। उनके बच्चे अनाथ हो गए हैं। वे न्यायालयों में नहीं जा सकते ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मल्लिकार्जुनय्या, उन्हें प्रतिक्रिया व्यक्त करने दो।

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: यह कब तक चलता रहेगा? मैं यह मुद्दा पहली बार नहीं उठा रहा हूँ। मैं इस मुद्दे को पिछले कई वर्षों से उठा रहा हूँ। मुझे बहुत दुख हुआ है। हमारे बहुत से मित्र जो उस राजमार्ग से यात्रा कर रहे हैं वे बता सकेंगे कि वास्तविकता क्या है। सरकार कोई कार्यवाही क्यों नहीं कर रही?

उपाध्यक्ष महोदय: इस पर कौन प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा?

श्री एस. मल्लिकार्जुनय्या: मेरा मानना है कि श्री राम नाईक इस में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

श्री राम नाईक: माननीय सदस्य ने निश्चित रूप से इस मुद्दे को अनेक मौकों पर उठाया है। मैं ऐसा इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा कहते हुए सुना है। अन्य माननीय सदस्यों ने भी उनका समर्थन किया है। मैं इस मुद्दे को जल-भूतल परिवहन मंत्री के ध्यान में लाऊँगा और यह प्रयास करूँगा कि इन कठिनाइयों को समाधान कैसे किया जाए। मैं जल भूतल परिवहन मंत्री से उनके साथ एक विशेष बैठकें का अनुरोध करूँगा और यह भी सुनिश्चित करूँगा कि समस्या का समाधान हो।

[हिन्दी]

श्री नरेश पुगलीया (चन्द्रपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछली पच्चीस तारीख को प्रिविलेज मोशन दिया था और उस मोशन के माध्यम से आज तक हमें ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं यह पता करूंगा कि क्या आपने विशेषाधिकार नोटिस दिया है। अगर वह वहां होगा तो मैं मामले की जांच करूंगा। मैं नहीं जानता कि क्या आपने नोटिस दिया है।

श्री नरेश पुगलीया: आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं कृपया लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्री आर.एस. गवई बोलेंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने एक नोटिस दिया है। कृपया बेचैन मत होइए। मैं भी यहां बैठा हूं। मैं एक-एक करके सुनूंगा।

श्री आर.एस. गवई (अमरावती): उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय महत्व का एक मुद्दा आपकी जानकारी में ला रहा हूँ।

महोदय, भारत के प्रधानमंत्री, माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिल्ली लाहौर बस सेवा के उद्घाटन पर 20 और 21 फरवरी, 1999 को पाकिस्तान की यात्रा की। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की सरकार को और वहाँ के लोगों को उनके साथ शांति और दोस्ती के लिए भारत की सघन इच्छा और दोनों देशों के लोगों के फायदे के लिए व्यापक सहयोग को बढ़ाने के बारे में बताया। भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने लाहौर घोषणा पर हस्ताक्षर किए जो दोनों देशों की शांति और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना गया है। परन्तु बाद में दोनों देशों के लोगों की प्रतिक्रियाएं घोषणापत्र की भावनाओं के प्रतिकूल थीं। यह लाहौर घोषणा पत्र की अस्पष्टता के कारण हो सकता है। अत: यह बहुत जरूरी है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों को लाहौर घोपणा पत्र के बारे में बताया जाए।

मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि अस्पष्टता के कारण ये प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं आ रही हैं।

इसलिए, मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि वे इस संबंध में स्थिति को स्पष्ट करें।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं और उसके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि इस समस्या का निराकरण किया जाए। पिछले सदन में मैंने एक सवाल स्वयं उठाया था कि उत्तर प्रदेश में आदिवासी कोल जाति झांसी से लेकर बनारस में चकिया तक निवास करती है, यह बहुत गरीब जाति है। वनवासी क्षेत्रों में आज तक यह कहा जा सकता है कि उनका कोई निजी खेत, निजी मकान और निजी रोजी-रोटी कमाने का कोई साधन नहीं होता। कोल आदिवासी को और प्रदेशों में अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में रखा गया है और उन्हें सारी सुविधाएं अन्य प्रदेश, जैसे मध्य प्रदेश आदि में मिलती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 70000 कोल आदिवासी रहते हैं। समाज कल्याण मंत्रालय से कोल विकास परिषद भी चलाने का प्रयास किया गया था। उसके माध्यम से आवास मिलता था लेकिन समाज कल्याण मंत्रालय से उसका भी पैसा कोलों के आवास के लिए नहीं पहुंचा है। मेरे नेता और माननीय मानव संसाधन मंत्री जी के क्षेत्र में भी कोल आदिवासियों की बहुत बड़ी संख्या है और उनकी भी समस्या है, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताएं।

श्री वीरेन्द्र सिंह: मेरा निवेदन है कि कोल आदिवासियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल किया जाए और पिछली बार हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने आश्वासन दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी संस्तुतियां दे दी हैं। विधान सभा से आ गया है। एक सूचना और कर देते तो उत्तर प्रदेश में शासन आदेश चला जाता। *...(व्यवधान)*

उन लोगों को नौकरी में सुविधा मिल जाती और अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में उत्तर प्रदेश के कोल आदिवासी भी आ जाते, यही मैं भारत सरकार से मांग करता हूं।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): उपाध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली की खास समस्या पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दिल्ली में जितने सुपर बाजार है वहां के सारे कर्मचारी जुलूस ले कर पार्लियामेंट के पास सरकार के पास आए हैं। सुपर बाजार दिल्ली और देश के लोगों को सस्ते और अच्छी क्वालिटी का सामान देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वहां सस्ती और क्वालिटी की चीजें नहीं मिलती। आज बहुत सारे सुपर बाजारों में ठीक से सामान नहीं मिलता है और दुकानों पर भी ठीक से पूरी चीजें नहीं मिलती हैं। इन कर्मचारियों का आरोप है कि जो मैनेजमेंट और आथोरिटी है वह भ्रष्टाचार करके उसे मिटाना चाहते हैं। उसका नुकसान होगा तो वह दुकान बंद कर देगा।

महोदय, फिफ्थ पे कमिशन की जो राय है उसको भी इन पर लागू नहीं किया है। इनको एचआरए वगैरह भी नहीं मिल रहा है। इसलिए ये बहुत दुखी होकर जुलूस ले कर आए हैं। मेरी मांग है कि हर सुपर बाजार में सरकार सही ढंग से सामान की सप्लाई करे और क्वालिटी का सामान सप्लाई करे तथा कर्मचारियों की मांगों को पूरा करे ताकि सुपर बाजार ठीक ढंग से चलें। मैं सरकार से और संसदीय कार्य मंत्री से अपील करूंगा कि दिल्ली में सुपर बाजारों की समस्या को ठीक ढंग से सुलझाएं।

[अनुवाद]

श्री पी. शंकरन (कालीकट): महोदय, मैं आपका ध्यान केरल के कॉफी उत्पादकों की स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूँ। केरल भारत में दूसरा सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक राज्य है जहां खेतों में कम समय के लिए पौधे लगाने वाले लगभग 73,000 व्यक्ति हैं। कॉफी को, कॉफी बोर्ड को बेचने के सरकार के निर्णय के कारण छोटे उत्पादकों की स्थिति बदत्तर हो गई है। वे कॉफी बोर्ड को कम कीमत पर अपने उत्पाद बेचने के लिए बाध्य हैं।

इसके परिणामस्वरूप उन्हें अपने बागानों को बनाए रखने में कठिनाई हो रही है। उन्होंने कॉफी बोर्ड से अनेक प्रकार के ऋण लिए हैं और अब वे बोर्ड को ऋण और ब्याज लौटाने में असमर्थ हैं। कॉफी बोर्ड ने काफी उत्पादकों के विरुद्ध सिविल मुकदमे दायर करना शुरू कर दिया है। इसके परिणामस्वरूप उनकी स्थिति दयनीय है। इसलिए, मेरा वाणिज्य मंत्री से अनुरोध है कि वह ब्याज और मूलधन को माफ कर दें।

1990 में एक योजना बनाई गई थी तब श्री वी.पी. सिंह इस देश के प्रधान मंत्री थे। उस समय एक कृषि ग्रामीण ऋण योजना बनाई गई थी जिसमें ऋण माफ कर दिए गए थे लेकिन यह योजना कॉफी उत्पादकों पर लागू नहीं की गई थी। जिसके परिणामस्वरूप ब्याज जमा हो गया था और अब वे ब्याज के अतिरिक्त मूल राशि लौटाने की भी स्थिति में नहीं हैं। जब तक इसे माफ नहीं किया जाता उनकी दयनीय स्थिति यही बनी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय: आप क्या चाहते हैं कि सरकार इस मामले में क्या करे?

श्री पी. शंकरन: मैं चाहता हूं कि सरकार मूलधन और ब्याज को माफ कर दें।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, भूतपूर्व वाणिज्य मंत्री ने ब्याज को समाप्त करने का आश्वासन दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

[हिन्दी]

प्रो. प्रेम सिंह चन्दूमाजरा (पटियाला): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर ले जाना चाहता हूं। पंजाब में माली संकट बहुत ज्यादा है। वहां के कर्मचारियों को पिछले चार महीने से कोई टी.ए., डी.ए. नहीं मिला। सरकार ने जो 300 करोड़ देने की कमिटमेंट की थी वह भी पूरी नहीं कर पाई। पंजाब की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए केन्द्र की तरफ से कोई विशेष मदद उनको दी जाए, ताकि वहां जो दीवालियापन हो रहा है उससे उसे बचाया जा सके।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रसार भारती के कर्मचारी 24 घंटे से हड़ताल पर हैं। उनमें से कुछ कैटेगरी के पे-स्केल बढ़ा दिए गए हैं लेकिन कुछ के रह गये हैं। जो न्यूज पिछले 24 घंटे से आ रही हैं वे एक दिन पहले की आ रही हैं और उससे देश गुमराह हो रहा है। मेरी सरकार से विनती है कि उसके कर्मचारियों की तनख्वाह और स्केल बराबर किया जाए।

श्री चमन लाल गुप्त (उधमपुर): 20 और 21 मार्च के दिन जब प्रधान मंत्री जी पाकिस्तान की सद्भावना यात्रा पर गये हुए थे, उन दो दिनों में मेरे संसदीय क्षेत्र में 26 लोग मौत के घाट उतारे गये थे। ये घटनाएं पाकिस्तान की आई.एस.आई. के ट्रेंड एजेंट ने की थी। ये दुर्घटनाएं चैसाना, बरियाना और ऊपर के पहाड़ी क्षेत्रों में हुई हैं। वहां मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है कि एक परिवार के अंदर केवल चार बच्चे बाकी बचे हैं। जिनमें छोटे बच्चे की आयु मात्र डेढ़ वर्ष और बड़े की आयु 8 वर्ष है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनकी पढ़ाई और आगामी जिंदगी की सुख-सुविधा के लिए सरकार को कोई न कोई फंड क्रियेट करना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष के अंदर आठ नरसंहार हुए हैं। प्राणकोट के अंदर 26 लोग मारे गये हैं। इसी तरह से कल माड़ी के अंदर 25 लोग मारे गये हैं, किश्तवार के अंदर 25 लोग मारे गये हैं। इस तरह की घटनाओं का मुकाबला लोकल लोग ही कर सकते हैं। इस तरह की घटनाओं का मुकाबला न कोई पैरा-मिलिट्री-फोर्स कर सकती है, न बी.एस.एफ. कर सकती है। वहां विलेज डिफेंस कमेटियां बनाई जाएं, जैसा कि सरकार ने बनानी शुरू की हैं। हरेक विलेज डिफेंस कमेटी को सोफिस्टिकेटेड हथियार, वायरलैस सैट दिए जाएं और जो वहां विलेज डिफेंस कमेटी का व्यक्ति हो उसे कम से कम

एक हजार रुपया महीना ऑनरेरियम मिले, ताकि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। दूसरी तरफ फोर्सिज को बढ़ाया जाए ताकि वे मिलिटेंट्स का, जो लोगों को माइग्रेट होने पर मजबूर कर रहे हैं, मुकाबला कर सकें। चार लाख लोग कश्मीर से माइग्रेट हुए हैं और जम्मू से माइग्रेट होने शुरू हो गये हैं। इसको रोका तभी जा सकता है जब सरकार इसकी ओर ध्यान दे और विलेज डिफेंस कमेटियों को मजबूत करे तथा फोर्सिज को बढ़ाकर उनको फ्री-हैंड दे।

[अनुवाद]

श्री राम नाईक: उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभा और माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि आज की कार्यसूची में इस मामले पर पहले ही ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है। माननीय सदस्य अब जिस विषय पर बोलने के लिए खड़े हुए हैं उस पर गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री एस. अजय कुमार को अपना विषय उठाने के लिए आमंत्रित करता हूँ।

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रो. ए.के. प्रेमाजम द्वारा उठाई गई मांगों का समर्थन करता हूँ। मैं केरल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की पूरी समस्या की जांच की मांग करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): उपाध्यक्ष जी, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पंत छात्रावास 1963 में तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत के प्रयास से शुरू हुआ। यहां पर 80 कमरों का होस्टल है जहां पर आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की प्रतियोगिता के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है। सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय से उसे 22 लाख रुपये का अनुदान भी मिलता है। यहां पर देश-विदेश के छात्र अध्ययन कर रहे हैं। वहां पर मानव संसाधन विकास मंत्री प्रोफेसर भी रह चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन प्रतियोगी छात्रों को जो 22 लाख का अनुदान मिलता है उसे दिलाएं ताकि छात्रावास सुचारू रूप से चल सके और प्रतियोगी छात्र उसका लाभ उठा सकें। साथ ही साथ जो टाइम-स्केल के कर्मचारी हैं उनको चार माह से वेतन नहीं मिल रहा है और वे आज भुखमरी के कगार पर हैं। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि 22 लाख का जो अनुदान है वह पंत छात्रावास, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को दिया जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.45 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.45 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.49 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात अपराह्न 2.49 बजे पुन: समवेत हुई।

(श्री पी.सी. चाको *पीठासीन* हुए)

सभापति महोदय: अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

जम्मू क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा कुछ व्यक्तियों की हत्या से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम): महोदय, मैं अत्यावश्यक लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर गृह मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और अनुरोध करता हूँ कि वे उस पर वक्तव्य दें:

> "जम्मू क्षेत्र में उग्रवादियों द्वारा 22 हिन्दुओं की हत्या से उत्पन्न स्थिति और इस संबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): 19/20 फरवरी, 1999 की मध्य रात्रि में आतंकवादियों से संबंधित तीन अलग-अलग घटनाओं में एक विशेष समुदाय के 20 लोग मारे गए।

पहली घटना राजोरी थाना (जिला राजोरी) के बालजलरन इलाके में घटी। आतंकवादियों ने 2245 बजे एक अध्यापक के घर पर हमला किया जहाँ अभी अभी एक शादी समारोह सम्पन्न हुआ था। उन्होंने स्वचालित हथियारों से अन्धाधुन्ध गोलियां चलाई और

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

5 लोगों को वहीं मार डाला। ग्रामीण रक्षा समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिशोध किये जाने पर आतंकवादी घटनास्थल से भाग खड़े हुए। इस घटना में 10 लोग घायल हुए थे बाद में जिनमें से दो लोग मर गए जिससे मरने वालों की संख्या सात हो गई।

दूसरी घटना में 19/20 फरवरी, 1999 की मध्य रात्रि में धर्मशाहा थाना (राजोरी जिला) में खुदबनी के पास मोरहा पट्टा में आतंकवादियों ने 0130 बजे एक मकान पर हमला कर दिया और उसमें सो रहे लोगों पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलानी शुरू कर दीं जिसमें चार लोग मारे गए।

19/20 फरवरी, 1999 की मध्य रात्रि में घटी तीसरी घटना में रियासी थाना (ऊधमपुर जिला) में अरनास क्षेत्र के बरयाना गांव में आतंकवादियों ने घर में जबरदस्ती घुसकर वहां के निवासियों पर अन्धाधुन्ध गोलियां चलाकर 9 लोगों को मार दिया और एक व्यक्ति को घायल कर दिया। आतंकवादियों द्वारा चलाई गई गोलियों की आवाज सुनकर पास के मोरहा गांव के ग्रामीण सुरक्षा समिति के सदस्यों ने प्रतिशोध किया जिसके कारण अन्धेरे का फायदा उठाकर आतंकवादी घटना स्थल से भाग निकले। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया।

20 फरवरी, 1999 को मंडलीय आयुक्त और पुलिस महानिरीक्षक के साथ शिक्षा मंत्री और भेड़ पालन मंत्री ने गांव का दौरा किया। 21 फरवरी, 1999 को मुख्यमंत्री ने श्री चमन लाल गुप्त, संसद सदस्य और पुलिस महानिदेशक तथा मंडलीय आयुक्त के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए बरयाना गांव का दौरा किया। 20-21 फरवरी को पुलिस, सरकारी और सीमा सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोरहा पट्टा गांव का दौरा किया। राज्य सरकार और जिला प्रशासन ने इन क्षेत्रों में राहत और अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिए तत्कालिक कार्यवाही प्रारंभ कर दी।

घटना की जानकारी मिलने के तुरंत बाद ही गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव के नेतृत्व में दो सदस्यों के एक दल ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। दल ने राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के विभिन्न अधिकारियों से चर्चा की और बालजलरन गांववासियों से बातचीत की।

घटना की जानकारी के बारे में सुनने के तुरंत बाद ही सुरक्षा बलों ने व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जनसंहार होने के पांच दिनों के भीतर; 20 से 24 फरवरी तक विभिन्न स्थानों पर मुठभेड़ हुई जिसमें 21 आतंकवादी मारे गए। सुरक्षा बलों द्वारा फरवरी माह के दौरान की गई सतत कार्यवाही में जम्मू डिवीजन में कुल 51 आतंकवादी मारे गए हैं।

स्थिति को और सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकार अन्य बातों के साथ साथ ग्रामीण सुरक्षा समिति की प्रणाली को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। वह उन्हें प्रशिक्षण और बेहतर हथियार दे रही है और चुने हुए मामलों में संचार उपकरण दे रही है; अति संवेदनशील और असुरक्षित क्षेत्रों में सरक्षा बलों द्वारा निरन्तर गश्त बढ़ा दी गई है; अल्पसंख्यक लोगों की सुरक्षा के लिए उनके काम करने के स्थान के पास उन्हें एक साथ बसाना; दूरवर्ती और अल्पसंख्यक इलाकों का राज्य सरकार और सुरक्षा बल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियतकालिक निरीक्षण; और व्यक्तियों, हथियारों और उपकरणों की घुसपैठ को रोकना। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा की स्थिति पर जम्मू और श्रीनगर में सम्बद्ध मुख्यालयों द्वारा निरन्तर निगरानी रखी जा रही है। गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर मामलों संबंधी विभाग द्वारा भी स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है।

हम इस माननीय सभा को आश्वासन देना चाहेंगे कि भारत सरकार आतंकवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार और सुरक्षा बलों के प्रयासों में सहायता देना जारी रखेगी।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, तथ्यों और माननीय गृह मंत्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भी प्रधान मंत्री के पाकिस्तान के दौरे से केवल एक दिन पहले ही कई लोगों की हत्या की गई थी। हमारी पार्टी ने भी प्रधान मंत्री की यात्रा का स्वागत किया था, प्रत्येक व्यक्ति ने इसका स्वागत किया था।

लेकिन दुख की बात यह है कि रात्रि 10.45 बजे जब राजौरी गांव में शादी हो रही थी, उग्रवादी आये और निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक हत्या की।

पुन: दूसरी घटना में एक अन्य गांव में जब लोग रात में सो रहे थे तो लगभग म.पू. 1.30 बजे उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की। उसी रात एक अन्य घटना हुई जिसमें उन्होंने 22 लोगों की हत्या की। मेरा प्रश्न यह है कि लगभग 6 अथवा 8 महीने पहले जब उग्रवादी इन निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे थे तो भारत सरकार और गृह मंत्रालय क्या कर रहे थे?

दूसरे, जब हमारे प्रधान मंत्री भारत और पाकिस्तान के बीच संबंध विकसित करने जा रहे थे तो क्या जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक सावधानी बरतना भारत सरकार अथवा गृह मंत्रालय का कर्तव्य नहीं था? उन्होंने उग्रवादियों द्वारा किसी भी आक्रमण की कल्पना क्यों नहीं की?

पुन:, जब श्री गुजराल प्रधान मंत्री थे वे पाकिस्तान के साथ कुछ चर्चा करने के लिए श्रीलंका जा रहे थे। उस समय भी सीमा पर काफी फायरिंग हुई थी और मैंने उस समय प्रश्न पूछा था कि उस समय यह फायरिंग क्यों हुई? इसका अर्थ है कि उन्हें इस बारे में जानकारी है और उनका विचार है कि उग्रवादी ऐसी स्थितियों से कुछ लाभ उठा लेंगे। आपने इसकी कल्पना क्यों नहीं की। मेरा यह प्रश्न है। दुर्भाग्यवश यह सुनकर पूरा राष्ट्र हिल गया है कि 22 लोगों की हत्या की गई है। इस घटना के पश्चात कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने उस क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से दौरा किया और शोकाकुल परिवार के सदस्यों से भी बात की। मुझे विश्वास है कि उन्होंने उन्हें बताया कि एक आभागा पीढ़ित जिस पर लगभग साढ़े सात घंटे पहले हमला किया गया था, को किसी ने भी नहीं बचाया और जब तक उसे बचाया जाता वह अपने जीवन के अंत के निकट था और कुछ समय पश्चात वह मर गया। उन्हें यह भी बताया गया कि दूसरी घटना में एक लड़के को ढाई घंटे से नहीं बचाया गया। उसके पश्चात लड़का भी मर गया। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि यह कुछ लापरवाही और सुरक्षा के बारे में ध्यान केन्द्रित न करने का परिणाम है।

अब माननीय गृह मंत्री यह कहते हैं कि घटना के पश्चात जम्मू कश्मीर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री अगले दिन वहां गये। मुख्य मंत्री भी वहां गये। माननीय गृह मंत्री ने गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में केवल दो सदस्यीय टीम वहां भेजी। विपक्ष के दृष्टिकोण में यह बहुत ही दुखद है और यह सही भी नहीं है। जम्मू कश्मीर के लोगों को नैतिक बढ़ावा देने के लिए यह अच्छा होता कि स्वयं गृह मंत्री वहाँ जाते। हम इस बारे में दुख महसूस करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधान मंत्री ने भी जब वे अमृतसर में थे, इन घटनाओं के बारे में अपना दुख व्यक्त किया है। लेकिन फिर भी मैं यह जानना चाहता हूं कि जब वे इस बात को पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के ध्यान में लाये तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? और उन्होंने इस बारे में क्या आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसी घटना नहीं होगी।

अब मैं भारतीय प्रधानमंत्री की यात्रा के दिन अर्थात 20.2.1999 को पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने इस्लामाबाद में जो कुछ कहा है, उसे उद्धृत करना चाहता हूं:

> "पाकिस्तान कश्मीरियों को अपना नैतिक और राजनैतिक समर्थन जारी रखे हुए है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा पूर्ण रूप से कश्मीर विवाद के समाधान पर निर्भर करती है। पाकिस्तान सभी मोर्चों पर कश्मीर को राजनैतिक, डिप्लोमैटिक और राजनैतिक समर्थन जारी रखेगा।"

यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। मैं यह जानना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने ऐसा वक्तव्य दिया है तो क्या हमारे प्रधान मंत्री पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के ध्यान में यह बात लाये थे। यह माननीय सभा यह जानना चाहेगी कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने क्या आश्वासन दिया था।

फिर उसके पश्चात हमें इस बात पर भी आश्चर्य हुआ है कि पाकिस्तान के प्रधान मंत्री ने ऐसा वक्तव्य दिया कि मानो हमारे प्रधान मंत्री कश्मीर मामले पर जनमत संग्रह कराने के लिए सहमत हो गये हैं। अर्थात् इसका निर्णय करने के लिए कश्मीर के लोगों की राय मांगी जायेगी।

अपराह्न 3.00 बजे

निस्संदेह हमारे प्रधान मंत्री ने इसका खंडन किया है। स्वाभाविक रूप से उन्हें खंडन करना पड़ेगा और वे इसके लिए कभी भी सहमत नहीं होंगे। लेकिन मैं यह जानना चाहूंगा कि भ्रांति क्यों उत्पन्न की जा रही है: पिछली बार अमरीका ने कहा था कि विदेश मंत्री ने यह कहा है कि हम सी.टी.बी.टी. पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गये हैं। उसके पश्चात श्री जसवंत सिंह ने यह स्पष्ट किया कि वे सहमत नहीं हुए हैं। इसी प्रकार यहां भी प्रधान मंत्री अलग अलग विवरण देते हैं। निस्संदेह हमारे प्रधान मंत्री ने एक वक्तव्य दिया है कि उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैं चाहता हूं कि गृह मंत्री भी एक बार पुन: यह आश्वासन दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों और विकास की बातों के बारे में चाहे कुछ भी हो, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा। भारत की जनता और यह माननीय सभा इस प्रश्न पर गृह मंत्री से स्पष्ट उत्तर की आशा करती है।

मेरा अगला प्रश्न छद्म (प्रोक्सी) युद्ध के संबंध में है। यदि छद्म (प्रोक्सी) युद्ध चल रहा है तो इसका अंत कहां है? इसलिए हमें छद्म (प्रोक्सी) युद्ध रोकने और भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों को विकसित करने का प्रयत्न करना चाहिए और हमें इस मामले पर अपनी अखंडता और शक्ति गवाये बिना सभी प्रयास करने चाहिए। मुझे न केवल आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बल्कि उग्रवाद को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा किये गये विशेष उपायों के संबंध में दो दिन पहले अतारांकित प्रश्न के उत्तर में गृह मंत्री द्वारा दिये गये विभिन्न तथ्यों से भी आश्चर्य हुआ है। उत्तर में यह कहा गया है, "सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय है।" ऐसा कहना उचित नहीं है। मैं इस बात पर सहमत हूं कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। लेकिन कश्मीर में जहां पाकिस्तान द्वारा उग्रवादियों को हथियार दिये जा रहे हैं

[डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी]

और वे निर्दोष लोगों की बर्बरतापूर्वक, निर्दयता और अमानवीय तरीके से हत्या कर रहे हैं वहाँ कानून और व्यवस्था को राज्य का दायित्व कैसे माना जा सकता है? वे यह कैसे कह सकते हैं कि वे केवल उनके हाथ मजबूत करेंगे और वे केवल यहाँ से स्थिति की निगरानी करेंगे। यहां गृह मंत्री को अपने शरीर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की शक्ति का आह्वान करना चाहिए और इस देश की जनता को चमत्कारिक परिणाम दर्शाये जाने चाहिए।

सभापति महोदय: ठीक है, पर्याप्त स्पष्टीकरण दे दिया गया है। अब आप आपने प्रश्न पूछिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय मैं केवल दो या तीन मिनट लूंगा। मुझे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करने हैं। मैं गृह मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को पढ़ूंगा और फिर प्रश्न पूछूंगा कि उन प्रश्नों का हल क्या है। उत्तर में यह कहा गया है कि:

> "सार्वजनिक व्यवस्था और पुलिस राज्य का विषय होने के कारण यह संबंधित राज्य सरकार का दायित्व है कि वह विभिन्न पद्धतियों का विकास करे और इस संबंध में ठोस कदम उठाये। विभिन्न राज्यों के उग्रवाद विरोधी कार्यों में सामंजस्य को सुविधाजनक बनाने और राज्यों में कार्यकलापों के नियंत्रण हेतु लाभदायक जानकारी का आदान-प्रदान करने में सुधार करने के लिए केन्द्रीय स्तर पर कार्यवाही की जाती है। इसके अलावा पुलिस के आधुनिकीकरण, परिष्कृत हथियारों की आपूर्ति, वित्तीय सहायता के विकास आदि के संबंध में राज्य सरकारों को सहायता भी दी जा रही है।"

यहां मैं यह जानना चाहता हूं कि वे जम्मू और कश्मीर में स्थिति को किसी भी अन्य राज्य में स्थिति की तरह कैसे मान सकते हैं। फिर वे उग्रवाद को पूर्णरूप से नियंत्रित करने की कैसे आशा करते हैं। उन्हें इस समस्या पर पूर्णरूप से ध्यान केन्द्रित करना पड़ेगा और यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नई प्रणाली का विकास किया जाए ताकि केन्द्रीय सरकार जम्मू और कश्मीर में कानून और व्यवस्था की स्थिति से निपटने में पूर्णरूप से शामिल हो सके और जम्मू और कश्मीर के लोगों की जान-माल की सुरक्षा के प्रश्न को किसी अन्य राज्य में जान-माल की सुरक्षा के प्रश्न की तरह नहीं समझा जाना चाहिए। इसलिए मैं स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि वे किस प्रकार इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं सरकार में दोष नहीं निकालना चाहता, लेकिन लोग कहते हैं कि केवल इस वर्ष में ही आकस्मिक अथवा दुर्घटनावश हत्या की अधिक घटनाएं घटी हैं। इसलिए, इस बारे में भी मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं कि क्या इस वर्ष हत्याओं में वृद्धि हुई है अथवा पिछले वर्ष की तुलना में ये नियंत्रण में हैं। यदि वे कहते हैं इनमें कमी आई है तो हमें प्रसन्नता होगी लेकिन यदि इनमें वृद्धि हुई है तो हम यह जानना चाहते हैं कि वे इन्हें किस तरह नियंत्रित करेंगे।

हम यह भी जानना चाहते हैं।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, मैं ही केवल बोल रहा हूं। कोई अन्य सदस्य नहीं बोल रहा है। यह मामला मेरे घर अथवा आपके घर से नहीं अपितु पूरे देश से संबंधित है। मैं नहीं समझता कि मैं समय बर्बाद कर रहा हूं अथवा किसी पर दोष लगा रहा हूं, किसी को गाली दे रहा हूं अथवा किसी पर हमला कर रहा हूं। मैं केवल सच्चाई बता रहा हूं।

सभापति महोदय: हम सहमत हैं कि ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं लेकिन आपको वे प्रश्न भी पूछने हैं जिसके उत्तर मंत्री महोदय देंगे।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मैं बहुत जल्दी अपनी बात समाप्त कर दूंगा *...(व्यवधान)*

श्री वैको (शिवकाशी): इनकी पार्टी ने पिछले 45 वर्षों से जम्मू कश्मीर में पूरा संकट उत्पन्न कर रखा है *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। क्या यह इस सभा के लिए उचित है कि वह मारे गए लोगों का हिन्दू के रूप में उल्लेख करे? जब कोई साम्प्रदायिक मुसीबत अथवा दंगे होते हैं तो हम किसी समुदाय के नाम का उल्लेख नहीं करते है। क्या मारे गए लोगों का हिन्दू के रूप में उल्लेख करना उचित है? हम उग्रवादियों के धर्म का उल्लेख नहीं करते हैं। अतिवादी उग्रवादी हैं और हम उनके धर्म का उल्लेख नहीं करते हैं तो हम उन मारे गए व्यक्तियों के धर्म का उल्लेख क्यों करें? क्या यह आवश्यक है? क्या यह उचित है?

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: यहां, मैं आपसे बिलकुल सहमत हूं। वह शब्द गलती से आ गया है। मैं यह शब्द वापस लेता हूं यद्यपि संयोग से हिन्दू मारे गए हैं *...(व्यवधान)* मैं उनसे सहमत हूं। मैं बहस नहीं कर रहा हूं *...(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: वे सही नहीं है। मैं सहमत नहीं हूं। मैं हमेशा उनकी बात से सहमत होता हूं लेकिन इस पहलू पर मैं उनसे सहमत नहीं हूं क्योंकि ये उस पक्ष के हैं *...(व्यवधान)*

यदि यह शब्द दूसरी तरफ से आता तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपने बात कही है और ये आपसे सहमत भी हैं। पूरी सभा आपसे सहमत है। इस मामले को और न बढ़ाएं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते समय मैंने 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग नहीं किया था।

श्री वारकला राधाकृष्णन: उन्हें इसको साम्प्रदायिक रंग नहीं देना चाहिए।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, इस बात को पूरी सभा ने समझा है। इसलिए, कृपया अब इन्हें इस बात को पूरा करने दें।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, इन्होंने एक बात पर ध्यान नहीं दिया ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने सही ढंग से बात कही है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: उन्होंने एक बात पर ध्यान नहीं दिया। जब मैंने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया, तब मैंने 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग नहीं किया था। गलती से यह शब्द संस्करण में आ गया। मैंने उस शब्द को हटा दिया क्योंकि 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग बिलकुल गलत है। वास्तव में, मैं उनसे सहमत हूं और इसलिए मैंने 'हिन्दू' शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं इस शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, मेरे विचार से भविष्य में भी इस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाना चाहिए। 'ईसाईयों अथवा मुसलमानों' पर अत्याचार न कहें। हम 'भारतीयों' पर अत्याचार कहेंगे ...*(व्यवधान)*

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: जी हां।

श्री खारबेल स्वाईं: उन्हें भी यह कहना चाहिए। उस समय उन्हें ईसाईयों अथवा मुसलमानों पर अत्याचार नहीं कहना चाहिए ...*(व्यवधान)* मुझे आशा है कि वे भविष्य में ऐसा नहीं कहेंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: महोदय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह आवश्यक नहीं है। डा. रेड्डी को अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

श्री रेड्डी, कोई और प्रश्न, मेरे विचार से आप छह प्रश्न पूछ चुके हैं।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि मैं मंत्री महोदय से क्या पूछना चाहता हूं। हमारी सदैव यह नीति रही है कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हैं। गृह मंत्री को इस माननीय सभा तथा भारत की जनता को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में सरकार की नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा, जहां तक संभव हो, अप्रत्यक्ष युद्ध रोकने की कोशिश की जानी चाहिए। तीसरा, केन्द्रीय सरकार को यह कहकर राज्य सरकारों पर सारा दोष नहीं मढ़ना चाहिए कि उन्होंने उपकरण तथा अन्य चीजें दे दी हैं और वहाँ सुरक्षा है। देखें कि वे मेरे प्रश्न के बारे में क्या कहेंगे जो मेरे प्रश्न से संबद्ध नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम, जहां तक जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद का संबंध है, भारत सरकार उग्रवाद के विरुद्ध लड़ी जा रही लड़ाई में पूरी तरह से सम्मिलित है। अत:, जब हम संवैधानिक तथ्य का उल्लेख करते हैं कि कानून और व्यवस्था तथा जन-व्यवस्था राज्य की विषय-वस्तु है, तो इसका जरा सा भी यह अर्थ नहीं है कि जहां तक जम्मू-कश्मीर अथवा देश के किसी भी भाग में उग्रवाद का संबंध है, इसमें भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रही है। देश के प्रत्येक भाग में जहां कहीं भी हमें उग्रवाद का सामना करना पड़ता है। इसका प्रभाव न केवल जन-व्यवस्था पर पड़ता है वरन् सीमा से लगे राज्यों में राष्ट्रीय सुरक्षा से भी यह संबद्ध है।

अत:, भारत सरकार का अत्यधिक उत्तरदायित्व है। दूसरे प्रश्न के संबंध में हम दृढ़ निश्चय के साथ उग्रवाद के विरुद्ध संघर्ष तथा अप्रत्यक्ष युद्ध कर रहे हैं और इसे समाप्त करने के लिए

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

इसका समाधान करेंगे। इसके साथ-साथ, भारत-पाक संबंधों में सुधार लाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं। अब ये दोनों बातें साथ-साथ होंगी। जहां तक जम्मू और कश्मीर का संबंध है, किसी भी मंच से कोई मतलब नहीं होगा। यह सरकार इसे विश्वास के अनुच्छेद के रूप में मानती है जिसके प्रति पूरी सभा तथा देश वचनबद्ध हैं कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस मुद्दे पर कभी भी समझौता नहीं हो सकता है। इन मुद्दों पर हम सब एक है, हम सब स्पष्ट है।

जहां तक इन विशेष घटनाओं का संबंध है, माननीय सदस्य ने बताया कि आपको इस शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है और आपने यह शब्द वापस ले लिया।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: मैंने इस शब्द का प्रयोग नहीं किया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: यह ध्यानाकर्षण सूचना थी (जैसाकि बताया गया था)। परंतु मैं कहूंगा कि हमें समझना चाहिए कि उग्रवादियों का उद्देश्य है और उनका उद्देश्य केवल लोगों की हत्या और डर की भावना पैदा करना ही नहीं है अपितु यदि संभव होता है तो देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक अव्यवस्था पैदा करना है। अत: यह सोची-समझी चाल है कि ऐसा हुआ है। यह आकस्मिक नहीं है कि जो मारे गए वह एक ही समुदाय के लोग थे। जैसाकि मैंने कहा कि यह चाल है और इस चाल को नाकाम किया जाना चाहिए। जहां तक हमारा संबंध है, हमें पता है कि विश्वभर में जो इन आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है। वे सोचते हैं कि कतिपय अवसरों पर जब आप ऐसा करते हैं तो आप पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अत:, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा बस से लाहौर जाने के प्रयास किये जा रहे थे जिससे पूरे विश्व का ध्यान इस ओर जाएगा और जहां तक भारत और पाकिस्तान के बीच स्थिति सामान्य करने का संबंध है यह इस देश की साख बनाएगा, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इस मौके को इस तरह के काम खराब किया जाए। अत: इसमें संदेह नहीं है कि यह सुनियोजित योजना थी और उसी दिन ऐसा करने की योजना बनाई गई। हमारी कुछ आशंकाएं थी और हमने राज्य सरकार को चेतावनी दी, हमने सुरक्षा बलों को सावधान किया। परंतु फिर भी सुदूर भाग में ये तीन घटनाएं घटी। जैसाकि मैंने कहा, इसके तत्काल बाद कार्यवाही की गई थी। फिर भी, इस स्थिति को समाप्त करने में की जा रही कार्यवाही कुछ हद तक सफल हुई है। इस क्षेत्र में लगभग पांच या छह माह के बाद यह पहली प्रमुख घटना है। छह माह पूर्व कुछ इसी तरह की घटना हुई थी। अब फिर एक बार ऐसा हुआ है। हम इस संबंध में चौकसी बरत रहे हैं तथा हम आतंकवाद का मुकाबला करने में अपने प्रयास में तेजी लाते रहेंगे।

सरकार के लिए यह सुखद बात है कि कई वर्षों में पहली बार गणतंत्र दिवस पूरे राज्य में, लगभग हर तहसील में, हर जिले में कहीं भी किसी ओर से बिना किसी घटना के मनाया गया था उनके लिए यह एक लक्ष्य होता था। हमने ऐसा करने में सफलता पाई। लेकिन साथ ही, जैसा कि मैंने कहा है, हम यह नहीं सोचते कि देश के अन्दर के अथवा सीमापार के आतंकवादी जो ऐसा कर रहे हैं, ने अपने डिजायनों अथवा उद्देश्यों का परित्याग कर दिया है; बल्कि ये उद्देश्य अभी भी उनके सामने मौजूद हैं। अतएव, हम हर समय चौकसी बरत रहे हैं, राज्य सरकार तथा सुरक्षा बल को हमेशा सतर्क रखे हुए हैं तथा जहां भी कुछ होता है उनसे लड़ते हैं तथा जहां कहीं भी पीड़ितों को जो भी राहत की आवश्यकता होती है उन्हें राहत पहुंचाते हैं।

जहाँ तक इस वर्ष मारे जाने वाले आतंकवादियों की संख्या का संबंध है, मैं बता सकता हूँ कि 1998 के दौरान मारे गए आतंकवादियों की संख्या 999 है जो चार अंकों के करीब है तथा कई वर्षों में सर्वाधिक है।

यह एक सशक्त कार्यवाही है। लेकिन इस लड़ाई का ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि मारे गए लोग तथा पकड़े गए आतंकवादी ज्यादातर भाड़े के सैनिक हैं। जम्मू और कश्मीर से भर्ती किए गए आतंकवादियों की संख्या में कमी आई है। धीरे-धीरे यह कम होती जा रही है। यह काफी अच्छा संकेत है। यहाँ तक कि सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए कश्मीर घाटी 1998 में काफी शांत रही है। इसके परिणामस्वरूप कश्मीर घाटी, विशेषरूप से घाटी जो पूरे देश के तथा विदेशी पर्यटकों के लिए केन्द्र बिन्दु तथा आकर्षण का केन्द्र रही है, अपनी पुरानी स्थिति में लौट रही है। गत आठ-दस वर्षों के दौरान जो पर्यटन बिल्कुल समाप्त हो गया था वह 1998 में अचानक जोर-शोर से शुरू हो गया।

भारत तथा विदेश से एक लाख से अधिक पर्यटकों ने घाटी का दौरा किया जो अमरनाथ की यात्रा करने वाले डेढ़ लाख लोगों के अतिरिक्त है। हर कोई जानता है कि फिल्म निर्माताओं तथा फिल्म कम्पनियों ने पहलगाम, श्रीनगर तथा गुलमर्ग को सदा अपनी फिल्मों की शूटिंग के लिए काफी नयनाभिराम स्थल पाया है। लेकिन, कई वर्षों से वे सभी जो अपनी फिल्मों में ऐसे दृश्य चाहते थे आज वे ऊटी, कुल्लू-मनाली, दार्जीलिंग या देश के बाहर जा रहे थे। वे श्रीनगर या गुलमर्ग जाने से हिचकिचा रहे थे। इस वर्ष पुन: ऐसे फिल्म निर्माताओं की वहाँ जाकर अपनी फिल्मों की

शूटिंग करने के लिए भीड़ लग रही है। मैं इन सभी तथ्यों का इसलिए उल्लेख कर रहा हूँ क्योंकि जम्मू और कश्मीर में सामान्य स्थिति बहाल हो रही है। पर्यटन से जुड़े व्यवसाइयों, शिकारा के मालिक, रेस्तरा के मालिक, होटल वाले इत्यादि सभी ने वहां पुन: अपना कारोबार शुरू कर दिया है। मैं यह नहीं कहूँगा कि वहाँ स्थिति पूरी तरह सामान्य हो गई है लेकिन वहाँ के व्यवसाय इत्यादि में आकस्मिक प्रगति हुई है। यह हमारे लिए संतोष की बात है। उस विशिष्ट दिन घटी इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का एक निश्चित उद्देश्य था तथा सभी को उस निश्चित उद्देश्य को समझ लेना चाहिए। इसके प्रति हमारा सकारात्मक दृष्टिकोण है। हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि राज्य सरकार भी काफी जोरदार ढंग से प्रयास कर रही है। सुरक्षा बलों, अर्द्धसैनिक बलों तथा केन्द्र सरकार के समन्वित प्रयास के परिणामस्वरूप जम्मू और कश्मीर की स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: महोदय, माननीय गृह मंत्री ने अपने उत्तर में पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के संबंध में उठाए गए मुद्दों का खुलासा नहीं किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जहाँ तक हम लोगों का संबंध है, जैसा कि आप लोगों ने समाचार पत्रों में भी पढ़ा है, प्रधान मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से बात करते हुए उनका ध्यान रजौरी तथा उधमपुर में हो रही हत्याओं की ओर आकृष्ट किया तथा कहा कि यदि यह सब चलता है तो हम स्थिति सामान्य नहीं बना सकते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। जहाँ तक हमारा संबंध है, हमने इस तथ्य की ओर उनका ध्यान आकृष्ट किया।

डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी: जनमत संग्रह की बात भी छोड़ दी गई है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जनमत संग्रह का सवाल ही नहीं उठता है।

अपराह्न 3.19 बजे

कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मद संख्या-9-श्री पी.आर. कुमारमंगलम।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपरम्परागत ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि यह सभा दिनांक 8 मार्च, 1999 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

सभापति महोदय: प्रश्न यह है:

"कि यह सभा दिनांक 8 मार्च, 1999 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के दसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.20 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना औषधालय संख्या 79, विवेक विहार, दिल्ली में विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं पुन: शुरू किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री लाल बिहारी तिवारी (पूर्वी दिल्ली): सभापति जी, पूर्वी दिल्ली के विवेक विहार में, जो कि मेरा संसदीय क्षेत्र है, में एक सी.जी.एच.एस. डिस्पेंसरी नं. 79 चल रही है, जिसमें वहां कि दि प्लानिंग कमीशन कोआपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसायटी के प्रतिनिधियों ने मांग की है कि इस डिस्पेंसरी में सप्ताह में एक बार स्पेशलिस्ट डाक्टर विजिट करे, जिससे वहां के रोगियों की जांच सही ढंग से की जा सके।

इस क्षेत्र में बहुत से रिटायर्ड सरकारी अधिकारी रहते हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं। स्पेशलिस्ट न होने के कारण इन लोगों को 30-35 किलोमीटर दूर राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक आना-जाना पड़ता है, जिससे इनकी समय की बर्बादी होती है और मानसिक पीड़ा भी होती है। उनका कहना है कि यहां पर यह फैसिलिटी पहले थी, जो साल भर पहले हटाई गई है।

अत: मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्पेशलिस्ट डाक्टर को वहां पुन: भेजा जाये। वैसे भी यू.एन.ओ. ने वर्ष 1999 को एलडर्स का वर्ष घोषित किया है। इस भावना को देखते हुए इस कार्य को तुरन्त किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

(दो) बिहार में नीमीयाघाट और पारसनाथ रेलवे स्टेशन के बीच रेल समपार संख्या 14ए के स्थान पर सड़क उपरिपुल का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय (गिरीडीह): सभापति महोदय, नीमीयाघाट और पारसनाथ रेलवे स्टेशन, पूर्व रेलवे के मध्य दूसरी रेल समपार नं. 14-ए, 317/00 किलोमीटर को बदलकर एन एच-2 रोड पर से रेलवे लाइन होकर ऊपरि पुल निर्माण हेतु प्रस्ताव हाल में 08.07.1997 को धनबाद रेल मंडल द्वारा भेजा गया है। इस संबंध में मैंने भी वर्ष 1997 में तत्कालीन भूतल परिवहन मंत्री, भारत सरकार से साक्षात्कार कर कार्य को शीघ्र कराने का अनुरोध किया, लेकिन आज तक पुल का निर्माण लम्बित है।

इस संबंध में वर्ष 1997 से रेलवे, नेशनल हाइवे सर्किल और लोक निर्माण विभाग, बिहार के बीच बैठक हो रही है, लेकिन आज तक सकारात्मक परिणाम नहीं निकल सका। वर्तमान दूसरे रेल समपार सं. 14 ओ ग्रेड कार्ड रेल खंड और जी.टी. रोड पर स्थित है, जिसके कारण यातायात का भारी दबाव है। ऐसी स्थिति में करीब 12 घंटा रेल समपार बन्द रहता है।

यह क्षेत्र आदिवासी बहुल अविकसित इलाका है। रेल समपार के बन्द रहने के कारण पुलिस और प्रशासन को कानून व्यवस्था के नियंत्रण में दिक्कतें आती हैं। इस पुल के निर्माण से लाखों लोगों को लाभ हो सकता है और समय की बचत होगी।

अत: केन्द्र सरकार से आग्रह है कि दूसरी रेल समपार से 14 ए पर ऊपरि पुल का निर्माण करने हेतु शीघ्र आदेश जारी किया जाये।

(तीन) चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा 'दीप कम्पलैक्स' को अधिग्रहीत करने के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ़): सभापति जी, चण्डीगढ़ एक संघ शासित प्रदेश है। वहां के गांव हल्लोमाजरा के पास काफी लम्बे अर्से से सैकड़ों लोगों ने अपने मकान बनाये हुए हैं। इस क्षेत्र को दीप काम्पलैक्स के नाम से जाना जाता है। यहां पर रहने वाले अधिकांश लोग समाज के आर्थिक रूप से बहुत सम्पन्न न होकर समाज के गरीब वर्ग से संबंध रखते हैं।

कुछ माह पहले चण्डीगढ़ प्रशासन ने इस जमीन को अधिग्रहीत करने की प्रक्रिया शुरू की। इसका इन लोगों ने विरोध किया। इन लोगों का कहना है कि यदि इस जमीन को अधिग्रहीत किया जाता है तो इससे सैंकड़ों मकानों को तोड़ना एवं गिराना पड़ेगा, जो किसी के भी हित में नहीं है। एक ओर तो सरकार स्वयं मकानों की कमी को देखते हुए 20 लाख मकान प्रतिवर्ष बनाने की बात कर रही है और दूसरी ओर चण्डीगढ़ प्रशासन इन बने हुए मकानों को तोड़ने की बात कर रहा है। ये परस्पर विरोधी बातें हैं तथा इससे मकानों की कमी बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। इन लोगों ने केन्द्रीय गृह मंत्री सहित कई उच्च अधिकारियों को इस संबंध में ज्ञापन भी भेजे हैं। ये लोग कई दिनों से आन्दोलन भी कर रहे हैं। दूसरी ओर चण्डीगढ़ प्रशासन अधिगृहण करने की सारी कार्यवाही पूरी कर चुका है। इस कारण इन लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है।

अत: मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह चण्डीगढ़ प्रशासन को यह निर्देश दे कि वह इस जमीन को अधिग्रहीत करने की अपनी सारी प्रक्रिया को रद्द करे ताकि सैकड़ों मकानों को गिराने से बचाया जा सके। मैं सरकार से यह भी आग्रह करता हूं कि वह वहां बने मकानों को नियमित करके उन्हें बिजली एवं पानी के कनैक्शन जारी करे।

(चार) उत्तरांचल में 'बेनाम भूमि' की अधिसूचना को रद्द करके इसे वन भूमि के रूप में परिवर्तित करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निर्देश दिए जाने की आवश्यकता

श्री बची सिंह रावत 'बचदा' (अल्मोड़ा): महोदय, उ.प्र के उत्तरांचल क्षेत्र में निवासियों के हजारों वर्षों से वन भूमि व वन उपज पर परम्परागत अधिकार रहे हैं। सन् 1993 में किये गये वन बन्दोबस्त अधिकार में भी उत्तरांचलवासियों के वन भूमि से चारा, घास, पत्ती, जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, स्लेट-पत्थर, रेत पत्थर आदि प्राप्त करने के परम्परागत अधिकारों को मान्यता दी गई है जिनका अबाध गति से उत्तरांचलवासी अधिकार स्वरूप प्रयोग करते आये हैं।

परंतु वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत उ.प्र. शासन ने 17.3.97 व 19.3.97 को आदेश पारित करके उत्तरांचलवासियों को भूमिधारी भूमि के अलावा शेष भूमि जिसे "बेनाम भूमि" कहा जाता है, को "वन भूमि" घोषित करके उसके वन उपज उपयोगों पर रोक लगा दी है। सर्वोच्च न्यायालय के कथित आदेशों की आड़ में वर्तमान समय में उत्तरांचलवासी अपने भूमि क्षेत्र से भी रेता, पत्थर, लकड़ी आदि लेने से वंचित कर दिये गये हैं। यदि

कोई अपने अधिकार स्वरूप इनका उपयोग करता है तो उसे दण्डित किया जा रहा है।

वन विभाग तथा प्रशासन द्वारा उत्तरांचलवासियों के वन उपज पर परम्परागत अधिकारों को रोकने, ईंधन, पत्थर, बजरी आदि पर प्रतिबंध लगाने के कारण जहां एक ओर विकास के सारे कार्य बंद हो गये हैं, वहीं आम जनता अपना मकान खेती आदि से भी वंचित हो गई है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह उपरोक्त मामले में उत्तरांचलवासियों के अधिकारों को बहाल करने हेतु उ.प्र. सरकार को तत्काल निर्देश जारी करें।

[अनुवाद]

(पांच) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों के लाभ के लिए आंध्र प्रदेश स्टेट को-आपरेटिव बैंक को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए "नाबार्ड" को निदेश दिये जाने की आवश्यकता

डा. बी.एन. रेड्डी (मिरयालगुड़ा): सूखा और फसलों पर कीटों के दुष्प्रभाव को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने ऋण अवधि का पुनर्निर्धारण अधिकतम 9 वर्ष, जिसमें दो वर्ष की अवकाश अवधि शामिल है, के लिए करने का अनुदेश दिया है। तथापि, नाबार्ड ने आंध्र प्रदेश सहकारी बैंक को देय ऋण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष, जिसमें दो वर्ष की अवकाश अवधि शामिल है, रखने पर ही सहमति दी है।

भारतीय रिजर्व बैंक को नाबार्ड को यह निदेश देने के लिए भी कहा गया है कि वह आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को दो वर्ष के लिए कम से कम 51 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त कर्जा प्रदान करे ताकि बैंक अपनी वित्तीय समस्याओं से निपट सके। यह भी अनुरोध किया गया है कि नाबार्ड द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी बैंक को दिए गए अल्पावधि फसल ऋण पर ब्याज यथासंभव न्यूनतम 5 प्रतिशत वार्षिक दर पर होना चाहिए ताकि प्राकृतिक आपदा पीड़ित उन किसानों को फायदा पहुंच सके जिनकी फसलें नष्ट हो गई हैं।

चूंकि मामला अब काफी समय से लंबित है और इस संबंध में निर्णय से उन किसानों को फायदा पहुंच सकता है जिनकी फसलों को भारी क्षति पहुंची है, अत: मेरा केन्द्र सरकार से इस मामले में शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध है।

(छह) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की राहुड़ी और संगमनेर तहसीलों में डाकघरों के लिए नए भवनों का निर्माण किये जाने की आवश्यकता

श्री प्रसाद बाबूराव तनपुरे (कोपरगांव): राहुड़ी और संगमनेर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में दो प्रमुख और तेजी से विकास करने वाले नगर हैं। इन दोनों नगरों की कुल जनसंख्या लगभग एक लाख है। राहुड़ी औद्योगिक रूप से महत्वपूर्ण है और इसमें सहकारी चीनी मिल, सहकारी कताई मिल तथा महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय स्थित हैं। संगमनेर औद्योगिक और वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण नगर हैं और महाराष्ट्र सरकार के कई कार्यालय यहां स्थित है। इन दोनों शहरों में डाक सुविधाओं के संचालन के लिए कोई स्थायी भवन नहीं है। 1946 में नदी में आई भयंकर बाढ़ के कारण पुराना भवन बह गया और तब से डाकघर क्षतिग्रस्त भवन में चल रहा है। संगमनेर में भी डाकघर के कुशल कार्यचालन के लिए कोई भवन नहीं है। ग्रामीण लोग अधिकतर डाक सेवाओं पर निर्भर रहते है क्योंकि उनके लिए संचार का यही मुख्य माध्यम है।

डाक विभाग के कर्मचारियों को आवासीय सुविधा भी नहीं प्रदान की गई है।

अत: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि राहुड़ी और संगमनेर तहसीलों में डाकघरों के लिए नए और स्थायी भवनों के निर्माण हेतु तत्काल कदम उठाये जायें तथा डाक विभाग के कर्मचारियों के लिए सरकारी आवास के निर्माण हेतु प्रयास किये जायें।

(सात) उत्तर प्रदेश के बलिया में बिल्थरा रोड पर प्रस्तावित विद्युत परियोजना की शीघ्र स्थापना के लिए कारगर कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): महोदय, बिल्थरा रोड, बलिया, उ.प्र. में प्रस्तावित 3 × 250 मेगावाट ताप विद्युत परियोजना के स्थापना के संबंध में एक दशक से केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के तहत मामला विचाराधीन है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के एक दूसरे पर मामला छोड़ने के कारण परियोजना अभी तक लम्बित है।

अत: मैं इस माननीय सदन में सरकार से मांग करता हूं कि उक्त तापीय विद्युत गृह परियोजना की स्थापना के लिए ठोस कदम उठायें, जिससे पिछड़े अंचल का विकास हो सके।

अपराह्न 3.27 बजे

(प्रो. रीता वर्मा पीठासीन हुईं)

(आठ) कलकत्ता के नेताजी सुभाष विमान पत्तन पर अत्याधुनिक विमानों की संख्या में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती कृष्णा बोस (जादवपुर): सभापति महोदया, नेताजी सुभाष विमान पत्तन, कलकत्ता में अत्याधुनिक विमानों की संख्या में कमी होने वाली है। वर्तमान में, दो ए-300 और तीन ए-320 (जो पहले चार ए-320 थे) हैं। आगामी ग्रीष्मकाल के दौरान केवल एक ए-320 रह जायेगा।

इस प्रकार ए-320 विमानों की संख्या में कटौती करने से पायलटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि उन्हें आधुनिक विमानों को चलाने का पर्याप्त अनुभव प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसके कारण अत्याधुनिक विमान के रख रखाव में अनुभव प्राप्त करने में अभियांत्रिकी कार्मिकों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

इसलिए, केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह नागर विमानन मंत्रालय को निर्देश दें कि कलकत्ता के नेताजी सुभाष विमान पत्तन पर ए-320 की संख्या में वृद्धि की जाये। इन आधुनिक विमानों की संख्या में वृद्धि किया जाना अत्यंत आवश्यक है ताकि पायलटों तथा इंजीनियरिंग कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जा सके।

(नौ) घरेलू अखबारी कागज उद्योग के हितों की रक्षा के लिए अपारम्परिक कच्चे माल से बने उत्पादों पर शुल्क समाप्त किए जाने की आवश्यकता

श्री सी. कुप्पुसामी (मद्रास उत्तर): सभापति महोदया, वर्तमान में घरेलू न्यूजप्रिंट मिलें खरीददारों के अभाव में भारी भण्डार होने के कारण संकट में है। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एण्ड पेपर लिमिटेड जोकि तमिलनाडु सरकार और आई.डी.बी.आई. का संयुक्त उपक्रम है, जहाँ बड़े पैमाने पर कागज उत्पादन के लिए अपरंपरागत कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने के लिए लुगरी के स्थान पर खोई का उपयोग हो रहा है। वर्ष 1994-95 तक मुद्रण और लेखन कागज पर उत्पाद शुल्क माफ था तत्पश्चात् पहले 1500 मैट्रिक टन पर 5 प्रतिशत का उत्पाद शुल्क लगाया जाने लगा और उससे अधिक मात्रा पर 8 प्रतिशत उत्पाद शुल्क लगाया गया। इससे बड़ी इकाइयों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है जिन्हें उच्चतर मात्रा के लिए पूँजी बहुल बुनियादी ढांचा तथा प्रदूषण नियंत्रण उपस्कर पर काफी ज्यादा खर्च करना पड़ता है।

तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री, डा. कैलंगार करुणानिधि ने केन्द्र सरकार से यह अनुरोध भी किया है कि देश में उत्पादित न्यूज प्रिंट पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाए और बाहर से आयातित न्यूजप्रिंट पर अधिक दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाए जिससे कि घरेलू उद्योग को मदद मिले।

अतएव, मेरा माननीय वित्त मंत्री से अनुरोध है कि गैर परंपरागत कच्चे माल से बने उत्पादों पर शुल्क समाप्त किया जाए या 'स्लैब' प्रणाली समाप्त की जाए तथा संपूर्ण उत्पाद पर निम्नतर दर से शुल्क लगाया जाए। उसी प्रकार, सरकारी संस्थाओं द्वारा स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण के पेपर पर शून्य दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाए।

इसके अतिरिक्त, वाणिज्य मंत्रालय के निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार मैं सरकार से न्यूजप्रिंट के आयात पर पाटन-रोधी शुल्क लगाने का आग्रह करूंगा जैसाकि चीन में भी होता है।

(दस) कन्याकुमारी और एर्नाकुलम के बीच आंध्र विक्टोरिया मार्तण्ड कैनाल के पुनरुद्धार के लिए तत्काल कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री एन. डेनिस (नागरकोइल): एर्नाकुलम तथा कन्याकुमारी के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन सुविधा का प्रावधान देश के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में आर्थिक और पर्यटन संबंधी गतिविधियों में काफी तेजी लाएगा। इस प्रकार की सुविधा कुछ स्थानों पर मुख्य रूप से कन्याकुमारी तथा त्रिवेन्द्रम के बीच उत्पन्न दरारों के नवीकरण तथा दूर करके आसानी से प्राप्त की जा सकती है। पूर्व में कन्याकुमारी तथा त्रिवेन्द्रम के बीच प्राचीन आंध्र विक्टोरिया मार्तण्ड वर्मा नहर के माध्यम से नियमित अन्तर्देशीय जलमार्ग परिवहन सुविधा थी जिससे व्यापार तथा वाणिज्य को बढ़ावा मिलता था। बाद में, ए.वी.एम. कैनाल के कई भागों में बालू तथा मिट्टी से दरार भर दिए गए और उन्हें कई सालों से हटाया नहीं गया है। खराब रख-रखाव तथा दरार नहीं भरे जाने के कारण कोई लगातार जल परिवहन सुविधा नहीं है। यदि एवीएम नहर की दरारों को हटा दिया जाय तथा इसका नवीकरण कर दिया जाय तो त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के बीच भी लगातार जल परिवहन सुविधा प्राप्त कर ली जाएगी। त्रिवेन्द्रम तथा क्विलोन के बीच नहर का पुनर्निर्माण करने, गाद हटाने, तथा रख रखाव कार्य ठीक करने

से एर्नाकुलम एवं कन्याकुमारी के बीच अंतर्देशीय जल मार्ग सुविधा का भी लाभ मिल सकता है। ऐसी सस्ती तथा लोकप्रिय परिवहन सुविधा व्यापार वाणिज्य तथा पर्यटन तथा राष्ट्रीय एकता को भी बढ़ावा देगी।

मैं सरकार से एर्नाकुलम तथा कन्याकुमारी के बीच अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन सुविधा को चालू करने हेतु अविलंब कदम उठाने की मांग करता हूं।

(ग्यारह) ईसाई पर्सनल कानूनों में सुधार करने और इससे संबंधित विधेयकों को संसद के वर्तमान सत्र में लाये जाने की आवश्यकता

डा. बीट्रिक्स डिसूजा (नामित): मैं सरकार का ध्यान ईसाई चर्चों तथा चर्चा से संबंधित संगठनों के माध्यम से भारतीय ईसाईयों की सहमति से किए गए प्रस्ताव तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार चार विशेष विधेयकों-ईसाई विवाह विधेयक, 1997; ईसाई विवाह-विच्छेद विधेयक, 1997; ईसाई उत्तराधिकार संशोधन विधेयक, 1994; और इसाई दत्तक ग्रहण और निर्वाह विधेयक, 1997 से संबंधित ईसाई पर्सनल लॉ में सुधार लाने और उसे अद्यतन बनाने की ओर आकृष्ट करता हूं।

ब्रिटिश द्वारा बनाए गए सैकड़ों साल पुराने ईसाई विवाह अधिनियम, 1872 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869 के उप प्रावधानों को उच्चतम न्यायालय तथा अनेक उच्च न्यायालयों ने विशेषकर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण मानकर हटा दिया था। उक्त अधिनियम वर्तमान समय की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान ईसाई समुदाय विशेषकर महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण है। दत्तक ग्रहण तथा निर्वाह संबंधी कानून में भी खामी देखी गई।

ये चार विधेयक सरकार को 1994 में तथा पुन: 1997 में प्रस्तुत किए गए थे। चूँकि समान सिविल संहिता लागू करने के पक्ष में वातावरण कभी नहीं बन सकता है, सरकार को एक अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपने पर्सनल ला को अद्यतन करने की पहल का स्वागत करना चाहिए। ईसाई चर्च कानून बनाने के लिए नया विधेयक नहीं प्रस्तुत कर रहे हैं बल्कि वह भारत के ईसाई समुदाय के लिए उन्हें और सार्थक और प्रभावी बनाने की दिशा में सरकार की मदद कर रहे हैं।

इसलिए, मैं सरकार से उक्त चार विधेयकों को संसद के वर्तमान सत्र में पुर:स्थापित करने का अनुरोध करता हूँ।

अपराह्न 3.39 बजे

पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प
और
पेटेंट (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 11 तथा 12 पर एक साथ विचार करेगी। इस चर्चा के लिए आवंटित समय 4 घंटे है।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) महोदया, मैंने एक नोटिस दिया है जिसमें विधेयक प्रस्तुत करने के औचित्य तथा वैधता पर प्रश्न उठाया गया है। उस सूचना पर अब विचार किया जाये। यह नियम के अंतर्गत है तथा मैंने वैधता तथा सांविधिकता का प्रश्न उठाते हुए नियम भी निर्दिष्ट किया है।

सभापति महोदय: कृपया मुझे पता करने दें कि उस नोटिस का क्या हुआ।

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदया, मैं निवेदन करूंगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, प्रस्ताव पेश किए जाने की सांविधिकता तथा वैधता पर प्रश्न उठाते हुए यह काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें इसे पहले निपटाना है।

सभापति महोदय: नहीं। आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं पहले पता करूँगी कि इस सूचना का क्या हुआ और तब आप बोल सकते हैं।

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं बताऊंगी कि आपके नोटिस का क्या हुआ। इस बीच हम सांविधिक संकल्प पर विचार करेंगे। कृपया मुझे आपके नोटिस के बारे में पता करने दें।

श्री वारकला राधाकृष्णन: उनके बोलने के पहले मुझे बोलने का अधिकार है।

सभापति महोदय: वह आपकी पार्टी से हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं सांविधिक संकल्प के विरोध में शुरू में ही बोलना चाहता था।

सभापति महोदय: क्या आप मुझे दो या तीन मिनट का समय देने की उदारता भी नहीं कर सकते हैं।

तब तक, श्री वी.वी. राघवन बोल सकते हैं।

श्री वी.वी. राघवन (त्रिचूर): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 8 जनवरी, 1999 को प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 3) का निरनुमोदन करती है।"

12वीं लोक सभा का दूसरा सत्र कई अध्यादेशों पर विचार करने के लिए इतिहास में याद रखा जायेगा। तीन दिन की अवधि में यह चौथा अध्यादेश है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस अध्यादेश को हमारे मॉडल पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने हेतु प्रख्यापित किया गया था ताकि भेषज, औषधि एवं कृषि रसायनों के उत्पादन में संलग्न विदेशी कम्पनियों को विशेष विपणन अधिकार दिया जा सके। इस संशोधन में हमारे देश की प्रभुसत्ता का मुद्दा भी जुड़ा है। कार्यपालिका यह जानती है कि इस प्रश्न पर कड़ा विरोध व्यक्त किया गया है। कई प्रख्यात वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, सांसदों एवं अन्य संगठनों ने इस अध्यादेश को प्रख्यापित करने से पहले इसके प्रति सरकार से अपना विरोध व्यक्त किया है।

यहां तक कि सत्ताधारी पार्टी बी.जे.पी. के भी कई लोग यह नहीं चाहते कि विदेशी कम्पनियां यहां आकर हमारे भेषज उत्पाद के बाजार पर अपना अधिकार कायम कर लें। मैं यह जानता हूँ। फिर भी वे व्हिप के कारण इसके पक्ष में वोट देंगे। सत्ताधारी पार्टी में बी.जे.पी. के वरिष्ठ नेताओं को मिलाकर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होने विशेष विपणन अधिकार देने के बारे में सार्वजनिक रूप से अपनी सीमाएं बता दी हैं। यह सब छुपा हुआ नहीं है। जब आप विदेशी कम्पनियों को विशेष विपणन अधिकार देने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, तो क्या आप उस पर संसद में चर्चा करने के लिए बाध्य नहीं है? आपने इस सभा की जानकारी और सहमति के बिना विशेष विपणन अधिकार दे दिया है। इसे नरमी से प्रस्तुत करना उन लोगों का अनादर है जिन्होंने इस माननीय सभा को चुना है।

यह एक आम बात नहीं है। 'ट्रिप्स' समझौते के तहत हम विदेशी कम्पनियों को विशेष विपणन अधिकार देने के लिए बाध्य नहीं है। ट्रिप्स के अनुसार हमारे ऊपर एकमात्र बाध्यता यह है कि भेषज उत्पादों एवं कृषि रसायनों के पेटेंटिंग के लिए आवेदन मेल बाक्स के माध्यम से करना होगा। जहां तक हमारा संबंध है समझौते में यह एकमात्र अनिवार्य प्रावधान है। इन आवेदनों की जांच करने और इन पर निर्णय करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय है। इन सब बातों का निर्णय करने के लिए पांच वर्ष और हैं। अपने महत्वपूर्ण हितों को ध्यान में रखकर ही हमें इसकी जांच करनी है और इस पर निर्णय करना है।

महोदया, मैं यह कहने के लिए माफी मांगता हूँ कि विशेष विपणन अधिकार देने का यह अध्यादेश अमरीका के दबाव में आकर प्रख्यापित किया गया था। वाशिंगटन का इस मामले पर विशेष ध्यान था क्योंकि वह जानते हैं कि उनके लिए यहां पर एक व्यापक बाजार है। अतः यह अध्यादेश अमरीका के दबाव में प्रख्यापित किया गया था। सरकार ने सभा को अथवा लोगों को विश्वास में लिए बिना उन्हें विशेष विपणन अधिकार दे दिया है। अमरीका को हम पर दबाव डालने का क्या अधिकार है? मुझे इस बात का ज्ञान नहीं है कि उद्योग मंत्रालय अथवा माननीय सदस्य इस बारे में कहां तक चिन्तित है? यह कैसे हो सकता है? बी.जे.पी. के वरिष्ठ सदस्य इसके विरोध में है। जानमाने वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री और शक्तिशाली मजदूर संघ इसके विरोध में हैं। इस परिदृश्य में ऐसा कैसे हो सकता है?

दीर्घा तथा केन्द्रीय हॉल में यह बात चल रही है कि सभी कुछ प्रधान मंत्री कार्यालय से शुरू होता है। आजकल यह चर्चा है कि प्रधान मंत्री कार्यालय प्रधानमंत्री से अधिक शक्तिशाली है और सभी नीतियां प्रधानमंत्री कार्यालय से शुरू होती है। मैं यह नहीं कहूंगा कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है परन्तु वह सभा को इसे जानने और पेटेंट अधिनियम में ऐसे संशोधन के प्रभाव पर चर्चा करने के अधिकार से मना नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री कार्यालय सभा की अवहेलना नहीं कर सकता। हम उन्हें इस प्रकार आगे नहीं बढ़ने देंगे।

महोदय, जहां तक ट्रिप्स के खण्डों का संबंध है, 'इकरार को शीर्ष, स्वरूप और क्षेत्र' के अंतर्गत अनुच्छेद 1 में यह कहा गया:

> "सदस्य इस समझौते के प्रावधानों को अपनी कानूनी प्रणाली और प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्रियान्वित करने की समुचित पद्धति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

इसलिए, हमें इस बात पर विचार करते हुए निर्णय करना पड़ेगा कि इससे हमारे देश, लोगों, भेषज उद्योग और श्रमिकों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा और इससे हमारे मौजूदा कानून किस प्रकार प्रभावित होंगे? में इकरार के स्वरूप और क्षेत्र शीर्ष के

अंतर्गत ट्रिप्स समझौते के अनुच्छेद 1 को पुनः दोहराना चाहता हूं जिसमें यह कहा गया है:

"सदस्य इस समझौते के प्रावधानों को अपनी कानूनी प्रणाली और प्रक्रियाओं के अंतर्गत क्रियान्वित करने की समुचित पद्धति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

क्या आपने इस पर विचार किया है? क्या आप इस खंड में ट्रिप्स के इन खंडों पर विचार करने के इच्छुक हैं। अंत में अनुच्छेद 7 में यह कहा गया है:

"कि बौद्धिक सम्पदा अधिकारों का संरक्षण करके और उनको लागू करके तकनीकी नवीकरण को बढ़ावा देने में योगदान देना चाहिए और उत्पादकों तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान के उपयोग कर्त्ताओं के आपसी हित में प्रौद्योगिकी का सामाजिक और आर्थिक कल्याण में सहायक तरीके से अंतरण और प्रसार करना चाहिए तथा अधिकारों और बाध्यताओं में संतुलन बनाना चाहिए।"

क्या आपने इन सब बातों पर विचार किया है? क्या आपने इन खंडों पर विचार किया है? आप विदेशियों को विशेष विपणन अधिकार कैसे दे सकते हैं? हमें इन सभी खंडों का उपयोग करना चाहिए। हमें दबाव में नहीं आना चाहिए। जब अमरीका हमारे अधिनियम में संशोधन करने के लिए हमें मजबूर करता है तो अमरीका क्या करता है? यह जानने लायक बात है। अमरीका का अपना अधिनियम है। ट्रिप्स समझौते पर विचार करते हुए उन्होंने अपने अधिनियमों का संरक्षण किया है। संयुक्त राज्य अमरीका ने 8-2-1994 को एक विधान बनाया था जिसके अनुसार विश्व व्यापार संगठन का कोई भी खंड उनके लिए अनिवार्य नहीं है। उन्होंने अपने ही विधान से सुरक्षा कर ली है। उनके एक विधान में यह कहा गया है:

"जब कभी कोई विवाद उत्पन्न होता है तो संयुक्त राज्य अमरीका का कानून लागू होगा। उरुग्वे दौर समझौते के किसी भी प्रावधान जो संयुक्त राज्य अमरीका के किसी भी कानून के अप्रासंगिक है, से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और न ही ऐसा कोई भी प्रावधान किसी भी परिस्थिति में किसी भी व्यक्ति पर लागू होगा"

यह अमरीका का कानून है। क्या आप जानते हैं कि अब क्या चल रहा है? ट्रिप्स और विश्व व्यापार संगठन के इन सभी खण्डों को एक तरफ रखने के पश्चात उनका अपना सुपर 301 है। उनका यूरोपीय संघ के साथ मुकाबला हो रहा है। इसे आप अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं। यह सब बातें हो रही है। संयुक्त राज्य अमरीका ट्रिप्स और विश्व व्यापार संगठन के किसी भी खंड के साथ बन्धा हुआ नहीं है। उनका अपने अधिनियमों द्वारा मार्गप्रदर्शन होता है। उनका प्रत्येक के साथ मुकाबला हो रहा है लेकिन अन्य देशों पर वे अपनी इच्छा थोप रहे हैं। मुझे ऐसा कोई कारण नहीं दिखाई देता कि हम इस दबाव में क्यों आए हैं। यह विशाल देश है। आप 99 करोड़ लोगों पर निर्भर कर सकते हैं। आप उनके साथ लड़ सकते हैं। आप इस तरह वश में क्यों हो रहे हैं? इस तरह कोई भी विकासशील देश ई.एम.आर. देने के लिए नहीं झुका है। हमारे साथ कई विकासशील देश हैं। सौ से भी अधिक और अन्य विकासशील देशों में से केवल पाकिस्तान और दो अन्य छोटे देश इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ई.एम.आर. देने के लिए झुके हैं। यह तथ्य है। मलेशिया अभी इस दबाव में नहीं आया है।

यह हमारा पड़ोसी देश है कोई भी अन्य विकासशील देश अमरीका के दबाव में नहीं आया है। जब आप निर्माण विपणन अधिकार की अनुमति देंगे तो क्या होगा? दिल्ली में लोग हैं। मैं वह जानता हूँ। वह यह प्रचार कर रहे हैं कि ई.एम.आर. छोटी चीज है, अधिक दवाइयां नहीं होंगी। हम उनका सामना कर सकते हैं। इसलिए वह चाहते हैं कि हम इस सभा में यह अध्यादेश पारित करें। चारों और प्रचार किया जा रहा है। पक्ष प्रचार भी किया जा रहा है। संसद सदस्यों को प्रचार पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें इस अध्यादेश को एक कानून में पारित करने का अनुरोध किया गया है। वह कहते हैं कि ई.एम.आर. खतरनाक नहीं है।

मैं उन लोगों को जानता हूँ जिन्होंने ट्रिप्स, गैट, विश्व व्यापार संगठन की चर्चा में भाग लिया है। वे इस विधान को सभा में पारित कराने के बहुत इच्छुक हैं। मैं यहां कोई आरोप नहीं लगाना चाहता लेकिन यह एक विदित सच्चाई है कि इस विधान को पारित कराने के लिए पक्ष प्रचार कर रहे सेवानिवृत्त अधिकारियों के सगे-संबंधी विश्व में कहीं न कहीं प्रमुख पदों पर हैं। क्या वे हमें धोखा देंगे? क्या वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे?

ई.एम.आर. प्रदान करते हुए एक अध्यादेश के माध्यम से प्रख्यापित संशोधन अनावश्यक है। यह किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है। हमें अपने विधान, अपने सामाजिक संदर्भ अपनी सामाजिक आवश्यकताओं के अंतर्गत इसका मूल्यांकन करने का अधिकार प्राप्त है। जहां तक अमरीका चला गया है हम नहीं जाते। लेकिन हमें अन्य देशों को अपने उत्पादों का पेटेंट कर देने के लिए ट्रिप्स खंडों को सीमित करने के सभी अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें इसका अनुप्रयोग करने दें। हमारे देश का हित ध्यान में रखते हुए हमें उन पर विचार करना चाहिए। व्यापार और बौद्धिक सम्पदा (ट्रिप्स) समझौते के अंतर्गत हमारा केवल यही दायित्व है।

[श्री वी.वी. राघवन]

हम बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के विरुद्ध नहीं है। यहां कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि कृषि-रसायनों तथा फार्मास्युटिकल्स को पेटेन्ट करने में हमारे पास अनेक संभावनाएं हैं। हम एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते कि हम किसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। हमने शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों विशेषरूप से अमरीका के साथ मुकाबला किया है। वे किसी भी तरह हमारे बाजार पर कब्जा करना चाहते हैं। इसका क्या परिणाम निकलेगा? यदि विशिष्ट विपणन अधिकार इस तरह चलता रहा तो सरकार के पास उनकी छानबीन करने हेतु कोई साधन और तंत्र नहीं रहेगा क्योंकि सरकार कहती है कि 'ट्रिप्स' के खण्ड के अनुसार यदि कोई कम्पनी ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू.टी.ओ.) के किसी अन्य देश में अपने उत्पादों/उत्पादन को पेटेंट किया है तो वह कम्पनी किसी भी अन्य देश में विशिष्ट विपणन अधिकार प्राप्त कर सकती है और इन उत्पादों का यहां आयात कर सकती है।

अपराह्न 4.00 बजे

हम उनकी छानबीन किस तरह कर सकते हैं जिसका अन्य देशों में पेटेंट हो गया है? वे इस अधिकार से आते हैं कि इसका अन्य देशों में पेटेंट हो गया है। 'ट्रिप्स' प्रक्रियाओं के अनुसार यदि कतिपय औषध अन्य देशों में पेटेंट किए गए हैं तो हम उन्हें किसी प्रकार की छानबीन किए बिना और उन पर कोई नियंत्रण किये बिना विशिष्ट विपणन अधिकार देने के लिए बाध्य हैं। यह कानून है। विशिष्ट विपणन अधिकार का अर्थ है कोई भी देश जिसने कोई औषध डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी भी देश में पेटेंट है उसे यहां आयात करने तथा उसे बेचने का पूरा अधिकार है। इस बात का निर्णय वे लेते हैं कि वे किस मूल्य पर बेचना चाहते हैं।

क्या कोई प्रभुसत्ता सम्पन्न देश ऐसी बातों की अनुमति दे सकता है? हमारा देश प्रभुसत्ता सम्पन्न देश है और हम विदेशियों को डब्ल्यू.टी.ओ. के किसी भी देश की वस्तुओं को बिना किसी नियंत्रण तथा हमारे द्वारा बिना किसी प्रकार की छानबीन के पेटेंट कराके यहां लाने, आयात करने तथा बेचने की अनुमति दे रहे हैं। यही विशिष्ट विपणन अधिकार है। इसलिए अन्य देशों ने विशिष्ट विपणन अधिकार नहीं दिए हैं। भारत में पेटेंट करना कुछ अलग बात है और अन्य देशों में औषध पेटेंट करने के लिए विशिष्ट विपणन अधिकार प्रदान करना बिलकुल अलग बात है।

मैं जानता हूं कि यदि अध्यादेश के बिना यहां विधेयक पुरःस्थापित किया गया होता तो मुझे विश्वास है कि सत्तापक्ष के उन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक को पारित करने से पहले उस पर सौ बार विचार किया होता। इसलिए सरकार अध्यादेश के माध्यम से निर्विवाद तथ्य के रूप में विधान लाई थी। यह हम पर थोपा गया है। यह सभा पर थोपा गया है। अध्यादेश का यह अर्थ है। यदि आप माननीय सदस्यों को उनकी अंतर्आत्मा के अनुसार मतदान करने का विकल्प देते तो मुझे विश्वास है कि आप विशिष्ट विपणन अधिकार लागू नहीं कर पाते। हमारे पास विशिष्ट विपणन अधिकार की अनुमति दिए बिना आगे बढ़ने के यहां पर्याप्त प्रावधान हैं, पर्याप्त रास्ते हैं।

महोदया, मैं सभा का अधिक समय नहीं लेना चाहता। यहां ऐसे अनेक विशेषज्ञ हैं जो पेटेंट विधेयक और अध्यादेश के बारे में बोलना चाहते हैं। मैंने उनके साथ भी न्याय करना है।

विशेषरूप से सत्तापक्ष से मेरा यह निवेदन है कि कार्यकारिणी के इस तरह के कार्य को बिना जांच के अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्हें अध्यादेश द्वारा ऐसी बातें लागू करने से पहले राष्ट्र के बारे में सोचना चाहिए। हमारे बारे में सोचना चाहिए। सभा के बारे में सोचना चाहिए। वे कैसी प्रतिक्रिया करेंगे। सभा की सहमति के बिना विशिष्ट विपणन अधिकार की अनुमति देना क्या सही है? कार्यकारिणी को इसके बारे में सोचना है। हमें केवल ऐसे ही न समझे। सभा को ऐसे ही न समझे। प्रधानमंत्री कार्यालय शक्तिशाली हो सकता है। परंतु यह सभा प्रधानमंत्री कार्यालय से भी अधिक शक्तिशाली है। उस को राह दिखाए यदि कार्यपालिका गलत रास्ते पर जाती है तो हम विरोध करेंगे। हम सरकार को ऐसी प्रथाएं नहीं चलाने देंगे जो देश के लिए बिलकुल भी ठीक नहीं है। यह संसदीय लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है।

केवल इस पर विचार करते हुए सत्तापक्ष को अपने कार्यकारी कृत्यों की जांच करनी चाहिए। अन्यथा, मुझे डर है कि ये हमें बहुत खतरनाक रास्ते पर ले जायेंगे।

मैं मानता हूं कि हमारे माननीय कांग्रेस सदस्यों की वचनबद्धता है। परंतु स्थितियां बहुत बदल गई हैं। यदि आप पंचमढ़ी संकल्प के प्रति सच्चे है और यदि आप पचमढ़ी संकल्प का पालन करते हैं तो आपको ऐसी स्थितियों को बदलना होगा।

जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी, तब उन्होंने अध्यादेश प्रख्यापित किए थे परंतु उन्होंने विशिष्ट विपणन अधिकार देने के लिए अध्यादेश जारी नहीं किये थे। उन्होंने केवल फार्मास्युटिकल्स और कृषि-रसायनों के पेटेंट की अनुमति के लिए अध्यादेश जारी किये थे। हमारे पेटेंट अधिनियम में फार्मास्युटिकल्स उत्पाद तथा कृषि रसायनों के पेटेंट की अनुमति नहीं दी गई थी। कांग्रेस सरकार ने

इन्हें पेटेंट योग्य बनाया था। बस इतना ही कहना है। उन्होंने विशिष्ट विपणन अधिकारों की अनुमति नहीं दी थी। अब क्या कांग्रेस पार्टी विशिष्ट विपणन अधिकार देने हेतु इस सरकार को अनुमति देने के पक्ष में है। यह कांग्रेस पार्टी के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न है।

हमने 'ट्रिप्स' तथा विश्व व्यापार संगठन समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। परंतु विशिष्ट विपणन अधिकार देना हमारा दायित्व नहीं है। यह मेरा प्रश्न है। विशिष्ट विपणन अधिकार बिलकुल अलग बात है। मेरे विचार से सभा इस अध्यादेश को अस्वीकार कर सकती है और कार्यपालिका को सही ढंग से कार्य करने, और विधान लाने के लिए कह सकती है और तब हमें इस बात पर विचार करने दें कि यह सही है अथवा नहीं। परंतु निर्विवाद तथ्य के रूप में विधान प्रस्तुत करने के इस तरीके को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए। इसे रोका जाना है। अतः, मैं सभा से आग्रह करता हूं कि वह इस अध्यादेश को अस्वीकार कर दें।

सभापति महोदय: अब मैं श्री वारकला राधाकृष्णन की सूचना के संबंध में व्यवस्था देना चाहती हूं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): महोदया, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: जी नहीं, व्यवस्था दी जा चुकी है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय: उस मामले में श्री राधाकृष्णन भी बोलना चाहते हैं।

श्री शरद पवार (बारामती): महोदया, कृपया इन्हें बोलने का अवसर प्रदान करें और इसके बाद व्यवस्था दें।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, श्री राधाकृष्णन ने संवैधानिक आधारों पर विधेयक पर विचार करने पर आपत्ति की है। अतः व्यवस्था दिए जाने से पहले उनकी बात सुनी जानी चाहिए और व्यवस्था दिए जाने से पहले आप विधेयक की संवैधानिक वैधता के बारे में अन्य सदस्यों की बात भी सुनना चाहेंगी।

सभापति महोदय: जी, नहीं; हम इस पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: क्यों नहीं? जब संवैधानिक आधारों पर विधेयक पर आपत्ति है तो व्यवस्था देने से पहले आपको हमारी बात सुननी चाहिए।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन को आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है। वह अपनी बात कहने में पूर्णतया सक्षम है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जी नहीं; यह मामला सदस्य और पीठासीन अधिकारी के बीच का नहीं है। यह सभा का मामला है; यह सभा की सम्पत्ति है। अतः मेरा सविनय निवेदन है कि कृपया सदस्यों को आपत्ति करने की अनुमति दी जाए, हममें से कुछ की बात सुनें और इसके बाद व्यवस्था दें।

सभापति महोदय: जी, नहीं; मैं अन्य सदस्यों की बात नहीं सुनना चाहूँगी। आपने सूचना नहीं दी है। इसलिए आपको बोलने का अवसर नहीं दिया गया है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदया, यह आपत्ति विधेयक की संवैधानिक वैधता के बारे में है। अतः, अन्य सदस्यों को भी इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय: जी नहीं, उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदया, हमें विधेयक की संवैधानिक वैधता के संबंध में कतिपय बातें कहनी हैं।

सभापति महोदय: नहीं, श्री बसुदेव आचार्य, आप हमेशा विवेकी रहे हैं। केवल श्री राधाकृष्णन ने सूचना दी है।

श्री बसुदेव आचार्य: श्री राधाकृष्णन को सुनने के बाद हमें भी बोलने की अनुमति दी जाए।

सभापति महोदय: नहीं।

श्री बसुदेव आचार्य: क्यों? आप हमेशा 'नहीं' 'नहीं' क्यों कह रही है।

सभापति महोदय: अन्य सदस्यों को अनुमति देने का कोई प्रावधान नहीं है। आपने सूचना नहीं दी है। इसलिए आपको बोलने का अवसर प्राप्त नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, हम आपको 'हां' कहते हुए और अच्छी मनःस्थिति में देखना चाहते हैं।

सभापति महोदय: श्री राधाकृष्णन, आपकी सूचना के संबंध में व्यवस्था है।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदया, मैंने अभी तक अपना निवेदन नहीं किया है। आप मेरी बात सुने बिना किस तरह व्यवस्था दे सकती हो?

सभापति महोदय: आपने अध्यक्षपीठ को पहले ही लिख दिया है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मेरे निवेदन किए जाने के बाद आप व्यवस्था दे सकती हैं।

सभापति महोदय: ऐसी स्थिति में कृपया बहुत संक्षिप्त में निवेदन करें।

...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन: पहले मुझे निवेदन करने दें। मेरी बात सुने बिना आप किस प्रकार व्यवस्था दे सकती हैं? *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: मुझे विश्वास है कि श्री राधाकृष्णन बहुत सक्षम हैं। इन्हें आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है। इन्हें निवेदन करने दें।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे अपनी बात कहने दें। तब आप व्यवस्था दे सकती हैं।

सभापति महोदय: पहले आप व्यवस्था सुनिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: आप मेरी बात सुने बिना किस तरह व्यवस्था दे सकती है?

सभापति महोदय: ठीक है। ऐसी स्थिति में पहले आप मेरी बात सुनिए और इसके बाद अपना निवेदन करें।

श्री शरद पवार: महोदया, कृपया इनकी बात सुनें।

सभापति महोदय: अध्यक्षपीठ को उन्होंने पहले ही लिख दिया है।

श्री शरद पवार: उन्होंने लिखा है परंतु अपनी बात विस्तार से नहीं कही है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: जी नहीं, मैंने विस्तार में नहीं लिखा है। मैंने आपको लिखित में दिया है *...(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदया, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

सभापति महोदय: किस नियम के अंतर्गत?

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आपको नियम उद्धृत करना चाहिए।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: नियम 376, महोदया, जब तक सभा को यह पता नहीं चलता कि मामला कौन सा है जिसमें व्यवस्था दी गई है, तब तक व्यवस्था नहीं दी जा सकती है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मेरी बात सुने बिना कोई व्यवस्था नहीं दी जा सकती है।

श्री एस. जयपाल रेड्डी: जब सभा को यह नहीं पता कि मामला क्या है तो व्यवस्था किस तरह दी जा सकती है?

श्री वारकला राधाकृष्णन: यह सच है कि मैंने लिखित में दिया है। परंतु मुझे सभा के समक्ष प्रसतुत करने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पहले आप मेरी बात सुनें।

श्री वसुदेव आचार्य: सभा को जानने का अधिकार है *...(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका व्यवस्था का प्रश्न, व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। श्री राधाकृष्णन के प्रति विशेष मनोभाव के रूप में मैं उन्हें बहुत संक्षिप्त स्पष्टीकरण देने की अनुमति दूंगी। परंतु कोई प्रावधान नहीं है। कृपया संक्षेप में कहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने व्यवस्था देने से पहले मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। कम से कम आपने नम्रता तो दिखाई।

अब, मैं इस अध्यादेश की वैधता पर आपत्ति करता हूं। सरकार द्वारा जारी अध्यादेश को बदलने हेतु विधेयक पुर:स्थापित किया गया है। मैंने केवल इस कारण से अध्यादेश का विरोध किया कि बाद में पुर:स्थापित विधेयक निर्दिष्ट विधान बन जाएगा जोकि सभा द्वारा कानून बनाने के अधिकारों और विशेषाधिकारों का अतिक्रमण है।

आप जानते हैं कि अन्य सभा में सदस्य है जो स्वदेशी के विरोधी है। उनकी भी कुछ भावनाएं हैं। उन्हें भी विधेयक के बारे में अपने उच्च आदर्शों के संबंध में कुछ कहना चाहिए। परंतु जब अनुज्ञेय विधान होता है तो वे अपनी बात नहीं कह सकते हैं। वे इस तरह से बंधक बन गए हैं कि उन्हें अध्यादेश के प्रावधानों के अनुसार मतदान करना होगा। यह प्रक्रिया है। इसलिए, आरंभ में मैंने कहा है कि यह निर्दिष्ट प्रावधान बन जाता है। यदि विधान मुक्त होता है। मूल होता है और यदि काल्पनिक होता है तो इसे बेरोक पारित होना चाहिए। लेकिन यहां निरंकुश विधान है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: इन्हें अपनी बात कहने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): यह बहुत आश्चर्यजनक बात है कि वे कह रहे हैं कि हम बंधक हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन: अब, मैं निश्चित प्रश्न पर आया हूं ...*(व्यवधान)* कृपया मेरी बात सुनें। सामान्य स्थिति में एक विधान को संसद की दोनों सभाओं से गुजरना होता है।

सभापति महोदय: क्या इन्होंने आप से समर्थन मांगा है?

श्री वारकला राधाकृष्णन: जी नहीं, कृपया मेरी बात सुनें। यहां एक मामला है जहां आकस्मिकता अथवा आपातकाल से निपटने हेतु अध्यादेश जारी किया जाता है। जब सभा का सत्र नहीं चल रहा हो तब कार्यपालिका द्वारा इसका प्रयोग आपात स्थिति में किया जा सकता है। इस मामले में जब मामले को संसद की दोनों सभाओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो एक सभा ने निश्चित रूप से इसे पारित किया। जब मामला सभा के विचाराधीन है तो क्या सरकार के लिए उस आधार पर अध्यादेश जारी करना अनुज्ञेय है?

श्री वसुदेव आचार्य: सरकार ऐसा नहीं कर सकती है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: राज्यसभा पहले ही इसे पारित कर चुकी है। राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक हमारे सामने पड़ा है। सांविधानिक स्थिति यह है कि हमें मामले की जानकारी है। जब विधान संसद के विचाराधीन हो तो क्या वह अध्यादेश जारी कर सकती है? मैं अन्य प्रश्न करूंगा।

सभापति महोदय: आपको संक्षेप में निवेदन करना हो। आप संक्षेप में कहिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं संक्षेप में बोल रहा हूं।

सभापति महोदय: आप संक्षेप में नहीं बोल रहे हैं

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह सही है। अब आप मेरी व्यवस्था सुनिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं संक्षिप्त में कहूंगा मैं मुद्दे पर आ रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब, मैं व्यवस्था दूंगी।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: प्रश्न यह है। एक सभा विधेयक को अनुमोदित कर चुकी है। इसलिए पहला भाग खत्म हो गया है। संसद को मामले की पूर्णत: जानकारी है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय अध्यक्ष ने, इस विधेयक के लिए चार घंटे की अनुमति दी है। इस तरह कैसे चल सकता है? इतना पर्याप्त है। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन: मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए।

सभापति महोदय: यह पर्याप्त है। अब एक बार आप मेरी बात भी सुन लीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं अपनी बात पर आ रहा हूं। मान लो हम विधेयक पर चर्चा करते हैं और पारित करवाते हैं और यदि राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करने में काफी विलम्ब होता है तो क्या होगा? यदि विधेयक पारित करने के बाद भी इस तरह ही चलता है तो वे अध्यादेश जारी करेंगे।

[श्री वारकला राधाकृष्णन]

यह मानते हुए कि राष्ट्रपति विसम्मति में कुछ टिप्पणी करते हैं, तो इसमें और देरी होगी। तब मुझे विश्वास है कि वे एक अध्यादेश जारी करेंगे।

सभापति महोदय: आपने अपनी बात कह दी है।

श्री वारकला राधाकृष्णन: यदि वे प्रत्येक चरण में अध्यादेश जारी करते हैं तो यहाँ इस पर विचार करने की क्या जरूरत है? मैं कहता हूँ कि यह कार्यपालिका की विधायी सक्षमता के बाहर है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: अब आप मेरी बात सुनिए। आप इस तरह से नहीं बोल सकते हैं।

माननीय श्री राधाकृष्णन ने नियम 72(1) के अंतर्गत इस विधेयक का विरोध करने के संबंध में सूचना दी है। नियम 72(1) के अंतर्गत सदस्यों को किसी विधेयक का विरोध करने का अधिकार प्राप्त है।

राज्य सभा द्वारा यथापारित पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 विचारार्थ सूचीबद्ध है। यह पेश करने के लिए नहीं है। अत: सदस्यों को इसका विरोध करने का अधिकार नहीं है। मैं अब श्री राधाकृष्णन को अनुमति नहीं देती हूं। अब, मंत्री महोदय अपना वक्तव्य दें।

...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): महोदया, अध्यादेश का क्या हुआ? हम राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक को पारित कर रहे हैं। सरकार ने अध्यादेश के साथ क्या किया है?

श्री वसुदेव आचार्य: तब अध्यादेश प्रख्यापित क्यों किया गया था? अध्यादेश प्रख्यापित करने की क्या आवश्यकता थी?

सभापति महोदय: अब संसदीय कार्य मंत्री कुछ कहना चाहते हैं।

विद्युत मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री तथा अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्री (श्री पी.आर. कुमारमंगलम): महोदया तथा सभी वरिष्ठ सदस्यों से विनम्र निवेदन के साथ मेरा यह विश्वास है कि हमें कुछ काम करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप संबद्ध मंत्री को अपना विचार व्यक्त करने की अनुमति दे रहे हैं। यदि वे कोई बात छोड़ देते हैं तो आप कृपा करके उस चरण में सूचित करें। हम आगे बढ़ें। हमारे पास समय की कमी है। हम अपना सामान्य कार्य पूरा नहीं कर पाएँगे जो हमें करना है। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आप कृपया सुनें ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: अब मंत्री जी बोलें।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदया, मुझे अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाये। मैंने एक नोटिस भी दिया है। यह सूची में शामिल है।

सभापति महोदय: श्री वी.वी. राघवन ने पहले ही अपनी बात कह दी है। हम सभी सदस्यों को अनुमति नहीं दे सकते हैं। केवल एक सदस्य को बोलने की अनुमति मिलती है। केवल एक सदस्य को बोलने का अधिकार प्राप्त है। श्री वी.वी. राघवन ने आपकी बात को काफी अच्छे ढंग से कहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: आप कैसे जानती हैं कि उन्होंने मेरा दृष्टिकोण स्पष्ट किया है? आप इस तरह का निष्कर्ष नहीं निकाल सकती हैं।

सभापति महोदय: आप बाद में अपनी बात कह सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: यह काफी महत्वपूर्ण विधेयक है।

सभापति महोदय: नहीं, यह सब ठीक है।

श्री रूपचन्द पाल: इतनी जल्दी क्यों है?

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़): यहाँ तक कि पांच सदस्यों ने नोटिस दिया है केवल एक को बोलने की अनुमति दी जाती है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदया, विगत में ऐसे अवसर भी आए हैं जब महत्वपूर्ण अध्यादेशों पर, ज्यादा सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई है ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक): महोदया, अपनाई जाने वाली पद्धति तथा प्रक्रिया के संबंध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: हाँ, आप कृपया माननीय मंत्री की बात सुनें।

श्री राम नाईक: अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और पद्धति यह है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया इस तरह से न चिल्लाएँ। कृपया माननीय मंत्री को सुनें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: माननीय मंत्री जो कुछ कहते हैं उसके सिवा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

श्री राम नाईक: अपनाई जा रही प्रक्रिया और पद्धति यह है कि अध्यादेश का विरोध करने वाला एक सदस्य पहले बोलता है, तब माननीय मंत्री बोलते हैं और उसके बाद जो विरोध करना चाहते हैं वे बोल सकते हैं। यही परंपरा है। वे एक नई परंपरा किस प्रकार शुरू कर सकते हैं?

सभापति महोदय: हाँ, श्री वी.वी. राघवन पहले ही बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता नहीं है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदया, जब कभी एक अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है तो अध्यादेश प्रख्यापित करने के उद्देश्य तथा कारण संबंधी विवरण हमेशा दिया जाता है।

श्री राम नाईक: यह दिया जा चुका है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यह सभापटल पर रखा जा चुका है।

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, यह नहीं दिया गया है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: हमने अध्यादेश सभापटल पर रखा है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: उद्देश्य तथा कारण दर्शाने वाला विवरण कहां है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मेरे विचार में वरिष्ठ सदस्यों को अचानक सोचना पड़ेगा। जब अध्यादेश सभापटल पर रखा जाता है, विवरण भी उसके साथ रखा जाता है ...*(व्यवधान)* यह चार दिन पूर्व परिचालित किया जा चुका है ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: नहीं, यह परिचालित नहीं किया गया है।

सभापति महोदय: आप पत्रों का अवश्य अध्ययन करें तथा पता लगाएँ।

श्री बसुदेव आचार्य: हमने पत्रों का अध्ययन किया तथा यह उनमें नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: महोदया, मैं अति विशिष्ट परिस्थितियों का उल्लेख कर रहा हूँ। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दे सकती हूँ। ऐसा नहीं चल सकता है। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

सभापति महोदय: यह पर्याप्त है। मंत्री महोदय।

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त): मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

मैं अब कोई भाषण नहीं दे रहा हूँ। धन्यवाद।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि पेटेंट अधिनियम, 1970 राज्य सभा द्वारा यथापारित, में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण (कराड़): सभापति महोदया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। माननीय मंत्री जी ने कुछ न बोलने का निर्णय लिया है। शायद उनके पास बोलने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है।

महोदया, मैं इस विधेयक पर बोलने की एक अद्भुत स्थिति में हूं। इस विधेयक पर 4 वर्ष पहले मैंने उस ओर से बोला था। मुझे चार वर्ष पश्चात् इसी सभा में इसी विधेयक पर बोलने का दूसरा अवसर प्राप्त हुआ है।

उस समय मैं बहुत जोश में था और मैंने सोचा कि 1 जनवरी, 1995 को भारत द्वारा विश्व व्यापार संगठन स्वीकार किये जाने के पश्चात् भारत विश्व व्यापार संगठन और गैट के जिम्मेदार सदस्य के रूप में उन सभी बातों का पालन करेगा जो इसने कही थी। इसलिए जब सरकार पेटेंट कानून में संशोधन करने के लिए विधेयक लाई तो कांग्रेस के अधिकांश सदस्यों और कांग्रेस के एक वक्ता के नाते मैंने भी गरम जोशी से इसका समर्थन किया था।

हमें सरकार के अधिकारियों और माननीय मंत्री द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई थी परन्तु हमें 'गैट' समझौते के बौद्धिक सम्पदा पहलू का ज्यादा अनुभव नहीं था। उरुग्वे दौर की वार्ता में बौद्धिक सम्पदा क्षेत्र एक नया क्षेत्र शामिल किया गया। तब तक 'गैट' में केवल माल के व्यापार पर ध्यान दिया गया था। लेकिन उरुग्वे दौर की वार्ता के बाद इसमें कई नए क्षेत्रों को शामिल किया गया था। निवेश के तरीके, कृषि और वस्त्र आदि कई नए विषय इसमें आ गए जिसमें से एक बौद्धिक सम्पदा अधिकार का विषय था।

महोदया, प्रारंभ में मैं यह कहना चाहूंगा कि जबकि विश्व व्यापार संगठन, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों, ट्रिप्स के पूरे विषय पर बहुत कड़े विचार व्यक्त किए गए हैं, दोनों अर्थात् सत्ता पक्ष और विपक्ष के मेरे मित्रों का यही सुझाव है कि पेटेंट कानून में संशोधन स्वीकार करने के बजाय भारत को विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल जाना चाहिए।

मैं इस विचार का समर्थन नहीं करता। विश्व व्यापार संगठन सभी अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से सबसे अधिक लोकतांत्रिक संस्था है। अन्य सभी आर्थिक संस्थानों जैसे कि विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा राजनीतिक संस्थान, सुरक्षा परिषद, लोकतांत्रिक नहीं है, वे उन्हें लोकतांत्रिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विश्व व्यापार संगठन अन्य सभी से, अन्य सभी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों से अधिक लोकतांत्रिक है। व्यापार के आधार पर इसे बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। मुझे आशा है कि हम इसका विरोध करेंगे लेकिन आज विश्व व्यापार संगठन लोकतांत्रिक है। हमें शक्तिशाली राष्ट्र के खिलाफ लड़ने का अधिकार है। यदि आप सही है तो उन मामलों में विजय प्राप्त करो जैसा कि फ्यूचर एक्सक्यूटिंग डैविसिस मामले में संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ हमारे विवाद में हुआ था और हम वह मामला जीत गए थे। इस मामले में सफल नहीं हुए। इसलिए हमें विश्व व्यापार संगठन में रहना पड़ेगा; विश्व व्यापार संगठन में रहकर लड़ना होगा; अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा और इसलिए विश्व व्यापार संगठन का एक जिम्मेदार सदस्य होने के नाते हमें विभिन्न समझौतों के दायित्वों का पालन करना पड़ेगा।

महोदया, हम जानते हैं कि ट्रिप्स समझौता, उन 28 समझौतों में से एक था जिन पर हस्ताक्षर किए गए थे और जो 1 जनवरी 1995 को लागू किए गए थे। यह 28 समझौतों में से केवल एक समझौता है। यह पूरे पैकेज का एक हिस्सा है। यह आदान-प्रदान नीति का एक भाग है। इसमें कुछ सकारात्मक विशिष्टतायें हैं और कुछ नकारात्मक विशिष्टतायें हैं। हम सभी जानते हैं कि ट्रिप्स पैकेज हमारे लिए एक नकारात्मक पैकेज है। हम कई चीजें दे रहे हैं? क्योंकि कपड़ा, कृषि जैसे अन्य क्षेत्रों में हम लाभ कमा रहे हैं इसलिए इस समझौते का पालन करना पड़ेगा और 'ट्रिप्स' समझौते के अंतर्गत बाध्यताओं को इसके अनुरूप बनाना पड़ेगा। इन्हें इसके अनुरूप बनाने की तिथि 19 अप्रैल, 1999 है।

जैसाकि हम जानते हैं ट्रिप्स समझौते में तीन विशिष्ट चरण हैं। प्रथम चरण वह है जिसे हमें 1 जनवरी, 1995 को करना था, वह तारीख जब विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। उस दिन कुछ बाध्यताएं थी; दूसरे चरण अर्थात 1 जनवरी, 2000 में कुछ और बाध्यताएं हैं, इस वर्ष के अंत तक तीसरे चरण में पूरा कार्यक्षेत्र पांच वर्ष बाद अर्थात 1 जनवरी, 2005 को शुरू होगा।

भारत किन्हीं कारणों से जिनकी हमें जानकारी है अपनी बाध्यताएं पूरी करने में सक्षम नहीं हैं क्योंकि वे 1 जनवरी, 1995 को देय थीं। अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन से अपनी शिकायत कर दी। यूरोपीय संघ ने भी विश्व व्यापार संगठन से इसकी शिकायत कर दी। हम उन दोनों मामलों में हार गए। हमने अमरीका के मामले के खिलाफ अपील की और वह अपील भी खारिज हो गई। इसके परिणामस्वरूप हमें कुछ समय मिला लेकिन

यह समय 19 अप्रैल, 1999 को खत्म होता है। विश्व व्यापार संगठन को मनाने के हमारे सभी प्रयास निष्फल हो गए और इसलिए सरकार शीघ्रातिशीघ्र दुखी मन से आगे आ रही है बल्कि मैं यह कहना चाहूंगा कि यह 19 अप्रैल से पहले इस कानून को बनाना चाहती है। मेरे विचार से हमारे सभी रास्ते बन्द होने के पश्चात मैं विश्व व्यापार संगठन के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में इसका उस हद तक समर्थन करता हूँ जिसका हमें अन्ततः 19 अप्रैल, 1999 की समय सीमा तक पालन करना पड़ेगा।

मैंने तीन चरणों के बारे में बात की है। पहले चरण के क्या वायदे हैं? एक विधेयक के रूप में आज हमारे समक्ष जो अधिनियमन है और जिसे राज्य सभा द्वारा पारित किया गया है उसके बारे में हमें कुछ करने की आवश्यकता है। महोदया, सरकार को पेटेंट कानून में अत्यधिक व्यापक संशोधन करने के साथ आगे आना पड़ेगा जिसे इस वर्ष के अंत तक पूरा करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को अभी से शुरू करना पड़ेगा।

स्थायी समिति, सम्पूर्ण वाद विवाद चाहे यह संवैधानिक हो अथवा नहीं और दोनों सभाओं में बहुमत को देखते हुए सरकार को यह प्रक्रिया अभी से शुरू करनी पड़ेगी। केवल तभी पेटेंट संशोधन का दूसरा चरण, अत्यधिक व्यापक संशोधन पूरा किया जा सकता है। इसलिए मैं इस आशा में भारी मन से बोल रहा हूँ कि मैं जो सुझाव दे रहा हूँ आप उन्हें या तो इस विधेयक में स्वीकार करेंगे या उन्हें अगले व्यापक संशोधन जो अब किया जाना चाहिए, में ध्यान में रखेंगे। इसमें विलम्ब न किया जाए। सम्पूर्ण व्यापक संशोधन पर चर्चा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होना चाहिए। हमें अंतिम क्षण में आश्चर्य में न डालें और देर रात को इसे पारित करने के लिए न कहें। महोदया, मुझे आशा है कि सरकार व्यापक दूसरे चरण पर विचार करते समय हमें विश्वास में लेगी जिसमें पेटेंट अधिनियम में प्रमुख संशोधन अधिनियमित किये जायेंगे।

मुझे इस बात का भी दुख होता है कि मंत्री महोदय इस बहुत ही जटिल और विवादास्पद मामले पर सर्वसम्मति बनाने के लिए सभी दलों को विश्वास में नहीं ले सके। वे सभी नेताओं और इसमें शामिल सभी मंत्रालयों की बैठक बुलाने में भी असफल रहे हैं। यह एक जटिल विधेयक है हालांकि इसे उद्योग मंत्री द्वारा लाया जा रहा है क्योंकि पेटेंट क्षेत्र उद्योग मंत्रालय के प्रभार में आता है केवल उद्योग मंत्रालय ही ऐसा मंत्रालय नहीं है जो इस विधेयक से संबंधित है 'ट्रिप्स' समझौते से राष्ट्र की स्वास्थ्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है इससे राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे भेषज उद्योग पर प्रभाव पड़ता है। इससे हमारे निर्यात पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए स्वास्थ्य मंत्रालय भी इसमें शामिल है क्योंकि दवाईयों की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। इसमें कृषि मंत्रालय भी शामिल है क्योंकि इसमें कृषि रसायन भी शामिल है (खाद्य सुरक्षा शामिल है। रसायन और उर्वरक मंत्रालय भी शामिल है क्योंकि औषधि मूल्य [illegible] इस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल्स मूल्य निर्धारण प्राधिकरण भी इस मंत्रालय के अंतर्गत है। इसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है। क्योंकि आपने 1970 के अधिनियम के अनुच्छेद 39 को हटाने की मांग की है जिसका राष्ट्रीय सुरक्षा पर अत्यधिक प्रभाव है। इसमें राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग भी शामिल है क्योंकि इस देश की सम्पूर्ण नवीकरण प्रणाली सम्पूर्ण सरकारी फार्मास्यूटिकल्स प्रयोगशालाएं शामिल हैं। उनकी प्रतियोगिता शामिल है। इसमें जैव प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी शामिल है क्योंकि हम जीवन सुधार और अनुवांशिकी रूप से संशोधित लघु अवयवों का पेटेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं। जैव विविधता अधिनियम के कारण शीघ्र ही पर्यावरण का मामला भी आएगा। निसंदेह इसमें विधि मंत्रालय भी शामिल है क्योंकि अनेक जटिल मामलों की कानूनी व्याख्या उसमें शामिल है। आज हमारे समक्ष विश्व व्यापार संगठन के तीन मामले हैं जिनका मैंने उल्लेख किया है।

अपराह्न 4.32 बजे

[श्री के. प्रधानी *पीठासीन हुए*]

अंतिम वाणिज्य मंत्रालय है। यह वह मंत्रालय है जो विश्व व्यापार संगठन का प्रभारी है। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या उन्होंने इस विधेयक पर विस्तृत चर्चा करने हेतु विपक्ष के सभी नेताओं और इसमें शामिल मंत्रालयों की बैठक बुलाने का कोई प्रयास किया था। यह केवल उद्योग मंत्रालय का ही मामला नहीं है। आप हम सबसे मिलने का प्रयास करते। अधिकारियों ने हमसे मिलने का प्रयास किया था लेकिन केवल उद्योग मंत्रालय ही हमसे मिला। यह उद्योग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है।

अब मैं सरकार के अनोखे व्यवहार पर आता हूं। सभापति महोदय, मुझे आश्चर्य है कि सरकार अध्यादेश जारी करने के लिए मजबूर क्यों हुई? राज्य सभा ने इसे पारित कर दिया। कांग्रेस ने केवल व्यापक हित में आपको समर्थन देने का विश्वास दिलाया था। हालांकि हमारी कई आपत्तियां थी। हमारे विचार से राष्ट्रीय हित में कई क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता था। लेकिन हमने आपका समर्थन किया और इसलिए इस लोक सभा में भी आपका समर्थन करते। उस अध्यादेश को प्रख्यापित करने की क्या जल्दी थी जिसे अब आप भूल गये हैं? क्या कोई दबाव है? क्या दबाव था?

[श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण]

हम सभी जानते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनी ग्लैक्सो के अध्यक्ष सर साइक्स उस समय यहां उपस्थित थे जब इस कानून पर चर्चा हो रही थी। वे लालच दे रहे थे। वे कह रहे थे कि यदि हम पेटेंट विधेयक को पारित कर दें तो काफी निवेश किया जायेगा। वे यह भी बता रहे थे कि हमारे 1970 के कानून के अनुसार भारत में दवाइयों की कीमत अमरीका में व्याप्त कीमतों से सौ गुना कम है। उन्होंने जो कुछ भी कहा है वह रिकार्ड में है कि समान औषधियों के लिए भारतीय औषधि की कीमतें उन कीमतों से सौ गुना कम है जो अमरीका में वसूल की जा रही हैं। कुछ दबाव था। इसका इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कंपनियों की शेयर कीमतें उस समय से तेजी से बढ़ी हैं जबसे सरकार ने किसी भी परिस्थिति में इस पेटेंट विधेयक को पारित करने का निर्णय लिया है। इस व्यवहार से हमें आश्चर्य हुआ है। आज आप वह अध्यादेश भूल गये हैं। आप अध्यादेश के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आपको दूसरी सभा में पुनः जाना पड़ेगा।

पुनः माननीय मंत्री राज्य सभा द्वारा यथापारित एक विधेयक लायें हैं। अध्यादेस की क्या आवश्यकता थी? हमें आशा थी कि अपनी प्रारम्भिक टिप्पणियों में वे अध्यादेश की आवश्यकता के बारे में हमें औचित्य बतायेंगे। उन्होंने हमें औचित्य नहीं बताया। इससे हमें यह विश्वास होता है कि कुछ बाहरी दबाव है जिसके बारे में श्री राघवन ने कहा है।

विधेयक की बात करते हुए, चरण-एक में क्या संशोधन हैं। चरण-एक में संशोधन बहुत ही साधारण हैं। पेटेंट अधिनियम, 1970 में बौद्धिक सम्पदा के सभी क्षेत्रों में बहुत ही व्यापक बौद्धिक सम्पदा संरक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रतिलिप्याधिकार कानून, ट्रेड मार्क्स कानून जैसे अनेक कानून हैं। हमारे पास गोपनीय व्यापार कानून हैं। हमारे पास भौगोलिक भाषा शैली, एकीकृत आवर्त रूपांकन है। हम अन्य नियम भी विकसित कर रहे हैं। इस सभी में हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप कार्य कर रहे हैं।

इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि दूसरे क्या कहते हैं। पेटेंट अधिनियम, 1970 में भी हम बहुत ही छोटे क्षेत्र को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हमने फार्मास्यूटिकल और कृषि रसायनों को उत्पाद पेटेंट संरक्षण उपलब्ध नहीं कराया है। यही सब कुछ है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। वे पेटेंट किए हुए अनुसंधान अथवा पेटेंट किए हुए उत्पादों से धन कमाना चाहते हैं और उन्हें डर है कि भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग अब विकसित हो रहा है। यह लगभग 121 करोड़ रुपये के फार्मास्यूटिकल और मूल रसायनों का निर्यात कर रहा है। इसलिए उन्हें डर है। यही कारण है कि उरूग्वे वार्ता में अंतिम क्षण में सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पदा क्षेत्र की तस्करी की गई।

जैसाकि माननीय मंत्री बेहतर जानते हैं कि आरम्भ में वस्तुओं, नकली वस्तुओं का व्यापार था और सोवियत संघ के समाप्त होने, तीसरे विश्व में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने, भारत में नेतृत्व में परिवर्तन होने के साथ-साथ धीरे धीरे विकसित देशों ने उरूग्वे वार्ता में इस सम्पूर्ण आई पी आर क्षेत्र में कृषि वस्तुओं की तस्करी की और अब हमें कृषि रसायनों और फार्मास्यूटिकल को उत्पाद पेटेंट देने के लिए पेटेंट कानून में संशोधन करना है। यह संशोधन बहुत ही सीमित उद्देश्य के लिए किया गया है। यह केवल फार्मास्यूटिकल और कृषि रसायनों के बारे में है और कुछ नहीं है।

उरूग्वे वार्ता में 2000 ईस्वी तक इस क्षेत्र में जाने के लिए हमें पांच वर्ष का समय दिया गया है। अतिरिक्त संक्रांति अवधि भी उपलब्ध कराई गई है। हमारे लोगों का विचार है कि हमने बेहतर ढंग से तर्क दिये, हमने बातचीत की। और इसलिए हमें कहीं कुछ अन्य रियायत के बदले 2005 तक की संक्रांति अवधि के इन अतिरिक्त 5 वर्षों का समय प्राप्त हुआ। मान लो कि हमने वस्त्र में कुछ रियायत दी और हमें पूर्ण उत्पाद पेटेंट क्षेत्र में जाने के लिए अतिरिक्त 5 वर्षों की यह छूट प्राप्त हुई। लेकिन क्या वास्तव में हमें पूर्ण 5 वर्ष मिले हैं। नहीं, हमें नहीं मिले हैं। जब वे हमें 5 वर्ष की यह संक्रांति अवधि देने के लिए सहमत हुए तो उन्होंने इसके बदले हमें एक विशेष विपणन अधिकार देने के लिए कहा था। हमें दाये हाथ से जो कुछ मिला, हमने बायें हाथ से वापस कर दिया। संक्रांति अवधि के बारे में कोई संदेह नहीं है और यही कारण है कि हमें विशेष विपणन अधिकार देने पड़ेंगे।

इस संशोधन से जो माननीय मंत्री आज अधिनियमित कर रहे हैं, विदेशी कंपनियों, विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में अपनी दवाइयां, अपने कृषि रसायन पांच वर्ष की अवधि तक बेचने के विशेष विपणन अधिकार प्राप्त होंगे।

विशेष विपणन अधिकार कुछ नहीं है, बल्कि यह निरंतर सांविधिक आयात एकाधिकार है जहां विनिर्माण अथवा प्रौद्योगिकी के अंतरण के लिए कोई बाध्यता नहीं है।

हमें ट्रिप्स समझौते की भावना भी देखनी चाहिए। श्री राघवन ने अनुच्छेद 7 और 8 पढ़ा है। अनुच्छेद 7 जिसे मैं पढ़ना नहीं चाहता, विशेष रूप से प्रौद्योगिकीय अंतरण के विकास, जानकारी के आदान-प्रदान, अधिकारों और दायित्वों में संतुलन बनाये रखने के बारे में है। इसलिए जब कि आप ईएमआर दे रहे हैं तो क्या

आपको विश्वास है कि हम उन अधिकारों में संतुलन बना रहे हैं। मुझे खेद है लेकिन इन अधिकारों में संतुलन नहीं बन रहा है। इस बारे में भी चर्चा हुई है कि क्या भारत को 5 वर्ष की इस संक्रांति अवधि के लिए आगे आना चाहिए, क्या भारत को पहले ईएमआर देने अथवा वर्ष 2000 में उत्पाद पेटेंट क्षेत्र में जाने के इस द्विचरणीय दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए जिसके बारे में मेरे कई मित्र आगे तर्क देंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि भारत वर्ष 2000 में पूर्ण उत्पाद पेटेंट अधिकार प्राप्त कर लेगा।

यह माना गया है कि स्वाभाविक रूप से ईएमआर में पेटेंट से कम अधिकार हैं। यह सच है क्योंकि पेटेंट, से पेटेंट धारक को विनिर्माण करने, बिक्री करने और वितरण करने का अधिकार मिलता है। इसलिए तीन अधिकार दिये जाते हैं जबकि ईएमआर केवल बिक्री और वितरण करने का अधिकार देता है। इसलिए ऐसा लगता है कि ईएमआर में कम अधिकार हैं। इसलिए 5 वर्ष की अवधि तक ईएमआर रखकर न कि उत्पाद पेटेंट रखकर भारत को लाभ हुआ है। लेकिन जबकि यह सही है कि यदि ईएमआर बिना समुचित जांच के स्वत ही दे दिये जाये तो यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 के अंतर्गत गहन जांच के पश्चात दिये गये पेटेंट बेहतर हैं अथवा ईएमआर, जहां कम अधिकार हैं और जो भारतीय पेटेंट अधिनियम के अंतर्गत बिना समुचित जांच किये दिये गये हैं। मेरे विचार से आज इसी प्रश्न को हल करने की आवश्यकता है। मैं उन शर्तों में नहीं जाना चाहता जो ईएमआर देने के लिए आवश्यक हैं। माननीय मंत्री और प्रत्येक व्यक्ति शर्तें जानता है। चार में से तीन शर्तें इस देश के लिए बाहरी हैं जो इस प्रकार हैं कि पेटेंट आवेदन पत्र सम्मेलन वाले बाहरी देश में किया जाये, कि पेटेंट उसी सम्मेलन वाले देश में प्रदान किया जाये और कि विपणन की स्वीकृति उसी देश में प्रदान की जाये। ये तीनों शर्तें इस देश के लिए बाहरी हैं। इन तीनों चीजों को बुरकिना फासो, ट्यूनिशिया, जाम्बिया और अमरीका में भी प्राप्त किया जा सकता है क्योंकि अमरीका में बहुत ही उदार पेटेंट क्षेत्र है। अमरीका में हल्दी पर सैकड़ों पेटेंट दिये जा रहे हैं। अमरीका में नीम पर सैंकड़ों पेटेंट दिये जा रहे हैं। भारत में हम डोसा और इडली बनाने पर पेटेंट दे रहे हैं। भारत में ये पेंटेंट दिये गये हैं और इन्हें उदारता से दिया गया है। इसलिए यह सम्भव है कि पहली बाहरी तीन शर्तों को पूरा करना बहुत कठिन नहीं है। चौथी शर्त क्या है। चौथी शर्त यह है कि आपको भारत में विपणन स्वीकृति प्राप्त होगी। जैसाकि हम जानते हैं कि विपणन स्वीकृति स्वास्थ्य प्राधिकारियों, न कि पेटेंट प्राधिकारियों, द्वारा दी जाती है। इसलिए मुझे डर है कि ईएमआर देने की एक स्वचालित प्रक्रिया होगी और हमारा उस पर कोई नियंत्रण नहीं होगा। लेकिन यदि आप समुचित कानून बनाये तो आपका अभी भी उस पर नियंत्रण हो सकता है। यही मेरी परेशानी है कि आपने इस पर पर्याप्त विचार नहीं किया है। आप उससे आगे चले गये हैं, जो ट्रिप्स, विश्व व्यापार संगठन के अनुसार अपेक्षित था। जब वे आपको झुकने के लिए कहते हैं तो आप लेट जाते हैं।

अब मैं विधेयक के विशेष प्रावधानों पर आता हूं। मैं जानता हूं कि हर कोई जा सकता है। लेकिन मैं विधेयक के चार विशेष प्रावधानों पर चर्चा करूँगा। पहला, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, ईएमआर आवेदन पत्र की जांच के बारे में है। आप अध्याय चार के अनुसार ईएमआर आवेदन पत्र की जांच नहीं कर रहे हैं और आप भारतीय पेटेंट अधिनियम 1970 के अध्याय पांच के अंतर्गत ईएमआर देने का विरोध करने के लिए भारतीय नागरिकों को अनुमति नहीं दे रहे हैं। क्यों? ईएमआर आवेदन पत्रों की जांच की शर्तों को पेटेंट अधिनियम की धारा 3 और 4 में ही क्यों मिलाया जा रहा है। वह कुछ भी नहीं है। वह केवल इस बात की जांच करेंगे कि क्या उत्पाद नैतिक है अथवा नहीं। क्या इससे नैतिकता को ठेस पहुंचती है? इससे औषध को क्या सरोकार है? औषध एक पदार्थ है। आपको तीन आदर्श शर्तों पर आवेदन की जांच करनी होगी जिसके कारण पेटेंट को स्वीकृति दी गयी है। वे तीन शर्तें हैं क्या यह नया है कि इसकी जानकारी सरकार के पास नहीं थी, क्या यह अस्पष्ट है कि इसमें मौलिक कदम शामिल है और इसका अनुप्रयोग उपयोगी है।

महोदय, हमें चार वर्ष पहले बताया गया था। आप चिंता क्यों कर रहे हैं। कोई भी विशेष विपणन अधिकार लागू नहीं करेगा क्योंकि यह केवल उन नए औषधों पर लागू किए जा सकते हैं जिन्होंने 1.1.95 के बाद आवेदन दिया है। नए औषध प्राप्त करने में समय लगता है और हर कोई अमरीकी फार्मास्यूटिकल संगठन के आंकड़े उद्धृत करता है। यह सच है कि नए औषध को स्वीकृत करवाने में 10 से 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए, यह एक लम्बी प्रक्रिया है। लेकिन इसे बनाने, मिश्रण, प्रयोग की विभिन्न पद्धतियों तथा अनुप्रयोग की विभिन्न पद्धतियों के बारे में क्या हुआ?

यदि आप उत्पाद को पेटेंट करते हैं, 250 मि. ग्राम गोली एक उत्पाद है, 150 मि.ग्रा. एक भिन्न उत्पाद है, 20 मि.ग्रा. गोली एक अन्य उत्पाद है। यही उत्पाद शर्बत के रूप में अन्य उत्पाद है और यदि इसे शरीर के भीतर डाला जाता है तो यह एक उत्पाद है और यदि इसका अनुप्रयोग प्रत्यारोपण की अन्य आधुनिक पद्धति के माध्यम से किया है तो यह एक अन्य उत्पाद होगा। इस तरह से पुराने पेटेंट समयावधि समाप्त औषध को नए विशेष विपणन अधिकारों के लिए लागू किया जाएगा क्योंकि आप इसकी जांच नहीं करेंगे और यही चिंता का विषय है। अत:, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया अध्याय चार के अंतर्गत जांच तथा अध्याय

[श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण]

पांच के अंतर्गत पेटेंट का विरोध शामिल करें। यह जैसे पेटेंट पर लागू किया जाता है इसे विशेष विपणन अधिकारों के लिए भी लागू करें। केवल तभी विशेष विपणन अधिकार स्वत: लागू नहीं होंगे। अन्यथा, विशेष विपणन अधिकार अपने आप लागू हो जाएंगे और यह खतरनाक हो सकता है।

अब मैं दूसरी बात पर आता हूं और वह अनिवार्य लाइसेंस देने के संबंध में है। आपने अपने विधेयक में धारा 24ग के लिए प्रावधान किया है जिसके अंतर्गत यदि कोई उत्पाद, औषध, रसायन आसानी से उपलब्ध नहीं है तो सरकार को किसी को भी अनिवार्य लाइसेंस देने का अधिकार है। यह मूल 1970 अधिनियम का निष्कर्ष है। लेकिन अनिवार्य लाइसेंस, अनिवार्य अधिकार क्या है जो आप इस प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत दे रहे हैं? ई.एम.आर. के अंतर्गत आप केवल विक्रय अथवा वितरण का अधिकार दे रहे हैं जबकि पेटेंट के अंतर्गत अनिवार्य अधिकार उत्पादन, विक्रय तथा वितरण हेतु है। अत:, यदि औषध उपलब्ध नहीं है तो सरकार अनिवार्य लाइसेंस जारी कर सकती है परंतु क्या करने के लिए? बेचने और वितरण के लिए लेकिन उत्पादन के लिए। भारत में अन्य व्यक्ति विक्रय और वितरण कर सकता है परंतु उसे पदार्थ कहां से मिलेगा? आप उसे औषध बनाने हेतु अनिवार्य लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। इसका क्या प्रयोजन है? आप कह रहे हैं कि वह विक्रय तथा वितरण कर सकता है लेकिन सामग्री कहां से आएगी? उसे बनाने नहीं दिया जाता है। अत:, जब तक आप निर्माता को अनिवार्य लाइसेंस में शामिल नहीं करते हैं तो यह एक कागज के टुकड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। इसका कोई अर्थ नहीं है। यह किसी भी भारतीय नागरिक को सुरक्षा प्रदान नहीं करेगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): लेकिन यह विदेशी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करेगा।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: जी हां, यह सही है। एक अन्य महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूं यह है कि इस पेटेंट कानून में महत्वपूर्ण चिंता बहुत छोटी सी बात की थी जिसने अनेक लोगों को बचा लिया है। मंत्री जी ने कहा है कि पेटेंट की कार्यपद्धति के समान आयात किया जाएगा। पेटेंट की कार्यप्रणाली की परिभाषा का मूलरूप से अर्थ है कि प्रौद्योगिकी का प्रचार-प्रसार किया जाएगा, कि समाज, आविष्कार को एकाधिकार देगा और इसके प्रतिफल में आविष्कारक प्रौद्योगिकी विक्रय कर सकता है, इसे उपलब्ध करा सकता है और समाज को जानकारी दे सकता है। अधिकारों और दायित्वों का उचित संतुलन बिगड़ रहा है जब आप कहते हैं कि पेटेंट की कार्यप्रणाली के समान आयात होगा। जी हां, 'ट्रिप्स' समझौते का अध्याय पांच आप पर यह अधिकार देने हेतु दबाव डालता है। लेकिन आप इसे आज क्यों दे रहे हैं? इसे 1 जनवरी, 2000 तक लंबित रखा जा सकता है। आपके पास धारा 24(ग) (एक) किस लिए है? यह महत्वपूर्ण परिभाषा बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ चाहती है। वे भारतीय कम्पनियों को प्रौद्योगिकी का अंतरण किए बिना स्वच्छ एकाधिकार चाहती हैं। क्या आपने इस ओर ध्यान दिया है? कृपया इस विलम्बित चरण में इस पर विचार करें। आज पेटेंट की कार्यप्रणाली का आयात करना आवश्यक नहीं है।

इसी प्रकार मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया धारा 24ग के पैरा (घ) का लोप करें जिसमें अधिनियम 1970 की धारा 90 के खण्ड (घ) और (ङ) का लोप करने की मांग की गई है। कृपया इस पर पुन: विचार करें। वे आयात करना चाहते हैं। वे आयात हेतु मुक्त अधिकार चाहते हैं। हमें स्थानीय कार्यपद्धति पर बल देना चाहिए। हमें इस बात पर बल देना चाहिए कि ये औषध और रसायन हमारे देश में, हमारे कारखानों में हमारे कम मजूरी वाले श्रमिकों द्वारा बनाये जाएं। इस बात पर आपको बल देना चाहिए। लेकिन आप उस पर बल नहीं दे रहे हैं। सच तो यह है कि आप उन्हें आयात का अधिकार समय से पहले लगभग एक वर्ष पहले दे रहे हैं।

अब मैं एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दे पर आता हूं और वह मूल्यनिर्धारण के बारे में है। आपने अपने अधिनियम में कहा है कि भारत सरकार मूल्यों पर नियंत्रण कर सकती है। इस देश में औषध मूल्य नियंत्रण आदेश है, जिसके बारे में मैंने पहले भी कहा था कि वह रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा नियंत्रित होता है। लेकिन औषध मूल्य नियंत्रण आदेश स्थानीय औषध, जहां वे स्थानीय निर्माण मूल्य प्राप्त कर सकते हैं, के लिए प्रभावी है।

आयातित औषध के लिए डी.पी.सी.ओ. अथवा अन्य कोई समान आदेश किस प्रकार लागू हो सकता है? आप सोचते हैं कि बुरुगस वेलकम अथवा ग्लैक्सो हार मान जाएंगी। यदि सरकार भी कहे तो वे अपने दस डॉलर स्वीकार नहीं करते हैं और भारत पांच डॉलर के लिए मान जाएगा, एम.एन.सी.एस. कहेगा कि यदि आप इस मूल्य पर नहीं चाहते तो इसे मत लीजिए। निर्माण के लिए दबाव कहां है? अत:, जब तक आप औषध मूल्य नियंत्रण प्राधिकरण की ठोस योजना के बारे में हमें नहीं बताते, तो मुझे डर है कि केवल औषध, पेटेंट औषध के नहीं अपितु सभी की कीमतें आसमान को छूएंगी। इसलिए, उनके केवल इस आश्वासन से कि वे पेटेंट विधेयक को पारित करेंगे, बहुराष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल कम्पनियों के शेयर मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं।

अंतत:, मैं अंतिम मुद्दे पर आऊंगा और वह अधिनियम 1970 की धारा 39 के संशोधन के बारे में है। आप अधिनियम 1970 से अति महत्वपूर्ण प्रावधान का लोप करने की मांग कर रहे हैं। यह प्रावधान राष्ट्रीय रक्षा से संबंधित है। यह प्रावधान हमारी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों, हमारे सामरिक क्षेत्र की प्रौद्योगिकियों से संबद्ध है और इसलिए अधिनियम 1970 में एक प्रावधान किया गया था कि कोई भी भारतीय वैज्ञानिक पहले भारतीय पेटेंट के लिए आवेदन किए बिना विदेशी पेटेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन यदि वह भारतीय पेटेंट के लिए आवेदन किए बिना विदेशी पेटेंट के लिए आवेदन करता है तो उसे पेटेंट नियंत्रक की अनुमति लेनी होगी और वह अनुमति 15 दिन में दी जाएगी। यह प्रावधान यह सुनिश्चित करने हेतु केवल अधिनियम 1970 में अंतर्विष्ट था कि भारतीय पेटेंट प्रणाली के प्राधिकारियों की जानकारी के बिना कोई भी गोपनीय रक्षा अथवा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी देश से बाहर न जाए।

वर्ष 1995 में हम इस संशोधन पर सहमत हो गए थे। इसके लिए सही कारण था और वे हमारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने तर्क दिया कि पेटेंट के संबंध में 15 दिन का विलंब बहुत ज्यादा था क्योंकि इसमें हर दिन मायने रखता है। यदि वे पेटेंट नियंत्रक को आवेदन देते हैं और जानकारी बाहर चली जाती है तो वे अपने उत्पाद विदेश में पेटेंट नहीं करा सकते क्योंकि पेटेंट के लिए कुछ और आवेदन करना होता है। अत:, हम इस संशोधन का समर्थन करते हैं।

लेकिन, आज स्थिति क्या है? क्या उन्होंने हमें विश्वास में लिया है? क्या यह सच नहीं है कि पिछले वर्ष भारत सरकार ने पेरिस सम्मेलन की बातें स्वीकार कर ली थी? पेरिस सम्मेलन उन्हें क्या देता है? पेरिस सम्मेलन इस लोप को बिलकुल अनावश्यक बनाता है। पेरिस सम्मेलन आपको निकटतम तारीख के आरंभ से प्राथमिक तारीख देता है और 15 दिन की अवधि इसमें नहीं आती है। क्या यह सच नहीं है कि रक्षा मंत्रालय ने इस लोप का विरोध किया है? क्या यह सच नहीं है कि अमरीका के कानून में आज भी यह प्रावधान है कि अमरीका का कोई भी नागरिक अमरीकी प्राधिकारियों को बताए बिना विदेशी पेटेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकता है? क्या यह सच नहीं है कि ब्रिटेन के कानून के अनुसार ब्रिटेन का कोई भी नागरिक ब्रिटेन प्राधिकारियों को बताए बिना विदेशी पेटेंट के लिए आवेदन नहीं कर सकता है? परंतु हम बहुत उदार बनना चाहते हैं। दबाव कहाँ से पड़ रहा है? क्या उन्होंने इस ओर ध्यान दिया है? क्या उन्होंने पेरिस सम्मेलन की बातें स्वीकार करने के बाद वैज्ञानिकों से बातचीत की है? पेरिस सम्मेलन से पहले एक बात यह थी कि यह विलम्ब स्वीकार्य नहीं था परंतु पिछले वर्ष पेरिस सम्मेलन की बातों पर हस्ताक्षर करने के बाद यह आवश्यक नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से धारा 39 का लोप करने की सम्पूर्ण कार्यवाही न करने का अनुरोध करता हूं। अत: वे कृपया प्रस्तावित विधेयक के खंड 4, 5, 6 और 7 का लोप कर सकते हैं ...*(व्यवधान)* मैं विधेयक पर और अधिक नहीं कहूंगा। मेरे विचार में ये चारों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि माननीय मंत्री इन बातों की ओर ध्यान देते हैं तो भारतीय नागरिकों के हितों की पर्याप्त सुरक्षा हो सकेगी और हम 'ट्रिप्स' के अंतर्गत अपने दायित्वों के प्रति अतिबद्ध होंगे।

मेरा उनसे अनुरोध है कि 'ट्रिप्स' की अपेक्षाओं से अधिक उन्हें कुछ नहीं करना चाहिए। ट्रिप्स ने हमें जो कुछ करने के लिए कहा है वे आज उससे आगे जा रहे हैं। मेरे विचार में वर्ष 2000 अथवा 2005 में हम जो करना चाहते हैं उसके लिए नीतिगत दृष्टिकोण की आवश्यकता है। मैं अपने उन कुछ मित्रों से सहमत नहीं हूं जो उत्पाद के पेटेंट की तारीख 2000 तक लाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि यह सही है लेकिन साथ ही अगर वे इसे बिना जांच किए स्वचालित विशेष विपणन अधिकार देते हैं तो इसमें खतरा है। उन्हें कृपया इस पर ध्यान देना चाहिए और अनिवार्य लाइसेंसिंग प्रावधानों को कड़ा करना चाहिए। माननीय मंत्री जी को इस बारे में हमें स्पष्टीकरण देना चाहिए कि मूल्य निर्धारण प्राधिकार किस तरह से कार्य करेगा और उन्हें सुरक्षा से संबंधित प्रावधानों का भी ध्यान रखना चाहिए।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं श्री राघवन ने जिस बात का उल्लेख किया है उसे पढ़ता हूँ। मेरे पास अमरीकी कानून है जो 1994 के उरूग्वे वार्ता समझौते के बाद पारित हुआ था। अमरीकी अधिनियम की धारा 102 के अनुसार किसी भी उरूग्वे वार्ता समझौते का कोई भी प्रावधान जो अमरीका के किसी भी कानून के प्रासंगिक नहीं है, प्रभावी नहीं होगा।

अमरीका का 'ट्रिप्स' के बारे में यही कहना है। अमरीकी कानून की धारा 102(क) में यह कहा गया है कि "इस अधिनियम में 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 301(1) के अंतर्गत किसी भी प्राधिकार को सीमित करने की व्याख्या नहीं की जाएगी।" अमरीकी सरकार 'ट्रिप्स' समझौते अथवा विश्व व्यापार संगठन की परवाह नहीं करती, वह केवल अपने कानून के बारे में सोचती है। इसमें आगे बताया गया है कि "राज्य का कानून वैध होगा।" एक प्रश्न उठाया गया था कि क्या इस सभा में ऐसे विषय जो राज्य का विषय है पर कानून बनाने की क्षमता है। अमरीकी कानून क्या कहता है? अमरीकी कानून में कहा गया है कि, "कोई भी राज्य कानून अथवा ऐसे किसी राज्य कानून का

[श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण]

लागू होना इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जायेगा कि संशोधन अथवा उसका लागू होना उरुग्वे वार्ता समझौते के प्रासंगिक नहीं है।" अमरीकी सरकार उरुग्वे वार्ता कानून के खिलाफ अपने राष्ट्रीय कानूनों की रक्षा कर रही है।

अब उरुग्वे वार्ता समझौते, जैसा कि विदेशी देशों पर लागू होता है, में कहा गया है कि, "इस बात के होते हुए कि एक विदेशी देश सभवत: ट्रिप्स के विशिष्ट दायित्वों का अनुपालन करता हो, बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पर्याप्त और प्रभावी संरक्षण को नकारने के लिए कृतसंकल्प है।" अमरीकी कानून में यही बात कही गयी है। देखिए, हम कितनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। 'ट्रिप्स' समझौते में हमसे जो अपेक्षाएं की गई थीं हम उससे अधिक कर रहे हैं। 'ट्रिप्स' समझौता हमें यह अनुमति देता है कि हम इस देश की आवश्यकताओं के अनुरूप कानून बना सकते हैं जो इस देश के लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप हों। कृपया ऐसा कीजिए।

महोदय, मुझे विश्वास है कि यदि माननीय मंत्री कोई भी संशोधन स्वीकार करते हैं तो उन्हें विधेयक को पुन: राज्य सभा को भेजना पड़ेगा और मैं यह निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि ऐसा करना एक समस्या होगी।

श्री एस. जयपाल रेड्डी (महबूबनगर): आप वहाँ मौजूद हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: हम वहाँ मौजूद है मेरे विचार में माननीय मंत्री इन संशोधनों, जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, पर विचार कर सकते हैं। आप जो कह रहे हैं अर्थात यह स्वचालित हैं और इसमें कुछ भी नहीं है, वह सत्य नहीं है।

दुर्भाग्यवश, आपने हमें मामले का पूरा विवरण नहीं दिया है। श्री हेगड़े को पत्र लिखकर भारत और अमेरिका तथा यूरोपीय संघ और भारत के बीच विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान, अंतिम विवाद और अपील की भी प्रति मांगी तो श्री हेगड़े ने भलमनसाहत से ये प्रतियां मुझे भेज दी थी। जब आप उस मामले के बारे में कानून का अध्ययन करेंगे तो आपको विश्व व्यापार संगठन की विचारधारा के बारे में पता लगेगा, हम कहां पर अप्रासंगिक हैं, हम कहां पर अप्रासंगिक नहीं हैं और हम कहां तक जा सकते हैं? आपने वह नहीं किया है। मैं कामना करता हूँ कि आपने हमें विश्वास में लिया होता। मैं कामना करता हूँ कि आपने उन सभी मंत्रालयों के साथ व्यापक बैठक की होती जो इसमें अन्तर्विष्ट हैं।

अगले चरण में अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय मौजूद हैं जैसे बीज को पेटेंट करना, पौधे की किस्म संरक्षण अधिनियम, बायो-विविधता अधिनियम जिसे पारित कराना है और लघु जीवों और अनुवांशिकी रूप से परिवर्तित लघु जीवों को पेटेंट करने का प्रसंग भी है। इस बारे में हमारे अलग-अलग विचार है। यदि आप इस तरह कार्य करेंगे तो मेरे विचार से इन मामलों पर राष्ट्रीय सर्वसम्मति प्राप्त करना मुश्किल होगा। हम सभी को एकजुट होकर सर्वसम्मति बनानी चाहिए। मैं जानता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आपका उद्देश्य सही है। आपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है।

[हिन्दी]

श्री सिकन्दर बख्त: सिर्फ एक बात के अलावा सब कुछ मंजूर है।

[अनुवाद]

आपने कहा कि हम आपसे परामर्श करने की परवाह नहीं करते। किसकी गलती है? आप स्वयं यह निर्णय कर सकते हैं।

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: मैंने कहा कि उद्योग मंत्री के रूप में आपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। यह आपका विधेयक है। इसलिए आपने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया और आपके अधिकारियों ने हमारे पास दौरा किया। लेकिन जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि यह विधेयक केवल उद्योग मंत्रालय तक ही सीमित नहीं है। इस विधेयक में अलग-अलग नौ मंत्रालय शामिल हैं। इस पर अलग-अलग विचार है। रक्षा मंत्री धारा 39 का लोप करने के लिए सहमत नहीं है। लेकिन आपके पास अपने तरीके हैं। इसलिए कृपया सभी को एक साथ मिलाकर सभी नेताओं और मंत्रालयों के साथ मिलकर हमें इस पर सर्वसम्मति बनानी जानी चाहिए। हमें विश्व व्यापार संगठन के साथ एक साथ मिलकर लड़ना चाहिए। हमारी कानूनी शिक्षा अपर्याप्त है। जिस तरह से लोग इन मामलों के लिए विश्व व्यापार संगठन में लड़ते हैं वह अविश्वसनीय है। हमारी एक समस्या है कि हम देर नहीं लगा सकते, हमारे पास ये सभी विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान मामले मौजूद हैं। हमारे पास पर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ट्रेड वकील नहीं है। हमें इस पर विचार करना होगा। हमें अपने पाटनरोधी निदेशालय को सुदृढ़ करना होगा। हालांकि यह आपका विभाग नहीं है, हमें विश्व व्यापार संगठन के बारे में व्यापक दृष्टिकोण रखना पड़ेगा। मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरे सुझावों को आप स्वीकार करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने हमारे देश के व्यापक हित में समर्थन देने का निर्णय लिया है क्योंकि हमें विश्व व्यापार संगठन के तहत 19 अप्रैल तक अपने दायित्व को पूरा करना है। धन्यवाद।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति महोदय, मैं पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 का समर्थन करता हूं।

महोदय, मैं श्री राघवन को बड़े ध्यान से सुन रहा था जिन्होंने इसका विरोध किया। वह अब यहां उपस्थित नहीं है। उन्होंने तीन-चार मुद्दों के आधार पर इसका विरोध किया। उनका एक मुद्दा यह था कि इस संशोधन को पारित करके हम देश की संप्रभुता को संकट में डाल रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए अमरीका हम पर दबाव डाल रहा है और यह हमारी संप्रभुता का अतिक्रमण है। उन्होंने शक्तिशाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को भी आमंत्रण दिया है और भारतीय बाजारों को संकट में डाल दिया है। वह ही नहीं बल्कि वामपंथी दलों के सदस्य, जो इसका विरोध कर रहे हैं, और इसके बाद वह भी बोलेंगे, यह कहेंगे कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां यहां पर आएँगी और भारतीय बाजारों पर छा जायेंगी तथा औषधियों के मूल्य बढ़ जाएंगे, यह कि विदेशी हमारी हल्दी ले जायेंगे, वे हमारी नीम आदि ले जायेंगे। उन्होंने राज्य सभा में इन चीजों के बारे में बोला है और वे यहां भी इनके बारे में बोलेंगे।

मैं यह कहना चाहूँगा कि इनमें से अधिकांश मुद्दे अर्थात विदेशी हमला, भारतीय बाजार पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का हमला आदि बहुत ही सार्थक कल्पना है। वे पूछते हैं कि ऐसी क्या जल्दी है और हमें अब यह संशोधन क्यों करना चाहिए और यदि हम कुछ और समय के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे तो मैं एक व्यापक उत्तर देना चाहता था। लेकिन कांग्रेस के माननीय सदस्य श्री पृथ्वीराज चौहान ने पहले ही इन सभी बातों का उल्लेख कर दिया है। फिर भी मैं अपनी बात स्पष्ट करूँगा।

31 दिसम्बर, 1994 को पेटेंट अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों के पेटेंट से संबद्ध पहलुओं पर समझौता विश्व व्यापार संगठन स्थापित करते हुए किए गए समझौते का एक काम है। आपने भारत में 30 दिसम्बर, 1994 को विश्व व्यापार संगठन समझौते को परिशोधित किया। 1 जनवरी, 1995 को यह समझौता लागू हुआ। इस समझौते के अंतर्गत अपना दायित्व पूरा करने के लिए भारत से अपेक्षित है कि वह समझौते के अंतर्गत दिए गए निर्धारित समय के अंदर अपने कानून में कुछ परिवर्तन करे। विकासशील देश के रूप में भारत के पास समझौते के प्रावधानों के अनुपालन हेतु 1 जनवरी, 1995 से 1 जनवरी, 2000 तक की पांच वर्ष की संक्रमण अवधि है। प्रौद्योगिकी के ऐसे क्षेत्रों, जिन्हें अभी एक सुरक्षित नहीं किया गया है, पर उत्पाद पेटेंट संरक्षण लागू करने के लिए भी 1 जनवरी, 2005 तक पांच वर्ष की अतिरिक्त संक्रांति अवधि उपलब्ध है। यह मुख्यत: फार्मास्युटिकल और कृषि रसायन के क्षेत्रों में लागू होगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्य श्री चव्हाण ने पहले ही उल्लेख किया है। संयुक्त राज्य अमरीका ने हमारे खिलाफ एक मुकदमा दर्ज किया था। हमने मुकदमा लड़ा और हार गये। फिर हमने अपील की और अपील भी हमारे खिलाफ गई। अंतत: विवाद निपटान निकाय ने यह निर्धारित किया कि हमें 19 अप्रैल, 1999 तक विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत बाध्यता के अनुसार आवश्यक परिवर्तन करने पड़ेंगे।

पहले ही हम एक मुकदमा हार गये हैं। हमारे माननीय सदस्य, जिन्होंने इसका विरोध किया था, यह कह सकते हैं कि यदि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे, तो क्या होगा? यदि हम इस अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं करेंगे तो क्या होगा? लेकिन महोदय, यदि आप ऐसा करते हैं और यदि आप कुछ नहीं करते तो भी प्रावधान है जिसमें यह कहा गया है कि उस स्थिति में शास्ति लगाई जायेगी। इस अधिनियम के अनुच्छेद 22 में शास्ति का प्रावधान है। इसमें यह कहा गया है कि

> "यदि विवाद निपटान निकाय द्वारा किसी देश को दोषी पाया गया और यदि वह निर्धारित अवधि के अंदर सभी प्रावधानों के अनुरूप अपेक्षित उपाय नहीं करता तो उस पर शास्ति लगाई जायेगी।"

शास्ति क्या है? वह देश जो शिकायत करता है, कई प्रतिकारात्मक उपाय कर सकता है। अब यह प्रतिकारात्मक उपाय क्या हैं? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। मान लो संयुक्त राज्य अमरीका जिसके खिलाफ हमने मामला हारा था, कोई प्रतिकारात्मक उपाय करता है, मान लो यदि संयुक्त राज्य अमरीका उस देश के वस्त्र निर्यात पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है तो उसका अर्थ है हम अमरीका को कपड़ा निर्यात कर रहे हैं और अब अमरीका उस पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाता है फिर क्या होगा? निर्यात में गिरावट आयेगी। इसका आनुषंगिक परिणाम यह होगा कि भारत में वस्त्र उद्योगों से श्रमिकों को निकाल दिया जायेगा। हमारे श्रमिकों के पास कोई कार्य नहीं होगा और पुन: वामपंथी दलों के यही माननीय सदस्य चिल्लाना शुरू कर देंगे कि इस सरकार, इस अक्षम सरकार के कारण ऐसा हुआ है। लोगों ने अपनी नौकरी गवाँ दी है ...*(व्यवधान)*

[श्री खारबेल स्वाईं]

महोदय, अंग्रेजी में एक कहावत है चित भी मेरी और पट भी मेरी। इसलिए, आप जो कुछ भी करेंगे उनकी उसकी केवल आलोचना करने की आदत है। यदि हम इस अध्यादेश को प्रख्यापित करेंगे तो इसमें हमारा दोष होगा और यदि हम इसे प्रख्यापित नहीं करेंगे और यदि श्रमिक अपनी नौकरी गवाँ देंगे तो भी हमारा ही दोष होगा। और इसलिए वे हमेशा सही हैं।

श्री टी.आर. बालू (मद्रास दक्षिण): हम सही नहीं है। हम तो गलत हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: अब मैं बहुत ही संगत प्रश्न पर आना चाहता हूं यह वामपंथी दलों के माननीय सदस्यों के बारे में है। अब उनका अंतिम गढ़ चीन अभी भी श्रमजीवी के अंतिम प्रकाश स्तम्भ के रूप में बना हुआ है जो काफी समय तक अमरीका के साम्राज्यवाद और पूंजीवाद से काफी समय तक लड़ा है ...*(व्यवधान)* जी हां। वे अभी भी लड़ रहे हैं।

चीन ने क्या किया है? मैं अभी आपको बताऊंगा कि चीन ने क्या किया है। चीन ने पहले ही 1983 में नया पेटेंट अधिनियम स्वीकार कर लिया है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचंद पाल: क्या चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है?

श्री खारबेल स्वाईं: मैं नहीं मान रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: चीन विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं नहीं मान रहा हूं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़): वे चीन की मांग क्यों कर रहे हैं ...*(व्यवधान)* क्या वे भारत की संसद से हैं अथवा चीन की संसद से ...*(व्यवधान)*

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): वहां प्रत्येक व्यक्ति के पास भोजन है। प्रत्येक व्यक्ति के पास घर है। लेकिन यहां हमारे पास भोजन नहीं है, हमारे पास मकान नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: सभापति महोदय, वामपंथी दलों के माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकर मुझे अधिक आश्चर्य नहीं हुआ है। क्योंकि काफी पहले केवल चीन को समर्थन देने के कारण उन्होंने अपने ही दल सीपीआई में विभाजन कर दिया था और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा.) बना दी थी। यह विभाजन केवल चीन को समर्थन देने के कारण हुआ था। इसलिए मुझे आश्चर्य नहीं हुआ है कि वे चीन के बारे में इतने भावुक हो गये हैं। मैं जब भी चीन के बारे में बात करता हूं वे इतने भावुक हो जाते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: आप इतिहास नहीं जानते ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वे इतने भावुक हो जाते हैं और वे इतनी उछलकूद करने लगते हैं। महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि चीन विश्व व्यापार का सदस्य नहीं है। लेकिन चीन ने क्या किया है?

इससे न केवल 1984 में पेटेंट कानून को स्वीकार किया बल्कि इसने हमारे द्वारा स्वीकार करने से पहले ही 1992 में कानून में संशोधन भी किया और इस कानून से अत्यधिक पेटेंट संरक्षण प्राप्त होता है जो बौद्धिक संपदा अधिकार संधि द्वारा अपने सदस्यों से सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित है। मैं वामपंथी दलों के माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे चीन पेटेंट अधिनियम का अध्ययन करें और यह देखें कि उन्होंने क्या दिया है। उन्होंने उससे अधिक दिया है जो हम देने जा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि उन्होंने क्या दिया है। जबकि ट्रिप्स के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि इन अधिकारों को 2005 तक दे दिया जाये। चीन ने इन्हें काफी पहले 1992 में ही दे दिया था। पेटेंट का कार्यकाल बढ़ाकर 20 वर्ष कर दिया गया है। उत्पाद पेटेंट को प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में लागू कर दिया है। चीन ने 1984 से यह देना शुरू कर दिया था और हमने 1994 से देना शुरू किया है।

श्री बसुदेव आचार्य: आप भारत के बारे में बात करें।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं चीन का उल्लेख कर रहा हूं। मैं केवल अपने माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहता हूं कि उनके अपने नेताओं ने क्या किया है? एक बार यह कहा गया था कि जब चीन में वर्षा होती है तो भारत में वामपंथी लोग अपने छाते खोल लेते हैं। इसलिए, मैं कह रहा हूं कि उन्हें अब वही कार्य

करना चाहिए जो चीन ने किया है ताकि बाद में वे हम पर कोई आरोप न लगा दें कि हम क्या करने जा रहे हैं।

पेटेंट के कार्यकरण के बारे में चीन ने यह किया है कि आयातित माल को पेटेंट की अनुठी वस्तु के रूप में लिया गया है। मान लो चीन में पेटेंट है। और कुछ विदेशी राष्ट्रीय और कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां कुछ चीजें आयात करती हैं तो वह पेटेंट कार्य कर रहा है। लेकिन भारत में हमने एक उपाय किया है कि यदि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी जिसके पास पेटेंट है कोई चीज आयात करती है तो हम यह मानेंगे कि यह कार्य नहीं कर रहा है। यही अंतर है।

श्री पृथ्वी राज दा. चव्हाण: यह कहां है? यदि आप धारा 74(3) को देखेंगे तो आप पायेंगे कि हमने उसका लोप कर दिया है। यही बात है।

श्री खारबेल स्वाईं: हमने उसका लोप नहीं किया है? हमने मद 7 का लोप नहीं किया है। मैं उस पर बाद में आऊंगा।

चीन में यदि पेटेंट है और यदि फर्म केवल फैक्टरी से कोई कृषि संबंधी मद आयात करती है तो यह कार्य कर रहा है। मैं केवल आपको उसी की व्यापक तस्वीर दे रहा हूं जो चीन जैसा देश कर रहा है *...(व्यवधान)* मैं केवल एक प्रश्न का उल्लेख करूंगा। श्री बसुदेव आचार्य और अन्य माननीय सदस्य इस सभा के माननीय और वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं तो नया सदस्य है। मैं पहली बार इस सभा में आया हूं। मैं उनसे ऐसे व्यवहार की आशा नहीं करता। हो सकता है वे मेरे विचार से सहमत न हों। अब मैं पहला वक्ता हूं। वे बाद में बोलेंगे। उनके पास मेरा विरोध करने के लिए पर्याप्त अवसर होगा। लेकिन प्रत्येक चरण में मेरा विरोध करना और उठ कर मुझ पर चिल्लाना उचित नहीं है। मैं यह बात उनकी अंतरात्मा पर छोड़ता हूं कि क्या उन्हें यह करना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया सरसरी तौर पर टीका टिप्पणी न करे।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: भारतीय कानून के अंतर्गत कृषि और बागवानी की पद्धतियों को आविष्कार नहीं माना गया है और इसलिए इनका पेटेंट नहीं किया जा सकता है।

हम कहते हैं कि नीम और हल्दी को अधिकार मे ले लिया जाएगा। कई बार हम ऐसा अनभिज्ञता के कारण कहते हैं; जब मैं इस सभा का सदस्य नहीं था तब मेरी भी यही धारणा थी। कुछ राजनैतिक पार्टी की बैठकों में मैंने भी अनभिज्ञतावश इस तरह कहा था। लेकिन जब मैंने विधेयक का अध्ययन किया, जब मैंने वरिष्ठ माननीय सदस्यों तथा अधिकारियों से बात की, तब मुझे पता चला कि यह सच नहीं है। वास्तव में यह सच नहीं है। हमने अपने विधेयक में पर्याप्त सुरक्षोपाय किए हैं कि कृषि और बागवानी को आविष्कार के रूप में नहीं समझा जाएगा। यह बहुत अच्छा सुरक्षोपाय है कि हमने अपने विधेयक में इसका प्रावधान किया है।

भारत में पेटेंट लिखने तथा पढ़ने के संबंध में मुख्य समस्या है। इसमें विशेष कुशलता चाहिए। जब आप पेटेंट लिखते हैं तो आपको इस मायने में कुशलता चाहिए कि आप कुछ ऐसी बातें लिखें जिसके द्वारा आप लोगों को बता सकें कि आप पेटेंट के किसी खास पहलू की सुरक्षा चाहते हैं। लेकिन फिर भी आप कुछ अन्य बातों को छुपाएंगे जिसे अन्य लोग न जान पाएं। चीन जैसे देश में पांच हजार ऐसे संस्थान है जहां पेटेंट लिखने के विशेषज्ञ हैं। लगभग पंद्रह अथवा बीस वर्ष पहले चीन को पेटेंट करने के बारे में आज की तुलना में बहुत कम जानकारी थी। चीन में एक वर्ष में लगभग 60 से 70 हजार पेटेंट संबंधी आवेदन आते हैं जबकि हमारे पास प्रतिवर्ष 2,005 आवेदन आ रहे हैं। लगभग 350 लाख से 400 लाख तक पेटेंट विश्व में प्रकाशित हुए हैं।

माननीय सदस्य ने विशेष विपणन अधिकारों के बारे में कहा है। यह मुख्य प्रश्न है जिसे श्री वी.वी. राघवन ने भी आरंभ में उठाया था। उन्होंने कहा था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को विशेष विपणन अधिकार प्रदान करना बहुत गंभीर अपराध है। लेकिन मुझे यह बात कहने दें कि भारत में एक भी विशेष विपणन अधिकार संबंधी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। वाम दलों के माननीय सदस्य इस तरह शोर मचा रहे हैं मानों भारतीय बाजार में लाखों आवेदनों की भरमार हो गई है और भारतीय बाजार समाप्त हो जाएगा।

क्या आप इतना कह सकते हैं कि ये विशेष विपणन अधिकार—जिन्हें मैं मूलत: चुनौती देता हूं—अथवा पेटेंट अधिकार सुस्पष्ट सुरक्षा है? हम कहते हैं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा कोई भी कम्पनी इस संबंध में बीस वर्षों के लिए पेटेंट अधिकार प्राप्त कर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि उनके पास बीस वर्षों के लिए विशेष विपणन अधिकार होंगे। परंतु प्रौद्योगिकी में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। अत:, क्या कोई कम्पनी पुराने और अप्रचलित पेटेंट के साथ बीस वर्ष तक प्रतीक्षा कर सकती है? यदि कम्पनी बीस वर्ष के लिए प्रतीक्षा करती है तो इस बीच प्रौद्योगिकी तेरह गुणा बदल सकती है। इसलिए यह सुस्पष्ट सुरक्षा नहीं है। शायद, प्रारंभिक चरण में इससे अठारह से बीस माह अथवा दो वर्ष तक

[श्री खारबेल स्वाईं]

भी कुछ लाभ मिल जाता है जिसके बाद कम्पनी को अपनी प्रौद्योगिकी को बदलना होगा।

यह अनंत काल तक प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। सामान्यत: यह संभव नहीं है। इसलिए, इनमें से अनेक कम्पनियों को पता नहीं है कि यह उनके लिए सुरक्षोपाय है। वे स्वयं कहते हैं कि सुरक्षा एक सतत अनुसंधान और विकास है। केवल सतत अनुसंधान और विकास से ही वे अन्य कम्पनियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। व्यवहारिक रूप से तरीका भी यही है। मैं बहुत व्यावहारिक हो रहा हूं। मैं आपको बहुत व्यावहारिक दृष्टिकोण से बता रहा हूं कि कोई भी कम्पनी 20 वर्ष के लिए प्रतीक्षा नहीं करेगी। प्रत्येक डेढ़ से दो वर्ष में वह निश्चित रूप से पेटेंट में बदलाव करेगी। अन्यथा अन्य कम्पनियाँ उन पर अधिकार कर लेंगी।

भारत का ही उदाहरण लीजिए। अधिकांश औषधियां किस तरह तैयार की जाती हैं? जो औषधियां भारत में तैयार की जाती है वे अनुसंधान, विकास और नवीकरण के संबंध में सर्वश्रेष्ठ नहीं हैं। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनी से औषधियां लेते हैं; उसकी नकल तैयार कर लेते हैं और वे भी यही परिणाम प्राप्त करते हैं। वे एक अन्य औषध का पता लगाते हैं जो व्यावहारिक रूप से वही औषध है जिसे बहुराष्ट्रीय कम्पनी अथवा विदेशी कम्पनी ने बाजार में भजा है। अत:, अंतत: यह पेटेंट करने की प्रक्रिया है। व्यावहारिक रूप से यह वही औषध है लेकिन चूंकि यह तैयार नकल है इसलिए इसे भिन्न रूप में पाया गया है। इस तरह भारत में हजारों औषधियां तैयार की गई है। शायद, भारत में कुछ कम्पनियों को कठिनाई हो सकती है क्योंकि उनके पास मौलिकता नहीं है और इसलिए वे विदेशी कम्पनियों द्वारा तैयार की गई अन्य औषधियों की नकल चाहते हैं। अत:, वे परेशानी में पड़ सकते हैं। लेकिन क्या हमने सोचा है कि मूल कम्पनी जिसने वास्तव में इसे बनाया है। नाराज नहीं हो रही है? किसी अन्य कम्पनी ने नकल की है, ठीक है, लेकिन यदि हम भी इसी तरह का काम करेंगे तो क्या होगा? मान लो हम कतिपय औषधियां तैयार करते हैं, कोई अन्य कम्पनी आती है और इसकी नकल करती है तो क्या हम नाराज नही होंगे? स्वाभाविक है कि हम नाराज होंगे। वास्तव में भारत में यही हो रहा है।

अब मैं अगले मुद्दे पर आता हूं। इस विधेयक में केवल 1 जनवरी, 1995 के बाद पेटेंट हुए आविष्कार के संबंध में भारत में उत्पाद को बेचने हेतु कितने विशेष अधिकारों की व्यवस्था की गई है? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने लगभग 250 औषधियों को उन औषधियों के रूप में सूचीबद्ध किया है जिनका भारत में आमतौर पर अनिवार्य औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है इन औषधियों को पेटेंट नहीं किया जा सकता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। भारत में इन 250 औषधियों, जिन्हें यह माना गया है कि इनका आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, का किसी अन्य देश द्वारा पेटेंट नहीं किया जा सकता है। यह प्रावधान है ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: कैबिनेट मंत्री कहां है?

श्री सत्यपाल जैन: वह गुसलखाने में गए हुए हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे एक मिनट में आ जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: वे इस सभा को बहुत कम सम्मान दे रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन: जैसाकि सभापति महोदय ने कहा कि वे केवल एक मिनट के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने बाहर गए हैं, ...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, चूंकि मंत्रिमंडल की बैठक चल रही है इसलिए यहां कोई कैबिनेट मंत्री नहीं है। आप सभा स्थगित कर सकते हैं।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री एक मिनट में आ जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री वसुदेव आचार्य: कम से कम एक कैबिनेट मंत्री यहां होना चाहिए।

सभापति महोदय: उन्होंने गुसलखाने जाने की अनुमति ली है।

...*(व्यवधान)*

श्री सत्यपाल जैन: माननीय सदस्य अध्यक्षपीठ की अनुमति से गुसलखाने गए हुए हैं ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: 250 औषधियों में से केवल 4 को 1994 में पेटेंट किया गया था। इन पेटेंट की समयावधि 1994, 1995, 1996 तथा 1997 में समाप्त हो चुकी है। इसका अर्थ है कि ये सभी 250 औषधियां जिन्हें विश्व व्यापार संगठन ने सूचीबद्ध किया है, को कोई अन्य कम्पनी पेटेंट नहीं कर सकती है। इसलिए नए

कानून से इनमें कोई भी प्रभावित नहीं होगा। भारत में इनमें से किसी भी औषधि हेतु किसी भी फर्म को विशेष विपणन अधिकार नहीं दिया जाएगा। अत:, आपत्ति कहां है? लगभग सभी 250 औषधियों का पेटेंट बिल्कुल नहीं होगा।

मेरा अगला प्रश्न मूल्य के बारे में है। अनेक माननीय सदस्यों ने आरोप लगाया है कि भारत में औषधियों के दाम दिन दूने रात चौगुने बढ़ेंगे और उन्होंने तुलनात्मक आंकड़े भी दिए ...*(व्यवधान)* उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर मिलेगा। कृपया सुने और जब आपकी बारी आए तब आप बोल सकते हैं।

सभापति महोदय: श्री स्वाईं, आप कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: तो अब मूल्य का प्रश्न है ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: वे नए सदस्य है। माननीय सदस्यगण कृपया सहयोग करें। आप उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मुझे काफी गर्व है कि वरिष्ठ सदस्य मुझे नया सदस्य नहीं समझते हैं। वे मुझे अपने समान समझते हैं। अतएव मुझे गर्व का अनुभव होता है।

महोदय, मैं कह रहा था कि यह मूल्य का प्रश्न है। सदस्यों ने कुछ तुलनात्मक आंकड़े दिए कि इस विशिष्ट औषधि का अमेरिका में यह मूल्य है तथा उस औषधि का भारत में यह मूल्य है। मैं मानता हूं कि कभी कभी अमेरिका में औषधि का मूल्य भारत में औषधि के मूल्य की तुलना में चार या पांच या छह गुणा अधिक है। लेकिन क्यों?

इसके क्या कारण है? अमेरिका में औषधियों का मूल्य इतना अधिक क्यों है? क्या यह पेटेंट के कारण है? यह पेटेंट के कारण नहीं है। अमेरिका में औषधियों का अधिक मूल्य पेटेंट क्षेत्र के कारण नहीं वरन् इसलिए है क्योंकि अमेरिकी जनसंख्या का बड़ा भाग सामाजिक सुरक्षा या चिकित्सा बीमा के दायरे में आता है। अतएव, वहां की फर्म विभिन्न दवाओं तथा चिकित्सा सेवाओं के लिए उच्चतर मूल्य वसूल सकती हैं। यह मुख्य कारण है। चूंकि अमेरिका में प्रत्येक व्यक्ति का चिकित्सीय बीमा है, दवा उत्पादक विभिन्न दवाओं के लिए उच्च मूल्य की मांग करते हैं। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे यहाँ चिकित्सा बीमा नहीं है। कोई बीमा कम्पनी ऐसा करने हेतु आगे नहीं आई है।

किसी उत्पाद का मूल्य उस देश की जनसंख्या की भुगतान क्षमता पर निर्भर करता है। यह नहीं समझ लेना चाहिए कि किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा निर्धारित दवा का कोई मूल्य भारत द्वारा स्वीकार्य होगा। उदाहरण के तौर पर टेलीविजन या जूता निर्माताओं को लें। आजकल हम विज्ञापन देखते हैं कि अगर कोई 21 इंच आकाई टेलीविजन खरीदता है तो वह 14 इंच टेलीविजन मुफ्त प्राप्त करेगा। इसके पीछे क्या कारण है? कारण यह है कि कम्पनी ने यह सोचकर अपने उत्पादों का मूल्य निर्धारित किया था कि चूँकि भारत में विदेशी सामानों के प्रति पागलपन का उन्माद है वे उनके द्वारा निर्धारित मूल्य पर सामान खरीद लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है महोदय। उसी प्रकार, उन्होंने सोचा कि अगर वे अपनी दवाइयों का उच्चतर मूल्य रखेंगे, तब भी भारतीय खरीद लेंगे। लेकिन इस देश के लोगों की भुगतान क्षमता इसकी अनुमति नहीं देती है। और, जैसाकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने अन्य वस्तुओं के मूल्य में कमी की है, दवाओं के मामले में भी वे मूल्य बढ़ाने में कभी सफल नहीं होंगे। भारतीय उच्चतर मूल्य अदा करने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि वित्तीय रूप से वे अमेरिकीवासी की तरह समृद्ध नहीं हैं।

मैं पुन: धारा 24ग पर आता हूँ जिसमें मूल्य संबंधी उल्लेख है। इस मामले में अनिवार्य लाइसेंस के रूप में हमारे पास सुरक्षोपाय है। इसके अनुसार पेटेंट अधिनियम का अध्याय सोलह उन फर्मों पर भी लागू होना चाहिए जिन्हें भारत में अपने उत्पाद बेचने तथा वितरण करने का विशेष अधिकार दिया गया है। यदि उचित मूल्य पर पेटेंट की गई कम्पनी द्वारा लोगों की उचित आवश्यकता पूरी नहीं हो रही हो तो अधिनियम की धारा 84 के अंतर्गत प्राधिकरण, अर्थात् सरकार के पास यह शक्ति है कि वह उस फर्म द्वारा किसी अन्य विनिर्दिष्ट फर्म को अनिवार्य रूप से विपणन लाइसेंस सौंपने का निर्देश दे।

अतएव, यह सुरक्षोपाय है। ऐसा नहीं है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपनी मनमर्जी से कोई मूल्य निर्धारित कर सकती हैं। हमने धारा 24ग के रूप में पर्याप्त सुरक्षोपाय का प्रावधान किया है ताकि कोई बहुराष्ट्रीय कम्पनी मनमाने ढंग से मूल्य निर्धारित नहीं कर सके।

मैं अब धारा 24घ(1) पर आता हूँ जिसके अनुसार यदि सरकार जनहित में स्वयं या किसी दूसरी एजेंसी के माध्यम से उत्पाद का वितरण या बिक्री आवश्यक मानती है तो उसे ऐसा आदेश देने का अधिकार प्राप्त होगा। पेटेंट (संशोधन) विधेयक में यह भी एक अन्य सुरक्षोपाय है।

[श्री खारबेल स्वाईं]

धारा 24घ(2) के अंतर्गत दवाओं की दर भी सरकार निर्धारित कर सकती है बशर्ते कि इसकी ऐसी इच्छा हो या यह पाए कि बहुराष्ट्रीय कम्पनी द्वारा काफी ऊँचा मूल्य निर्धारित किया गया है।

अब मैं एक दूसरे मुद्दे पर आता हूँ जिसका उत्तर माननीय सदस्य, श्री पी.डी. चव्हाण द्वारा पहले ही दिया जा चुका है। वामपंथी पार्टियाँ भी कभी-कभी यह कह रही हैं कि हमें विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल जाना चाहिए। लेकिन यह संभव नहीं है। यह एक दायित्व है। सही या गलत, इस पर पहले ही हस्ताक्षर हो चुका है। अतएव, हम इस समझौते से बाहर नहीं आ सकते हैं क्योंकि यह समझौता सिद्धांतों का विवरण है। विश्व भर में शायद ही कोई ऐसा देश हो जिसने विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर नहीं किया है। यहाँ तक कि पाकिस्तान जो कि हमारे साथ धा ने इस पर हस्ताक्षर कर दिया है। यदि हम विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर नहीं करें तो हम अलग-अलग पड़ जायेंगे। केवल हम लोग बिना किसी सहायता के देश रह जाएंगे। इसके अलावा, हम किस प्रकार कह सकते हैं कि विश्व के सभी देश गलत हैं और हम भी केवल सही देश है। अतएव, विश्व व्यापार संगठन पर हस्ताक्षर करने में वास्तव में कोई गलत बात नहीं है। अब मैं खण्ड 1 पर आ रहा हूँ जो इस प्रकार है:

> "सदस्य राष्ट्र अपनी विधि व्यवस्था के अनुसार इस समझौते के प्रावधानों को लागू करने की उचित पद्धति निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

महोदय, मुझे विश्वास है कि हमने ऐसा ही किया है। अब मैं धारा 7 पर आ रहा हूँ। यह कहता है:

> "बौद्धिक संपदा अधिकार के संरक्षण तथा लागू किये जाने से प्रौद्योगिकी नवीकरण को बढ़ावा देने तथा प्रौद्योगिकीय ज्ञान के निर्माता तथा उपयोगकर्त्ता के परस्पर लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा प्रचार-प्रसार हेतु तथा सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण में सहायक के रूप में तथा अधिकार व दायित्व के बीच सामंजस्य बिठाते हुए, बढ़ावा दिया जाना चाहिए।"

महोदय, आप इन शब्दों को चिन्हित कीजिए। यह प्रौद्योगिकी उन्नयन के संवर्द्धन के लिए, प्रौद्योगिकी के उत्पादक तथा उपयोगकर्त्ता के परस्पर लाभ के लिए प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा प्रचार प्रसार के लिए है। यह आगे कहता है कि यह सामाजिक तथा आर्थिक कल्याण में सहायक हो, इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए। क्या यह हमारे खिलाफ है? क्या यह मनमाना समझौता है जो हमारे ऊपर साम्राज्यवादी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा थोपा जा रहा है?

महोदय, विशेष विपणन अधिकार के संबंध में इसका कहना है कि अगर कोई पेटेंट प्राप्त करने वाली कम्पनी, उदाहरण के तौर पर, प्रौद्योगिकी नवीकरण तथा प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण तथा प्रचार प्रसार के मार्ग को अवरुद्ध करती है, तो हमारे कानून के अनुसार ही उसी धारा के अंतर्गत समझौता तोड़ा जा सकता है। यह भी एक संरक्षण है। हमने पहले ही दूसरा संरक्षण दिया हुआ है। हमने इस विधेयक में दूसरा सुरक्षोपाय पहले ही दिया है।

अब मैं खण्ड 8 पर आता हूँ जो इस प्रकार हैं:

> "सदस्य अपने कानून बनाते समय या उनमें संशोधन करते समय जन स्वास्थ्य तथा पोषण को संरक्षण प्रदान करने के लिए तथा उनके सामाजिक-आर्थिक तथा प्रौद्योगिकी विकास वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जनहित को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक उपाय कर सकते हैं बशर्ते कि ऐसे उपाय इस समझौते के प्रावधान के अनुकूल हों।"

अत:, इसमें समुचित उपायों का प्रावधान है बशर्ते कि वे इस समझौते के प्रावधानों के अनुकूल हों, शायद बौद्धिक संपदा अधिकार का अधिकार प्राप्त राष्ट्र द्वारा दुरुपयोग को रोकने के लिए या उस प्रथा का सहारा लेने के लिए जोकि व्यापार को अनावश्यक रूप से रोकती है या प्रौद्योगिकी के बौद्धिक हस्तांतरण को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें। आपने 40 मिनट का समय पहले ही ले लिया है। छह और वक्ता हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, चार या पांच सुझाव देने के बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि पहले ही पर्याप्त प्रावधान हैं।

जैसाकि माननीय सदस्य श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण ने कुछ सुझाव दिए हैं, इस पर माननीय मंत्री को उत्तर देना है। वे इसे देख सकते हैं। मेरा अनुभव यह है कि हमें भविष्य में भी इसमें संशोधन करने का पर्याप्त अवसर रहेगा। यदि कोई व्यक्ति कोई सुझाव देता है तो सरकार इसका उत्तर देने में सक्षम है। इसे उत्तर देने का पूरा अधिकार है तथा इसमें भविष्य में सभी संशोधन शामिल होंगे। मैं केवल दो या तीन सुझाव दूँगा। मैं तुरंत अपनी बात समाप्त करूँगा। यह मुश्किल से तीन या चार मिनट लेगा।

सभापति महोदय: आपको तीन या चार मिनट का समय नहीं मिलेगा। आपको एक या दो मिनट का समय मिलेगा।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, आपको मुझे कुछ समय देना चाहिए। पहली बात यह है कि हमें 2005 ईस्वी तक उन दवाओं का पेटेंट करा लेना चाहिए जिन्हें बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा ले लिया जायेगा। इन्हें पेटेंट करा लेना चाहिए। हमें उस औषधि उद्योग का नवीकरण करना चाहिए जो वास्तव में मूलभूत अनुसंधान पर न कि 'विपरीत इंजीनियरिंग' पर आधारित हो।

सभापति महोदय: अब मैं अगले वक्ता को बुला रहा हूँ। कृपया आप समाप्त कीजिए।

श्री खारबेल स्वाईं: कृपया मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए। मैं इसे अभी खत्म करता हूँ ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपने पहले ही चालीस मिनट ले लिए हैं।

प्रो. रीता वर्मा (धनबाद): महोदय, वह हमारी पार्टी के पहले वक्ता है। उनके पास हमारी पार्टी का पूरा समय है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: दूसरे, पेटेंट को पढ़ने और लिखने के लिए प्रौद्योगिकविदों, वकीलों और बाकियों को प्रशिक्षण देने के लिए हमें संस्थानों की स्थापना करनी पड़ेगी। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि हमारे पास संस्थान होने चाहिएं, हमें अपने लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि वे पेटेंट को सही ढंग से पढ़ और लिख सकें और हम किसी बहुराष्ट्रीय कम्पनी के बहकावे में न आ सकें। हमें अपने मूल उत्पादों का भी पेटेंट करना चाहिए। अगर हम इसे ठीक से लिखेंगे तो यह नहीं होगा।

तीसरा पक्ष यह है कि हमारी जैव-धरोहर के अनुसार सरकार लम्बे समय से यह घोषणा कर रही है कि हम पौधों को पेटेंट अधिनियम से पूर्ण रूप से बाहर ले जायेंगे। पौधों को पेटेंट अधिनियम से बाहर ले जाना चाहिए और उन्हें विशिष्ट संरक्षण देने के लिए एक अलग कानून पारित किया जाना चाहिए।

विधेयक पहले ही तैयार है। मैं माननीय मंत्री जी से इसे शीघ्र अधिनियमित करने का अनुरोध करूंगा।

अब मैं अंतिम पक्ष पर आ रहा हूँ। हमें यह पता लगाने के लिए दल स्थापित करने चाहिए कि हम उन क्षेत्रों जो विश्व व्यापार संगठन संधि में हैं और अपने भारतीय हितों का भी विस्तार कैसे कर सकते हैं। अंत में हमें पेटेंट अधिनियम की आवश्यकता के अनुसार विशेषज्ञ जानकारी और सुविधाओं वाले अपीली न्यायालयों की स्थापना करनी चाहिए। इन सब बातों के प्रचार के लिए प्रचार माध्यमों का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि देश में एक बहुत गलत संदेश गया है कि अगर हम इस पेटेंट अधिनियम को पारित करेंगे तो बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश को समाप्त कर दिया जाएगा, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, ईस्ट इंडिया कम्पनी यहां आएगी और हमें समाप्त कर देगी, वे हमें मार डालेंगे और वे हमारा गला घोट देंगे। व्यापक मीडिया योजना और प्रचार द्वारा इस गलत धारणा को खत्म किया जाना चाहिए।

इन कुछ शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद।

सभापति महोदय: अब श्री रूपचन्द पाल बोलेंगे। श्री रूपचन्द पाल आपके बोलने से पहले मैं कुछ कहना चाहता हूँ। अभी छः वक्ता है और भाजपा के लिए केवल 55 मिनट का समय शेष है। कृपया संक्षेप में अपनी बात कहें।

...(व्यवधान)

श्री एस. जयपाल रेड्डी: समय बढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि यह निश्चय ही महत्वपूर्ण मुद्दा है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल (हुगली): महोदय, हमारा अपना समय है। फिर भी आरंभ में मैं अपने युवा मित्र जो अभी अभी बोले हैं को एक छोटा सा सुझाव देना चाहूंगा। वे शायद नहीं जानते कि बोलने के लिए उन्हें ही क्यों चुना गया है। यदि वे 20 मार्च, 1995 के वाद-विवाद का अध्ययन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के धुरन्धरों ने क्या बताया है। युवा सदस्य के लाभ के लिए मैं इसे उद्धृत कर रहा हूँ।

एक वक्ता श्री गुमान मल लोढा ने इसे यह कहा था कि "यह आत्महत्या संबंधी कानून है।"

भारतीय जनता पार्टी से कई सदस्य बोले थे। मैं 20 मार्च, 1995 के वाद-विवाद से एक या दो का उल्लेख कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि यह आत्महत्या संबंधी कानून है।

श्री खारबेल स्वाईं: मैंने भी 1995 में यही बोला था।

श्री रूपचन्द पाल: वे कहते हैं कि उन्होंने भी वही कहा था अब उन्होंने स्थिति बदल दी है।

श्री खारबेल स्वाईं: अब मैं जानता हूँ कि सच्चाई क्या है। उस समय मैं नहीं जानता था। मैं इस बात से सहमत हूँ। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। मैंने बताया है कि मैंने उन दिनों गलत बात कही थी। मैं मंत्री अथवा संसद सदस्य नहीं था। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सदस्य था। मैंने पार्टी में भी यही बात बताई थी।

श्री रूपचन्द पाल: उन्होंने उस विचार का भी समर्थन किया। यह हमारी स्वतंत्रता को खतरे में डालने का षडयंत्र है। उन्हें उस समय विधान सभा चुनाव के परिणाम से सबक सीखना चाहिए। स्थिति बदल गई है। अन्यथा आर्थिक सुधारों का आकर्षण समाप्त हो जायेगा। उन्होंने कहा था कि भगत सिंह, राजगुरू और सुखदेव का यह राष्ट्र इसे अनुमति नहीं देगा। पेटेंट (संशोधन) विधेयक के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का यह आधार है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): उस समय श्री जी.एल. लोढा श्री खारबेल स्वाईं की तरह अनजान थे।

श्री रूपचन्द पाल: वे उच्च न्यायालय के न्यायधीश थे। मैं भारतीय जनता पार्टी के धुरन्धरों और मित्रों द्वारा दिए गए कई उद्धरणों को ले सकता हूँ।

श्री सत्यपाल जैन: अब आपने भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण देना शुरू कर दिया है।

श्री रूपचन्द पाल: ठीक है आपने अपना दृष्टिकोण बदल दिया है और अब आप सुधारों और संशोधन के बड़े समर्थक बन गए हैं।

डा. सुब्रहमण्यम स्वामी (मदुरै): वह भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष में चाहते हैं।

श्री रूपचन्द पाल: सभापति महोदय, प्रारंभ में मैं समाचार विषय के बारे में कहूंगा जो आज ही 9 मार्च को प्रकाशित हुआ है। मैं एक भाग बढ़ने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करता हूँ:

> "15 राष्ट्रों का यूरोपियन संघ अमरीका को विश्व व्यापार संगठन विवाद निपटान बोर्ड में यह कहते हुए ले गया है कि सुपर 301 को लागू करना विश्व व्यापार संगठन नियमों के अनुरूप नहीं है।"

यह सामने आए लेटिन अमरीकी विवाद से संबंधित है। आज यह स्थिति है और उस पर चर्चा की जा रही है। मैं केवल सन्दर्भ बता रहा हूँ। गैट समझौते के पूर्ण होने के तुरंत बाद अमरीकियों ने बम गिरा दिया था।

अमरीका के व्यापार प्रतिनिधि श्री मिक्की केनटर ने कहा था:

> "यह विदित है कि गैट और निर्मुक्त व्यापार को उन्नत करने के लिए इसके आदेश को कोई महत्व दिए बिना अमरीका का इरादा देशों को दंडित करने के लिए अमरीकी व्यापार स्पेशल 301 का उपयोग जारी रखने का है। वे यह सुनिश्चित करने के लिए अपने ही उपकरणों का उपयोग करेंगे कि जो उन्होंने सोचा वह प्राप्त होता है और वह अमरीका का वैध देय है।"

वास्तव में उन दिनों वे उसको चालू रखे हुए थे। और अब असली विवाद यह है कि, लेटिन अमरीकी विवाद पर यूरोपियन संघ द्वारा लगाया गया आरोप एक बार फिर केवल यह सिद्ध करता है कि अमरीका जिसे हमने आश्वासन दिया था कि 19 अप्रैल के पहले चूंकि विवाद निपटान मंच पर हमारा उद्देश्य ठुकरा दिया गया था, हम भारतीय पेटेंट अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन करेंगे। बहुत से ऐसे देश हैं जो बहुपक्षवाद पर विश्वास नहीं करते, न केवल यूरोपियन संघ बल्कि कई ऐसे देशों के उदाहरण हैं और यह मांग की गई है कि 1999 में जब अपेक्षित पुनरीक्षा की जाएगी पूरे विश्व व्यापार संगठन मुद्दे पर चर्चा की जाए।

जिन्होंने पहले इस पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें भी इस पर सुधार की आवश्यकता है। यह केवल भारत की दलील नहीं है। गठबंधनों और प्रतिबद्धताओं आदि से हटकर बहुत से देशों की यह दलील है क्योंकि उसमें बहुत से राष्ट्रों के आर्थिक हित शामिल है और उनका कहना है कि विश्व व्यापार संगठन की विस्तृत समीक्षा की जानी चाहिए। उसकी समीक्षा की जाने की गुंजाइश है। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि भारत सरकार द्वारा अवसर का जैसा उपयोग किया जाना चाहिए था वैसा नहीं किया गया। मैं ऐसा किसलिए कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमारी चिन्ता और कई अन्य देश, जो विकासशील दुनिया से संबंधित हैं, की चिन्ता एक ही है और ऐसे कई अवसर आए हैं जब भारत ने उनकी तरफ से मुद्दों को उठाया है। उदाहरण के लिए हमें बताया गया है कि पाकिस्तान के साथ विभिन्न स्तरों पर की गई चर्चा में एक पहलू जिस पर चर्चा की गई यह था कि विश्व व्यापार संगठन के विचार विमर्शों में भारत और पाकिस्तान को सहयोग करना चाहिए और एक दूसरे से परामर्श करना चाहिए।

इस तरह का कदम पहले ही उठाया जाना चाहिए था और कई विकासशील देशों ने शिकायत की है कि भारत ने इसकी उपेक्षा की है। यद्यपि विचार-विमर्शों में विभिन्न स्तरों पर दाव पर लगे हितों के मामले में भी यही स्थिति थी।

महोदय, विश्व व्यापार संगठन में 28 समझौते हैं इसलिए मैं स्वयं को केवल ट्रिप तक ही सीमित रखूंगा। अब हमारा संबंध ट्रिप और विशेषकर उन क्षेत्रों, जहाँ विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता के रूप में विवाद निपटान स्तर पर दिये गये प्रतिज्ञान के पश्चात हमसे अधिनियमित करने की अपेक्षा है, के बारे में प्रस्तावित परिवर्तनों से है। मुद्दा यह है कि हम उत्पाद पेटेंट को सीधा चुनें अथवा हम विशेष विपणन अधिकार मार्ग से गुजरने के लिए परिवर्तनीय चरण का प्रयोग करें। पूरे समय यह वाद विवाद चलता रहा और अति प्रतिष्ठित लोगों, विधिवेताओं, विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और समाज वैज्ञानिकों ने यह माना है कि विशेष विपणन अधिकार मार्ग उत्पाद पेटेंट मार्ग से बदतर है। उत्पाद पेटेंट मार्ग में हमें कम से कम 2004* तक और पांच वर्षों का समय मिल जाता।

[अनुवाद]

अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए अवधि और ये सभी सुविधाएं दी जाती हैं। हम आधारभूत ढांचे जैसी सुविधाओं सहित कई अवसर प्राप्त कर सकते थे। जैसाकि आपको विदित है, जब स्थायी समिति ने इस विधेयक की जांच शुरू की थी तो यही एक ऐसा क्षेत्र था जिस पर उन्होंने भारत में अपर्याप्त आधारभूत सुविधाओं के बारे में सर्वसम्मति से बल दिया था जिससे हमारे द्वारा उत्पाद का पेटेंट करने अथवा अपना आधारभूत ढांचा तैयार किये बिना ई.एम.आर. संक्रांति का निर्णय ले लेने पर राष्ट्रीय हितों का नुकसान होगा।

अब विशेष विपणन अधिकार में क्या दिया गया है? क्या वे इसे हमारे देश में शुरू करेंगे। विशेषरूप से उत्तर नहीं है। हालांकि सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य यह कहने का प्रयास कर रहे थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आयात को विनिर्माण माना जायेगा। यह एक विशिष्ट प्रश्न है और ई.एम.आर. रखने वाला व्यक्ति वह अधिकार रख सकता है और यदि विशेष दवाई अथवा विशेष फार्मूला अथवा विशेष मौलिक्यूल उसका वित्तीय उद्देश्य पूरा न करते हों तो वह उन्हें उपलब्ध भी नहीं करा सकता।

यह ई.एम.आर. दिए जाने के पश्चात् यह संसद किसी भी अधिकार के बिना मूकदर्शक बनी रहेगी। यह उनका एकाधिकार होगा। हम क्या देने जा रहे हैं। क्या यह गहन जांच के पश्चात् दिया जा रहा है? नहीं। जांच का उल्लेख किया गया है लेकिन भारतीय पेटेंट अधिनियम के व्यापक प्रावधानों के अनुसार जांच नहीं की गई है क्योंकि इस बात की जांच की जानी है कि क्या यह पेटेंट करने योग्य है अथवा नहीं। क्या यह असाधारण है अथवा नहीं अथवा क्या वे कतिपय बेहतर परिवर्तनों के साथ सम्पूर्ण फार्मूलों, सम्पूर्ण मौलिक्यूल अथवा सम्पूर्ण मात्रा से काम निकालने का प्रयास कर रहे हैं।

क्या मैं युवा सदस्य का ध्यान इस बात की ओर दिला सकता हूं कि अब तक कितने आवेदन-पत्र आये हैं? तीन हजार आवेदन पत्र आये हैं। औसतन अंतर्राष्ट्रीय रूप से कितने मूल फार्मूले उपलब्ध है। कुछ लोग कहते हैं कि 18 से 20 हैं। आप इसे 40 कह सकते हैं। पांच वर्षों के लिए 40 को पांच से गुणा करने पर दो सौ आता है। रियायत देकर आप इसे 250 कह सकते हैं। लेकिन तीन हजार आवेदन पत्र पहले ही प्रस्तुत कर दिए गए हैं। इसका क्या अर्थ है। वे जनता के दबाव वाले क्षेत्र है क्योंकि हमारे पास जैव विविधता कानून के माध्यम से पर्याप्त संरक्षण नहीं है और क्योंकि हमारी जांच प्रणाली अपर्याप्त है।

मैं बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, जो भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादक संगठन के अध्यक्ष हैं, का साक्ष्य उद्धृत कर रहा हूं। विभाग से संबद्ध संसदीय स्थायी समिति 1993-94 अर्थात् गुजराल समिति के समक्ष अपने निवेदन में उन्होंने यह कहा कि:

> "क्या मैं यह बता सकता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिवर्ष 18-20 मोलीक्यूलस शुरू किये जाते हैं इसके परिप्रेक्ष्य में यह समझना मुश्किल है कि जब नये उत्पादों का परिदृश्य इतना नीचे है तो पेटेंट देने के लिए इतने अधिक आवेदन पत्र, जिनकी संख्या तीन हजार से भी अधिक है, कैसे फाईल किये गये हैं।"

उन्होंने यह भी बताया:

> "भारत सरकार यह पता लगाने के लिए इन आवेदन पत्रों की प्रारंभिक जांच करने पर विचार कर सकती थी कि क्या वे ऐसे उत्पादों से संबंधित है जो पहले ही जनता के दबाव वाले क्षेत्र में आ गए हैं, जिनके लिए संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 70.3 के अंतर्गत कोई बाध्यता नहीं है।"

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान इस भाग की ओर दिलाने का प्रयास करूंगा। उन्हें इसकी जानकारी होनी चाहिए।

[श्री रूपचन्द पाल]

उन्होंने यह कहा है कि:

"हो सकता है कि ये आवेदन पत्र अधिकांशत:, मात्रा, उपयोग स्वरूप और नये सम्मिश्रणों और हल्दी नीम जड़ी-बूटी उपचारों और अन्य प्रसिद्ध जड़ी-बूटी उत्पादों, जिन्हें उपयोगिता के आधार पर आविष्कार नहीं माना जा सकता, से संबंधित है।"

इसलिए, मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि क्या इस बात की व्यापक जांच के लिए कोई प्रावधान होगा कि क्या यह पेटेंट करने योग्य है अथवा नहीं। यह मूल प्रश्न है। मैं माननीय मंत्री से उत्तर चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित व्यवस्था विधेयक में है अथवा नहीं। यदि हम व्यापक प्रावधान न करें जैसाकि भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 में विद्यमान है तो क्या आवेदन पत्र की पेटेंट करने की क्षमता की जांच करना संभव होगा?

इस ई.एम.आर. जांच के अलावा नि:सन्देह मेल बाक्स की अनुमति दी जा सकती है। लेकिन अंतत: क्या हमारे देश में पेटेंट कार्यालय उन आवेदन पत्रों की जांच करने की स्थिति में होंगे जो मेल बाक्स के माध्यम से आयेंगे। हिन्दुस्तान लीवर से एक श्री गांगुली अथवा किसी अन्य ने अध्ययन किया है। उन्होंने हमारे आधारभूत ढांचे और पेटेंट के हमारे नियंत्रक की वार्षिक रिपोर्टों, कार्मिकों, विशेषज्ञों की संख्या और वैध स्थिति के बारे में बहुत ही अच्छा अध्ययन किया है।

सायं 6.00 बजे

सभापति महोदय: श्री रूपचंद पाल, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अब 6.00 बजने जा रहे हैं। क्या सभा समय बढ़ाना चाहती है।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं। हमें इसे कल जारी रखना चाहिए।

सभापति महोदय: मुझे यह बताया गया है कि कार्य मंत्रणा समिति ने यह निर्णय किया था कि सभा की बैठक 8.00 बजे तक होगी।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: यहां सभा की भावना महत्वपूर्ण है। कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय अनुशंसात्मक है।

श्री खारवेल स्वाईं: महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक

श्री सिकन्दर बख्त: मैंने यह समझा है कि यह निर्णय लिया गया था कि विधेयक के पारित किये जाने तक सभा की बैठक होगी।

सभापति महोदय: माननीय मंत्री आपकी क्या प्रतिक्रिया है।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय): सभापति जी, हम आठ बजे तक नहीं बैठ सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार नकवी): सभापति जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में हाउस को आठ बजे तक बढ़ाने का डिसाइड हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ए.जी. जोस (मुकुन्दपुरम): अब सभा की बैठक कल 11.00 म.पू. पर समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सभापति महोदय: कई माननीय सदस्य हैं जो इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मुख्तार नकवी: आप हाऊस को 8.00 बजे तक बढ़ा दीजिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: उसके लिए तो मैंने बोला है लेकिन वे लोग इसके लिए राजी नहीं हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य: इसे हमें कल शुरू करना चाहिए।

सभापति महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री ए.जी जोस: हमारी बैठक कल होगी।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला): सभापति जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट को हाउस ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया है। *...(व्यवधान)* जब सर्वसम्मति से स्वीकार किया जा चुका है, तो आप इस पर आपत्ति क्यों कर रहे हैं? *...(व्यवधान)* जब तक बिल पास न हो तब तक के लिए आप हाउस को बढ़ा दीजिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: हमें कम से कम एक घंटे का समय बढ़ा देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली): सभापति जी, जब सभा की सहमति हो तभी आप हाउस को बढ़ाइए *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: सभा को 8.00 बजे तक बढ़ा देना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री शरद पवार (बारामती): हमारी बैठक कम से कम और एक घंटे तक होनी चाहिए।

सभापति महोदय: क्या सभा की भावना यह है कि समय को बढ़ा दिया जाए। हमें 8.00 बजे तक बैठना चाहिए।

कुछ माननीय सदस्य: नहीं।

श्री शरद पवार: मैं समझ सकता हूं कि सदस्य सुबह से बैठे हैं। लेकिन यह भी वास्तव में सही है कि कार्यमंत्रणा समिति ने यह निर्णय लिया था कि सभा की बैठक 8.00 बजे तक होगी। उस प्रस्ताव को आज सभा के समक्ष रखा गया है और सर्वसम्मति से सभा ने स्वीकृति प्रदान की है। यही कारण है कि हमसे 8.00 बजे तक बैठने की अपेक्षा है। मैं माननीय सदस्यों की भावना को भी समझ सकता हूं। फिर भी हम 7.00 बजे तक बैठ सकते हैं।

सभापति महोदय: ठीक है। हम कम से कम 7.00 बजे तक बैठ सकते हैं। इसलिए, सभा का समय 7.00 बजे तक बढ़ा दिया गया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री [illegible]: अगर जल्दी घर जाना हो तो यहां बहस मत कराइए।

...(व्यवधान)

श्री [illegible]: जल्दी घर नहीं जाना है। *...(व्यवधान)* यहां चर्चा करना भी जरूरी है। *...(व्यवधान)* महोदय, अब मैं जांच के मुद्दे पर आ रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री डी. पी. त्रिपाठी: महोदय, आपका क्या निर्णय है?

सभापति महोदय: सभा एक घंटे के लिए 7 बजे तक बढ़ा दी गयी है।

श्री डी. पी. त्रिपाठी: केवल एक घंटे के लिए।

सभापति महोदय: इस समय केवल एक घंटे के लिए।

...(व्यवधान)

श्री [illegible]: महोदय मैं सात म.प. तक बोल सकता हूं, कोई समस्या नहीं है।

श्री डी. पी. त्रिपाठी: हम विपक्ष के नेता के सुझाव से सहमत हैं। इसलिए इसे सात बजे तक बढ़ा दिया गया है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: इस सीधर आंकि ओडोनेशन की बात से सहमत है। हाउस सात बजे तक चलाया जाए।

[अनुवाद]

श्री पी.पी. चालिहा (डिब्रुगढ़): सभापति महोदय, हमें गलत मिसाल नहीं स्थापित करनी चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति जो भी निर्णय ले रही है, सभा का समय बढ़ाना सभा का विशेषाधिकार है। कृपया यह जान लीजिए कि कार्यमंत्रणा समिति चर्चा किए जाने वाले विषयों की सूची तैयार कर सकती है। यह इन सब बातों

[श्री पी.सी. चाक्को]

का निर्णय कर सकती है लेकिन सभा का समय बढ़ाना इस सभा का एकमात्र अधिकार है ...*(व्यवधान)* इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता।

विपक्ष के नेता ने अभी एक सुझाव दिया है और अगर सत्ताधारी पार्टी केवल एक घंटे का समय बढ़ाने के लिए सहमत है तो हम भी सहमत हैं, अन्यथा हम भी सहमत नहीं होंगे ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सभा द्वारा कार्यमंत्रणा समिति का निर्णय स्वीकार कर लिया गया था।

...*(व्यवधान)*

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी: लेकिन इसकी समीक्षा की जा सकती है ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: महोदय, आपने अपना निर्णय दे दिया है कि सभा का समय सात बजे तक बढ़ा दिया गया है ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: सभापति महोदय, क्या मुझे भी अपने विचार व्यक्त करने का समय मिलेगा? ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को (इदुक्की): महोदय, उनके उपमंत्री ने अपनी बात कह दी है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: महोदय, क्या आप मेरी बात सुनेंगे? ...*(व्यवधान)* महोदय, क्या मैं आपके संरक्षण की मांग कर सकता हूँ। आजकल मैं देख रहा हूँ कि मुझे बोलने के लिए उनकी अनुमति की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कृपया मुझे बोलने के लिए कुछ मिनट दीजिए।

सभापति महोदय: हाँ, अवश्य।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: यदि मुझे कहने की अनुमति हो तो मैं समझता हूँ कि सभापति महोदय ने 7 बजे के समय के बारे में विपक्ष के नेता के सुझाव पर व्यवस्था दी है। लेकिन हमारी एक समस्या है जिसे मैं विचार करने हेतु आप सबके समक्ष रखता हूँ। हमारा काफी कार्य लंबित है। हमने मूल रूप से यह निर्णय किया था कि हम सभी लंबित अध्यादेशों को बीते हुए कल तक पूरा करने का प्रयास करेंगे। अब हमारे पास एक पेटेंट अध्यादेश है और दूसरा केन्द्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश है। हमारे पास दो अध्यादेश हैं। इसके अतिरिक्त ...*(व्यवधान)*

श्री एस. जयपाल रेड्डी: महोदय, ये प्रसार भारती अध्यादेश को भूल रहे हैं।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: नहीं, मैंने कहा कि अभी हमारे पास दो हैं। मैं जानता हूं कि यह भी लंबित है। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महिला आरक्षण विधेयक की क्या स्थिति है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: हमें यह समझना चाहिए कि इसके अतिरिक्त हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद पूरा करना है, हमारे पास आम बजट और रेल बजट है और यह सब हमें 18 तारीख तक पूरा करना है। हम सभी निर्णायक रूप से महसूस करते हैं कि हम 13, शनिवार को नहीं बैठना चाहते और सभा को बढ़ाना नहीं चाहते। इसलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है और मैं याचना करता हूँ कि हम अपने को, कार्य पूरा करने के लिए मिले, निर्धारित समय तक सीमित रखें; अन्यथा या तो हमें सभा को बढ़ाना होगा अथवा शनिवार को बैठना पड़ेगा। मेरी यह दलील है।

मैं सदस्यों और मुख्यत: श्री चाक्को द्वारा व्यक्त विचारों की सराहना करता हूँ। मुझे उनके विचारों से कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं स्थिति को सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। मेरा विचार है कि सभापति ने जैसी व्यवस्था दी है हमें अब 7 बजे तक बैठना चाहिए लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इन सभी विकल्पों पर विचार कर लें ताकि कल वे हमारे ऊपर कोई आरोप न लगा सकें। यदि कोई कहता है कि संसद अपना कार्य पूरा नहीं कर सकती तो इसमें अकेले मेरी गलती नहीं होगी ...*(व्यवधान)*

श्री पी.सी. चाक्को: माननीय मंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही है। उनके उपमंत्री ने पहले ही यह बात कही है कि कार्यसूची में सूचित इन सभी मुद्दों पर सभा को चर्चा करनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री रूपचन्द पाल।

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, अब मैं जांच के प्रश्न पर आ रहा हूं। जैसा कि वर्तमान विधेयक में पेटेंट अधिनियम की धारा 3 और 4 पर रोक लगाई गई है मैं माननीय मंत्री से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करूंगा कि अध्याय 4 और 5 में पेटेंट अधिनियम 1930 में दी गई व्यापकता और समुचित प्रक्रिया को ध्यान में रखा जायेगा।

पेरिस सम्मेलन में शामिल होने के पश्चात् यह जाच और भी जटिल हो गई हैं। पेरिस सम्मेलन से संबंधित देश ही पेटेंट के हकदार होंगे यदि उन्हें यह उस किसी भी देश में प्राप्त हुआ है जिसने उस विशेष सम्मेलन में हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, विश्व व्यापी पेटेंट क्षेत्रों की पूर्ण रूप से जांच करने के लिए न केवल आधारभूत सुविधाएं बल्कि पर्याप्त समय भी अपेक्षित है कि यह विशेष आवेदन पत्र कैसे और कब आया, नवीनतम और अनुसंधान दृष्टिकोण ही सुनिश्चित किया जाना चाहिए लेकिन यह जल्दी से प्रारूप तैयार किए गए इस विधेयक में नहीं है। यद्यपि सरकार के पास पर्याप्त समय था लेकिन उसने अपने विभाग का उपयोग नहीं किया। यह तदर्थ व्यवस्था है। यह उस स्तर पर कार्य कर रहे हमारे प्रतिनिधियों के साथ भी हुआ है। वे भी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के हित में बोल रहे थे। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): मार्क्सवाद की तरह ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: वास्तव में कलकत्ता के इस विशिष्ट संसद सदस्य के साथ यह समस्या है कि वह कभी कभी ऐसे विषय पर बोलते हैं जिसके बारे में वह नहीं जानते। ...*(व्यवधान)*

श्री अजित कुमार पांजा: मेरे पास एक नाम है ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: उनके व्यक्तित्व की खास बात यह है कि कभी कभी वे अपनी ही अज्ञानता में उलझ जाते हैं।

महोदय, मैं 'प्रक्रिया' पेटेंट के संबंध में ही बता रहा हूं। मारक खतरे पर यह तर्क दिया जाता है और ये सभी बातें प्रक्रिया को उल्टा कर देती हैं। लेकिन जब हमारे प्रसिद्ध नेता जापान के बारे में लिख रहे हैं कि उन्होंने स्वयं कितनी जानकारी प्राप्त की, उन्होंने मशीनों और अन्य चीजों की गूढ़ता को समझ लिया और अंत में नेता बन गए।

सायं 6.13 बजे

(**श्री रघुवंश प्रसाद सिंह** *पीठासीन हुए*)

महोदय, आपकी कृपा से मैं एक उद्धरण पढ़ रहा हूँ। अंत में मैं केवल उसका ही उल्लेख करूंगा जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ। यह पेटेंट करने के दर्शन के जवाब में है। मैं जिनका उल्लेख कर रहा हूँ उनका नाम मैं बाद में बताऊंगा। इसमें कहा गया है कि:

> "हम जानते हैं कि आज के औद्योगिक पश्चिमी देशों में ज्ञान, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान भी शामिल है, तथा प्रौद्योगिकी एशिया, चीन और भारत तथा अरब जगत से गई है। यह बहुत पुरानी बात नहीं है अभी हाल ही में यह हुआ है। वास्तव में आज भी प्रतिभा पलायन के रूप में तथा कथित तीसरी दुनिया से महत्वपूर्ण वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी ज्ञान पूर्व से पश्चिम में जा रहा है।"

महोदय, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं मैं किनका उद्धरण दे रहा हूं। यह बात भारत के माननीय राष्ट्रपति जी ने 1990 में पेटेंट कानून पर नेशनल वर्किंग ग्रुप द्वारा आयोजित तृतीय विश्व पेटेंट सम्मेलन में कही थी ...*(व्यवधान)* वह मैं आपको दे दूंगा। आप उस पार्टी में अपना समय क्यों बरबाद कर रहे हैं? आपको हमारे पास आकर और इन सब चीजों को पढ़कर अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। मैं आपको वह दे दूंगा। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा): सभापति जी, एक मैम्बर को 45 मिनट से ज्यादा हो गये, आप कुछ करिये। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: महोदय, उन्हें अपनी घड़ी के साथ कुछ परेशानी है।

तब मैं अधिकार की खुली छूट पर आऊँगा। जैसाकि आप जानते हैं, भारत में उपलब्धता तथा सस्ता मूल्य हमारे द्वारा औषधि उद्योग में दर्ज की गई अभूतपूर्व प्रगति के कारण संभव हुआ है।

हमारे लघु उद्योग काफी अच्छी गुणवत्ता वाली दवाइयाँ बना रहे हैं। उनके पास अच्छा निर्यात बाजार भी है। यदि हमें अपने 2000 ईस्वी तक सबों के लिए स्वास्थ्य संबंधी उद्देश्य तक पहुँचना है—मैं नहीं जानता कि क्या वे इसमें विश्वास रखते हैं—हमें लघु उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा। मैं नहीं जानता क्योंकि आजकल वे इन बातों का उल्लेख करना पसंद नहीं करते हैं।

श्री अजित कुमार पांजा: आपको अपनी पार्टी की निष्क्रियता के लिए कलकत्ता मेडिकल कालेज की मान्यता सदा-सदा के लिए समाप्त करनी है।

श्री रूपचन्द पाल: यही इन लोगों के साथ समस्या है। वे हमेशा स्वयं पथ से भटक जाते हैं तथा यह चाहते हैं कि उनकी मंशा के अनुसार अन्य लोग भी पथ से भटक जाएंगे। मैं पथ से नहीं भटकने वाला हूँ।

मैं लाइसेंस के अधिकार की खुली छूट पर आऊँगा। भारतीय पेटेंट अधिनियम में पुनर्गठन संबंधी प्रावधान होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, विशिष्ट विपणन अधिकार प्राप्त करने के बाद कोई आता है परन्तु देश में किसी चीज का उत्पादन नहीं करता है। वह केवल आयात करता है। यदि कोई भारतीय उत्पादक, विश्व व्यापार संगठन के प्रावधान के अनुसार, यह कहते हुए आवेदन करता है कि मैं आपको चार प्रतिशत रायल्टी देता हूं, आप मुझे उत्पादन करने की अनुमति दें तो क्या इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी? अधिकार की खुली छूट की सख्त आवश्यकता है तथा इस पर विचार होना चाहिए। ऐसे प्रावधान विधेयक में शामिल किए जाने चाहिए। केवल चार प्रतिशत रायल्टी ही नहीं वरन् यह भी कि वे प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण क्यों नहीं करते? वे कहाँ से यह प्रौद्योगिकी प्राप्त करते हैं? यह हमारे लोगों से ही, हमारे अपने वैज्ञानिकों से जो पश्चिमी देशों, अमेरिका, ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्य कई देशों में कार्यरत हैं। वे हमसे सीख रहे हैं। जैसाकि मैंने नेशनल पेटेंट्स कन्वेशन में माननीय राष्ट्रपति द्वारा की गई टिप्पणी को उद्धृत किया, उन्होंने हमसे बहुत कुछ सीखा है तथा अब वे अपने ज्ञान को एकाधिकार करना चाहते हैं। ज्ञानपूर्ण समाज में भारत को इस विचारधारा को नहीं मानना चाहिए। ज्ञान का एकाधिकार का दर्शन अच्छा नहीं है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: संक्षिप्त भाषण ज्यादा असरदार होता है। सूची में काफी सदस्यों के नाम हैं।

[अनुवाद]

श्री रूपचन्द पाल: लघुता चतुराई की आत्मा है। लेकिन मेरी समस्या यह है कि वे तभी समझते हैं जब मैं उनके सामने विस्तार करता हूँ। यदि मैं संक्षेप में कहूँ, तो वे नहीं समझेंगे। इसलिए मुझे इसमें कुछ बातें विस्तार करनी हैं। मैं अन्य बातों पर आ रहा हूँ।

सभापति महोदय, मैंने इस गैर-बराबर की दुनियाँ में विश्व व्यापार संगठन के प्रावधानों के बारे में कहा था। जब भारत सरकार ने उस पर हस्ताक्षर किया तब इसकी चिंता नहीं की। वे कहते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय समझौते पर हस्ताक्षर करना कार्यपालिका का विशिष्ट क्षेत्राधिकार है। लेकिन यह किस प्रकार संभव है कि इस संसद की संवैधानिक अधिकार की आगे अनदेखी की जाएगी? इस विधेयक के पारित होने के बाद उनके द्वारा विशिष्ट विपणन अधिकार का उपयोग किया जाएगा। उनके द्वारा परिस्थिति पर एकाधिकार कर लिया जाएगा। भारत के लोग दवाई इत्यादि के रूप में न्यूनतम चिकित्सा सुविधाओं से वंचित हो जायेंगे। इस संसद को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं होगा। मैं माननीय मंत्री से केवल एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। क्या आप संसद को यह बता सकते हैं कि ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रहित में संसद किस प्रकार हस्तक्षेप करेगी? दूसरे, हमारे लघु उद्योगों का क्या होगा? यह इसलिए कि लंबी अवधि के बाद तथा लंबी चर्चा के उपरांत जब यह भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 आया तब आम सहमति हो गई थी। मैं समझता हूँ कि मंत्री इससे सहमत होंगे। समूचे विकासशील देश में 1970 का अधिनियम एक माडल अधिनियम समझा गया था तथा हम गौरवान्वित थे कि भारतीय पेटेंट अधिनियम, 1970 हमारी आत्मनिर्भरता को मजबूत कर रहा है। मैं मंत्री से सीधे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ। क्या यह विशिष्ट विधेयक हमारी आत्मनिर्भरता को कमजोर नहीं करेगा? मैं यह जानना चाहता हूँ। इस संसद को जानने का अधिकार है। आप किस प्रकार हमारी औषधि उद्योग, लघु उद्योगों तथा हमारी राष्ट्रीय हित को संरक्षण प्रदान करने जा रहे हैं।

मैं रसायन और कृषि पर बाद में आऊँगा। मैं अपने आपको औषधि के क्षेत्र तक सीमित रख रहा हूँ। क्या मंत्री महोदय क्यों का कारण जानते हैं? यहाँ पर मेरे एक माननीय सहयोगी का संदर्भ है। बजट के तुरंत बाद यह सरकार दावे पेश कर रही थी कि शेयर बाजार में उछाल आ रहा है। सूचकांक बढ़ रहा है, बढ़ रहा है तथा बढ़ रहा है। यह केवल पाँच निर्गमों के साथ हुआ, केवल पांच पर्चियों के साथ। फार्मा, आई टी, हिन्दुस्तान लीवर तथा दो या तीन अन्य, दो बैंकों के साथ शायद। रैनबेन्सी, ग्लैक्सो, फाइजर, होचेस्ट के साथ क्या हुआ? क्या माननीय मंत्री ने उनकी बोर्ड की बैठक की विचार-विमर्श का अध्ययन किया है? मुम्बई की शेयर बाजार में फार्मा की परची पर क्यों प्रभाव पड़ा। केवल इसलिए क्योंकि वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि पेटेंट व्यवस्था में, इस सरकार द्वारा भारतीय पेटेंट अधिनियम में कुछ परिवर्तन किया जाएगा। और इसलिए सूचकांक में उछाल आया, विशेषरूप से फार्मा कम्पनी के जो बहुराष्ट्रीय है। वे खुश हो सकते हैं।

क्या माननीय मंत्री ग्लैक्सो, फाइजर, हॉचेस्ट तथा कतिपय अन्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का लाभ जानते हैं? उस पक्ष के कई मित्र ग्लैक्सो के परिसर होकर गुजरे होंगे, कुछ ने उन कम्पनियों की तुलन पत्र की जाँच की होगी। एक कम्पनी का विज्ञापन खर्च भारत में एक बड़े राज्य का एक वर्ष की योजना खर्च से ज्यादा होता है। कुल खर्च विज्ञापन खर्च के बराबर होता है।

ये बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ विश्व पर राज करती हैं। कोई सरकार सत्तासीन होगी या नहीं, यह इनके द्वारा निर्णय किया जाता है जो केवल चुनाव के दौरान चंदा देने से पूरा नहीं होता है। इन औषधि की कम्पनियों द्वारा निर्णय होता है कि कौन प्रधानमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री होगा। ऐसा हुआ है, लैटिन अमेरिकी देशों तथा अफ्रीकी देशों के बारे में कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। सरकार को क्या जानना चाहिए।

औषधि उद्योग तथा हमारी आत्मनिर्भरता का क्या होगा? मेरे माननीय मित्र ने कृषि रसायन के बारे में बहस की। गत पचास वर्षों में यदि हमने किसी क्षेत्र में कोई प्रगति की है तो वह कृषि है। मुझे इससे सहमत होने में कोई संकोच नहीं है। मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। लेकिन भारत जैसे देश के लिए जो कृषि पर निर्भर है, जहाँ सकल घरेलू उत्पाद हमारी कृषि की सफलता पर निर्भर करता है, वहाँ इस कृषि संबंधी व्यवस्था से क्या होने जा रहा है? यदि सरकार इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से इस रूप में विधेयक का लाभ उठाने की अनुमति देता है तो यह हमारी कृषि के लिए घातक होगा, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए घातक होगा तथा हमारी आत्मनिर्भरता के लिए घातक होगा।

मैं पौध-विविधता के बारे में उल्लेख करना चाहूँगा। मुझे आश्वासन दिया गया था जब मैंने विगत में इसे उठाया था कि एक अन्य विधेयक, पौध विविधता विधेयक बीज के प्रश्न पर मामला निपटाने के लिए लाया जाएगा जब हम व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार पर विचार कर रहे थे। ...*(व्यवधान)*

मैं मानसिक रूप से परेशान हूँ इस प्रश्न पर कि क्या विचार विमर्श छह बजे के बाद तक चलेगी तथा मैं भटक गया था।

श्री ए.सी. जोस: आप उसके कारण अधिक समय प्राप्त कर चुके।

श्री रूपचन्द पाल: मैंने ज्यादा समय नहीं प्राप्त किया, मैं आपसे समय चाहता हूँ।

मैं जैव-विविधता पर आ रहा हूँ। जैव-प्रकृति को कभी भी पेटेंट नहीं करने की अनुमति देनी चाहिए। 'म्यूमेन क्लोनिंग' तथा 'एनिमल क्लोनिंग' अवश्य ही आ रहे हैं। यह पुन: जैव लड़ाई, 'जीन थेरापी' तथा इसी प्रकार की अन्य प्रक्रिया का प्रश्न है। मैं अन्य कई प्रश्नों में नहीं जा रहा हूँ, मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूँ। भारत सरकार को इस संबंध में न केवल बहुत-बहुत सावधान रहना चाहिए, वरन् इस जैव विविधता के प्रश्न पर इस संबंध में काफी स्पष्ट होना चाहिए कि क्या हम सामान्य संरक्षण देंगे। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती गीता मुखर्जी: पहले ही 26 प्रजातियाँ पेटेंट कराई जा चुकी हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल: श्रीमती गीता मुखर्जी सही हैं कि यह कठोर सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक के इशारे पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की सेवा करने के लिए तैयार है क्योंकि पोखरन के बाद हम आत्मसमर्पण करने के लिए तैयार हैं। जब इन्हें बैठ जाने के लिए कहा जाता है, यह सरकार घुटने के बल पर चलने के लिए तैयार हो जाती है। कई प्रमुख बातों में इस संसद को अंधकार में रखा जाता है। मेरे विचार में, विश्व व्यापार संगठन में, अभी भी एक अवसर है। अभी समीक्षा करने की मांग किए जाने का अवसर है और केवल ऐसी समीक्षा करने के बाद जो काफी जल्द किया जाएगा-समुचित निर्णय लिया जा सकता है तथा न तो उत्पाद पेटेंट और न ही ई.एम.आर. में वृद्धि हमारे उद्देश्य को पूरा करेगी। यह विनाशकारी तथा हमारी आर्थिक संप्रभुता को बंधक बनाने वाला होगा। यह काफी खराब है। भाजपा के लोगों ने इसका उपयोग 1995 में किया था। लेकिन दुर्भाग्यवश उन्होंने अपने को अमेरिका, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों तथा अन्य के अधीन कर लिया है।

मैं विधेयक का विरोध करता हूँ तथा विधेयक का विरोध करता रहूँगा जो हमारे राष्ट्रहितों के लिए बाधक है।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (मदुरै): सभापति महोदय, यह विधेयक विगत की सरकारों के सहमत दायित्व का एक छोटा-सा हिस्सा है। इससे वृहत्तर प्रश्न है कि क्या अब हमारे पास विकल्प है या नहीं। लेकिन यहाँ यह मानना पड़ेगा कि 1986 में जब श्री वी.पी. सिंह उरूग्वे में तत्कालीन कांग्रेस सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो वे उस पर सहमत हो गए थे जिस पर मूल रूप से सहमति नहीं थी, यथा, कि हमारे कानूनों की व्यापक समीक्षा होगी तथा सेवाओं से संबंधित मामले भी 'गैट' के अंतर्गत लाए जाएंगे। यह प्रतिबद्धता मैंने उस समय देखी जब मैं वाणिज्य मंत्री था तथा ह्युसेल्स के अंतिम उरूग्वे चक्र में मैंने देश का प्रतिनिदित्व किया था। 1989 में तत्कालीन वाणिज्य मंत्री, श्री दिनेश सिंह ने सहमति व्यक्त की कि हम एक समझौते के अंतर्गत व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों का पालन करेंगे और वह समझौता हमारे एक लिखित समझौते के एक अंग के रूप में जेनेवा में किया गया था। 1994 में, श्री प्रणव मुखर्जी वाणिज्य मंत्री थे। मैं, वस्तुत: उस समय 'गैट' प्रश्न पर उस सरकार के एक आयोग की अध्यक्षता

[डा. सुब्रहमण्यम स्वामी]

कर रहा था। हमने नए 'गैट' समझौते पर इसके सभी प्रावधानों सहित हस्ताक्षर किए थे। हमने कोई मतभेद या आपत्ति प्रकट नहीं की थी। अतएव आज जैसाकि विधेयक में उल्लिखित उद्देश्यों तथा कारणों वाला विवरण दर्शाता है, हम मूल समझौते के अंश के प्रति ही प्रतिबद्ध नहीं हैं वरन् विश्व व्यापार संगठन के विवाद निपटान मशीनरी के निर्णय से भी बंधे हैं जिसने इस वर्ष की 19 अप्रैल को संशोधन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। लेकिन अब प्रश्न यह है: क्या संसद द्वारा पारित यह विधेयक विश्व व्यापार संगठन को संतुष्ट करेगा?

हम यहाँ क्या लाये हैं, क्या सरकार ने उस पर पहले से तैयारी की है? उन्होंने बिहार के संबंध में क्या किया इसे देखते हुए मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि उन्होंने इस मुद्दे पर भी पहले से तैयारी नहीं की है। मैंने पता किया और पाया कि इन दो मुद्दों पर विश्व व्यापार संगठन इस विधेयक को स्वीकार करने नहीं जा रहा है। अतएव क्या इस संसद को ऐसा विधेयक पारित करना चाहिए जो हमारी प्रतिबद्धता का पालन करने के लिए पर्याप्त नहीं समझा जाएगा? प्रथमत: विश्व व्यापार संगठन में आज के मत के अनुसार अनिवार्य दायित्व शामिल करने के कारण यह विधेयक व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों की धारा 70.9 का उल्लंघन करता है तथा इसलिए स्वीकार्य नहीं है तथा दूसरा यह कि विशिष्ट विपणन अधिकारों पर आवेदन पत्र भारत में पेटेंट निरीक्षक द्वारा समीक्षा होगी। ये दोनों बातें व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रावधानों के बाहर हैं तथा इसलिए यह विधेयक इस अर्थ में निष्फल है कि हम तो इसे पारित कर देंगे लेकिन हमारे साथ उसी प्रकार की समस्या होगी। संभव है कि वे पुन: आएं और दूसरा अध्यादेश लाएं या संभव है कि वे दूसरा संशोधन करें। मैं नहीं जानता, लेकिन यह संसद इस विधेयक पर विचार करके अपना समय बर्बाद कर रही है। हमें बड़े प्रश्न पर विचार करने की आवश्यकता है। मेरी समझ से यह ऐसा मुद्दा है जिस पर मंत्री सभा को अपने विश्वास में अवश्य लें तथा हमें बताए कि क्या यह सही नहीं है कि इस सरकार को इन आपत्तियों के संबंध में पहले ही जानकारी दे दी गई है।

इस सरकार के महान्यायवादी ने नवंबर, 1998 में उच्चतम न्यायालय को कुछ आश्वासन दिए थे कि वे संसद के शीतकालीन सत्र में ही पौध संरक्षण, जैव विधिता इत्यादि के प्रश्न पर कानूनों की शृंखला लाएंगे—अब हमारा बजट सत्र चल रहा है। इनमें से कोई भी कानून नहीं आया है। यदि यह मामला फिर से उच्चतम न्यायालय में उठता है। तो मैं नहीं जानता कि किस प्रकार महान्यायवादी उच्चतम न्यायालय का सामना करेंगे। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आज हम इस मूलभूत प्रश्न पर चर्चा कर सकते हैं क्योंकि मतों में विभिन्नता है। क्या हमारे पास विकल्प है? क्या हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था से बाहर निकल सकते हैं? या इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में ही हमें जैसा मिला उससे बेहतर प्राप्त करने की कोई गुंजाईश है? मेरे विचार में 'गैट' के प्रावधान ऐसे हैं कि जब तक हमारे पास जेनेवा में अच्छे वकील न हों, हम अपने पक्ष को मजबूती से नहीं रख सकते हैं। और मुझे डर है, पास वहाँ पर अच्छे वकील नहीं है। वास्तव में, यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारे मंत्रालय में कार्य करने वाले सभी अधिकारी जल्द या देर से काफी ऊंचे वेतन पर विश्व व्यापार संगठन में कार्य करना शुरू कर देते हैं और यह एक खतरनाक संकेत है। इसका अर्थ यह है कि जब वे यहाँ कार्य कर रहे हैं तो वे स्पष्टत: विकसित दुनिया के हितों के खिलाफ कार्यवाही कर रहे होते हैं। अन्यथा वे उन ऊंचे स्थानों पर नहीं पहुँच पाते। हमें इस प्रश्न की जाँच करनी होगी कि क्या इस विवाद निपटान मशीनरी की सुनवाई में भारत का पक्ष प्रभावी ढंग से रखा जा रहा है अथवा नहीं। लेकिन मैं कहूँगा कि 'गैट' समझौता में अपने आप में बराबरी का दर्जा देने का खण्ड मौजूद है। ऐसा क्यों नहीं है कि हम उन मुद्दों पर जोर डालें जिन पर हम मजबूत हैं? अमेरिका भारत में पूँजी का निर्बाध प्रवाह चाहता है लेकिन वह अपने देश में श्रम की निर्बाध प्रवाह की अनुमति नहीं देता है। उनके पास अतिरिक्त पूँजी है जो यहाँ आ सकती है लेकिन हमारे पास अतिरिक्त श्रम है जो आप्रवासी कानूनों द्वारा रोका जाता है। यदि भारतीय मुक्त रूप से विकसित देशों में जा पायें, यदि भारतीय कंपनियाँ इन देशों में स्वतंत्र रूप से श्रम ले जा सकते हैं तथा हमारा श्रम सस्ता होने के कारण परियोजना के लिए बोली लगा सकते हैं, तो हम बोली में प्रत्येक परियोजना जीतेंगे तथा काफी अच्छा व्यापार कर सकेंगे जैसे कि हमारे देश में आने वाली बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ अपने देश से 2 या 3 प्रतिशत ब्याज पर ऋण प्राप्त करती हैं जबकि हमारे उद्योग को इन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेकर प्रतिस्पर्द्धा करने को कहा जाता है।

कभी-कभी तो यहां तक कि वे उतना भी नहीं पाते जब तक कि कुछ घूस न दें। अतएव, विश्व व्यापार संगठन के सामने हर समय यह बराबरी को दर्जे का मुद्दा रखा जाना चाहिए और मुझे प्राप्त सूचना के आधार पर भारत सरकार ने ऐसा नहीं किया है। भारत के लिए अति महत्वपूर्ण हित के किसी भी विषय पर हमने जोर नहीं डाला है। हमने राष्ट्रीय सुरक्षा खंड के मुद्दे पर जोर नहीं डाला है जैसाकि हमें करना चाहिए। अतएव, सभापति महोदय, प्रभावी रूप से मैं यह कह रहा हूँ कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दोष देने का कोई कारण नहीं है। यदि आप यह नहीं जानते कि इस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का किस प्रकार उपयोग किया जाय तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को दोष देने से क्या फायदा होगा? नए

'गैट' समझौते में भारतीय हितों को सुरक्षित रखने की बहुत गुंजाइश है लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि हमारे पास आज इसके लिए आवश्यक बौद्धिक अवसंरचना या ईमानदारी नहीं है। यह विधेयक गर्त में जाएगा परन्तु मेरे विचार में इस समूचे मामले पर संसद का विशेष सत्र आयोजित करने का समय आ गया है।

आखिरकार, 28 समझौते हुए हैं तथा इतना ज्यादा भ्रम मौजूद है कि हमारा क्या दायित्व है और क्या नहीं है। आखिरकार यह विधेयक आ गया है। यह काफी छोटा हिस्सा है। यह पेटेंट अधिनियम का संशोधन नहीं है। विश्व व्यापार संगठन में तर्क न जीत पाने का यह एक बहुत छोटा समायोजन है। यह एक क्रमवार टुकड़ों का मामला है। पर इस मामले पर इस सभा में चर्चा की आवश्यकता है क्योंकि हमें पेटेंट कानून की आवश्यकता है। हम स्थायी रूप से नकल करने वाला देश नहीं बनने जा रहे। अब हम सॉफ्टवेयर का उत्पादन कर रहे हैं जिसके संरक्षण की आवश्यकता है। हम बहुत सी अन्य चीजों का उत्पादन कर रहे हैं जिनके लिए संरक्षण ज़रूरी है। हमारे कृषि उत्पादों को भी संरक्षण की आवश्यकता है। इसलिए, मैं कहूँगा कि उन्हें विधेयक पास करना चाहिए। मैं भी इस विधेयक को पास करने के लिए वचनबद्ध हूं क्योंकि मैं पिछली बार इस मामले में उनके साथ था। ...*(व्यवधान)*

श्री ए.सी. जोस: क्या अब वह उस व्यवस्था के अंग है?

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: प्रश्न यह है कि मुझे विधेयक पर निर्णय करना है।

श्री ए.सी. जोस: आप सामने बैठे हैं।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: मैं सामने नहीं बैठा हूं। मैं उनके साथ बैठा हूँ। वे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। क्या वे विधेयक का समर्थन नहीं कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* उन्हें नहीं पता। उनके सचेतक कृपया उन्हें सूचित करें।

प्रो. पी.जे. कुरियन: वह उन्हें रहस्य का उजागर नहीं करेंगे।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: अत: यह एक रहस्य है कि क्या वे उसका समर्थन करेंगे? यह पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषित किया जा चुका है कि वे विधेयक का समर्थन कर रहे हैं, और उनके लिए यह रहस्य है।

प्रो. पी.जे. कुरियन: वह उस समय देखेंगे।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: वे इस मामले में कोई दूसरा कायापलट करने जा रहे हैं। क्या ऐसी बात है?

श्री वारकला राधाकृष्णन: वे पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे विधेयक का समर्थन करेंगे ...*(व्यवधान)* वे अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे। जैसा कि उन्होंने बिहार के मामले में किया है, वे इस बार भी ऐसा ही करेंगे।

डा. सुब्रहम्ण्यम स्वामी: हाँ, वे अपना दृष्टिकोण बदल लेंगे क्योंकि वे बिहार के मामले में भी ऐसा ही कह रहे थे।

अब मुद्दा यह है कि यह हमारे दायित्वों का ही एक अंग हैं। मेरा विचार यह है कि यह विधेयक वापस नहीं आएगा, वे हमारे पास दुबारा किसी और विषय को लेकर आएंगे क्योंकि जैसा कि मैंने कहा दो, खंडों पर विश्व व्यापार संगठन ने पहले ही लिखित आपत्ति ले ली है। मुझे यह नहीं पता चल रहा कि यदि वे समय को बढ़ाने के लिए इस बहाने का उपयोग नहीं करना चाहते तो वे इस विधेयक को पारित करने की औपचारिकता से क्यों गुजर रहे हैं। यह विधेयक निश्चय ही विश्व व्यापार संगठन में हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं करेगा, लेकिन इस मसले पर विस्तृत चर्चा के लिए हमें संसद के एक पूर्ण विशेष सत्र की आवश्यकता है ताकि हम ठीक से जान पाएं कि हमें क्या करना है। यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था से यह कहकर बाहर रहना है कि हम विश्व व्यापार संगठन की नियमावली को अस्वीकार करते हैं क्योंकि इस पर विकसित देशों का प्रभुत्व है तो हमें देश को इसके लिए तैयार करना चाहिए। अथवा यदि हम इस व्यवस्था का अधिकतम लाभ उठाने के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो देश को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। इधर उधर के इस ढुलमुल रवैये के कारण न इधर के रहेंगे न उधर के और अन्तत: स्थिति सड़क के बीच के मुर्गे जैसी हो जाएगी और जिसे सड़क पर आने वाले वाहन रौंदते हुए निकल जाएंगे।

सभापति महोदय, इसलिए जैसा कि मैंने कहा मैं इस विधेयक का समर्थन करने के लिए बाध्य हूँ क्योंकि यह हमारी वचनबद्धता का एक हिस्सा है। मेरा निश्चित रूप से विश्वास है कि अगर हम अपने मामले का ठीक ढंग से तर्क प्रस्तुत करें तो भारत के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था और नए 'गैट' समझौते में अधिकतम लाभ उठाने के पर्याप्त क्षेत्र है। इसलिए, मैं अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के बाहर निकलने की वकालत नहीं करूंगा। जो इससे बाहर रहने की वकालत कर रहे हैं। मैं उन्हें चीन का एक उद्धरण देना चाहता हूं कि चीन जिस देश से मेरा अत्यधिक दोस्ताना संबंध है, वह भी पंक्ति में खड़ा है। वह रोज यह स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि उन्हें विश्व व्यापार संगठन में क्यों शामिल होना चाहिए?

[डा. सुब्रहम्मण्यम स्वामी]

विश्व व्यापार संगठन में शामिल होने के लिए 24 देशों की लम्बी कतार लगी है। हम उन पहले 23 देशों में से है जो 1948 में इसमें शामिल हुए थे। आज हमें राह से बाहर जाने की जरूरत नहीं है और न ही इससे बाहर आकर अलग-थलग पड़ने की। इस व्यवस्था का परिचालन हमारे द्वारा किया जाना चाहिए। हमें अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। सरकार ने यह इसलिए नहीं किया क्योंकि उन्होंने इसकी तैयारी नहीं की है। उन्होंने किसी भी मुद्दे पर तैयारी नहीं की है। इसलिए उन्होंने यहां आकर इस विधेयक द्वारा सभा का समय बर्बाद किया है। लेकिन, मैं आशा करता हूं कि वह एक विशेष सत्र का आयोजन करेंगे ताकि देश यह जान सके कि हम ठीक-ठीक कहां खड़े हैं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे पेटेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद।

पेटेंट का मतलब यह होता है कि हमने अमुक चीज का आविष्कार किया है और एक निश्चित अवधि तक उस वस्तु का दोहन करके उसका लाभ उठायें। वर्तमान में इस कानून में पांच वर्ष तक के लिए दोहन की व्यवस्था की गई है। सन् 1959 में न्यायाधीश आयंगर की एक रिपोर्ट छपी थी जिस पर काफी हो-हल्ला हुआ था। 1967 में पहली बार संसद में पेटेंट का यह बिल आया जिस पर जबरदस्त बहस हुई थी। 1970 का यह भारतीय पेटेंट कानून अब तक जारी है। 1970 के पेटेंट कानून में 1994 में हम लोगों ने संशोधन किया है। यह संशोधन इसलिए किया था ताकि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के बढ़ते दबाव को रोका जा सके। इसी प्रकार वर्तमान पेटेंट अधिनियम में दवा, कृषि और रसायनिक क्षेत्रों में इन चीजों के पेटेंट करने के लिए जो अध्यादेश आप लाये हैं, उससे लगता है कि यह सरकार विदेशी कम्पनियों के दबाव में है। विशेषज्ञों का यह मानना है कि इससे दवा उद्योग बुरी तरह से तबाह होगा, दवा के दाम बढ़ेंगे और हमारे स्वास्थ्य का मूल्य और ज्यादा महंगा हो जायेगा। आज विश्व के अंदर भारतवर्ष में सबसे सस्ती दवा मिल रही है। अब सामान्य गरीब आदमी को अपने स्वास्थ्य की देखरेख में बहुत कठिनाई होगी। इस विधेयक द्वारा बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पांच वर्ष के लिए विपणन दिये जाने का कार्य किया जा रहा है। इन से दवाओं के दाम आसमान छूएंगे जिससे भारतीय दवा उद्योग बुरी तरह से तबाह होगा। सरकार सारे देश को तबाही के रास्ते पर ले जा रही है। इसलिए हमें इस बात को गंभीरता से सोचना होगा। इस कानून से भारतीय अर्थ-व्यवस्था में आर्थिक असंतुलन रहेगा जिससे देश के विकास पर बुरा असर पड़ने वाला है। इससे भविष्य में विदेशी हस्तक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ने में मददगार होगा। जिस भारतवर्ष के बारे में कहा गया है कि यह वेदों और ऋषियों का देश है, वहां अमरीकी सैनिक अड्डा बनकर रहेगा, इस विधेयक से तो यही प्रतीत होता है। इस देश के 40 करोड़ किसान गुलामी में चले जायेंगे, यह बात किसी से छुपी नहीं है। अमरीका हमारे कृषि उद्योग पर कब्जा करना चाहता है। यदि हम तमाम पेटेंट कानून से संबंधित अन्य विषयों पर सोचें तो यह बात गंभीरता से सामने आती हैं। हमारी आबादी का 2/3 भाग कृषि पर आधारित है जिससे हमारा कृषि क्षेत्र आत्मनिर्भर है और अपना विकास कर रहा है। कृषि क्षेत्र को पेटेंट से अलग करना होगा चाहे अन्य चीजों की उसमें व्यवस्था कर दें अन्यथा कृषि क्षेत्र में बहुत बड़ी तबाही होगी।

इससे आवश्यक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे, किसानों पर इसका सीधा बुरा असर पड़ेगा, जैसे कि बीजों और उर्वरकों के दाम बढ़ने पर और पेटेंट होने पर किसान केवल एक ही बीज और उर्वरक पर निर्भर रहेगा। अभी तक आपने बासमती चावल को पेटेंट किया है। यदि इसे पेटेंट न किया जाता तो बासमती चावल को हम बेच भी नहीं सकते थे। इसी प्रकार से आपने हल्दी, इमली, नीम, सरसों आदि को भी पेटेंट करने का इरादा बनाया है जिससे बहुत बड़ी तबाही पूरे देश के किसानों की होगी। अक्सर टर्मिनेटर जीन्स के बारे में बात होती है। टर्मिनेटर जीन्स के बारे में कहा जाता है कि अगर किसी भी देश के बीज को हम पेटेंट करेंगे, अगर किसान उस बीज को बोयेगा और उसके बाद उस बीज को बचाकर दूसरी फसल में बोएगा तो वह बीज अधिक उत्पादन नहीं करेगा। ऐसा सुनने में आया है कि वह बीज नपुंसक होगा, उसमें जान नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा है कि पूरे देश के किसान 10 प्रतिशत बीज खुद बचाकर रखते थे और खुले मार्केट में 90 प्रतिशत बीज मिलते थे। टर्मिनेटर का विपणन एकाधिकार भारत के लिए खोल दिया गया है जो पूरे देश के लिए अहितकर और हानिकारक होगा। पेटेंट कानून पर हमें बीज लेने के लिए अमेरिका की ओर देखना पड़ेगा या किसी भी देश के बीज का पेटेंट करेंगे तो जब वह हमें बीज देंगे, उस समय हम बो पाएंगे। इसलिए बीज की उपलब्धता न होने के कारण किसान पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंचेगा। दो वर्ष के लिए आपने टर्मिनेटर जीन्स पर रोक लगाई है लेकिन उसके बाद क्या होगा, इसके लिए भी सरकार को सोचना पड़ेगा।

भारतीय किसान सदियों से बीज बचाकर बोता आया है, यह किसी से छिपा नहीं है। समय-समय पर मौसम के बदले रूप को देखते हुए किसान अच्छे बीज भी बोता है और उससे कम अच्छे बीज भी बोता है। यहां के किसान कुछ सीमान्त किसान हैं, कुछ

बड़े खेतिहर मजदूर हैं, कुछ बड़े काश्तकार हैं जो अच्छे और उससे कम अच्छे बीजों की समय-समय पर खेती करके अपना जीवन-यापन या व्यवसाय करते हैं। भारत व्यापार के मामले में पहले ही विदेशियों के चंगुल में फंस चुका है, यह किसी से छिपा नहीं है। आपने देखा होगा कि पूरे भारत में 45000 किस्म के पौधे हैं और 75,000 पशुओं की प्रजातियां हैं जिससे इस देश में चाहे वह कृषि का क्षेत्र हो, चाहे दूसरा क्षेत्र हो, उसमें हम अधिक उत्पादन करके आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसके लिए हमें सोचना होगा कि हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी कंपनियों या निजी कंपनियों के मकड़जाल में न फंसे, इस ओर हमें गंभीरता से सोचना होगा।

अनुसंधान, इनफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में विश्व में दूसरा स्थान भारत का है। 29 कृषि विश्वविद्यालय हमारे देश में हैं और 81 राष्ट्रीय कृषि संस्थान हैं। आज अगर इतने बड़े भारतीय इनफ्रास्ट्रक्चर को निजी क्षेत्रों के हवाले कर देंगे तो हम कितने आत्मनिर्भर हो पाएंगे यह किसी से छिपा नहीं है। हमें सोचना होगा और विचार करना होगा अपने देश के किसानों के बारे में। जो 40 करोड़ किसान हैं, वह तबाह होंगे, उनका भविष्य अंधकारमय होगा। सन् 1999-2000 में पेटेंट लागू होने पर हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों और निजी कंपनियों के हाथों में गुलाम बनेंगे, यह किसी से छिपा नहीं है। मैं इस अवसर पर ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इस पेटेंट कानून से पूरे देश के किसानों की बहुत बड़ी तबाही होगी और जो भारतवर्ष खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर था, वह पूरे तरीके से बहुराष्ट्रीय कंपनियों, विदेशी और निजी कंपनियों के हाथों में गुलाम होगा।

सभापति महोदय, मैं ज्यादा न कहते हुए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करें और इस पर सोचें कि देश को हम गुलामी की ओर ले जा रहे हैं या देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): माननीय सभापति, महोदय, मैं 8 जनवरी, 1999 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित पेटेंट (संशोधन) अध्यादेश, 1999 (1999 का संख्यांक 3) का सिर्फ इसलिए विरोध नहीं कर रही हूँ कि हम अध्यादेशों का अधिकांशत: विरोध करते हैं बल्कि इसलिए कि मैं उद्योग मंत्री द्वारा प्रस्तुत पेटेंट (संशोधन) विधेयक 1998 का भी विरोध करती हूँ।

यह सर्वविदित है कि हमारी पार्टी भारत द्वारा 'ट्रिप्स' समझौते पर हस्ताक्षर करने के विरुद्ध थी और अभी भी वही स्थिति बनी हुई है।

दुर्भाग्यवश, भारत सरकार ने पहले ही हमारे देश को विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना है और 'ट्रिप्स' समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, विशेष रूप से विश्व व्यापार संगठन में बहुत जल्दी चले गए हैं जो चाहता है कि अन्य चीजों के साथ-साथ भेषज और कृषि रसायनों के क्षेत्रों के उत्पादनों को भी हम पेटेंट करें। ट्रिप्स समझौते पर हस्ताक्षर करने के परिणामस्वरूप सरकार ने पेटेंट संशोधन अध्यादेश बहुत जल्दी में जारी कर दिया और अब पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 सभा पटल पर रख दिया है। मैं पहले ही कह चुकी हूं कि मैं इस विधेयक का विरोध करती हूं।

प्रत्येक प्रभुसत्ता सम्पन्न कल्याणकारी देश की उन मूल्यों जिसे गरीब दे सकें पर आवश्यक वस्तुएं और सामग्री जैसे दवाईगां आदि उपलब्ध कराने के लिए अपनी एक नीति होनी चाहिए। यह भारत जैसे विकासशील देशों के मामलों में अधिक आवश्यक है जहां बहुत बड़ी आबादी गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय श्रीमती गीता मुखर्जी से आग्रह करूंगा कि वे एक मिनट इंतजार करें। मैं एक छोटा सा अनुरोध करना चाहता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी: जी, बोलिए।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मूलत: हमने इसे बीते हुए कल में पारित कराने की योजना बनाई थी लेकिन अब पूर्ण रूप से सर्वसम्मति से लगता है कि आज सभी लोग थक गए हैं क्योंकि कल भी हम देर तक बैठे थे। आज भी देर हो रही है।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी): अभी कितने और वक्ता हैं?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: अभी लगभग आठ वक्ता हैं। दोनों पक्षों से वापसी के बाद भी आठ सदस्य हैं।

महोदय, हम कल चार बजे माननीय उद्योग मंत्री द्वारा इसका जवाब चाहते हैं और उसके बाद मतदान। इसलिए, गीताजी के भाषण के बाद 7 बजे हम सभा स्थगित कर देंगे। कल हम इसे पहली मद के रूप में लेंगे और 4 बजे चाहे जो भी बोल रहा हो हम चर्चा को बन्द कर देंगे और अंतिम वक्ता को जो कि माननीय उद्योग मंत्री होंगे जवाब देने के लिए कहेंगे और फिर इसे

[श्री पी.आर. कुमारमंगलम]

मतदान के लिए रखेंगे। उसमें बहुत से संशोधन हैं। इसलिए, मतदान में भी पर्याप्त समय लगेगा।

इसलिए मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि किसी भी कीमत पर कल चार बजे जवाब दिया जाएगा और आज सात बजे हम सदन को स्थगित कर देंगे।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना (मारमागाओ): गोवा बजट की क्या स्थिति है?

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: हम सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद गोवा बजट के बारे में कल सुबह आपको सूचित करेंगे।

श्री फ्रांसिस्को सारदीना: हर बार यही कहा जाता है।

श्री पी.आर. कुमारमंगलम: मुझे उपाध्याय महोदय से कुछ चर्चा करनी है। वह एक वरिष्ठ अधिवक्ता है। मैं तो सिर्फ उनसे कनिष्ठ हूँ।

सभापति महोदय: श्रीमती गीता जी अब आप बोलिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी: इस व्यापक पृष्ठपट से हमें वर्तमान विधेयक का निर्णय करना चाहिए।

उस पर आने से पूर्व यह दर्शाने के लिए कि ट्रान्सनैशनल कारपोरेशन ने अपने विश्वव्यापी हितों को बढ़ाने के लिए अपने एकाधिकार को कैसे पूरी तरह सुनिश्चित किया, मैं अमरीका की मौनसेन्टो कम्पनी के श्री जेम्स एनयार्ट, जो कि अमरीका की बौद्धिक सम्पदा समिति में भी थे और जिन्होंने 'गैट' की जिनेवा बैठक में उनके हित को प्रस्तुत किया, का उद्धरण देना चाहूंगी। मैं उनके द्वारा "ए गैट इन्टलैक्चुअल प्रापर्टी कोड' नामक किताब में कही गई बात का उद्धरण दे रही हूं। इसमें कहा गया है कि:

> "हम जिनेवा गए जहां हमने 'गैट' सचिवालय के कर्मचारियों को अपने दस्तावेज प्रस्तुत किए। उद्योग ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ी समस्या की पहचान की है। उसने एक समाधान निकाला, इसे एक ठोस प्रस्ताव में परिवर्तित कर हमारी अपनी और अन्य सरकारों को बेच दिया। उद्योगों और वाणिज्य जगत के व्यापारियों ने एक साथ मरीज की, निदानकर्ता की और चिकित्सक की भूमिका अदा की है।"

मौनसैनटो कम्पनी ने 'गैट' के साथ यह समझौता किया है।

इसलिए, इससे स्पष्ट है कि विश्व व्यापार संगठन 'ट्रिप्स' जैसे समझौतों द्वारा किसके हितों को पूरा करने की कोशिश कर रहा है। यह पूर्णतया स्पष्ट है कि वे बहुराष्ट्रीय और विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमरीका के हितों के लिए कार्य कर रहे हैं। यह मेरा कहना नहीं है। पूरे विश्व की जानकारी के लिए यह उनका अपना कहना है। हमें स्पष्ट रूप से इसे समझ लेना चाहिए।

सायं 6.55 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

मैं पहले ही कह चुकी हूं कि दुर्भाग्यवश अब तक भारत 1970 के पेटेंट अधिनियम का अनुसरण कर रहा था जिसमें प्रोसेस पेटेंट का प्रावधान था और जिसके कारण हमारे यहां दवाईयों की कीमतें विश्व में सबसे कम थीं। उस अधिनियम में हमने भेषज और रसायनों को भी पेटेंट के घेरे से बाहर रखा।

लेकिन अब, जैसाकि सभा में प्रस्तुत किया गया है, इस विधेयक के अनुसार हम एक विशिष्ट स्थिति का सामना कर रहे हैं जिसमें हमसे 'ट्रिप्स' समझौते द्वारा दो बुराईयों में से एक को चुनने के लिए कहा गया था।

सभापति महोदय: कृपया आप समाप्त करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी: यदि आपको एतराज न हो, मैं लम्बे समय तक नहीं बोलूंगी। मैं अपना भाषण समाप्त करने वाली हूँ। अभी 7 नहीं बजे हैं।

सभापति महोदय: मुझे कुछ मिनट के लिए श्री रघुवंश प्रसाद सिंह को भी बुलाना है। कृपया समाप्त कीजिए।

श्रीमती गीता मुखर्जी: कृपया मुझे समाप्त करने दें। यह ज्यादा लम्बा नहीं है। जैसाकि आप जानते हैं मैं लम्बे भाषणों में विश्वास नहीं करती।

पहली बुराई यह है कि अपने पेटेंट कानून को बदलना ताकि हम प्रोसेस पेटेंट से प्रोडक्ट पेटेंट पर आ सकें।

दूसरी बुराई यह है कि जो कम्पनियां प्रोडक्ट पेटेंट के लिए आवेदन कर रही हैं हमें उन्हें विशेष विपणन अधिकार देना चाहिए।

इन दायित्वों को 19 अप्रैल, 1999 और वर्ष 2005 के बीच पूरा करना है।

मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि हम निश्चय ही इस पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 का विरोध करते हैं। लेकिन फिर भी हमें पहले उल्लिखित दो बुराईयों के प्रभाव पर संक्षिप्त चर्चा करनी चाहिए। पहली यह है कि उत्पाद पेटेंट धारक को अपने उत्पाद के लिए उदारतापूर्वक मूल्य निर्धारण करने की अनुमति प्रदान करता है क्योंकि वे जानते हैं कि नक्कल उद्योगों से अपने उत्पाद को बचाना मुश्किल है और इस प्रकार यह उनकी नई पद्धतियों को अधिक सुरक्षा प्रदान करता है और दूसरी ओर यह पेटेंट धारकों को अधिक अनुसंधान और विकास के लिए प्रोत्साहित करता है। परन्तु, इससे भारत जैसे विकासशील देशों के गरीबों और निम्न मध्य वर्गों पर बढ़ी हुई कीमतों का प्रभाव पड़ सकता है। प्रोसेस पेटेंट का अनुपालन करने वाले देशों की तुलना में उत्पाद पेटेंट लागू करने वाले देशों में दवाईयों की कीमतें कई गुना ज्यादा है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि अब भारत में दवाईयों की कीमतें सबसे कम हैं।

विशेष विपणन अधिकारों के बारे में 'ट्रिप्स' के अंतर्गत कुछ प्रोटोकोलों को संतुष्ट करना पड़ेगा।

सायं 7.00 बजे

इसका मतलब है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां जिनका विश्व व्यापार संगठन के किसी भी हस्ताक्षरकर्ता देश में उत्पाद पेटेंट होगा उन्हें बिना किसी जांच के भारत में लागू करने के लिए विशेष विपणन अधिकार दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सात बजने वाले हैं, यदि सदन की सहमति हो तो श्रीमती मुखर्जी की स्पीच खत्म होने दें।...*(व्यवधान)*

श्री पृथ्वीराज दा. चव्हाण: ठीक है, आप इन्हें अपनी स्पीच खत्म करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

कुछ माननीय सदस्य: इन्हें अपना भाषण खत्म करने दीजिए।

सभापति महोदय: यदि सभा सहमत है तो ठीक है।

श्रीमती गीता मुखर्जी: किसी भी तरह मैं पांच मिनट में खत्म कर दूंगी। ...*(व्यवधान)* बार-बार होने वाली गड़बड़ियां इसे और भी बदतर बना देती हैं। ...*(व्यवधान)*

विशेष विपणन अधिकार के संबंध में 'ट्रिप्स' के अंतर्गत कुछ प्रोटोकोलों को संतुष्ट करना है, इसका मतलब यह है कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां, जिनका विश्व व्यापार संगठन के किसी भी हस्ताक्षरकर्ता देश में उत्पाद पेटेंट होगा उनके मूल पेटेंट की वास्तविकता वैधता की कोई जांच किए बिना भारत में लागू करने के लिए, पांच वर्ष के लिए विशेष विपणन अधिकार दिया जायेगा। इसका मतलब यह है कि यदि वे किसी बाजार में पेटेंट करते हैं तो हमें उन्हें यहां विशेष विपणन अधिकार देना होगा। इसका मतलब यह है कि ये कम्पनियां बिना किसी जांच प्रक्रिया के पांच वर्ष के लिए विशेष विपणन अधिकार का लाभ उठाएंगी। ...*(व्यवधान)*

जहां तक विशेष विपणन अधिकार से सहमत होने का संबंध है, इससे बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को किसी भी मनमानी कीमत, जो उन्हें पसंद हो, पर अपने उत्पादनों को हमारे देश में बेचने का अधिकार मिल जाएगा। इसलिए, कुछ अन्य विकासशील देशों की तरह भारत को भी कम बुराई अर्थात उत्पाद पेटेंट को अपनाना चाहिए। कम से कम इस विकल्प से भारत के पास आवेदन पत्रों की जांच के लिए कुछ गुंजाइश रहेगी। अत: यद्यपि हम इस विधेयक के खिलाफ हैं फिर भी हम इस डर से इस पर चर्चा कर रहे हैं कि सरकार यह कार्य करेगी। इसलिए, दो बुराईयों में से मैं यह बताना चाहती थी कि कौन सी बुराई कम बुरी होगी।

मैं इस प्रश्न से संबंधित एक अन्य प्रश्न अर्थात् हमारे देश में विभिन्न क्षेत्रों में कई उत्पादों के संबंध में परम्परागत जानकारी की सुरक्षा करने के संबंध में प्रश्न उठाना चाहती हूँ। हम जानना चाहते हैं कि हमारी परम्परागत जानकारी की सुरक्षा के बारे में सरकार क्या सोच रही है। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या इसे भी शामिल किया जायेगा। हम जैव विविधता के बारे में भी उनके विचार जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि हम अपनी परम्परागत जानकारी की सुरक्षा कैसे करेंगे जिसका उन्होंने उल्लेख किया था। ...*(व्यवधान)*

पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 1998 को पारित करने के लिए सरकार का दृष्टिकोण जानते हुए मैंने दो बुराईयों के बारे में चर्चा की है और बताया है कि कौन सी बुराई कम हानिकारक होगी। हम नहीं चाहते की सरकार इनमें से कोई भी बुराई अपनाए। हम मांग करते हैं कि सरकार 'ट्रिप्स' समझौते के अनुसार कार्य करने से इनकार करे और अन्य उन विकासशील देशों के साथ इसके खिलाफ लड़े जो अभी भी 'ट्रिप्स' समझौते की बाध्यताओं को

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

क्रियान्वित करने से इनकार कर रहे हैं। और बहुर्राष्ट्रीय कम्पनियों और विश्व व्यापार संगठन की सभी साजिशों से लड़ने के लिए विकासशील देशों का एक बड़ा संयुक्त मोर्चा बनाए।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह: सभापति जी, हिन्दुस्तान का पेटेंट कानून दुनिया का सबसे अच्छा पेटेंट कानून है।

सभापति महोदय: श्री रघुवंश प्रसाद जी, आप अपना भाषण कल जारी रखिये।

[अनुवाद]

अब सभा कल 10 मार्च, 1999 के पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.04 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 10 मार्च, 1999/19 फाल्गुन, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।